पंचदश माला, खंड 20, अंक 6

मंगलवार, 29 नवम्बर, 2011
8 अग्रहायण, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 84
Dated 20 May 2014

सत्यमेव जयते

(खण्ड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरूणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

कीर्ति यादव
सहायक सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

© 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 20, नौवां सत्र, 2011/1933 (शक)]

अंक 6, मंगलवार, 29 नवम्बर, 2011/8 अग्रहायण, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
महाराष्ट्र के मेहकर तहसील में बस दुर्घटना में यात्रियों की मृत्यु	1
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 101 से 120	2-186
अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 से 1380	187-842
सभा पटल पर रखे गए पत्र	842-847
मंत्री द्वारा वक्तव्य	847
उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
प्रो. के.वी. थॉमस	847
नियम 377 के अधीन मामले	847
(एक) देश में विशेषकर कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता	
श्री आर. ध्रुवनारायण	848-849
(दो) लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड के पोत कर्मी दल संघ के हड़ताल के मुद्दे का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
श्री हमदुल्लाह सईद	849
(तीन) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को युक्तिसंगत मूल्य पर उर्वरक मुहैया करने तथा खरीद केन्द्रों के माध्यम से उनके धान की खरीद के लिए प्रबंध किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. निर्मल खत्री	849-850
(चार) केरल के पालक्काड डिवीजन में रेलवे प्लेटफार्म पर विक्रेताओं की सेवाओं को बहाल किए जाने की आवश्यकता	
श्री एम.के. राघवन	850
(पांच) केरल के कोचीन और उसके आस-पास अप्रवासी जल मार्ग अप्रवासी जल मार्ग (बैकवाटर) के भू-उद्धार तथा अव्यस्थित निर्माण को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री चार्ल्स डिएस	850-851

*सभा की कार्यवाही में निरंतर व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तरों के लिए नहीं लिया जा सका। अत: ये तारांकित प्रश्न अतारांकित प्रश्न माने गए।

विषय	कॉलम
(छह) गुजरात और राजस्थान में नमक की ढुलाई के लिए एक समान माल भाड़ा योजना लागू किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. ज्योति मिर्धा	851-852
(सात) इंदौर-देवास-उज्जैन खंड पर रेल लाईन के विद्युतीकरण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती सुमित्रा महाजन	852
(आठ) राजस्थान की सिद्ध जाति को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम सिंह कस्वां	853
(नौ) उत्तर प्रदेश बिंदकी-खजुहा-जहानाबाद-सिकंदरा के बरास्ते फतेहपुर और अकबरपुर के बीच ऐतिहासिक मुगल सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री राकेश सचान	853-854
(दस) बिहार के मुजफ्फरपुर और दिल्ली के बीच गरीब रथ एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12211/12) और सप्तक्रांति एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12257/58) को प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता	
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	854
(ग्यारह) देश में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत तथा पर्यावरण पर उसके गंभीर प्रभाव पर नियंत्रण रखे जाने की आवश्यकता	
श्री डी. वेणुगोपाल	854-855
(बारह) आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर और श्रीसैलम बांधों से गाद निकालने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	855-856
(तेरह) उत्तर प्रदेश के मथुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सर्वशिक्षा अभियान में कुप्रबंधन की जांच किए जाने की आवश्यकता	
श्री जयंत चौधरी	856
(चौदह) तमिलनाडु के तेनकासी टाउन में रेल समपार संख्या 502 पर रेल ऊपरि पुल का निर्माण शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी. लिंगम	856-857
(पंद्रह) देश के स्कूलों में शौचालयों की कमी की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
श्री बदरूद्दीन अजमल	857-858
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	859
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	860-868
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	869-870
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	869-872

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

मंगलवार, 29 नवम्बर, 2011/8 अग्रहायण, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुई*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

महाराष्ट्र के मेहकर तहसील में बस दुर्घटना में यात्रियों की मृत्यु

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण 28 नवम्बर, 2011 को महाराष्ट्र बुलढाना जिले की मेहकर तहसील में नागपुर और पुणे के बीच चलने वाली दो बसों की टक्कर व उनमें आग लगने के कारण पन्द्रह लोग मारे गए और पैंतीस अन्य घायल हो गए।

यह सभा इस दुखद घटना में मारे गए और घायल लोगों के परिजनों को हुई पीड़ा और वेदना पर गहरा शोक प्रकट करती है।

अब सदस्यगण, दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.01/2 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: आपका धन्यवाद। अब प्रश्न काल

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न सं. 101 श्री रमेन डेका

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तान्त में और कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री रमेन डेका।

*(व्यवधान)...**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

इस समय श्रीमती एम. विजय शान्ति, श्री तूफानी सरोज और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल चलने दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: ऐसा न करें। हर दिन आप ऐसा कर रहे हैं। कृपया बैठ जाइए। प्रश्न काल चलने दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल चलने दे। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

उत्तर-पूर्वी राज्यों में कृषि उत्पादन

***101. श्री रमेन डेका:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक उत्तर-पूर्वी राज्य में कृषि और बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाल ही में इन योजनाओं की समीक्षा की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार क्या परिणाम रहे;

(घ) इन राज्यों में किसानों के समक्ष क्या बाधाएं आ रही हैं; और

(ङ) कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए इन राज्यों के किसानों को क्या विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं/दिए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) कृषि और बागवानी का उत्पादन बढ़ाने के लिए संबंधित उत्तर-पूर्वी राज्यों में निम्नलिखित मुख्य कार्यक्रम/स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं:

मुख्य स्कीम	उत्तर-पूर्वी राज्य
उत्तर-पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन	असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम
राष्ट्रीय बांस मिशन	असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम
बृहद कृषि प्रबंधन	असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम
कपास प्रौद्योगिकी मिशन	त्रिपुरा
जूट प्रौद्योगिकी मिशन	असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैण्ड
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	असम, त्रिपुरा

(ख) और (ग) खरीफ और रबी मौसम के प्रारंभ में द्विवार्षिक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलनों में स्कीमों की नियमित समीक्षा के अलावा गुवाहाटी, असम में अक्तूबर, 2010 के मौसम में पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि के संबंध में एक विशेष सम्मेलन- "उत्तर-पूर्व हेतु कृषि : कार्यनीति, नीति और पद्धति" का आयोजन किया गया है। राज्य में कृषि विकास हेतु सम्मेलन में प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं।

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों द्वारा सामना की जा रही बाधाओं में वर्षासिंचित कृषि, झूम खेती, लहरदार क्षेत्र भू-भाग (अनडयूलेटिंग टैरान), भू-जोत का छोटा आकार, कम ऋण और विपणन सुविधाएं, उर्वरकों की कम खपत, ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क सड़कों की कमियां, कम कृषि यंत्रीकरण, उपयुक्त कटाई पश्चात प्रबंधन आदि कमी शामिल हैं।

(ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के किसानों को दिए गए कुछ विशेष प्रोत्साहन नीचे दिए गए हैं :

(i) कुल बजट का लगभग 10 प्रतिशत, जो समाप्त नहीं होता है, विभाग की सभी स्कीमों के अधीन पूर्वोत्तर राज्यों को आबंटित किया जाता है।

(ii) पूर्वोत्तर परिषद् भी खासकर समेकित कृषि विकास; बागवानी/पुष्प कृषि के विकास और मसालों और अन्य अधिक मूल्य वाले औषधीय पादपों की खेती और प्रचार, बीज फार्मों, मधुमक्खी पालन की स्थापना, टिश्यू कल्चर, प्रयोगशालाओं की स्थापना, कॉफी, रबड़ बागानों आदि के संवर्धन के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि और संवर्गी क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से निधियां प्रदान करती है।

(iii) राष्ट्रीय बांस मिशन, उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों के बागवानी मिशन जैसे कार्यक्रम मुख्यत: पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों को लाभ देने पर केन्द्रित हैं।

(iv) विपणन अवसंरचना के सृजन हेतु 33.33 प्रतिशत की वर्द्धित राजसहायता दी जाती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में 25 प्रतिशत राजसहायता स्वीकार्य है। ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत अन्य क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 100 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता के प्रतिमान के मुकाबले पूर्वोत्तर क्षेत्र में 50 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता वाले छोटे गोदामों की अनुमति दी गई है। समेकित कटाई पश्चात प्रबंधन के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में 40 प्रतिशत राजसहायता के मुकाबले शीतन और भंडारण यूनिटों की स्थापना के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में 55 प्रतिशत राजसहायता दी जाती है।

(v) इम्फाल में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय और मेडजीफेमा नागालैण्ड में केन्द्रीय बागवानी संस्थान की स्थापना करके कृषि क्षेत्र में मानव संसाधन विकास हेतु संस्थागत सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित किया गया था। कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास की आवश्यकता को पूरा करने तथा इस क्षेत्र में विभिन्न कृषि उपकरणों और मशीनों की गुणवत्ता और कार्यनिष्पादन की विशेषताओं का मूल्यांकन करने के लिए भी असम के सोनितपुर जिले में विश्वनाथ चेरियाली में कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान की स्थापना की गई है।

जाली भारतीय करेंसी नोटों का परिचालन

***102. श्री मंगनी लाल मंडल:**
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों से जाली भारतीय करेंसी नोटों के परिचालन/अन्तर्वाह का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान जानकारी में आए ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय जांच अभिकरण ने जाली करेंसी नोटों के परिचालन और आतंकी गतिविधियों से इनके संबंध होने के मामलों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त करेंसियों के अन्तर्वाह/परिचालन को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) * जी, हां। वर्तमान वर्ष के दौरान अर्थात् 01.01.2011 से 31.10.2011 तक 96,15,60,797.00 रु. के अंकित मूल्य के कुल 1946712 जाली भारतीय करेंसी नोटों को जब्त तथा बरामद किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त अवधि के दौरान सूचित ऐसी जब्ती तथा बरामदगी का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

*दिनांक 29.11.11 के उत्तर के भाग (क) और (ख) तथा तारांकित प्रश्न संख्या 102 के उत्तर से संबंधित विवरण दिनांक 27.3.2011 को सभा में दिए गए एक शुद्धि करने वाले विवरण के माध्यम से तदनुरूप शुद्ध किये गये उत्तर में निम्नानुसार शुद्धि की गई है:

(क) और (ख) जी, हां। वर्तमान वर्ष के दौरान अर्थात् 01.01.2011 से 31.10.2011 तक 17,01,21,026.00 रुपये मूल्य के कुल 3,64,986 जाली भारतीय करेंसी नोटों को जब्त किया तथा बरामद किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। उक्त अवधि के दौरान सूचित जब्ती तथा बरामदी का राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एन.आई.ए.) ने ऐसे दो मामलों की जांच की है। प्रारंभ में मुम्बई में दर्ज एक मामले में दिनांक 5.10.2009 को आरोप-पत्र दाखिल किया गया था तथा तत्पश्चात् और जांच के बाद एक अनुपूरक आरोप-पत्र दिनांक 27.06.2011 को दाखिल किया गया था।

प्रारंभ में जम्मू एवं कश्मीर में दर्ज एक दूसरे मामले में दिनांक 16.07.2011 को आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। इस मामले में जाली भारतीय करेंसी नोट के स्रोत का पता लगाने तथा मामले में शामिल अन्य संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने के लिए आगे जांच की जा रही है।

(ङ) जाली भारतीय करेंसी नोट के खतरे के बहु-आयामी पहलुओं से निपटने के लिए अनेक एजेंसियां जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, केन्द्र तथा राज्यों की सुरक्षा एवं आसूचना एजेंसियां, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो आदि एक-साथ मिलकर कार्य कर रही हैं ताकि जाली भारतीय करेंसी नोटों से संबंधित अवैध गतिविधियों को विफल किया जा सके। इन एजेंसियों के कार्य की इस उद्देश्य के लिए गठित एक नोडल दल द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। इस संदर्भ में, कार्यात्मक स्तर पर, राज्यों के साथ समन्वय हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नोडल एजेंसी घोषित किया गया है तथा तस्करी किए गए जाली भारतीय करेंसी नोटों के लिए राजस्व आसूचना निदेशालय को अग्रणी आसूचना एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, देश के भीतर जाली करेंसी के परिचालन के खतरे का मुकाबला करने के लिए राज्य/केन्द्र की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच आसूचना/सूचना के आदान-प्रदान हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नोडल एजेंसी बनाए जाने के साथ-साथ गृह मंत्रालय में एक विशेष जाली भारतीय करेंसी नोट (एफ.आई.सी.एन.) समन्वय दल (एफ. कार्ड) की स्थापना की गई है।

ऐसे अपराधों की जांच तथा अभियोजन चलाने के संबंध में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एन.आई.ए.) को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। सरकार द्वारा आतंक के वित्त-पोषण तथा जाली करेंसी के मामलों की जांच पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए वर्ष 2010 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में एक आतंक वित्त-पोषण तथा जाली करेंसी सेल की स्थापना की गई है। अधिक मूल्य के करेंसी नोटों पर सुरक्षा संबंधी विशेषताएं लगातार बढ़ायी जा रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकों द्वारा जाली नोटों की पहचान किए जाने से संबंधित तंत्र को सुदृढ़ किया है।

विवरण

(दिनांक 01.01.2011 से 31.10.2011 तक के आंकड़े)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सूचित किए गए नोटों की कुल संख्या	कुल मूल्य (रूपये)	एफआईआर
1	2	3	4	5
राज्य				
1.	आन्ध्र प्रदेश	44354	19934170	98

1	2	3	4	5
2.	अरूणाचल प्रदेश	21	11000	2
3.	असम	911	526850	31
4.	बिहार	9352	3497355	27
5.	छत्तीसगढ़	409	209970	17
6.	गोवा	965	596390	29
7.	गुजरात	21455	11946390	113
8.	हरियाणा	1408	215960	14
9.	हिमाचल प्रदेश	174	111000	3
10.	जम्मू और कश्मीर	6562	3706090	36
11.	झारखंड	10	5000	1
12.	कर्नाटक	12562	7019920	20
13.	केरल	6630	3025730	33
14.	मध्य प्रदेश	5094	1466190	4
15.	महाराष्ट्र	1616630	810693470	212
16.	मणिपुर	1	500	1
17.	मेघालय	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैंड	211	121400	6
20.	ओडिशा	4140	1590370	0
21.	पंजाब	3705	1283100	5
22.	राजस्थान	12980	5866026	25
23.	सिक्किम	104	61500	3
24.	तमिलनाडु	24418	13214420	0
25.	त्रिपुरा	120	57200	5
26.	उत्तर प्रदेश	41185	15364635	114
27.	उत्तराखंड	192	93300	9
28.	पश्चिम बंगाल	39419	20367061	72
	कुल	1853012	920984997	880
संघ राज्य क्षेत्र				
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
30.	चंडीगढ़	13319	3669450	0

1	2	3	4	5
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
32.	दमण और दीव	0	0	0
33.	दिल्ली	80376	36903350	32
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पुदुचेरी	5	3000	2
	कुल	93700	40575800	34
	कुल योग	1946712	961560797	914

टिप्पणी:
आर: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की विभिन्न शाखाओं द्वारा बरामद
एस: पुलिस द्वारा जब्त
स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो।
आंकड़े अनंतिम हैं और निरंतर अद्यतन बनाए जाने के अध्यधीन हैं।

प्रसार-भारती का कार्यकरण

***103. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:**
श्री मनोहर तिरकी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले इससे संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रसार भारती अधिनियम में ऐसे संशोधन करने की स्वीकृति दी है जिसके माध्यम से नवम्बर, 1997 और अक्तूबर, 2007 के बीच की गई नियुक्तियों को सेवानिवृत्ति तक "प्रतिनियुक्ति" पर माना जाएगा ताकि इन कर्मचारियों को अन्य सरकारी सेवकों के समान सेवा के दौरान मिलने वाले लाभ मिल सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय प्रसारक के कार्यकरण में सुधार करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) प्रसार भारती (पी.बी.) अपनी स्थापना के समय से ही विभिन्न वित्तीय एवं प्रशासनिक समस्याओं का सामना करता रहा है जिसके कारण उसके सुचारु कार्यकरण में व्यवधान उत्पन्न होता रहा है। सरकार ने प्रसार भारती के कार्यकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए एक मंत्री-समूह (जी.ओ.एम.) का गठन किया था। मंत्री-समूह ने विभिन्न मुद्दों पर विचार किया और प्रसार भारती के अभिशासन व वित्तीय प्रबंधन में सुधार लाने के लिए सिफारिशें कीं। मंत्री-समूह की सिफारिशों में, अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

* प्रसार भारती में सेवारत विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों का निदान करने के लिए प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 11 में संशोधन करना।

* जनशक्ति के अभाव की समस्या का समाधान करने के लिए प्रसार भारती में अनिवार्य श्रेणी के 3452 पदों को भरा जाए।

* सरकार द्वारा अगले पांच वर्षों अर्थात वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि के दौरान वेतन व वेतन से संबंधित शत-प्रतिशत (100%) व्यय को पूरा करने के लिए योजनेतर निधियों से प्रसार भारती को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। परिचालन व्यय की अन्य सभी

मदों को प्रसार भारती द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों में से वहन किया जाएगा।

* प्रसार भारती के अंतरिक्ष खंड व स्पेक्ट्रम प्रभारों की दिनांक 31.03.2011 तक संचित बकाया राशि को छोड़ दिया जाए।

* प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 22 को उसके मूल रूप में बहाल करना ताकि प्रसार भारती को आय कर का भुगतान करने से छूट मिल सके।

* सरकार द्वारा प्रसार भारती को दिए गए ऋण को सहायता-अनुदान के रूप में परिवर्तित किया जाए।

* प्रसार भारती को प्रदत्त ऋण पर लगने वाले ब्याज की राशि छोड़ दी जाए।

* प्रसार भारती के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 में व्यापक रूप से संशोधन किया जाए।

मंत्री-समूह द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार, प्रसार भारती अधिनियम की धारा 11 में संशोधन का मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है और दिनांक 31.08.2010 को राज्य सभा में प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2010 पेश कर दिया गया है। मंत्री-समूह की कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशों के संबंध में मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव पर अंतर-मंत्रालयीय परामर्श चल रहा है।

(ग) और (घ) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2010 राज्य सभा में विचारार्थ लंबित है। उक्त अधिनियम की धारा 11 में संशोधन होने से कर्मचारियों के स्तर को लेकर बनी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि दिनांक 23.11.1997 को या उसके पश्चात दिनांक 05.10.2007 तक की अवधि के दौरान नियमित रूप से भर्ती किए गए कर्मचारी समवत प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारी होंगे जबकि दिनांक 05.10.2007 के पश्चात भर्ती किए गए कर्मचारी प्रसार भारती के कर्मचारी होंगे। दिनांक 23.11.1997 से 05.10.2007 तक की अवधि के दौरान भर्ती किए गए कर्मचारियों के स्तर को और अधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से संसद के चालू सत्र में एक सरकारी संशोधन पेश किया जा रहा है जिसमें इस आशय का एक प्रावधान है कि ये कर्मचारी अपनी सेवा-निवृत्ति तक सरकारी कर्मचारी होंगे।

(ङ) प्रसार भारती के अभिशासन व वित्तीय प्रबंधन में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्त्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं:

* प्रसार भारती ने विभिन्न श्रेणी के पदों के लिए भर्ती विनियमों को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है, जोकि इस समय सरकार के विचाराधीन हैं। प्रसार भारती भर्ती बोर्ड (पी.बी.आर.बी.) के गठन संबंधी प्रस्ताव पर अंतर-मंत्रालयीय परामर्श चल रहा है। इनसे प्रसार भारती में स्टाफ की कमी संबंधी मुद्दों का निदान किया जा सकेगा।

* मंत्रालय ने दूरदर्शन (डी.डी.) और आकाशवाणी (ए. आई.आर.) की डिजिटलीकरण को उच्च प्राथमिकता दी है जिसके लिए प्रसार भारती को योजनागत आबंटन में पर्याप्त निधियां मुहैया कराई गई हैं। दूरदर्शन/आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रसार भारती को योजनागत निधियन सहायता भी प्रदान की जा रही है।

* प्रसार भारती के विपणन ढांचे का पुनर्गठन व पुनर्संरचना की जा रही है ताकि उसे अधिक उपयोगी, क्रियाशील व बाजारोपयोगी बनाया जा सके।

* प्रसार भारती द्वारा मौजूदा 59 चैनलों के अपने डायरेक्ट-टु-होम (डी.टी.एच.) प्लेटफॉर्म का विस्तार करने की भी योजना है जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को चैनल आसानी से सुलभ हो सकेंगे।

* प्राइवेट चैनलों को डी.टी.एच. पर स्लॉटों की ई-नीलामी करने के फलस्वरूप प्रसार भारती के आंतरिक राजस्व अर्जन में वृद्धि हुई है। अभी तक, प्रसार भारती ने डी. टी.एच. डी.डी. प्लेटफॉर्म पर 29 स्लॉटों की नीलामी से 73.61 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं।

खेल निकायों की जवाबदेही

***104. श्री पी.सी. गद्दीगौदर:**
श्री ए.टी. नाना पाटील:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड/इंडियन प्रीमियर लीग में अनियमितताओं से संबंधित विभिन्न आरोपों की जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी एजेंसी-वार क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या विभिन्न पक्षों से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में लाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं ताकि इसके कार्यकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार के क्या विचार हैं; और

(ङ) देश में खेल निकायों के कार्यकरण में पारदर्शिता लाने और उन्हें जवाबदेह बनाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) सरकार की विभिन्न एजेंसियां नामत: प्रवर्तन निदेशालय, आयकर एवं सेवाकर विभागों ने भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड (बी.सी.सी.आई.)/इंडियन प्रीमियर लीग (आई. पी.एल.) के बोर्ड में अनियमितताओं के संबंध में जांच की है साथ ही स्थायी वित्त समिति (2010-11) आई.पी.एल./बी.सी.सी.आई. के संबंध में नामक विषय पर अपनी 38वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं।

1. ऐसी व्यापक जांच के आधार पर, समिति इस निष्कर्ष पर पहुंच पाई है कि देश में अत्यधिक लोकप्रिय खेलों का नाम, जिसे भद्र व्यक्ति के खेल के रूप में जाना जाता है उसे क्षेत्र के बाहर जाकर अतिक्रमण करके उसमें उलझकर रुके व्यवहार की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए।

2. अत: समिति विवसता पूर्ण इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आयकर विभाग बी.सी.सी.आई. के प्रति बहुत लचीला रहा है और उन्हें सरकारी कोष के खर्च पर उनकी तिजोरी को भरने की अनुमति प्रदान की है अत: समिति की इच्छा है कि इस मामले की गहराई से जांच की जायें और इस रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के 1 माह के भीतर की गई कार्रवाई समिति को दे दी जाये साथ ही में समिति ने इच्छा व्यक्त की है कि बी.सी.सी.आई. के संबंध में सभी बकाया कर आकलनों को विभाग के निर्णय की पुख्ता के आधार पर बी.सी.सी.आई. को मूल रूप से दी गई छूट को वापस लेने पर निर्णय लिया जाये।

3. अत: यह सुपर्माणित है कि बी.सी.सी.आई. को कर के दायरे के संबंध में आयकर विभाग ने वस्तुत: ढील बरती है। आकलन को अंतिम रूप देने में पूर्णत: ढिलाई समिति की इच्छा को पर्वतित करने में इस मुद्दे पर पूर्णत छानबीन के लिए प्रेरित करता है, जिससे संबंधित कर अधिकारियों द्वारा इस प्रकरण में मामले को छूट देने में उनका दोष स्पष्ट रूप से झलकता है।

4. समिति को उम्मीद है कि बी.सी.सी.आई./आई.पी.एल. और फ्रेंचाईज और अन्य आई.पी.एल. से संबंधित इकाईयों के आयकर आकलन सभी संबंधित वर्षो के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है, तथा जांच एजेन्सी से आवश्यक तथ्य प्राप्त करके उसे समन्वित तरीके से अंतिम रूप दिया जाना है। इस प्रकार किये गये आकलन तथा उस पर लिए गये कर की मात्रा से समिति को भी अवगत किया जाना चाहिए।

5. समिति की इच्छा है, कि सेवाकर मांगों का अधिनिर्णय शीघ्र किया जाना चाहिए और उन्हें वसूल किये गये कर की मात्रा तथा लिए गये ब्याज और उस पर लगाये गये दण्ड की राशि से भी अवगत कराना चाहिए।

6. समिति विदेश विनिमय प्रबंधन अधिनियम में आई.पी.एल. फ्रेंचाईज के मालिकाना, विदेशी निवेश की प्रकृति और शेयरस के मूल्यन एवं उनके अंतरन तथा उसके बाद फ्रेंचाइज के लिए बरती गई शीघ्रता के संबंध में जांच और पूछताछ करना चाहेगी और उनकी तार्किकता को समझने का प्रयास करेगी तथा ये कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 6 माह की अवधी में होने चाहिए तथा किए गए कार्य की रिपोर्ट समिति को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

7. समिति चाहती है कि सरकार बी.सी.सी.आई. और अन्य विनिर्दिष्ट आई.पी.एल. फ्रेंचाइज द्वारा बरती गयी अनियमितताओं की गहराई से जांच करे जोकि आई. पी.एल. फ्रेंचाइज द्वारा किए गए निवेशों के संबंध में हैं, जिन्हें देश के बाहर भेजा गया है जो मारीशस, बहामास, ब्रिटिश बर्जिन द्वीप समूह आदि देशों में स्थित इकाईयों के माध्यम से संभव हुआ है, जिसके लिए आर.बी.आई. और आयकर विभाग से दक्षिण अफ्रीका में विदेशी मुद्रा खाता खोलने और उसके प्रचालन हेतु कोई अनुमति नहीं ली गई थी। समिति को इस संबंध में की गयी विशिष्ट कारवाई से अवगत कराया जाना चाहिए।

8. समिति यह भी चाहती है कि उसे एकसीस बैंक, एच. डी.एफ.सी. बैंक, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावरकोन, जयपुर शाखा के विरुद्ध आर.बी.आई. द्वारा की गयी दंडात्मक अनुवर्ती कारवाई से अवगत कराया जाना चाहिए जिन्होंने फेमा प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया और आवश्यक घोषणाएं और दस्तावेज प्राप्त करने के लिए कोई परिश्रम नहीं किया और न ही एफ.डी.आई. के लिए कोई इनवाड रेमिटेंस की जांच भी नहीं की गयी और न ही उनकी सामरिक रिपोर्टिंग की गयी और पते आदि की भिन्नताओं सहित के.वाई.सी. रिपोर्ट की जांच नहीं की गयी।

9. समिति ने इच्छा व्यक्त की, कि कंपनियों के रजिस्ट्रार और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय को दोषी फ्रेंचाइजी के विरुद्ध कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सख्त कारवाई करनी चाहिए और अनुपालन रिपोर्ट तीन माह के भीतर समिति को भेजी जानी चाहिए।

10. बी.सी.सी.आई. को आई.पी.एल. के प्रशासनिक और वाणिज्यिक पहलुओं के कुप्रबंधन से संबंधित मुद्दों की आंतरिक जांच करनी चाहिए और बी.सी.सी.आई. के मामलों को ठीक करना चाहिए। बी.सी.सी.आई. को अपने प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों में सुधार करना चाहिए ताकि जैसे आई.पी.एल. आयोजित करने से संबंधित विवादों की पूर्व अपेक्षा से बचा जा सके और क्रिकेट के खेल को बदनामी से बचाया जा सके।

11. बी.सी.सी.आई. के पदाधिकारियों में उनके विवादों से संबंधित मुद्दों और साथ में आई.पी.एल. टीमों के स्वामित्व व उसे चलाने से संबंधित मुद्दे न्यायाधीन है, अत: समिति इस मामले में टिप्पणी करने से बचना चाहेगी।

12. आई.पी.एल. के दौरान निष्पादित वाणिज्यिक ठेकों और मीडिया अधिकार में रिपोर्ट की गई अनियमितताओं के संबंध में, गम्भीर अनियमितताओं और अपराधों के बारे में समिति चाहती है कि जांच एजेन्सियों को कानून तोड़ने से संबंधित मामलों की जांच एवं पहचान करनी चाहिए और बिना अधिक समय नष्ट किये उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को दण्डित करना चाहिए।

13. अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आई.सी.सी.) को दी गई लगभग 45.00 करोड़ की छूट के संबंध में जो कि हाल ही में आयोजित विश्व क्रिकेट कप के टुर्नामेंट के आयोजन से अर्जित राजस्व पर, समिति आई.सी.सी. को दी गई आयकर छूट की तर्कसंगतता के बारे में सहमत नहीं है, क्योंकि विश्व कप को भारी मात्रा में स्पोन्सरशिप मिली हैं और उसे व्यापक रूप से कार्पोरेट सेक्टर द्वारा संरक्षण भी मिला था। अत: समिति का विचार है कि अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद विधाओं के लिए सामान्य प्रावधानों के लिए दी गई छूट अपने अधिकारों का भेदभावपूर्ण ही है जो कि न्यायसंगत नहीं है जिसमें कोई ठोस योग्यता की बात नहीं है। समिति ने सिफारिश की कि आई.सी.सी. को दी गई आयकर छूट की समीक्षा राजस्व विभाग द्वारा की जानी चाहिए।

14. बृहद संदर्भ की दृष्टि से समिति चाहेगी कि वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) न केवल आंकलन एवं जांच को अंतिम रूप देने में शीघ्रता बरते बल्कि इस विशेष प्रकरण में फास्ट ट्रैक आधार पर कार्यवाई करे और साथ में एक समग्र एवं सतत निति भविष्य के लिए तैयार करे जिससे उच्च रूप में धन को खर्च करने वाली विधाओं जैसे आई.पी.एल. आदि को कर देयता के परिदृश्य से अलग नहीं रखा जा सकता है।

अभी तक की गई कार्रवाई निम्न प्रकार है:

(i) प्रवर्तन निदेशालय ने सूचित किया है कि अब तक की गई जांच के आधार पर उन्होंने विभिन्न एफ.ई.एम.ए. कन्टरामेन्सनस के लिए 19 कारण बताओ नोटिस जारी किये जिसमें लगभग 1077.43 करोड़ रुपये निहित हैं।

(ii) आयकर विभाग ने सूचित किया है कि उन्होंने बी.सी.सी.आई. और इंडियन प्रीमियर लीग से संबंधित इकाईयों के संबंध में आयकर की दृष्टि से जांच पड़ताल की है। साथ में उन्होंने किये गये निवेश के श्रोत आई.पी.एल. की गतिविधियों से अर्जित की गई आय तथा दावा किये गये विभिन्न खर्चों के संबंध में भी पूछताछ की है।

बी.सी.सी.आई. का पंजीकरण आयकर अधिनियम 1968 के भाग 12 क के अन्तर्गत किया गया था अत: इसके भाग 11 और 12 के तहत आय पर छूट की हकदारिक्ता थी। आई.पी.एल. बी.सी.सी.आई. का एक भाग है और इसका कोई अलग से विधिक स्टेटस नहीं है।

1 जून 2006 से बी.सी.सी.आई. ने अपने उद्देश्यों में संशोधन किया था आकलन वर्ष 2007-08 के लिए बी.सी.सी.आई. की कार्यवाहियों के दौरान उद्देश्यों के इस बदलाव को नोट किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद कृषि संस्थान के प्रकरण और अन्य बी.एस. यू.ओ.आई. और अन्यों के मामले में यह माना कि पंजीकरण के बाद एक बार उद्देश्यों में बदलाव कर दिये जाते हैं तो उसके लिए नये सिरे से पंजीकरण की आवश्यकता होती है और पूर्व पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस नियम के रिकोर्स को ध्यान में रखते हुए 1 जून 2006 से अधिनियम के भाग 12 क के तहत बी.सी.सी.आई. को दिया गया पंजीकरण वापस ले लिया गया था।

आकलन वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए पूरे किये गये आकलन के कर संबंधी छूट वापस लेने के फलस्वरूप क्रम: दोनों आकलन वर्ष के लिए रुपये 118.04 करोड़ और 257.12 करोड़ की मांग की गई।

वर्तमान में आई.पी.एल. से सम्बन्धित अलग अलग टीमों से सम्बन्धित और आई.पी.एल. से संबंधित अन्य मामलों में जांच प्रगति पर चल रही है। अलग अलग टीमों के संबंध में जांच पूरी कर ली गई है और विदेश कर प्रभाग, सी.बी.डी.टी. के माध्यम से संदर्भ विभिन्न देशों को भेजे गये हैं ताकि इन निवेशकों के बारे में सूचनाएं प्राप्त कर सकें। बी.सी.सी.आई./आई.पी.एल. द्वारा दर्शायी गई आय, खर्च, आई.पी.एल. टीमें और संबंधित इकाईयों की जांच अन्वेषक निदेशालय, आयकर विभाग द्वारा की जा रही है, तथा आकलनों की जांच के दौरान आकलन अधिकारी भी इसकी जांच करते हैं।

अप्रैल 2008 में आई.पी.एल.-1 की शुरुआत से आयकर विभाग टी.डी.एस. से संबंधित मामलों की जांच कर रहा है।

लगाये गये आरोपों जिनमें कर चोरी और बन्द नहीं किये/तहनुमा निवेश के मामलों में जांच के लिए आयकर विभाग द्वारा आवश्यक जांच की जा रही है। बी.सी.सी.आई. से सितम्बर 2009 में अन्वेषण

निदेशालय द्वारा मीडिया अधिकारों के संबंध में विभिन्न करारों के मामले में, विशेष रूप से नये करार जो कि डब्ल्यू.एस.जी., मारीशस के साथ बी.सी.सी.आई. के द्वारा हस्ताक्षरित किये गये थे, के बारे में जांच की गई आई.पी.एल. के संबंध में प्रथम सर्वेक्षण कार्यवाई 15 अप्रैल 2010 को आयोजित की गई और उसके पश्चात् विभिन्न आई.पी.एल. टीमों के ऊपर अनुसंधान कार्य किये गये ताकि निवेश के श्रोत और आय की कर देयता की जांच की जा सके।

(iii) जहां तक सेवा कर की चोरी की बात है, 31.12.2010 के आखिरी स्थिति के अनुसार जारी कारण बताओ नोटिस में कुल 159.12 करोड़ रुपये के नोटिस विभिन्न सेवा प्रदाताओं/भागीदारों को सेवा कर की वसूली के लिए जारी किये गये थे जो कि सेवाकर की वसूली के लिए थे उनका ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	जोन/निदेशालय	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस की सं.	निहित राशि (रु. करोड़ में
1.	अहमदाबाद	1	00.05
2.	बंगलौर	32	22.23
3.	चंडीगढ़	9	13.76
4.	चेन्नई	29	21.30
5.	दिल्ली	14	33.30
6.	कोलकाता	2	00.27
7.	मेरठ	1	00.02
8.	मुम्बई-1	6	64.58
9.	शिलांग	1	00.04
10.	डीजीसीईआई	1	03.62
	कुल	96	159.17

(iv) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की सलाह पर बी.सी.सी.आई. /आई.पी.एल. द्वारा मीडिया अधिकारों के अवार्ड के मामले में उन्हें एम.एस.एन. ग्रुप को देने पर डब्ल्यू.एस.एस. समूह को कारपोरेट मामले के मंत्रालय को भेजा गया ताकि कंपनी अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत इन मुद्दों की जांच की जा सके। प्रथम दृष्ट्या प्रमाण के रूप में प्राथमिक जांच दर्शाती है कि बी.सी.सी.आई. और इन करारों में शामिल अन्य कंपनियों की कार्य प्रणाली एकाधिकारिता वाली रही है। 3 जून, 2011 को भारत के स्पर्धा आयोग ने सूचित किया कि कंपनी अधिनियम, 2002 के तहत भाग 19(1) के अंतर्गत सूचना फाइल कर दी गयी है और इस मुद्दे की जांच अब भी आयोग में जारी है। महानिदेशक, स्पर्धा आयोग इस जांच का संचालन कर रहे हैं।

(ग) और (घ) बी.सी.सी.आई. सहित राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एन.एस.एफ.) को सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई.) 2005 के दायरे में लाने की आवश्यकता पर समय समय पर आवाज उठायी गई है। तदनुसार अप्रैल, 2010 में सरकार ने घोषणा की कि एन.एस.एफ.(एस.) को जो 10.00 लाख या इससे अधिक अनुदान सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में प्राप्त कर रहे हैं उन्हें आर.टी.आई., 2005 के भाग दो (ज) के तहत लाया जाए। बी.सी.सी.आई. के मामले में मामला केंद्रीय सूचना आयोग (सी.आई.सी.) के पास विचाराधीन है और इस मामले में सरकार से अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। यद्यपि केंद्र सरकार बी.सी.सी.आई. को कोई प्रत्यक्ष सहायता प्रदान नहीं करती है, परंतु समय समय पर केंद्र सरकार आयकर, उत्पाद शुल्क आदि के संबंध में बी.सी.सी.आई. को रियायत प्रदान करती रही है। राज्य सरकारों ने भी देश के विभिन्न भागों में क्रिकेट स्टेडियम हेतु रियायती दरों पर भूमि प्रदान करती रही है जो कि बाजार मूल्य से काफी कम है। उपर्युक्त के रहते हुए भी सरकार ने प्रस्ताव किया है कि सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघों को बी.सी.सी.आई. सहित आर.टी.आई. अधिनियम के तहत लाया जाए। ऐसा प्रस्तावित राष्ट्रीय विकास विधेयक, 2011 में किया जाए जिसमें हटाने के उपबंध भी हो जिसमें एथलीट्स के संबंध में व्यक्तिगत/गोपनीय सूचनाओं के संरक्षण के प्रावधान को एक्सलूड कर दिया जाए।

(ङ) राष्ट्रीय खेल परिसंघों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेहता लाने के लिए सरकार एक नियामक रूपरेखा तैयार कर रही है जिसका उद्देश्य है कि खेल निकायों के बीच सुशासन का विकास किया जाए। राष्ट्रीय खेल विधेयक का प्रारूप सार्वजनिक क्षेत्र पर रख दिया गया है ताकि भागीदारों से विधायी पूर परामर्श लिए जा सकें। प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक, 2011 की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(क) खेलों के विकास एवं प्रसार के लिए केंद्र सरकार की सहायता जिसमें वित्तीय और अन्य सहायता राष्ट्रीय टीमों, एथलीटों के कल्याणात्मक उपायों एवं खेलों में एथिकल प्रणालियों के विकास की रणनीतियां तैयार करना शामिल है। इसमें डोपिंग प्रणालियों को खत्म करना, आयु संबंधी फ्राड मामले एवं यौन शोषण के मामलों का उपशमन भी शामिल है। भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी एवं कार्यों एवं अन्य राष्ट्रीय खेल परिसंघों के अधिकारों एवं कार्यों

(इसमें सुशासन के बुनियादी सिद्धांतों को अपनाना एवं खेलों के व्यवसायिक प्रबंधन का मामला भी शामिल है)

(ख) प्रबंधन/निर्णय लेने में संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों और भारतीय ओलंपिक संघ के संबंध में सहभागी खिलाड़ियों की एथलीट सलाहकार परिषद के माध्यम से शामिल करना।

(ग) भारतीय खेल प्राधिकरण और भारत सरकार के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां जिन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया।

(घ) खेल विवादों के समाधान हेतु व्यवस्था तथा विवाद समाधान एवं अपीलीय न्यायाधीकरण की स्थापना।

(ङ) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को और अधिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय खेल परिसंघों से सरकार के नियंत्रण को कम करना।

(च) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लाना जिसमें कुछ एक्सक्लूजन प्रावधान भी रखे जाएं जिससे खिलाड़ियों से संबंधित व्यक्तिगत एवं गोपनीय सूचनाओं को सुरक्षित रखा जा सके।

(छ) एंटी डोपिंग प्रावधान में कुछ नये प्रावधान जोड़े गए हैं ताकि राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा) द्वारा विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी (वाडा) कोड के उन प्रावधानों को लेने को अलग रखा जा सके जिनमें अंतरराष्ट्रीय खेल परिसंघ कर्ता नहीं होता।

(ज) कोचों, संरक्षकों और सहायक कार्मिकों को भी यह जिम्मेदारी दी गयी है कि वे खेलों में गैर एथिकल प्रणालियों जैसे डोपिंग एवं आयु संबंधी फ्राड से बचें।

(झ) राष्ट्रीय खेल परिसंघ, राष्ट्रीय ओलम्पिक संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण न केवल उपचारात्मक उपाय करते हैं जिससे खिलाड़ियों को यौन शोषण से बचाया जा सके अपितु कार्य, विश्राम, स्वास्थ्य एवं हाईजीन के संबंध में महिलाओं के लिए उचित परिस्थिति सुलभ कराई जाये, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं। शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत तंत्र की स्थापना हेतु अन्य उपाय भी किये गये हैं जिसमें महिला की अध्यक्षता में समिति बनायी जाये या विशेष काउन्सलर रखा जाये साथ ही गोपनीयता के कानून का पालन किया जाये।

[हिन्दी]

दूसरी हरित क्रान्ति

***105. श्री बृजभूषण शरण सिंहः**
श्री कमलेश पासवानः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में जनसंख्या वृद्धि दर ने कृषि विकास दर को बहुत पीछे छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा दूसरी बार हरित क्रान्ति लाने के लिए क्या रणनीति अपनाने का प्रस्ताव है;

(ग) सरकार का विचार किन-किन प्रमुख क्षेत्रों में खाद्यान्न फसलों, दलहनों, तिलहनों आदि के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विशेष बल देने का है;

(घ) क्या सरकार का विचार वाणिज्यिक कृषि से ध्यान हटाकर खाद्यान्न उत्पादन पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने का है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ङ) जनगणना आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011 को समाप्त दशक में देश में आबादी की औसत वार्षिक घातांकी वृद्धि दर 1.64 रही है जबकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2010-11) के प्रथम चार वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में प्राप्त औसत वार्षिक वृद्धि लगभग 3.2 प्रतिशत रही है जो देश की आबादी वृद्धि से अधिक है।

देश की बढ़ती हुई आबादी की खाद्यान्न आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत सरकार कार्यनीति के रूप में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए देश के संसाधन समृद्ध पूर्वी क्षेत्र के विकास पर जोर दे रही है। यह कार्यनीति उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो देश का परम्परागत खाद्यान्न भंडार हैं, के प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन को कम करने में भी सहायक होगी। भारत सरकार ने वर्ष 2010-11 से संस्तुत कृषि प्रौद्योगिकी के प्रवर्धन तथा विभिन्न कृषि जलवायुवीय उप क्षेत्रों की मुख्य बाधाओं का समाधान करके चावल आधारित फसल प्रणाली की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर राज्यों यथा असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडीशा, उत्तर प्रदेश (पूर्वी) तथा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय

कृषि विकास योजना की उप स्कीम के रूप में एक कार्यक्रम "पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति लाना", शुरू किया है। इस स्कीम के अन्तर्गत बहुत से कार्य शुरू किए गए हैं जिनमें क्लस्टर मोड अप्रोच में चावल और गेहूं प्रौद्योगिकियों का प्रखंड प्रदर्शन; संसाधन संरक्षण का संवर्धन (गेहूं के अन्तर्गत जीरो टीलेज); जल प्रबंधन हेतु परिसम्पत्ति निर्माण कार्यकलाप का सृजन (शैलोट्यूबवैल/बोरवैल, पम्प सेटों का वितरण); कृषि उपकरणों और आवश्यकता आधारित स्थल विशिष्ट कार्यकलाप आदि का संवर्धन शामिल है।

इसके अलावा भारत सरकार दलहन और तिलहन सहित खाद्यान्न का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, आर.के.वी.वाई., बृहत् कृषि प्रबंधन प्रणाली, समेकित तिलहन, दलहन ऑयलपाम और मक्का स्कीम भी कार्यान्वित कर रही है।

सरकार ने वर्षा सिंचित क्षेत्रों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों तथा पूर्वी भारत के राज्यों के विकास और दलहन, कदन्न, ऑयलपाम और चारा जैसे फसल विशिष्ट विकास कार्यक्रमों को लक्षित करते हुए आर.के.वी.वाई. के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रयासों से चल रहे इन प्रयासों को बढ़ावा दिया है।

खाद्यान्न फसलों के अलावा गन्ना आधारित फसलन प्रणाली क्षेत्रों के संधारणीय विकास, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन, कपास प्रौद्योगिकी मिशन और पटसन प्रौद्योगिकी मिशन जैसी स्कीमों के जरिए वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए समान जोर दिया जाता है।

[अनुवाद]

खाद्यान्न भंडारण

***106. डा. कृपारानी किल्ली:**
श्री नारनभाई कछाड़िया:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुरक्षित भंडारण स्थान, की कमी खरीद स्थलों पर खाद्यान्नों का खुले में भंडारण, ढुलाई तथा गोदामों में खाद्यान्नों को लादने/उतारने में विलम्ब आदि के कारण खाद्यान्नों की क्षति होने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितना खाद्यान्न खरीदा गया, कुल कितना भंडारण स्थान उपलब्ध था और खुले में कितने खाद्यान्न का भंडारण किया गया एवं कितने खाद्यान्न की क्षति हुई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान भंडारण स्थल बनाने के लिए निर्धारित तथा प्राप्त लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इसमें निजी क्षेत्र को शामिल करने तथा भंडारण/गोदामों के लिए आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है तथा उक्त प्रयोजनार्थ किन शर्तों को अंतिम रूप दिया गया है; और

(च) निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध भंडारों का उपयोग भंडारण स्थान का इष्टतम उपयोग तथा खाद्यान्नों के सुरक्षित और वैज्ञानिक भंडारण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) विभिन्न कारणों से खाद्यान्नों की कुछ मात्रा के जारी न करने योग्य (क्षतिग्रस्त) हो जाने की सूचना है। वर्ष 2010-11 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के पास 6346 टन जारी न करने योग्य (क्षतिग्रस्त) खाद्यान्न थे जो भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाए गए स्टाक का 0.014 प्रतिशत है। खाद्यान्न विभिन्न कारणों जैसे जन्तु हमला, गोदामों में लीकेज, खराब गुणवत्ता वाले स्टाक की खरीद, स्टाक के संचलन और हैडलिंग के दौरान बिखर जाना, बारिश में खुला रह जाने, बाढ़, संबंधित व्यक्तियों की ओर से एहतियाती उपाय किए जाने में लापरवाही बरतने इत्यादि के कारण खाद्यान्न क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य हो जाते हैं। कार्मिकों/अधिकारियों की लापरवाही के मामले में भारतीय खाद्य निगम चूककर्ताओं, जहां कहीं भी वे दोषी पाए जाते हैं, के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करता है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में वर्ष 2010-11 के दौरान खाद्यान्नों के लदान और उतरान करने के दौरान विभिन्न रेल शीर्षों पर खाद्यान्न की मामूली मात्रा क्षतिग्रस्त हो गई थी:

क्र.सं.	राज्य/भारतीय खाद्य निगम क्षेत्र	क्षतिग्रस्त मात्रा	कारण
1.	उत्तर प्रदेश	नैनी रेल शीर्ष पर 15 टन (गेहूं)	जुलाई, 2011 में उतरान के दौरान वर्षा के कारण प्रभावित। रेल शीर्ष से हैडलिंग और ढुलाई में ठेकेदार लापरवाह पाए गए जिसके लिए उनसे वसूली की गई है।
2.	राजस्थान	जालोर रेल शीर्ष पर 11.31 टन (गेहूं)	जुलाई, 2011 में उतरान के समय वर्षा के कारण प्रभावित। रेल शीर्ष से हैडलिंग और ढुलाई में ठेकेदार लापरवाह पाए गए जिसके लिए उनसे वसूली की गई है।
3.	गुजरात	सिद्धपुर रेल शीर्ष पर 6 टन (चावल)	जून, 2011 में उतरान के दौरान वर्षा के कारण प्रभावित। रेल शीर्ष से हैडलिंग और ढुलाई में ठेकेदार लापरवाह पाए गए जिसके लिए उनसे वसूली की गई है।
4.	बिहार	माल बचाव कार्य करने पर दिनांक 20.07.2011 को सहरसा रेल शीर्ष पर क्षतिग्रस्त अनाजों की 330 बोरियां।	रेल शीर्ष पर वर्षा के कारण प्रभावित और काफी समय तक उठान नहीं किया गया जिसके लिए क्षेत्र प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, सहरसा के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है।

बिना किसी सुरक्षात्मक कवर के खुले में खाद्यान्नों का भंडारण न तो खरीद केन्द्रों पर और न ही भंडारण केन्द्रों पर ही किया जाता है। चावल का भंडारण हमेशा ढके गोदामों में किया जाता है। कभी-कभी ढकी भंडारण क्षमता की कमी होने के कारण गेहूं और धान का भंडारण कवर और प्लिंथ (कैप) में भी किया जाता है। कैप भंडार की निर्माण मानक ऊंचाई के कंक्रिट के बने प्लिंथों से वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है और चट्टों को कम घनत्व के कवर से ढक दिया जाता है। कभी-कभी मानक ऊंचाई के कंक्रिट के बने वैज्ञानिक (पक्का) प्लिंथों की कमी होने पर गेहूं को कैप भंडारों में अवैज्ञानिक (कच्चा) प्लिंथों में भंडारित किया जाता है। ऐसे प्लिंथों से गेहूं के स्टाक को अत्यंत प्राथमिकता देते हुए उन्हें तत्काल हटा लिया जाता है।

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खरीदे गए गेहूं, चावल, मोटे अनाजों का राज्य वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध राज्यवार क्षमता क्रमशः संलग्न विवरण IV, V, VI और VII में दी गई है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कैप भंडार में भंडारित खाद्यान्नों की मात्रा संलग्न विवरण VIII में दी गई है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी न करने योग्य (क्षतिग्रस्त) खाद्यान्न के स्टाक का क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण IX में दिया गया है।

(ग) से (ङ) खाद्यान्नों की खरीद के बढ़े स्तर के कारण और कैप में भंडारण कम करने के लिए, सरकार ने निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगम के जरिये भंडारण गोदामों का निर्माण करने के लिए एक स्कीम तैयार की है।

इस स्कीम के तहत भारतीय खाद्य निगम निजी उद्यमियों को सुनिश्चित किराए के लिए अब 10 वर्ष की गारंटी देगा। निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगम के जरिये इस स्कीम के तहत 19 राज्यों में लगभग 151 लाख टन की क्षमता का सृजन किए जाने का लक्ष्य है। इनमें से निजी उद्यमियों के जरिये 69 लाख टन क्षमता का सृजन करने के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगम इस स्कीम के अधीन क्रमशः 5.4 और 14.4 लाख टन क्षमता का निर्माण करेंगे जिसमें से लगभग 4 लाख टन क्षमता का निर्माण पहले ही केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों द्वारा कर लिया गया है। निजी उद्यमी गारंटी (पी.ई.जी.) स्कीम के अधीन अनुमोदित भंडारित क्षमता का राज्यवार ब्यौरा और 31.10.2011 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां संलग्न विवरण X में दी गई हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में भंडारण अंतर को ध्यान में रखते हुए 568 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 5,40,280 टन क्षमता का सृजन करने के लिए एक विशेष पैकेज योजना को अनुमोदित कर दिया गया है। दिनांक 15.11.2011 की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में क्षमता के सृजन की स्थिति का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण XI में दिया गया है।

(च) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के आवंटन के अतिरिक्त केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए अंत्योदय अन्न योजना/गरीबी रेखा से नीचे/गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों

को अतिरिक्त आवंटन किए गए हैं। इस संबंध में अतिरिक्त आवंटनों का ब्यौरा संलग्न विवरण XII में दिया गया है।

भारतीय खाद्य निगम ने फील्ड कार्यालयों को भंडारण क्षमता का अधिकतम उपयोग करने का अनुदेश दिया है और परिणामस्वरूप औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के 75 प्रतिशत के मानदंड के प्रति दिनांक 30.06.2011 को पीक सीजन के दौरान भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध प्रभावी भंडारण क्षमता के 95 प्रतिशत उपयोग को प्राप्त किया गया है। गत तीन वर्षों में पीक सीजन के दौरान क्षमता उपयोग निम्नानुसार है:

2009		2010		2011	
मई	जून	मई	जून	मई	जून
87%	88%	94%	93%	91%	95%

ढके और कैप भंडारण में खाद्यान्नों के सुरक्षित और वैज्ञानिक भंडारण के लिए मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और भारतीय खाद्य निगम को समय-समय पर अपेक्षित उपाय करने का अनुदेश जारी किए हैं। हाल में दिनांक 06.07. 2011 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और भारतीय खाद्य निगम को ऐसे अनुदेश पुनः दिए गए हैं। इन उपायों में खरीद, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्यान्नों की गुणवत्ता की सतत मानीटरिंग करना, कवर और कैप भंडार में सुरक्षित भंडार के लिए आचार संहिता का अनुसरण करना, गुणवत्ता आदि का आकलन करने के लिए सभी एहतियाती उपाय जैसे जन्तुबाधा नियंत्रण के लिए रोगहर उपचारात्मक उपाय, गुणवत्ता इत्यादि का आकलन करने के लिए स्टाक का नियमित आवधिक निरीक्षण करना शामिल है।

विवरण I

गत तीन विपणन मौसमों और चालू विपणन मौसम (अप्रैल-मार्च) में गेहूं की खरीद

(हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	*2011-12
1	2	3	4	5
बिहार	500	497	183	477
चंडीगढ़	10	12	9	7
छत्तीसगढ़	0	0	0	0
दिल्ली	6	0	10	8
गुजरात	415	75	1	105
हरियाणा	5237	6924	6347	6891
हिमाचल प्रदेश	नगण्य	1	नगण्य	1
जम्मू और कश्मीर	1	1	0	0
झारखंड	2	नगण्य	नगण्य	0
मध्य प्रदेश	2410	1968	3539	4894
महाराष्ट्र	10	0	0	0

1	2	3	4	5
पंजाब	9941	10725	10209	10957
राजस्थान	935	1152	476	1302
उत्तर प्रदेश	3137	3882	1645	3460
उत्तराखंड	85	145	86	42
पश्चिम बंगाल	0	0	9	0
जोड़	22689	25382	22514	28144

नगण्य: 500 टन से कम

*01.08.2011 की स्थिति के अनुसार

विवरण II

गत तीन विपणन मौसमों और चालू विपणन (अक्टूबर-सितम्बर) में चावल की खरीद

(हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	#2010-11	*2011-12
1	2	3	4	5
अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	9058	7555	9610	106
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	3	8	16	0
बिहार	1083	890	882	0
चंडीगढ़	10	14	10	13
छत्तीसगढ़	2848	3357	3741	0
दिल्ली	0	0	0	0
गुजरात	0	0	0	नगण्य
हरियाणा	1425	1819	1687	1931
हिमाचल प्रदेश	0	0	1	0
जम्मू और कश्मीर	7	0	11	0
झारखंड	143	23	नगण्य	0
कर्नाटक	107	86	180	0

1	2	3	4	5
केरल	237	261	263	81
मध्य प्रदेश	247	255	502	1
महाराष्ट्र	261	229	308	4
नागालैंड	0	0	0	0
उड़ीसा	2801	2497	2465	0
पुदुचेरी	8	8	40	नगण्य
पंजाब	8554	9275	8635	7604
राजस्थान	11	0		0 0
तमिलनाडु	1201	1241	1543	239
उत्तर प्रदेश	4007	2901	2554	115
उत्तराखंड	349	375	422	10
पश्चिम बंगाल	1744	1240	1310	0
जोड़	34104	32034	34180	10104

नगण्य: 500 टन से कम

रु 30.09.2011 की स्थिति के अनुसार (17.11.2011 को अद्यतन)

*17.11.2011 की स्थिति के अनुसार

विवरण III

गत चार वर्षों के लिए मोटे अनाजों की राज्यवार और विपणन मौसमवार खरीद

(हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	*2010-11	*2011-12
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	178	7	0	0
छत्तीसगढ़	9	1	3	0
गुजरात	0	0	0	0
हरियाणा	310	77	73	17
कर्नाटक	712	316	40	0
मध्य प्रदेश	60	नगण्य	9	2

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	107	6	3	नगण्य
पंजाब	0	0	0	0
राजस्थान	0	0	नगण्य	0
जोड़	1376	407	128	19

नगण्य: 500 टन से कम

*17.11.2011 की स्थिति के अनुसार

विवरण IV

31.3.2009 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास राज्यवार भंडारण क्षमता (आंकड़े लाख टन में)

क्र.सं.	क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	भा.खा.नि. के अपने	राज्य सरकार	के.भ.नि.	रा.भं.नि.	निजी पार्टियां	कुल किराए की	कुल ढकी	अपनी	किराए की	जोड़	सकल जोड़	रखा स्टाक	उपयोग (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	बिहार	3.66	0.03	0.66	0.79	0.48	1.96	5.62	0	0	0	5.62	4.2	75
2.	झारखंड	0.66	0.02	0.13	0.17	0.2	0.52	1.18	0	0	0	1.18	0.93	79
3.	उड़ीसा	2.93	0	0.9	2.94	0.15	3.99	6.92	0	0	0	6.92	4.87	70
4.	पश्चिम बंगाल	8.59	0.2	0.88	0	0.61	1.69	10.28	0	0	0	10.28	9.12	89
5.	सिक्किम	0.1	0.01	0	0	0	0.01	0.11	0	0	0	0.11	0.08	73
	कुल (पूर्व जोन)	15.94	0.26	2.57	3.9	1.44	8.17	24.11	0	0	0	24.11	19.2	80
6.	असम	2.07	0	0.17	0.1	0.39	0.66	2.73	0	0	0	2.73	1.48	54
7.	अरूणाचल प्रदेश	0.18	0.02	0	0	0	0.2	0	0	0	0.2	0.02	0.09	45
8.	मेघालय	0.14	0	0.07	0.05	0	0.12	0.26	0	0	0	0.26	0.11	42
9.	मिजोरम	0.22	0.01	0	0	0	0.01	0.23	0	0	0	0.23	0.12	52
10.	त्रिपुरा	0.27	0.05	0.17	0	0	0.22	0.49	0	0	0	0.49	0.26	53
11.	मणिपुर	0.2	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0.2	0.06	30
12.	नागालैण्ड	0.2	0	0.12	0	0	0.12	0.32	0	0	0	0.32	0.21	66
	कुल (पूर्वोत्तर जोन)	3.28	0.08	0.53	0.15	0.39	4.43	1.15	0	0	0	4.43	2.33	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13.	दिल्ली	3.36	0	0	0	0	0	3.36	0.34	0	0.34	3.7	3.35	91
14.	हरियाणा	7.68	3.84	1.92	3.99	2.25	12.3	19.98	3.18	0	3.18	23.16	12.24	61
15.	हिमाचल प्रदेश	0.14	0.06	0.05	0	0	0.11	0.25	0	0	0	0.25	0.2	80
16.	जम्मू और कश्मीर	1.03	0.16	0	0	0.1	0.26	1.29	0	0	0	1.29	1.03	80
17.	पंजाब	21.84	0.04	3	27.27	3.67	33.98	55.82	6.31	0	6.31	62.13	49.19	79
18.	चण्डीगढ़	0.4	0	0.37	0.2	0	0.57	0.97	0.08	0	0.08	1.05	1.06	101
19.	राजस्थान	7.06	0	0.36	0.17	0.79	1.32	8.38	1.58	0.07	1.65	10.03	5.98	60
20.	उत्तर प्रदेश	14.95	0.07	2.22	4.51	0.23	7.03	21.98	4.15	0	4.15	26.13	14.63	56
21.	उत्तराखंड	0.66	0.27	0.39	0.56	0.05	1.27	1.93	0.09	0.08	0.17	2.1	1.95	93
	जोड़ (उत्तर जोन)	57.12	4.44	8.31	36.7	7.39	56.84	113.96	15.73	0.15	15.88	129.84	91.53	70
22.	आंध्र प्रदेश	12.66	0	3.1	15.09	0.45	18.64	31.3	2.85	0	2.85	34.15	30.14	88
23.	अंडमान निकोबार	0.07	0	0	0	0	0	0.07	0	0	0	0.07	0.03	43
24.	केरल	5.17	0	0	0	0	0	5.17	0	0	0	5.17	4.34	84
25.	कर्नाटक	3.78	0	1.13	1.24	0	2.37	6.15	0.92	0	0.92	7.07	5.85	83
26.	तमिलनाडु	5.8	0	2.04	0.53	0	2.57	8.37	0.58	0	0.58	8.95	8.32	93
27.	पुदुचेरी	0.44	0	0	0.02	0	0.02	0.46	0.08	0	0.08	0.54	0.39	72
	जोड़ (दक्षिण जोन)	27.92	0	6.27	16.88	0.45	23.6	51.52	4.43	0	4.43	55.95	49.07	88
28.	गुजरात	5	0.19	0.79	0	0.02	1	6	0.3	0	0.3	6.3	5.37	85
29.	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	महाराष्ट्र	11.77	0.13	1.96	2.03	0.88	5	16.77	0.92	0	0.92	17.69	12.41	70
32.	गोवा	0.15	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0.15	0.17	113
33.	मध्य प्रदेश	3.37	0.23	1.49	1.56	0.89	4.17	7.54	0.35	0	0.35	7.89	6.23	79
34.	छत्तीसगढ़	5.12	0.13	0.12	0.99	0.07	1.31	6.43	0	0	0	6.43	6.27	98
	जोड (पश्चिम जोन)	25.41	0.68	4.36	4.58	1.86	11.48	36.89	1.57	0	1.57	36.46	30.45	79
	सकल जोड़	129.67	5.46	22.04	62.21	11.53	101.24	230.91	21.73	0.15	21.88	252.79	192.58	76

विवरण V

31.03.2010 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास राज्यवार भंडारण क्षमता

(आंकड़े लाख टन में)

अंचल	क्र.सं.	क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	भा.खा.नि. के अपने	ढकी किराए की						कैप						
				राज्य सरकार	के.भ.नि.	रा.भ.नि.	निजी पार्टियां	कुल किराए की	कुल ढकी	अपनी	किराए कि	जोड़	सकल जोड़	रख स्टाक	उपयोग (%)	खाली स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
पूर्व	1.	बिहार	3.66	0.03	0.62	0.97	0.47	2.09	5.75	0.97	0.00	0.97	6.72	4.62	69	2.10
	2.	झारखंड	0.66	0.03	0.13	0.15	0.20	0.51	1.17	0.02	0.00	0.02	1.19	1.04	87	0.15
	3.	उड़ीसा	2.93	0.00	0.67	2.68	0.15	3.50	6.43	0.00	0.00	0.00	6.43	3.41	53	3.02
	4.	पश्चिम बंगाल	8.59	0.19	0.85	0.00	0.92	1.96	10.55	0.51	0.00	0.51	11.06	9.07	82	1.99
	5.	सिक्किम	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.08	73	0.03
		कुल (पूर्व जोन)	15.94	0.26	2.27	3.80	1.74	8.07	24.01	1.50	0.00	1.50	25.51	18.22	71	7.29
पूर्वोत्तर	6.	असम	2.07	0.00	0.18	0.11	0.37	0.66	2.73	0.00	0.00	0.00	2.73	2.00	73	0.73
	7.	अरूणाचल प्रदेश	0.18	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.09	41	0.13
	8.	मेघालय	0.14	0.00	0.07	0.05	0.00	0.12	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.17	65	0.09
	9.	मिजोरम	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.15	65	0.08
	10.	त्रिपुरा	0.29	0.05	0.17	0.00	0.00	0.22	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	0.40	78	0.11
	11.	मणिपुर	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.17	85	0.03
	12.	नागालैण्ड	0.20	0.00	0.14	0.00	0.00	0.14	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	0.32	94	0.02
		कुल (पूर्वोत्तर जोन)	3.30	0.10	0.56	0.16	0.37	1.19	4.49	0.00	0.00	0.00	4.49	3.30	73	1.19
उत्तर	13.	दिल्ली 1	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	0.31	0.00	0.31	3.67	2.32	63	1.35
	14.	हरियाणा	7.68	4.07	2.22	4.96	2.18	13.43	21.11	3.33	0.01	3.34	24.45	17.37	71	7.08
	15.	हिमाचल प्रदेश	0.14	0.06	0.05	0.00	0.00	0.11	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.20	80	0.05
	16.	जम्मू और कश्मीर	1.03	0.15	0.00	0.00	0.13	0.28	1.31	0.00	0.00	0.00	1.31	0.68	52	0.63
	17.	पंजाब	21.17	0.34	3.45	34.74	4.31	42.84	64.01	6.35	2.97	9.32	73.33	58.14	79	15.19
	18.	चण्डीगढ़	1.07	0.00	0.71	0.84	0.00	1.55	2.62	0.18	0.16	0.34	2.96	2.39	81	0.57
	19.	राजस्थान	7.06	0.00	1.32	2.69	1.88	5.89	12.95	1.82	1.31	3.13	16.08	17.13	107	− 1.05
	20.	उत्तर प्रदेश	14.95	0.07	2.26	4.06	0.23	6.62	21.57	5.20	0.10	5.30	26.87	15.62	58	11.25
	21.	उत्तराखंड	0.66	0.30	0.50	0.56	0.05	1.41	2.07	0.16	0.14	0.30	2.37	2.01	85	0.36
		जोड़ (उत्तर जोन)	57.12	4.99	10.51	47.85	8.78	72.13	129.25	17.35	4.69	22.04	151.29	115.86	77	35.43
दक्षिण	22.	आंध्र प्रदेश	12.66	0.07	5.30	16.39	1.07	22.83	35.49	2.62	0.00	2.62	38.11	35.65	94	2.46
	23.	अंडमान निकोबार	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.03	43	0.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	24.	केरल	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17	0.20	0.00	0.20	5.37	4.24	79	1.13
	25.	कर्नाटक	3.78	0.00	1.76	1.42	0.25	3.43	7.21	1.16	0.00	1.16	8.37	6.83	82	1.54
	26.	तमिलनाडु	5.80	0.00	2.27	0.50	0.57	3.34	9.14	0.56	0.00	0.56	9.70	8.28	85	1.42
	27.	पुदुचेरी	0.44	0.00	0.05	0.05	0.00	0.10	0.54	0.05	0.00	0.05	0.59	0.56	95	0.03
		जोड़ (दक्षिण जोन)	27.92	0.07	9.38	18.36	1.89	29.70	57.62	4.59	0.00	4.59	62.21	55.59	89	6.62
पश्चिम	28.	गुजरात	5.00	0.14	1.39	0.00	0.00	1.53	6.53	0.27	0.00	0.27	6.80	6.80	100	0.00
	29.	महाराष्ट्र 3	11.77	0.13	2.41	2.42	2.23	7.19	18.96	1.02	0.00	1.02	19.98	12.51	63	7.47
	30.	गोवा	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.12	80	0.03
	31.	मध्य प्रदेश	3.37	0.41	1.63	1.79	1.95	5.78	9.15	0.35	0.00	0.35	9.50	7.70	81	1.80
	32.	छत्तीसगढ़	5.12	0.18	0.70	2.31	0.12	3.31	8.43	0.00	0.00	0.00	8.43	5.55	66	2.88
		जोड (पश्चिम जोन)	25.41	0.86	6.13	6.52	4.30	17.81	43.22	1.64	0.00	1.64	44.86	32.68	73	12.18
		सकल जोड़	129.69	6.28	28.85	76.69	17.08	128.90	258.59	25.08	4.69	29.77	288.36	225.65	78	62.71

विवरण VI

31.03.2011 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास राज्यवार भंडारण क्षमता

(आंकड़े लाख टन में)

अंचल	क्र.सं.	क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	ढकी किराए की: भाखानि के अपने	राज्य सरकार	केभनि	राभनि	निजी पार्टियां	कुल किराए की	कुल ढकी	कैप: अपने	किराए की	जोड़	सकल जोड़	स्टाक	उपयोग (%)	कुल प्रभावी भंडारण क्षमता	प्रभावी क्षमता पर उपयोग (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
पूर्व	1.	बिहार	3.66	0.03	0.80	1.02	0.47	2.32	5.98	1.00	0.00	1.00	6.98	4.06	58.00	6.60	62
	2.	झारखंड	0.66	0.03	0.19	0.21	0.20	0.63	1.29	0.05	0.00	0.05	1.34	0.72	54.00	1.34	54
	3.	उड़ीसा	3.02	0.00	0.80	2.19	0.15	3.14	6.16	0.00	0.00	0.00	6.16	2.75	45.00	6.16	45
	4.	पश्चिम बंगाल	8.59	0.19	0.91	0.00	0.90	2.00	10.59	0.51	0.00	0.51	11.10	5.43	49.00		
	5.	सिक्किम	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.01	9.00	10.49	52
		कुल (पूर्व जोन)	16.03	0.26	2.70	3.42	1.72	8.10	24.13	1.56	0.00	1.56	25.69	12.57	50.00	24.59	53
पूर्वोत्तर	6.	असम	2.07	0.00	0.23	0.11	0.37	0.71	2.78	0.00	0.00	0.00	2.78	1.15	41.00	2.72	42
	7.	अरूणाचल प्रदेश	0.18	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.07	30.00	0.23	30
	8.	मेघालय	0.14	0.00	0.07	0.05	0.00	0.12	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.07	27.00	0.26	27
	9.	मिजोरम	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.13	57.00	0.23	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	10.	त्रिपुरा	0.29	0.05	0.14	0.00	0.00	0.19	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.29	60.00	0.48	60
	11.	मणिपुर	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.08	38.00	0.21	38
	12.	नागालैण्ड	0.20	0.00	0.13	0.00	0.00	0.13	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.13	39.00	0.33	39
		कुल (पूर्वोत्तर जोन)	3.30	0.12	0.57	0.16	0.37	1.22	4.52	0.00	0.00	0.00	4.52	1.92	42.00	4.46	43
उत्तर	13.	दिल्ली	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	0.31	0.00	0.31	3.67	1.16	32.00	2.86	41
	14.	हरियाणा	7.68	4.17	3.08	5.60	2.27	18.14	22.80	3.33	0.11	3.44	26.24	20.04	76.00	26.24	76
	15.	हिमाचल प्रदेश	0.14	0.06	0.05	0.00	0.00	0.11	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.12	48.00	0.25	48
	16.	जम्मू और कश्मीर	1.03	0.15	0.00	0.00	0.03	0.18	1.21	0.10	0.00	0.10	1.31	0.75	57.00	1.12	67
	17.	पंजाब	21.17	0.59	4.72	38.61	4.27	48.19	69.36	7.14	3.28	10.42	79.78	63.60	80.00		
	18.	चण्डीगढ़	1.07	0.17	0.83	1.08	0.00	2.08	3.15	0.17	0.12	0.29	3.44	2.22	65.00	83.22	79
	19.	राजस्थान	7.06	0.00	1.68	3.12	1.89	6.69	13.75	1.85	1.72	3.57	17.32	15.82	91.00	17.26	92
	20.	उत्तर प्रदेश	14.95	0.17	4.71	12.30	0.22	17.30	32.25	5.19	0.00	5.19	37.44	24.94	67.00	35.35	71
	21.	उत्तराखंड	0.66	0.27	0.46	0.60	0.05	1.38	2.04	0.21	0.11	0.32	2.36	1.99	84.00	2.30	87
		जोड़ (उत्तर जोन)	57.12	5.48	15.53	61.31	8.73	91.05	148.17	18.30	5.34	23.64	171.81	130.64	76.00	168.60	77
दक्षिण	22.	आंध्र प्रदेश	12.66	0.05	7.08	19.98	2.09	29.20	41.86	2.62	0.00	2.62	44.48	39.67	89.00		
	23.	अंडमान निकोबार	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.05	71.00	43.85	91
	24.	केरल	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17	0.20	0.00	0.20	5.37	3.50	65.00	5.37	65
	25.	कर्नाटक	3.78	0.00	1.58	1.61	0.25	3.44	7.22	1.16	0.00	1.16	8.38	6.50	78.00	8.38	78
	26.	तमिलनाडु	5.80	0.00	2.35	0.51	0.56	3.42	9.22	0.61	0.00	0.61	9.83	5.21	53.00		
	27.	पुदुचेरी	0.44	0.00	0.08	0.06	0.00	0.14	0.58	0.06	0.00	0.06	0.064	0.33	52.00	9.94	56
		जोड़ (दक्षिण जोन)	27.92	0.05	11.09	22.16	2.90	36.20	64.12	4.65	0.00	4.65	68.77	55.26	80.00	67.54	82
पश्चिम	28.	गुजरात	5.00	0.14	1.62	0.00	0.00	1.76	6.76	0.27	0.00	0.27	7.03	5.44	77.00	6.96	78
	29.	महाराष्ट्र	11.90	0.00	2.63	3.17	2.31	8.11	20.01	1.02	0.10	1.12	21.13	13.36	63.00		
	30.	गोवा	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.10	67.00	17.72	76
	31.	मध्य प्रदेश	3.37	0.07	1.36	0.98	1.87	4.28	7.65	0.36	0.00	0.36	8.01	5.87	73.00	7.88	74
	32.	छत्तीसगढ़	5.12	0.06	0.87	2.71	0.23	3.87	8.99	0.00	0.00	0.00	8.99	7.90	88.00	8.99	88
		जोड (पश्चिम जोन)	25.54	0.27	6.48	6.86	4.41	18.02	43.56	1.65	0.10	1.75	45.31	32.67	72.00	41.55	79
		सकल जोड़	129.91	6.18	36.27	93.91	18.13	154.59	284.50	26.16	5.44	31.60	316.10	233.46	74.00	306.74	76

विवरण VII

31.03.2011 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास राज्यवार भंडारण क्षमता

(आंकड़े लाख टन में)

अंचल	क्र.सं.	क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	भाखानि के अपने	राज्य सरकार	केभानि	रा.भंनि	ढकी किराए की निजी पार्टियां	कुल किराए की	कुल ढकी	अपने	कैप किराए की	जोड़	सकल जोड़	स्टॉक	उपयोग (%)	कुल प्रभावी भंडारण क्षमता	प्रभावी क्षमता पर उपयोग (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
पूर्व	1.	बिहार	3.66	0.03	0.84	1.08	0.47	2.42	6.08	1.00	0.00	1.00	7.08	4.89	69.00	6.72	73
	2.	झारखंड	0.66	0.03	0.20	0.22	0.20	0.65	1.31	0.05	0.00	0.05	1.36	1.10	81.00	1.36	81
	3.	उड़ीसा	3.02	0.00	0.82	2.16	0.15	3.13	6.15	0.00	0.00	0.00	6.15	4.95	80.00	6.13	81
	4.	पश्चिम बंगाल	8.59	0.19	0.96	0.00	0.90	2.05	10.64	0.51	0.00	0.51	11.15	7.48	67.00	10.55	71
	5.	सिक्किम	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.03	27.00		
		कुल (पूर्व जोन)	16.03	0.26	2.82	3.46	1.72	8.26	24.29	1.56	0.00	25.85	18.45	71.00	24.76	75	
पूर्वोत्तर	6.	असम	2.07	0.00	0.23	0.11	0.36	0.70	2.77	0.00	0.00	0.00	2.77	1.07	39.00	2.77	39
	7.	अरूणाचल प्रदेश	0.18	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.10	45.00	0.22	45
	8.	मेघालय	0.14	0.00	0.07	0.05	0.00	0.12	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.17	65.00	0.26	65
	9.	मिजोरम	0.25	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.14	54.00	0.26	54
	10.	त्रिपुरा	0.29	0.05	0.14	0.00	0.00	0.19	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.42	88.00	0.48	88
	11.	मणिपुर	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.06	29.00	0.21	29
	12.	नागालैण्ड	0.20	0.00	0.13	0.00	0.00	0.13	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.23	70.00	0.33	70
		कुल (पूर्वोत्तर जोन)	3.33	0.11	0.57	0.16	0.36	1.20	4.53	0.00	0.00	0.00	4.53	2.19	48.00	4.53	48
उत्तर	13.	दिल्ली	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	0.31	0.00	0.31	3.67	2.39	65.00	2.75	87
	14.	हरियाणा	7.68	4.17	3.19	5.65	2.65	15.66	23.34	3.33	0.22	3.55	26.89	25.58	95.00	26.89	95
	15.	हिमाचल प्रदेश	0.14	0.06	0.06	0.00	0.00	0.12	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.11	42.00	0.26	42
	16.	जम्मू और कश्मीर	21.17	0.15	0.00	0.00	0.05	0.18	1.21	0.10	0.00	0.10	1.31	0.84	64.00	1.12	75
	17.	पंजाब	21.17	0.45	5.04	39.90	3.99	49.38	70.55	7.14	3.29	10.43	80.98	65.00	80.00		
	18.	चण्डीगढ़	1.07	0.18	0.83	1.12	0.00	2.13	3.20	0.17	0.11	0.28	3.48	2.08	60.00		
	19.	राजस्थान	7.06	0.00	2.16	4.22	1.88	8.26	15.32	1.85	4.04	5.89	21.21	19.22	91.00	20.92	92
	20.	उत्तर प्रदेश	14.95	0.17	6.14	19.17	0.17	25.65	40.60	5.19	0.76	5.95	46.55	33.42	72.00	43.40	77
	21.	उत्तराखंड	0.66	0.25	0.44	0.54	0.05	1.28	1.94	0.21	0.02	0.23	2.17	1.62	75.00	2.09	78
		जोड़ (उत्तर जोन)	57.12	5.43	17.86	70.60	8.77	102.66	159.78	18.30	8.44	26.74	186.52	150.28	81.00	181.88	83
दक्षिण	22.	आंध्र प्रदेश	12.66	0.09	7.77	2038	3.54	31.78	44.44	2.62	0.00	2.62	47.06	43.29	92.00	46.43	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	23.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.05	71.00		
	24.	केरल	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17	0.20	0.00	0.20	5.37	4.15	77.00	5.33	78
	25.	कर्नाटक	3.78	0.00	1.61	1.64	0.25	3.50	7.28	1.36	0.00	1.36	8.64	7.02	81.00	8.45	83
	26.	तमिलनाडु	5.80	0.00	2.55	0.51	0.56	3.62	9.42	0.61	0.00	0.61	10.03	9.92	99.00	10.19	102
	27.	पुडुचेरी	0.44	0.00	0.13	0.11	0.00	0.24	0.68	0.06	0.00	0.06	0.74	0.51	69.00		
		जोड़ (दक्षिण जोन)	27.92	0.09	12.06	22.64	4.35	39.14	67.06	4.85	0.00	4.85	71.91	64.95	90.00	70.40	92
पश्चिम	28.	गुजरात	5.00	0.14	1.49	0.01	0.24	1.88	6.88	0.27	0.00	0.27	7.15	6.13	86.00	7.08	87
	29.	महाराष्ट्र	11.90	0.00	2.67	3.26	2.41	8.34	20.24	1.02	0.10	1.12	21.36	14.15	66.00	17.95	79
	30.	गोवा	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.07	47.00		
	31.	मध्य प्रदेश	3.37	0.01	1.01	0.07	2.22	3.31	6.68	0.36	0.00	0.36	7.04	5.19	74.00	6.92	75
	32.	छत्तीसगढ़	5.12	0.11	0.97	2.70	0.27	4.05	9.17	0.00	0.00	0.00	9.17	6.21	68.00	9.17	68
		जोड (पश्चिम जोन)	25.54	0.26	6.14	6.04	5.14	17.58	43.12	1.65	0.10	1.75	44.87	31.75	71.00	41.12	77
		सकल जोड़	129.94	6.15	39.45	102.90	20.34	168.84	298.78	26.36	8.54	34.90	333.68	267.69	80.00	322.69	83

विवरण VIII

भारतीय खाद्य निगम के पास गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कैप में भंडारित खाद्यान

(आंकड़े टन में)

क्र.सं.	क्षेत्र	01.06.2009 को	01.06.2010 को	01.06.2011 को	01.11.2011 को
1	2	3	4	5	6
1.	पंजाब	756.897	764.155	1015.728	583.906
2.	दिल्ली	35.125	35.470	7.140	4.700
3.	उत्तराखंड	23.054	33.568	6.975	13.139
4.	हरियाणा	283.420	323.289	329.293	262.430
5.	उत्तर प्रदेश	67.332	187.265	306.585	224.625
6.	राजस्थान	358.977	501.501	680.349	547.949
7.	केरल	–	0.377	–	–
8.	आंध्र प्रदेश	0.587	91.363	5.204	123.956
9.	तमिलनाडु	37.330	61.547	17.874	39.166
10.	कर्नाटक	1.088	118.308	69.080	89.763

1	2	3	4	5	6
11.	मध्य प्रदेश	5.592	41.578	1.192	10.854
12.	महाराष्ट्र	32.579	61.436	14.695	2.931
13.	गुजरात	52.276	60.737	41.070	41.359
14.	झारखंड	–	0.307	–	–
15.	बिहार	–	5.617	–	–
16.	पश्चिम बंगाल	–	22.139	2.463	–
17.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	1.510
	जोड़	1654.257	2308.657	2497.648	1946.288

राज्य एजेंसियों के पास कैप की स्थिति

आंकड़े हजार टन में

क्र.सं.	राज्य	01.06.2009 को	01.06.2010 को	01.06.2011 को	01.11.2011 को
1.	पंजाब	9270.677	9603.648	9902.369	6976.131
2.	हरियाणा	5301.832	5871.920	5707.535	4752.661
3.	उत्तराखंड	–	15.814	6.346	–
4.	मध्य प्रदेश	–	–	641.601	36.856
	जोड़	14572.509	15491.382	16257.851	11765.648

विवरण IX

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में (01.11.2011 तक) भारतीय खाद्य निगम के पास जारी न करने योग्य (क्षतिग्रस्त) पाया गया क्षेत्रवार स्टाक

(आंकड़े टन में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (01.11.2011 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	बिहार	14	726	200	0
2.	झारखंड	15	17	39	0
3.	उड़ीसा	84	0	18	0

1	2	3	4	5	6
4.	पश्चिम बंगाल	1789	1357	922	355
5.	असम	83	38	49	442
6.	पूर्वोत्तर सीमांत	212	77	175	0
7.	नागालैण्ड और मणिपुर	6	0	1	0
8.	दिल्ली	0	5	1	0
9.	हरियाणा	16	0	53	0
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
11.	जम्मू और कश्मीर	0	11	0	0
12.	पंजाब	16798	2273	182	0
13.	राजस्थान	0	12	21	30
14.	उत्तर प्रदेश	62	14	520	11
15.	उत्तराखंड	4	0	1338	0
16.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	3	4.33
17.	केरल	98	19	99	0
18.	कर्नाटक	74	70	17	0
19.	तमिलनाडु	1	1	12	28
20.	गुजरात	655	814	2595	171
21.	महाराष्ट्र	189	245	97	305
22.	मध्य प्रदेश	14	49	2	0
23.	छत्तीसगढ़	0	974	2	0
	जोड़	20114	6702	6346	1346.33

विवरण X

31.10.2011 की स्थिति के अनुसार पीईजी स्कीम के अधीन गोदामों के निर्माण की स्थिति

क्र.सं.	एजेंसी	कुल आवंटित क्षमता			पूरा हो चुका कार्य			निर्माणाधीन कार्य			
		कुल अनुमोदित क्षमता	केभनि	राभानि	निजी निवेशक	केभनि	राभानि	निजी निवेशक	केभनि	राभानि	निजी निवेशक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	451,000	30,000	55,000	300,000	9,000	0	0	11,000	40,000	207,000
2.	बिहार	300,000	0	30,000	90,000	0	20,000	0	0	10,000	0
3.	छत्तीसगढ़ (डीसीपी)	222,000	30,000	192,000	0	5,000	0	0	0	96,200	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	गुजरात	80,000	5,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0
5.	हरियाणा	3,880,000	5,000	83,500	1,712,000	5,000	53,700	0	0	29,800	941,000
6.	हिमाचल प्रदेश	142,550	2,500	0	15,400	0	0	0	2,500	0	0
7.	जम्मू और कश्मीर	361,690	0	0	134,000	0	0	0	0	0	0
8.	झारखंड	175,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0
9.	कर्नाटक	416,500	52,000	183,500	100,000	10,000	0	0	42,000	150,500	0
10.	मध्य प्रदेश (डीसीपी)	360,000	26,400	85,000	243,600	0	0	0	16,400	20,800	0
11.	केरल	15,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	महाराष्ट्र	655,500	47,400	334,500	267,000	16,100	32,000	0	1,300	142,000	0
13.	उड़ीसा (डीसीपी)	300,000	187,500	112,500	0	32,000	17,500	0	60,000	37,500	0
14.	पंजाब	5,125,000	78,150	289,550	2,174,300	55,800	100,400	0	5,000	133,000	1,204,000
15.	राजस्थान	250,000	0	30,00	220,000	30,300	0	0	4,700	0	155000
16.	तमिलनाडु	345,000	35,000	0	35,000	30,300	0	0	4,700	0	25,000
17.	उत्तराखंड	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उत्तर प्रदेश	1,860,000	6,200	47,000	1,518,000	0	0	0	0	0	0
19.	पश्चिम बंगाल (डीसीपी)	156,600	29,600	0	0	0	0	0	0	0	0
	जोड़	15,120,840	539,750	1,442,550	6,904,300	163,200	223,600	0	142,900	659,800	2,532,000
	सकल जोड़			8,886,600			386,600			3,334,700	

विवरण XI

15.11.2011 की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में क्षमता सृजन की स्थिति

(आंकड़े टन में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल प्रस्तावित क्षमता	प्राप्त/पूर्ण क्षमता	चालू परियोजनाओं की क्षमता	चिन्हित परियोजनाओं की क्षमता
1	2	3	4	5	6
1.	असम	3,45,000	5,000	50,000	2,90,000

1	2	3	4	5	6
2.	मणिपुर	45,000	–	10,000	35,000
3.	नागालैंड	15,000	–	5,000	10,000
4.	मेघालय	35,000	–	2,500	32,500
5.	सिक्किम	15,000	–	5,000	10,000
6.	अरूणाचल प्रदेश	20,280	–	–	20,280
7.	त्रिपुरा	45,000	–	–	45,000
8.	मिजोरम	20,000	–	–	20,000
9.	जोड़	5,40,280	5,000	72,500	4,62,780

कुल क्षमता	–	5,49,280
पूर्ण क्षमता	–	5,000
चल रही परियोजनाएं	–	72,500
चिन्हित परियोजनएं	–	4,62,780

विवरण XII

केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए अनुरोध के कारण अंत्योदय अन्न योजना/गरीबी रेखा से नीचे/गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किया गया अतिरिक्त आवंटन

1. दो माह के लिए अंत्योदय अन्न योजना/गरीबी रेखा से नीचे/गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए वितरण करने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आधारित/से निकाले गए मूल्यों पर जनवरी, 2010 में 36.08 लाख टन खाद्यान्न।

2. 8.45 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 11.85 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की दर पर गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना/गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए मई, 2010 में 30.66 लाख टन खाद्यान्न।

3. उन 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जहां यह 15 किलोग्राम से कम आबंटन था वहां प्रति परिवार प्रति माह न्यूनतम 15 किलोग्राम खाद्यान्न का आबंटन सुनिश्चित करने के लिए अगस्त, 2010 में 27.41 लाख टन खाद्यान्न।

4. 4 पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और दो पहाड़ी राज्यों, जहां यह मात्रा 35 किलोग्राम से कम थी, वहां 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह सुनिश्चित करने के लिए अगस्त, 2010 में 3.65 लाख टन खाद्यान्न।

5. सितम्बर, 2010 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 25.00 लाख टन खाद्यान्न।

6. जनवरी, 2011 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 25.00 लाख टन खाद्यान्न।

7. 8.45 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 11.85 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की दर पर गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए जनवरी, 2011 में 25.00 लाख टन खाद्यान्न।

8. मई, 2011 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 50.00 लाख टन खाद्यान्न।

9. 30.6.2011 को 50.00 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किए गए जिससे 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जून, 2011 से मार्च, 2012 तक गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का मासिक आवंटन बढ़ाकर 15 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया और 4 पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दो पहाड़ी राज्यों, जहां यह मात्रा 35 किलोग्राम से कम थी, वहां उसे बढ़ाकर 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह कर दी गई।

10. जुलाई से अक्तूबर, 2011 के दौरान 27 राज्यों में 174 निर्धनतम/पिछड़े जिलों के लिए 23.67 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किए गए।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

***107. श्री वीरेन्द्र कश्यप:**
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के कितने आवेदन अब भी सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) इन आवेदनों को स्वीकृति देने के लिए सरकार द्वारा अभी तक क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने संबंधी स्वीकृति में किन्हीं अनियमितताओं का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार वयोवृद्ध/लाईलाज रोगों से पीड़ित स्वतंत्रता सेनानियों के लाभार्थ स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के अंतर्गत अर्हता मानदंडों की समीक्षा करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की मंजूरी के लिए आवेदनों की प्राप्ति और निपटान एक अनवरत प्रक्रिया है। हैदराबाद मुक्ति आन्दोलन में सहभागिता हेतु सम्मान पेंशन की मंजूरी के लिए 30 आवेदन लम्बित हैं। ये आवेदन उनकी प्रामाणिकता का पुनर्सत्यापन करने के बाद आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गये हैं। उन आवेदनों, जो राज्य सरकार की पुनर्सत्यापन रिपोर्टों के साथ सम्मान पेंशन की स्वीकृति हेतु पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हों, की संवीक्षा अब प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानियों की समिति द्वारा की जाएगी, जिसे इस प्रयोजन के लिए गठित किया गया है। यह समिति उन मामलों की जांच करेगी और सम्मान पेंशन की स्वीकृति के लिए सिफारिश करेगी, जो सम्मान पेंशन की स्वीकृति हेतु पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हों। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को समय-समय पर नियमित रूप से सलाह दी जा रही है कि वे उन्हें भेजे गए शेष मामलों का शीघ्र पुनः सत्यापन करें।

ऊपर वर्णित मामलों के अतिरिक्त, सभी दृष्टियों से पूर्ण और राज्य सरकारों द्वारा संस्तुत कोई अन्य आवेदन लम्बित नहीं है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सम्मान पेंशन केवल उन स्वतंत्रता सेनानियों को स्वीकृत की जाती है, जो पात्रता मानदण्ड को पूरा करते हैं और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विधिवत सिफारिश किए गए उनके दावे के समर्थन में अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। अपात्र दावों से संबंधित शिकायतों/अभ्यावेदनों का निपटान संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के लागू प्रावधानों के संदर्भ में उनकी जांच करने के बाद किया जाता है।

(ङ) और (च) इस समय स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आतंकी/उग्रवादी संगठन

***108. श्री अनंत कुमार हेगड़े:**
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने और कौन-कौन से आतंकी/उग्रवादी/माओवादी तथा अलगाववादी समूह आतंकी/हिंसक गतिविधियों में शामिल हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा देश में आतंकवादियों/नक्सलवादियों के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में कितने आतंकवादी/नक्सलवादी/उग्रवादी मारे गए हैं;

(ग) क्या नक्सल प्रभावित राज्यों में उक्त गतिविधियों से निपटने के लिए सुरक्षाकर्मियों की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) देश में विभिन्न आतंकवादी/उग्रवादी/माओवादी तथा अलगाववादी समूह आतंकवादी/हिंसा की गतिविधियों में शामिल हैं। देश के कतिपय भागों में सक्रिय इन समूहों की सूची विवरण I में दी गयी है। जिन आतंकवादी संगठनों को विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, उनके नाम संलग्न विवरण II में दिए गए हैं। इसी प्रकार, 9 संगठनों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1967 के तहत "विधि विरुद्ध संगठन" घोषित किया गया है, जिनकी सूची संलग्न विवरण III में दी गयी है।

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में आतंकवादी/नक्सल-रोधी अभियानों में सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए आतंकवादियों/नक्सलवादियों/उग्रवादियों का ब्यौरा संलग्न विवरण IV में दिया गया हैं।

(ग) और (घ) प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवाद (एल. डब्ल्यू.ई.) का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा कार्मिकों की कोई कमी नहीं है। केन्द्र सरकार, इस प्रकार की और अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य पुलिस बलों के क्षमता निर्माण हेतु आसूचना, ज़ानकारी और निधियां मुहैया कराती है। इसके अतिरिक्त, वामपंथी उग्रवाद (एल.डब्ल्यू.ई.) का मुकाबला करने के लिए प्रभावित राज्यों में केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती की जाती है।

विवरण-I

देश में आतंकवादी/हिंसा की गतिविधियों में शामिल आतंकवादी/नक्सली/उग्रवादी समूहों के नाम

क्र. सं.	क्षेत्र	देश में आतंकवादी/हिंसा की गतिविधियों में शामिल आतंकवादी/नक्सली/उग्रवादी समूहों के नाम
1	2	3
1.	हिन्टरलैण्ड	हरकत-उल-मुजाहिद्दीन (एच.यू.एम.), जैश-ए-मुहम्मद (जे.ई.एम.), लश्कर-ए-तैयबा (एल.ई.टी.), इण्डियन मुजाहिद्दीन (आई.एम.), अल-उम्मा, अल-बदर, हरकत-उल-जेहादी-इस्लामी (हूजी), हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन (एच. एम.), बब्बर खालसा इन्टरनेशनल (बी.के.आई.), खालिस्तान जिन्दाबाद फोर्स (के.जेड.एफ.), खालिस्तान टाइगर्स फोर्स
2.	पूर्वोत्तर राज्य	(i) असम-यूनाइटिड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन.डी.एफ.बी.) और धीमा हलम दाओगाह (जोयल गरलौसा) - डी.एच.डी. (जे.)।
		(ii) मणिपुर-पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पी.एल.ए.), यूनाइटिड नेशनल लिब्रेशनल फ्रंट (यू.एन.एल.एफ.), पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेईपाक (पी.आर.ई.पी.ए.के.), कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के. सी.पी.), कंगलेई यओल कनबा लूप (के.वाई.के.एल.), मणिपुर पीपुल्स लिब्रेशन फ्रंट (एम.पी.एल.एफ.), रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आर.पी.एफ.)
		(iii) मेघालय - हनीवेट्रेप नेशनल लाइब्रेशन काउंसिल (एच.एन.एल.सी)
		(iv) त्रिपुरा - ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए.टी.एफ.) और नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन.एल.एफ.टी.)
		(v) नागालैंड - द नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक मुलवा) - (एन.एस.सी.एन. (आई.आई.एम.) और द नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खोंपलांग) (एन.एस.सी.एन.)
3.	जम्मू और कश्मीर	जैश-ए-मोहम्मद (जे.ई.एम.), लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन (एच. एम.), हरकत-उल-मुजाहिद्दीन (एच.यू.एम.), अल-उमर-मुजाहिद्दीन (ए.यू. एम.), जम्मू एण्ड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट (जे.के.आई.एफ.), अल-बदर, जमायत-उल-मुजाहिद्दीन (जे.यू.एम.) और दुखतारन-इ-मिल्लत (डी.ई.एम.)
4.	वामपंथी उग्रवाद (एल.डब्ल्यू.ई.) प्रभावित राज्य	सी.पी.आई. (माओइस्ट), सी.पी.एम.एल.-लिब्रेशन, सी.पी.एम.एल.-न्यू डेमोक्रेसी, सी.एम.ए.एस. (चासी मुलिया आदिवासी संघ, सी.पी.ओ.आई. "माओइस्ट का

1	2	3
		एक फ्रंट), जे.सी.एस.सी./जे.जे.एम.पी. (झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमांत कमेटी/झारखंड जन मुक्ति परिषद), जे.एल.टी./आर.एल.एफ.आई. (झारखंड लिब्रेशन टाइगर/पीपुल्स लिब्रेशन फ्रंट ऑफ इंडिया), जे.एस.जे.एम.एम. (झारखंड संघर्ष जन मुक्ति मोर्चा), जे.पी.सी. (झारखंड प्रस्तुति कमेटी), आर.सी.सी. (रिवोयूशनरी कम्यूनिस्ट सेंटर), टी.एस.पी.सी. (त्रितिया सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी), सी.पी.एम.एल.-जे. एस. (सी.पी.एम.एल.-जन शक्ति), पी.पी.जी. (प्रजा प्रतिघातना), एस.पी.एम. (सशस्त्र पीपुल्स मोर्चा), सी.पी.एम.एल.-नक्सलबारी, सी.पी.एम.एल.-शांति पल - ये ग्रुप एल.डब्ल्यू.ई. प्रभावित राज्य में सक्रिय हैं।

विवरण II

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 के तहत प्रतिबंधित संगठनों की सूची

1	2
1.	बब्बर खालसा इन्टरनेशनल
2.	खालिस्तान कमाण्डो फोर्स
3.	खालिस्तान जिन्दाबाद फोर्स
4.	इन्टरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन
5.	लश्कर-ए-तैयबा/पास्बान-ए-अहले हदीस
6.	जैश-ए-मोहम्मद/तहरीक-ए-फरकान
7.	हरकत-उल-मुजाहिद्दीन/हरकत-उल-अंसार/हरकत-उल-जेहाद-ए-इस्लामी
8.	हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन/हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन पीर पंजाबल रेजिमेंट
9.	अल-उमर-मुजाहिद्दीन
10.	जम्मू एण्ड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट
11.	यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)
12.	नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड (एन.डी.एफ.बी.)
13.	पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी.एल.ए.)
14.	यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू.एन.एल.एफ.)
15.	पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेइपाक (प्रीपाक)
16.	कंगलेईपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.)
17.	कंगलेइ याओल कंबा लूप (के.वाइ.के.एल.)
18.	मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एम.पी.एल.एफ.)
19.	ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स
20.	नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा
21.	लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम (एल.टी.टी.ई.)
22.	स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इण्डिया
23.	दीनदार अंजुमन
24.	कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)-पीपुल्स वार, इसकी समस्त शाखाएं एवं अग्रणी संगठन
25.	माओवादी कम्यूनिस्ट सेन्टर (एम.सी.सी.), इसकी समस्त शाखाएं एवं अग्रणी संगठन
26.	अल बदर
27.	जमायत-उल-मुजाहिद्दीन
28.	अल-कायदा
29.	दुखतरन-ए-मिलात (डी.ई.एम.)
30.	तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी (टी.एन.एल.ए.)
31.	तमिल नेशनल रिट्रीइवल टुप्स (टी.एन.आर.टी.)
32.	अखिल भारत नेपाली एकता समाज (एम.बी.एन.ई.एस.)
33.	यूनाइटेड नेशन्स (सिक्यूरिटी कौंसिल) एक्ट, 1947 (1947 का 43) की धारा 2 तथा समय-समय पर किए गए

1	2
	संशोधन के अन्तर्गत बनाए गए यू.एन. प्रीवेंशन एण्ड सप्रेशन ऑफ टेररिज्म (इंप्लिमेंटेशन ऑफ सिक्यूरिटी कौंसिल रिजोल्यूशन्स) आर्डर, 2007 की अनुसूची में सूचीबद्ध संगठन
34.	कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (माओवादी), इसकी समस्त शाखाएं तथा अग्रणी संगठन
35.	इण्डियन मुजाहिद्दीन और इसकी समस्त शाखाएं तथा अग्रणी संगठन

विवरण-III

वर्ष 2008 में यथासंशोधित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 के तहत 'विधिविरुद्ध एसोसिएशन'

1	2
1.	स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इण्डिया (सिमी)
2.	यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)
3.	नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड (एन.डी.एफ.बी.)
4.	दीमा हलाम दाओगाह (जोइल) डी.एच.डी. (जे.)
5.	मेइतेइ एक्सट्रिमिस्ट आर्गेनाइजेशन, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
	(क) पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी.एल.ए.)
	(ख) यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू.एन.एल.एफ.)
	(ग) पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेईपाक (प्रीपाक)
	(घ) कगलेईपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (केसीपी)
	(ङ) कंगलेई याओल कंबा लूप (के.वाई.के.एल.)
	(च) मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एम.पी.एल.एफ.)
	(छ) रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आर.पी.एफ.)
6.	ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स (ए.टी.टी.एफ.)
7.	नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन.एल.एफ.टी.)
8.	हाइनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन कौंसिल (एच.एन.एल.सी.)
9.	लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम।

विवरण-IV

वर्ष 2008 से 2011 की अवधि के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवाद-रोधी कार्रवाइयों में मारे गए आतंकवादी

क्रम सं.	क्षेत्र	वर्ष 2008-2011 (31 अक्तूबर तक) की अवधि के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए आतंकवादियों/ नक्सलियों/उग्रवादियों की संख्या			
		2008	2009	2010	2011
1.	हिन्टरलैण्ड	11	2	2	0
2.	पूर्वोत्तर राज्य	640	571	247	91 (15.11.2011 तक)
3.	जम्मू और कश्मीर	339	239	232	99 (31.10.2011 तक)
4.	वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्य	199	218	172	96 (15.11.2011 तक)

[अनुवाद]

किसानों द्वारा आत्महत्या

***109. श्री आनंदराव अडसुल:**
श्री प्रेमदास:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 तथा बुंदेलखंड पैकेज के कार्यान्वयन के बाद भी देश के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग नेटवर्क के अभाव में किसानों द्वारा अब भी स्थानीय साहूकारों से ऋण लिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) किसानों द्वारा आत्महत्याओं की और घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न अन्य उपायों के साथ बुंदेलखंड पैकेज तथा कृषि ऋण राहत एवं ऋण माफी स्कीम, 2008 के क्रियान्वयन के पश्चात राज्य सरकारों द्वारा सूचित किए गए अनुसार खेतिहर कारणों से किसानों द्वारा आत्महत्या के मामलों में कमी आई है।

(ग) और (घ) निजी साहूकारों पर किसानों की निर्भरता में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों में संस्थागत साधनों के जरिए कृषि ऋण के प्रवाह में सुधार, फार्म ऋण पर ब्याज की दर में कमी करना, एक समयबद्ध तरीके से योग्य तथा इच्छुक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना, पार्श्व सुरक्षा से मुक्त फार्म ऋण की सीमा में वृद्धि करना, अल्पकालीन सहकारी ऋण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए पुनरुद्धार पैकेज का क्रियान्वयन, निजी साहूकारों के लिए गए ऋणों का विमोचन करने के लिए बैंकों को किसानों को वित्त प्रदान करने के लिए सलाह देना तथा छोटे ऋणों के लिए "बकाया नहीं" प्रमाण-पत्र की आवश्यकता समाप्त करना शामिल है।

(ङ) किसानों द्वारा आत्महत्या पर रोक लगाने तथा उनकी दशा में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित का क्रियान्वयन शामिल है:

(i) खेतिहर संकट की समस्या का समाधान करने के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा महाराष्ट्र में 31 जिलों को कवर करते हुए शुरुआत में 3 वर्ष की अवधि के लिए 2006 में पुनर्वास पैकेज की घोषणा की गयी। इस पैकेज के तहत 30.6.2011 तक 19910.70 करोड़ रु. की राशि जारी की गयी है। इस पैकेज के गैर-ऋण घटकों के क्रियान्वयन की अवधि 30.9.2011 तक बढ़ा दी गई थी।

(ii) कृषि ऋण राहत एवं ऋण माफी स्कीम, 2008 से अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 65318.33 करोड़ रु. से लगभग 3.69 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं।

(iii) बुंदेलखंड क्षेत्र के 13 जिलों में 7266 करोड़ रु. के बजट परिव्यय से सूखे का निराकरण करने के लिए बुंदेलखंड विशेष पैकेज तथा जल प्रबंधन, जीविका में सुधार पर बल देते हुए बहु क्षेत्रीय प्रणाली तथा विभिन्न प्रमुख स्कीमों का समेकन।

(iv) वर्ष 2011-12 के दौरान 3 लाख रु. तक के फसल ऋणों की समय पर अदायगी के लिए ब्याज में छूट में वृद्धि की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप ऐसे किसानों के लिए जो समय पर अपने फसल ऋणों की अदायगी करते हैं, ब्याज की प्रभावी दर घटकर 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो गयी है।

(v) किसानों के लाभार्थ विगत 5 वर्षों के दौरान प्रमुख कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि।

इसके अलावा कृषि क्षेत्र को पुन: जीवंत बनाने तथा किसानों की स्थिति में सतत आधार पर सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, पनधारा प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन आदि जैसी विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन के जरिए कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि करना शामिल हैं।

वर्ष 2011-12 के दौरान कृषि क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए शुरू किए गए अतिरिक्त उपायों में आयलपाम रोपण के तहत 60000 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल करने की स्कीमें, सब्जी समूहों से संबंधित पहलें, पोषक-अनाज के उत्पादन का संवर्द्धन तथा प्रोटीन अनुपूरण के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाना शामिल हैं।

[हिन्दी]

जैविक कृषि

***110. श्री ओम प्रकाश यादव:**
श्री के.सी. सिंह "बाबा":

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के अन्य भागों में राष्ट्रीय जैविक कृषि केन्द्र के साथ-साथ जैविक प्रमाणन अभिकरणों के कुछ और अधिक क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में जैविक खाद्य उत्पादों को कम दामों पर उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) जी हां। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) और राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना (एन.पी.ओ.एफ.) सहित विभिन्न स्कीमों के माध्यम से जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को सहायता उपलब्ध कराती है। एन.एच.एम. और एन.पी.ओ.एफ. के अंतर्गत राज्यों को निर्मुक्त वर्ष-वार और राज्यवार सहायता का ब्यौरा क्रमशः विवरण-1 और 2 पर दिया गया हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ग्रामीण और शहरी छीजन से वर्मीकम्पोस्ट तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र (एन.सी.ओ.एफ) एवं और अधिक जैविक प्रमाणन एजेंसियों का प्रत्यायन इस उद्देश्य के लिए प्रस्तावों और अनिवार्य अनुमोदनों के अंतिमकरण पर आधारित है।

(ङ) यह आशा की जाती है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के उपाय से देश में जैविक उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ाएंगे, जो उपभोक्ता के लिए जैविक उत्पादों के मूल्य पर अनुकूल प्रभाव कर सकते हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत जैविक खेती के लिए उपलब्ध कराई गई सहायता

(लाख रुपये में)

राज्य	आर्गेनिक खेती को अपनाने वाले				वर्मी कम्पोस्ट इकाई				प्रमाणन			
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	212.50	68.00	92.42	30.00	232.05	170.00	374.25	355.00	212.50	68.00	12.53	0.00
बिहार	85.00	0.00	103.25	43.42	510.00	169.83	280.10	151.11	85.00	0.00	35.00	0.00
छत्तीसगढ़	0.00	55.25	103.60	18.00	127.50	726.75	1143.32	897.61	0.00	119.00	0.00	155.00
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गोवा	0.00	0.00	3.07	0.00	2.56	5.10	2.33	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00
गुजरात	0.00	42.50	240.00	60.00	44.63	0.00	0.00	17.50	0.00	24.47	60.00	60.00
हरियाणा	271.19	0.00	348.42	122.76	255.00	274.64	124.19	11.57	271.19	0.00	348.42	0.00
झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	70.00	68.85	25.50	11.55	135.00	0.00	0.00	20.00	27.50
कर्नाटक	0.00	0.00	230.05	61.54	892.51	752.25	459.62	190.52	0.00	0.00	255.90	70.40
केरल	0.00	0.00	19.23	16.75	404.18	0.00	94.25	34.12	0.00	0.00	10.44	43.36
मध्य प्रदेश	0.00	212.50	0.00	0.00	81.60	63.75	58.50	9.65	0.00	212.50	59.92	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
महाराष्ट्र	188.92	0.00	14.43	0.00	25.50	1.28	60.25	0.00	0.00	0.00	11.70	0.00
उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	58.27	89.25	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	306.00	586.50	81.00	0.00	21.68	51.00	67.50	11.40	0.00	0.00	60.00	40.00
राजस्थान	340.00	92.48	16.55	29.11	51.00	12.75	60.97	25.29	340.00	0.00	181.92	0.41
तमिलनाडु	0.00	0.00	16.00	0.00	63.75	23.71	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	114.75	0.00	0.00	0.00	188.70	152.24	79.22	24.60	114.75	0.00	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	38.51	0.00	165.75	0.00	0.00	0.00	15.72	0.00
कुल	1518.36	1057.23	1268.02	114.75	3066.29	2518.05	3072.18	1863.37	1023.44	423.97	1078.05	396.97

विवरण-II

जैविक आदान उत्पादन के लिए नाबार्ड के माध्यम से एन.पी.ओ.एफ. की पूंजी निवेश सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित राज्यवार सब्सिडी के

क्र.सं.	राज्य का नाम	सब्सिडी के लिए जारी की गई धनराशि (लाख रुपये में)		
		2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	16.83	0.00	19.90
2.	असम	1.87	3.91	0.37
3.	बिहार	7.50	0.00	0.00
4.	गोवा	6.06	0.00	0.00
5.	गुजरात	0.00	0.00	0.00
6.	हरियाणा	167.06	0.00	50.81
7.	हिमाचल प्रदेश	20.08	0.00	0.00
8.	कर्नाटक	4.02	7.57	119.07
9.	केरल	0.22	33.65	0.00
10.	मध्य प्रदेश	10.97	2.59	0.00
11.	महाराष्ट्र	27.75	27.31	24.50

1	2	3	4	5
12.	मेघालय	0.00	0.00	0.00
13.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00
14.	पंजाब	41.69	99.22	37.71
15.	राजस्थान	12.00	111.22	22.50
16.	तमिलनाडु	7.99	14.00	10.59
17.	उत्तर प्रदेश	100.12	12.00	2.04
18.	उत्तराखंड	19.62	0.00	17.50
19.	पश्चिम बंगाल	10.85	0.00	0.00
	कुल	454.59	311.46	304.99

खाद्य सुरक्षा कानून

***111. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:**
डॉ. एम. तम्बिदुरई:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की कार्यविधियों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कानून के अंतर्गत किन-किन लोगों को शामिल किया जाएगा, खाद्यान्न का मूल्य कितना होगा तथा कितना खाद्यान्न प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या प्राथमिकता वाले कुटुम्बों को खाद्यान्न का अधिक कोटा दिए जाने संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की सिफारिश को इसमें शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्राथमिकता वाले कुटुम्ब की पहचान करने के लिए किन-किन मानदंडों को अपनाया गया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 4 जून, 2009 को संसद के संयुक्त अधिवेशन को किए गए संबोधन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नामक एक नया कानून अधिनियमित करने संबंधी की गई घोषणा के अनुसरण में सरकार ने विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणी/सुझावों और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और अध्यक्ष, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अधीन गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक का एक मसौदा तैयार किया है।

इस विधेयक के प्रारूप में कुल ग्रामीण आबादी के 75% तक, (जिसमें कम से कम 46% आबादी प्राथमिकता वाले परिवारों की हो) और 50% तक कुल शहरी आबादी (जिसमें कम से कम 28% आबादी प्राथमिकता वाले परिवारों की हो) को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कवर करने का प्रावधान है। प्राथमिकता वाले परिवारों को अधिकाधिक 3/2/1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से क्रमशः चावल/गेहूं/मोटे अनाज 7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है। सामान्य परिवार 3 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह प्राप्त करने के पात्र होंगे जिसके लिए मूल्य गेहूं और मोटे अनाज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के 50% और चावल के लिए निकाले गए न्यूनतम समर्थन मूल्य के 50% से अधिक नहीं होने चाहिए। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने भी प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए 7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की पात्रता की सिफारिश की है। तथापि, इस परिषद ने एकल सदस्य प्राथमिकता वाले परिवार के लिए कम से कम 14 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह की सिफारिश की है।

इस बिल के मसौदे में यह व्यवस्था है कि केन्द्र सरकार समय-समय पर प्राथमिकता वाले तथा सामान्य परिवारों का पता लगाने संबंधी दिशानिर्देशों को निर्धारित कर सकती है जिसमें इस अधिनियम के तहत उनकी पात्रता संबंधी मापदंड निर्धारित करना भी शामिल है।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय क्षुधा सूचकांक

***112. श्री महेन्द्र कुमार राय:**
डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अल्पपोषित बच्चों के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार अंतर्राष्ट्रीय क्षुधा सूचकांक, 2011 की ओर ध्यान दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत में स्थिति 'चिंताजनक' है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा देश में अल्पपोषण एवं भुखमरी की राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में अन्नपूर्णा ग्रामीण अनाज बैंक तथा क्षुधा/पोषण संबंधी अन्य योजनाओं के अंतर्गत पर्याप्त खाद्यान्न सुनिश्चित करने के लिए लक्षित नीतियों के प्रभाव का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसके लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित तथा खर्च की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने बच्चों तथा समाज के अन्य वंचित वर्गों को पर्याप्त पोषण प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान का ग्लोबल हंगर इंडेक्स 3 समान भार वाले संकेतों पर आधारित है, जो (i) आबादी के प्रतिशत के रूप में कुपोषण के अनुपात द्वारा दर्शाए गए कुपोषित, (ii) उन कम वजन वाले 5 वर्ष की आयु से छोटे बच्चों के अनुपात द्वारा दिखाए गए कम भार वाले बच्चे, (iii) 5 वर्ष की आयु से छोटे बच्चों की मृत्यु दर द्वारा दिखाई गई बाल मृत्यु है। 2011 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत का स्थान 67वां है। 2011 के सूचकांक की गणना 122 देशों के लिए की गई है और इसमें वर्ष 2004 से 2009 के आंकड़े दिखाए गए हैं। कुपोषितों के अनुपात आंकड़े वर्ष 2005 से 2007 के अनुसार हैं। बाल मृत्यु संबंधी आंकड़े 2009 के लिए हैं। सूचकांक पर भारत के अंक 23.7 है जिन्हें उन्होंने चिंताजनक माना है।

सरकार ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स निष्कर्षों को नोट किया है लेकिन आई.एफ.पी.आर.आई. के अध्ययन और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के स्वरूप की कुछ बड़ी सीमाएं हैं। (क) यह विगत के आंकड़ों पर आधारित है और इसमें खाद्यान्नों की उपलब्धता और वितरण में हाल में हुई अत्यधिक वृद्धि को हिसाब में नहीं लिया गया है जो 2009 और 2011 के बीच भारत में हुई है। (ख) यह परस्पर निकटता से जुड़े हुए तीन संकेतकों पर आधारित है जो सभी स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति मुख्यत: बच्चों की स्थिति को दर्शाते हैं तथा समाज में भुखमरी अथवा अनाज तक पहुंच नहीं दर्शाते हैं। (ग) इसमें किसी भी बड़े पैमाने के प्राथमिक फील्ड सर्वेक्षण आदि द्वारा इसकी परीक्षण जांच अथवा वैधता की जांच नहीं की गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2011 राज्यवार क्रम नहीं दर्शाता है लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स के लिए 2008 के आई.एफ.पी.आर. आई. अध्ययन में ऐसे क्रम की सूची दी गई है जो संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) से (च) अनाज की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए लक्षित रणनीतियों के प्रभाव का आकलन करने हेतु सरकार ने योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, ओ.आर.जी. मार्ग, राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण पर कुछ मूल्यांकन अध्ययन करवाए हैं। इन अध्ययनों के निष्कर्ष सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजे गए हैं। ग्रामीण अनाज बैंक का मूल्यांकन भी एक स्वतंत्र एजेंसी, मैसर्स जी.एफ.के. मोड द्वारा करवाया गया था। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा एक और अध्ययन किया गया था। इन मूल्यांकन

अध्ययनों के निष्कर्षों से पता चला है कि ग्रामीण अनाज बैंक की मौजूदगी से उन परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा में काफी सुधार आया है जो इस स्कीम से पहले अनाज की कमी का सामना कर रहे थे। इस स्कीम के कारण लोगों ने कमी के मौसम के दौरान पलायन करना बंद कर दिया है। तथापि, अब तक अन्नपूर्णा के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

देश में भुखमरी के मुद्दे को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को पर्याप्त अनाज मिले, सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ मिलकर कई स्कीमें क्रियान्वित कर रही है। एक ऐसी स्कीम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसके अधीन 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर 2.5 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित 6.52 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की कुल संख्या के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है। इसके अलावा स्टाक की उपलब्धता और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए विगत के उठान पर निर्भर करते हुए राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए भी खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है। सरकार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के जरिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्नपूर्णा स्कीम और ग्रामीण अनाज बैंक योजना जैसी अन्य कल्याण योजनाएं भी क्रियान्वित करती है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आबंटन और उठान, अन्य कल्याण योजनाओं और अन्नपूर्णा तथा ग्रामीण अनाज बैंक योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण II से IV में दिया गया है।

बच्चों और गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं को पर्याप्त पोषाहार प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सहयोग से एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम नामक विशेष योजना क्रियान्वित की जा रही है। स्कीम में 6 सेवाओं नामतः अनुपूरक पोषाहार, विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषाहार और स्वास्थ्य, शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाओं का एक पैकेज प्रदान किया गया है। इस स्कीम को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक रिहाइशों में विशेष ध्यान देकर सर्वसुलभ बनाया गया है। इस सेवा में 950 लाख लाभार्थियों को कवर किया गया है जिनमें से 770 लाख बच्चे हैं और 180 लाख गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताएं हैं। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोरियों के समग्र विकास के लिए भी स्कीम क्रियान्वित कर रहा है जिसमें पोषाहार, स्वास्थ्य जांच और रेफरेल सेवाओं, पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण के लिए परामर्श और दिशा-निर्देश आदि के लिए प्रावधान है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 52 जिलों में परीक्षण आधार पर 2010-11 से लागू और शुरू की गई इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना नामक एक और नई स्कीम है जिसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषाहार के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक बच्चों के लिए एक मध्याह्न भोजन योजना भी है जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण I

(भारत के राज्यों का भुखमरी सूचकांक)

(आईएफपीआरआई रिपोर्ट 2008 के पृष्ठ 15 से पुनः निर्मित)

क्र.सं.	राज्य का नाम	भारत का भुखमरी सूचकांक रैंक
1.	पंजाब	1
2.	केरल	2
3.	आंध्र प्रदेश	3
4.	असम	4
5.	हरियाणा	5
6.	तमिलनाडु	6
7.	राजस्थान	7
8.	पश्चिम बंगाल	8
9.	उत्तर प्रदेश	9
10.	महाराष्ट्र	10
11.	कर्नाटक	11
12.	उड़ीसा	12
13.	गुजरात	13
14.	छत्तीसगढ़	14
15.	बिहार	15
16.	झारखंड	16
17.	मध्य प्रदेश	17

विवरण II

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याण योजनाओं के तहत खाद्यानों का आवंटन और उठान

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सामान्य आवंटन और उठान

(टन में)

श्रेणी	2009-10		2010-11		2011-12 (सितम्बर, 2011 तक)	
	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
अंत्योदय अन्न योजना	101.96	97.94	102.29	96.55	51.21	49.92
गरीबी रेखा से नीचे	174.13	165.45	174.49	174.49	87.18	90.84
गरीबी रेखा से ऊपर	199.94	160.63	198.69	166.16	100.97	78.53
जोड़	476.03	424.03	475.47	437.20	239.36	219.29

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अतिरिक्त आवंटन और उठान

(लाख टन में)

वर्ष	आवंटन	उठान
2009-10	36.08	9.22
2010-11	105.66	59.72
2011-12 (15.10.2011 तक)	123.67	30.79

अन्य कल्याण योजनाएं

(लाख टन)

वर्ष	आवंटन	उठान*
2009-10	42.11	35.34
2010-11	50.10	39.23
2011-12	48.46	18.84

*सितम्बर, 2011 तक उठान

विवरण III

वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान अन्नपूर्णा योजना के तहत खाद्यानों का आवंटन औा उठान

(आंकड़े हजार टन में)

		2008-2009						2009-2010					
		आवंटन			उठान			आवंटन			उठान		
क्र.सं	राज्य	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	11.184	0.000	11.184	11.104	0.000	11.104	11.180	0.000	11.180	10.864	0.000	10.864
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.571	0.000	0.571	0.377	0.000	0.377	0.571	0.000	0.571	0.312	0.000	0.312
3.	असम	8.270	0.000	8.270	2.062	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	बिहार	7.997	11.995	19.992	6.968	10.857	17.825	7.997	11.995	19.992	7.771	9.820	17.591
5.	छत्तीसगढ़	3.200	0.000	3.200	0.000	0.000	0.000	2.390	0.000	2.390	0.000	0.000	0.000
6.	दिल्ली	0.000	0.018	0.018	0.000	0.001	0.001	0.000	0.018	0.018	0.000	0.000	0.000
7.	गोवा	0.090	0.000	0.090	0.034	0.000	0.034	0.090	0.000	0.090	0.049	0.000	0.049
8.	गुजरात	0.000	1.000	1.000	0.048	0.927	0.975	0.000	1.000	1.000	0.037	0.998	1.035
9.	हरियाणा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10.	हिमाचल प्रदेश	0.765	0.000	0.765	0.347	0.000	0.347	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11.	जम्मू और कश्मीर	1.226	0.000	1.226	0.863	0.000	0.863	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12.	झारखंड	6.593	0.000	6.593	6.036	0.000	6.036	6.593	0.000	6.593	6.552	0.000	6.552
13.	कर्नाटक	8.165	0.000	8.165	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
14.	केरल	5.400	0.000	5.400	5.351	0.000	5.351	5.400	0.000	5.400	5.400	0.000	5.400
15.	मध्य प्रदेश	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16.	महाराष्ट्र	5.400	9.000	14.400	4.798	7.254	12.052	5.400	9.000	14.400	4.445	6.210	10.655
17.	मणिपुर	1.030	0.000	1.030	1.030	0.000	1.030	1.029	0.000	1.029	0.515	0.000	0.515
18.	मेघालय	1.112	0.000	1.112	1.106	0.000	1.106	1.080	0.000	1.080	1.080	0.000	1.080
19.	मिजोरम	0.310	0.000	0.310	0.259	0.000	0.259	0.310	0.000	0.310	0.311	0.000	0.311
20.	नागालैण्ड	0.807	0.000	0.807	0.809	0.000	0.809	0.000	0.000	0.000	0.513	0.000	0.513
21.	उड़ीसा	7.776	0.000	7.776	7.652	0.000	7.652	7.676	0.000	7.676	7.384	0.000	7.384
22.	पंजाब	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23.	राजस्थान	0.000	12.635	12.635	0.000	11.574	11.574	0.000	11.522	11.522	0.000	10.836	10.836
24.	सिक्किम	0.300	0.000	0.300	0.300	0.000	0.300	0.300	0.000	0.300	0.300	0.000	0.300
25.	तमिलनाडु	8.640	0.000	8.640	4.994	0.000	0.994	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
26.	त्रिपुरा	1.782	0.000	1.782	1.736	0.000	1.736	1.782	0.000	1.782	1.785	0.000	1.785
27.	उत्तर प्रदेश	0.000	42.000	42.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
28.	उत्तराखंड	1.261	0.000	1.261	0.165	0.000	1.165	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
29.	पश्चिम बंगाल	9.602	0.000	9.602	8.055	0.000	8.055	9.602	0.000	9.602	7.230	0.000	7.230
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.060	0.000	0.060	0.020	0.000	0.020	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
31.	चण्डीगढ़	0.000	0.060	0.060	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
32.	दादरा और नगर हवेली	0.046	0.000	0.046	0.000	0.000	0.000	0.037	0.000	0.037	0.000	0.000	0.000
33.	दमन और दीव	0.010	0.000	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
34.	लक्षद्वीप	0.010	0.000	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
35.	पुदुचेरी	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	सकल जोड़	91.607	76.708	168.315	64.114	30.613	94.727	61.437	33.535	94.972	54.548	27.864	82.412

विवरण IV

वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान अन्नपूर्णा योजना के तहत खाद्यानों का आवंटन और उठान

(आंकड़े हजार टन में)

		2010-2011						2011-2012					
		आवंटन			उठान			आवंटन			उठान		
क्र.सं	राज्य	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	0	11.184	11.184	0	11.128	11.128		11.184	11.184	0	5.736	5.736
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0.286	0.286	0	0.210	0.210			0	0	0	0
3.	असम	0	8.270	8.270	0	3.763	3.763		2.068	2.068	0	1.143	1.143
4.	बिहार	11.995	7.997	19.992	9.630	6.622	16.252	2.999	1.999	4.998	2.731	1.647	4.378
5.	छत्तीसगढ़	0	3.200	3.200	0	1	1.044	11	2.408	2.408	0	0.981	0.981
6.	दिल्ली	0.009	0	0.009	0	0	0	0.005		0.005	0	0	0
7.	गोवा	0	0.090	0.090	0	0.040	0.04		0.081	0.081	0	0.011	0.011
8.	गुजरात	0.500	0	0.500	0.499	0.023	0.522	0.576	0	0.576	0.237	0	0.237
9.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0.765	0.765	0	0.298	0.298		0.191	0.191	0	0.064	0.064
11.	जम्मू और कश्मीर	0	0.306	0.306	0	0.301	0.301		1.102	1.102	0	0.462	0.462
12.	झारखंड	0	6.593	6.593	0	6.729	6.729		6.593	6.593	0	2.534	2.534
13.	कर्नाटक	0	0	0	0	0.000	0			0	0	0	0
14.	केरल	0	5.400	5.400	0	5.394	5.394		1.350	1.350	0	1.357	1.357
15.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
16.	महाराष्ट्र	9.000	5.400	14.400	7.009	4.282	11.291	9.000	5.400	14.400	1.621	0.833	2.454
17.	मणिपुर	0	1.030	1.030	0	1.030	1.03		1.030	1.030	0	0.499	0.499
18.	मेघालय	0	1.112	1.112	0	0.706	0.706		1.112	1.22	0	0.646	0.646
19.	मिजोरम	0	0.310	0.310	0	0.312	0.312		0.310	0.310	0	0.156	0.156
20.	नागालैण्ड	0	0.807	0.807	0	0.807	0.807		0.807	0.807	0	0.202	0.202
21.	उड़ीसा	0	7.776	7.776	0	8.390	8.39		7.776	7.776	0	4.361	4.361
22.	पंजाब	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
23.	राजस्थान	12.635	0	12.635	11.896	0	11.896	10.794		10.794	2.674	0	2.674
24.	सिक्किम	0	0.300	0.300	0	0.300	0.300		0.300	0.300	0	0.139	0.139
25.	तमिलनाडु	0	8.640	8.640	0	8.061	8.061		2.899	2.899	0	2.133	2.133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26.	त्रिपुरा	0	1.782	1.782	0	1.726	1.726		1.782	1.782	0	0.942	0.942
27.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
28.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
29.	पश्चिम बंगाल	0	9.602	9.602	0.114	7.204	7.318		2.401	2.401	0	1.599	1.599
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.060	0.060	0	0	0		0.015	0.015	0	0.015	0.015
31.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0.023	0.023	0	0	0			0	0	0	0
33.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	सकल जोड़	34.139	80.933	115.072	29.148	68.370	97.518	23.374	50.808	74.182	7.263	25.460	32.723

विवरण V

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2011-12 के दौरान ग्रामीण अनाज बैंक योजना के तहत खाद्यानों के आवंटन और नकदी की स्वीकृति

क्र.सं	राज्य	वर्ष							
		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		खाद्यान्न (टन में)	नकदी घटक (रुपए में)	खाद्यान्न (टन में)	नकदी घटक (रुपए में)	खाद्यान्न (टन में)	नकदी घटक (रुपए में)	खाद्यान्न (टन में)	नकदी घटक (रुपए में)
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	6512	1,91,03,530	–	–	–	–
2.	मध्य प्रदेश	5996	1,82,87,800	–	–	5824	1,77,63,200	–	–
3.	मणिपुर	404	12,32,200	–	–	–	–	–	–
4.	नागालैंड	–	–	744	22,69,200	172	5,24,600	1028	31,35,400
5.	उड़ीसा	–	–	–	–	584	2,92,800	–	–
6.	त्रिपुरा	104	3,12,400	–	–	256	7,80,800	–	–
7.	उत्तर प्रदेश	3124	65,63,200	–	–	–	–	–	–
8.	उत्तराखंड	–	–	–	–	–	–	220	6,71,000
9.	पश्चिम बंगाल	–	–	1600	48,80,000	–	–	3080	93,94,000

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं

***113. श्रीमती भावना पाटील गवली:**
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पड़ोसी/विकसित देशों की तुलना में भारत में खाद्य प्रसंस्करण का वर्तमान स्तर निम्न है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं के अभाव में कितना खाद्यान्न बर्बाद हुआ है;

(घ) क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात में भारत का हिस्सा बहुत कम है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हासिल की गईं हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार करने तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) अन्य पड़ोसी/विकसित देशों की तुलना में भारत में खाद्य प्रसंस्करण के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए कोई तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केंद्रीय फसलोत्तर इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना (2010 में प्रकाशित) द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार राष्ट्र स्तर पर प्रमुख कृषि उपजों की फसल और फसलोत्तर हानियों के अनुमानित आर्थिक मूल्य की वर्ष 2009 की थोक कीमतों के आधार पर गणना की गई है और इनकी राशि लगभग 44,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात (मांस एवं मांस से तैयार पदार्थों, मछली, क्रस्टेशियन्स एवं मोलस्क और उनसे तैयार पदार्थ, अनाज और अनाज से तैयार पदार्थ, सब्जियां और फल, चीनी, चीनी से बने पदार्थ और शहद, कॉफी/चाय/कोको, मसाले और विनिर्मित पदार्थ) में भारत का हिस्सा वर्ष 2008 में (आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 में उद्धृत यूनाइटेड नेशन्स, 2008 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सांख्यिकी वर्ष पुस्तक, यू.एन. -2009 के अनुसार) अनुमानतः 1.98% है।

(ङ) वर्ष 2008 में सभी वस्तुओं के निर्यात में भारत का हिस्सा (आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 के अनुसार) 1.1% था। तुलनात्मक रूप से, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात का हिस्सा अधिक था।

(च) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 2007-2010 की अवधि के दौरान औसतन 8% से अधिक की वार्षिक दर से वृद्धि कर रहा है।

(छ) सरकार ने 11वीं योजना में मेगा खाद्य पार्कों, शीत श्रृंखला की स्थापना करने तथा बूचड़खानों का निर्माण एवं आधुनिकीकरण करने, नए खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना करने, विद्यमान संयंत्रों में प्रौद्योगिकी उन्नयन करने के लिए अनेक स्कीमें तथा दक्षता विकास में सुधार करने के लिए स्कीमें भी शुरू की हैं। इन स्कीमों में निजी क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान है।

[अनुवाद]

शहरी विकास का विनियमन

***114. श्री आर. थामराईसेलवन:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शहरी विकास के विनियमन के लिए वर्तमान में क्या तंत्र मौजूद है;

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के समान शहरी विकास विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न पक्षधारकों से परामर्श किया है;

(ङ) यदि हां, तो उनके विचार क्या हैं और इस प्राधिकरण द्वारा कब तक काम शुरू किए जाने की संभावना है; और

(च) सरकार द्वारा देश में शहरी विकास के विनियमन के लिए अन्य क्या उपाय किए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) शहरी विकास राज्य का विषय है और इसलिए इसे प्रत्येक राज्य द्वारा उनके ग्राम एवं नगर नियोजन अधिनियमों के माध्यम से विनियमित किया जाता है। इस उद्देश्य हेतु शहरों के लिए मास्टर प्लान, राज्य ग्राम एवं नगर नियोजन अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं। ये मास्टर प्लान अनुमानित जनसंख्या को खपाने के लिए अनुमानित जनसंख्या एवं भूमि की आवश्यकता पर आधारित होते हैं।

(ख) शहरी विकास मंत्रालय का विचार भारत दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की तरह शहरी विकास नियामक प्राधिकरण स्थापित करने का नहीं है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(च) आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने रीयल एस्टेट (विनियम एवं विकास) विधेयक, 2011 का मसौदा परिचालित किया है जिसमें रीयल एस्टेट के विनियम एवं नियोजित विकास के लिए एक रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण स्थापित करने का उल्लेख है।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत उपलब्धियां

***115. श्री के.पी. धनपालनः**

श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन मार्च, 2012 में अपना प्रथम चरण पूरा करने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न राज्यों में शहरी अवसंरचना के संबंध में इस मिशन के अंतर्गत क्या मुख्य उपलब्धियां रही हैं;

(ग) मिशन के प्रथम चरण में अब तक राज्य-वार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मिशन को आगे भी जारी रखने का है ताकि देश के शहरों/कस्बों में मूल-भूत सुविधाओं में सुधार किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) जी हां। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) सात वर्षीय मिशन है जिसकी कार्य अवधि वर्ष 2005-06 से शुरू होकर 2011-12 तक है। यह सुधार प्रधान मिशन है जिसका उद्देश्य शहरी अवसंरचना की कार्यकुशलता में सुधार लाने, सेवा सुपुर्दगी तंत्र, सामुदायिक सहभागिता और नागरिकों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों (यू.एन.बी.)/पैरास्टेटल एजेंसियों की जवाबदेही पर ध्यान संकेन्द्रित करते हुए देश भर के शहरों का तेजी से विकास करना है। समग्र मिशन अवधि अर्थात 2005-2012 के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के संघटक शहरी अवसंरचना और शासन (यू.आई.जी.) के लिए परिव्यय के रूप में 31,500 करोड़ रुपए तथा जे.एन.एन.यू.आर.एम. के छोटे तथा मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के लिए 11400 करोड़ रु. का प्रावधान है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. के अंतर्गत 28034.81 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) की वचनबद्धता के साथ अभी तक 537 परियोजना स्वीकृत की गई है और जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत स्वीकृत बसों की खरीद हेतु 2088.85 करोड़ रु. की वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए कुल वचनबद्ध ए.सी.ए. 30123.66 करोड़ रुपए है और इस प्रकार नियतन के 95 प्रतिशत से अधिक की वचनबद्धता की गई है। अब तक 110 परियोजनाएं वास्तविक रूप से पूरी हुई सूचित की गई हैं और बाकी 426 परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों पर होनी सूचित की गई हैं। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के संघटक यू.आई.ई.जी. के अंतर्गत जारी की गई राज्य-वार निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत अभी तक 10957.32 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) की वचनबद्धता के साथ 788 परियोजनाएं अनुमोदित की गई है और इस प्रकार 96 प्रतिशत से अधिक के आबंटन की वचनबद्धता की गई है। अब तक 138 परियोजनाओं की वास्तविक रूप से पूर्ण होने की सूचना दी गई है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत राज्य-वार जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने 20 वर्ष की अवधि के लिए शहरी अवस्थापना सेवाओं के लिए निवेश संबंधी जरूरतों का आकलन करने के लिए डा. ईशर जज अहलुवालिया की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अगले चरण की कार्ययोजना एवं पहल-प्रयासों पर अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल आबंटन (मूल तथा अतिरिक्त)	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित लागत (लाख रुपए में)	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) (लाख रुपए में)	जारी एसीए (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	211,845.00	50	488,153.01	205,346.38	139,967.85
2.	अरूणाचल प्रदेश	10,740.00	3	18,048.20	16,243.38	8,504.30
3.	असम	27,320.00	2	31,610.71	28,449.64	24,338.51
4.	बिहार	59,241.00	8	71,181.41	39,475.73	9,858.94
5.	चंडीगढ़	27,087.00	3	19,119.60	15,297.68	2,684.64
6.	छत्तीसगढ़	24,803.00	1	30,364.00	24,291.20	21,862.08
7.	दिल्ली	282,318.00	28	719,708.00	251,896.90	62,977.58
8.	गोवा	12,094.00	1	362.25	289.80	72.45
9.	गुजरात	257,881.00	71	549,323.60	238,574.60	170,097.08
10.	हरियाणा	32,332.00	4	69,720.70	34,860.35	17,788.48
11.	हिमाचल प्रदेश	13,066.00	4	15,323.06	11,759.25	3,141.62
12.	जम्मू और कश्मीर	48,836.00	4	53,152.00	46,946.80	18,778.73
13.	झारखंड	94,120.00	5	79,485.72	49,936.58	12,484.15
14.	कर्नाटक	152,459.00	46	369,044.80	145,138.11	84,305.75
15.	केरल	67,476.00	11	99,789.00	64,554.60	20,025.20
16.	मध्य प्रदेश	132,850.00	23	245,921.54	125,920.25	64,255.92
17.	महाराष्ट्र	550,555.00	79	1,149,382.75	513,373.97	366,203.97
18.	मेघालय	15,287.00	3	15,395.66	13,856.10	5,196.20
19.	मणिपुर	15,668.00	2	21,795.72	19,616.15	7,846.46
20.	मिजोरम	14,822.00	1	1,681.80	1,513.62	1,135.23
21.	नागालैंड	11,628.00	3	11,594.13	10,434.72	3,517.90
22.	उड़ीसा	32,235.00	5	81,197.66	63,712.53	21,987.35
23.	पुदुचेरी	70,775.00	6	72,539.00	36,269.50	14,672.88
24.	पंजाब	20,680.00	2	25,306.00	20,244.80	7,250.20
25.	राजस्थान	74,869.00	13	122,773.11	76,555.00	42,493.38
26.	सिक्किम	10,613.00	2	9,653.67	8,688.30	4,013.51

1	2	3	4	5	6	7
27.	तमिलनाडु	225,066.00	48	530,128.28	212,676.48	104.79204
28.	त्रिपुरा	14,018.00	2	18,047.00	16,043.40	4,010.85
29.	उत्तर प्रदेश	276,941.00	33	536,361.94	269,660.51	178,491.90
30.	उत्तरांचल	40,534.00	14	40,256.22	31,809.10	16,942.47
31.	पश्चिम बंगाल	321,840.00	60	574,049.87	210,045.22	94,219.98
	कुल	3,150,000.00	537	6,070,470.41	2,803,480.64	1,533,917.60

विवरण II

यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत उपलब्ध आबंटन तथा बचनबद्ध/जारी एसीए, स्वीकृत तथा पूर्ण परियोजनाओं की राज्य-वार स्थिति

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	मिशन हेतु आबंटन	कस्बों/ शहरों की सं.	परियोजनाओं की सं.	अनुमोदित लागत	अबतक की गई कुल बचनबद्धता (कालम (7+11)	वित्त मंत्रालय/ गृह मंत्रालय द्वारा जारी कुल एसीए (प्रोत्साहन सहित)	पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	490.31	69	84	2459.96	1991.57	1731.76	21
2.	अरूणाचल प्रदेश	7.46	9	9	39.36	35.42	17.71	0
3.	असम	101.29	28	30	207.83	189.53	99.56	0
4.	बिहार	254.78	11	11	261.14	211.20	106.74	0
5.	छत्तीसगढ़	134.78	3	4	251.44	134.73	91.84	0
6.	गोवा	22.11	3	3	28.75	22.11	11.06	0
7.	गुजरात	351.82	52	52	438.14	351.96	304.07	8
8.	हरियाणा	195.59	7	8	164.08	132.78	67.15	0
9.	हिमाचल प्रदेश	17.44	4	7	61.68	49.62	27.67	2
10.	जम्मू और कश्मीर	35.45	13	45	398.67	362.94	183.54	0
11.	झारखंड	114.52	4	5	96.47	78.62	40.03	0
12.	कर्नाटक	443.14	30	38	682.49	551.16	468.62	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	केरल	232.82	22	25	427.79	345.32	173.41	0
14.	मध्य प्रदेश	438.43	42	57	1076.54	863.49	478.23	6
15.	महाराष्ट्र	664.76	84	94	2744.44	2204.10	1669.38	1
16.	मणिपुर	12.60	5	5	62.77	56.70	28.45	0
17.	मेघालय	7.19	2	2	14.33	12.90	6.45	0
18.	मिजोरम	8.24	2	2	15.55	14.00	7.00	0
19.	नागालैंड	10.28	1	1	4.24	3.82	1.91	00
20.	उड़ीसा	181.79	13	17	225.03	181.72	91.70	0
21.	पंजाब	226.60	14	17	395.77	317.85	179.36	0
22.	राजस्थान	401.43	35	37	609.89	490.63	284.22	8
23.	सिक्किम	1.20	5	5	39.93	36.17	18.20	0
24.	तमिलनाडु	705.97	115	123	882.73	706.18	560.40	85
25.	त्रिपुरा	13.76	4	4	78.17	71.00	35.82	0
26.	उत्तर प्रदेश	947.92	46	64	1169.63	944.47	766.31	1
27.	उत्तरांचल	46.70	1	1	61.73	49.39	24.69	0
28.	पश्चिम बंगाल	315.25	34	35	613.34	494.14	301.30	3
29.	दिल्ली	1.12	0	0	0.00	0.00	0.00	0
30.	पुदुचेरी	5.57	1	1	39.18	31.34	15.67	0
31.	अंडमान और निकोबार	4.48	0	0	0.00	0.00	0.00	0
32.	चंडीगढ़	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0
33.	दादरा एवं नगर हवेली	1.93	1	1	18.65	14.92	7.46	0
34.	लक्षद्वीप	1.04	0	0	0.00	0.00	0.00	0
35.	दमन और दीव	2.20	1	1	9.42	7.54	0.31	0
	कुल	6400*	661	788	13579.13	10957.32	7800.02	138

*प्रारम्भ में 6400 करोड़ रुपये प्रदान किए गए जिन्हें राज्यवार वितरित किया गया था। 2008-09 के दौरान 5000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबंटन प्रदान किया गया जो राज्यवार वितरित नहीं किया गया था। यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत कुल आबंटन 11400 करोड़ रुपये है।

मलिन बस्तियों का विकास

***116. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:**
डा. सुचारू रंजन हल्दर:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों के विकास के लिए कौन-कौन सी योजनाएं; दिशा-निर्देश तथा व्यापक योजना विद्यमान हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पलायन के कारण महानगरों में मलिन बस्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त वृद्धि को रोकने, पलायन करने वालों के पुनर्वास के लिए तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर देश को मलिन बस्ती मुक्त बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा मलिन बस्तियों में रहने वालों को विभिन्न मूल-भूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) उक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उक्त प्रयोजनार्थ शहर-वार/नगर-वार तथा राज्य-वार कितनी धनराशि मंजूर एवं जारी की गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) जिसका शुभारंभ वर्ष 2005 में किया गया था, के घटकों यानी शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं (बी.एस.यू.पी.) और एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के तहत स्लमों के सुधार/उन्नयन/विकास के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.) जिसका शुभारंभ जून, 2011 में किया गया था, का उद्देश्य भी उन राज्यों को उपर्युक्त कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराना है जो स्लम वासियों को संपति का अधिकार सौंपने के इच्छुक हैं। स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जनगणना 2001 में देश में स्लम आबादी की गणना की गई थी। जनगणना 2011 में भी स्लम आबादी की गणना की गई है लेकिन स्लमों के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। इसलिए पिछले तीन वर्षों में महानगरों में स्लम आबादी/स्लमों में वृद्धि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं (बी.एस.यू.पी.), एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) और राजीव आवास योजना का उद्देश्य निम्नलिखित पर जोर देकर बहुमुखी दृष्टिकोण अपनाते हुए स्लम मुक्त भारत का निर्माण करना है:

(i) अधिसूचित अथवा गैर-अधिसूचित मौजूदा सभी स्लमों को औपचारिक प्रणाली के अंतर्गत लाना और उन्हें शेष कस्बे को उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के समरूप सुविधाएं प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाना है;

(ii) औपचारिक प्रणाली की असफलता जिसकी वजह से स्लम बनते हैं, को दूर करना; और

(ङ) कुल अपेक्षित निधि स्लमवार परियोजना ब्यौरों पर निर्भर करेगी। शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं (बी.एस.यू.पी.), एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष स्वीकृत और जारी निधियों का राज्यवार/शहरवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है। स्लम मुक्त शहर योजना हेतु राजीव आवास योजना-आरम्भिक चरण के तहत जारी निधियों का ब्यौरा विवरण-IV के रूप में संलग्न है।

विवरण I

(i) **जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)** सरकार द्वारा शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधा (बी.एस.यू.पी.) कार्यक्रम के तहत देश में चुनिंदा 65 शहरों में शहरी गरीबों हेतु आवास और अवस्थापना सुविधाओं के लिए शहरों और कस्बों की सहायता करने के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) का शुभारंभ किया गया था। अन्य शहर एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के तहत शामिल हैं। शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधा (बी.एस.यू.पी.) और आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) दिसंबर 2005 से लागू हैं। जे.एन.एन.यू.आर.एम. की अवधि 7 वर्ष अर्थात् 2005-12 है। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देश में शहरी गरीबों के लिए आवास और अवस्थापना सुविधाओं हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी की जाती है। यह सहायता स्वीकार्य घटकों के 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक है।

(ii) **राजीव आवास योजना:** स्लम मुक्त भारत के उद्देश्य से 2 जून 2011 को 'राजीव आवास योजना' (रे) नामक एक नई स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत उन राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने का प्रावधान है जो स्लम पुनर्विकास के लिए उपयुक्त आश्रय, बुनियादी नागरिक एवं सामाजिक सेवाओं के प्रावधान तथा किफायती आवासों के निर्माण के लिए स्लमवासियों को संपति का अधिकार सौंपने के इच्छुक हों। राजीव आवास योजना के दिशा-निर्देशों में 'समग्र शहर' 'समग्र स्लम' 'सभी स्लम' दृष्टिकोण का उल्लेख है तथा यह स्कीम राज्य विशेष की तैयारी, राज्य तथा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अंशदान जुटाने तथा शहरी स्तर पर कार्यान्वयन क्षमता को देखते हुए राज्यों द्वारा तय गति से कार्यान्वित की जाएगी। इस स्कीम के तहत समग्र देश में लगभग 250 शहरों को शामिल करने का अनुमान है।

विवरण II

जेएनएनयूआरएम शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं (उप मिशन-II)

16.11.2011 की स्थिति

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09			2009-10			2010-11		
		अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	जारी एसीए	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	जारी एसीए	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	जारी एसीए
1	2	9	4	[illegible]	6	1	[illegible]	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1302.40	650.50	211.57			240.89			306.93
2.	अरूणाचल प्रदेश	45.15	40.59	0.00			10.99			0.84
3.	असम	54.49	49.04	0.00			24.40			12.26
4.	बिहार	342.27	133.22	33.30			0.00			
5.	छत्तीसगढ़	28.79	23.03	0.00	42.25	29.77	83.80			7.44
6.	चंडीगढ़			94.03			89.91			38.28
7.	दिल्ली	127.32	52.8	15.78			0	1905.13	893.88	183.69
8.	गोवा			0.00						
9.	गुजरात	168.02	78.75	175.34	216.19	103.22	137.25	27.61	12.49	158.44
10.	हरियाणा			15.59						7.79
11.	हिमाचल प्रदेश			0.00						
12.	जम्मू और कश्मीर	57.22	49.56	7.47			4.92			3.19
13.	झारखंड	175.38	118.69	9.67			1.80	159.71	77.15	37.48
14.	कर्नाटक	236.91	134.99	21.88			74.37			49.97
15.	केरल	39.55	31.18	0.00			24.00			50.72
16.	मध्य प्रदेश	183.98	87.59	17.80			51.63			56.65
17.	महाराष्ट्र	1363.23	705.34	436.48	943.11	467.99	232.55			293.87
18.	मेघालय	21.30	16.58	0			10.09			
19.	मणिपुर	51.23	43.91	0			10.98			
20.	मिजोरम	56.99	51.20	0			12.80			7.23
21.	उड़ीसा	7.45	5.41	1.35			0			9.95
22.	पंजाब			0			8.32			9.04
23.	पुदुचेरी			0	92.00	50.89	13.78			1.07
24.	सिक्किम	30.33	26.26	0			6.56			7.96
25.	नागालैंड			11.01			0			26.40
26	राजस्थान			0			0	181.5	88.11	43.17

1	2	9	4	S	6	1	s	9	10	11
27	तमिलनाडु	193.21	94.44	57.83			126.71			162.36
28	त्रिपुरा			3.49			6.98			
29	उत्तर प्रदेश	1893.13	937.76	235.57			71.14	11.67	5.40	284.49
30	उत्तराखंड	13.24	9.93	3.20	49.91	37.33	0.00			10.61
31	पश्चिम बंगाल	881.74	440.87	211.13			87.84	710.33	355.17	150.33
		7273.33	3781.64	1562.49	1343.46	689.20	1331.73	2995.95	1432.20	1920.16

जेएनएनयूआरएम-शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं (उप मिशन-II) कुल अनुमोदित परियोजनाएं (2008-2009)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मिशन शहर	अनुमोदित परियोजनाएं	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित रिहायशी मकानों की कुल संख्या (नए + उन्नयन)	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	10	876.60	25196	438.19
2.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	2	195.94	6400	97.97
3.	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	5	229.86	9103	114.34
	उप-योग	3	17	1302.40	40699	650.50
1.	असम	गुवाहाटी	1	54.49	1028	49.04
	उप-योग	1	1	54.49	1028	49.04
1.	अरूणाचल प्रदेश	ईटानगर	1	45.15	752	40.59
	उप-योग	1	1	45.15	752	40.59
1.	छत्तीसगढ़	रायपुर	1	28.79	888	23.03
	उप-योग	1	1	28.79	888	23.03
1.	बिहार	पटना	9	342.27	7776	133.22
	उप-योग	1	9	342.27	7776	133.22

1	2	3	4	5	6	7
1.	दिल्ली	दिल्ली	2	127.32	2848	52.80
	उप-योग	1	2	127.32	2848	52.80
1.	गुजरात	सूरत	2	53.24	1916	23.03
2.	गुजरात	बडोदरा	1	114.78	5664	55.72
	उप-योग	2	3	168.02	7580	78.75
1.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	2	34.85	847	29.87
2.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	1	22.38	622	19.69
	उप-योग	2	3	57.22	1469	49.56
1.	झारखण्ड	रांची	3	123.09	3558	93.79
2.	झारखण्ड	जमशेदपुर	1	15.09	336	7.19
3.	झारखण्ड	धनबाद	2	37.20	1114	17.71
	उप-योग	3	6	175.38	5008	118.69
1.	कर्नाटक	बंगलौर	9	136.79	3426	62.18
2.	कर्नाटक	मैसूर	2	100.12	2846	72.81
	उप-योग	2	11	236.91	6272	134.99
1.	केरल	तिरूवनंतपुरम	1	39.55	1369	31.18
	उप-योग	1	1	39.55	1369	31.18
1.	मध्य प्रदेश	भोपाल	2	102.44	5157	48.76
2.	मध्य प्रदेश	इंदौर	1	81.54	3000	38.83
	उप-योग	2	3	183.98	8157	87.59
1.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	3	247.26	4610	112.39
2.	महाराष्ट्र	नागपुर	7	630.82	11065	286.26
3.	महाराष्ट्र	नांदेड़	6	315.95	7119	229.78
4.	महाराष्ट्र	पुणे	2	169.19	4672	76.91
	उप-योग	4	18	1363.23	27466	705.34

1	2	3	4	5	6	7
1.	मणिपुर	इंफाल	1	51.23	1250	43.91
	उप-योग	1	1	51.23	1250	43.91
1.	मेघालय	शिलोंग	1	21.30	168	16.58
	उप-योग	1	1	21.30	168	16.58
1.	मिजोरम	आइजवाल	2	56.99	688	51.20
	उप-योग	1	2	56.99	688	51.20
1.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	1	7.45	192	5.41
	उप-योग	1	1	7.45	192	5.41
1.	तमिलनाडु	चेन्नइ	8	126.11	2582	61.06
2.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	12	34.84	1567	17.37
3.	तमिलनाडु	मदुरई	7	32.26	1562	16.01
	उप-योग	3	27	193.21	5711	94.44
1.	सिक्किम	गंगटोक	2	30.33	202	26.26
	उप-योग	1	2	30.33	202	26.26
1.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	4	65.12	1371	30.15
2.	उत्तर प्रदेश	आगरा	8	571.72	15553	265.80
3.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	6	149.99	3516	70.19
4.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	6	209.52	4358	155.17
5.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	11	329.49	7869	152.39
6.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	11	326.98	7802	152.81
7.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	9	240.31	5771	111.25
	उप-योग	7	55	1893.13	46240	937.76
1.	उत्तराखंड	देहरादून	4	13.24	249	9.93
	उप-योग	1	4	13.24	249	9.93
1.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	11	636.51	15998	318.26
2.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	4	245.23	8874	122.61
	उप-योग	2	15	881.74	24872	440.87
	0	42	184	7273.34	190884	3781.62

1	2	3	4	5	6	7
1.	छत्तीसगढ़	रायपुर	1	42.25	1136	29.77
	उप-योग	1	1	42.25	1136	29.77
1.	गुजरात	राजकोट		0.00	0	0.00
2.	गुजरात	सूरत	1	60.95	2240	28.39
3.	गुजरात	बडोदरा	1	155.24	6096	74.83
	उप-योग	2	2	216.19	8336	103.22
1.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	3	601.33	7087	261.34
2.	महाराष्ट्र	नांदेड	2	341.79	7236	206.64
	उप-योग	2	5	943.11	14323	467.99
1.	पुदूचेरी	पुदूचेरी	1	92.00	1660	50.89
	उप-योग	1	1	92.00	1660	50.89
1.	उत्तराखंड	देहरादून	3	39.42	885	30.36
2.	उत्तराखंड	नैनीताल	1	10.49	141	6.97
	उप-योग	2	4	49.91	1026	37.33
		8	13	133.47	26481	689.20

जेएनएनयूआरएम-शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं (उप मिशन-II कुल अनुमोदित परियोजनाएं (2010.2011)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मिशन शहर	अनुमोदित परियोजनाए	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित रिहायशी मकानों की कुल संख्या (नए + उन्नयन)	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश
1	2	3	4	5	6	7
1.	दिल्ली	दिल्ली	7	1905.13	35940	893.88
	उप-योग	1	7	1905.13	35940	893.88
1.	गुजरात	सूरत	2	27.61	544	12.49
	उप-योग	1	2	27.61	544	12.4915
2.	झारखंड	जमशेदपुर	2	133.77	3840	64.79

1	2	3	4	5	6	7
3.	झारखंड	धनबाद	1	25.95	658	12.36
	उप-योग	2	3	159.71	4498	77.15
2.	राजस्थान	जयपुर	2	181.50	5814	88.11
	उप-योग	1	2	181.50	5814	88.11
3.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	0	11.67	0	5.40
	उप-योग	1	0	11.67	0	5.40
1.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	11	674.55	14328	337.28
2.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	1	35.78	912	17.89
	उप-योग	2	12	710.33	15240	355.17
	0	8	26	2995.95	62036	1432.20

विवरण III

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)

(16.11.2011 की स्थिति करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09			2009-10			2010-11		
		अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश (संशोधित)	जारी एसीए	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश (संशोधित)	जारी एसीए	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश (संशोधित)	जारी एसीए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	451.87	271.98	48.91			195.03			114.86
2.	अरूणाचल प्रदेश	9.95	8.96	0.00						4.48
3.	असम	28.76	23.38	7.39	17.92	13.73	11.17			
4.	बिहार	113.39	64.21	32.10	81.10	38.51		156.63	67.40	19.26
5.	छत्तीसगढ़	49.10	36.82	0.00			43.57			13.74
6.	गोवा		0.00	0.00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	गुजरात	114.58	73.22	33.84	39.71	17.13	13.99			6.46
8.	हरियाणा	33.42	26.74	0.00			13.37			19.81
9.	हिमाचल प्रदेश	31.90	20.88	6.39			10.44	17.38	11.71	5.85
10.	जम्मू और कश्मीर	42.60	34.50	13.80	25.72	17.86	9.61	36.88	29.72	5.38
11.	झारखंड	123.67	72.39	33.33				74.59	43.35	13.94
12.	कर्नाटक**	138.81	76.93	0.00			38.46			37.84
13.	केरल	55.50	42.18	47.82	80.59	55.29	8.24			30.72
14.	मध्य प्रदेश	28.48	21.88	10.94	48.90	28.87	12.48	26.46	16.78	6.77
15.	महाराष्ट्र	1166.39	772.57	386.79	30.50	20.19	92		84.06	
16.	मणिपुर	10.83	8.33	6.18	16.04	11.66	4.48			5.66
17.	मेघालय	19.66	13.46	3.58			6.72			
18.	मिजोरम	31.00	23.57	3.77			11.12			
19.	नागालैंड		0.00	₹0.00	2.39	0.60	7.85			
20.	उड़ीसा	184.06	123.30	55.34	16.99	9.45	17.92	8.17	5.42	4.73
21.	पंजाब	21.01	8.22	3.54			253.01		99.76	50.46
22.	राजस्थान	83.37	52.12	40.24	81.85	45.94	43.94	304.28	196.00	122.00
23.	सिक्किम		0.00	0.00	19.91		17.92	8.96		
24.	तमिलनाडु	249.24	184.17	77.38	40.97		18.73	90.85		70.92
25.	त्रिपुरा	20.01	17.60	0.00	16.44		14.11	19.02		12.36
26.	उत्तर प्रदेश	771.75	509.10	256.50	160.35	100.63	18.49	29977	177.76	198.2
27.	उत्तराखंड	0.00	0.00	155.42	87.66	26.99		16.84		
28.	पश्चिम बंगाल	377.09	297.60	227.42	0.64		0.15	72.14		34.15
29.	दिल्ली		0.00	0.00						
30.	पुदुचेरी		0.00	0.96					0.43	
31.	अंडमान और निकोबार	9.88	8.90	0.00					3.16	
32.	चंडीगढ़		0.00	0.00						
33.	दादरा और नगर हवेली		0.00	0.00	5.24		2.89			1.44
34.	लक्ष्य द्वीप		0.00	0.00						
35.	दमन और द्वीव		0.00	0.00						
		4166.32	2793.01	1296.21	840.68	501.32	780.72	1177.17	647.90	879.93

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) कुल अनुमोदित परियोजनाएं (2008-09)

(16.11.2011 की स्थिति)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मिशन शहर	अनुमोदित परियोजनाएं	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित रिहायशी मकानों की कुल संख्या (नए + उन्नयन)	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	बोधन, जिला आदिलाबाद	1	6.25	0	5.00
2.	आंध्र प्रदेश	धोने, जिला कुर्नूल	1	2.24	0	1.79
3.	आंध्र प्रदेश	गुंठर शहर (चरण II)	1	33.36	1792	19.11
4.	आंध्र प्रदेश	कडप्पा-आजादनगर कालोनी (चार)	1	2.61	0	1.86
5.	आंध्र प्रदेश	कडप्पा-ममीलापल्ली हाउसिंग कालोनी (चार)	1	6.25	0	5.00
6.	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा शहर (चरण-III)	1	54.50	3120	28.73
7.	आंध्र प्रदेश	कुर्नूल (चरण-II)	1	19.76	0	15.81
8.	आंध्र प्रदेश	मछली पट्टनम	1	9.63	0	7.70
9.	आंध्र प्रदेश	निर्मल	1	11.25	0	8.91
10.	आंध्र प्रदेश	पलवंचा कस्बा जिला खम्मम	1	6.25	0	5.00
11.	आंध्र प्रदेश	पेड्डापुरम	1	34.50	1831	18.90
12.	आंध्र प्रदेश	पोनूर	1	13.81	0	11.04
13.	आंध्र प्रदेश	राजमुंदरी शहर (चरण-III)	1	55.68	2832	29.40
14.	आंध्र प्रदेश	रेपल्ले, जिला गुंटूर	1	6.25	0	5.00
15.	आंध्र प्रदेश	समालकोटा कस्बा (चरण-III)	1	36.61	2008	21.82
16.	आंध्र प्रदेश	तेनाली, जिला गुंटूर	1	5.36	0	4.29
17.	आंध्र प्रदेश	तिरूपति (चरण-II)	1	45.41	2136	25.68
18.	आंध्र प्रदेश	तिरूपति (चरण-III)	1	32.72	1560	18.38
19.	आंध्र प्रदेश	तिरूपति (पाडिपेटा और अविलाल) (चरण-IV)	1	66.25	3360	36.29
20.	आंध्र प्रदेश	येलानाडु, जिला खम्मम	1	2.86	0	2.29
	उप योग	18	20	451.87	18639	271.99
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर	1	9.88	0	8.90
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	9.88	0	8.90

1	2	3	4	5	6	7
1.	अरूणाचल प्रदेश	रोइंग टाउन	1	9.95	176	8.96
	अरूणाचल प्रदेश	1	1	9.95	176	8.96
1.	असम	बोकाजन	1	10.49	1010	8.61
2.	असम	नागांव	1	14.38	802	11.48
3.	असम	थऊ	1	3.89	162	3.29
	कुल	3	3	28.76	1974	23.38
1.	बिहार	आरा	1	31.22	754	15.06
2.	बिहार	बेगूसराय	1	24.50	853	15.86
3.	बिहार	बिहार शरीफ	1	24.54	810	16.08
4.	बिहार	जोगबनी	1	12.71	321	6.64
5.	बिहार	मधेपुरा	1	12.43	319	6.44
6.	बिहार	सुपौल	1	7.99	207	4.12
	कुल	6	6	113.39	3264	64.21
1.	छत्तीसगढ़	डोंगरागांव	1	7.99	480	6.01
2.	छत्तीसगढ़	कवार्धा	1	15.63	1032	11.68
3.	छत्तीसगढ़	खैरागढ	1	7.52	492	5.62
4.	छत्तीसगढ़	राजनंद गांव	1	17.97	1072	13.52
	कुल	4	1	49.10	3076	36.82
1.	गुजरात	अंकलाप	1	12.22	804	7.73
2.	गुजरात	दाहोद	1	12.32	480	8.01
3.	गुजरात	हल्वाड	1	14.86	828	9.82
4.	गुजरात	कालोल	1	5.97	400	4.03
5.	गुजरात	काडी	1	14.06	664	8.62
6.	गुजरात	मोडासा	1	14.95	576	9.75
7.	गुजरात	नवसारी	1	14.46	992	9.92
8.	गुजरात	पेटलड	1	14.20	836	8.19
9.	गुजरात	सोनगढ़	1	11.54	784	7.16
	कुल	9	9	114.58	6364	73.22
1.	हिमाचल प्रदेश	बद्दी	1	14.75	480	8.91
2.	हिमाचल प्रदेश	नालागढ़	1	5.47	128	3.75
3.	हिमाचल प्रदेश	परवानु	1	11.68	192	8.22
	कुल	3	3	31.90	800	20.88

1	2	3	4	5	6	7
1.	हरियाणा	जींद	1	18.67	933	14.93
2.	हरियाणा	लडवा	1	3.56	200	2.85
3.	हरियाणा	यमुनानगर	1	11.20	652	896
	कुल	3	3	33.42	1785	26.74
1.	जम्मू और कश्मीर	बांदीपोरा	1	5.16	413	4.18
2.	जम्मू और कश्मीर	बारामूल्ला (चरण-I)	1	8.40	672	6.80
3.	जम्मू और कश्मीर	बडगाम	1	1.06	85	0.86
4.	जम्मू और कश्मीर	गंदरबल	1	1.38	110	1.11
5.	जम्मू और कश्मीर	हाजिन (चरण-I)	1	0.89	71	0.72
6.	जम्मू और कश्मीर	हंडवारा (चरण-I)	1	2.45	196	1.98
7.	जम्मू और कश्मीर	कुलगाम (चरण-I)	1	3.20	256	2.59
8.	जम्मू और कश्मीर	कुपवाड़ा	1	2.83	226	2.29
9.	जम्मू और कश्मीर	मागम (चरण-I)	1	1.75	140	1.42
10.	जम्मू और कश्मीर	माट्न (चरण-I)	1	0.55	44	0.45
11.	जम्मू और कश्मीर	रामनगर (चरण-I)	1	2.34	187	1.89
12.	जम्मू और कश्मीर	रियासी (चरण-I)	1	2.79	223	2.26
13.	जम्मू और कश्मीर	शोपियां (चरण-I)	1	1.65	132	1.34
14.	जम्मू और कश्मीर	सोपोर (चरण-I)	1	5.58	446	4.52
15.	जम्मू और कश्मीर	संबल	1	2.59	207	2.10
	कुल	15	15	42.60	3408	34.51
1.	झारखण्ड	चैबासां	1	12.99	736	7.51
2.	झारखण्ड	गिरिडिह	1	19.96	1132	12.24
3.	झारखण्ड	हजारीबाग	1	19.83	1230	11.38
4.	झारखण्ड	लोहारदगा	1	35.05	1623	19.64
5.	झारखण्ड	फुशरे	1	19.90	969	12.39
6.	झारखण्ड		1	15.94	886	9.34
	कुल	6	6	123.67	6576	72.40
1.	केरल	अंगामली	1	2.80	380	2.24
2.	केरल	गुरूक्यूर	1	1.84	123	1.35
3.	केरल	कोठामंगलम	1	1.83	192	1.47

1	2	3	4	5	6	7
4.	केरल	मलापुरम	1	7.54	726	5.37
5.	केरल	मुवतूपुझा	1	5.98	874	4.78
6.	केरल	नेढुमंगड	1	5.40	532	4.32
7.	केरल	नेयतिंकर	1	7.97	744	5.95
8.	केरल	पथनमथीडटा	1	6.58	749	5.24
9.	केरल	पेरिंथलमन्ना (चरण-II)	1	8.77	879	6.36
10.	केरल	पेखंवुर	1	3.07	344	2.45
11.	केरल	तिरूर शहर	1	3.72	257	2.65
	कुल	11	11	55.50	5800	42.18
1.	कर्नाटक	बंगक्लाकोटे	1	8.43	240	4.78
2.	कर्नाटक	हुबली (चरण-II)	1	3.50	109	1.84
3.	कर्नाटक	हुबली (चरण-III)	1	14.86	430	7.81
4.	कर्नाटक	कनकपुरा	1	22.33	727	11.23
5.	कर्नाटक	मंड़्या	1	13.95	558	7.92
6.	कर्नाटक	पवागडा	1	19.97	508	11.62
7.	कर्नाटक	शिकारीपुरा	1	12.65	330	7.22
8.	कर्नाटक	शिमोगा	1	23.05	600	13.17
9.	कर्नाटक	सिरा	1	20.07	682	11.32
	कुल	9	9	138.81	4184	76.93
1.	मेघालय	नोंगपोह	1	9.18	240	7.10
2.	मेघालय	विलियम नगर	1	10.48	216	6.36
	कुल	2	2	19.66	456	13.46
1.	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	1	7.42	500	5.88
2.	मध्य प्रदेश	मोहगांव	1	6.16	267	4.50
3.	मध्य प्रदेश	सागर	1	7.77	480	6.11
4.	मध्य प्रदेश	सौसर	1	7.13	461	5.39
	कुल	4	4	28.48	1708	21.88
1.	मिजोरम	चंफाई (चरण-I)	1	6.23	376	5.39
2.	मिजोरम	चंफाई (चरण-II)	1	1.54	74	1.33
3.	मिजोरम	कोलासिब (चरण-I)	1	5.76	250	4.23
4.	मिजोरम	कोलासिब (चरण-II)	1	1.29	50	0.97

1	2	3	4	5	6	7
5.	मिजोरम	ममित	1	3.52	150	0.97
6.	मिजोरम	सैहा	1	5.55	200	3.90
7.	मिजोरम	सेरचिप	1	7.10	350	5.16
	कुल	5	7	31.00	1450	23.57
1.	मणिपुर	मोइरांग	1	10.83	663	8.33
	कुल	1	1	10.83	663	8.33
1.	राजस्थान	बीकानेर (चरण-I)	1	35.57	1216	21.89
2.	राजस्थान	जैतरन	1	4.84	214	3.23
3.	राजस्थान	झालोर	1	7.90	291	4.89
4.	राजस्थान	सूरतगढ़	1	35.05	1493	22.10
	कुल	4	4	83.37	3214	5211
1.	महाराष्ट्र	अचलपुर	1	24.34	965	15.74
2.	महाराष्ट्र	अकोला शहर	1	29.68	1118	20.11
3.	महाराष्ट्र	अकोला (चरण-III)	1	33.36	1413	22.25
4.	महाराष्ट्र	अमालनेर	1	12.05	462	7.72
5.	महाराष्ट्र	अमरावती (चरण-I)	1	23.84	1200	17.05
6.	महाराष्ट्र	अंजनगांव सुरजी	1	21.91	816	14.28
7.	महाराष्ट्र	अर्वी	1	8.78	329	5.73
8.	महाराष्ट्र	भंडारा शहर	1	23.00	1169	17.05
9.	महाराष्ट्र	चंद्रपुर	1	29.64	1179	20.22
10.	महाराष्ट्र	चंदूर बाजार (चरण-I)	1	17.24	985	11.17
11.	महाराष्ट्र	चंदूर रेलवे टाउन (चरण-I)	1	6.82	347	4.50
12.	महाराष्ट्र	चोपडा	1	13.22	504	8.61
13.	महाराष्ट्र	दबहा शहर	1	10.15	380	6.62
14.	महाराष्ट्र	देसाईगंज	1	12.05	504	7.73
15.	महाराष्ट्र	देउनगांव राजा शहर	1	19.86	749	12.89
16.	महाराष्ट्र	धुले	1	23.57	966	14.76
17.	महाराष्ट्रं	दोंडाइचा वर्वाडे (चरण-II)	1	23.97	1050	15.30
18.	महाराष्ट्र	हिंगोली (चरण-I)	1	33.39	1814	25.44
19.	महाराष्ट्रं	हिंगोली शहर (चरण-II)	1	25.59	1063	16.49

1	2	3	4	5	6	7
20.	महाराष्ट्र	कमलेश्वर	1	4.75	201	2.87
21.	महाराष्ट्र	करंजा जिला वाशिम	1	20.43	768	13.07
22.	महाराष्ट्र	लातूर	1	57.26	0	43.62
23.	महाराष्ट्र	लोनार कस्बा जिला बुल्डाना	1	17.84	700	11.58
24.	महाराष्ट्र	मालेगांव (चरण-I)	1	28.92	1440	19.80
25.	महाराष्ट्र	मालेगांव (चरण-II)	1	28.69	1440	19.62
26.	महाराष्ट्र	मालेगांव (चरण-III)	1	28.24	1440	19.26
27.	महाराष्ट्र	मालेगांव (चरण-IV)	1	28.44	1440	19.42
28.	महाराष्ट्र	मालेगांव (चरण-V)	1	29.31	1440	20.11
29.	महाराष्ट्र	मालेगांव (चरण-VI)	1	28.76	1440	19.67
30.	महाराष्ट्र	मालेगांव (चरण-VII)	1	28.92	1440	19.80
31.	महाराष्ट्र	मालेगांव (चरण-VIII)	1	28.51	1440	19.47
32.	महाराष्ट्र	मल्कापुर शहर	1	5.10	207	3.47
33.	महाराष्ट्र	मोहापा	1	6.52	281	4.56
34.	महाराष्ट्र	गुडखेड	1	19.73	810	11.92
35.	महाराष्ट्र	मुर्तिजापुर	1	24.56	1003	15.83
36.	महाराष्ट्र	पंधारकवाडा	1	14.58	625	9.36
37.	महाराष्ट्र	पर्तूर	1	20.14	800	12.78
38.	महाराष्ट्र	पौनी जिला भंडार (चरण-I)	1	1.54	76	1.17
39.	महाराष्ट्र	पौनी जिला भंडार (चरण-II)	1	25.58	978	16.70
40.	महाराष्ट्र	पुलगांव	1	8.12	302	5.30
41.	महाराष्ट्र	राजुरा	1	17.68	777	11.31
42.	महाराष्ट्र	रामटेक	1	5.11	265	3.89
43.	महाराष्ट्र	रिसोड	1	21.52	1040	16.24
44.	महाराष्ट्र	सांगी (चरण-IV)	1	93.88	3798	49.83
45.	महाराष्ट्र	शेवदुर्जन घाट	1	11.05	460	7.12
46.	महाराष्ट्र	शिवपुर वखोड (चरण-I) जिला धुले	1	11.20	440	6.60
47.	महाराष्ट्र	सिनखेड राजा शहर	1	11.73	435	7.63
48.	महाराष्ट्र	तिरोरा शहर (चरण-II) जिला गोंडला	1	10.72	551	8.12
49.	महाराष्ट्र	तुमसर	1	6.34	234	4.14

1	2	3	4	5	6	7
50.	महाराष्ट्र	उमरेद शहर	1	7.24	276	4.96
51.	महाराष्ट्र	वज्जापुर	1	29.41	1212	18.96
52.	महाराष्ट्र	वाई	1	6.89	342	4.53
53.	महाराष्ट्र	वार्धा	1	12.50	634	9.53
54.	महाराष्ट्र	वरूड	1	9.24	360	6.00
55.	महाराष्ट्र	याशिम	1	33.94	1318	22.04
56.	महाराष्ट्र	यवतमाल	1	29.12	1257	18.63
	कुल	49	56	1166.39	48683	772.57
1.	ओडिशा	बालासोर (चरण-II)	1	9.15	387	6.18
2.	ओडिशा	बारीपदा	1	11.18	474	7.75
3.	ओडिशा	बरहामपुर	1	31.01	1202	20.63
4.	ओडिशा	भद्रक (चरण-I)	1	5.14	238	3.36
5.	ओडिशा	भद्रक (चरण-II)	1	3.99	166	2.65
6.	ओडिशा	भवानीपटना	1	4.24	164	2.82
7.	ओडिशा	बोलांगीर	1	8.37	324	5.57
8.	ओडिशा	जटनी (चरण-II)	1	3.40	132	2.26
9.	ओडिशा	जेपोर	1	7.07	323	5.04
10.	ओडिशा	झारसकुडा	1	19.83	786	13.17
11.	ओडिशा	क्योंझागर	1	22.44	891	14.89
12.	ओडिशा	मलकानगोरी	1	6.07	236	4.04
13.	ओडिशा	रवरंगपुर	1	5.56	532	4.02
14.	ओडिशा	परलाखेमुंडी	1	7.53	307	4.98
15.	ओडिशा	संवलपुर	1	15.44	613	10.25
16.	ओडिशा	सवर्नापुर	1	23.63	934	15.69
	कुल	15	16	184.06	7709	123.30
	पंजाब	राजपुरा	1	21.01	720	8.22
1.	तमिलनाडु	आलमपलायन	1	2.25	149	1.56
2.	तमिलनाडु	अरियालूर	1	7.89	378	6.04
3.	तमिलनाडु	अवालपूनडूराइ	1	1.67	90	1.19
4.	तमिलनाडु	बेराडिआयकन्नू	1	4.63	326	3.52
5.	तमिलनाडु	कुन्नूर	1	5.35	398	3.62
6.	तमिलनाडु	कुंबम	1	5.19	325	3.86

1	2	3	4	5	6	7
7.	तमिलनाडु	धरमपुरम	1	3.60	188	2.77
8.	तमिलनाडु	दिडीगुल	1	9.72	590	7.45
9.	तमिलनाडु	गंगावेली	1	2.66	140	1.91
10.	तमिलनाडु	गोबी चेट्टी पल्लम	1	2.56	177	1.95
11.	तमिलनाडु	इडापडी	1	4.74	225	3.62
12.	तमिलनाडु	इनामकरूर	1	5.00	240	3.87
13.	तमिलनाडु	कांचीपुरम	1	4.57	299	3.42
14.	तमिलनाडु	करयकुडी	1	4.15	195	3.21
15.	तमिलनाडु	करूपूर	1	1.57	148	1.12
16.	तमिलनाडु	करूर	1	3.29	185	2.53
17.	तमिलनाडु	कोडैकनाल (चरण-II)	1	18.89	900	12.45
18.	तमिलनाडु	कोडिमोडी कस्बा	1	1.40	75	1.00
19.	तमिलनाडु	कोथिलपट्टी	1	2.39	112	1.85
20.	तमिलनाडु	कृष्णागिरि	1	4.96	262	3.82
21.	तमिलनाडु	कुगालूर	1	1.29	65	0.93
22.	तमिलनाडु	लम्कामपट्टी	1	1.44	131	1.02
23.	तमिलनाडु	मेट्टूपलायम	1	1.48	72	1.12
24.	तमिलनाडु	मेत्तूर	1	2.42	113	1.87
25.	तमिलनाडु	मोहानुर	1	2.80	161	1.98
26.	तमिलनाडु	नागरकोइल	1	3.47	214	2.66
27.	तमिलनाडु	पी. मेतु पलल्लम	1	1.27	78	0.89
28.	तमिलनाडु	पी.एन. पैट्टी	1	1.62	153	1.46
29.	तमिलनाडु	पल्लापलायम कस्बा	1	2.35	120	1.69
30.	तमिलनाडु	आर.पुडुपट्टी नामकल	1	2.14	153	1.15
31.	तमिलनाडु	रामानामापुरम	1	5.21	277	3.99
32.	तमिलनाडु	रानीपेट	1	2.58	121	2.00
33.	तमिलनाडु	सलेम	1	15.58	1006	10.87
34.	तमिलनाडु	सत्यामंगलम	1	3.76	260	2.81
35.	तमिलनाडु	सीरापल्ली	1	2.16	121	1.54
36.	तमिलनाडु	शिवगंगा	1	2.90	155	2.22

1	2	3	4	5	6	7
37.	तमिलनाडु	शिवाकासी	1	4.57	223	3.13
38.	तमिलनाडु	थॉथोनी	1	4.10	200	3.17
39.	तमिलनाडु	थेडाटूर	1	2.30	115	1.65
40.	तमिलनाडु	थेनी अलिनाग्राम	1	3.85	180	2.92
41.	तमिलनाडु	तिरूनेलवेली	1	20.00	20.03	15.58
42.	तमिलनाडु	तिरूवनामलाई	1	8.76	832	6.63
43.	तमिलनाडु	थुरईपूर	1	8.61	602	6.54
44.	तमिलनाडु	तिरूचेंगोड	1	8.87	422	6.86
45.	तमिलनाडु	तूतीकौरीन	1	8.02	500	5.80
46.	तमिलनाडु	उदमालपेट	1	2.81	160	2.16
47.	तमिलनाडु	उथूकुली टाउन	1	1.12	61	0.80
48.	तमिलनाडु	वननियाबाडी	1	2.25	105	1.74
49.	तमिलनाडु	वीरागनूर टाउन सलेम	1	3.75	231	2.63
50.	तमिलनाडु	वेलूर	1	1.37	86	0.96
51.	तमिलनाडु	विल्लपुरम	1	8.56	502	6.57
52.	तमिलनाडु	विरूदनगर	1	11.37	676	8.09
	कुल	52	52	249.24	15500	184.17
1.	उत्तर प्रदेश	अचलदा	1	3.59	132	2.38
2.	उत्तर प्रदेश	अदलसराई कल्पी कस्बा	1	3.29	120	2.10
3.	उत्तर प्रदेश	अझुवा	1	3.45	144	2.28
4.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ (चरण-I)	1	4.40	168	2.92
5.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ (चरण-II)	1	17.77	660	11.85
6.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ (चरण-III)	1	15.37	558	10.16
7.	उत्तर प्रदेश	अमरोधा	1	1.79	72	1.18
8.	उत्तर प्रदेश	अमरोहा	1	3.13	115	2.06
9.	उत्तर प्रदेश	अंतु	1	15.05	579	9.99
10.	उत्तर प्रदेश	अर्थला	1	2.59	96	1.72
11.	उत्तर प्रदेश	अवागढ़	1	5.62	2.8	3.76
12.	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़	1	12.65	465	8.39
13.	उत्तर प्रदेश	बब्बरपुर	1	4.88	180	3.24
14.	उत्तर प्रदेश	बनात	1	10.36	476	6.50
15.	उत्तर प्रदेश	बड़ौत	1	4.41	208	3.00

1	2	3	4	5	6	7
16.	उत्तर प्रदेश	बस्ती	1	4.58	163	3.01
17.	उत्तर प्रदेश	बीकापुर जिला फैजाबाद	1	2.22	84	1.51
18.	उत्तर प्रदेश	बेल्हा	1	18.19	676	12.12
19.	उत्तर प्रदेश	भटवाली	1	5.43	199	3.60
20.	उत्तर प्रदेश	भीकमपुर	1	1.18	48	0.81
21.	उत्तर प्रदेश	बिछाड़ी मुगलसराय	1	7.45	273	4.93
22.	उत्तर प्रदेश	बिधुना	1	14.73	600	9.98
23.	उत्तर प्रदेश	बिसंडा, जिला बांदा	1	2.77	96	1.78
24.	उत्तर प्रदेश	बिस्वान, जिला सीतापुर	1	6.44	252	4.40
25.	उत्तर प्रदेश	विथुर, जिला कानपुर	1	2.86	108	1.95
26.	उत्तर प्रदेश	बुगरासी	1	3.65	192	2.64
27.	उत्तर प्रदेश	चकिया	1	1.18	48	0.77
28.	उत्तर प्रदेश	चंदौली (चरण-I)	1	6.88	263	4.50
29.	उत्तर प्रदेश	चंदौली (चरण-II)	1	3.95	168	2.55
30	उत्तर प्रदेश	चतरी	1	2.69	112	1.95
31.	उत्तर प्रदेश	छता	1	1.55	48	0.96
32.	उत्तर प्रदेश	चिबरामऊ (चरण-I)	1	5.90	240	4.00
33.	उत्तर प्रदेश	चिबरामऊ (चरण-II)	1	15.91	648	10.80
34.	उत्तर प्रदेश	चुनार	1	5.97	216	3.91
35.	उत्तर प्रदेश	दादरी (चरण-II)	1	17.43	637	11.54
36.	उत्तर प्रदेश	देरापुर	1	1.85	72	1.22
37.	उत्तर प्रदेश	डिबियापुर	1	1.75	72	1.15
38.	उत्तर प्रदेश	टाटा	1	2.58	96	1.72
39.	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद	1	17.24	393	12.28
40.	उत्तर प्रदेश	फरीदनगर	1	7.54	288	5.02
41.	उत्तर प्रदेश	फर्रूखाबाद टी.ए.	1	1.89	72	1.28
42.	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	1	5.17	216	3.31
43.	उत्तर प्रदेश	घासीगंज सुल्तापुर	1	3.14	116	2.08
44.	उत्तर प्रदेश	घोरवाल	1	15.42	656	9.40
45.	उत्तर प्रदेश	गोकुल	1	2.83	88	1.76

1	2	3	4	5	6	7
46.	उत्तर प्रदेश	गोलाटाउन, जिला लखीमपुर	1	3.12	120	2.13
47.	उत्तर प्रदेश	गोपामाऊ	1	3.80	144	2.53
48.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	1	16.75	611	11.09
49.	उत्तर प्रदेश	गोसाईगंज	1	1.92	72	1.34
50.	उत्तर प्रदेश	हरिहरपुर (चरण-I)	1	1.97	72	1.34
51.	उत्तर प्रदेश	हरिहरपुर (चरण-II)	1	2.00	72	1.42
52.	उत्तर प्रदेश	हरिहरपुर (चरण-III)	1	1.84	60	1.29
53.	उत्तर प्रदेश	हरिहरपुर (चरण-IV)	1	8.47	252	5.72
54.	उत्तर प्रदेश	हसनपुर	1	0.81	36	0.53
55.	उत्तर प्रदेश	हस्तिनापुर मेरठ	1	19.10	582	10.90
56.	उत्तर प्रदेश	हैदराबाद	1	4.21	168	2.79
57.	उत्तर प्रदेश	जसवंत नगर (चरण-I)	1	6.02	240	4.11
58.	उत्तर प्रदेश	जसवंत नगर (चरण-II)	1	5.66	228	3.72
59.	उत्तर प्रदेश	जेबर	1	6.70	272	4.32
60.	उत्तर प्रदेश	झालू (चरण-I)	1	1.50	56	1.02
61.	उत्तर प्रदेश	झालू (चरण-II)	1	5.78	450	3.77
62.	उत्तर प्रदेश	झिंझाक	1	10.71	492	7.15
63.	उत्तर प्रदेश	जोया	1	0.93	42	0.61
64.	उत्तर प्रदेश	कदौरा कस्बा	1	4.25	156	2.71
65.	उत्तर प्रदेश	कक्री	1	16.95	629	11.20
66.	उत्तर प्रदेश	खानपुर	1	2.21	96	1.61
67.	उत्तर प्रदेश	खरसुदा	1	2.66	96	1.81
68.	उत्तर प्रदेश	किच धोया	1	1.88	72	1.24
69.	उत्तर प्रदेश	कोसी कला	1	8.82	384	5.45
70.	उत्तर प्रदेश	कुंडा कस्बा जिला प्रतापगढ़	1	6.43	272	3.95
71.	उत्तर प्रदेश	कुराउं	1	4.97	209	3.24
72.	उत्तर प्रदेश	कुरारा जिला हमीरपुर	1	3.58	132	2.29
73.	उत्तर प्रदेश	लार	1	28.01	1527	18.70

1	2	3	4	5	6	7
74.	उत्तर प्रदेश	लाल गोपालगंज	1	8.03	396	5.11
75.	उत्तर प्रदेश	लवार	1	8.38	359	5.36
76.	उत्तर प्रदेश	महावन	1	1.66	72	1.03
77.	उत्तर प्रदेश	महोबा, कस्बा जिला महोबा उत्तर प्रदेश	1	2.61	84	1.69
78.	उत्तर प्रदेश	महोबा	1	20.82	762	13.78
79.	उत्तर प्रदेश	मलिहाबाद	1	4.05	148	2.68
80.	उत्तर प्रदेश	मणिकपुर जिला चित्रकूट उत्तर प्रदेश	1	3.86	144	2.45
81.	उत्तर प्रदेश	मंझानपुर	1	3.19	120	2.13
82.	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	1	20.71	536	14.27
83.	उत्तर प्रदेश	मोहमाबाद	1	3.19	132	2.15
84.	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	1	1.31	48	0.87
85.	उत्तर प्रदेश	मुगलसराय	1	4.22	168	2.75
86.	उत्तर प्रदेश	नंदगांव	1	6.93	224	4.27
87.	उत्तर प्रदेश	नारायणी	1	2.10	72	1.35
88.	उत्तर प्रदेश	नवाबगंज	1	1.38	48	0.87
89.	उत्तर प्रदेश	नवाबगंज	1	3.60	144	2.39
90.	उत्तर प्रदेश	निधोली कला	1	1.62	60	1.08
91.	उत्तर प्रदेश	औराई कस्बा (लहरियापुर) जिला जालौन उत्तर प्रदेश	1	2.16	288	4.50
92.	उत्तर प्रदेश	पचपेरवा	1	1.02	48	0.77
93.	उत्तर प्रदेश	पाली, जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश	1	3.92	144	2.50
94.	उत्तर प्रदेश	फाफूंद	1	1.50	60	0.98
95.	उत्तर प्रदेश	पिझोर निअर बजरंग कालोनी जिला झांसी उ.प्र.	1	4.01	144	2.57
96.	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	1	14.13	531	9.41
97.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली (चरण-II)	1	20.85	353	14.87
98.	उत्तर प्रदेश	रामनगर	1	2.59	96	1.72
99.	उत्तर प्रदेश	रायपुर (चरण-I)	1	4.14	156	2.69
100.	उत्तर प्रदेश	रायपुर (चरण-II)	1	11.29	462	7.37

1	2	3	4	5	6	7
101.	उत्तर प्रदेश	रसूलाबाद	1	5.24	216	3.59
102.	उत्तर प्रदेश	राया	1	1.53	48	0.95
103.	उत्तर प्रदेश	सादत	1	0.93	36	0.61
104.	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर (चरण-I)	1	3.90	208	2.54
105.	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर (चरण-II)	1	11.75	456	7.32
106.	उत्तर प्रदेश	सालारगंज	1	7.93	336	5.40
107.	उत्तर प्रदेश	संत रविदास नगर	1	8.76	3.60	5.73
108.	उत्तर प्रदेश	साओना	1	4.17	160	2.59
109.	उत्तर प्रदेश	सरयमीर	1	3.85	144	2.35
110.	उत्तर प्रदेश	सौरिख	1	3.47	144	2.35
111.	उत्तर प्रदेश	सेहजनवा	1	1.94	72	1.18
112.	उत्तर प्रदेश	शंकरगढ़	1	9.17	407	5.93
113.	उत्तर प्रदेश	शिवली	1	3.33	132	2.15
114.	उत्तर प्रदेश	शिवराजपुर	1	3.34	132	2.26
115.	उत्तर प्रदेश	सिकंदरा	1	5.28	204	3.42
116.	उत्तर प्रदेश	सिंगाही	1	3.13	108	2.01
117.	उत्तर प्रदेश	ठाकुर द्वारा	1	5.57	210	3.69
118.	उत्तर प्रदेश	तिर्वा	1	7.37	312	4.98
119.	उत्तर प्रदेश	तिर्वाखास	1	11.73	528	7.86
120.	उत्तर प्रदेश	उगू	1	3.06	120	2.03
121.	उत्तर प्रदेश	उमरी कला	1	7.79	306	5.11
122.	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	1	2.51	96	1.72
123.	उत्तर प्रदेश	उतरौला	1	1.74	60	1.21
124.	उत्तर प्रदेश	वृदांवन	1	6.31	276	3.90
	कुल	114	124	771.75	29733	509.10
1.	पश्चिम बंगाल	आरामबाग	1	10.00	522	5.00
2.	पश्चिम बंगाल	बलूरघाट (चरण-I)	1	15.77	790	12.62
3.	पश्चिम बंगाल	बलूर घाट (चरण-II)	1	6.17	362	4.94
4.	पश्चिम बंगाल	बोंगांव	1	14.64	767	11.71
5.	पश्चिम बंगाल	चकदाहा (चरण-II)	1	8.69	440	6.39
6.	पश्चिम बंगाल	कोताई (चरण-I)	1	12.35	636	9.50

1	2	3	4	5	6	7
7.	पश्चिम बंगाल	कूचबिहार (चरण-II)	1	6.90	320	5.11
8.	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	1	20.66	890	15.18
9.	पश्चिम बंगाल	डायमंड हार्बर	1	9.98	591	7.98
10.	पश्चिम बंगाल	इंगलिश बाजार (चरण-I)	1	16.74	852	13.40
11.	पश्चिम बंगाल	गंगारामपुर (चरण-I)	1	9.91	467	7.33
12.	पश्चिम बंगाल	गंगारामपुर (चरण-II)	1	8.50	450	6.80
13.	पश्चिम बंगाल	हल्दिया (चरण-II)	1	15.89	795	12.72
14.	पश्चिम बंगाल	जांगीपुर (चरण-II)	1	10.05	650	8.04
15.	पश्चिम बंगाल	झाल्दा	1	7.98	408	6.38
16.	पश्चिम बंगाल	झाड़ग्राम (चरण-II)	1	4.00	205	3.20
17.	पश्चिम बंगाल	जियागंज अजीमगंज (चरण-II)	1	10.20	521	8.16
18.	पश्चिम बंगाल	कलिमपोंग	1	11.99	567	9.59
19.	पश्चिम बंगाल	कलियागंज	1	7.95	400	6.36
20.	पश्चिम बंगाल	कांदी	1	8.98	555	7.18
21.	पश्चिम बंगाल	कटवा	1	10.90	650	8.72
22.	पश्चिम बंगाल	कुर्सियोग	1	11.99	565	9.59
23.	पश्चिम बंगाल	मथाभांगा	1	8.56	402	6.34
24.	पश्चिम बंगाल	मिरिक	1	7.96	423	6.36
25.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	1	8.74	497	6.74
26.	पश्चिम बंगाल	ओल्ड माल्दा	1	10.78	550	8.63
27.	पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर	1	7.90	4.00	6.32
28.	पश्चिम बंगाल	रामपुर घाट	1	10.89	603	8.71
29.	पश्चिम बंगाल	सिलीगुडी (चरण-II)	1	5.75	297	4.60
30.	पश्चिम बंगाल	सिलीगुडी (चरण-III)	1	35.99	1859	28.79
31.	पश्चिम बंगाल	सूरी	1	14.47	728	11.58
32.	पश्चिम बंगाल	ताकी (चरण-II)	1	6.99	504	5.59
33.	पश्चिम बंगाल	तामलुक	1	8.94	456	7.15
34.	पश्चिम बंगाल	तारकेश्वर	1	9.89	584	7.91
	कुल		34	377.09	19706	297.60
	सकल योग	372	394	4166.33	186738	2793.01

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) कुल अनुमोदित परियोजनाएं (2009-10)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मिशन शहर	अनुमोदित परियोजनाएं	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित रिहायशी मकानों की कुल संख्या (नए + उन्नयन)	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश
1	2	3	4	5	6	7
1.	असम	कोकाझार	1	17.92	1301	13.73
	कुल	1	1	17.92	1301	13.73
1.	बिहार	अररिया शहर	1	21.26	728	11.13
2.	बिहार	मधेपुरा (चरण-II)	1	20.32	776	9.99
3.	बिहार	मुंगेर	1	20.19	868	8.55
4.	बिहार	सहरसा	1	19.33	820	8.84
	कुल	4	4	81.1032	3192	38.5065
1.	दादरा और नगर हवेली	सिल्वासा (चरण-II)	1	5.24	144	2.89
	कुल	1	1	5.24	144.00	2.89
2.	गुजरात	भवनगर	1	15.88	1000	10.81
3.	गुजरात	जमनागर एमसी स्कीम नं. 18631) अंडर वांबे	1	3.31	254	0.51
3.	गुजरात	नवसारी एनपी (स्कीम नं. 18794) अंडर वांबे	1	2.27	387	0.77
4.	गुजरात	राजकोट एमसी स्कीम नं. 18881) अंडर वांबे	1	11.60	1160	2.90
5.	गुजरात	बड़ोदरा एमसी स्कीम नं. 18020) अंडर वांबे	1	0.88	86	0.22
6.	गुजरात	बड़ौदा एमसी स्कीम नं. 18021) अंडर वांबे	1	5.76	768	1.92
	कुल	5	6	39.71	3655	17.13
1.	जम्मू और कश्मीर	बारामूला (चरण-II)	1	3.47	0	3.12
2.	जम्मू और कश्मीर	डीएलबी, कश्मीर स्कीम नं. 18064) अंडर वांबे	1	1.58	292	0.66

1	2	3	4	5	6	7
3.	जम्मू और कश्मीर	हाजिन (चरण-II)	1	0.75	0	0.68
4.	जम्मू और कश्मीर	हेडवारा (चरण-II)	1	1.77	0	1.59
5.	जम्मू और कश्मीर	कुलगाम (चरण-II)	1	2.24	0	2.01
6.	जम्मू और कश्मीर	मगाम (चरण-II)	1	0.84	0	0.76
7.	जम्मू और कश्मीर	मटान (चरण-II)	1	0.63	0	0.57
8.	जम्मू और कश्मीर	रामनगर (चरण-II)	1	2.24	0	2.02
9.	जम्मू और कश्मीर	रियासी (चरण-II)	1	2.72	0	1.39
10.	जम्मू और कश्मीर	शोपिया (चरण-II)	1	1.43	0	1.29
11.	जम्मू और कश्मीर	सोपोर (चरण-II)	1	3.41	0	3.07
12.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर डीए स्कीम नं. 18632 अंडर वांबे	1	4.64	316	0.71
	कुल	12	12	25.72	608	17.66
1.	केरल	अलूवा	1	0.58	90	0.43
2.	केरल	चर्थला	1	4.82	454	3.45
3.	केरल	चंगानाससेरी (चरण-II)	1	9.64	850	6.44
4.	केरल	चालाकुड़ी (चरण-II)	1	3.81	534	2.65
5.	केरल	इरिजलाकुंडा (चरण-II)	1	3.78	394	2.52
6.	केरल		1	5.69	285	3.48
7.	केरल	कोट्टायम	1	7.77	831	5.34
8.	केरल	कान्हागड	1	5.53	855	4.13
9.	केरल	कालपेटा	1	1.72	78	1.18
10.	केरल	मतानूर (चरण-II)	1	6.76	620	4.74
11.	केरल	उत्तर परावूर (चरण-II)	1	5.85	743	4.06
12.	केरल	ओत्तापलम (चरण-II)	1	6.65	619	4.64
13.	केरल	पय्यान्नूर	1	3.54	314	2.30
14.	केरल	त्रिशूर	1	4.86	246	3.14
15.	केरल	वर्कल	1	8.72	661	6.19
16.	केरल	वटाकारा	1	0.87	62	0.61
	केरल	16	16	80.59	7636	55.29
1.	मध्य प्रदेश	चंदामेट	1	6.76	212	4.29
2.	मध्य प्रदेश	हराय	1	3.39	139	1.98

1	2	3	4	5	6	7
3.	मध्य प्रदेश	खरगौम	1	4.91	200	2.85
4.	मध्य प्रदेश	मंदसौर	1	12.50	500	7.28
5.	मध्य प्रदेश	रीवा	1	6.67	248	3.73
6.	मध्य प्रदेश	सतना	1	7.33	300	4.29
7.	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	1	7.33	300	4.29
	कुल	7	7	48.90	1869	28.87
1.	मणिपुर	काकचिंग	1	8.64	548	6.61
2.	मणिपुर	विष्णुपर	1	6.15	375	4.73
3.	मणिपुर	सुडा स्कीम नं. 18884 अंडार वांबे	1	1.26	140	0.32
	कुल	3	3	16.0435	1063	11.655
1.	राजस्थान	भीनमाल	1	10.59	639	5.38
2.	राजस्थान	फालोड़ी	1	23.27	764	13.79
3.	राजस्थान	पोकरन	1	21.83	787	12.20
4.	राजस्थान	संचोर	1	9.47	390	5.31
5.	राजस्थान	तख्तागढ़	1	16.69	635	9.25
	कुल	5	5	81.85	3215	45.94
1.	महाराष्ट्र	इदलूकरनजी	1	30.50	1488	20.19
	कुल	1	1	30.50	1488	20.19
1.	नागालैंण्ड	सुडा स्कीम नं. 188885 अंडर वांबे	1	2.39	265	0.60
	कुल	1	1	2.39	265	0.60
1.	ओडिशा	कटक (चरण-II)	1	16.9867	456	9.45
	कुल	1	1	16.99	456	9.45
1.	सिक्किम	सिंगताम	1	19.91	39	17.92
	कुल	1	1	19.91	39	17.92
1.	तमिलनाडु	अरूपुवकोट्टाइ	1	20.89	879	15.30
2.	तमिलनाडु	टीएनएससीबी स्कीम नं. 18496 अंडर वांबे	1	20.09	1443	3.43
	कुल	2	2	40.97	2322	18.73
1.	त्रिपुरा	सोनामुरा	1	8.29	820	7.11
2.	त्रिपुरा	उदयपुर	1	8.15	745	7.00
	कुल	2	2	16.44	1565	14.11

1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्तर प्रदेश	शिवराही अंबेडकर नगर (चरण-I)	1	2.00	100	1.32
2.	उत्तर प्रदेश	सिवराही (मालवीय नगर) (चरण-II)	1	2.00	81	1.36
3.	उत्तर प्रदेश	बलिया	1	9.07	313	5.67
4.	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	1	11.99	420	7.48
5.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर (चरण-II)	1	17.44	628	10.79
6.	उत्तर प्रदेश	किस्नी	1	21.04	748	13.06
7.	उत्तर प्रदेश	महराजगंज	1	11.42	399	7.10
8.	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर शहर	1	25.52	853	16.31
9.	उत्तर प्रदेश	नुरिया हुसैनपुर, हुसैनपुर जिला पीली भीत	1	25.37	886	15.76
10.	उत्तर प्रदेश	परसादेपुर	1	34.50	1028	21.78
	कुल	10	10	160.35	5456	100.63
1.	उत्तराखण्ड	अलमोडा	1	8.3332	217	4.22
2.	उत्तराखण्ड	चंपावट	1	3.8115	73	2.15
3.	उत्तराखण्ड	दिनेशपुर	1	11.78	387	6.99
4.	उत्तराखण्ड	हल्दवानी, इंदिरा नगर	1	13.4657	501	6.51
5.	उत्तराखण्ड	हल्दवानी काठगोदाम	1	11.8547	422	5.95
6.	उत्तराखण्ड	जसपुर (चरण-I)	1	6.30	192	4.06
7.	उत्तराखण्ड	जसपुर (चरण-II)	1	1.57	48	0.94
8.	उत्तराखण्ड	किच्छा	1	5.6328	159	3.42
9.	उत्तराखण्ड	काशीपुर	1	11.96	428	6.97
10.	उत्तराखण्ड	कालाडुंगी	1	10.48	290	6.37
11.	उत्तराखण्ड	लालकुंआ	1	3.59	100	2.40
12.	उत्तराखण्ड	लांडौरा (चरण-I)	1	10.10	264	6.33
13.	उत्तराखण्ड	लांडौरा (चरण-II)	1	2.58	100	1.26
14.	उत्तराखण्ड	मझुखेरगंज	1	11.87	403	6.93
15.	उत्तराखण्ड	मसूरी	1	5.10	96	2.67
16.	उत्तराखण्ड	महुदबरा	1	9.25	266	5.59
17.	उत्तराखण्ड	मंगलोर	1	13.45	461	6.47
18.	उत्तराखण्ड	पिथोरागढ़	1	10.96	200	6.26
19.	उत्तराखण्ड	विकासनगर	1	3.34	194	2.17
	कुल	16	19	155.42	4801	87.66

1	2	3	4	5	6	7
1.	पश्चिम बंगाल	एसजेडीए स्कीम नं. 18665	1	0.64	75	0.15
	कुल	1	1	064	75	0.15
	सकल योग	89	93	840.69	39150	501.32

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) कुल अनुमोदित परियोजनाएं (2010-11)

16.11.2011 की स्थिति करोड़ रु. में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मिशन शहर	अनुमोदित परियोजनाएं	कुल अनुमोदित परियोजना लागत	अनुमोदित रिहायशी मकानों की कुल संख्या (नए + उन्नयन)	अनुमोदित कुल केन्द्रीय अंश
1	2	3	4	5	6	7
1.	बिहार	किसनगंज (चरण-II)	1	30.55	1255	12.62
2.	बिहार	गया	1	44.59	1747	19.18
3.	बिहार	फाबर्सगंज	1	21.53	870	9.02
4.	बिहार	जमुई	1	25.30	960	11.17
5.	बिहार	बाढ़	1	34.66	1154	15.42
	कुल	5	5	156.63	5986	67.40
1.	हिमाचंल प्रदेश	सुंदर नगर	1	9.99	208	6.63
2.	हिमाचंल प्रदेश	सर्काघाट	1	7.39	130	5.08
	कुल	2	2	17.38	338	11.71
1.	जम्मू और कश्मीर	बदगाम (अवसंरचना)	1	0.75	0	0.67
2.	जम्मू और कश्मीर	चेनानी	1	2.38	103	1.77
3.	जम्मू और कश्मीर	उड़ी	1	1.55	51	1.21
4.	जम्मू और कश्मीर	अर्निया	1	2.51	124	2.08
5.	जम्मू और कश्मीर	भदेरवाह	1	2.45	103	1.83
6.	जम्मू और कश्मीर	बिलावट	1	3.53	175	2.54
7.	जम्मू और कश्मीर	सिलवर	1	2.12	92	1.57
8.	जम्मू और कश्मीर	चाकमलाई	1	2.49	82	1.94
9.	जम्मू और कश्मीर	डरू वेरिनाग	1	3.34	140	2.49
10.	जम्मू और कश्मीर	कालकोट	1	2.63	83	2.07

1	2	3	4	5	6	7
11.	जम्मू और कश्मीर	लेह	1	9.85	0	8.86
12.	जम्मू और कश्मीर	गंदरबल (अवसंरचना)	1	1.34	0	1.20
13.	जम्मू और कश्मीर	संबलपुर (अवसंरचना)	1	1.66	0	1.49
	कुल	13	13	36.88	953	29.72
1.	झारखण्ड	चतरा (चरण-I)	1	19.83	932	11.72
2.	झारखण्ड	मिहिजाम	1	27.07	1391	15.48
3.	झारखण्ड	सरायकेला	1	27.69	1353	16.15
	कुल	3	3	74.59	3678	43.35
1.	राजस्थान	अनूपगढ़	1	16.39	592	10.75
2.	राजस्थान	बिलारा	1	13.96	574	9.35
3.	राजस्थान	भद्रा	1	37.69	1332	24.25
4..	राजस्थान	बंसवारा	1	4.23	217	2.66
5.	राजस्थान	छोटी सद्री	1	9.22	380	6.20
6.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	1	10.93	433	7.33
7.	राजस्थान	जैसलमेर (चरण-II)	1	32.81	1497	21.87
8.	राजस्थान	कैथून	1	5.06	327	3.45
9.	राजस्थान	केकरी	1	18.60	871	12.77
10.	राजस्थान	कोटा (चरण-II)	1	28.58	845	15.14
11.	राजस्थान	निबाहेड़ा	1	11.06	457	7.59
12.	राजस्थान	पिंडवारा	1	13.26	686	8.00
13.	राजस्थान	पिलबंगा	1	6.41	244	4.27
14.	राजस्थान	रावतसर	1	30.69	1398	18.51
15.	राजस्थान	रावत भाटा	1	36.55	1439	25.16
16.	राजस्थान	संगोड	1	9.01	442	6.09
17.	राजस्थान	सुमेरपुर	1	10.36	529	6.64
18.	राजस्थान	टोंक (चरण-II)	1	9.45	384	5.97
	कुल	18	18	304.28	12647	196.00
1.	पंजाब	भटिंडा (चरण-I)	1	26.32	592	9.89
2.	पंजाब	भटिंडा (चरण-II)	1	59.85	1328	23.27
3.	पंजाब	बुडलाडा	1	17.92	384	6.90
4.	पंजाब	भिखी (वार्ड नं.-5)	1	5.02	64	2.42

1	2	3	4	5	6	7
5.	पंजाब	भिखी (वाड नं. 12)	1	15.01	302	5.91
6.	पंजाब	बारेटा (चरण-I)	1	19.75	400	9.91
7.	पंजाब	बारेटा (चरण-II)	1	12.14	240	4.86
8.	पंजाब	मनसा	1	12.99	240	5.37
9.	पंजाब	मोउर	1	30.47	672	11.74
10.	पंजाब	सर्दुलगढ़ (चरण-I)	1	34.52	704	14.08
11.	पंजाब	सर्दुलगढ़ (चरण-II)	1	19.03	400	7.41
	कुल	11	11	2353.01	5326	9976
1.	मध्य प्रदेश	सिंगोली	1	3.69	120	2.28
2.	मध्य प्रदेश	अमरवादा	1	6.57	274	3.82
3.	मध्य प्रदेश	जीरापुर	1	4.00	145	2.39
4.	मध्य प्रदेश	महिदपुर	1	8.38	441	5.93
5.	मध्य प्रदेश	दिकेन	1	3.82	124	2.36
	कुल	5	5	26.46	1104	16.78
1.	उड़ीसा	पटनागढ़	1	4.11	159	2.72
2.	उड़ीसा	फुलबनी	1	4.06	157	2.70
	कुल	2	2	8.17	316	5.42
1.	उत्तर प्रदेश	अकरमपुर शहर	1	12.88	345	6.99
2.	उत्तर प्रदेश	बच्छवाड़ा	1	11.40	284	7.02
3.	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	1	23.87	750	14.85
4.	उत्तर प्रदेश	फैजाबाद शहर	1	41.95	1197	25.31
5.	उत्तर प्रदेश	घिरोर	1	16.10	450	9.62
6.	उत्तर प्रदेश	कोरीपुर	1	6.08	180	3.63
7.	उत्तर प्रदेश	लालगंज	1	9.62	246	6.31
8.	उत्तर प्रदेश	मऊ शहर	1	19.22	479	1073
9.	न्उत्तर प्रदेश	मुसाफीर खाना	1	15.86	534	9.91
10.	उत्तर प्रदेश	पी.पी. गंज	1	19.02	544	11.29
11.	उत्तर प्रदेश	पडरौना	1	29.94	912	17.73
12.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	1	37.38	1031	22.42
13.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली (0.7 स्लम)	1	19.19	429	12.08
14.	उत्तर प्रदेश	संदिला हरदोई	1	8.00	252	4.68
15.	उत्तर प्रदेश	ठाकुरद्वारा (चरण-II)	1	29.26	846	15.20
	कुल	15	15	299.77	8479	177.76
	सकल योग	74	74	1177.17	38825	647.90

विवरण IV

157 शहरों की सूची

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश क नाम	जारी की गई (लाख रु.) में/ शहरों की संख्या	शहर-एसएफसीपी द्वारा जारी की गई राशि
1	2	3	4
			(वित्तीय वर्ष 2009-10)
1.	आंध्र प्रदेश	472.72 (10 शहर)	1 ग्रेटर हैदराबाद नगर-निगम (जीएचएमसी)
		969.40 लाख की दूसरी किश्त (2011) में निर्मुक्त की गई।	2 ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर-निगम (जीवीएमसी)
			3 विजयवाड़ा
			4 तिरूपति
			5 गुंटूर
			6 नैल्लोर
			7 करनूल
			8 राजामुन्दरी
			9 वारंगल
			10 काकीनाड़ा
2.	असम	76.34 (एक शहर)	11 गुवाहाटी
3.	बिहार	191.59 (चार शहर)	12 पटना
			13 गया
			14 भागलपुर
			15 मुज्जफरपुर
4.	छत्तीसगढ़	182.88 (चार शहर)	16 भिलाई नगर
			17 रायपुर
			18 बिलासपुर
			19 कोरबा
5.	गुजरात	431.64 (आठ शहर)	20 अहमदाबाद
			21 सूरत
			23 वडोदरा
			24 राजकोट
			25 भावनगर
			26 भड़ूच

1	2	3	4
			27 पोरबन्दर
6.	हरियाणा	151.3(तीन शहर)	28 फरीदाबाद
			29 पानीपत
			30 यमुना नगर
7.	हिमाचल प्रदेश	63.84(एक शहर)	31 शिमला
8.	झारखंड	206.11 (चार शहर)	32 जमशेदपुर
			33 धनबाद
			34 रांची
			35 बोकारो स्टील सिटी
9.	कर्नाटक	400.4 (आठ शहर)	36 बंगलोर
			37 मैंसूर
			38 हुबली-धारवाड़
			39. मैंगलोर
			40. बेलगांव
			41. गुलबर्ग
			42 देवनगरी
			43 बिल्लारी
10.	केरल	263.31 (छः शहर)	44 कोच्ची
			45 तिरूअनंतपुरम
			46 कोझीकोडे
			47 कन्यूर
			48 कोल्लम
			49 थ्रिसूर
11.	मध्य प्रदेश	288.25 (छः शहर)	50 इंदौर
			51 भोपाल
			52 जबलपुर
			53 ग्वालियर
			54 उज्जैन
			55 सागर

1	2	3	4
12	महाराष्ट्र	944.67 (सौलह शहर)	56 ग्रेटर मुम्बई
			57 पूना
			58 नागपुर
			59 नासिक
			60 औरंगाबाद
			61 शोलापुर
			62 भिवांडी
			63 अमरावती
			64 कोल्हापुर
			65 संगली-मिराज कुपवाड़
			66 नांदेड़-बागला
			67 मालेगांव
			68 अकोला
			69 जलगांव
			70 अहमद नगर
			71 धुले
13	ओडिशा	184.12 (पांच शहर)	72 भुवनेश्वर
			73 पुरी
			74 कटक
			75 राउरकेला
			76 ब्रह्मपुर
14.	राजस्थान	281.15 (छः शहर)	77 जयपुर
			78 जोधपुर
			79 कोटा
			80 बीकानेर
			81 अजमेर
			82 उदयपुर
15.	मणिपुर	55.79 (एक शहर)	83 इम्फाल
16.	तमिलनाडु	480.14 (नौ शहर)	84 चैन्नई नगर निगम

1	2	3	4
			85 कोयम्बटूर
			86 मदुरई
			87 तिरूचिरापल्ली
			88 सालेम
			89 तिरूपुर
			90 तिरूनावेली
			91 एरोडे
			92 वेल्लौर
17.	त्रिपुरा	54.68 (एक शहर)	93 अगरतला
18.	उत्तर प्रदेश	733.17 (अठ्ठारह शहर)	94 कानपुर
			95 लखनऊ
			96 आगरा-नगर निगम
			97 वाराणसी
			98 मेरठ
			99 इलाहाबाद
			100 गाजियाबाद
			101 बरेली
			102 अलीगढ़
			103 मुरादाबाद
			104 गोरखपुर
			105 झांसी नगर-निगम
			106 सहारनपुर
			107 फिरोजाबाद
			108 मुज्जफ्फर नगर
			109 मथुरा
			110 शहाजहानपुर
			111. नोएडा
19.	उत्तरांचल	114.63 (तीन शहर)	112 देहरादून
			113. नैनीताल
			114. हरिद्वार
20.	पश्चिम बंगाल	423.27 (चार शहर)	115. कोलकाता
			116. आसनसोल

1	2	3	4
			117. दुर्गापुर
			118. सिलीगुड़ी (भाग)
21.	अरूणाचल प्रदेश	111.29 (दो शहर)	119 नाहरलागुन
			120 ईटा नगर
22.	अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र	76.18 (एक शहर)	121 पोर्ट ब्लेयर
23.	दमन और दीव	58.06 (दो शहर)	122 दमन
			123 द्वीव
24.	दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	43.45 (दो शहर)	124 सिलवासा
			125 अमली
25.	दिल्ली	981.96 (डीएमसी)	126 दिल्ली क्षेत्र का नगर-निगम
26.	गोवा	111.70 (तीन शहर)	127 मारमागोवा
			128 पणजी
			129 मारगोवा
27.	जम्मू और कश्मीर	236.80 (छ: शहर)	130 जम्मू
			131 श्रीनगर
			132 अनंत नाग
			133 उधमपुर
			134 बारामूल
			135 कठुआ
28.	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	15.00 (तीन शहर)	136 आमीनी
			137 कवरत्ती
29.	मेघालय	95.63 (एक शहर)	138 मिनीकोए
30.	मिजोरम	467.07 (आठ शहर)	139 शिलोंग
			140 एजाल
			141 चमफई
			142 कोलासिब
			143 लोंगतई
			144 लुंग टाई
			145 मामित
			146 साईहा

1	2	3	4
			147 सरचिप
31.	नागालैण्ड	108.03 (दो शहर)	148 कोहिमा
			149 दिमापुर
32.	पुदुचेरी	79.01 (दो शहर)	150 पुदुचेरी
			151 ओझूकरी
33.	सिक्किम	62.39 (एक शहर)	152 गंगटोक
34.	पंजाब	583.34 (पांच शहर)	153 लुधियाना
			154 अमृतसर
			155 जालंधर
			156 पटियाला
			157 भटिंडा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत उपलब्धियां

*117. **श्री एंटो एंटोनी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों तथा हासिल उपलब्धियों का राज्य-वार और फसल-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) मानीटरिंग तथा मूल्यांकन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) के अनिवार्य घटक हैं। कृषि मंत्री की अध्यक्षता में गठित सामान्य परिषद (जी.सी.) के पूर्ण मार्गदर्शन में एक त्रिस्तरीय मानीटरिंग ढांचा स्कीम के सुचारु कार्यकरण के संचालन के लिए कार्य कर रहा है। किसी बाहरी एजेंसी से मध्यकालिक मूल्यांकन चल रहा है, फिर भी राज्यों द्वारा सूचित प्रगति, मानीटरिंग रिपोर्टों तथा उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में निष्पादन के आधार पर स्कीम का एक आंतरिक आकलन आयोजित किया गया था।

(ख) स्कीम का आंतरिक आकलन दर्शाता है कि स्कीम को किसानों द्वारा संस्तुत प्रौद्योगिकियों के अपनाने के संबंध में लक्ष्य वाले जिलों में अत्यधिक अपनाया गया था। मिशन के संकेन्द्रित और लक्ष्योन्मुख कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप इसके कार्यान्वयन के 4 वर्षों के भीतर खाद्यान्न उत्पादन 20 मिलियन टन के लक्ष्य की तुलना में 24.28 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन हुआ है। मिशन ने सकारात्मक उत्पादन प्राप्ति दर्शाते हुए एन.एफ.एस.एम. जिलों के लगभग दो तिहाई जिलों के साथ देश की भोजन टोकरी (फूड बास्केट) को बड़ा करने में भी मदद की है।

(ग) पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और वर्तमान वर्ष में एन.एफ.एस.एम. के अधीन वित्तीय आवंटन और निर्मुक्त की गई निधि का राज्यवार तथा फसलवार ब्यौरा क्रमशः विवरण I, II, III व IV पर दर्शाया गया है।

(घ) और (ङ) स्थान विशिष्ट, खाद्यान्न फसलों के त्वरित उत्पादन पर उत्पादन रणनीतियों के संकेन्द्रण, परिसम्पत्ति निर्माण, संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण तथा संरक्षण कृषि, पूर्वी क्षेत्र, वर्षा सिंचित क्षेत्रों और दलहनों, कदन्न व चारा पर फसल विशिष्ट पहलों के संवर्धन के साथ XIIवीं योजना के दौरान एन.एफ.एस.एम. का पुनरुद्धार किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण I

वर्ष 2008-09 के दौरान एनएफएसएम-चावल, एनएफएसएम-गेहूं और एनएफएसएम-दलहन के अधीन एनएफएसएम-आवंटन, निधियों की निर्मुक्ति और खर्च की गई राशि

(करोड़ रु. में)

	राज्य	चावल			गेहूं			दलहन			कुल योग		
		आवंटन	निर्मुक्त राशि	व्यय	आवंटन	निर्मुक्त राशि	व्यय	आवंटन	निर्मुक्त राशि	व्यय	आवंटन	कुल निर्मुक्त राशि	कुल व्यय
1.	आन्ध्र प्रदेश	36.69	24.15	24.98	0.00	0.00	0	68.34	59.00	56.84	105.03	83.15	81.82
2.	असम	32.43	26.86	30.32	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	32.43	26.86	30.32
3.	बिहार	39.28	37.00	11.43	40.87	24.02	22.38	29.46	20.03	8.04	109.61	81.05	41.85
4.	छत्तीसगढ़	35.30	29.00	20.61	0.00	0.00	0	52.22	42.65	33.9	87.52	71.65	54.51
5.	गुजरात	4.45	2.76	0.34	9.48	2.43	4.7	7.21	3.04	1.67	21.14	8.23	6.71
6.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	25.53	10.30	22.67	1.68	0.75	0.75	27.21	11.05	23.42
7.	झारखंड	12.77	9.50	3.19	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	12.77	9.50	3.19
8.	कर्नाटक	19.39	17.73	7.07	0.00	0.00	.	15.92	11.92	11.18	35.31	29.65	18.25
9.	केरल	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	.	0.00	0.00	0	1.89	1.89	1.89
10.	मध्य प्रदेश	20.89	14.16	6.10	42.85	26.18	27.17	50.83	24.05	24.79	114.58	64.38	58.06
11.	महाराष्ट्र	15.06	14.53	11.57	19.51	18.82	16.94	42.78	37.57	39.65	77.35	70.92	68.16
12.	उड़ीसा	40.02	35.64	40.02	0.00	0.00	0	28.43	25.90	28.44	68.45	61.54	68.46
13.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	41.09	33.91	39.21	4.10	1.78	1.96	45.19	35.69	41.17
14.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	25.59	10.96	18.53	14.63	7.12	7.48	40.22	18.08	26.01
15.	तमिलनाडु	41.18	3099	27.29	0.00	0.00	92.83	6.14	2.02	2.33	47.32	33.01	29.62
16.	उत्तर प्रदेश	33.74	44.89	11.61	120.07	89.61	92.83	38.43	20.70	18.29	192.24	155.20	122.73
17.	पश्चिम बंगाल	49.02	47.53	28.551	5.69	2.20	2.8	15.69	13.63	7.94	70.39	63.36	39.29
	कुल	382.11	336.63	224.97	330.68	218.43	247.2	375.87	270.15	243.3	1088.65	825.21	715.46

विवरण II

वर्ष 2009-10 के दौरान एनएफएसएम-चावल, एनएफएसएम-गेहूं और एनएफएसएम-दलहन के अधीन एनएफएसएम-आवंटन, निधियों की निर्मुक्ति और खर्च की गई राशि

(करोड़ रु. में)

	राज्य	चावल			गेहूं			दलहन			कुल योग		
		आवंटन	निर्मुक्त राशि	व्यय	आवंटन	निर्मुक्त राशि	व्यय	आवंटन	निर्मुक्त राशि	व्यय	आवंटन	कुल निर्मुक्त राशि	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	46.69	38.32	36.84	0	0.00	0.00	95.54	84.02	91.07	142.23	122.34	127.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	असम	41.3	36.11	41.07	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	41.30	36.11	41.07
3.	बिहार	19.83	0.00	17.13	57.54	25.00	50.94	48.26	18.34	21.67	125.63	43.34	89.74
4.	छत्तीसगढ़	49.88	20.66	20.09	0	0.00	0.00	42.55	0.00	13.22	92.43	20.66	33.31
5.	गुजरात	1.92	0.00	0.65	6.58	4.51	5.87	14.19	10.47	7.89	22.69	14.98	14.41
6.	हरियाणा	0	0.00	0.00	23.21	20.35	18.41	10.74	8.30	8.35	33.95	28.65	26.76
7.	झारखंड	16.95	4.68	8.17		0.00	0.00	0	0.00	0.00	16.95	4.68	8.17
8.	कर्नाटक	25.05	12.48	18.81	0	0.00	0.00	39.2	34.67	39.26	64.25	47.15	58.07
9.	केरल	3.91	2.78	2.78	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	3.91	2.78	2.78
10.	मध्य प्रदेश	14.59	0.00	6.90	56.42	25.00	37.23	53.97	34.33	39.70	124.98	59.33	83.83
11.	महाराष्ट्र	25.63	22.13	26.54	21.26	18.69	21.75	68.18	65.05	64.67	115.07	105.87	112.96
12.	उड़ीसा	40.25	40.25	40.20	0	0.00	0.00	24.74	22.16	22.61	64.99	62.41	62.81
13.	पंजाब	0	0.00	0.00	52.96	50.30	46.51	11.64	10.92	8.40	64.60	61.22	54.91
14.	राजस्थान	0	0.00	0.00	31.95	26.38	22.87	20.25	11.68	17.14	52.20	38.06	40.01
15.	तमिलनाडु	29.69	17.79	27.11	0	0.00	0.00	14.92	12.28	9.65	44.61	30.07	36.76
16.	उत्तर प्रदेश	77.16	41.17	33.41	164.27	135.92	153.37	71.08	49.19	40.88	312.51	226.28	227.66
17.	पश्चिम बंगाल	72.02	51.82	56.60	7.83	7.27	6.27	20.19	12.56	11.37	11.04	71.65	74.24
	कुल	464.87	288.19	336.30	422.02	313.42	363.22	535.45	373.97	395.88	1422.34	945.58	1095.40

विवरण III

वर्ष 2010-11 के दौरान एनएफएसएम-चावल, एनएफएसएम-गेहूं और एनएफएसएम-दलहन के अधीन एनएफएसएम-आवंटन, निधियों की निर्मुक्ति और खर्च की गई राशि

(करोड़ रु. में)

	राज्य	चावल			गेहूं			ए3पी			दलहन			सकल योग		
		आवंटन	निर्मुक्त राशि	व्यय	आवंटन	निर्मुक्त राशि	व्यय	आवंटन	निर्मुक्त राशि	व्यय	आवंटन	निर्मुक्त राशि	व्यय	आवंटन	निर्मुक्त राशि	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	49.93	39.52	46.33	0.00	0	0	52.47	47.1	48.1	32.8	32.80	12.54	135.2	119.42	106.97
2.	असम	59.15	58.92	28.51	0.00	0	0	6.00	5.48	5.48	2.18	2.18	1.09	67.33	66.58	35.08
3.	बिहार	18.59	15.08	16.83	35.61	29.37	30.4	15.11	1.1	11.92	6.01	6.01	6.01	75.32	51.56	65.155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	छत्तीसगढ़	37.67	5.46	14.33	0.00	0	0	17.07	5.33	7.3	8.75	8.75	5.12	63.49	19.54	26.75
5.	गुजरात	1.65	0	1.94	6.64	4.44	5.21	17.68	6.34	12.61	13.12	13.11	10.40	39.09	23.89	30.16
6.	हरियाणा	0.00	0	0	24.09	22.08	22.56	10.82	9.3	9.67	4.37	4.37	3.97	39.28	35.75	36.2
7.	झारखंड	10.69	5.78	3.94	0.00	0	0	11.59	5.79	3.73	4.92	4.92	1.61	27.2	16.49	9.28
8.	कर्नाटक	19.53	9.63	15.07	0.00	0	0	41.82	33.92	34.36	28.97	28.97	28.58	90.32	72.52	78.01
9.	केरल	2.62	2.1	2.1	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0	2.62	2.1	2.1
10.	मध्य प्रदेश	11.32	7.9	7	44.58	28	28.89	92.18	58.14	60.13	66.68	66.68	55.25	214.76	160.72	151.27
11.	महाराष्ट्र	23.92	19.13	18.26	26.40	21.12	19.94	61.41	50.02	51.18	56.85	56.85	ठी).78	168.58	147.12	146.16
12.	उड़ीसा	43.13	39.45	41.56	0.00	0	0	17.42	13.07	15	6.01	6.01	6.01	66.56	58.53	62.57
13.	पंजाब	0.00	0	0	41.34	34	37.21	6.52	3.02	5.88	0.55	0.55	0.55	48.41	37.57	43.64
14.	राजस्थान	0.00	0	0	22.20	9	16.62	52.60	34.25	38.89	32.8	32.80	23.24	107.6	76.05	78.75
15.	तमिलनाडु	26.00	17.86	22.52	0.00	0	0	15.33	5.11	9.99	7.11	7.11	6.93	48.44	30.08	39.44
16.	उत्तर प्रदेश	80.56	10	44.22	121.62	98.77	102.31	58.05	34.91	40.16	33.89	33.89	27.25	294.12	177.57	213.94
17.	पश्चिम बंगाल	49.04	24.8	40.23	8.02	5.86	6.57	5.09	0	3.09	3.28	3.28	2.72	65.43	33.94	52.610
	कुल	433.80	255.6	302.84	330.50	252.64	269.71	481.16	312.88	357.49	308.29	308.28	248.05	1553.75	1129.43	1178.09

विवरण IV

वर्ष 2010-11 के दौरान 22.11.2011 तक एनएफएसएम-चावल, एनएफएसएम-गेहूं और एनएफएसएम-दलहन के अधीन एनएफएसएम-आवंटन, निधियों की निर्मुक्ति और खर्च की गई राशि

(करोड़ रु. में)

	राज्य	चावल			गेहूं			ए3पी			दलहन			सकल योग		
		आवंटन	निर्मुक्त राशि	व्यय	आवंटन	निर्मुक्त राशि	व्यय	आवंटन	निर्मुक्त राशि	व्यय	आवंटन	निर्मुक्त राशि	व्यय	आवंटन	निर्मुक्त राशि	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	39.27	35.01	17.10	0.00		0.00	38.89	42.22	20.27	23.97	11.68	0.00	102.13	88.91	37.37
2.	असम	25.24	5.67	0.00	0.00		0.00	5.71	8.06	0.00	3.02	1.85	0.00	33.97	15.58	0.00
3.	बिहार	19.26	17.79	7.83	37.47	28.10	0.00	11.76	8.44	0.92	4.72	4.54	0.00	73.21	58.87	8.75
4.	छत्तीसगढ़	34.48	30.01	0.10	0.00		0.00	14.88	11.53	3.24	5.13	2.80	0.00	54.49	44.34	3.34
5.	गुजरात	1.90	0.35	1.06	6.15	4.54	0.00	.13.52	13.52	6.15	8.70	5.55	0.00	30.27	23.96	7.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	हरियाणा	0.00		0.00	20.28	14.37	0.00	5.48	6.60	0.82	3.87	3.32	0.00	29.63	24.29	0.82
7.	जम्मू और कश्मीर	3.59	2.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59	2.69	0.00
8.	झारखंड	8.29		0.78	0.00		0.00	11.45	4.55	1.16	2.81	1.00	0.00	22.55	5.55	1.94
9.	कर्नाटक	17.38	12.31	5.52	0.00		0.00	36.47	31.49	9.05	17.58	15.60	0.00	71.43	*59.40	14.57
10.	केरल	3.04	2.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	2.28	0.00
11.	मध्य प्रदेश	10.61	8.57	4.93	43.53	26.74	0.00	71.23	72.83	14.93	41.10	33.68	0.00	166.47	141.82	19.86
12.	महाराष्ट्र	20.45	19.17	3.82	22.17	16.28	0.00	66.52	31.71	9.45	34.70	31.20	0.00	143.84	98.36	13.27
13.	उड़ीसा	35.97	33.55	19.35	0.00		0.00	13.21	15.68	2.15	4.63	4.44	0.00	53.81	53.67	21.50
14.	पंजाब	0.00		0.00	38.39	27.53	0.00	6.10	7.17	0.00	0.50	0.48	0.00	44.99	35.18	0.00
15.	राजस्थान	0.00		0.00	22.65	16.78	0.00	50.23	35.60	13.28	21.79	11.24	0.00	94.67	63.62	13.28
16.	तमिलनाडु	21.44	21.58	3.04	0.00		0.00	10.06	2.32	2.55	3.70	3.30	0.00	35.20	27.20	5.59
17.	उत्तर प्रदेश	66.55	61.34	33.58	118.51	86.21	0.00	65.77	68.39	14.37	20.97	14.02	0.00	271.80	229.96	47.95
18.	पश्चिम बंगाल	40.84	25.76	1.07	7.43	3.64	0.00	6.70	0.00	0.00	2.06	1.40	0.00	57.03	30.80	1.07
	कुल	348.31	216.08	98.18	316.58	224.19	0.00	427.98	360.11	98.34	199.25	146.10	0.00	1292.12	1006.48	196.52

बंद पड़ी चीनी मिलों का पुनरुद्धार

***118. श्री राजय्या सिरिसिल्ला:**
डॉ. संजय सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में अनेक चीनी मिलें बंद या रुग्ण हो गई हैं अथवा बंद होने/रुग्णता के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा उक्त अवधि के दौरान देश में कार्यरत बंद पड़ी/रुग्ण और पुन: शुरू की गई/पुनरुद्धार की गई चीनी मिलों की राज्य-वार, वर्ष-वार तथा क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त मिलों के पुनरुद्धार के लिए उठाए गए कदमों तथा आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इथेनॉल के मूल्य तय करने तथा चीनी मिलों को लाभकर बनाने के लिए तेल कंपनियों को इसकी खरीद के लिए प्रोत्साहित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) पिछले तीन चीनी मौसमों (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान वर्षवार, राज्यवार, क्षेत्रवार कार्यशील, कार्य नहीं करने वाली और बंद पड़ी चीनी मिलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर है। राज्यवार रुग्ण चीनी मिलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। वर्तमान वर्ष के संबंध में स्थिति नहीं दर्शाई जा सकती है क्योंकि वर्तमान चीनी मौसम की शुरुआत 1 अक्तूबर, 2011 को ही हुई है। सामान्यत: चीनी मिलों के बंद/रुग्ण होने के कारण हैं - पर्याप्त कच्चे माल की अनुपलब्धता, गन्ने से कम रिकवरी, अलाभकर आकार, आधुनिकीकरण की कमी, उन्नयन और विविधीकरण, कार्यशील पूंजी की ऊंची लागत, कुछ राज्यों द्वारा गन्ने के अधिक राज्य परामर्शित मूल्य की घोषणा, शीरे का नियंत्रण, व्यावसायिक प्रबंधन की कमी, अधिक

स्टॉफ आदि। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश और बिहार प्रत्येक में दो चीनी मिलें और तमिलनाडु में एक चीनी मिल पुन: शुरू की गई।

(ग) जहां तक निजी क्षेत्र का संबंध है, बंद पड़ी/रुग्ण चीनी मिलों को पुन: खोलने/पुनरुद्धार करने के लिए उपाय करने की जिम्मेदारी संबंधित उद्यमी की है और सार्वजनिक तथा सहकारी चीनी मिलों के मामले में यह जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। केन्द्रीय सरकार के स्तर पर चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 में संयंत्र और मशीनरी के आधुनिकीकरण या पुनर्स्थापन और गन्ना विकास के लिए रियायती ऋण तथा संभाव्य रूप से व्यवहार्य रुग्ण चीनी उपक्रमों के लिए चीनी विकास निधि ऋणों की पुनर्संरचना का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय वर्ष 2005-06 से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के जरिये व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य सहकारी चीनी मिलों के आवधिक ऋणों की पुनर्संरचना के लिए 3% के ब्याज परिदान की सुविधा लागू की है।

(घ) और (ङ) सरकार ने पेट्रोल के साथ 5% इथनॉल का मिश्रण अनिवार्य कर दिया है और 27/- रुपये प्रति लीटर का तदर्थ निकासी मूल्य निर्धारित किया है। यह मूल्य इथनॉल के मूल्य के लिए फार्मूला/सिद्धांतों का निर्धारण करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर प्राप्त अंतिम मूल्य के साथ समायोजन के विषयाधीन होगा। 'इथनॉल के मूल्य निर्धारण पर विशेषज्ञ समिति' ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें इथनॉल के मूल्य निर्धारण पर उसकी सिफारिशें सन्निहित हैं।

विवरण I

चीनी मौसम 2010-11 के दौरान कार्यशील और बंद पड़ी चीनी मिलों की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या

(30.09.2011 की स्थिति के अनुसार) (अनंतिम)

क्र.सं	राज्य	सहकारी क्षेत्र		सार्वजनिक क्षेत्र/राज्य की अपनी		निजी क्षेत्र		जोड़	जोड़	
		कार्यशील	बंद पड़ी	कार्यशील	बंद पड़ी	कार्यशील	बंद पड़ी		कार्यशील	बंद पड़ी
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पंजाब	10	7	0	0	6	1	24	16	8
2.	हरियाणा	11	2	0	0	3	0	16	14	2
3.	राजस्थान	0	1	1	0	0	1	3	1	2
4.	उत्तराखंड	4	0	2	0	4	0	10	10	0
5.	उत्तर प्रदेश	23	6	9	22	92	4	156	124	32
6.	मध्य प्रदेश	3	2	0	2	9	2	18	12	6
7.	छत्तीसगढ़	3	0	0	0	0	0	3	3	0
8.	गुजरात	18	6	0	0	1	0	25*	19	6
9.	दादरा और नगर हवेली	0	1	0	0	0	0	1	0	1
10.	महाराष्ट्र	129	40	0	0	35	3	207	164	43
11.	बिहार	0	0	0	15	9	4	28	9	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. असम	0	2	0	0	0	1	3	0	3
13. उड़ीसा	2	2	0	0	3	1	8	5	3
14 पश्चिम बंगाल	0	0	0	1	2	0	3*	2	1
15 नागालैंड	0	0	0	1	0	0	1	0	1
16. आंध्र प्रदेश	9	5	0	1	27	2	44	36	8
17 कर्नाटक	22	2	2	1	34	5	66	58	8
18 तमिलनाडु	16	0	2	1	25	1	45	43	2
19 पुदुचेरी	1	0	0	0	1	0	2	2	0
20 केरल	0	1	0	0	0	1	2	0	2
21 गोवा	1	0	0	0	0	0	1	1	0
अखिल भारत	252	77	16	44	251	26	666	519	147

*इसमें दो चीनी रिफाइनरियों यथा पश्चिम बंगाल में देभोग और गुजरात में भाड़ापार शामिल है, जिन्होंने चीनी उत्पादन की सूचना दी है।

चीनी मौसम 2009-10 के दौरान कार्यशील और बंद पड़ी चीनी मिलों की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या

(अनंतिम)

क्र.सं. राज्य	सहकारी क्षेत्र		सार्वजनिक क्षेत्र/राज्य की अपनी		निजी क्षेत्र		जोड़	जोड़	
	कार्यशील	बंद पड़ी	कार्यशील	बंद पड़ी	कार्यशील	बंद पड़ी		कार्यशील	बंद पड़ी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. पंजाब	10	6	0	0	5	2	23	15	8
2. हरियाणा	11	2	0	0	3	0	18	14	2
3. राजस्थान	0	1	1	0	0	1	3	1	2
4. उत्तराखंड	4	0	2	0	4	0	10	10	0
5. उत्तर प्रदेश	25	3	11	22	91	4	156	127	29
6. मध्य प्रदेश	3	2	0	2	7	4	18	10	8
7. छत्तीसगढ़	1	0	0	0	0	0	1	1	0
8. गुजरात	17	6	0	0	1	0	24	18	8
9. महाराष्ट्र	109	58	0	0	31	3	201	140	61
10. बिहार	0	0	0	15	9	4	28	9	19
11. असम	0	2	0	0	0	1	3	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	उड़ीसा	2	2	0	0	2	2	8	4	4
13.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	1	1	1	3*	2*
14.	नागालैंड	0	0	0	1	0	0	1	0	1
15.	आंध्र प्रदेश	9	5	0	1	26	2	43	35	8
16.	कर्नाटक	16	5	2	1	34	6	84	52	12
17.	तमिलनाडु	15	2	2	1	23	2	45	40	5
18.	पुदुचेरी	1	0	0	0	1	0	2	2	0
19.	केरल	0	1	0	0	0	1	2	0	2
20.	गोवा	1	0	0	0	0	0	1	1	0
	अखिल भारत	224	95	18	44	238	33	652	480	172

*इसमें दो चीनी रिफाइनरियों यथा पश्चिम बंगाल में देभोग और गुजरात में भाड़ापार शामिल है, जिन्होंने चीनी उत्पादन की सूचना दी है।

चीनी मौसम 2008-09 के दौरान कार्यशील और बंद पड़ी चीनी मिलों की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या

(अनंतिम)

क्र.सं	राज्य	सहकारी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र/राज्य की अपनी			निजी क्षेत्र		जोड़	जोड़	
		कार्यशील	बंद पड़ी	कार्यशील	बंद पड़ी	कार्यशील	बंद पड़ी		कार्यशील	बंद पड़ी
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पंजाब	10	7	0	0	6	0	23	16	7
2.	हरियाणा	12	1	0	0	3	0	16	15	1
3.	राजस्थान	0	1	1	0	0	1	3	1	2
4.	उत्तराखंड	4	0	2	0	4	0	10	10	0
5.	उत्तर प्रदेश	25	3	14	19	91	3	155	130	25
6.	मध्य प्रदेश	3	2	0	2	5	2	14	8	6
7.	छत्तीसगढ़	1	0	0	0	0	0	1	1	0
8.	गुजरात	17	6	0	0	1	0	24	18	6
9.	महाराष्ट्र	119	46	0	0	28	2	195	147	48
10.	बिहार	0	0	0	15	9	4	28	9	19
11.	असम	0	2	0	0	0	1	3	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	उड़ीसा	3	1	0	0	2	2	8	5	3
13.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	1	2	0	3*	2'	1
14.	नागालैंड	0	0	0	1	0	0	1	0	1
15.	आंध्र प्रदेश	9	5	0	1	26	2	43	35	8
16.	कर्नाटक	15	7	2	1	31	5	61	48	13
17.	तमिलनाडु	15	1	2	1	20	2	41	37	4
18.	पुदुचेरी	1	0	0	0	0	1	2	1	1
19.	केरल	0	1	0	0	0	1	2	0	2
20.	गोवा	1	0	0	0	0	0	1	1	0
	अखिल भारत	235	83	21	41	228	26	634	484	150

*इसमें पश्चिम बंगाल में देभोग चीनी रिफाइनरी शामिल है जिसने देसी चीनी उत्पादन के बारे में सूचना नहीं दी है।

विवरण II

राज्यवार रूग्ण चीनी मिलें

राज्य	सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में (बीआईएफआर के आंकड़े)*	सहकारी निजी क्षेत्र में (नाबार्ड के आंकड़े)**	जोड़
1	2	3	4
पंजाब	0	6	6
हरियाणा	0	7	7
महाराष्ट्र	6	65	71
उत्तर प्रदेश	16	25	41
उत्तराखंड	1	4	5
केरल	0	1	1
तमिलनाडु	3	12	15
कर्नाटक	5	15	20
गुजरात	1	6	7
बिहार	1	0	1
आंध्र प्रदेश	0	0	9

1	2	3	4
असम	1	0	1
मध्य प्रदेश	2	1	3
उड़ीसा	1	0	1
गोवा	0	1	1
अखिल भारत	37	152	189

नोट: * 37 चीनी मिलों में से, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने 14 मामलों को 'गैर-अनुरक्षणीय' के रूप में खारिज कर दिया है और 7 मामलों में उन्होंने बंद करने की सिफारिश की है जैसाकि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के दिनांक 24.11.2011 के पत्र द्वारा सूचित किया गया है।

** ये चीनी मिलें ऋणात्मक नेटवर्थ वाली हैं जैसाकि नाबार्ड के दिनांक 24.11.2011 के पत्र द्वारा सूचित किया गया है।

कृषि बीमा योजना

***119. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:**
श्री लालचन्द कटारिया:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राष्ट्रीय स्तर पर कौन-कौन सी विभिन्न कृषि बीमा योजनाएं चल रही हैं;

(ख) क्या संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को संपूर्ण देश में लागू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;

(घ) कौन-कौन से राज्य ग्राम पंचायतों को बीमा इकाई मानकर संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू नहीं कर रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार अन्य फसल बीमा योजनाओं में भी संशोधन करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में आगे और क्या कार्रवाई की जा रही है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) सरकार देश में पांच फसल बीमा योजनाएं अर्थात राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.), मार्गदर्शी संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एम.एन.ए.आई.एस.), मार्गदर्शी मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.), मार्गदर्शी नारियल पॉम बीमा स्कीम (सी.पी.आई.एस.), एवं कॉफी उत्पादकों के लिए जोखिम प्रबंधन सहायता के रूप में मौसम (वर्षा) बीमा कार्यान्वित कर रही है।

(ख) से (घ) संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एम.एन.ए.आई.एस.) रबी 2010-11 से देश में 50 जिलों में मार्गदर्शी आधार पर कार्यान्वियन के लिए भारत सरकार द्वारा संलग्न विवरण-I के अनुसार अनुमोदित की गई है। योजना को रबी 2010-11 के दौरान 12 राज्यों के 34 जिलों में कार्यान्वियन के लिए अधिसूचित किया गया है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

(ङ) से (छ) दिशानिर्देशों के अनुसार डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस., एम.एन.ए.आई.एस. एवं सी.पी.आई.एस. का संबंधित मार्गदर्शी अवधियों के पूरा होने के पश्चात मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है ताकि मूल्यांकन के आधार पर आगे इनका कार्यान्वयन और यदि आवश्यक हो, तो इनमें कोई संशोधन किया जा सके।

विवरण I

राज्यवार जिलों (50) की सूची

क्र.सं.	राज्य/के.शा.प्रदेश का नाम	जिलों का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	नेल्लौर, प्रकासम, वारंगल
2.	असम	धुबरी, कामरूप

1	2	3
3.	बिहार	मुंगेर, जमुई, शिवहर
4.	छत्तीसगढ़	रायपुर
5.	गोवा	नार्थ गोवा
6.	गुजरात	भावनगर, साबरकांथा, खेड़ा, गांधीनगर
7.	हरियाणा	रोहतक
8.	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर, हमीरपुर
9.	झारखंड	रांची
10.	कर्नाटक	गुलबर्गा, शिमोगा, टुमकुर
11.	महाराष्ट्र	अहमदनगर, अकोला, बुल्डाना, वाशिम
12.	मध्य प्रदेश	दतिया, शिओपुर, ग्वालियर
13.	मिजोरम	सेरच्चिप
14.	उड़ीसा	बालासोर, कटक, नुआपाड़ा
15.	पंजाब	होशियारपुर, गुरदासपुर, रोपड़
16.	राजस्थान	अलवर, टोंक, भरतपुर
17.	सिक्किम	पूर्वी सिक्किम
18.	तमिलनाडु	कुड्डालोर, नमक्काल, शिवगंगा
19.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी, उन्नाव, बुलंदशहर, ललितपुर
20.	उत्तराखंड	देहरादून
21.	पश्चिम बंगाल	कूचबिहार, बिरभूम, बर्द्धमान

विवरण II

रबी 2010-11 के दौरान एमएनएआईएस के तहत कवर किए गए/लाभार्थी किसान

क्र.सं.	राज्य	फार्म की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	54195
2.	असम	2097
3.	बिहार	37123
4.	छत्तीसगढ़	18
5.	गुजरात	125
6.	झारखंड	183
7.	कर्नाटक	8742
8.	मध्य प्रदेश	34535
9.	महाराष्ट्र	3663
10.	उड़ीसा	40434
11.	उत्तराखंड	9642
12.	उत्तर प्रदेश	167661
	मौसम का कुल	358418

तटीय सुरक्षा योजना

***120. श्री पी.टी. थामसः**
श्री एन.एस.वी. चित्तनः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में विभिन्न चरणों में तटीय सुरक्षा योजना लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और अब तक प्राप्त किए गए हैं;

(ग) तटीय क्षेत्रों की राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने तथा इस योजना के प्रथम चरण के कार्यान्वयन में यदि किन्हीं खामियों का पता चला हो, को दूर करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ङ) तटीय सुरक्षा योजना दो चरणों में कार्यान्वित की जा रही है। तटीय सुरक्षा योजना चरण-I वर्ष 2005 से 31.03.2011 तक कार्यान्वित की गई है और यह पूरी हो गई है।

तटीय सुरक्षा योजना चरण-I के अन्तर्गत आने वाले घटक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	तटीय पुलिस स्टेशन	पोत	जीप	मोटर साइकिल	जांच चौकी	सीमा चौकी	बैरक	रबड़ इनफ्लेटेड बोट्स
1.	गुजरात	10	30	20	101	25	46	–	–
2.	महाराष्ट्र	12	28	25	57	32	–	24	–
3.	गोवा	3	9	6	9	–	–	–	10
4.	कर्नाटक	5	15	9	4	–	–	–	–
5.	केरल	8	24	16	24	–	–	–	–
6.	तमिलनाडु	12	24	12	36	40	12	–	–
7.	आंध्र प्रदेश	6	18	12	18	–	–	–	
8.	ओडिशा	5	15	10	15	–	–	–	–
9.	पश्चिम बंगाल	6	18	12	12	–	–	6	–
10.	पुदुचेरी	1	3	2	3	–	–	–	–
11.	लक्षद्वीप	4	6	8	8	–	–	–	–
12.	दमण और दीव	1	4	3	5	–	–	–	–
13.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	.	10	18	20	–	–	–	–
	कुल	73	204	153	312	97	58	30	10

नोटः निगरानी उपकरण, कम्प्यूटर-प्रणालियों और फर्नीचर इत्यादि के लिए प्रति तटीय पुलिस स्टेशन को 10 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता भी प्रदान की गई है।

विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां और योजना (31.03.2011 तक पूर्ण) के अन्तर्गत जारी की गई कुल निधियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	तटीय सुरक्षा योजना चरण-I के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां (2005-11)#
1.	गुजरात	शून्य शून्य	42.60	शून्य	842.600
2.	महाराष्ट्र	शून्य	231.80	शून्य	692.600
3.	गोवा	20.00	37.05	शून्य	153.500
4.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	211.900
5.	केरल	शून्य	237.40	शून्य	356.000
6.	तमिलनाडु	337.80	161.00	शून्य	808.000
7.	आंध्र प्रदेश	74.10	शून्य	शून्य	267.000
8.	ओडिशा	शून्य	182.38	शून्य	265.750
9.	पश्चिम बंगाल	शून्य	157.50	शून्य	353.400
10.	पुदुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	44.500
11.	लक्षद्वीप	75.80	शून्य	शून्य	136.800
12.	दमण और दीव	10.20	शून्य	शून्य	68.350
13.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	26.11	103.900

योजना के तहत अधिकांश निधियां आरम्भिक वर्षों में जारी की गई थीं।

नोट: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आपूर्ति की गई वोटों, तटरक्षकों द्वारा कार्मिकों को प्रशिक्षण, वार्षिक रख-रखाव प्रभार, आयात शुल्क इत्यादि संबंधी भुगतान केन्द्रीय तौर पर किए गए थे।

तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए सुभेद्यता/अन्तराल विश्लेषण (और उनके प्रस्तावों/सुझावों) के आधार पर और तटरक्षक के परामर्श से तटीय सुरक्षा योजना-II 1579.91 करोड़ रुपए के परिव्यय (1154.91 करोड़ रुपए गैर-आवर्ती और 425.00 करोड़ रुपए आवर्ती) से तैयार की गयी है। यह योजना सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है और 01 अप्रैल, 2011 से पांच वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वयनाधीन है। जेट्टियों, रिजिड इन्फ्लेटेबल बोटों, समुद्री संचालन केन्द्रों और बड़े पोतों (अण्डमान एवं निकोबार हेतु) जैसे नए घटकों को शामिल किया गया है।

तटीय सुरक्षा योजना चरण-II के घटक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्टेशन	तटीय पुलिस	नाव/पोत		जेट्टियों की संख्या	चार पहिया वाहन	मोटर साइकिल	
			12 टन	अन्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	गुजरात	12	31			5	12	24
2.	महाराष्ट्र	7	14			3	7	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	गोवा	4	4			2	4	8
4.	कर्नाटक	4	12			2	4	8
5.	केरल	10	20			4	10	20
6.	तमिलनाडु	30	20			12	30	60
7.	आंध्र प्रदेश	15	30			7	15	30
8.	ओडीशा	13	26			5	13	26
9.	पश्चिम बंगाल	8	7			4	8	16
10.	दमण और दीव	2	4			2	2	4
11.	लक्षद्वीप	3	6	12**		2	3	6
12.	पुदुचेरी	3	6			2	3	6
13.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20# ***10 एमओसी		10* 23**		10	20	20
	कुल	131	180			60	131	242

* एल. वी-बड़े पोत ** रिजिड इनफ्लेटेबल वोट्स *** समुद्री संचालन केन्द्र
# वर्तमान 20 तटीय पुलिस स्टेशनों का उन्नयन किया जाएगा।
नोट: निगरानी उपकरणों, कम्प्यूटर प्रणालियों और फर्नीचर इत्यादि के लिए प्रति तटीय पुलिस स्टेशन 15 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता भी दी गई है।

यह योजना चालू वित्तीय वर्ष से शुरू हुई है। चरण-II के तहत जारी की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2011-12
1	2	3
1.	गुजरात	शून्य
2.	महाराष्ट्र	शून्य
3.	गोवा	75.80
4.	कर्नाटक	41.22
5.	केरल	100.00
6.	तमिलनाडु	945.20
7.	आंध्र प्रदेश	97.10
8.	ओडीशा	95.22
9.	पश्चिम बंगाल	शून्य
10.	पुदुचेरी	50.11
11.	लक्षद्वीप	49.19
12.	दमण और दीव	98.00
13.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	25.00

तटीय सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन एवं प्रगति की आवधिक समीक्षा, मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में समुद्री एवं तटीय सुरक्षा सुदृढ़ीकरण संबंधी राष्ट्रीय समिति (एन.सी.एस.एम.सी.एस.) द्वारा की जाती है। समिति की बैठकें पांच वार अर्थात् दिनांक 4 सितम्बर, 2009, 22 जनवरी, 2010, 14 मई, 2010, 23 नवम्बर, 2010 तथा 29 जुलाई, 2010 को हुई हैं।

[हिन्दी]

भारत में पाकिस्तानी नागरिक

1151. श्री प्रहलाद जोशी:
श्री हरि मांझी:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तानी के काफी सारे हिंदू अपने वीजा की समाप्ति के पश्चात् भी वहां वापस नहीं गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उनकी ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) यह ध्यान में आया है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के कई पाकिस्तानी नागरिक अर्थात् हिंदू और सिख, जो सामूहिक तीर्थयात्रा वीजा प्राप्त करने के बाद भारत आए हैं, अपनी वीजा वैधता की अवधि के भीतर वापस नहीं गए हैं और अपने वीजा की समयावधि बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा की समयावधि बढ़ाने की अनुमति देने और उन्हें लम्बी अवधि के वीजा (एल.टी.वी.) हेतु आवेदन करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भी अनुरोध करते हुए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। धार्मिक स्थल देखने के लिए सामूहिक रूप से आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा मंजूर करने के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार, उन्हें भारत के अन्दर समूह में यात्रा करनी होती है और निर्धारित अवधि के अन्दर समूह में ही पाकिस्तान लौटना होता है। उपर्युक्त के मद्देनजर, सामूहिक तीर्थयात्रा वीजा पर आये ऐसे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा वैद्यता अवधि अथवा विशिष्ट मामलों में अल्पकालिक विस्तारित अवधि के भीतर पाकिस्तान लौटना होगा।

[अनुवाद]

स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो में कार्मिकों की कमी

1152. श्री रवनीत सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एन.सी.बी.) में कार्मिकों को भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एन.सी.बी. में कार्मिकों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं। वस्तुत: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में वर्ष 2009-10 और वर्ष 2010-11 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के क्रमश: 252 और 225 पदों की मंजूरी प्रदान करके उसकी स्टाफ संख्या में वृद्धि की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार

1153. श्री शिवकुमार उदासी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय सांस्कृतिक विरासत तथा मूल्यों का विशेषकर युवावर्ग के बीच प्रचार-प्रसार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार का इस प्रयोजनार्थ कर्नाटक सहित देश में अन्यत्र केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) संस्कृति मंत्रालय, देश में संस्कृति व सांस्कृतिक कार्यकलापों के परिरक्षण व संवर्धन के लिए अनेक योजनागत स्कीमें चला रहा है जिनके तहत प्रत्येक वर्ष युवाओं सहित बड़ी संख्या में संगठनों व व्यक्तियों को सहायता दी जाती है। सरकार ने युवाओं के लिए 19 नवंबर, 2011 को "सांस्कृतिक विरासत युवा कार्यक्रम" नामक नई योजनागत स्कीम शुरू की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:

(i) पात्र संस्थानों के मध्य संस्कृति से संबंधित मौजूदा दृश्य-श्रव्य (ए.वी.) सामग्री का वितरण ताकि संस्कृति व विरासत में उनकी रुचि पैदा की जा सके।

(ii) संस्कृति से संबंधित प्रकाशनों सहित नई दृश्य-श्रव्य सामग्री तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता देना।

(iii) साधनहीन स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा स्मारकों, संग्रहालयों व अन्य विनिर्दिष्ट स्थलों/आयोजनों के दौरों में सहायता करना।

(ख) और (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अंडमान और निकोबार में सूनामी पीड़ितों के लिए आश्रयगृह

1154. **श्री विष्णु पद राय:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के कैंपबेल-बे और जोगिन्दर नगर में दीवार (रिटेनिंग वाल) तथा सूनामी पीड़ितों के कुछ स्थायी आश्रयगृह ध्वस्त हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनका पुनर्निर्माण कब तक किया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

शहरों में रैन बसेरे

1155. **श्री जे.एम. आरुन रशीद:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश के महानगरों में कुल कितने स्थायी रैन बसेरे बनाए गए;

(ख) क्या बेघर गरीबों की बढ़ती संख्या के लिए पर्याप्त रैन बसेरे बनाने में राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को वित्तीय समस्याएं पेश आ रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को सरकार द्वारा कितनी अतिरिक्त धनराशि संस्वीकृत तथा जारी की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (ग) 'आवास' और 'कालोनी बसाना' राज्य के विषय हैं इसलिए आश्रय उपलब्ध कराना मूलत: राज्य सरकारों का दायित्व है। वैसे केन्द्र सरकार वर्ष 1988-89 से 'शहरी आश्रयहीनों के लिए रैन बसेरे' स्कीम के तहत रैन बसेरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही थी लेकिन वर्ष 2005-06 से यह स्कीम राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी तथा केन्द्र द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता बंद कर दी गई। इसलिए पिछले 3 वर्षों के दौरान रैन बसेरों के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

[हिन्दी]

आपदा प्रबंधन हेतु त्वरित कार्यवाही दल

1156. **श्री पन्ना लाल पुनिया:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपदा प्रबंधन हेतु सरकार का ऐसे त्वरित कार्यवाही दल (क्यू.आर.टी.) गठित करने का विचार है जिनमें स्थानीय व्यक्ति शामिल हों; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बीटी-काटन सीड का उत्पादन

1157. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश काफी मात्रा में बीटी-काटन सीड का उत्पादन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य राज्यों को इन बीजों की आपूर्ति की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन बीटी-काटन का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी हां, आन्ध्र प्रदेश देश में प्रमुख बीटी-काटन उत्पादक राज्यों में से एक है। इसने वर्ष

2010 के दौरान प्रत्येक 450 ग्राम के लगभग 1.06 करोड़ पैकेटों अर्थात 47,700 क्विंटल कपास बीज उत्पादित किया।

(ग) से (ङ) कपास बीज उत्पादक कंपनियां अन्य राज्यों को उनके राज्यों में कृषि के लिए संस्तुत और अनुमोदित ऐसी किस्मों की मांग और उपलब्धता के आधार पर बीटी कपास बीज की आपूर्ति करती हैं। सामान्य अवधि में कंपनियां अगले मौसम में विपणन हेतु शेष बीजों के बचे हुए स्टाक रखती है बशर्ते कि बीज, बीज अधिनियम, 1966 तथा बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 में यथा निर्धारित गुणवत्ता मानकों और प्रक्रियाओं को पूरा करे।

[हिन्दी]

मीठी नदी योजना

1158. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मीठी नदी विकास योजना को 70:30 के अनुपात में वित्त पोषित करने हेतु महाराष्ट्र राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे कार्यान्वयन योग्य समझा गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (ग) मुम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एम.एम. आर.डी.ए.) ने दिसम्बर, 2009 में फेज-II कार्य के लिए 1657. 11 करोड़ रुपए की लागत से एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी. पी.आर.) प्रस्तुत की है। परियोजना के मुख्य घटक मीठी नदी को चौड़ा और गहरा करना है। इस रिपोर्ट को जल संसाधन मंत्रालय को भेजा गया था, जो कि परियोजना की जांच करने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम है। जल संसाधन मंत्रालय की अद्यतन टिप्पणियां दिनांक 06-09-2011 को एम.एम.आर.डी.ए. को भेजी गई थीं।

पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शिकायतें

1159. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग को पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महिलाओं के प्रति पुलिसकर्मियों के व्यवहार में सुधार के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम हुआ; और

(ङ) यदि नहीं, तो देश में महिलाओं के प्रति पुलिसकर्मियों को संवेदनशील बनाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 (24 नवम्बर, 2011 तक) के दौरान पुलिसकर्मियों के विरुद्ध राष्ट्रीय महिला आयोग में प्राप्त शिकायतों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) सामान्य तौर पर पुलिस कर्मियों के व्यवहार को सुधारने के संबंध में अनेक अध्ययन कराए गए हैं जिनमें से निम्नलिखित अध्ययन उल्लेखनीय हैं:

(i) भारत में पुलिस की छवि (1979)

(ii) दिल्ली के चुनिंदा शहरी पुलिस थानों में लोक शिकायतें (1980)

(iii) भारतीय पुलिस के व्यवसायिक गुणों में कमी (1995)

(iv) पुलिस के मनोबल से संबंधित मामले और उनका निदान (1996)

(v) भारतीय पुलिस में निर्णायक स्तर (एस.एच.ओ. स्तर) पर व्यवसायिक गुण (1998)

(vi) भारतीय पुलिस में निर्णायक स्तर (एस.ओ./एस.एच.ओ. स्तर) पर व्यवसायिक गुण - उत्तर प्रदेश में आम जनता की धारणा (2000)

(vii) पुलिस में व्यवसायिक गुण-पुलिस नेतृत्व एक के लिए एक चुनौती (2001)

(viii) पुलिस-आम जनता के संबंध (2001)

तथापि, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' राज्य का विषय होने के नाते यह मुख्यत: राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वे पुलिस सुधार से संबंधित विभिन्न उपायों को कार्यान्वित करें। भारत सरकार, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पुलिस प्रशासन में अपेक्षित सुधार हेतु राज्यों को समय-समय पर प्रेरित करने के संबंध में सतत् प्रयास करती रहती है। राज्य पुलिस बल तथा केन्द्रीय पुलिस बल भी "महिलाओं के प्रति अपराध" संबंधी विशेष पाठ्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

विवरण

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (24 नवम्बर, 2011 तक) के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग में प्राप्त पुलिस उदासीनता तथा पुलिस उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012 (24 नवम्बर तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	12	2	15	16
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	0
4.	असम	2	3	2	1
5.	बिहार	27	92	123	72
6.	चंडीगढ़	0	1	5	4
7.	छत्तीसगढ़	3	8	25	10
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	1	1
9.	दमण और दीव	0	1	1	0
10.	दिल्ली	126	237	453	357
11.	गोवा	0	0	0	1
12.	गुजरात	5	9	18	7
13.	हरियाणा	77	147	268	204
14.	हिमाचल प्रदेश	1	9	5	5
15.	जम्मू और कश्मीर	3	2	5	2
16.	झारखंड	12	33	77	32
17.	कर्नाटक	4	11	8	3
18.	केरल	0	0	6	2
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	36	112	190	94
21.	महाराष्ट्र	15	52	66	34
22.	मणिपुर	0	0	0	1
23.	मेघालय	0	0	0	1

1	2	3	4	5	6
24.	मिजोरम	0	1	0	0
25.	नागालैंड	0	1	0	1
26.	उड़ीसा	3	2	8	10
27.	पुदुचेरी	0	1	1	0
28.	पंजाब	19	23	51	39
29.	राजस्थान	88	272	441	251
30.	सिक्किम	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	36	14	7	14
32.	त्रिपुरा	0	0	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	689	1668	2097	1761
34.	उत्तराखंड	9	41	81	49
35.	पश्चिम बंगाल	2	8	26	13

[अनुवाद]

भारतीय कृषकों का ज्ञानवर्धन

1160. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत के उद्यमशील कृषकों को कृषि के सर्वोत्तम पक्ष दिखाने की दृष्टि से उन्हें विश्व भ्रमण कराने का विचार बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गोदामों की दशा

1161. श्री रामसिंह राठवा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के खाद्यान्न गोदाम समुचित रख-रखाव के अभाव में दुर्दशाग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय राज्य-वार कुल कितने खाद्यान्न गोदाम हैं और इनमें से कितने गोदामों की दशा खराब है;

(ग) सरकार ने इन गोदामों के समुचित रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ अलग से कोई योजना बनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या सफलता हासिल हुई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ङ) उचित रख-रखाव के अभाव में देश में खाद्यान्नों के गोदामों की स्थिति खराब नहीं है। 30.6.2011 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध ढके हुए और कवर तथा प्लिंथ, दोनों, अपने और किराए के, डिपुओं की राज्यवार संख्या बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। गोदामों के उचित रख-रखाव के लिए उनका नियमित निरीक्षण और आवधिक रख-रखाव किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ कोई अतिरिक्त योजना नहीं बनाई जाती है हालांकि गोदामों के आवधिक रख-रखाव के लिए निधियों का आबंटन किया जाता है।

विवरण

30.6.2011 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध डिपुओं (अपने और किराए के/कवर और कैप) की राज्यवार संख्या

राज्य संघ राज्य क्षेत्र	ढकी हुई							कैप (खुली)			
	भारतीय खाद्य निगम की अपनी	राज्य सरकार	किराए की								
			केभनि	राभनि	प्राइवेट पार्टी	कुल किराए की	कुलढकी हुई	अपनी	किराए की	जोड़	सकल जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
बिहार	14	1	11	16	10	38	52	7	0	7	59
झारखंड	6	1	3	10	2	16	22	2	0	2	24
ओडिशा	23	0	9	27	1	37	60	0	0	0	60
पश्चिम बंगाल	23	2	9	0	8	19	42	9	0	9	51
सिक्किम	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2
कुल पूर्व जोन	67	5	32	53	21	111	178	18	0	18	196
असम	17	0	3	3	10	16	33	0	0	0	33
अरूणाचल प्रदेश	4	8	0	0	0	8	12	0	0	0	12
मेघालय	3	0	1	2	0	3	6	0	0	0	6
मिजोरम	6	1	0	0	0	1	7	0	0	0	7
त्रिपुरा	4	2	1	0	0	3	7	0	0	0	7
मणिपुर	3	1	0	0	0	1	4	0	0	0	4
नागालैंण्ड	4	0	1	0	0	1	5	0	0	0	5
कुल पूर्वोत्तर जोन	41	12	6	5	10	33	74	0	0	0	74
दिल्ली	6	0	0	0	0	0	6	4	0	4	10
हरियाणा	35	37	26	56	8	127	162	28	9	37	199
हिमाचल प्रदेश	6	8	3	0	0	11	17	0	0	0	17
जम्मू और कश्मीर	16	2	0	0	1	3	19	0	0	0	19
पंजाब	107	9	14	93	17	133	240	92	15	107	347
चण्डीगढ़	9	2	6	7	0	15	24	9	2	11	35
राजस्थान	36	2	23	69	16	110	146	20	23	43	189
उत्तर प्रदेश	52	2	25	126	5	158	210	33	15	48	258
उत्तराखंड	5	3	4	7	2	16	21	1	2	3	24
कुल उत्तर जोन	272	65	101	358	49	573	845	187	66	253	1098
आंध्र प्रदेश	34	10	41	131	6	188	222	17	0	17	239
अंडमान निकोबार	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
केरल		23	0	0	0	0	0	23	5	0	5	28
कर्नाटक		21	0	19	32	1	52	73	9	0	9	82
तमिलनाडु		11	0	11	7	3	21	32	4	0	4	36
पुदुचेरी		4	0	1	2	0	3	7	3	0	3	10
कुल दक्षिण जोन		94	10	72	172	10	264	358	38	0	38	396
गुजरात		15	2	11	1	3	17	32	5	1	6	38
महाराष्ट्र		18	0	16	30	12	58	76	5	1	6	82
गोवा		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
मध्य प्रदेश		23	5	12	21	37	75	98	6	0	6	104
छत्तीसगढ़		19	2	6	23	3	34	53	0	0	0	53
कुल पश्चिम जोन		76	9	45	75	55	184	260	16	2	18	278
सकल जोड़		550	101	256	663	145	1165	1715	259	68	327	2042

[हिन्दी]

मैट्रो रेल के लिए सहायता

1162. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मेट्रो रेल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने संबंधी विद्यमान नीति/मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजस्थान राज्य सरकार ने जयपुर में प्रस्तावित मेट्रो रेल नेटवर्क हेतु केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है तथा कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है; और

(घ) वित्तीय सहायता के रूप में राज्य सरकार को कितनी धनराशि उपलब्ध कराए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) शहरी परिवहन का संबंध शहरी विकास से है जोकि राज्य का विषय है इसलिए द्रुत जन परिवहन प्रणाली (एम.आर.टी.एस) संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा तैयार और अनुमोदित करने के बाद केन्द्र सरकार को भेजा जाता है। केन्द्र सरकार इन प्रस्तावों पर वर्ष 2006 में तैयार राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एन.यू.टी.पी) के अनुसार विचार करती है। इस नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। प्रत्येक प्रौद्योगिकी की अपनी अलग हैसियत है और वह शहरी स्वरूप, प्रदेश, मांग के स्तर, शहरी फैलाव की दिशा और विस्तार, भावी अपेक्षित वृद्धि तथा आबादी के घनत्व आदि को देखते हुए परिस्थिति विशेष के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसलिए केन्द्र सरकार सभी प्रमाणित प्रौद्योगिकियों को, द्रुत जन परिवहन प्रणाली (एम.आर.टी.एस.) के लिए बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एन.यू.टी.पी.) के अनुसार, एम.आर.टी.एस. परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता बजटीय सहायता के रूप में परियोजना लागत के बीस प्रतिशत तक अथवा व्यवहार्य अंतराल निधियन के रूप में दी जाती है।

(ख) जी हां।

(ग) राजस्थान सरकार ने चरण-I की कुल लागत का 50 प्रतिशत तक, वित्तीय सहायता के रूप में मांगा है। यह वित्तीय सहायता 1012 करोड़ रु. बनती है।

(घ) पूर्व में भारत सरकार ने अन्यों के साथ-साथ इस शर्त पर - कि (i) इसकी पूर्ण वित्त व्यवस्था राज्य सरकार/उनकी एजंसियों द्वारा की जाएगी (ii) भारत सरकार द्वारा 'सिद्धांततः' अनुमोदन को केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता हेतु परियोजना के एक अंश या सम्पूर्ण को 'पहले से' अनुमोदन न समझा जाए तथा (iii) राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के लिए केन्द्र सरकार से

बाद में संपर्क करने पर, पूरी परियोजना का मूल्यांकन नए सिरे से किया जाएगा - जयपुर मैट्रो रेल परियोजना, का चरण-I शुरू करने के लिए 'सिद्धांतत:' अनुमोदन दिया था। इसलिए राजस्थान सरकार से सूचनना/स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। राज्य सरकार से उत्तर अपेक्षित हैं।

[अनुवाद]

नक्सल-विरोधी अभियानों में पूर्व-सैनिक

1163. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नक्सल-विरोधी अभियानों को सबल बनाने की दृष्टि से सरकार का इनमें पूर्व-सैनिकों को शामिल करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) नक्सल-विरोधी अभियानों में तैनात सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण क्षमता और विस्फोटक-रोधी डिवाइस विशेषज्ञता में वृद्धि करने के लिए सेवानिवृत्त सैन्य कार्मिकों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है।

[हिन्दी]

निर्माण तकनीक

1164. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने भविष्य में बनाए जाने वाले भवनों के निर्माण में नेट-जीरो तकनीक इस्तेमाल करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने नेट-जीरो तकनीक से कोई भवन-निर्माण परियोजना शुरू की है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने नेट-जीरो तकनीक की उपयोगिता को देखते हुए उसका सर्वत्र इस्तेमाल करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के आलोक में लागू नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) नेट-ऊर्जा-जीरो-ऊर्जा मानदण्ड प्राप्त करने के लिए जोर बाग रोड, अली गंज नई दिल्ली में पर्यावरण और वन मंत्रालय हेतु नया कार्यालय भवन बनाने की योजना बनायी गई है। इसके अतिरिक्त ब्यौरा यू.आर.एल. http://www.indiraparyavaranbhawan.com/ वेबसाइट पर डाल दिया जाता है।

(ङ) जी नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) के आलोक में लागू नहीं।

[अनुवाद]

स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत अव्ययित धनराशि

1165. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को आबंटित धनराशि अव्ययित रही;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान एस.जे.एस.आर.वाई. में संशोधन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा धनराशि का समय पर पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/क्या कदम उठा रही है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) एक चालू स्कीम है और वर्ष 2011-12 के लिए एस.जे.एस.आर.वाई. के अंतर्गत केन्द्रीय निधियों की सुविधा प्राप्त करने के लिए स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2009-10 तक जारी कुल केन्द्रीय निधियों राज्यों/संघ राज्यों द्वारा

उपयोग में लायी जा चुकी होगी। वर्ष 2011-2012 के दौरान निधियां जारी करने पर विचार करने के लिए 2010-2011 के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियों के लिए कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होना बकाया नहीं है।

2009-2010 तक और 2010-2011, 2011-2012 के दौरान जारी कुल केन्द्रीय निधियों और एस.जे.एस.आर.वाई. के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास पड़ी, खर्च न की गयी निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्य, जिला, शहर और सामुदायिक स्तर पर स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कमजोर प्रशासनिक तंत्र, शहरी गरीबों के लिए ऋण प्रवाह में कमी और पक्षकारों आदि की पर्याप्त क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण में कमी, यथासमय निधियों के उपयोग न होने के कुछ कारण हैं।

(ग) और (घ) मंत्रालय द्वारा कराए गए मूल्यांकन अध्ययन के आधार पर तथा विभिन्न पक्षकारों से प्राप्त सूचनाओं से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.वाई.) की स्कीम में 1 अप्रैल, 2009 से व्यापक रूप से संशोधन किया गया है। संशोधित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के निम्नलिखित घटक हैं:

(1) स्वरोजगार कार्यक्रम (यू.एस.ई.पी.)

(2) शहरी महिला स्व सहायता कार्यक्रम (यू.डब्ल्यू.एस.पी.)

(3) शहरी गरीबों में रोजगार प्रोन्नयन हेतु कौशल-प्रशिक्षण (एस.टी.ई.पी.-यू.पी.)

(4) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यू.डब्ल्यू.ई.पी.)

(5) शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क (यू.सी.डी.एन.)

(ङ) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के कार्य निष्पादन की आवधिक पुनरीक्षा बैठकों, मासिक/त्रैमासिक वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्टों जैसे तंत्रों के माध्यम से निगरानी की जाती है, इसके अतिरिक्त आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरे भी किए जाते हैं।

विवरण

2009-10 तक और 2010-11, 2011-12 के दौरान जारी केन्द्रीय निधियों तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास पड़ी, खर्च न की गयी निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	2009-10 तक जारी कुल केन्द्रीय निधियां	2010-11 तक जारी कुल केन्द्रीय निधियां	2011-12 तक जारी कुल केन्द्रीय निधियां	2011-12 तक जारी कुल केन्द्रीय निधियां	प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र	राज्यों के पास उपलब्ध खर्च न की गई निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	23538.09	5226.02	2413.80	31177.91	26963.91	4214.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	846.09	201.79	0.00	1047.88	1152.85	-104.97
3.	असम	9424.54	2869.96	0.00	12294.50	8838.65	3455.85
4.	बिहार	8086.74	2001.40	1579.36	11667.50	8653.45	3014.05
5.	छत्तीसगढ़	4500.77	1201.95	671.35	6374.07	4511.14	1862.93
6.	गोवा	222.90	0.00	0.00	222.90	188.61	34.29
7.	गुजरात	11244.85	1928.53	0.00	13173.38	12158.90	1014.48
8.	हरियाणा	6075.46	654.37	798.85	7528.68	7596.52	-67.84
9.	हिमाचल प्रदेश	719.44	50.00	0.00	769.44	719.44	50.00

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	जम्मू और कश्मीर	1923.45	135.21	146.65	2205.31	1923.45	281.86
11.	झारखंड	1556.38	814.88	0.00	2371.26	1331.80	1039.46
12.	कर्नाटक	21308.15	5376.04	2437.14	29121.33	21843.57	7277.76
13.	केरल	7288.58	474.03	688.26	8450.87	7701.41	749.46
14.	मध्य प्रदेश	25528.71	5914.80	2859.54	34303.05	26968.15	7334.90
15.	महाराष्ट्र	40454.22	10464.11	0.00	50918.33	47721.54	3196.79
16.	मणिपुर	1974.23	448.43	0.00	2422.66	1979.52	443.14
17.	मेघालय	977.95	0.00	0.00	977.95	577.72	400.23
18.	मिजोरम	3550.10	641.66	0.00	4191.76	3833.02	358.74
19.	नागालैंड	1682.91	419.06	134.53	2236.50	1791.11	445.39
20.	उड़ीसा	7898.26	1650.75	0.00	9549.01	7898.26	1650.75
21.	पंजाब	1775.73	0.00	1137.55	2913.28	1893.78	1019.50
22.	राजस्थान	9866.91	2932.96	0.00	12799.87	10128.78	2671.09
23.	सिक्किम	611.08	194.84	22.50	828.42	611.08	217.34
24.	तमिलनाडु	22711.44	4267.63	3173.05	30152.12	25311.45	4840.67
25.	त्रिपुरा	2133.43	224.25	0.00	2357.68	2369.37	31.69
26.	उत्तरांचल	2162.89	546.34	291.98	3001.21	2425.64	575.57
27.	उत्तर प्रदेश	44058.74	7224.67	5559.50	56842.91	48145.28	8697.63
28.	पश्चिम बंगाल	12365.73	2169.31	2882.40	17417.44	14260.59	3158.85
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	361.49	18.75	11.67	391.91	476.75	84.84
30.	चंडीगढ़	783.20	39.26	0.00	822.46	1537.07	714.61
31.	दादरा और नगर हवेली	386.69	8.79	0.00	395.48	382.21	13.27
32.	दमण और दीव	243.28	0.00	0.00	243.28	50.81	192.47
33.	दिल्ली	430.14	0.00	0.00	430.14	433.51	3.37
34.	पुदुचेरी	1150.94	50.00	75.00	1275.94	1152.06	123.88
	कुल	277843.51	58149.79	24883.13	360876.43	303551.40	57325.03

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानियों पर कार्यक्रम

1166. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी/जीवन पर आधारित कोई धारावाहिक कार्यक्रम बनाने तथा प्रसारित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान दूरदर्शन केन्द्र-वार ऐसे कितने धारावाहिक बनाए तथा प्रसारित किए गए?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के व्यक्तित्व व कृतित्व पर कार्यक्रमों/धारावाहिकों का नियमित रूप से प्रसारण करता है।

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्मित व प्रसारित कार्यक्रमों/धारावाहिकों का राज्य-वार/केंद्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान दूरदर्शन चैनलों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर बनाए गए तथा प्रसारित किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा

राज्य	चैनल/केंद्र का नाम	शीर्षक
1	2	3
नेशनल	डी.डी. नेशनल	दिनांक 09.03.2008, 16.03.2008, 23.03.2008, 30.03.2008 और 06.04.2008 को 'धरती पर लाल भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री' नामक 5 कड़ियों का कार्यक्रम लाल बहादुर शास्त्री प्रसारित किया गया जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किया गया था।
नेशनल	डी.डी. उर्दू	निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर कार्यक्रम प्रसारित किए गए 1. अशफाकुल्ला खान 2. मौलाना अबुल कलाम आजाद 3. महात्मा गांधी 4. डॉ. जाकिर हुसैन 5. बहादुर शाह जफर मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित तथा डीडी उर्दू द्वारा प्रसारित कार्यक्रम 1. 1857 की बगावत 2. मौलाना आजाद एक हमपहलू शख्सियत 3. महात्मा गांधी और हिंदुस्तान की आजादी
इंटरनेशनल	डीडी इंडिया	1. भारत रत्न डा. जाकिर हुसैन 2. 'भारत कोकिला' सरोजिनी नायडू पर विशेष कार्यक्रम

1	2	3
		3. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पर विशेष कार्यक्रम
		4. अरूणा आसिफ अली
		5. शहीद चंद्र शेखर आजाद पर कार्यक्रम 'आजाद की याद'
		6. पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री लाल बहादुर शास्त्री पर विशेष कार्यक्रम 'एक व्यक्ति एक देश'
		7. 'पंडित गोविंद वल्लभ भाई पंत' के जीवन काल के क्षण
		8. अशफाकुल्ला खान
		9. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस पर विशेष कार्यक्रम 'द सुप्रीम लीडर'
		10. महात्मा द ग्रेट सोल
		11. शहीद भगत सिंह की जन्म शताब्दी के अवसर पर विशेष कार्यक्रम 'ए लाइफ सैकर्ड बियांड वर्ड्स'
		12. युगद्रष्टा गांधी जी
		13. पंडित जवाहर लाल नेहरू की आत्मकथा 'मिरर टू एन एज'
		14. महात्मा (महात्मा गांधी पर वृत्तचित्र)
		15. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर श्रृंखला 'बापू जी'
		16. आजादी की राह पर - सुभाष चंद्र बोस
		17. डा. बाबा साहेब अंबेडकर पर कार्यक्रम 'एक उतंग व्यक्तित्व'
		18. भगत सिंह के जन्म दिवस पर विशेष कार्यक्रम 'लगेंगे हर बरस मेले'
		19. शहीद भगत सिंह पर विशेष कार्यक्रम
असम	दूरदर्शन केंद्र, गुवाहाटी	1. स्व. श्री अतुल चंद्र सैकिया
		2. लोकसेवक स्व. हलदर भुयां
बिहार	दूरदर्शन केंद्र, पटना	1. बाबू जगजीवन राम
दिल्ली	दूरदर्शन केंद्र, दिल्ली	1. स्वामी विवेकानंद
		2. सुभाष चंद्र बोस
		3. महात्मा गांधी
		4. डा. बी.आर. अंबेडकर
		5. पं. नेहरू
		6. लाल बहादुर शास्त्री

1	2	3
		7. रबीन्द्र नाथ ठाकुर
		8. शहीद भगत सिंह
		9. बिपिन चंद्र पाल
		10. चंद्रशेखर आजाद
आंध्र प्रदेश	दूरदर्शन केंद्र, हैदराबाद	1. तीर्गबड़ा तेलुगु गड्डा
हरियाणा	दूरदर्शन केंद्र, हिसार	1. रणबीर हुडा
जम्मू और कश्मीर	दूरदर्शन केंद्र, श्रीनगर	1. स्व. बक्शी गुलाम मोहम्मद
		2. स्व. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला
		3. स्व. गुलाम मोहम्मद सादिक
		4. स्व. मुलाना मोहम्मद सईद मसूदी
		5. स्व. मकबूल शीरवानी
		6. स्व. सईद और कासिम
		7. स्व. पीर गल्यास-उद-दीन
		8. स्व. बेगम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला
		9. स्व. जैनव बेगम
		10. स्व. महमूदा अहमद अली शाह
		11. डा. जगत मोहनी
		12. स्वतंत्रता सेनानी बाबा जादू पर धारावाहिक
	दूरदर्शन केंद्र, जम्मू	1. बिग्रेडियर राजेन्द्र सिंह
केरल	दूरदर्शन केंद्र, तिरुवंनतपुरम	1. डा. बी.आर. अंबेडकर
		2. अरयंकली
		3. सी. केसन
		4. कुजंली मरक्कर
		5. स्वदेशभिमानी
		6. सहोदरन अय्यप्पन
		7. मोतु मलवी
		8. वाकोम अब्दूल खादर
		9. पट्टोम तनु पिल्लै
		10. ए.के. गोपालन

1	2	3
		11. सी.अचुता मेनन
		12. केसरी बालाकृष्ण पिल्लै
		13. अकम्मा चेरियन
		14. मुहम्मद अब्दुल रहमान सैब
		15. पी. कृष्ण
		16. शेख सैनुदीन
	दूरदर्शन केंद्र, त्रिस्सूर	1. वी.आर. कृष्णानेजुताचन
		2. तिरूवतर दामोदरन
मध्य प्रदेश	दूरदर्शन केंद्र, भोपाल	1. चंद्र शेखर आजाद
		2. वीरांगना झलकारी बाई
महाराष्ट्र	दूरदर्शन केंद्र, मुंबई	1. ऐनी बेसेंट
		2. मौलाना आजाद
		3. गोपाल कृष्ण गोखले
		4. बाल गंगाधर तिलक
		5. वीर सावरकर
		6. राजगुरु
		7. डा. बी.आर. अंबेडकर
		8. चटेकर ब्रदर
		9. स्वतंत्रवीरांची सहभागची शताब्दी कार्यक्रम
		10. वृतचित्र - दास्तान एक शहीद
		11. वृतचित्र - स्वतंत्रयचा उदघोष
		12. वासुदेव फड़के
उड़ीसा	दूरदर्शन केंद्र, भुवनेश्वर	1. बिरसा मुंडा
		2. शहीद लमन नायक
		3. वीर सुरेंद्र साई
		4. उत्कल गौरव मधुसूदन दास
		5. राम प्रसाद मोहंती
		6. गोपबंधु दास

1	2	3
		7. विश्वनाथ पटनायक
		8. नेताजी सुभाष चंद्र बोस
		9. पंडित नीलकंठ दास
पंजाब	दूरदर्शन केंद्र, जालंधर	1. लाला लाजपत राय
		2. शहीद उधम सिंह
		3. शहीद भगत सिंह
		4. शहीद सुखदेव
		5. नेताजी सुभाष चंद्र बोस
		6. सतगुरु राम सिंह जी
		7. दीवान सिंह कालेपानी
		8. भागर सिंह बिल्गा
राजस्थान	दूरदर्शन केंद्र, जयपुर	1. मंगल पांडे
		2. तात्या टोपे
		3. मोहन लाल सुखाड़िया
		4. ठाकुर खुशाल सिंह
		5. हरिदेव जोशी
		6. भोगी लाल पांडया
		7. सागरमल गोप
		8. शिवचरण माथुर
		9. वीरांगना - गिरिजा देवी, काली बाई
		10. वीरांगना - नीरन देवी, स्नेहलता विमला देवी
		11. वीरांगना - अंजना देवी, भगवती देवी
		12. शहीद भगत सिंह
		13. स्वर्गीय उपराष्ट्रपति - भैरों सिंह
		14. पंडित नेहरु
		15. महात्मा गांधी
		16. विशेष कार्यक्रम - राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी
		17. डा. संपूर्ण नान

1	2	3
तमिलनाडु	दूरदर्शन केंद्र, चेन्नै	1. विदुतलै पेल्वियिल वीर तमिझार
		2. सुब्बारमन
		3. मनुस्वामी
		4. रामामृतम अम्मल
		5. कैप्टन जानकी देवर
		6. कलुपट्टी सुब्रमण्यम अयर
		7. रवींद्र नाथ टैगोर
		8. मयंदी भारती
		9. विजय लक्ष्मी पंडित
		10. मूवान्नम
		11. ऐनी बेसेंट अम्मैयार
		12. टी.के. षणमुगम
		13. लक्ष्मण अय्यर
		14. गणेश अय्यर
		15. के.टी. कौशलराम
		16. जी.एस. रमैया
		17. कल्याण रमैया
		18. मुथु कुमारप्पा रेड्डिया
		19. अरुणाचलम
		20. अराकोणम राजगोपाल
		21. रतिनावेलु
		22. अमरसिम्मन
		23. अहमद शाह
		24. अविनाशलिंग चेट्टियार
		25. कोवल सुब्रमण्यम
		26. रामामृतम अम्मल
		27. कुमारस्वामी गोंदर
		28. आदिकेशवलु गोंदर

1	2	3
		29. कुमारस्वामी गोंदर
		30. कुमारस्वामी राजा
		31. उलगनाथन
		32. सुबैया पिल्लै
		33. वीरभागु पिल्लै
		34. गोमती दंकारा दीक्षितर
		35. उदय पेरुमल गोंदर
		36. कैप्टन जानकी देवर
		37. ए.एन. शिवरमन
		38. सुबन्ना गोंदर
		39. पट्टबी रमा अय्यर
		40. कलुपट्टी सुब्रमण्य अय्यर
		41. सी. सुब्रमण्यम
		42. सेनगालिप्पन
		43. लरातैमलै श्रीनिवासन
		44. खान अब्दुल गफ्फार खान
		45. सर्वपल्ली राधाकृष्ण
		46. टीपू सुल्तान
		47. मार्शल नेसमणि
		48. रवींद्र नाथ टैगोर
		49. वीरावपाण्डया कोट्टबोम्मन
		50. कृष्णमल जगन्नाथन
		51. मयंदी भारती
		52. विजयलक्ष्मी पंडित
		53. चित्रांजन दास
		54. टक्कर दास
		55. मोती लाल नेहरु
		56. विबिन चंद्र बलार

1	2	3
		57. वीर सावरकर
		58. ज्योति बसु
		59. शंकरदयाल शर्मा
		60. वी.ओ. चिदंबरम पिल्लै
		61. कुंजन नाडार
		62. वीर शिवाजी
		63. कैप्टन जानकी देवी
		64. मनोमनी सुंदरम पिल्लै
		65. अविनाशलिंगम चेट्टियार
		66. मा.पी.ओ. शिवगणम पिल्लै
पश्चिम बंगाल	दूरदर्शन केंद्र, कोलकाता	1. बिरसा मुंडा
		2. सिद्धु कानु

[अनुवाद]

मात्स्यिकी हेतु डाटा-बेस एवं सूचना-प्रणाली

1167. श्री नलिन कुमार कटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश के विभिन्न राज्यों में मात्स्यिकी हेतु डाटा-बेस तथा भौगोलिक सूचना-प्रणाली को सशक्त करने हेतु कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु कर्नाटक सहित अन्य राज्यों को धनराशि जारी की है; और

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि जारी की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों को जारी की गई धनराशि निम्नप्रकार है:

(लाख रुपए में)

राज्य/और संघ शासित प्रवेश	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	11.30	114.34	14.50
अरूणाचल प्रदेश	10.00	14.68	10.00
असम	0.00	0.00	5.62
बिहार	6.00	0.00	0.00

1	2	3	4
गोवा	0.00	45.18	14.68
गुजरात	11.30	91.78	0.00
हरियाणा	9.20	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	5.00	9.05	10.50
कर्नाटक	7.65	52.00	15.57
केरल	0.00	80.14	13.81
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	12.00
महाराष्ट्र	0.00	52.16	17.63
मिजोरम	9.72	11.80	12.70
मेघालय	0.00	2.34	0.00
त्रिपुरा	3.00	3.00	3.00
उड़ीसा	0.00	38.76	0.00
तमिलनाडु	0.00	70.51	62.85
राजस्थान	9.96	13.88	18.49
उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	16.26
पश्चिम बंगाल	9.30	121.17	391.40
उत्तराखंड	0.00	0.00	4.15
छत्तीसगढ़	0.00	6.04	9.02
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	25.00	0.00
लक्ष्यद्वीप	0.00	20.00	0.00
दमन और दीव	0.00	12.00	24.00
पुदुचेरी	0.00	31.54	0.00
कुल	92.43	815.37	656.18

[हिन्दी]

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के मानदण्ड

1168. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) के मानदण्डों की पुनरीक्षा का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) के मानदण्डों में दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रभावकारी विकास

के लिए योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से फरवरी, 2009 में संशोधन किया गया था।

(ग) से (ङ) यद्यपि भारत सरकार विस्तृत मानदण्ड निर्धारित करती है, फिर भी सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) को लागू करना प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अतः, बी.ए.डी.पी. के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायतें उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को अग्रेषित कर दी जाती हैं।

[अनुवाद]

कीटनाशक-अवशिष्ट संबंधी अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना

1169. **श्रीमती जे. शांताः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कीटनाशक-अवशिष्ट संबंधी अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत कितने केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) क्या कीटनाशक-अवशिष्ट संबंधी अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना के स्थापन से लेकर अब तक उसके द्वारा तैयार किए गए आंकड़े जनता के लिए उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके प्राथमिक आंकड़े जनता को उपलब्ध कराये जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) देश में कीटनाशक अवशिष्ट पर अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत तेरह केन्द्र कार्यरत हैं।

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत सृजित कीटनाशक अवशिष्ट आंकड़े इस अनुसंधान परियोजना की वार्षिक रिपोर्ट में हैं।

(ग) बहु-स्थानिक निरीक्षित खेत परीक्षणों से आंकड़े मांगे जाने पर उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

(घ) कीटनाशक अवशिष्ट पर अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना जो कि एक अनुसंधान परियोजना है, के अंतर्गत लक्षित फसलों पर कीटनाशकों के सतत व क्षय प्रभाव के मूल्यांकन हेतु देश के विभिन्न सस्य जलवायु क्षेत्रों में निरीक्षित बहुस्थानिक खेत परीक्षण किए गए हैं। इनसे सृजित आंकड़ों को फसलों पर नए कीटनाशकों के पंजीकरण के लिए सूचना के तौर पर तथा पहले से पंजीकृत कीटनाशकों के लेबल के दावों में विस्तार के लिए भी उपयोग में लाया जाता है।

प्याज की बिक्री के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र

1170. **श्रीमती श्रुति चौधरीः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्याज की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सहकारी संस्थाओं को प्याज को रियायती दरों पर बेचने के लिए और अधिक संख्या में खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के अनुदेश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आंकड़ा संग्रहण तंत्र

1171. **श्री अहीर विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कृषि उत्पादन और कृषि आय को बढ़ावा दिए जाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के मूल्यांकन के लिए विश्वसनीय आंकड़ों की समय पर उपलब्धता बहुत महत्त्वपूर्ण हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में मौजूदा आंकड़े संग्रहण तंत्र को सुदृढ़ करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त उद्देश्य के लिए अब तक आवंटित निधियों और किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी हां, महोदया।

(ख) और (ग) देश में आंकड़े एकत्रीकरण अभियांत्रिकी को सुदृढ़ करने तथा मुख्य कृषि एवं बागवानी फसलों संबंधी कृषि सांख्यिकी की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से, भारत सरकार "कृषि सांख्यिकी में सुधार" (आई.ए.एस.) योजना के तहत राज्य/संघ शासित सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। राज्यों को योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता चार घटकों नामतः (i) समयानुकूल रिपोटिंग योजना (टी.आर.एस.) (ii) फसल सांख्यिकी में सुधार (iii) कृषि सांख्यिकी को रिपोर्ट करने के लिए एक एजेंसी की स्थापना

(ईराज) तथा (iv) फलों एवं सब्जियों संबंधी फसलों पर फसल अनुमान सर्वेक्षण के तहत दी जाती है।

(घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त योजनाओं के तहत आवंटित निधियों एवं जारी राशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(लाख रुपए)

वर्ष		कृषि सांख्यिकी में सुधार संबंधी घटक				
		टीआरएस	आईसीएस	ईरास	सीईएसफल एवं सब्जियां	कुल
2007-08	आवंटन	928.00	668.00	2991.00	460.00	5047.00
	व्यय	880.64	625.90	3156.22	441.35	5104.11
2008-09	आवंटन	1042.60	718.40	3217.00	423.00	5401.00
	व्यय	1107.84	770.85	3647.69	485.37	6011.75
2009-10	आवंटन	1323.60	1007.90	4145.00	565.50	7042.00
	व्यय	1334.60	838.40	5153.98	534.01	7860.99
2010-11	आवंटन	1902.86	1459.14	5940.36	622.64	9925.00
	व्यय	1553.49	1010.03	5414.50	578.74	8556.76
2011-12	आवंटन	2076.00	1829.00	6175.00	912.00	10992.00
	जारी*	672.10	360.23	3416.06	346.08	4794.47

*3.09.11 के अनुसार

[हिन्दी]

आईसीएआर के अधीन अनुसंधान केन्द्र

1172. श्री जगदीश सिंह राणा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों सहित देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चलाए जा रहे अनुसंधान केन्द्रों और परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त केन्द्रों और परियोजनाओं पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजनाओं से कृषि विशेषकर कृषि उत्पादन लाभान्वित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) भारत में हरित क्रांति लाने एवं तदुपरान्त कृषि विकास कार्यों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास के बल पर अग्रणी भूमिका निभायी है जिससे वर्ष 1950-1951 की तुलना में खाद्यान्न में 4 गुना, बागवानी फसलों में 6, मछलियों में (समुद्री 5 गुना और अंतर्स्थलीय में 17 गुना), दूध में 6 और अंडों के उत्पादन में 27 गुना वृद्धि सम्भव हुई है। इस प्रकार राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिला है। इसने कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभायी है।

विवरण

आईसीआर के अनुसंधान केन्द्र एवं परियोजनाएं तथा व्यय का विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	योजना खर्च			
		राज्य	2010-11	2009-10	2008-09
1	2	3	4	5	6
(ए) फसल विज्ञान					
1.	सीआईसीआर, नागपुर	महाराष्ट्र	2,057.26	1,660.24	1,612.85
2.	सीआरआईजेएएफ, बैरकपुर	पश्चिम बंगाल	721.65	783.27	793.91
3.	सीआरआरआई, कटक	उड़ीसा	809.94	679.70	704.28
4.	सीटीआरआई, राजमुन्द्री	आंध्र प्रदेश	661.52	401.96	386.00
5.	आईएआरआई, नई दिल्ली	दिल्ली	9,604.05	6,926.41	4,171.23
6.	आईजीएफआरआई, झांसी	उत्तर प्रदेश	1,544.31	997.91	1,025.18
7.	आईआईपीआर, कानपुर	उत्तर प्रदेश	2,909.04	2,272.73	2,127.05
8.	आईआईएसआर, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	887.15	925.59	670.49
9.	एनबीएआईएम, मऊ	दिल्ली	1,098.47	1,335.36	2,483.98
10.	एनबीपीजीआर, नई दिल्ली	दिल्ली	1,875.89	1,497.19	1,084.56
11.	एसबीआई, कोयम्बतूर	तमिलनाडु	385.58	380.62	295.97
12.	वीपीकेएएस, अल्मोड़ा	उत्तराखंड	556.24	800.24	787.30
राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र					
13.	मूंगफली अनुसंधान, निदेशालय, जूनागढ़	गुजरात	767.54	618.87	461.08
14.	तोरिया सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर	राजस्थान	1,231.36	617.79	506.80
15.	ज्वार अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	1,090.10	1,308.05	1,362.25
15A.	एनआरसी, अनार शोलापुर	महाराष्ट्र	328.14	202.07	250.00
16.	सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय, इन्दौर	मध्य प्रदेश	652.32	627.81	529.97
17.	राष्ट्रीय समेकित नाशी जीव प्रबन्ध अनुसंधान केन्द्र पूसा, नई दिल्ली	दिल्ली	209.03	178.93	87.54
18.	एनआरसी पौध जैवप्रौद्योगिकी, नई दिल्ली	दिल्ली	5,367.72	3,107.63	3,037.18

1	2	3	4	5	6
परियोजना निदेशालय					
19.	परियोजना निदेशालय जैविक नियंत्रण-बंगलौर	कर्नाटक	1,246.90	1,124.34	1,301.99
20.	परियोजना निदेशालय मक्का, नई दिल्ली	दिल्ली	1,157.95	1,060.40	1,038.89
21.	परियोजना निदेशालय तिलहन, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	1,463.50	1,000.09	909.24
22.	परियोजना निदेशालय चावल, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	2,622.92	1,588.53	1,383.78
23.	परियोजना निदेशालय गेंहू, करनाल	हरियाणा	1,760.26	1,732.15	1,874.50
23.ए	बीज अनुसंधान निदेशालय, मऊ	उत्तर प्रदेश	2,686.67	2,909.90	3,326.38
कुलः फसल विज्ञान			43695.51	34737.80	32212.38
(बी) बागवानी विज्ञान					
24.	सीएआरआई, पोर्टब्लेयर	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	571.08	513.40	500.94
25.	सीआईएएच, बीकानेर	राजस्थान	608.86	494.61	473.18
26.	सीआईएसएच, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	751.45	709.01	625.00
27.	सीआईटीएच, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू और कश्मीर	363.83	378.40	316.73
28.	सीपीसीआरआई, कासरगोड	केरल	1,015.30	644.10	632.12
29.	सीपीसीआरआई, कायागुलम	केरल	*	139.20	99.08
30.	सीपीसीआरआई, विट्टल	कर्नाटक	*	57.10	61.98
31.	सीपीआरआई, शिमला	हिमाचल प्रदेश	1,222.65	945.84	986.35
32.	सीटीसीआरआई, तिरुवनंतपुरम	केरल	732.95	543.12	516.47
33.	आईआईएचआर, बंगलौर	कर्नाटक	1,740.82	1,522.11	990.39
34.	आईआईएसआर, कालीकट	केरल	1,174.72	775.16	536.30
35.	आईआईवीआर, वाराणसी	उत्तर प्रदेश	1,209.83	861.50	745.77
राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र					
36.	एनआरसीकेला, तिरूचरापल्ली	तमिलनाडु	474.42	175.00	225.91
37.	काजू अनुसंधान निदेशालय, पुत्तुर	कर्नाटक	439.24	245.60	297.43
38.	एनआरसी नीबू वर्गीय फल, नागपुर	महाराष्ट्र	309.02	200.00	224.87
39.	एनआरसी-अंगूर, पुणे	महाराष्ट्र	302.25	165.00	165.00
40.	औषधीय तथा सुसंधीय पौधे अनुसंधान निदेशालय, आनन्द	गुजरात	679.07	588.35	533.89

1	2	3	4	5	6
41.	खुम्बी अनुसंधान निदेशालय, सोलन	हिमाचल प्रदेश	503.47	306.28	322.59
42.	एनआरसी तेलताड़, पेडावेगी	आंध्र प्रदेश	228.76	200.74	218.25
43.	प्याज तथा लहसुन अनुसंधान निदेशालय, पुणे	महाराष्ट्र	509.34	470.25	251.97
44.	एनआरसी आर्किडस, सिक्किम	सिक्किम	313.84	261.90	225.00
45.	एनआरसी बीज मसालें, अजमेर	राजस्थान	262.17	277.75	209.80
46.	एनआरसी–लीची, मुजफ्फरपुर	बिहार	250.00	174.35	236.30
	कुलः बागवानी विज्ञान		13663.06	10648.76	9,395.32
(सी) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन					
47.	सीएजेडआरआई, जोधपुर	राजस्थान	1,062.31	756.13	552.40
48.	क्रीडा, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	8,490.82	1,387.52	1,838.86
49.	सीएसएण्डडब्ल्यूसीआरएण्डटीआई.देहरादून	उत्तराखंड	586.87	559.40	423.68
50.	सीएसएसआरआई, करनाल	हरियाणा	785.16	639.35	637.71
51.	उ.पू.प. क्षे के लिए भा. कृ. अ. प. का अनुसंधान परिसर, बड़ापानी	शिलांग	2,656.98	2,491.48	1,924.02
52.	पूर्वी क्षेत्र के लिए भा. कृ. अ.प. का अनुसंधान परिसर, पटना	बिहार	684.67	637.88	441.94
53.	भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर, गोवा	गोआ	390.39	419.49	430.88
54.	आईआईएसएस, भोपाल	मध्य प्रदेश	545.68	1,136.63	1,145.27
55.	एनबीएसएस एण्ड एल यूपी. नागपुर	महाराष्ट्र	574.44	536.57	596.96
55–ए	एनआईएएसएम, बारामती पुणे	महाराष्ट्र	1,001.39	806.00	0.00
राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र					
56.	पूर्वी क्षेत्र के लिए डब्ल्यू टीसी निदेशालय, भुवनेश्वर	उड़ीसा	1,801.07	1,478.62	1,521.02
57.	एनआरसी–कृषि वानिकी, झांसी	उत्तर प्रदेश	690.76	578.01	634.19
58.	खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय, जबलपुर	मध्य प्रदेश	149.77	853.01	909.90

1	2	3	4	5	6
परियोजना निदेशालय					
59.	पीडी फसल प्रणाली, मोदीपुरम	उत्तर प्रदेश	1,614.89	1,090.29	1,264.90
कुल: एनआरएम			21035.19	13370.38	12321.74
(डी) कृषि इंजीनियरिंग					
60.	सीआईएई. भोपाल	मध्य प्रदेश	1,784.10	1,982.92	1,788.94
61.	सीआईपीएचईटी. लुधियाना	पंजाब	2,57.94	2,033.36	1,747.06
62.	सीआईआरसीओ टी, मुम्बई	महाराष्ट्र	910.01	989.78	869.52
63.	आईएलआरआई, रांची	झारखंड	283.91	343.40	310.10
64.	एनआईआरजेएएफटी (जेटीआरएल) कोलकाता	पश्चिम बंगाल	543.94	263.77	124.18
	कुल: कृषि इंजीनियरिंग		5,879.91	5,613.23	4,839.79
(ई) पशु विज्ञान					
65.	सीएआरआई, इज्जतनगर	उत्तर प्रदेश	582.33	473.92	350.64
66.	सीआईआरबी, हिसार	हरियाणा	684.62	570.46	596.68
67.	सीआईआरजी, मखदुम	उत्तर प्रदेश	570.93	485.01	425.80
68.	सीएसडब्ल्यूआरआई, अविकानगर	राजस्थान	709.00	585.82	520.81
69.	आईवीआरआई, बंगलौर	कर्नाटक	163.63	214.84	184.51
70.	आईवीआरआई भोपाल-(एचएसएडीएल)	मध्य प्रदेश	279.66	243.85	167.07
71.	आईवीआरआई, इज्जतनगर	उत्तर प्रदेश	2,347.41	1,302.83	1,183.23
72.	आईवीआरआई, मुक्तेश्वर	उत्तराखंड	127.92	148.79	112.30
73.	एनबीएजीआर, करनाल	हरियाणा	768.75	830.54	602.29
74.	एनडीआरआई, बंगलौर	कर्नाटक	144.89	137.57	93.92
75.	एनडीआरआई, करनाल	हरियाणा	2,216.89	1,888.21	1,338.91
76.	एनआईएएनपी, बंगलौर	कर्नाटक	600.36	539.51	409.13
राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र					
77.	एनआरसी, ऊंट, बीकानेर	राजस्थान	327.82	292.19	349.91
78.	एनआरसी, अश्व, हिसार	हरियाणा	589.74	474.73	493.26
79.	एनआरसी मीट, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	264.24	180.15	126.46

1	2	3	4	5	6
80.	एनआरसी मिथुन, झननापानी	नागालैंड	545.82	289.04	240.71
81.	एनआरसी सूअर, गुवाहाटी	असम	833.99	631.49	749.38
82.	एनआरसी याक, दिरांग	अरुणाचल प्रदेश	461.91	411.36	492.50
परियोजना निदेशालय					
83.	पीडीएडीएमएएस, बंगलौर	कर्नाटक	331.29	324.59	275.42
84.	खुरपका एवं मुंहपका रोग परियोजना निदेशालय	उत्तराखंड	596.77	476.76	608.98
85.	पीडी गौपुश, मोदीपुरम	उत्तर प्रदेश	595.58	562.52	527.76
86.	पीडी कुक्कुट, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	849.11	725.72	587.81
कुल: पशु विज्ञान			14592.68	11789.92	10437.49
(एफ) मत्स्य पालन					
87.	सीआईबीए, चैन्नई	तमिलनाडु	699.96	508.66	464.77
88.	सीआईसीएफआरआई, बैरकपुर	पश्चिम बंगाल	743.57	514.40	474.09
89.	सीआईएफए, भुवनेश्वर	उड़ीसा	1,018.23	954.44	664.58
90.	सीआईएफई, मुम्बई	महाराष्ट्र	2,431.36	1,359.50	1,247.45
91.	सीआईएफटी, कोच्चि	केरल	1,450.93	1,114.76	906.28
92.	सीएमएफआरआई, कोच्चि	केरल	1,821.97	1,315.30	853.72
93.	एनबीएफजीआर, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	597.88	441.18	420.57
राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र					
94.	शीत जल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय, भीमताल	उत्तराखंड	375.59	280.16	271.87
	कुल: मत्स्य पालन		9,139.50	6,488.40	5,303.32
(जी) कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी					
95.	आईएएसआरआई, नई दिल्ली	दिल्ली	1,195.22	332.92	258.99
96.	एनसीएपी, नई दिल्ली	दिल्ली	276.15	263.29	244.63
कुल: कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी			1,471.37	596.21	503.62
(एच) कृषि शिक्षा					
97.	नार्म, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	2,573.38	1,368.61	630.50
	कुल: कृषि शिक्षा		2,573.38	1,368.61	630.50

1	2	3	4	5	6
(आई) कृषि विस्तार					
98.	कृषिरत महिला अनुसंधान निदेशालय, भुवनेश्वर	उड़ीसा	993.91	913.57	743.45
99.	जैड सी-टीओटी-I, लुधियाना	पंजाब	6,803.03	3,404.86	3,167.45
100.	जैड सी-टीओटी-II, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	7,931.33	3,627.28	3,553.56
101.	जैड सी-टीओटी-III, बड़ापानी	शिलांग	6,040.38	3,220.16	1,819.09
102.	जैड सी-टीओटी-IV, कानपुर	उत्तर प्रदेश	7,177.34	3,148.71	3,981.69
103.	जैड सी-टीओटी-V, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	6,165.59	2,757.89	3,400.22
104.	जैड सी-टीओटी-VI, जोधपुर	राजस्थान	6,860.39	2,757.40	2,756.39
105.	जैड सी-टीओटी-VII, जबलपुर	मध्य प्रदेश	7,972.61	3,739.92	3,977.88
106.	जैड सी-टीओटी-I, बंगलौर	कर्नाटक	8,625.52	4,004.85	3,806.64
	कुल: कृषि विस्तार		58570.10	27201.63	27206.36
(जे) मुख्यालय					
107.	एएसआरबी, नई दिल्ली	दिल्ली	33.37	0.00	44.95
108.	(I) मुख्यालय (मुख्यालय रोकड़ बही)		1,506.83	1,470.17	1,782.34
	(II) मुख्यालय (सामान्य ए/सी रोकड़ बही)		1,718.06	1,605.75	1,202.34
	(III) मुख्यालय (शिक्षा विभाग)		42884.53	402121.89	38783.76
	(IV) मुख्यालय (एनएटीपी ए/सी रोकड़ बही)		0.00	0.00	0.00
109.	प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली	दिल्ली	258.83	181.63	137.71
110.	एनएआईपी (पीआईयू यूनिट), नई दिल्ली	दिल्ली	20228.82	14946.49	14614.07
	कुल: मुख्यालय		66630.45	58416.93	56565.46
	कुल: मुख्यालय के साथ सभी संस्थानों		237251.15	170231.87	159416.00
	कुल योग		237251.15	170231.87	159416.00

*बजट सीपीसीआरआई, कासरगौड़ के साथ विलय कर लिया है

[अनुवाद]

फसलों का प्रबंधन

1173. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार फसलों में शीथ ब्लाईट और फुट रॉट रोग को फैलने से रोकने के लिए कुछ राज्यों में किसानों को छिड़काव और फसल प्रबंधन संबंधी सलाह दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी आंध्र प्रदेश राज्य सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग ने "भारत में नाशकजीव प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण" स्कीम के अंतर्गत 28 राज्यों और 1 संघ शासित क्षेत्र में 31 केन्द्रीय समेकित नाशकजीव प्रबंधन केन्द्रों (सी.आई.बी.एम.सी.) की स्थापना की है। प्रत्येक सी.आई.बी.एम.सी. आन्ध्र प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में शीथ ब्लाईट और फूट-रोट रोगों को नियंत्रित करने के लिए कृषक क्षेत्रीय स्कूलों तथा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अधीन आयोजित विभिन्न लघु एवं दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए किसानों और कृषि विस्तार अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है।

हाल ही में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूसा बासमती 121 में फूट-रोटो (बकाने) गंभीर रोग के रूप में उभरा है और इस रोग को बीजोपचार द्वारा सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया है। अलग-थलग पड़े स्थान पर शीथ ब्लाईट की उपस्थिति दर्ज की गई है। किन्तु आन्ध्र प्रदेश में खेत में खड़ी फसलों में फूट रोट नहीं है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा किसानों को संस्तुत रोग प्रबंधन पद्धतियों अर्थात् बीजोपचार, प्रतिरोधी के उपयोग को अपनाने तथा खेतों में अधिक समय तक जल जमाव से बचने की सलाह दी गई है।

बुलेट प्रूफ जैकेट

1174. **श्री एस. आर. जेयदुरई:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पुलिस कर्मियों हेतु बुलेट प्रूफ जैकेट एवं बम-प्रूफ सूट खरीदने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले वर्षों के प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु प्रदत्त/उपयोग की गयी कुल धनराशि राज्य-वार कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) भारत के संविधान की VIIवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" राज्य का विषय है। अत: अपने पुलिस बलों को आधुनिक हथियारों, वाहनों, संचार सुविधाओं तथा अन्य परिष्कृत उपकरणों के द्वारा पर्याप्त रूप से सुसज्जित करने की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। तथापि, गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना (एम.पी.एफ. स्कीम) के तहत पुलिस बलों के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के संबंध में राज्य सरकारों के संसाधनों में सहायता देता आ रहा है। एम.पी.एफ. योजना के अन्तर्गत राज्यों को, आधुनिक हथियारों के प्रापण, रिहाइशी एवं गैर-रिहाइशी भवनों के निर्माण, वाहनों, संचार/सुरक्षा/विधि-विज्ञान संबंधी उपकरणों के प्रापण, आसूचना शाखाओं, प्रशिक्षण संबंधी अवसंरचना, विधि-विज्ञान संबंधी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण आदि के लिए सहायता दी जाती है। एम.पी.एफ. योजना के तहत राज्य सरकारें अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं तैयार करती हैं तथा उन्हें वार्षिक कार्य योजना में शामिल करती हैं जिन पर गृह मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है तथा अनुमोदन प्रदान किया जाता है और अनुमोदित कार्य योजनाओं के अनुसार राज्यों को वार्षिक आधार पर केन्द्र की निधियां जारी की जाती हैं। राज्य सरकारों को अन्य बातों के साथ-साथ बुलेट प्रूफ जैकेटों तथा बम-प्रूफ सूटों, जब कभी भी वे उनकी एम.पी.एफ. कार्य योजनाओं में शामिल/अनुमोदित की जाती हैं, को प्राप्त करने के लिए निधियां जारी की गई हैं।

वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान राज्य सरकारों की कार्य योजनाओं में अनुमोदित बुलेट-प्रूफ जैकेटों और बम प्रूफ सूटों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2011-12 से संबंधित राज्यों की कार्य योजनाओं पर गृह मंत्रालय की उच्चाधिकार समिति की बैठकों में विचार किया गया है और सैद्धान्तिक तौर पर अनुमोदित कर दी गई हैं।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी निधियों के लिए राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कुल निधियों के लिए प्राप्त होते हैं न कि मद-वार। वर्ष 2008-09 से 2010-11 की अवधि के लिए

अनुमोदित कार्य योजनाओं की तुलना में जारी कुल केन्द्रीय निधियों तथा राज्य सरकारों द्वारा सूचित उपयोगिता को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है। वर्ष 2011-12 के दौरान अभी तक कोई निधियां जारी नहीं की गई हैं।

विवरण I

वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत राज्यों की कार्य योजनाओं में अन्त बातों के साथ-साथ अनुमोदित बुलेट-प्रूफ जैकेटों तथा बम-प्रूफ सूटों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	2008-09		2009-10		2010-11	
		बुलेट-प्रूफ जैकेट	बम-प्रूफ सूट	बुलेट-प्रूफ जैकेट	बम-प्रूफ सूट	बुलेट-प्रूफ जैकेट	बम-प्रूफ सूट
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	540	0	280	11	285	6
2.	बिहार	0	0	5588	0	60	0
3.	छत्तीसगढ़	0	0	370	0	0	0
4.	गोवा	0	1	0	0	50	0
5.	गुजरात	0	0	1000	0	3566	0
6.	हरियाणा	5	0	0	0	50	0
7.	हिमाचल प्रदेश	100	0	0	0	0	0
8.	जम्मू और कश्मीर	700	0	0	0	0	10
9.	झारखण्ड	1000	50	1050	0	750	0
10.	कर्नाटक	0	0	125	0	0	0
11.	केरल	60	6	100	2	0	0
12.	मध्य प्रदेश	100	0	324	6	184	0
13.	महाराष्ट्र	0	0	1920	3	1050	0
14.	उड़ीसा	500	0	150	0	970	0
15.	पंजाब	0	0	0	4	0	0
16.	राजस्थान	20	0	288	0	99	0
17.	तमिलनाडु	10	0	80	4	0	0
18.	उत्तर प्रदेश	3100	0	12571	32	0	0
19.	उत्तराखण्ड	2	0	15	0	0	0
20.	पश्चिम बंगाल	0	0	1100	0	500	0
21.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	1
22.	असम	300	18	784	2	505	4

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	मणिपुर	400	0	1379	0	600	0
24	मेघालय	0	2	20	1	0	0
25	मिजोरम	100	5	50	0	0	0
26	नागालैंड	200	0	250	8	135	0
27	सिक्किम	0	0	30	0	0	0
28	त्रिपुरा	50	0	100	1	35	0
	कुल	7187	82	27574	74	8839	21

विवरण II

वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2010-11 (दिनांक 31.10.2011 की स्थिति के अनुसार) के लिए जारी की गई केन्द्रीय निधियां तथा राज्य सरकारों द्वारा सूचित उपयोगिता

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2008-09		2009-10		वर्ष 2010-11 में जारी की गई निधियां
		जारी निधियां	व्यय की गई राशि	जारी निधियां	व्यय की गई राशि	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	83.83	74.53	115.54	42.91	89.96
2.	अरूणाचल प्रदेश	14.72	14.72	11.50	11.30	10.75
3.	असम	68.11	59.72	60.79	49.93	48.51
4.	बिहार	41.57	40.91	59.34	39.72	63.67
5.	छत्तीसगढ़	26.54	24.79	17.04	10.39	29.8
6.	गोवा	4.00	3.51	7.08	1.06	2.3
7.	गुजरात	48.02	46.75	52.18	43.74	55.27
8.	हरियाणा	27.51	27.51	46.63	46.63	30.41
9.	हिमाचल प्रदेश	9.99	9.93	7.10	6.32	6.36
10.	जम्मू और कश्मीर	109.65	109.65	111.18	76.44	148.25
11.	झारखण्ड	69.85	56.80	33.49	12.30	36.9
12.	कर्नाटक	69.61	69.61	63.96	53.20	83.01
13.	केरल	22.90	22.90	32.54	32.54	42.68
14.	मध्य प्रदेश	40.37	40.37	54.87	40.56	72.41

1	2	3	4	5	6	7
15.	महाराष्ट्र	75.86	72.08	72.48	70.48	42.26
16.	मणिपुर	39.23	33.63	27.44	27.08	26.63
17.	मेघालय	10.81	10.81	9.73	8.59	8.48
18.	मिजोरम	12.69	12.13	11.48	11.28	19.55
19.	नागालैंड	38.42	38.42	31.50	31.50	33.77
20.	उड़ीसा	42.54	42.54	51.87	49.54	54.24
21.	पंजाब	21.56	20.54	33.50	25.08	26.08
22.	राजस्थान	49.10	49.10	51.18	37.96	47.88
23.	सिक्किम	6.12	5.78	4.72	4.12	2.17
24.	तमिलनाडु	50.10	50.10	60.67	44.98	92.52
25.	त्रिपुरा	20.66	20.66	22.92	7.00	23.08
26.	उत्तर प्रदेश	102.31	91.43	125.17	84.07	77.61
27.	उत्तराखंड	19.39	19.39	5.29	5.29	6.35
28.	पश्चिम बंगाल	32.18	32.18	48.81	48.76	43.73
	कुल	1157.64	1100.49	1230.00	922.77	(*)1224.63

(*) वर्ष 2010-11 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2012 को देय होगा।

[हिन्दी]

सिक्किम के भूकंप पीड़ितों के लिए आवास इकाइयां

1175. **श्री पी.सी. मोहन:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सिक्किम में भूकम्प पीड़ितों के लिए आवासीय इकाइयों का निर्माण करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) गृह मंत्रालय के परामर्श के अनुसार, हिन्दुस्तान प्रिफेज, लिमिटेड (एच.पी.एल.), आवास और नगर विकास निगम (हडको), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) और नेशनल मिशन फॉर बम्बू एप्लीकेशन (एन.एम.बी.ए.) के एक विशेषज्ञ दल ने 5 से 8 अक्तूबर, 2011 तक सिक्किम के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। तथापि, जैसा कि आपदा प्रबंधन डिविजन ने सूचित किया है, गृह मंत्रालय वर्तमान में सिक्किम में राहत कार्यों में लगा हुआ है तथा राज्य सरकार से सिक्किम में भूकम्प बाद राहत, पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण कार्यों हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

अवैध चालक

1176. **श्री हमदुल्लाह सईद:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में बड़ी संख्या में अनुमेय आयु से कम उम्र के युवा वैध लाइसेंस के बिना वाहन चलाते हुए पकड़े गए हैं;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट किए गए इस प्रकार के मामलों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए इस प्रकार के मामलों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) वर्ष 2008, 2009 और 2010 (31.03.2010) के

दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पकड़े गए वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने वाले अनुमेय आयु से कम उम्र के युवाओं के विवरण निम्नलिखित हैं:-

वर्ष	अभियोग चलाए गए नाबालिगों की संख्या
2008	4393
2009	5076
2010 (31.03.2010 तक)	473
	(प्रधान मैजिस्ट्रेट के न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड-II, दिल्ली गेट, दिल्ली के दिनांक 16.12.2009 के आदेश के अनुसरण में दिल्ली पुलिस द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार दिनांक 31.03.2010 के बाद किसी भी नाबालिग पर अभियोजन नहीं चलाया गया है।)

(ग) जब और जैसे ही दिल्ली पुलिसकर्मी किसी नाबालिग व्यक्ति को वाहन चलाते हुए पकड़ते हैं, तब अभियोजन अधिकारी उसका विवरण नोट करता है, वाहन को जब्त किया जाता है तथा वाहन के मालिक का चालान किया जाता है। नाबालिग को सलाह दी जाती है कि वह भविष्य में तब तक वाहन न चलाए जब तक कि वह वयस्क न हो जाए और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त न कर ले। तत्पश्चात् नाबालिग को उसके माता-पिता/अभिभावक अथवा उनकी अनुपस्थिति में निकटतम पुलिस थाने की बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी.) के हवाले कर दिया जाता है और इस संबंध में दैनिक डायरी (डेली डायरी में प्रविष्टि) की जाती है।

[हिन्दी]

मेट्रो नेटवर्क का विस्तार

1177. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:
श्री माणिकराव होडल्या गावित:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मेट्रो नेटवर्क का नोएडा/ग्रेटर नोएडा और रिठाला-रोहिणी से बवाना तक विस्तार किए जाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है और इस संबंध में विलंब का क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से मेट्रो नेटवर्क का ग्रेटर नोएडा तक विस्तार करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। नोएडा (सैक्टर 32) तक दिल्ली मैट्रो का विस्तार पहले ही पूरा कर लिया गया है और दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि. (डी.एम.आर.सी.) द्वारा इस लाईन को चालू कर दिया गया है। जहां तक बवाना से रिठाला तक मेट्रो नेटवर्क के विस्तार का संबंध है, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को यथा शीघ्र सर्वेक्षण करने और प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया है।

(ग) वर्तमान में किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता क्योंकि यह डी.एम.आर.सी. द्वारा सर्वेक्षण कार्य पूरा करने, संबंधित राज्यों को उनके अनुमोदन लागत हिस्सेदारी इत्यादि हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लिए गए समय पर निर्भर रहेगा।

दुधारू पशु

1178. प्रो. रामशंकर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विलुप्त होने के कगार पर पहुंचे दुधारू पशुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा उनके संरक्षण और प्रजाति-संवर्द्धन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) गोपशु की दुधारू नस्लें अर्थात् राठी, रेड सिंधी और साहिवाल अपने प्रजनन ट्रेक्ट में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है और ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारत सरकार अक्तूबर, 2000 से 100% अनुदान सहायता आधार पर "राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना" (एन.पी.सी.बी.बी.) नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रही है। एन.पी.सी.बी.बी. में प्राथमिकता आधार पर बोवाइन के आनुवंशिक उन्नयन की व्यवस्था है और इसमें स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण पर भी बल दिया गया है। सरकार केन्द्रीय क्षेत्र की तीन योजनाएं नामतः केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना और केन्द्रीय हिमित वीर्य और उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान भी क्रियान्वित कर रही है ताकि बोवाईन का विकास किया जा सके।

विवरण

स्वदेशी दुधारू गोपशु का नस्लवार ब्यौरा

(संख्या)

क्र.सं.	नस्ल	प्रजनन ट्रेक्ट	(2007 की गणना के अनुसार)
1.	गिर	गुजरात (जूनागढ़, भावनगर, अमराली जिला)	21,03,307
2.	राठी	राजस्थान (बीकानेर, जैसलमेर, और गंगानगर जिला)	9,24,057
3.	रेड सिंधी	पाकिस्तान (करांची और हैदराबाद जिला)	5,50,272
4.	साहिवाल	पाकिस्तान (साहिवाल जिला) पंजाब के फिरोजपुर तथा अमृतसर जिले	4,57,177

[अनुवाद]

आत्महत्या तथा दुर्घटनाएं

1179. श्री एस. एस. रामासुब्बू: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय रिकार्ड ब्यूरो द्वारा हाल में प्रकाशित रिपोर्ट में अवगत है जिसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष आत्महत्या तथा दुर्घटनाओं के कारण मरने वाले भारतीयों की संख्या चिंताजनक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आत्महत्या की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाया है और राज्य सरकारों को इसके नियंत्रण के लिए कोई निदेश जारी किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) वर्ष 2008-2010 के दौरान दुर्घटना से हुई मौतों और आत्महत्याओं की राज्यवार एवं संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। तथापि, सरकार ने आत्महत्या रोधी सेवाओं, कार्यस्थल दबाव प्रबंधन, जीवन कौशल प्रशिक्षण तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में परामर्शी सेवाओं जैसे योजक घटकों के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2008-2010 के दौरान दुर्घटना से हुई मौतों और आत्महत्याओं की राज्य/संघराज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008		2009		2010	
		दुर्घटना में हुई मौतें	आत्महत्याएं	दुर्घटना में हुई मौतें	आत्महत्याएं	दुर्घटना में हुई मौतें	आत्महत्याएं
1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य							
1.	आंध्र प्रदेश	30385	14354	29560	14500	31532	15901

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरूणाचल प्रदेश	449	110	44	110	456	131
3.	असम	4079	2989	4044	2966	4837	2993
4.	बिहार	9160	1015	9661	1051	10237	1226
5.	छत्तीसगढ़	13024	4945	14168	5883	15522	6522
6.	गोवा	1204	287	863	278	944	322
7.	गुजरात	22024	6165	22280	6156	24882	6207
8.	हरियाणा	10181	2656	10986	2503	11379	2895
9.	हिमाचल प्रदेश	2724	630	2762	560	3003	542
10.	जम्मू और कश्मीर	1722	310	1983	321	2123	259
11.	झारखंड	4536	911	5796	1112	5710	1232
12.	कर्नाटक	22405	12222	22568	12195	24188	12651
13.	केरल	9878	8569	9909	8755	10653	8586
14.	मध्य प्रदेश	31469	7629	33675	9113	35617	9003
15.	महाराष्ट्र	58755	14374	59114	14300	64204	15916
16.	मणिपुर	263	34	229	27	259	37
17.	मेघालय	386	85	485	112	387	108
18.	मिजोरम	276	41	175	69	219	76
19.	नागालैंड	230	42	73	31	74	12
20.	उड़ीसा	9929	4904	11099	4365	12425	4255
21.	पंजाब	7638	869	8208	847	8216	920
22.	राजस्थान	20990	5166	20967	5065	22951	4920
23.	सिक्किम	116	287	222	241	213	280
24.	तमिलनाडु	24376	14425	29838	14424	32153	16561
25.	त्रिपुरा	599	752	686	738	733	725
26.	उत्तर प्रदेश	28611	4088	29495	4158	30563	3628
27.	उत्तराखंड	2159	191	2025	342	2339	281
28.	पश्चिम बंगाल	14938	14852	15651	14648	18098	16037
	कुल (राज्य)	332506	122902	346866	124870	373917	132226

1	2	3	4	5	6	7	8
संघ शासित क्षेत्र							
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	190	143	196	131	175	156
30.	चंडीगढ़	376	83	381	75	332	71
31.	दादरा और नगर हवेली	257	60	205	56	263	63
32.	दमण और दीव	107	19	93	23	106	31
33.	दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	7822	1303	8305	1477	8834	1543
34.	लक्षद्वीप	3	0	8	1	3	1
35.	पुदुचेरी	1048	507	967	518	1019	508
	कुल (संघशासित क्षेत्र)	9803	2115	10155	2281	10732	2373
	कुल (अखिल भारत)	342309	125017	357021	127151	384649	1345599

स्रोत: 'भारत में दुर्घटना से हुई मौतें और आत्महत्याएं।'

[हिन्दी]

दूरदर्शन/आकाशवाणी के लक्ष्य तथा उपलब्धियां

1180. श्री दारा सिंह चौहान: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दूरदर्शन, आकाशवाणी और अन्य नेटवर्कों की विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में सरकार/प्रसार भारती द्वारा निर्धारित लक्ष्यों तथा हासिल की गयी उपलब्धियों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रसार भारती द्वारा निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धियों की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आकाशवाणी व दूरदर्शन की विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में प्रसार भारती द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों और हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण (i) और (ii) में दिया गया है।

(ख) और (ग) वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और इसे समय-समय पर किया जा रहा है। लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के मुख्य कारण संबंधित राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त स्थल मुहैया कराने में विलंब होने व स्थानीय समस्याओं के कारण कुछेक स्थलों पर निर्माण-कार्य के संपन्न होने में विलंब होने तथा कठिन स्थानीय व अन्य स्थितियों से संबंधित हैं। इस स्कीम को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के लिए प्रसार भारती द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

* परियोजना की निगरानी व कार्यान्वयन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

* वित्त से संबंधित सभी मुद्दों का निदान करने के लिए एक अधिकार-प्राप्त वित्त-समिति का गठन किया गया है।

* उनकी परियोजनाओं के लिए निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु महानिदेशक, आकाशवाणी/दूरदर्शन की अध्यक्षता में एक परियोजना निगरानी समिति का गठन किया गया है।

* परिणाम संरचना दस्तावेज (आरएफडी) में शामिल स्कीमों के लिए नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है।

* महानिदेशक की 20 करोड़ रुपए तक संस्वीकृत करने की शक्ति को बहाल कर दिया गया है।

* किसी भी परियोजना के संबंध में अधिप्रापण व अन्य सभी मुख्य कार्यकलापों के लिए समय-सारणी तैयार की गई है और तत्संबंधी प्रगति की निगरानी की जा रही है।

विवरण I

वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान आकाशवाणी की मुख्य परियोजनाओं के वास्तविक लक्ष्य/उपलब्धियां

1. वास्तविक लक्ष्य/उपलब्धियां (मुख्य परियोजनाएं)

	स्कीम/परियोजना	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(अ)	जारी स्कीमें								
1.	जम्मू एवं कश्मीर विशेष पैकेज-ii								
	62.5 कैवीए डीजी सेट की खरीद	–	–	6	6	–	–	–	–
	15 केवीए डीजी सेट की खरीद	6	0	6	6	–	–	–	–
	यूपीएस की खरीद	–	–	7	7	–	–	–	–
	500 केवीए डीजी सेट की खरीद	–	–	2	2	–	–	–	–
	1000 केवीए डीजी सेट की खरीद	–	–	2	2	–	–	–	–
2.	मीडियम वेव सेवाओं का विस्तार								
	सिविल निर्माण कार्य पूरा किया गया	–	–	–	–	–	–	–	–
	संस्थापन कार्य पूरा किया गया	1	1	–	–	–	–	–	–
3.	एफ एम सेवाओं का विस्तार								
	स्थलों का अधिग्रहण	2	1	1	0	3	0	3	प्रयास जारी है
	भवन निर्माण कार्य पूरा किया गया	2	1	6	4	4	3	2	प्रगति पर
	स्टूडियो संस्थापन पूरा किया गया	12	11	5	4	2	2	2	पूरा होने वाला है
	ट्रांसमीटर हेतु आदेश दिए गए	–	–	43	41	2	2	4	एनआईटी जारी
	संस्थापन पूरा किया गया	2	2	1	1	6	6	35	शेष 10 प्रगति पर
4.	प्रोडक्शन सुविधाओं और विविध स्कीमों का डिजिटलीकरण								
	स्विचिंग कनसोल की खरीद	85	85	–	–	–	–	–	–
	डबिंग करसोल की खरीद	39	39	–	–	–	–	–	–
	ट्रांसमिशन करसोल की खरीद	17	0	17	0	17	17	–	–
	रिकार्डिंग कनसोल की खरीद	17	0	17	0	17	17	–	–
5.	स्टूडियो सुविधाओं एवं विविध स्कीमों का स्वचालन और उपस्करों का बदलाव								
	हार्ड डिस्क आधारित प्रणाली की खरीद	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	हार्ड एण्ड सर्वर की खरीद	48	0	48	0	48	0	48	स्वीकृति प्रक्रियाधीन है
4.	**स्थानों पर स्थाई स्टूडियो**								
	सिविल निर्माण कार्य का समापन	1	1	–	–	–	–	–	–
	संस्थापन कार्य का समापन	1	1	2	2	1	1	–	–
	डिजिटल अपलिंक का प्रावधान	2	0	2	0	2	2	–	–
	राजकोट में 1000 किलोवाट ट्रांसमीटर का बदलाव								
	सिविल निर्माण कार्य का समापन	–	–	1	1	–	–	–	–
	ट्रांसमीटर के आदेश दिए गए	1	0	1	1	–	–	–	–
	ट्रांसमीटर की प्राप्ति	–	–	–	–	1	0	1	1
	संस्थापन कार्य पूरा किया गया	–	–	–	–	–	–	1	प्रगति पर
6.	**पूर्वोत्तर विशेष पैकेज**								
	1. किलोवाट ट्रांसमीटर के साथ नए एफएम केन्द्र								
	स्थलों का अधिग्रहण	8	6	6	5	2	0	4	1
	भवन निर्माण कार्य पूरा किया गया	1	0	3	0	6	5	6	शेष 1 प्रगति पर
	ट्रांसमीटर की खरीद	19	19	–	–	–	–	–	–
	संस्थापन कार्य पूरा किया गया	–	–	–	–	5	5	8	प्रगति पर
	सिलचर में 5 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर	–	–	–	–	–	–	–	–
	सिविल निर्माण कार्य पूरा किया गया	–	–	–	–	–	–	–	–
	ट्रांसमीटर की खरीद	–	–	1	0	1	0	1	1
	गंगटोक में 10 किलोवाट एफ एम ट्रांसमीटर								
	सिविल निर्माण कार्य पूरा किया गया	–	–	1	1	–	–	–	–
	ट्रांसमीटर की खरीद	–	–	1	0	1	0	1	1
	डीएसएनजी सिस्टम	–	–	1	0	1	0	1	1
	चिनसुरा में 1000 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर								
	सिविल निर्माण कार्य पूरा किया गया	–	–	1	1	–	–	–	–
	ट्रांसमीटर के आदेश दिए गए	1	0	1	1	–	–	–	–
	ट्रांसमीटर की प्राप्ति	–	–	–	–	1	0	1	1
	कावारती के लिए 10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर								
	ट्रांसमीटर के आदेश दिए गए	1	0	1	0	1	0	1	1
	ट्रांसमीटर की प्राप्ति	–	–	–	–	–	–	1	प्रगति पर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	**कर्मचारियों के लिए आवास**								
	दिल्ली में 323 स्टाफ क्वाटरों का निर्माण	–	–	1	1	–	–	–	–
	दिल्ली में 203 स्टाफ क्वाटरों का निर्माण	–	–	–	–	–	–	1	प्रगति पर
	मुंबई में 58 स्टाफ क्वाटरों का निर्माण	–	–	1	0	1	0	1	प्रगति पर
(ब) नई स्कीमें									
1.	**आकाशवाणी नेटवर्क का डिजिटलीकरण**								
	10 किलोवाट मीडियम वेव मोबाइल ट्रांसमीटर (6) की खरीद								
	आदेश दिया गया	–	–	1	1	–	–	–	–
	उपस्कर की प्राप्ति	–	–	–	–	6	0	6	6
	स्टूडियो ट्रांसमीटर लिंक (35) की खरीद	1	0	1	0	1	0	1	प्रस्तावित खरीद स्वीकृति के प्रक्रियाधीन है
	आरएन लिंक (44) की खरीद	1	0	1	0	1	0	1	खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है
	ट्रांसमीटर, स्टूडियों और केन्क्टीविटी की मुख्य स्कीम का अनुमोदन	1	0	1	0	1	1	–	–
	मुख्य उपस्करों की एनआईटी जारी	–	–	–	–	1	1	–	–
	शेष उपस्करों की एनआईटी जारी	–	–	–	–	–	–	1	1
	सिविल आकलन की स्वीकृति	–	–	–	–	–	–	31	शेष 7 प्रगति पर
	हैड हैल्ड रिकार्डर की खरीद (579)								
	आदेश दिया गया	–	–	–	–	–	–	1	1
	उपस्कर की प्राप्ति	–	–	–	–	–	–	1	1
	पोर्टेबल डिजिटल रिकार्डर (494) की खरीद								
	आदेश दिया गया	–	–	–	–	–	–	1	1
	उपस्कर की प्राप्ति	–	–	–	–	–	–	1	1
	डिजिटल फोन इन कंसोल (290) की खरीद								
	आदेश दिया गया	–	–	–	–	–	–	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	उपस्कर की प्राप्ति	–	–	–	–	–	–	1	1
	ओबी मिक्चर (368) की खरीद								
	आदेश दिया गया	–	–	–	–	–	–	1	1
	उपस्कर की प्राप्ति	–	–	–	–	–	–	1	1
	300 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (6) की खरीद								
	आदेश दिया गया	–	–	–	–	–	–	1	खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है
	200 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (10) की खरीद								
	आदेश दिया गया	–	–	–	–	–	–	1	खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है
	100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (11) की खरीद								
	आदेश दिया गया	–	–	–	–	–	–	1	खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है
	50 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (1) की खरीद								
	आदेश दिया गया	–	–	–	–	–	–	1	खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है
	20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (6) की खरीद								
	आदेश दिया गया	–	–	–	–	–	–	1	1
	500 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (1) की खरीद								
	आदेश दिया गया	–	–	–	–	–	–	1	1
	250 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (2) की खरीद								
	आदेश दिया गया	–	–	–	–	–	–	1	खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है
	100 किलोवाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर (2) की खरीद								
	आदेश दिया गया							1	खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है
	10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (6) की खरीद								
	आदेश दिया गया	–	–	–	–	–	–	1	एनआईटी जारी किया गया
	6 किलोवाट एफ एम वेव के ट्रांसमीटर (27) की खरीद								
	आदेश दिया गया								1 प्रगति पर
	5 किलोवाट एफ एम वेव ट्रांसमीटर (12) की खरीद								
	आदेश दिया गया	–	–	–	–	–	–	1	1
	1 किलोवाट एफ एम वेव ट्रांसमीटर (12) की खरीद								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	आदेश दिया गया	–	–	–	–	–	–	1	1
	100 वाट एफएम वेव ट्रांसमीटर (100) की खरीद								
	आदेश दिया गया	–	–	–	–	–	–	1	1
2.	विदेश सेवाओं का सुदृढीकरण								
	पीएसी आधार पर खरीद का अनुमोदन	1	0	1	0	1	0	1	1
	कन्वर्सन उपकरण का आदेश दिया गया	–	–	1	0	1	0	1	प्रगति पर
3.	ई-गवर्नेस								
	स्कीम का अनुमोदन	–	–	2	0	4	3	1	प्रगति पर
	सिविल अनुमान की स्वीकृति	–	–	–	–	3	3	–	–
4.	नई तकनीक और आर एण्ड डी								
	वेबकास्टिंग स्कीम का अनुमोदन	1	1	–	–	–	–	–	–
	वेबकास्टिंग पद्धति का विकास	–	–	1	1	–	–	–	–
5.	जम्मू एवं कश्मीर विशेष पैकेज फेज-III								
	स्कीम का अनुमोदन	–	–	1	0	1	1	–	–
	मुख्य उपस्कर के लिए एनआईटी	–	–	–	–	1	0	1	1
	3 स्थानों पर जमीन का अधिग्रहण	–	–	–	–	–	–	3	2(1 स्थान के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुमति प्राप्त नहीं हुई)
	100 वाट एफ एम ट्रांसमीटर (4) की खरीद								
	आदेश किया गया	–	–	–	–	–	–	1	1
	10 किलोवाट एफएम+टीवी ट्रांसमीटर (4) की खरीद								
	एनआईटी जारी	–	–	–	–	–	–	–	1 1
	नौशेरा के लिए 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर की खरीद								
	एनआईटी जारी	–	–	–	–	–	–	–	1 1
	राजौरी के लिए 05 किलोवाट टीवी ट्रांसमीटर (2) की खरीद								
	एनआईटी जारी	–	–	–	–	–	–	–	1 1

11. वित्तीय लक्ष्य/उपलब्धियां (मुख्य परियोजनाएं)

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत बजट अनुमान (रु. करोड़ में)	व्यय (रु. करोड़ में)
1.	2008-09	195.00	56.43
2.	2009-10	261.00	33.66
3.	2010-11	183.48	86.93
4.	2011-12 (2011 अक्तूबर तक)	260.37	67.42

विवरण II

वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान दूरदर्शन के लक्ष्य/उपलब्धियां

1. वास्तविक लक्ष्य/उपलब्धियां (प्रमुख परियोजनाएं)

परियोजना	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
स्टूडियो परियोजनाएं (नए/अतिरिक्त/स्थायी सेटअप)	2	1	3	–	4	2	2	1
स्टुडियो का डिजीटकीकरण	–	–	–	–	15	–	31	–
भूकेंद्र परियोजनाएं	3	2	2	1	6	2	5	–
उच्च शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाएं	10	5	7	2	5	2	2	–
आटोमोड अल्प शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाएं	101	8	93	11	50	20	12	5
अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाएं	24	20	4	3	–	–	–	–

1. II. वित्तीय लक्ष्य/उपलब्धियां

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत बजट अनुमान (रु. करोड़ में)	व्यय (रु. करोड़ में)
1.	2008-09	208.28	142.18
2.	2009-10	162.79	90.16
3.	2010-11	100.00	68.10
4.	2011-12	196.51	28.84 (अक्तूबर 2011 तक)

[अनुवाद]

पुलिस कार्मिकों का शारीरिक परीक्षण

1181. श्री अब्दुल रहमान: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शारीरिक क्षमता/योग्यता परीक्षण के दौरान पुलिस कार्मिकों की मृत्यु के मामलों की जानकारी केन्द्र सरकार को मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में दिल्ली पुलिस और अन्य रक्षा बलों द्वारा अपनायी जा रही नीति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पुलिस कार्मिकों के शारीरिक स्वस्थता तथा उनकी नियमित चिकित्सा जांच को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से केवल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के मामले में पदोन्नति संबंधी पाठ्यक्रमों के दौरान मृत्यु होने संबंधी मामलों की सूचना प्राप्त हुई है।

(ख) मई, 2010 में कम्पोजिट ट्रेनिंग कॉलेज (सी.टी.सी.), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, ग्वालियर में पनोन्नति संबंधी पाठ्यक्रम में भाग लेने के दौरान प्रचंड वातावरण-संबंधी दशाओं के कारण केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 01 उप-निरीक्षक तथा 03 हेड कांस्टेबलों की मृत्यु हुई थी।

(ग) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा असम राइफल में शारीरिक क्षमता/योग्यता परीक्षण, उनकी ड्यूटियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सभी बुनियादी पदोन्नति संबंधी तथा सेवाकालीन पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का एक भाग है। दिल्ली पुलिस के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(घ) 2 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी कार्मिकों की शारीरिक क्षमता की जांच/आकलन नियमित वार्षिक चिकित्सा जांच/चेक-अप के दौरान तथा उनकी पदोन्नति के दौरान भी किया जाता है।

दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल

1182. श्री ई. जी. सुगावनम: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में तथा देश के बाहर दूरदर्शन के क्षेत्रीय भाषा के चैनलों की बढ़ती लोकप्रियता से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का दूरदर्शन चैनलों की विषय-वस्तु में सुधार लाए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए आवंटित राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनलों की विषय-वस्तु में कब तक सुधार लाए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन के क्षेत्रीय भाषायी चैनलों की लोकप्रियता को लेकर सकारात्मक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है।

(ख) जुलाई, 2011 से दूरदर्शन के क्षेत्रीय भाषायी चैनलों के टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टी.आर.पी.) को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) प्रसार भारती ने यह भी सूचित किया है कि दूरदर्शन ने सभी क्षेत्रीय चैनलों में अपने नियत बिंदु-चार्टों को पूरी तरह बदल दिया है। कार्यक्रमों के उन फॉमेटों व धारावाहिकों, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, को चैनलों द्वारा वापस ले लिया गया है जिसके फलस्वरूप नई व अभिनव कार्यक्रम-विषयवस्तु के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है।

विवरण

दूरदर्शन के क्षेत्रीय भाषा चैनलों की टी.आर.पी. की माह वार प्रवृत्ति (अवधि जुलाई से अक्टूबर 2011)

डी.डी. पंजाबी की टी.आर.पी.

मार्केट: पंजाब और हिमाचल चैनल मार्केट:	माह	1 (सभी 4+ वर्ष) 000 s 4936, 822	टी.वी.आर. %
डी.डी. पंजाबी	जुलाई	1	0.03
डी.डी. पंजाबी	अगस्त	4	0.04
डी.डी. पंजाबी	सितंबर	2	0.05
डी.डी. पंजाबी	अक्टूबर	3	0.05

डी.डी. बांग्ला की टी.आर.पी.

चैनल मार्केट:	माह	1 (सभी 4+ वर्ष) 000s 1493, 535	टी.वी.आर.
डी.डी. बांग्ला	जुलाई	1	0.09
डी.डी. बांग्ला	अगस्त	2	0.11
डी.डी. बांग्ला	सितंबर	2	0.11
डी.डी. बांग्ला	अक्टूबर	1	0.09

डी.डी.16 लखनऊ की टी.आर.पी.

चैनल मार्केट:	माह	1 (सभी 4+ वर्ष) 000s 11365,926	टी.वी.आर.
डी.डी.16 लखनऊ	जुलाई	16	0.14
डी.डी.16 लखनऊ	अगस्त	15	0.13
डी.डी.16 लखनऊ	सितंबर	18	0.16
डी.डी.16 लखनऊ	अक्टूबर	15	0.13

डी.डी.5 पोढ़िगे (तमिल) की टी.आर.पी.

चैनल मार्केट:	माह	1 (सभी 4+ वर्ष) 000s 2813, 501	टी.वी.आर.
डी.डी.5 पोढ़िगे (तमिल)	जुलाई	2	0.06
डी.डी.5 पोढ़िगे (तमिल)	अगस्त	2	0.08
डी.डी.5 पोढ़िगे (तमिल)	सितंबर	2	0.08
डी.डी.5 पोढ़िगे (तमिल)	अक्टूबर	4	0.13

डी.डी.4 मलयालम की टी.आर.पी.

चैनल मार्केट:	माह	1 (सभी 4+ वर्ष) 000s 4227, 599	टी.वी.आर.
डी.डी.4 मलयालम	जुलाई	12	0.29
डी.डी.4 मलयालम	अगस्त	12	0.28
डी.डी.4 मलयालम	सितंबर	11	0.26
डी.डी.4 मलयालम	अक्टूबर	11	0.25

डी.डी.10 सह्याद्रि (मराठी) की टी.आर.पी.

चैनल मार्केट:	माह	1 (सभी 4+ वर्ष) 000s 9330, 1139	टी.वी.आर.
डी.डी.10 सह्याद्रि (मराठी)	जुलाई	26	0.28
डी.डी.10 सह्याद्रि (मराठी)	अगस्त	29	0.31
डी.डी.10 सह्याद्रि (मराठी)	सितंबर	26	0.28
डी.डी.10 सह्याद्रि (मराठी)	अक्टूबर	27	0.29

डी.डी.9 चांदना (कन्नड़) की टी.आर.पी.

चैनल मार्केट:	माह	1 (सभी 4+ वर्ष) 000s 7310, 867	टी.वी.आर.
डी.डी.9 चांदना (कन्नड़)	जुलाई	30	0.41
डी.डी.9 चांदना (कन्नड़)	अगस्त	33	0.45
डी.डी.9 चांदना (कन्नड़)	सितंबर	31	0.42
डी.डी.9 चांदना (कन्नड़)	अक्टूबर	32	0.44

डी.डी.8 तेलुगु की टी.आर.पी.

चैनल मार्केट:	माह	1 (सभी 4+ वर्ष) 000s 7270, 1117	टी.वी.आर.
डी.डी.8 तेलुगु	जुलाई	12	0.17
डी.डी.8 तेलुगु	अगस्त	11	0.16
डी.डी.8 तेलुगु	सितंबर	14	0.19
डी.डी.8 तेलुगु	अक्टूबर	13	0.18

डी.डी.6 उड़िया की टी.आर.पी.

चैनल मार्केट:	माह	1 (सभी 4+ वर्ष) 000s 3396, 584	टी.वी.आर.
डी.डी.6 उड़िया	जुलाई	26	0.76
डी.डी.6 उड़िया	अगस्त	21	0.62
डी.डी.6 उड़िया	सितंबर	22	0.66
डी.डी.6 उड़िया	अक्टूबर	20	0.57

डी.डी.13 असमिया/नार्थ ईस्ट सेवा की टी.आर.पी.

चैनल मार्केट:	माह	1 (सभी 4+ वर्ष) 000s 1000, 452	टी.वी.आर.
डी.डी.13 असमिया/नार्थ ईस्ट	जुलाई	1	0.11
डी.डी.13 असमिया/नार्थ ईस्ट	अगस्त	1	0.11
डी.डी.13 असमिया/नार्थ ईस्ट	सितंबर	1	0.1
डी.डी.13 असमिया/नार्थ ईस्ट	अक्टूबर	1	0.13

[हिन्दी]

सांस्कृतिक संस्थानों की स्थापना

1183. श्री अधीर चौधरी: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में विशेषकर पश्चिम बंगाल राज्य में सांस्कृतिक संस्थाओं की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी संस्था-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है/की जा रही है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ङ) इस समय नए सांस्कृतिक संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दूरदर्शन/एफएम रेडियो के लिए मानदंड

1184. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शहरों तथा कस्बों में दूरदर्शन टावरों और एफएम रेडियों स्टेशनों की स्थापना के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में दूरदर्शन टावरों और एफएम रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए जन प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर की गयी कार्रवाई का मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि टीवी ट्रांसमीटरों (टावरों) की स्थापना के लिए दूरदर्शन द्वारा अनुसरित मापदंडों में शहरी व ग्रामीण आबादी के लिए परिणामी कवरेज सीमा; जनजातीय, पहाड़ी, सुदूर व सीमवर्ती क्षेत्रों व दुर्गम क्षेत्रों आदि कवरेज का प्रावधान करने जैसे विभिन्न कारक शामिल हैं।

जहां तक एफएम रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने संबंधी मापदंडों का संबंध है, आकाशवाणी ने सूचित किया है कि प्रारंभ में देश के सभी महानगरों में एफएम रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए थे। बाद में, देश में छोटे शहरों में एफएम ट्रांसमीटर के साथ स्थानीय रेडियो स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया ताकि उस जिले/शहर को कवर किया जा सके।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में दूरदर्शन ट्रांसमीटर (टावर) और एफएम रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश सहित विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

स्थलीय प्रसारण द्वारा कवर न किए गए सभी क्षेत्रों को और देश के शेष भाग को दूरदर्शन की फ्री-टु डीटीएच सेवा "डीडी डायरेक्ट प्लस" के जरिए बहु-चैनल टीवी कवरेज मुहैया कराई गई है। स्थलीय कवरेज के विस्तार हेतु फिलहाल नए ट्रांसमीटरों की परिकल्पना नहीं है। अनुरोधित स्थानों पर कोई नया ट्रांसमीटर स्थापित करने की कोई स्कीम नहीं है।

एफएम रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सहित विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों और उन पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त दूरदर्शन ट्रांसमीटरों (टावरों) हेतु अनुरोध

राज्य	प्रस्तावित स्थान
1	2
हरियाणा	बबेन (कुरुक्षेत्र)

1	2
हिमाचल प्रदेश	कफ्नू (किन्नौर)
केरल	मवेलीक्करा (अलप्पुझा)
मध्य प्रदेश	पोहरी (शिवपुरी)
	खनियाढ़ाणा (शिवपुरी)
	वीरपुर (शिवपुर)
	करहाल (शिवपुर)
	मुंगौली (अशोकनगर)
	सागर (सागर)
	रतनगढ़ (नीमच)
महाराष्ट्र	करमला (शोलापुर)
उड़ीसा	गजपति (गजपति)
राजस्थान	नीम का थाना (सीकर)
	बेगू (चित्तौड़गढ़)
	सिमलवाड़ा (बांसवाड़ा)
	गढ़ी (बांसवाड़ा)
	आसपुर (डूंगरपुर)
	बघीडोरा (बांसवाड़ा)
उत्तर प्रदेश	गोंडा (गोंडा)
उत्तराखंड	काशीपुर (उधम सिंह नगर)
	घंगसू बांगर (रुद्रप्रयाग)
	सिद्धसौद (रुद्रप्रयाग)

विवरण II

चालू वर्ष और पिछले तीन वर्षों से राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध

क्र.सं.	राज्य	अनुरोध किया गया केन्द्र का स्थान और प्रकार	अनुरोध पर कार्रवाई और वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर, ओंगोल, करीमनगर, रामागुन्डम, मन्वेरियला, काकीनाड़ा, श्रीकाकुलम में एफ एम रेडियो केन्द्र स्थापित करना।	करीमनगर–12.10.2011 को 5 किलोवाट एफ एम ट्रांसमीटर चालू किया। श्रीकाकुलम, 11वीं योजना के तहत जारी स्कीम में 1 किलोवाट एफ एम ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है। ओंगले, काकीनाड़ा, रामागुन्डम और मन्वेरियला–वर्तमान में कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, बनाई जा रही स्कीम 12वीं योजना में विचार हेतु नोट कर लिया गया है। ओंगोल पर एक 100 वाट एफ एम रिले ट्रांसमीटर पहले ही चालू किया जा चुका है और काकीनाड़ा पर 11वीं योजना में 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है।
2.	अरूणाचल प्रदेश	दापोरजिओ, अनिनि, बोमडीला, चांगलाग, आलो में एफएम रेडियो केन्द्र स्थापित करना।	पूर्वोत्तर विशेष योजना फेस-II में दापोरजिओ, अनिनि, बोमडीला, चांगलाग और खोन्सा में 10वीं योजना में 1 किलोवाट एफ.एम. रेडियो केंन्द्र अनुमोदित किया गया है और जारी स्कीम के रूप में 11वीं योजना में इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है और क्रियान्वयनाधीन है।

1	2	3	4
			आलो–11वीं योजना में एक 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है।
3.	असम	करीमगंज, लामडिंग, गोलपाड़ा में एफएम रेडियो केन्द्र स्थापित करना।	पूर्वोत्तर विशेष योजना फेस-II में करीमगंज, लामडिंग और गोलपाड़ा में 10वीं योजना में 1 किलोवाट एफएम रेडियो केन्द्र अनुमोदित किया गया है और जारी स्कीम के रूप में 11वीं योजना में इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है और क्रियान्वयनाधीन है।
4.	बिहार	फारबिसगंज, मधुबनी, गया, सुपौल और किशनगंज में एफएम रेडियो केन्द्र स्थापित करना।	वर्तमान में कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, बनाई जा रही 12वीं योजना में विचार के लिए अनुरोध नोट कर लिया गया है। गया और किशनगंज में पहले ही एक 100 वाट एफएम रिले ट्रांसमीटर चालू किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, मधुबनी और फारबिसगंज में 11वीं योजना में एक 100 वाट ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है।
5.	छत्तीसगढ़	बैकुंठधाम और राजनंदगांव में एफएम रेडियो केन्द्र स्थापित करना।	वर्तमान में कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, बनाई जा रही 12वीं योजना में विचार के लिए अनुरोध नोट कर लिया गया है।
6.	गुजरात	जुनागढ़, भरूच, नर्मदा साबरकन्था, भावनगर, पोरबंदर अमरेली में एफएम रेडियो केन्द्र स्थापित करना।	जुनागढ़ 10वीं योजना में 10 किलोवाट एफएम रेडियो निर्माण सुविधा के साथ अनुमोदित है और जारी स्कीम के रूप में 11वीं योजना में क्रियान्वित किया जा रहा है, क्रियान्वयनाधीन है। भरूच, नर्मदा, साबरकन्था, भावनगर, पोरबंदर और अमरेली-वर्तमान में कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, बनाई जा रही 12वीं योजना में विचार के लिए अनुरोध नोट कर लिया गया है। भरूच, भावनगर और पोरबंदर में 11वीं योजना में एक 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है।
7.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश, रोहरू और चम्बा में 50 और एफएम ट्रांसमीटर स्थापित करना।	5 जगहों पर पहले ही आकाशवाणी का एफएम प्रसारण है राज्य सरकार के अनुरोध पर 10 जगहों पर निम्न शक्ति (100 वाट) एफएम रिले ट्रांसमीटर स्थपित किए गए हैं। वर्तमान में और जगहों पर 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर लगाए जाने कोई भी अनुमोदित योजना नहीं है। तथापि, बनाई जा रही 12वीं योजना में विचार हेतु नोट कर लिया गया है।
8.	झारखंड	गिरिडिह, बोकारो और धनबाद में एफएम रेडियो केन्द्र स्थापित करना।	धनबाद–10वीं योजना में 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर अनुमोदित हो चुका है और जारी स्कीम के रूप में 11वीं योजना में क्रियान्वित किया जा रहा है और क्रियान्वयनाधीन है। गिरिडिह और बोकारो–वर्तमान में कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, बनाई जा रही 12वीं योजना में विचार के लिए अनुरोध नोट कर लिया गया है। इन जगहों पर 11वीं योजना में एक 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है।
9.	कर्नाटक	रानेबेनौर, चमराजनगर, बिदर और बागलकोट, शिभोगा,	वर्तमान में कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, बनाई जा रही 12वीं योजना में विचार के लिए अनुरोध नोट कर लिया गया है।

1	2	3	4
		गगावती और कोप्पल में एफएम रेडियो केन्द्र स्थापित करना।	
10.	केरल	पथनापुरम, अलप्पुषा, तृश्शूर और पेरीन्थामन्ना में एफएम रेडियो केन्द्र स्थापित करना।	तृश्शूर-11वीं योजना के तहत जारी स्कीम में 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है। पथनापुरम, आलप्पुषा और पेरीन्थामन्ना-वर्तमान में कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, बनाई जा रही 12वीं योजना में विचार कर लिए अनुरोध नोट कर लिया गया है।
11.	महाराष्ट्र	अमरावती, वर्धा, जलना, ब्रहमपुरी, जलगांव तथा गोंदिया में एफएम रेडियो केन्द्र स्थापित करना।	अमरावती-10वीं योजना में उत्पादन सुविधा सहित 10 किलोवाट एफएम रेडियो केन्द्र अनुमोदित है और जारी योजना के रूप में इसे 11वीं योजना में लागू किया जा रहा है जो क्रियान्वयनधीन है। जलगांव–11वीं योजना में 5 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है। वरधा, जलना, ब्रहमपुरी तथा गोंदीया–वर्तमान में कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, बनाई जा रही स्कीम 12वीं योजना में विचार हेतु नोट कर लिया गया है। इन स्थानों पर 11वीं योजना में 100 वाट ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं।
12.	मध्य प्रदेश	उज्जैन, छत्तरपुर, पन्ना, कटनी, बीना, नागर रतलाग, पेपीरीया, हौसंगाबाद, मंदशोर, नागदा, खचरोद, सिवीनी, नरसिंहपुर, चंदेरी, हरदा, अशोक नगर, साजापुर, नीमच, शिओपुर में एफ एम रेडियो केन्द्र स्थापित करना।	उज्जैन–जारी स्कीम के तहत 11वीं योजना किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है। छत्तरपुर–11वीं योजना में 5 किलोवाट एक एक ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है। बाकी जगहों के लिए वर्तमान में कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, बनाई जा रही स्कीम 12वीं योजना में विचार हेतु नोट कर लिया गया है। निमछ में 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर पहले ही लगाया गया है। इसके अलावा, 11वीं योजना में मंदशोर, चंदेरी/अशोक नगर, हरदा और रतलाम में 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर लगाए जा रहे है।
13.	मणिपुर	उखरूल, तमेंगलांग में एफएम रेडियो केन्द्र स्थापित करना।	उत्तर-पूर्व विशेष योजना फेस-II में उखरूल और तमेंगलांग में 10वीं योजना में 1 किलोवाट एफएम रेडियो केन्द्र का अनुमोदन है और जारी स्कीम के रूप में 11वीं योजना में इसे कार्यान्वित किया जा रहा है और जो क्रियान्वयनाधीन है।
14.	मेघालय	दावकी में एफएम रेडियो केन्द्र स्थापित करना।	अब तक राज्य सरकार द्वारा कोई उपर्युक्त स्थान नहीं दिया गया है। अब 11वीं योजना में दावकी की जगह चिरापूंजी में नया 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव है और जो क्रियान्वयनाधीन है।
15.	नागालैंड	वोखा, जुन्हेबोटो, फेक, कीफायर और तमलू टाउन में एफएम रेडियो केन्द्र स्थापित करना।	वोखा, जुन्हेबोटो, फेक–उत्तर-पूर्व विशेष योजना फेस-II में वोखा, जुन्हेबोटो और फेक में 10वीं योजना में 1 किलोवाट एफएम रेडियो केन्द्र अनुमोदित है और जो क्रियान्वयनाधीन है। कीफायर और तमलू टाउन-वर्तमान में कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, बनाई जा रही स्कीम 12वीं योजना में विचार हेतु नोट कर लिया गया है। इसके

1	2	3	4
			अलावा, उत्तर-पूर्व विशेष योजना फेस-II के अंतर्गत नागालैण्ड में समतोर, दिमापुर, मेलूरी तथा हेनीमा 100 वाट एफ एम ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं।
16.	उड़ीसा	गजापति एवं फूलबानी में क्योंझर, दिओगढ़, परलाखेमुंडी में एफएम रेडियो केन्द्र स्थापित करना।	क्योंझर–11वीं योजना में वर्तमान 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर में वृद्धि कर उसे 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर में बदला जा रहा है। दिओगढ़ और परलाखेमुंडी तथा फूलबानी–10वीं योजना में परलाखेमुंडी और दिओगढ़ में एफएम ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए योजना पहले से ही अनुमोदित है। लेकिन इन योजनाओं को बाद में बाद में ड्राप कर दिया गया है। इस समय कोई भी योजना अनुमोदित नहीं है तथा 12 वीं योजना में विचार करने के लिए अनुरोध नोट कर लिया गया है जो निर्माणाधीन है। दिओगढ़ में 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर संस्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त 11वीं योजना में बलिगुरूहा (जिला फूलबानी) तथा परलाखेमुंडी (गजापति में) में 100 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर संस्थापित किया जा रहा है।
17.	पंजाब	मुक्तसर में एफएम रेडियो केन्द्र स्थापित करना।	वर्तमान में कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, बनाई जा रही स्कीम 12वीं योजना में विचार हेतु नोट कर लिया गया है।
18.	राजस्थान	नाथद्वारा, पाली, बाडमेर, करौली, अजमेर में एफएम ट्रांसमीटर स्थापित करना।	अजमेर–11वीं योजना में 5 किलोवाट संस्थापित किया जा रहा है। नाथद्वारा, पाली, बाडमेर और करोली–वर्तमान में कोई अनुमोदित योजना नहीं है। तथापि, बनाई जा रही स्कीम 12वीं योजना में विचार हेतु नोट कर लिया गया है। नाथद्वारा और करौली में 11वीं योजना में 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर संस्थापित किए जा रहे हैं।
19.	सिक्किम	सिक्किम के शेष तीन जिलों में रेडियो केन्द्र स्थापित करना।	वर्तमान में कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, बनाई जा रही स्कीम 12वीं योजना में विचार हेतु नोट कर लिया गया है। इसके अलावा, वर्तमान में राज्य में 16 जगहों पर 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर संस्थापित किए जा रहे हैं।
20.	तमिलनाडु	स्लेम, गोदीयत्तम, वेल्लूर में एफएम एम रेडियो केन्द्र स्थापित करना।	स्लेम–धर्मपुरी के 10 कि.वाट एफएम रेडियो केन्द्र और येरकूड के 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर द्वारा स्लेम में पर्याप्त एफएम कवरेज है। गोदीयत्तम और वेल्लूर–वर्तमान में कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, बनाई जा रही स्कीम 12वीं योजना में विचार हेतु नोट कर लिया गया है। 11वीं योजना में 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर संस्थापित किए जा रहे हैं।
21.	त्रिपुरा	उदयपुर और नूतन बाजार, धर्मनगर और शिकारीबाडी में 1 किलोवाट एफएम रेडियो	पूर्वोत्तर विशेष योजना फेस-II में उदयपुर और नूतन बाजार में 1 किलोवाट एफएम रेडियो केन्द्र, लांगथराई (शिकारीबाडी) में 5 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है। इसके अलावा, त्रिपुरा राज्य में 12 जगहों पर 100 वाट एफएम

1	2	3	4
		केन्द्र स्थापित करना।	ट्रांसमीटर संस्थापित किए जा रहे हैं। धर्मनगर में पहले ही 1 किलोवाट मीडियम वेव रेडियो केन्द्र स्थापित किया गया है।
22.	संघ राज्य क्षेत्र (दमण और दीव)	दीव में एफएम रेडियो केन्द्र स्थापित करना।	दीव में 100 वाट एफएम (रिले) ट्रांसमीटर पहले ही लगाया जा चुका है।
23.	संघ राज्य क्षेत्र (लक्षद्वीप)	कावारती में स्वतंत्र एफएम रेडियो केन्द्र स्थापित करना।	वर्तमान में कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, बनाई जा रही 12वीं योजना में विचार हेतु नोट कर लिया गया है। 11वीं योजना में कावारती में 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर संस्थापित किए जा रहा है।
24.	संघ राज्य क्षेत्र (लक्षद्वीप)	लक्षद्वीप के प्रत्येक द्वीप में 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर स्थापित करना।	वर्तमान में कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, अनुरोध को बनाई जा रही 12वीं योजना में विचार हेतु नोट कर लिया गया है।
25.	उत्तर प्रदेश	मथुरा, रामपुर, मऊ, देवरिया कुशीनगर में एफएम रेडियो केन्द्र स्थापित करना।	मऊ–10वीं योजना में 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर लगाने की योजना पहले ही अनुमोदित है तथा 11वीं योजना में जारी योजना तथा क्रियान्वयन के अधीन इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। रामपुर-11वीं योजना में रामपुर में 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है। मथुरा–मथुरा में 11वीं योजना के अंतर्गत 100 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है। देवरिया और कुशीनगर–वर्तमान में कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, बनाई जा रही स्कीम 12वीं योजना में विचार हेतु नोट कर लिया गया है।
26.	उत्तराखंड	हरिद्वार, काशीपुर, उद्यमनगर में एफएम रेडियो केन्द्र स्थापित करना।	हरिद्वार, काशीपुर और उद्यमनगर–वर्तमान में कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, बनाई जा रही स्कीम 12 वीं योजना में विचार हेतु नोट कर लिया गया है। इसके अलावा, मसूरी में स्थापित 10 किलोवाट एफएम रेडियो केन्द्र द्वारा हरिद्वार में पर्याप्त एफएम कवरेज हैं इसके अलावा, हरिद्वार तथा काशीपुर में 11वीं योजना में एक 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है।
27.	पश्चिम बंगाल	कृष्णानगर, नदियां, चंचल तथा मालदा में एफएम रेडियो केन्द्र स्थापित करना।	चंचल–10वीं योजना में चंचल में एफएम ट्रांसमीटर लगाने की योजना अनुमोदित हैं। लेकिन बाद में इस योजना को ड्राप कर दिया गया। कृष्णानगर, नदियां और मालदा–वर्तमान में कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। तथापि, अनुरोध को बनाई जा रही 12वीं योजना में विचार हेतु नोट कर लिया गया है। एक 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है।

[अनुवाद]

मेट्रो नेटवर्क का विस्तार

1185. श्री पी. के. बिजू: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अधीन देश में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा दिए जाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान संस्वीकृत, जारी और उपयोग की गयी राशि का केरल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश के विभिन्न शहरों में अनुमोदित बसों तथा संस्वीकृत बस रैपिड ट्रांजिट परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में परिवहन प्रणाली को बढ़ावा दिए जाने के लिए कोई भावी योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विशेषकर भीड़-भाड़ वाले शहरों में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (घ) शहरी परिवहन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के शहरी अवस्थापना और शासन (यू.आई.जी.) के तहत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) प्रदान करने के लिए अनुमेय घटकों में से एक है। उसके तहत सरकार ने देश में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार लाने हेतु तीव्र बस परिवहन प्रणाली (बी.आर.टी.एस.) स्वीकृत की है। जनवरी, 2009 में सरकार द्वारा घोषित द्वितीय आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के तहत भी राज्यों को एक बारगी उपाय के रूप में उनकी शहरी परिवहन प्रणाली के लिए बसों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता मुहैया की गयी है। सहायता का लाभ प्राप्त करते हुए राज्यों ने शहरी शहरी परिवहन के क्षेत्र में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सम्मिलित महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यू.एम.टी.ए.) की स्थापना, राज्य तथा शहर स्तर पर समर्पित शहरी परिवहन निधि की स्थापना, राज्य और शहरी स्थानीय निकाय करों पर छूट/प्रतिपूर्ति, विशेष प्रयोजन साधन (ए.सी.पी.वी.) का समावेशन, पार्किंग स्थलों का निर्माण, विज्ञापन, परिवहन उन्मुखी विकास नीति आदि जैसे कुछ सुधारों का कार्यान्वयन आरंभ किया है।

केरल राज्य सहित जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. के तहत स्वीकृत बी.आर.टी.एस. परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। देश में मिशन शहरों के लिए अनुमोदित बसों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) और (च) शहरी परिवहन की समस्याओं में तेजी से हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एन.यू.टी.पी.) का निरूपण, शहरी परिवहन के लिए बसों की वित्त व्यवस्था, तीव्र बस परिवहन प्रणाली परियोजनाएं जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत शहरी परिवहन के लिए यातायात परिवहन प्रबंधन केन्द्रों की स्थापना और विभिन्न शहरों के लिए मैट्रो रेल परियोजनाएं स्वीकृत करने जैसे सक्रिय कदम उठाए हैं। स्वीकृत मैट्रो परियोजनाओं (पूर्ण/चालू/विचाराधीन) का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य	शहर	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रु. में)	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की बचनबद्धता (लाख रुपये में)	2007-08 में उपयोग हेतु जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए)	2008-09 में उपयोग हेतु जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता 09	2009-10 में उपयोग हेतु जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता 10	2010-11 में उपयोग हेतु जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता 11	2007-08 से 2010-11 के दौरान उपयोग हेतु जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	विजयवाडा	विजयवाडा के लिए तीव्र बस परिवाहन प्रणाली (i) एमजीरोड (ii) नुजिवेडु रोड (iii) इलूरू रोड (iv) रूट नं. 5 (v) पसएनपुरम रोड (vi) लूप रोड	15264.00	7632.00	1908.00	0.00	1908.00	0.00	3816.00
2.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	विशाखापट्टनम हेतु तीव्र बस परिवहन प्रणाली (i) सिंहाचलम ट्रांजिट कॉरीडोर सहित सुरंग (ii) पेंडूथ्रों ट्रांजिट कॉरीडोर	45293.00	22646.50	5661.63	0.00	5661.063	0.00	11323.26
3.	गुजरात	अहमदाबाद	तीव्र बस परिवहन प्रणाली 12 कि.मी. लम्बी पट्टी का निर्माण (प्रथम चरण की पट्टी-1) बीआरटी रोडवेज तथा विस्तृत अध्ययन कराना और शेष पट्टियों की इंजीनियरिंग	8760.00	3066.00	0.00	766.50	766.50	0.00	1533.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	गुजरात	अहमदाबाद	तीव्र बस परिवहन प्रणाली 46 कि.मी. की पट्टी	40572.00	14200.20	0.00	3550.05	3550.05	0.00	7100.00
5.	गुजरात	अहमदाबाद	बीआरटीएस चरण-II	48813.00	17085.00	0.00	4271.00	0.00	0.00	4271.00
6.	गुजरात	राजकोट	बीआरटीएस चरण-I (ब्लू कॉरीडोर भाग-1 का विकास)	11000.00	5500.00	1375.00	0.00	2750.00	0.00	4125.00
7.	गुजरात	सूरत	सूरत के लिए बीआरटीएस का विकास	46902.00	23451.00	0.00	5662.75	0.00	0.00	5862.75
8.	मध्य प्रदेश	भोपाल	पायलट कॉरीडोर (न्यू मार्किट से विश्वविद्यालय) बीआरटीएस हेतु (21.75 कि.मी. लम्बी है)	23776.00	11888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	बीआरटीएस-पायलट परियोजना	9845.00	4922.50	0.00	1230.62	0.00	0.00	1230.62
10.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	बीआरटीएस-चरण-1 इन्दौर का रिवरसाइड कॉरीडोर	18000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे शहर हेतु बीआरटीएस पायलट परियोजना (कटरा ज स्वागेट हडस्पर रूट (13.6 कि.मी.)	10313.50	5156.75	1558.00	1530.56	0.00	0.00	3088.56
12.	महाराष्ट्र	पुणे	बीआरटीएस (राष्ट्रमण्डल यूथ गेम्स, 2008 के लिए अवस्थापना विकास	43422.00	21711.00	3258.13	2069.62	10855.50	0.00	16183.25
13.	महाराष्ट्र	पुणे	बीआरटीएस-चरण-1 पुणे शहर हेतु	47662.20	23831.10	10966.38	9.77	5957.78	0.00	16933.93
14.	महाराष्ट्र	पुणे	मुंबई पुणे हाईवे हेतु बीआरटीएस कॉरीडोर (8.5 कि.मी.) और उध रावेट रोड (14.5 कि.मी.)	31214.00	15607.00	3901.75	7803.50	3901.75	0.00	15607.00
15.	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे के लिए बीआरटी कॉरीडोर के रूप में न्यू एलान्दी रोड का सुधार और सुदृटीकरण 13.9 कि.मी.) विक्रांतवाडी से दिघी-चुंगी नागा)	3703.00	1851.50	0.00	462.88	0.00	0.00	462.88
16.	महाराष्ट्र	पुणे	पीसीएमसी-बीआरटीएस कारीडोर-कालेवाड़ी-केएसबी चौक से देहु-अलरान्दी रोड ट्रंक रूट 7	21920.00	8768.00	0.00	2192.00	0.00	0.00	2192.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	महाराष्ट्र	पुणे	बीसीएमसी-बीआरटीएस कारीडोर नासिक-फाटा से वकाद (ट्रंक रूट सं. 09)	20682.00	8272.80	0.00	2068.20	0.00	0.00	2068.20
18.	राजस्थान	जयपुर	सी जोन बाईपास क्रासिंग से पानीपीच बाया सिकार रोड से बीआरटीएस परियोजना प्रस्ताव) पैकेज आईबी)	7519.00	3759.50	939.88	1879.76	0.00	0.00	2819.64
19.	राजस्थान	जयपुर	पैकेज-टूअर्स के तहत बीआरटीएस	14400.00	7200.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00
20.	राजस्थान	जयपुर	बीआरटीएस-पैकेज-III ए और III बी जयपुर हेतु	26035.94	13017.97	0.00	3254.49	0.00	0.00	3254.49
21.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता मैट्रोपोलिटन क्षेत्र में उल्टाडांगा से गोरिया बीआरटीएस	25291.00	8851.85	0.00	0.00	0.00	2212.96	2212.96
			योग	520387.64	237418.67	31368.77	36951.70	35351.21	2212.96	105884.64

विवरण II

वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान जारी निधियां

(करोड रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	शहर	स्वीकृत कुल बस	सीएसएमसी में स्वीकृत कुल लागत	सीएसमएमसी में स्वीकृत एसीए	जारी निधियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	1000	284.00	99.40	49.70
2.	आंध्र प्रदेश	तिरूपति	50	11.00	8.80	4.40
3.	आंध्र प्रदेश	विजयवाडा	240	65.60	32.80	18.02
4.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	250	71.00	35.50	18.76
5.	अरूणाचल प्रदेश	इटानगर	25	4.15	3.74	1.95
6.	असम	गुवाहाटी	200	52.55	47.29	7.11

1	2	3	4	5	6	7
7.	बिहार	बोध गया	25	6.75	5.40	2.70
8.	बिहार	पटना	100	39.90	19.95	9.97
9.	छत्तीसगढ़	रायपुर	100	14.85	11.88	5.94
10.	दिल्ली	दिल्ली	1500	765.00	267.75	115.52
11.	गोवा	पणजी	50	7.70	6.16	3.08
12.	गुजरात	अहमदाबाद	730	251.99	88.20	39.08
13.	हरियाणा	फरिदाबाद	150	54.60	27.30	13.65
14.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	75	6.75	6.08	304
15.	झारखंड	धनबाद	100	14.30	7.15	3.57
16.	झारखंड	जमशेदपुर	50	5.50	2.75	1.37
17.	झारखंड	रांची	100	17.50	14.00	7.00
18.	कर्नाटक	बैंगलौर	1000	341.43	119.50	56.81
19.	कर्नाटक	मैसूर	150	49.43	39.54	15.31
20.	केरल	कोचि	200	71.00	35.50	17.75
21.	केरल	त्रिवेन्द्रम	150	53.40	42.72	21.36
22.	मध्य प्रदेश	भोपाल	225	88.75	44.38	22.19
23.	मध्य प्रदेश	इंदौर	175	59.75	29.88	14.94
24.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	75	31.00	15.50	7.75
25.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	50	14.20	11.36	5.68
26.	महाराष्ट्र	एमएमआर-वेस्ट	1000	284.00	99.40	49.70
27.	महाराष्ट्र	एमएमआर-नवी मुम्बई	150	40.50	14.18	7.34
28.	महाराष्ट्र	एमएमआर-थाना	200	47.80	16.73	9.94
29.	महाराष्ट्र	नागपुर	300	63.60	31.80	15.90
30.	महाराष्ट्र	नांदेड़	30	7.60	6.08	3.04

1	2	3	4	5	6	7
31.	महाराष्ट्र	पीएमपीएमएल-पुणे	500	233.43	116.71	40.50
32.	महाराष्ट्र	पीएमपीएमएल-	150			16.25
33.	मणिपुर	इम्फाल	25	6.75	6.08	3.04
34.	मिजोरम	एजाल	25	3.25	2.93	1.46
35.	ओडिशा	भुवनेश्वर	100	16.50	13.20	6.60
36.	ओडिशा	पुरी	25	3.30	2.64	1.32
37.	पंजाब	अमृतसर	150	33.30	16.55	8.33
38.	पंजाब	लुधियाना	200	65.20	32.60	16.30
39.	राजस्थान	अजमेर	35	7.70	6.16	2.98
40.	राजस्थान	जयपुर	400	142.82	71.41	35.70
41.	तमिलनाडु	चेन्नई	1000	295.92	103.57	51.79
42.	तमिलनाडु	कोयंबटूर	300	88.78	44.39	22.19
43.	तमिलनाडु	मदुरै	300	88.78	44.39	2.19
44.	त्रिपुरा	अगरतला	75	16.28	14.65	7.65
45.	उत्तर प्रदेश	आगरा	200	48.73	24.37	20.97
46.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	150	28.70	14.35	13.52
47.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	304	65.25	32.63	31.92
48.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	300	75.05	37.52	31.92
49.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	60	6.00	4.80	4.51
50.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	150	31.33	15.67	13.45
51.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	146	27.17	13.58	14.01
52.	उत्तर प्रदेश	चंडीगढ़	100	54.00	34.20	17.10
53.	उत्तराखंड	देहरादून	60	11.40	9.12	4.56
54.	उत्तराखंड	हरिद्वार	60	12.90	10.32	5.16
55.	उत्तराखंड	नैनीताल	25	2.88	2.30	1.15
56.	वेस्ट बंगाल	आसनसोल	100	22.00	11.00	5.50
57.	वेस्ट बंगाल	कोलकाता	1200	384.00	134.40	63.00
		कुल	14690	4617.02	2017.26	1015.64

(ii) वित्त वर्ष 2009-2010 के दौरान जारी निधियां

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	शहर	कुल स्वीकृत बस	सीएसएमसी में स्वीकृत कुल लागत	सीएसएमसी में स्वीकृत एसीए	जारी निधियां
1.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	75	13.20	11.88	2.97
	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	75	13.20	11.88	2.97
2	कर्नाटक	मैसूर		49.43	39.54	12.04
	महाराष्ट्र	एमएमआर मीरा बंयदर	50	11.00	3.85	0.96
3	महाराष्ट्र	एमएमआर-कालन दबंवली	50	9.00	3.15	0.79
	महाराष्ट्र	नासिक	100	22.00	7.70	1.93
4	मेघालय	शिंलाग	120	16.40	14.76	3.69
5.	नागालैण्ड	कोहिमा	25	3.00	2.70	0.68
6.	पुदुचेरी-संघ शासित प्रदेश	पुदुचेरी	50	16.15	12.92	3.23
7.	दिल्ली संघ शासित प्रदेश (डीएमआरसी फीडर)	दिल्ली	100	20.00	7.00	1.75
8.	सिक्किम	गंगटोक	25	3.00	2.70	0.68
		कुल	670	176.38	118.08	31.69

(iii) वित्त वर्ष 2010-2011 के दौरान जारी निधियां

क्र.सं.	राज्य	शहर	जारी निधियां (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
1.	असम	गुवाहाटी	13.49
2.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	2.43
3.	मेघालय	शिलांग	3.69
4.	सिक्किम	गंगटोक	1.12
5.	उत्तराखंड	देहरादून	1.09
		नैनीताल	0.48
		हरिद्वार	1.08

1	2	3	4
6.	चंडीगढ़ (संघ शासित प्रदेश)	चंडीगढ़	
7.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	10.22
		तिरूपति	0.89
		विजयवाडा	6.01
		विशाखापटनम	1.97
8.	गोवा	पणजी	1.96
9.	कर्नाटक	बंगलौर	26.52
11.	महाराष्ट्र	बेस्ट	8.15
		नवी मुम्बई	2.79
		थाणे	2.70
		मीरबंयदर	1.64
		नादण	0.02
		पीसीएमसी	0.99
12.	ओडिशा	भुवनेश्वर	2.18
		पुरी	0.41
13.	तमिलनाडु	चेन्नई	13.09
		कुल	111.21

विवरण III

स्वीकृत और पूर्ण मैट्रो रेल परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (करोड़ रु. में)
1.	दिल्ली एमआरटीस फेज-I	65.05	10571.00
2.	दिल्ली एमआरटीएस फेज-II	54.68	11691.36
3.	गुडगांव के लिए दिल्ली मैट्रो का विस्तार	14.47	1589.44
4.	नोएडा के लिए दिल्ली मैट्रो का विस्तार	7.0	827.00
5.	केन्द्रीय सचिवालय से बदरपुर	20.16	4012.00
6.	एक्सप्रेस लिंक से मैट्रो लिंक	2.76	356.11
7.	एयरपोर्ट मैट्रो लिंक	22.70	3869.00
8.	दिल्ली मैट्रो का आनंद विहार आईएसबीटी से वैशाली (गाजियाबाद) हेतु विस्तार	2.57	320.00

चालू स्वीकृत मैट्रो रेल परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (करोड़ रु. में)
1.	बंगलौर मैट्रो (कर्नाटक)	42.3	11609.00
2.	कोलकाता ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कोरिडोर (पश्चिम बंगाल)	14.67	4874.58
3.	चैन्नई मैट्रो (तमिलनाडु)	45.046	14600.00
4.	मुम्बई मैट्रो लाइन-I (महाराष्ट्र) (सार्वजनिक नीजी भागीदारी प्रणाली)	11.40	2356.00
5.	मुम्बई मैट्रो लाइन-II (महाराष्ट्र) (सार्वजनिक नीजी भागीदारी प्रणाली)	31.87	7660.00
6.	जयपुर मेट्रो चरण-I (राजस्थान)	9.25	1250.00
7.	हैदराबाद मेट्रो (आंध्र प्रदेश) (सार्वजनिक नीजी भागीदारी प्रणाली)	71.16	12132.00
8.	दिल्ली एमआरटीएस फेज-III	103.050	35242.00
9.	दिल्ली मेट्रो का फरीदाबाद तक विस्तार (हरियाणा)	13.75	2494.00

विचाराधीन मैट्रो रेल परियोजना की सूची

क्र.सं.	परियोजना	लम्बाई कि.मी.	लागत (करोड़ रु. में)
1.	बहादुरगढ़ (हरियाणा के लिए मैट्रो का विस्तार)	11.781	1,432.00
2.	कोच्चि मैट्रो रेल (केरल)	25.3	2,991.50
3.	कोलावा-महिम/बांद्रा कॉरीडोर लाइन-III महाराष्ट्र	20.4	12,000.00
4.	चेन्नई मैट्रो रेल परियोजना चरण-II विस्तार-वाशेरमेनपेट से विम्बो नगर (तमिलनाडु)	9.051	2845.00

मेट्रो रेल से संबद्ध कार्य

1186. श्री सी. आर. पाटिल: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिन विभिन्न स्थानों पर मेट्रो स्टेशन कार्यरत हैं उन स्थानों पर दिल्ली मेट्रो से संबंधित अभी तक पूरा नहीं किए गए संभार संबंधी तथा संबद्ध कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसमें विलंब के क्या कारण हैं और इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) दिल्ली मेट्रो के उन पार्किंग स्थलों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पूरी तरह विकसित नहीं किया गया है और जिनके लिए निजी पार्टियों को ठेका दे दिया गया है और वे इसके लिए पहले से ही पार्किंग शुल्क ले रहे हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इनके कब तक पूरी तरह तैयार होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (डी.एम.आर.सी.) ने सूचित किया है कि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन और तीव्र गति एयरपोर्ट एक्सप्रेस लिंक पर आई.जी.आई. एयरपोर्ट स्टेशन जहां केवल आइलैंड प्लेटफार्म ही परिचालन में है, को छोड़कर परिचालन मेट्रो स्टेशनों पर सभी बड़े कार्य पूर्ण हो गए हैं। कुछ मेट्रो स्टेशनों पर केवल छोटे सुधार कार्य किए गए हैं।

(ख) तीव्र गति एयरपोर्ट एक्सप्रेस लिंक में आइलेंड प्लेटफार्मों सहित उन स्टेशनों की है जो इस लाइन पर यात्रियों की सम्भावित प्रारम्भिक संख्या की आवश्यकता पूरी करने के लिए उपयुक्त हैं प्रारम्भ किया गया था। यात्रियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि होने पर ही साइड प्लेटफार्मों को परिचालन के लिए खोलने की योजना है।

(ग) और (घ) सभी पार्किंग लॉटस ट्रैफिक की आवश्यकता के अनुरूप पूर्णत: विकसित की गई है।

भारतीय नृत्य विधाएं

1187. श्री एम. के. राघवन: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न कथकली, मोहिनीअट्टयम और भरत नाट्यम सहित विभिन्न भारतीय नृत्य विधाएं अन्य देशों में भी लोकप्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन नृत्य विधाओं का प्रचार-प्रसार करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में या देश के बाहर कलामंदरम् कला और संस्कृति मानित विश्वविद्यालय, केरल के ऑफ-कैम्पस केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री और संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) यदि केरल कलामंडलम को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया जाना है तो इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय हेतु विचार किए जाने वाले संस्थान) विनियम, 2010 के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

विवरण

सरकार निम्नलिखित अनेक उपायों के माध्यम से विदेशों में इन नृत्य रूपों का प्रसार करने में सहायता करती है–

(i) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई.सी.आर.) विदेशों में सांस्कृतिक समारोहों व उत्सवों में भाग लेने के लिए भरतनाट्यम, कथकली व मोहिनीअट्टयम सहित विभिन्न नृत्य समूह वार्षिक रूप से प्रायोजित करती है। इनमें "मैक्सिमम इंडिया", 'कनाडा में भारत का वर्ष', 'ब्राजील में भारत का वर्ष', 'मलेशिया में भरतनाट्यम का द्वितीय उत्सव', 'दक्षिण अफ्रीका में साझे इतिहास उत्सव', 'यू. एस.ए. में "ट्रेडिशन्स एंगेजड", "इंडोनेशिया में एकल अंतर्राष्ट्रीय मंच कला समारोह आदि शामिल हैं। इन नृत्य विधाओं के संवर्धन हेतु परिषद ने विदेशों में विभिन्न आई.सी.सी.आर. सांस्कृतिक केन्द्रों में भरतनाट्यम नृत्य शिक्षक भी प्रतिनियुक्त किए हैं। आई.सी.सी.आर. विश्व के विभिन्न भागों से भारत आने वाले विदेशी विद्यार्थियों को शिक्षावृत्तियां भी प्रदान करता है।

(ii) संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, विदेशों में उत्सव आयोजित करता है। हाल में कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान द्वारा तैयार 'चरिष्णु' कार्यक्रम को चीन, कनाडा व मॉरिशस जैसे विभिन्न देशों में ले जाया गया। इस कार्यक्रम में भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टयम व कथकली सहित विभिन्न नृत्य विधाओं को प्रस्तुत किया गया है। कला क्षेत्र प्रतिष्ठान ने थाइलैंड, चीन, यू.एस. ए. व कनाडा में भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। इस समय श्रीलंका, यू.एस.ए. बेलारूस, यूक्रेन, फ्रांस, ब्राजील, स्कॉटलैंड, दक्षिण अफ्रीका व कनाडा जैसे देशों से 34 विदेशी विद्यार्थी, कलाक्षेत्र में नृत्य व संगीत की शिक्षा ले रहे हैं।

(iii) संस्कृति मंत्रालय भी विदेशों में उत्सव आयोजित करता है जिनमें इन कला रूपों की प्रस्तुतियां पेश की जाती हैं। वर्ष 2009-10 में संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत कुवैत व कजाकिस्तान में कथकली और इंडोनेशिया व मलेशिया में भरतनाट्यम के कलाकार भेजे थे।

गरीबी उपशमन के लिए वैश्विक प्रयास

1188. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र के शताब्दी विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए गरीबी को समाप्त करने हेतु वैश्विक प्रयासों के लिए सहायता प्राप्त कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए कर्नाटक सहित राज्य-वार कितनी राशि व्यय की गयी है; और

(घ) इसकी राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जिम्नैस्टिक को प्रोत्साहन

1189. **श्री कपिल मुनि करवारिया:** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिम्नैस्टिक खेलों को प्रोत्साहन देने के लिये इलाहाबाद सहित देश के विभिन्न भागों में स्थापित राष्ट्रीय खेल अकादमियों को वातानुकूलित प्रशिक्षण हॉल और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार और इलाहाबाद सहित अकादमी-वार ऐसी सुविधाएं कब तक दिये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जिम्नास्टिक सहित विविध खेल विधाओं को प्रोत्साहन देने हेतु मंत्रालय, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को, मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की विविध योजनाओं द्वारा सहयोग करता है। भारतीय खेल प्राधिकरण के पास देश भर में व्याप्त खेल केंद्रों में विभिन्न खेल विधाओं के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली में जिम्नास्टिक खेल के संवर्धन हेतु वातानुकूलित हाल सहित अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय खेल अकादमियों के संबंध में मंत्रालय ने देश में जिम्नास्टिक सहित किसी अन्य खेल विधा हेतु कोई राष्ट्रीय खेल अकादमी की स्थापना नहीं की है।

(ग) यह जिम्मेदारी उस प्राधिकरण/संस्थान की है, जो खेल अकादमियों का संचालन तथा प्रबंधन करते हैं, कि वे स्वयं को अपेक्षित खेल उपकरणों तथा अन्य सुविधाओं से सुसज्जित करें। जहां तक भारतीय खेल प्राधिकरण का संबंध है यह देश में किसी भी खेल अकादमी का संचालन नहीं कर रही है। तथापि भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्रों के विस्तार (एस.टी.सी.)/व्यापक विस्तार हेतु विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.) योजना के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण विद्यालयों/महाविद्यालयों को संरक्षण देता है और प्रशिक्षुओं हेतु खेल किट, प्रतियोगिता प्रदर्शन, वजीफा तथा बीमा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इन केंद्रों में खेल अवसंरचनाओं का निर्माण/अनुरक्षण करना संबंधित संगठनों/संस्थानों द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

जूट किसानों की हत्या

1190. **श्री बदरूद्दीन अजमल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को असम के बेचीमरी में स्थानीय पुलिस द्वारा जूट किसानों के उस समय मारे जाने की जानकारी है जब वे अपने उत्पादन के बेहतर मूल्य की मांग हेतु सड़क की नाकाबंदी कर रहे थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या पीड़ितों के परिवार को कोई मुआवजा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) असम सरकार ने बेचीमारी घटना की जांच करने के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है।

(ग) और (घ) असम सरकार ने मृतक के निकट संबंधी को प्रति मृतक 3,00,000/-रुपए की दर से अनुग्रह धनराशि देने की परियोजना अनुमोदित की है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता है।

खाद्य वस्तुओं का वितरण

1191. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गरीबों विशेषकर जनजातीय लोगों को अत्यंत निम्न दर पर आवश्यक खाद्य वस्तुएं प्रदान करने हेतु किसी योजना का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन-किन राज्यों में ऐसी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा इसमें केन्द्रीय सहायता का अंश कितना है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश की संपूर्ण जनजातीय आबादी को इस योजना के दायरे में लाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सम्पूर्ण देश में आदिवासी लोगों सहित लक्षित आबादी के लिए अत्यधिक राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर अनाज प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों और ग्रामीण अनाज बैंक की स्कीम के अधीन भी खाद्यान्न प्रदान किए जाते हैं जिनमें अन्य लोगों के साथ-साथ आदिवासी विद्यार्थियों, आदिवासी और अन्य दुर्गम क्षेत्रों में सीमांत परिवारों को कवर किया जाता है। 2011-12 के दौरान उपर्युक्त स्कीमों के अधीन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 564.05 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किए गए हैं।

केन्द्र सरकार गरीबी रेखा से नीचे के अधीन चावल और गेहूं के लिए क्रमश: 72.69% और 73.74%, अंत्योदय अन्य योजना के अधीन 85.5% और 87.35% तथा गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के अधीन 59.9% और 61.4 % राजसहायता वहन करती है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आवंटन राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर निम्नानुसार किया जाता है:-

(रुपये प्रति क्विंटल)

जिन्स	अंत्योदय अन्न योजना	गरीबी रेखा से नीच	गरीबी रेखा से ऊपर
गेहूं	200	415	610
चावल	300	565	830

अन्न कल्याण योजनाओं के अधीन आवंटन गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर किए जाते हैं और ग्रामीण अनाज बैंक की स्कीम के अधीन ऋण आधार पर किए जाते हैं।

[हिन्दी]

किसानों द्वारा रेल सेवाएं बाधित करना

1192. श्री भूदेव चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक किसान संगठनों/कार्यकर्त्ताओं ने अपनी समस्याओं को हल करने के लिए देश के कुछ भागों में रेल सेवाओं को बाधित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सेवा बाधित करने के पीछे किसानों की मांग का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) कृषि मंत्रालय के पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए देश के कुछ भागों में फार्म संघों/कार्यकर्त्ताओं द्वारा रेल सेवा को बाधित करने के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) तथापि कुछ किसान संघों ने विभिन्न मांगों की सूची बनाते हुए सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिनमें शामिल हैं - कृषि जिन्सों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में संशोधन, कृषि हेतु अलग बजट का प्रावधान, कम ब्याज दर पर फसल ऋण तथा कृषि उपकरणों हेतु ऋण का प्रावधान, बीज विधेयक में मूल्य नियंत्रण तथा अधिक दण्ड का प्रावधान करना। किसानों के लिए बिजली, सिंचाई, डीजल और उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना फसल बीमा स्कीम में संशोधन, कृषकों और कृषि मजदूरों हेतु न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना। किसानों को अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल करना तथा नौकरियों में आरक्षण, परम्परागत कृषि पर जोर, व्यस्त कृषि मौसम में कृषि के साथ मनरेगा को जोड़ना तथा किसानों को मजदूरी देना। सरकारी सहायता प्राप्त स्वास्थ्य स्कीमों तथा स्वास्थ्य बीमा के जरिए किसानों के परिवारों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा देना। उचित शैक्षणिक सुविधाएं तथा साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में नि:शुल्क और राजसहायता देकर शिक्षा देना, सार्वजनिक कृषि विश्वविद्यालय आदि में गैर सरकारी बीज कंपनी के अनुसंधान पर रोक लगाना।

कृषि उत्पादन और उत्पादकता तथा कृषक आय को बढ़ाने तथा कल्याण के लिए सरकारी नीति के अनुरूप उचित कार्रवाई के लिए मांगों पर विचार किया गया है।

[अनुवाद]

किसानों के पास कृषि जोत

1193. **श्री के. सुगुमार:**
श्री महेश जोशी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अधिकांश कृषि जोतों का आकार छोटा है;

(ख) यदि हां, तो क्या छोटी कृषि जोत वाले विशेषकर छोटे किसान इससे परेशान हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) छोटी कृषि जोतों पर कृषि को लाभकारी बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) अद्यतन कृषि संगणना 2005-06 के अनुसार देश में कुल खेती किए जाने वाले क्षेत्र के 41.14 प्रतिशतता के साथ सीमान्त और लघु जोत का (2.0 हैक्टेयर से कम परिचालित क्षेत्र) कुल जोतों का 83.29 प्रतिशत था।

(ख) से (घ) सरकार ने लघु और सीमान्त किसानों सहित किसानों को संकट से उबारने के लिए विभिन्न फसलों की उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र को और अधिक गतिशील बनाने के बहुत से उपाय किए हैं। लघु भू-जोत धारियों को अधिक लाभ देने के लिए (i) बहु फसलन, अन्त: फसलन और समेकित कृषि प्रणाली जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकी और उद्यमों को अपनाने को बढ़ावा देना (ii) उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों के संबंध में जागरूकता सृजन के लिए देश के विभिन्न भागों में कृषि विज्ञान केन्द्रों (के. वी.के.), किसान मेला, प्रदर्शन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान का प्रचार-प्रसार (iii) कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक संसाधन की सहायता के लिए उचित ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए कृषि ऋण वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण (iv) संधारणीय आधार पर कृषि को लाभकारी अवसर प्रदान करने के लिए किसानों को पर्याप्त समर्थन प्रदान करना, आदि कदम उठाए गए हैं।

स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन

1194. **श्री प्रबोध पांडा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तेलंगाना क्षेत्र के उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन स्वीकृत करने हेतु सहमत हो गयी है जिन्होंने हैदराबाद स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हैदराबाद स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी ने तेरह हजार से अधिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नामों को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन के लिये स्वीकृत करने हेतु अग्रेषित किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में कार्य की धीमी प्रगति की जानकारी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इसमें तेजी लाने हेतु किये जा रहे उपायों को ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) वर्ष 1985 में यह निर्णय लिया गया था कि हैदराबाद स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सैनिकों को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन प्रदान की जाएगी।

(ग) से (छ) सभी पात्र आवेदकों, जिनके हैदराबाद स्वतंत्रता आन्दोलन में भागीदारी के संबंध में सम्मान पेंशन प्रदान किए जाने से संबंधित दावे श्री गोविन्द भाई श्राफ की अध्यक्षता वाली हैदराबाद स्पेशल स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा संस्तुत किए गए थे, को पहले ही सम्मान पेंशन प्रदान की जा चुकी है। तत्पश्चात् श्री राजेश्वर राव की अध्यक्षता में एक और समिति गठित की गई थी। इस समिति ने लगभग 13,500 आवेदकों के मामलों की सिफारिश की। तत्पश्चात् इस प्रकार की शिकायतें मिली कि श्री राजेश्वर राव समिति ने जाली आवेदकों, जिनमें ऐसे लोग भी शामिल थे जिनका जन्म हैदराबाद स्वतंत्रता आन्दोलन के समय हुआ भी नहीं था अथवा जो नन्हें बच्चे थे, के मामले संस्तुत किए हैं। अत: श्री राजेश्वर राव समिति द्वारा संस्तुत सभी मामलों को आंध्र प्रदेश सरकार के पास पुन: सत्यापन हेतु भेजा गया था। पुन: सत्यापित मामलों के त्वरित निपटान तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों के दावों की अनदेखी न हो प्रत्येक मामले में, आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई पुन: सत्यापन रिपोर्टो सहित सम्मान पेंशन की स्वीकृति से संबंधित पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले आवेदकों के दावों की जांच, इस उद्देश्य के लिए गठित सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सैनिकों की एक समिति द्वारा की जाती है। चूंकि कई मामलों में आंध्र प्रदेश सरकार से पुन: सत्यापन रिपोर्टे अभी प्राप्त होनी हैं, इसलिए ऐसे मामलों के संबंध में श्री राजेश्वर राव समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर अभी कार्रवाई नहीं की गई है। आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को समय-समय पर यह सलाह दी गई है कि वे उन्हें भेजे गए मामलों के पुन: सत्यापन के कार्य में तेजी लाएं ताकि राज्य सरकार की पुन: सत्यापन रिपोर्टो के साथ सम्मान पेंशन की स्वीकृति से संबंधित पात्र आवेदकों के दावों को सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सैनिकों की समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके तथा उनका शीघ्रातिशीघ्र निपटान हो सके।

बंगला/फ्लैटों पर अनधिकृत कब्जा

1195. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री लक्ष्मण टुडु:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों, पूर्व सरकारी कर्मचारियों, पूर्व संसद सदस्यों, पूर्व मंत्रियों, पूर्व न्यायाधीशों एवं अन्य लोगों ने नई दिल्ली के लुटयेन जोन (एल.बी.जेड.) में अनेक वी.आई.पी. बंगलों/फ्लैटों पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है;

(ख) यदि हां, तो इन बंगलों/फ्लैटों का ब्यौरा क्या है तथा इन बंगलों/फ्लैटों पर अनधिकृत रूप से काबिज लोगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बंगलों/फ्लैटों पर कब से अनधिकृत कब्जा है तथा इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक के ऊपर सरकार का कितना किराया बकाया है; और

(घ) इन भवनों पर अनधिकृत कब्जे को शीघ्र हटाने के लिये विभिन्न प्राधिकारियों/एजेंसियों/सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है ताकि इन्हें अन्य पात्र व्यक्तियों को आवंटित किया जा सके?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी हां।

(ख) से (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	मकान संख्या	टाइप	कब से अनधिकृत कब्जा है	दखलकार का नाम श्री/श्रीमती	कारण	की गई कार्रवाई	अनधिकृत अवधि के लिए सरकार को देय किराया (रु.)	टिप्पणी
1.	सी-1/18 पंडारा पार्क	VIB	13.09.2011	श्रीमती पी. ज्योति राव, सदस्य, एन.डी.एम.ए.	दिनांक 13.08.2011 को इस्तीफा दिया	बेदखली कार्यवाही शुरू करने हेतु दिनांक 4.10.2011 को अदालत के पास भेजा गया।	72,731/-(पूरा भुगतान प्राप्त किया)	–
2.	सी-1/57 बापा नगर	VIB	10.01.2011	श्री शंकर राजू, भूतपूर्व सदस्य कैट,	दिनांक 10.12.2010 को सेनानिवृत्त	बेदखली कार्यवाही शुरू करने हेतु दिनांक 13.10.2011 को अदालत के पास भेजा गया।	5,34,178	–
3.	11-ए, तीन मूर्ति मार्ग	VII	25.06.2010	श्री बूटा सिंह, भूतपूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	24.05.2010 को इस्तीफा दिया	दिनांक 22.07.2010 को बेदखली आदेश जारी	8,20,076/	–
4.	4-सी, पंडारा पार्क	VA (DII)	1.3.2007	श्री जनक कौशिक	सेवानिवृत्त	बेदखली का मामला दिनांक 19.08.2010 को शुरू हुआ	19,47,960/-	गृह मंत्रालय ने उन्हें उक्त फ्लैट रखने की अनुमति के लिए प्रारूप सी.सी.ए. नोट भेजा था। शहरी विकास मंत्रालय की टिप्पणियां भेज दी गई थीं। अब गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि वे सी.सी.ए. के समक्ष मामले को नहीं रख रहे हैं।

[हिन्दी]

गुणवत्ता संपन्न दुग्ध का उत्पादन

1196. श्री रामसुन्दर दासः
श्री कपिल मुनि करवारियाः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने गुणवत्तापूर्ण दुग्ध के उत्पादन एवं विपणन हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुणवत्ता दुग्ध के उत्पादन एवं विपणन हेतु किसानों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2010-11 के दौरान कितने किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है; और

(ङ) सरकार ने गुणवत्तापूर्ण दुग्ध का उत्पादन एवं विपणन सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि व्यय की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय प्रायोजित योजना "गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधा का सुदृढ़ीकरण" निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ क्रियान्वित की जा रही है:-

(1) खपत के बिन्दु तक किसान के स्तर पर गुणवत्ता दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के उत्पादन, परीक्षण और विपणन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सृजन।

(2) स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के बारे में जन जागरूकता सृजित करने के लिए प्रशिक्षण और बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण।

(3) प्रशिक्षण देकर और दुग्ध उत्पादकों में जन जागरूकता पैदा करके तथा कच्चे दूध के तत्काल प्रशीतन के लिए दुग्ध एकत्रीकरण केन्द्रों पर थोक दुग्ध प्रशीतन सुविधाओं की स्थापना द्वारा भी उत्पादित कच्चे दूध की गुणवत्ता में सुधार।

31.10.2011 तक सी.एम.पी. के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) इस योजना के तहत उत्पादित कच्चे दूध की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए दुग्ध उत्पादकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। 2010-11 के दौरान इस योजना के तहत लगभग 41,177 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है।

(ङ) 2010-11 के दौरान इस योजना के तहत राज्यों को 1926.07 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी।

विवरण

31.10.2011 तक सी.एम.पी. के तहत राज्यवार कुल अनुमोदित लागत, निमुक्ति और खर्च न किए गए शेष का विवरण

(राशि लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	कुल अनुमोदित लागत	कुल केन्द्रीय हिस्सेदारी	कुल निर्मुक्ति निर्मुक्ति	खर्च न किया गया शेष
1	2	3	4	5	6	7
1.	असम	02	143.32	118.69	36.54	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	04	649.00	552.76	338.25	25.00
3.	बिहार	04	445.68	362.53	249.05	39.90
4.	हरियाणा	06	985.64	813.57	813.57	0.00
5.	हिमाचल प्रदेश	04	298.64	252.24	224.59	50.39

1	2	3	4	5	6	7
6.	जम्मू और कश्मीर	01	376.13	307.61	135.36	135.36
7.	कर्नाटक	19	2410.22	1936.75	1637.36	152.72
8.	केरल	17	3859.79	3154.00	2628.35	505.18
9.	मध्य प्रदेश	04	804.23	638.08	638.08	0.00
10.	महाराष्ट्र	18	4023.77	3210.86	2076.60	513.86
11.	मिजोरम	02	277.88	236.73	165.24	19.40
12.	नागालैंड	02	91.24	86.77	82.65	10.00
13.	उड़ीसा	07	923.46	775.67	631.58	67.00
14.	पंजाब	08	2675.29	2204.87	1158.35	353.84
15.	राजस्थान	10	940.39	772.75	772.75	47.14
16.	सिक्किम	02	127.77	127.77	127.77	6.67
17.	उत्तर प्रदेश	14	1321.10	1115.77	998.32	63.76
18.	तमिलनाडु	13	2342.27	1902.71	1464.55	355.28
19.	पांडिचेरी	01	88.20	71.46	71.46	2.16
20.	पश्चिम बंगाल	07	473.71	434.07	332.89	61.29
21.	गोवा	01	246.36	193.16	193.16	0.00
22.	गुजरात	11	4257.58	3380.21	2948.91	776.75
23.	मणिपुर	01	21.00	21.00	21.00	8.75
	कुल	158	27782.66	22670.03	17746.38	3194.45

मैच फिक्सिंग

1197. **श्री राधा मोहन सिंह:**
योगी आदित्यनाथ:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय खिलाड़ियों को मैच फिक्सिंग से दूर रखने हेतु कोई निदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस तरह के समाचार मिले हैं कि कुछ क्रिकेट खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में संलिप्त हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) भारतीय खिलाड़ियों को मैच फिक्सिंग में संलिप्त होने से रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मैच फिक्सिंग के आरोपों की जानकारी है जो मुख्यत: क्रिकेट से संबंधित है। अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आई.सी.सी.) के पास एक भ्रष्टाचार रोधी और सुरक्षा इकाई है जो मैच-फिक्सिंग सहित खेल में भ्रष्टाचार के किसी मामले की जांच करता है। विगत में आई.सी.सी. ने मैच फिक्सिंग में दोषी पाये गये अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। जब कभी इस संबंध में प्रत्यक्ष द्रष्टयां साक्ष्य होते हैं तब सरकारी जांच एजेन्सियों द्वारा भी मैच फिक्सिंग के आरोपों की जांच की जाती है।

[अनुवाद]

विदेशियों का निर्धारित समय से अधिक रूकना

1198. **श्री जयवंत गंगाराम आवले:**
श्री उदय सिंह:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक विदेशी नागरिक देश में अपनी वीसा/अनुमत्य समय-सीमा से अधिक समय तक गैर कानूनी रूप से रूक रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश-वार कुल कितने विदेशी निर्धारित समय-सीमा से अधिक रूके और इस देश से प्रत्यर्पित किये गये; और

(ग) देश में विदेशियों का गैर-कानूनी तरीके से रूकने/निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय तक ठहरने पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गये?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) अनेक विदेशी नागरिकों, जो वैद्य यात्रा दस्तावेजों के आधार पर भारत आये हैं, को अनुमत्य समय-सीमा से अधिक समय तक रूके हुए पाया गया है। वर्ष 2008, 2009 और 2010 के दौरान अनुमत्य समय-सीमा से अधिक समय तक रूके पाए गए ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों के ब्यौरे और वर्ष 2008, 2009 और 2010 के दौरान देश से वापस भेजे गए विदेशी राष्ट्रिकों का देशवार ब्यैरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्तमान वर्ष से संबंधित अपेक्षित जानकारी का संकलन नहीं किया गया है।

(ग) केन्द्र सरकार को विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ग) के तहत विदेशी राष्ट्रिकों को उनके देश वापस भेजने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अवैद्य रूप से यह रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने की ये शक्तियां राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी प्रत्यायोजित की गई हैं। ऐसे अवैध अप्रवासियों का पता लगाना और उन्हें वापस भेजना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। केन्द्र सरकार आप्रवासन, वीजा और विदेशियों के पंजीकरण तथा पता लगाने (आई.वी.एफ.आर.टी.) की एक मिशन मोड परियोजना भी कार्यान्वित कर रही है, जिससे मिशनों पर वीजा जारी करने के दौरान, आप्रवासन चौकियों (आई.सी.पी.) में आप्रवासन के दौरान और विदेशी विषयक क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों (एफ.आर.आर.ओ.)/विदेशी विषयक पंजीकरण कार्यालयों (एफ.आर.ओ.) में पंजीकरण के दौरान प्राप्त जानकारी का समेकन एवं आदान प्रदान करके विदेशियों का पता लगाने का कार्य सुकर होगा।

विवरण

विदेशी जिन्हें अनुमत्य समय-सीमा से अधिक समय तक रूका हुआ पाया गया और उनके देश वापस भेजा गया

देश	31 दिसम्बर की स्थिति के अनुसार अनुमत्य समय सीमा से अधिक समय तक रूके विदेशियों की संख्या			वर्ष के दौरान वापस भेजे गए विदेशियों की संख्या		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
अफगानिस्तान	14511	13569	13747	12	30	37
आस्ट्रेलिया	176	309	212	3	4	1
बहरीन	51	65	37	1	0	1

1	2	3	4	5	6	7
बांग्लादेश	31229	32644	28667	12625	10602	6290
कनाडा	357	658	550	15	13	2
चीन	479	559	662	12	22	15
इथोपिया	69	82	77	15	3	2
फिजी	309	290	136	0	1	3
फ्रांस	191	413	367	18	15	6
जर्मनी	158	390	394	15	13	9
इंडोनेशिया	36	71	77	33	7	12
ईरान	184	246	248	11	70	37
इराक	371	669	979	4	0	0
इटली	50	116	107	6	3	4
आइवरी कोस्ट	85	207	194	3	3	37
जापान	161	331	335	12	2	1
केन्या	237	365	318	8	11	7
दक्षिण कोरिया	516	783	661	30	9	12
मलेशिया	201	361	321	71	2	4
मॉरिशस	510	781	394	2	6	6
मंगोलिया	0	88	66	1	2	2
म्यांमार	558	705	733	540	763	417
नीदरलैंड	69	79	123	3	1	10
न्यूजीलैंड	34	49	39	2	1	0
नाइजीरिया	451	1121	967	169	57	67
ओमान	351	412	400	2	3	0
पाकिस्तान	7547	7691	8319	19	5	4
फिजीपीन	124	150	153	5	17	0
पुर्तगाल	12	106	7	0	1	0
रूस	120	159	260	4	14	16
सउदी अरब	62	160	74	1	2	2
सेसेल्स	295	335	225	0	0	0
सिंगापुर	153	203	195	16	0	4
दक्षिण अफ्रीका	48	62	118	1	2	1
श्रीलंका	1790	2490	1817	145	193	75

1	2	3	4	5	6	7
राज्यविहीन-तिब्बत	194	235	251	1	1	0
सूडान	163	293	296	20	22	14
स्वीडन	37	91	83	3	0	3
तंजानिया	303	664	744	5	7	12
थाइलैंड	116	418	267	6	7	7
यू.एस.ए.	998	1535	2461	31	84	8
यूगांडा	88	98	90	2	2	3
यू.के.	491	895	813	19	67	2
वियतनाम	48	102	60	19	3	0
यमन	168	549	122	7	7	12
अन्य	993	1842	2022	78	70	[illegible]
कुल	65149	73441	69188	13995	12147	7248

साइबर अपराध प्रशिक्षण

1199. **श्री निशिकांत दुबे:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने हेतु सुरक्षा एजेन्सियों/पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिये कोई उपाय किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) गृह मंत्रालय के तहत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी.पी.आर. एण्ड डी.) तथा अन्य संगठन पुलिस एवं साइबर अपराध में सूचना प्रौद्योगिकी पर विभिन्न स्तरों के पुलिस अधिकारियों के लिए नियमित रूप से पाठ्यक्रमों का आयोजन करते हैं।

पुलिस चूंकि राज्य का विषय है, इसलिए पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण प्राथमिकत: राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। पुलिस के क्षमता निर्माण की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, राज्य सरकारों एवं संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रयासों में केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। राज्य पुलिस अधिकारियों तथा सी.ए.पी.एफ. कर्मियों के लिए "साइबर अपराध" संबंधी पाठ्यक्रम प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय जासूसी प्रशिक्षण स्कूलों (सी.डी.टी.एस.) में आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी साइबर अपराध पर प्रशिक्षण का आयोजन कर रहे हैं।

अग्नि दुर्घटनाएं

1200. **श्री वरुण गांधी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कारखानों में हुई अग्नि दुर्घटनाओं तथा इनमें मृत/घायल हुए व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने पूरे देश के कारखानों में सख्त अग्नि सुरक्षा विनियम लागू करने हेतु कोई कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने कारखानों में कार्यरत कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी मुद्दों का ध्यान रखने के लिए एक व्यापक विधान अर्थात् कारखाना अधिनियम, 1948 बनाया है। जहां तक विनिर्माण क्षेत्र का संबंध है, इसकी धारा 7-क: धारक के सामान्य दायित्व और धारा 38: आग लगने की स्थिति में सावधानियां और इसके अन्तर्गत विनिर्धारित नियमों में निहित प्रावधान आग लगने और उससे सुरक्षा संबंधी मुद्दों का समाधान करते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

वर्ष 2008-2009 और 2010 के दौरान कारखानों में अग्नि दुर्घटनाओं की वजह से घायल होने/घायल न होने की खतरनाक घटनाएं, उनमें हुई मौतें और गैर-घातक चोटों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008			2009			2010		
	घायल होने/घायल न होने की खतरनाक घटनाओं की संख्या	मौतों की संख्या	गैर-घातक चोटों की संख्या	घायल होने/घायल न होने की खतरनाक घटनाओं की संख्या	मौतों की संख्या	गैर-घातक चोटों की संख्या पदरनतपमे	घायल होने/घायल न होने की खतरनाक घटनाओं की संख्या	मौतों की संख्या	गैर-घातक चोटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	0	3	19	0	8	17	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
असम	2	0	0	0	0	0	0	0	0
बिहार	0	0	0	0	2	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	0	1	7	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
दमण और दीव और दादरा और नगर हवेली	0	0 एन.ए.	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	1	0	1	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
गोवा	0	0	0	0	0	0	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
गुजरात	19	11	18	37	7	72	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
हरियाणा	2	1	2	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
जम्मू और कश्मीर	1	1	0	0	0	0	0	1	0
झारखण्ड	0	0	0	0	0	1	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
कर्नाटक	0	6	20	0	9	21	0	4	10
केरल	10	2	8	5	1	3	3	1	8
मध्य प्रदेश	0	1	1	0	0	0	0	0	10
महाराष्ट्र	0	6	41	0	19	55	0	8	45
मणिपुर	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
उड़ीसा	2	6	19	7	6	21	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
पंजाब	0	3	0	0	3	3	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
राजस्थान	0	0	18	0	9	8	0	3	4
तमिलनाडु	0	5	17	0	22	30	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
त्रिपुरा	0	0	0	0	2	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश*	0	5	1	0	10	2	0	4	0
उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	14	1	38	16	0	44	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
कुल	50	51	202	67	100	285	3	20	79

नोट: अरूणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप मिजोरम और सिक्किम में पंजीकृत कारखानें नहीं हैं।

*आग और विस्फोट

एन.एन: अनुपलब्ध

स्रोत: ये आंकड़े महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान (डीजीएफएएसएनआई) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निरीक्षक के साथ पत्राचार के माध्यम से एकत्र किए गए। (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा यथोपलब्ध)

[हिन्दी]

कानून में संशोधन

1201. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ब्रिटिश शासन काल में लागू भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी.सी.) तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.) और अन्य कानूनों की समीक्षा की है या समीक्षा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) भारतीय दंड संहिता, 1860 और दंड संहिता, 1973 जैसे कानूनों के विभिन्न प्रावधानों को समय-समय पर कमियों को दूर करने और इन संहिताओं के कतिपय प्रावधानों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधित किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

एग्रेरियन मिराकल पैकेज

1202. **श्रीमती ज्योति ध्रर्वे:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के अमरेली, मेहसाणा, राजकोट, जूनागढ़, सूरत और भरुच और मध्य प्रदेश के पीड़ित जिलों के लिये 2000 के बाद गुजरात राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री पैकेज फार एग्रेरियन मिराकल के अंतर्गत कोई प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितनी निधियां आवंटित की गईं और जारी की गई; और

(घ) लंबित प्रस्तावों को कब तक मंजूर किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भूख से होने वाली मौतें

1203. श्री पूर्णमासी रामः क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों के अतिरिक्त भण्डार उपलब्ध होने के बावजूद कुपोषण एवं भूख से होने वाली मौतों के कारण जानने हेतु कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या निष्कर्ष हैं तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) भविष्य में कुपोषण एवं भूख से होने वाली मौतों को रोकने हेतु किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) भारत के महापंजीयक द्वारा 'भारत में 2001-03 में मृत्यु के कारण' पर किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 0-4 वर्ष आयु के बच्चों की केवल 2. 8% मौत के लिए और 5-14 वर्ष की आयु के बच्चों में 1.8% मौत में लिए पोषाहार की कमी जिम्मेदार है। कुपोषण मृत्यु का सीधा कारण नहीं है बल्कि संक्रमण के प्रति प्रतिरोध को कम करके रुग्णता और मृत्यु को बढ़ाने में योगदान करता है।

भुखमरी की समस्या को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को पर्याप्त अनाज मिले, सरकार अन्नपूर्णा, इमरजेंसी फीडिंग कार्यक्रम, कल्याण संस्थान स्कीम और ग्रामीण अनाज बैंक की स्कीम सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के जरिए लक्षित आबादी को अत्यधिक राजसहायता पर अनाज प्रदान करती रही है।

2011-12 के दौरान केन्द्रीय पूल में अधिशेष खाद्यान्न की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को खाद्यान्नों की 563.38 लाख टन मात्रा आबंटित की है। उपर्युक्त आवेदन में (i) मई, 2011 में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर 50 लाख टन का अतिरिक्त आबंटन और (ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भुखमरी से कोई मौत न हो तथा जहां तक संभव हो लोगों को कुपोषण से बचाया जा सके। देश में 150 निर्धनतम जिलों को आबंटित करने के लिए 5 मिलियन टन खाद्यान्न आरक्षित रखने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जुलाई से अक्तूबर, 2011 के दौरान 27 राज्यों में 174 निर्धनतम/पिछड़े जिलों को किया गया 23.67 लाख टन खाद्यान्न का आबंटन शामिल है। अन्य कल्याण योजनाओं के लिए 48.69 लाख टन खाद्यान्न भी आबंटित किए गए हैं।

देश में कुपोषण की समस्या को हल करने के लिए सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के जरिए कई स्कीम/कार्यक्रम भी क्रियान्वित कर रही है। इनमें मध्याह्न भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा, गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारण्टी स्कीम शामिल हैं। इन सभी स्कीमों/कार्यक्रमों में पोषाहार के किसी न किसी पहलू को हल करने की क्षमता है।

[हिन्दी]

दाय स्थलों का रखरखाव

1204. श्री मिथिलेश कुमारः
श्रीमती श्रुति चौधरीः

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) विभाग को हरियाणा राज्य में दाय स्थलों का मानचित्रण करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) देश में राज्य-वार विशेषकर राजस्थान में महत्वपूर्ण दाय स्थलों के विकास एवं रखरखाव हेतु गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को हरियाणा में विरासत स्थलों का मानचित्रण करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान सहित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित स्मारकों के विकास और रखरखाव के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में राजस्थान सहित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन स्मारकों और स्थलों के संरक्षण पर किए गए व्यय और चालू वित्त वर्ष (2011-12) के लिए आबंटन का वर्षवार ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्र.स.	राज्य का नाम	मंडल/शाखा	(व्यय) 2008-09	(व्यय) 2009-10	(व्यय) 2010-11	(व्यय) 2011-12
1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल	774.00	738.00	828.00	575.00
2.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मंडल	1201.39	1371.00	1820.99	1140.00
3.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद मंडल	285.00	590.00	374.47	345.00
4.	महाराष्ट्र	मुंबई मंडल	465.15	500.00	431.18	390.00
5.	कर्नाटक	बंगलौर मंडल	1088.94	1200.00	1380.56	1075.00
6.	कर्नाटक	धाड़वाड़ मंडल	423.64	619.46	1076.86	974.00
7.	मध्य प्रदेश	भोपाल मंडल	997.96	674.33	700.99	680.00
8.	उड़ीसा	भुवनेश्वर मंडल	234.16	276.49	300.06	310.00
9.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम	कोलकाता मंडल	419.34	435.23	544.00	550.00
10.	तमिलनाडु, पांडीचेरी	चेन्नई मंडल	505.00	460.50	580.00	575.00
11.	पंजाब, हरियाणा	चंडीगढ़ मंडल	512.48	694.46	753.25	585.00
12.	हिमाचल प्रदेश	शिमला मंडल	118.00	70.87	87.08	90.00
13.	दिल्ली	दिल्ली मंडल	728.64	1747.00	1220.94	1035.00
14.	गोवा	गोवा मंडल	118.00	120.61	131.00	136.00
15.	पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम को छोड़कर	गुवाहाटी मंडल	175.25	135.08	189.94	185.00
16.	राजस्थान	जयपुर मंडल	280.00	275.55	400.93	515.00
17.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद मंडल	865.00	610.00	695.77	580.00
18.	बिहार और प्रदेश (भाग)	पटना मंडल	377.72	314.99	414.99	420.00

1	2	3	4	5	6	7
19.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर मंडल	405.30	338.44	315.12	290.00
20.	केरल	त्रिशुर मंडल	286.17	300.01	367.05	320.00
21.	गुजरात	वडोदरा मंडल	405.62	459.98	549.93	625.00
22.	उत्तराखंड	देहरादून मंडल	169.40	130.52	172.03	165.00
23.	छत्तीसगढ़	रायपुर मंडल	285.00	332.00	383.55	330.00
24.	झारखंड	रांची मंडल	78.45	64.75	73.84	70.00
25.		लघु मंडल लेह			56.63	92.00
		रसायनिक परिरक्षण (अखिल भारतीय)	555.36	655.45	507.46	535.00
		उद्यान संबंधी गतिविधि (अखिल भारतीय)	1743.63	2185.71	1796.07	1550.00
		योग	13498.60	15300.43	16152.69	14137.00

[अनुवाद]

आगमन पर वीजा

1205. श्री खगेन दास: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये किन-किन देशों को उनके नागरिकों के आगमन पर पर्यटन वीजा देने की सुविधा दी गई है;

(ख) उक्त छूट से देश में पर्यटन को किस सीमा तक बढ़ावा मिला है;

(ग) क्या अनेक अन्य देशों ने सरकार से उनके नागरिकों को आगमन पर पर्यटन वीजा सुविधा दिये जाने हेतु अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) भारत सरकार ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 11 देशों अर्थात् जापान, सिंगापुर, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड, कम्बोडिया, लाओस, विएतनाम, फिलीपींस, म्यांमार और इंडोनेशिया के नागरिकों को आगमन पर पर्यटन वीजा (टी.वी.ओ.ए.) की सुविधा उपलब्ध कराई है। अक्टूबर 2011 तक ऊपर उल्लिखित देशों के 16289 राष्ट्रिकों ने टी.वी.ओ.ए. सुविधा का लाभ उठाया है।

(ग) टी.वी.ओ.ए. सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गृह मंत्रालय को किसी अन्य देश से कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

घरेलू हिंसा

1206. श्री एस.आर. जेयदुरई: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ की वह रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें यह बताया गया है कि भारत में वर्ष 2005 से घरेलू हिंसा में 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान घरेलू हिंसा में जीवन गंवाने वाले व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (घ) गृह मंत्रालय को ऐसी कुछ मीडिया रिपोर्टों की जानकारी है जिनमें संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है जिसमें यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2005 से भारत में घरेलू हिंसा में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथापि, वर्ष 2005-2010 के दौरान घरेलू हिंसा के अंतर्गत दर्ज मामलों, आरोप पत्रित मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोप-पत्रित व्यक्तियों तथा दोषसिद्ध व्यक्तियों के संबंध में उपलब्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूचना/आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ऐसे व्यक्तियों की सूची नहीं रखता है जिनकी मृत्यु घरेलू हिंसा में हुई हो।

संविधान के अन्तर्गत सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए घरेलू हिंसा से संबंधित महिलाओं के प्रति अपराध सहित अपराध के निवारण, पहचान, पंजीकरण, जांच और अभियोजन की प्रारंभिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, संघ सरकार महिलाओं के प्रति अपराध के निवारण के मामले को अत्यधिक महत्व देती है तथा इस संबंध में दिनांक 4 सितम्बर, 2009 को एक विस्तृत परामर्शी पत्र सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजा गया था जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे महिलाओं के प्रति हिंसा की समस्या से निपटने से संबंधित तंत्र की प्रभावकारिता की व्यापक समीक्षा करें तथा कानून एवं व्यवस्था संबंधी तंत्र का उत्तरदायित्व बढ़ाने के संबंध में समुचित उपाय करें। इस परामर्शी पत्र में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशिष्ट रूप से महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों का मुकाबला करने से संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लेने की संभावना का पता लगाने की सलाह दी गई है तथा उसमें यह सलाह भी शामिल है कि सभी पुलिस थानों को सलाह दी जाए कि वे घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत क्षेत्र में नियुक्त संरक्षण अधिकारियों के नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करें।

विवरण

वर्ष 2005 के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत दर्ज मामलों, आरोप पत्रित मामलों, दोष सिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोप पत्रित व्यक्तियों तथा दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज मामले	आरोप-पत्रित मामले	दोष सिद्ध मामले	गिरफ्तार व्यक्ति	आरोप पत्रित व्यक्ति	दोषसिद्ध व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश*	यह केन्द्रीय अधिनियम आन्ध्र प्रदेश में दिनांक 24.10.2006 से कार्यान्वित हुआ, 2005 के आंकड़े मुहैया नहीं कराए गए हैं।					
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार*						
5.	छत्तीसगढ़	1390	1186	184	2076	1927	254
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय अधिनियम और इसके उपबंध लागू नहीं हैं।					

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	झारखंड	753	687	209	1748	1908	192
12.	कर्नाटक*						
13.	केरल	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश*						
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	2	2	0	3	1	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा*						
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	4	2	0	4	2	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	21	13	0	26	44	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	2170	1890	393	3857	3882	446
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	3	0	11	7	0
30.	चंडीगढ़**	75	56	0	148	120	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमण और दीव	2	2	0	2	2	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित क्षेत्र	82	61	0	161	129	0
	कुल अखिल भारत	2252	1951	393	4018	4011	446

नोट: "*" यह दर्शाता है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं है।
'**' इनमें भारतीय दंड संहिता से संबंधित मामले भी शामिल हैं।
आंकड़े अनंतिम हैं।

वर्ष 2006 के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत दर्ज मामलों, आरोप पत्रित मामलों, दोष सिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोप पत्रित व्यक्तियों तथा दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज मामले	आरोप-पत्रित मामले	दोष सिद्ध मामले	गिरफ्तार व्यक्ति	आरोप पत्रित व्यक्ति	दोषसिद्ध व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	126	44	10	0	1	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	1	0	0	2	1	0
4.	बिहार*						
5.	छत्तीसगढ़	1421	1214	139	2028	1977	182
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	150	147	1	382	371	0
8.	हरियाणा	1	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय अधिनियम और इसके उपबंध लागू नहीं है।					
11.	झारखंड	810	733	151	1594	1764	173
12.	कर्नाटक*						
13.	केरल	2	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश*						
15.	महाराष्ट्र	9	8	0	21	22	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	6	6	0	8	5	0

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा*						
21.	पंजाब	17	11	0	43	41	0
22.	राजस्थान	3	2	0	4	4	0
23.	सिक्किम	6	5	1	6	5	1
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	13	7	0	20	29	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	1	1	0	1	0	0
	कुल राज्य	2566	2178	302	4109	4220	356
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10	8	0	16	14	0
30.	चंडीगढ़**	102	68	0	199	160	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित क्षेत्र	112	76	0	215	174	0
	कुल अखिल भारत	2678	2254	302	4324	4394	356

नोट: ''*'' यह दर्शाता है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

'**' इनमें भारतीय दंड संहिता से संबंधित मामले भी शामिल हैं।

आंकड़े अनंतिम हैं।

वर्ष 2007 के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत दर्ज मामलों, आरोप पत्रित मामलों, दोष सिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोप पत्रित व्यक्तियों तथा दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज मामले	आरोप-पत्रित मामले	दोष सिद्ध मामले	गिरफ्तार व्यक्ति	आरोप पत्रित व्यक्ति	दोषसिद्ध व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1979	345	53	1	42	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	2	0	0	1	1	0
4.	बिहार						
5.	छत्तीसगढ़	1651	1249	89	2206	2066	101
6.	गोवा	3	1	0	5	3	0
7.	गुजरात	883	862	27	2491	2231	6
8.	हरियाणा	17	10	0	21	21	0
9.	हिमाचल प्रदेश	3	2	0	2	2	0
10.	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय अधिनियम और इसके उपबंध लागू नहीं है।					
11.	झारखंड	880	765	171	1984	2031	223
12.	कर्नाटक*						
13.	केरल	14	9	1	11	12	1
14.	मध्य प्रदेश*						
15.	महाराष्ट्र	117	109	1	480	495	3
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	5	5	0	13	5	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा*						
21.	पंजाब	37	14	0	68	35	0
22.	राजस्थान	25	14	0	14	14	0
23.	सिक्किम	6	4	0	10	9	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	उत्तर प्रदेश	25	20	0	33	51	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	5	2	0	2	0	0
	कुल राज्य	5652	3411	342	7342	7018	335
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20	6	0	37	7	0
30.	चंडीगढ़**	112	37	0	142	75	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमण और दीव	1	1	0	3	3	0
33.	दिल्ली	3	2	0	7	2	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित क्षेत्र	136	46	0	189	87	0
	कुल अखिल भारत	5788	3457	342	7531	7105	335

नोटः ''*'' यह दर्शाता है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं है।
'**' इनमें भारतीय दंड संहिता से संबंधित मामले भी शामिल हैं।
आंकड़े अनंतिम हैं।

वर्ष 2008 के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत दर्ज मामलों, आरोप पत्रित मामलों, दोष सिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोप पत्रित व्यक्तियों तथा दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज मामले	आरोप-पत्रित मामले	दोष सिद्ध मामले	गिरफ्तार व्यक्ति	आरोप पत्रित व्यक्ति	दोषसिद्ध व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2267	485	76	1	17	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार*						
5.	छत्तीसगढ़	361	426	1	987	1020	0
6.	गोवा	1	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	गुजरात	324	324	1	1058	1058	0
8.	हरियाणा	9	8	0	27	27	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	1	1	0
10.	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय अधिनियम और इसके उपबंध लागू नहीं है।					
11.	झारखंड	955	856	178	1857	1943	206
12.	कर्नाटक*						
13.	केरल	30	27	0	25	33	3
14.	मध्य प्रदेश*						
15.	महाराष्ट्र	376	278	103	217	325	197
16.	मणिपुर	35	0	0	16	0	0
17.	मेघालय	5	5	2	29	6	2
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा*						
21.	पंजाब	52	36	3	99	97	2
22.	राजस्थान	60	50	0	55	55	0
23.	सिक्किम	5	8	0	5	8	0
24.	तमिलनाडु	765	437	129	30	320	146
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	16	12	1	13	19	1
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	328	80	0	118	280	0
	कुल राज्य	5590	3033	494	4538	5209	558
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	35	22	0	36	30	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	दिल्ली	18	15	0	15	15	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित क्षेत्र	53	37	0	51	45	0
	कुल अखिल भारत	5643	3070	494	4589	5254	558

नोटः "*" यह दर्शाता है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं है।
'**' इनमें भारतीय दंड संहिता से संबंधित मामले भी शामिल हैं।
आंकड़े अनंतिम हैं।

वर्ष 2009 के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत दर्ज मामलों, आरोप पत्रित मामलों, दोष सिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोप पत्रित व्यक्तियों तथा दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज मामले	आरोप-पत्रित मामले	दोष सिद्ध मामले	गिरफ्तार व्यक्ति	आरोप पत्रित व्यक्ति	दोषसिद्ध व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2710	608	97	0	103	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	13	8	3	12	8	3
3.	असम	1	1	0	5	5	0
4.	बिहार*						
5.	छत्तीसगढ़	22	23	0	18	18	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	67	67	0	234	234	0
8.	हरियाणा	32	10	0	13	13	0
9.	हिमाचल प्रदेश	4	3	0	4	4	0
10.	जम्मू और कश्मीर		केन्द्रीय अधिनियम और इसके उपबंध लागू नहीं है।				
11.	झारखंड*						
12.	कर्नाटक	18	6	8	1	4	0
13.	केरल	53	46	0	61	72	0
14.	मध्य प्रदेश*						
15.	महाराष्ट्र	1395		121			

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मणिपुर	25	0	0	28	0	0
17.	मेघालय	23	28	0	76	45	0
18.	मिजोरम	4	4	1	4	4	1
19.	नागालैंड	6	6	3	6	6	3
20.	उड़ीसा						
21.	पंजाब	38	34	1	76	77	0
22.	राजस्थान	45	29	1	37	37	1
23.	सिक्किम	6	6	0	8	8	0
24.	तमिलनाडु	2376	729	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश*						
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	923	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	7761	1608	235	583	638	8
29.	अंडमान और निकोबार द्विपसमूह	36	29	1	53	53	1
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	6	4	0	5	4	0
34.	लक्षद्वीप						
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित क्षेत्र	42	33	1	58	57	1
	कुल अखिल भारत	7803	1641	236	641	595	9

नोट: ''*'' यह दर्शाता है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

'**' इनमें भारतीय दंड संहिता से संबंधित मामले भी शामिल हैं।

आंकड़े अनंतिम हैं।

वर्ष 2010 के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत दर्ज मामलों, आरोप पत्रित मामलों, दोष सिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोप पत्रित व्यक्तियों तथा दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज मामले	आरोप-पत्रित मामले	दोष सिद्ध मामले	गिरफ्तार व्यक्ति	आरोप पत्रित व्यक्ति	दोषसिद्ध व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2683	141	1	1	141	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	12	8	1	11	8	1
3.	असम	1	1	0	2	2	0
4.	बिहार						
5.	छत्तीसगढ़						
6.	गोवा						
7.	गुजरात	25					
8.	हरियाणा	39	7	0	12	12	0
9.	हिमाचल प्रदेश						
10.	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय अधिनियम और इसके उपबंध लागू नहीं हैं।					
11.	झारखंड						
12.	कर्नाटक						
13.	केरल	44	35	1	41	48	1
14.	मध्य प्रदेश						
15.	महाराष्ट्र	3505	2127	408			
16.	मणिपुर						
17.	मेघालय						
18.	मिजोरम	3	3	1	3	3	1
19.	नागालैंड	6	6	1	6	6	1
20.	उड़ीसा						
21.	पंजाब	19	11	0	38	30	0
22.	राजस्थान	45	20	0	25	25	0
23.	सिक्किम						

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	तमिलनाडु						
25.	त्रिपुरा	1	1	0	0	3	0
26.	उत्तर प्रदेश						
27.	उत्तराखंड						
28.	पश्चिम बंगाल	1164	744	0	1	1	0
	कुल राज्य						
29.	अंडमान और निकोबार द्विपसमूह	28	23	0	39	39	0
30.	चंडीगढ़**	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमण और दीव						
33.	दिल्ली						
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित क्षेत्र						
	कुल अखिल भारत						

'**' इनमें भारतीय दंड संहिता से संबंधित मामले भी शामिल हैं।
आंकड़े अनंतिम हैं।

कपास उत्पादन

1207. श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में गुजरात और मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार कुल कितनी मात्रा में कपास का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार कपास उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कपास उद्योग को अद्यतन प्रौद्योगिकी एवं अन्य वित्तीय सहायता दे रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने कपास उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु राजकोट में सेन्टर फॉर कॉटन एक्सीलेन्स की स्थापना को मंजूरी दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश सहित प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में कपास उत्पादन निम्नलिखित है:

(170 कि.ग्रा. प्रत्येक के लाख गांठ में उत्पादन)

राज्य	2008-09	2009-10	2010-11 (चतुर्थ अग्रिम अनुमान)	2011-12 (प्रथम अग्रिम अनुमान)
आन्ध्र प्रदेश	35.69	32.27	53.00	58.00
गुजरात	70.14	79.86	105.00	116.50
हरियाणा	18.58	19.26	17.50	19.57
कर्नाटक	8.66	8.68	12.50	12.00
मध्य प्रदेश	8.56	8.55	20.00	20.75
महाराष्ट्र	47.52	58.59	88.00	90.00
उड़ीसा	1.47	1.47	2.50	3.50
पंजाब	22.85	20.06	21.06	23.00
राजस्थान	7.26	9.03	9.00	13.00
तमिलनाडु	1.88	2.25	5.00	4.00

(ख) और (ग) भारत सरकार कपास उत्पादन में वृद्धि के लिए और कपास उद्योग को सहायता के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन कार्यान्वित कर रही है। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डी.ए.आर.ई.), आई.सी.ए.आर. द्वारा कार्यान्वित कपास प्रौद्योगिकी मिशन-I का देश में कपास की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा उपयोग किए जाने हेतु किस्मों और उत्पादन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-II के अन्तर्गत कपास की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषक फील्ड स्कूल, किसानों को प्रशिक्षण आदि के माध्यम से कृषि एवं सहकारिता विभाग आदानों जैसे बीजों, कृषि उपस्करों, जल-संरक्षण उपायों, जैव-एजेंट/जैव कृमिनाशियों, समेकित कृमि प्रबंधन, फसल उत्पादन और पौध संरक्षण प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन पर किसानों को सहायता प्रदान किया जाता है। मिनी मिशन-III एवं IV के अन्तर्गत कपड़ा मंत्रालय मण्डी यार्डों में विपणन अवसंरचना की सुधार के लिए और कारखानों की जीनिंग और प्रेसिंग के आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान करता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय झंडे का अपमान

1208. श्री श्रीपाद येसो नाईक: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान देश के कतिपय भागों से राष्ट्रीय झंडे के अपमान के कई मामलों की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के विभिन्न उपबंधों को कठोरतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए क्या निवारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) राष्ट्रीय झंडे के अपमान की कुछ घटनाएं सरकार के ध्यान में लाई गई हैं। ऐसे मामलों को उस संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के पास भेजा जाता है जिनके क्षेत्राधिकार में यह घटना घटित होती है ताकि वे राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में निहित उपबन्धों के अनुसार चूककर्ता के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। राष्ट्रीय झंडा का निरादर तथा अपमान, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 के अन्तर्गत एक दंडनीय अपराध है। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी सार्वजनिक स्थान अथवा लोगों के दिखाई देने वाले किसी अन्य स्थान पर भारत के राष्ट्रीय झंडे को जलाता, विकृत, निरूपित, गंदा, भद्दा, नष्ट करता है, रौंदता है अथवा अन्यथा अनादर दर्शाता है अथवा अवमान (चाहे शब्दों द्वारा बोलकर अथवा लिखकर अथवा कृत्यों द्वारा) करता है, तो उसे कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है, अथवा जुर्माना अथवा दोनों का दंड दिया जाएगा। झंडे के उचित प्रयोग के बारे में आम जनता के बीच व्यापक रूप से जागरूकता फैलाने के उद्देश्य गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उक्त अधिनियम और भारतीय झंडा संहिता 2002,

जिसके द्वारा राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग/प्रदर्शन/फहराना शामिल होता है, अपलोड कर दिए गए हैं।

नगरों का विकास

1200. श्री हेमानंद बिसवाल:
श्री मानिक टैगोर:
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री प्रहलाद जोशी:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री कमलेश पासवान:
श्री महेश जोशी:
श्री पन्ना लाल पुनिया:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से देश में जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत नगरों और कस्बों को शामिल करने और उनके विकास हेतु योजना तैयार करने हेतु नयी परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है और पिछले तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत राज्य-वार और परियोजना-वार कितनी धनराशि आबंटित की गयी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के शहरी अवस्थापना एवं शासन (यू.आई.जी.) के अंतर्गत शामिल करने हेतु वारंगल, करमसाड़, गांधीनगर, हुबली-धारवाड़, गुलबर्ग, बेलगाम, गया, बिहार शरीफ, पावापुरी, नालंदा, राजगीर, सुल्तानपुर-लोदी, कुरुक्षेत्र-पहोवा, गुड़गांव, औरंगाबाद, वृंदावन, कुरनूल, जोधपुर, ग्वालियर, गुन्टूर, पानीपत, बेल्लारी, कालीकट, दार्जलिंग, कालिम्पोंग एवं कुर्सियोग, देवधर, सम्बलपुर-धूले, मालेगांव, कोल्हापुर, पोर्ट ब्लेयर, कैथल, सिलीगुड़ी, हल्दिया, अमरावली, शेलापुर आदि से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. के अंतर्गत 65 शहर शामिल हैं और इसमें और शहरों को शामिल नहीं किया जाएगा। तथापि जिन शहरों को यू.आई.जी. के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है वे छोटे एवं मझोले नगरों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के अंतर्गत सहायता के पात्र हैं बशर्ते कि धनराशियां उपलब्ध हों।

मंत्रालय द्वारा, 2001 जनगणना के अनुसार 5 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले निम्नलिखित 28 शहरों/शहरी समूहों को जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. घटक के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था:

गुंटूर, वारंगल, दुर्ग-भिलाई नगर, भावनगर, जामनगर, बेलगांव, मंगलौर, हुबली-धारवाड़, कोजीकोड़, ग्वालियर, अमरावती, भिवान्डी, औरंगाबाद, कोल्हापुर, सोलापुर, कटक, जालंधर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, सेलम, तिरुपुर, तिरुचिरापल्ली, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद।

संसाधनों की कमी के कारण योजना आयोग और वित्त मंत्रालय ने इन शहरों को जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. के अंतर्गत शामिल करने की सहमति नहीं दी।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान परियोजनाओं के लिए उपयोग हेतु जारी की गई (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दिनांक 29.112011 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1209 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल अनुमोदित परियोजनाएं	2008-09 में उपयोग हेतु जारी की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	2008-09 में उपयोग हेतु जारी की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	2008-09 में उपयोग हेतु जारी की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	2005-12 में उपयोग हेतु जारी की गई कुल अतिरिक्त सहायता (20.11.2011 की स्थिति अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	50	18898.95	27385.07	15569.86	139967.85
2.	अरूणाचल प्रदेश	3	2053.91	2006.94	0.00	8504.30

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	2	6321.15	7112.41	3792.54	24338.51
4.	बिहार	8	1955.62	7441.39	0.00	9858.94
5.	चंडीगढ़	3	405.20	0.00	734.52	2684.64
6.	छत्तीसगढ़	1	0.00	12145.60	3643.68	21862.08
7.	दिल्ली	28	2220.58	17248.00	43509.00	62977.58
8.	गोवा	1	0.00	0.00	0.00	72.45
9.	गुजरात	71	47035.34	47788.21	7297.21	170097.08
10.	हरियाणा	4	9147.46	0.00	5283.80	17788.48
11.	हिमाचल प्रदेश	4	0.00	2619.01	0.00	3141.62
12.	जम्मू और कश्मीर	4	2500.00	0.00	0.00	18778.73
13.	झारखंड	5	6682.46	5384.66	417.03	12484.15
14.	कर्नाटक	46	12992.94	21578.53	7659.85	84305.75
15.	केरल	11	3350.50	2439.45	0.00	20025.20
16.	मध्य प्रदेश	23	15931.43	12343.27	4828.66	64255.92
17.	महाराष्ट्र	79	88349.54	88649.86	42004.49	366203.97
18.	मणिपुर	3	0.00	2883.37	0.00	5196.20
19.	मेघालय	2	4904.04	0.00	0.00	7846.46
20.	मिजोरम	1	0.00	756.82	0.00	1135.23
21.	नागालैंड	3	389.26	1702.81	0.00	3517.90
22.	उड़ीसा	5	3338.00	2491.60	0.00	21987.35
23.	पंजाब	6	4939.22	3346.62	0.00	14672.88
24.	पुदुचेरी	2	993.20	0.00	0.00	7250.20
25.	राजस्थान	13	20281.38	2826.10	0.00	42493.38
26.	सिक्किम	2	538.20	1663.87	0.00	4013.51
27.	तमिलनाडु	48	28446.11	37723.44	2635.84	104792.04
28.	त्रिपुरा	2	1760.85	2250.00	0.00	4010.85
29.	उत्तर प्रदेश	33	43078.75	47632.21	25479.16	178491.90
30.	उत्तरांचल	14	2678.56	7546.69	981.06	16942.47
31.	पश्चिम बंगाल	60	22857.17	27717.88	17412.81	94219.98
	कुल	537	352049.82	392683.81	181249.51	1533917.60

राज्य पुलिस बल योजना का आधुनिकीकरण

1210. श्री पी.टी. थॉमस:
श्री पी. विश्वनाथन:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री ए.के.एस. विजयन:
श्री पन्ना लाल पुनिया:
श्री अर्जुन चरण सेठी:
श्री हरिन पाठक:
श्री रामसिंह राठवा:
श्रीमती कमला देवी पटले:
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में "राज्य पुलिस बल योजना का आधुनिकीकरण योजना" के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या सरकार का ध्यान उपरोक्त योजना के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के निष्कर्षों की ओर आकर्षित किया गया है जिनमें यह बताया गया कि वर्ष 2000-07 के बीच गुजरात सहित कई राज्यों को कई कारणों से केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि जारी नहीं की गयी और धनराशि का बहुत कम उपयोग किया गया और इसमें कार्यनिष्पादन संबंधी कई असफलताएं भी देखी गई थीं;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस कमी को दूर करने और योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी. पी.आर.एण्ड डी.) को राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण से संबंधित एम.पी.एफ. स्कीम के प्रभाव का व्यापक रूप से अध्ययन करने के साथ-साथ अगले 5-10 वर्षों के लिए राज्य पुलिस बलों की आवश्यकता का मूल्यांकन करने का कार्य भी सौंपा गया था। बी.पी.आर. एण्ड डी. ने इस अध्ययन को मैसर्स अर्नस्ट एण्ड यंग प्रा. लिमिटेड को आउटसोर्स किया था। मैसर्स अर्नस्ट एण्ड यंग द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी. एण्ड ए. जी.) ने राज्यों की अलग-अलग निष्पादन लेखा परीक्षा समीक्षा करके राज्यों के पुलिस बलों के आधुनिकीकोण की योजना (एम. पी.एफ. स्कीम) की प्रभावोत्पादकता का आकलन करने के लिए एक व्यापक लेखा परीक्षा का कार्य कराया था। सी. एण्ड ए.जी. की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में 16 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैण्ड में एम.पी.एफ. स्कीम के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है और उसके राज्य-वार निष्कर्ष दिए गए हैं। उक्त लेखा परीक्षा में गुजरात को शामिल नहीं किया गया था। हालांकि, लेखा परीक्षा में एम.पी.एफ. स्कीम के कार्यान्वयन में उसी वर्ष में निधियों के कम उपयोग, राज्यांश को जारी न किए जाने जैसी कतिपय कमियों का उल्लेख किया गया है, तथापि, यह प्रेक्षण किया गया है कि गृह मंत्रालय के वर्धित वित्तपोषण कार्यक्रम के लगभग सभी राज्य लाभान्वित हुए थे। सी. एण्ड ए.जी. रिपोर्ट की प्रतियां उपचारात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेजी गई थीं।

एम.पी.एफ. स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत और जारी निधियों की समय पर और यथोचित निगरानी करने के लिए वर्ष 2008-09 की अन्तिम तिमाही से समवर्ती लेखा परीक्षा की प्रणाली शुरू की गई है।

विवरण

मैसर्स अर्नस्ट एण्ड यंग द्वारा किए गए आकलन अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नवत् हैं-

(i) रिपोर्ट में यह कहा गया है कि नक्सल प्रभावित जिलों में प्रशासनिक भवनों की संख्या की उपलब्धता में सुध ार हुआ है। पुलिस स्टेशनों में उपलब्ध हथियार, अपराध की किसी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन पुलिस सीमा चौकियों, वाच टावर की उपलब्धता, पुलिस भवनों में बाड़ लगाये जाने में सुधार की गुंजाइश है। इन क्षेत्रों में माइन प्रूफ वाहनों, बी.पी. वाहनों और एम्बूलेंसों की विशेष जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिला पुलिस मुख्यालयों में उपकरण, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं लेकिन इनकी गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है। जी.पी.एस., नाइट विजन उपकरण, सर्च लाइट और यातायात अवरोध आदि जैसे विशेषज्ञ उपकरणों की जरूरत है।

(ii) तटीय जिलों के संबंध में रिपोर्ट में कहा गया है कि यद्यपि पुलिस भवनों की उपलब्धता में सुधार हुआ है, पुलिस स्टेशनों में पर्याप्त हथियार उपलब्ध हैं, कुछ पुलिस भवन सरकारी परिसरों में स्थित है जहां बुनियादी

सुविधाएं अपर्याप्त हैं। कुछ पुलिस के भवन किराए पर हैं। सीमित निधियां होने के कारण वाहनों की संख्या अपर्याप्त है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चौकसी, निगरानी, जिरोक्स/फोटोस्टेट मशीन, फैक्स मशीन आदि की तटीय पुलिस स्टेशनों को जरूरत है।

(iii) सीमावर्ती राज्यों में पुलिस भवनों का संतोषजनक स्तर, औसत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भवनों का निर्माण/उन्नयन अपेक्षित है और पुराने भवनों का नवीकरण किया जाना चाहिए। हथियारों का लगभग 100% भाग एम.पी.एफ. के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। अधिकांश सीमावर्ती जिलों में उपकरणों की उपलब्धता पर्याप्त है। रिपोर्ट में सीमावर्ती राज्यों के पुलिस स्टेशनों में फोटो कॉपी मशीनें, मोबाइल फोन प्रदान किये जाने की सिफारिश की गई है।

(iv) रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े शहरों में अतिरिक्त पुलिस स्टेशनों, फायरिंग रेंज, सिमुलेटरों, सम्मेलन हॉल, कमांड केन्द्र की जरूरत है। बड़े शहरों में और अधिक पुलिस स्टेशनों, प्रशासनिक भवनों, फायरिंग रेंज और सिमुलेटरों की जरूरत है। पुलिस स्टेशनों को प्राईवेट भवनों से हटाए जाने की जरूरत है। बड़े शहरों को बचाव कार्यों, लोगों को हटाने और विश्वास निर्माण के लिए और अधिक मोबिलिटी उपकरणों की जरूरत है। सभी बड़े शहरों को राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए और अधिक ए.के.-47, कारबाइन, जी.पी.एस., सी.सी.टी.वी., रेडियो ट्रंकिंग प्रणालियों की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्लास रूप, होस्टल, कम्प्यूटर, लैब, एफ.एस.एल., फायरिंग सिमुलेटर जैसी प्रशिक्षण अवसंरचना बड़े शहरों के लिए अपेक्षित है।

उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास संबंधी चुनौतियां

1211. **श्री कीर्ति आजाद:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2008 में 'उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास संबंधी चुनौतियां' संबंधी योजना आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा गठित "उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास संबंधी चुनौतियां" संबंधी विशेषज्ञ दल ने अप्रैल, 2008 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट में निहित सिफारिशें अन्य बातों के साथ-साथ (i) सुरक्षात्मक विधानों के प्रभावी कार्यान्वयन, (ii) भूमि से संबंधित उपायों, (iii) भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन, (iv) जीविका सुरक्षा, (v) वैश्विक मानकीकृत मूलभूत सामाजिक सेवा, (vi) पी.ई.एस.ए. का प्रवर्तन (vii) समस्याओं के संबंध में सरकार द्वारा कार्रवाई तथा (viii) योजना-प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से संबंधित हैं।

उपर्युक्त सिफारिशों पर बहु-आयामी तरीके से तथा विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की गई है। लघु वन उत्पाद (एम.एफ.पी.) के विपणन हेतु तंत्र तैयार करने, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को संगत उपबंधों पर विचार करने तथा चयनित आदिवासी एवं पिछड़े जिलों से संबंधित एकीकृत कार्य योजना की निगरानी के लिए पंचायती राज मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिवों के साथ सदस्य सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक अन्तर-मंत्रालयी समिति गठित की गई थी। इसके अतिरिक्त आई.ए.पी. जिलों में विकास संबंधी विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन से संबंधित मौजूदा शर्तों/दिशानिर्देशों को निरस्त करने अथवा आशोधित करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है तथा अन्य अभिहित स्कीमों पर गहनता से निगरानी रखी जा रही है ताकि प्रमुख स्कीमों का लाभ इन क्षेत्रों को मिल सके।

इन क्षेत्रों में विकास की कमी की समस्या से निपटने तथा शीघ्र एवं सुनिश्चित परिणाम के उद्देश्य से सरकार ने, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित नौ राज्यों के 60 चयनित आदिवासी और पिछड़े जिलों में दिनांक 25.11.2010 से एकीकृत कार्य योजना की शुरुआत भी की है।

भगदड़ के मामले

1212. **श्री सुरेश अंगड़ी:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री संजय भोई:
श्री माणिकराव होडल्या गावित:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिद्वार में हाल ही में भगदड़ की घटनाओं की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो इस भगदड़ के दौरान लिंगवार कुल कितने लोग मारे गए/घायल हुए;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पीड़ितों के परिवारों को प्रदान की गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(च) भीड़भाड़ प्रबंधन तथा लोगों को घटनास्थल से बाहर निकालने की प्रक्रियाओं के संबंध में भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने और तीर्थयात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी, हां। विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिनांक 8.11.2011 को भगदड़ हुई थी।

(ख) इसमें 20 श्रद्धालुओं (महिला-18, पुरुष-2) की मृत्यु हो गई थी तथा 44 श्रद्धालु (महिला-36, पुरुष-8) पंडाल में अचेतन अवस्था में पाए गए थे।

(ग) और (घ) जिला प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं जो हरिद्वार के अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) द्वारा की जाएगी।

(ङ) मारे गए लोगों के निकटतम संबंधियों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मृतक 2.00 लाख रु. के मुआवजे की घोषणा की गई थी।

(च) ऐसी सभाओं के प्रबंधन की आवश्यकता के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जागरूक करने तथा भविष्य में भगदड़ की घटनाओं की पुनरावृत्ति होने से बचने के लिए किसी समय-विशेष पर मंदिर/तीर्थस्थलों पर आने वाले लोगों की प्रबंधनीय संख्या की अनुमति दिए जाने; प्रत्येक प्रवेश/निकास द्वार पर समुचित पहुंच नियंत्रण प्रक्रिया/प्रणाली; ध्वनि चेतावनी प्रणाली की स्थापना; लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने संबंधी प्रक्रियाओं में स्टाफ को नियमित प्रशिक्षण आदि जैसे उपाय सुझाने के संबंध में दिनांक 01.10.2008 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक विस्तृत परामर्शी पत्र जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त सूचना के आधार पर समय-समय पर परामर्शी-पत्र जारी किए जा रहे हैं।

खाद्यान्नों को घर पर पहुंचाया जाना

1213. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कालाबाजारी को रोकने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों के घरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति करने की कोई योजना को अपनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) फिलहाल, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को उनके घरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, खाद्यान्नों के लीकेज/विपथन को रोकने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करते हुए 2006 में एक 9 सूत्री कार्य योजना तैयार की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जहां कहीं संभव हो, वहां राज्यों द्वारा उचित दर दुकानों के लिए द्वार पर सुपुर्दगी सुनिश्चित करना शामिल है। जुलाई, 2010 में राज्यों के खाद्य सचिवों के सम्मेलन के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ यह संकल्प भी लिया गया था कि राज्य उचित दर दुकानों के लिए खाद्यान्नों की द्वार पर सुपुर्दगी सुनिश्चित करेंगे।

[हिन्दी]

दोषसिद्धि की दर

1214. **श्री तूफानी सरोज:**
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:
श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री पन्ना लाल पुनिया:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री उदयनराजे भोंसले:
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्रीमती जे. शांता:
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:
श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी संज्ञेय अपराधों की तुलना में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत दर्ज मामलों में दोषसिद्धि की दर बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और दोषसिद्धि दर को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न लोक प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और दलित महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को नियंत्रित करने के लिए जिलाधिकारी और संबंधित पुलिस अधीक्षक के दायित्वों को निर्धारित करने के संबंध में कोई सुझाव/सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (घ) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2008-10 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दोषसिद्धि की दर की तुलना में पंजीकृत अपराधों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और इस प्रकार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजायितों के विरुद्ध अपराध सहित अपराध की रोकथाम करने, पता लगाने, पंजीकरण करने, जांच-पड़ताल करने तथा अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, भारत सरकार दलितों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम करने और निपटने के लिए प्रतिबद्ध है।

गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.04.2010 को समस्त राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को एक विस्तृत परामर्शी-पत्र जारी किया गया था। इस परामर्शी-पत्र में विभिन्न कदमों का उल्लेख किया गया है, यथा संवैधानिक प्रावधानों एवं विद्यमान विधानों का प्रभावशाली एवं विवेकपूर्ण प्रवर्तन; सु-व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों एवं सेमिनारों इत्यादि के माध्यम से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में कानून प्रवर्तन तंत्र को सुग्राही बनाना; अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित विधानों के बारे में सामान्य जागरूकता को बढ़ाना; हिंसा, दुरुपयोग एवं शोषण के मामलों को रोकने के लिए सामुदायिक निगरानी प्रणाली विकसित करना; अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों के मामले में प्राथमिकी के पंजीकरण में कोई विलम्ब न करना; रोकथाम के उपाय करने के लिए आर्थिक एवं सामाजिक अत्याचार-बहुत क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करना; अत्याचारों के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त उपाय करना इत्यादि।

विवरण

वर्ष 2008 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध आईपीसी के अपराधों एवं अत्याचारों के तहत पंजीकृत मामले (सीआर), दोषसिद्ध मामले (सीवी), मामले जिनमें विचारण पूरा हो चुका है (टीसी) और दोषसिद्ध की दर (सीवीआर)

		कुल आई पीसी मामले				अनु-जातियों के विरुद्ध अत्याचार				अनु.जन.जातियों के विरुद्ध मामले			
क्र.सं.	राज्य	सीआर	सीवी	टीसी	सीवीआर	सीआर	सीवी	टीसी	सीवीआर	सीआर	सीवी	टीसी	सीवीआर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	179275	31732	83170	38.2	3875	192	1515	12.7	745	40	392	10.2
2.	अरूणाचल प्रदेश	2374	285	454	61.4	0	0	0	–	63	0	0	–
3.	असम	53333	2266	14027	16.2	104	7	26	26.9	130	4	20	20.0
4.	बिहार	122669	9981	50600	19.7	3617	229	1244	18.4	99	2	14	14.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	छत्तीसगढ़	51442	11945	23148	51.6	600	122	357	34.2	614	159	494	32.2
6.	गोवा	2742	260	983	26.4	4	0	0	0	1	0	1	0.0
7.	गुजरात	123808	25895	67422	38.4	1228	38	1024	3.7	222	8	261	3.1
8.	हरियाणा	55344	14252	33659	42.3	339	16	151	10.5	0	0	0	–
9.	हिमाचल प्रदेश	13976	1875	6405	29.3	68	3	50	6.0	0	1	3	33.3
10.	जम्मू और कश्मीर	20604	3777	7422	50.9	0	0	0	–	0	0	0	–
11.	झारखंड	38686	5998	25254	23.4	598	30	188	16.0	231	16	96	16.7
12.	कर्नाटक	127540	28062	77757	36.1	2343	47	1664	2.8	400	5	141	3.5
13.	केरल	110620	37530	67468	55.6	519	9	208	4.3	106	4	41	9.8
14.	मध्य प्रदेश	206556	59254	224813	51.6	2965	1665	4501	37.0	1071	504	1257	40.1
15.	महाराष्ट्र	206243	7552	80610	9.4	1172	59	681	8.7	268	26	225	11.6
16.	मणिपुर	3349	64	104	61.5	0	0	0	–	1	0	0	–
17.	मेघालय	2318	251	523	48.0	0	0	0	–	0	0	0	–
18.	मिजोरम	1989	1608	1956	82.1	0	0	0	–	0	0	0	–
19.	नागालैंड	1202	503	542	92.8	0	0	0	–	0	0	0	–
20.	उड़ीसा	56755	4478	28375	15.8	1836	89	780	11.4	508	37	236	15.7
21.	पंजाब	353.14	7226	19670	36.7	101	9	56	16.1	0	0	0	–
22.	राजस्थान	151174	37444	62473	59.9	4302	711	1546	46.0	1038	192	444	43.2
23.	सिक्किम	730	114	213	53.5	17	12	15	80.0	12	5	5	62.5
24.	तमिलनाडु	176833	77993	123496	63.2	1615	126	767	16.4	14	0	8	0.0
25.	त्रिपुरा	5336	253	1626	15.6	4	0	6	0.0	14	3	16	18.8
26.	उत्तर प्रदेश	168996	53565	96583	55.5	7980	3283	5987	54.8	9	9	14	64.3
27.	उत्तराखंड	8856	2540	3657	69.5	42	37	81	45.7	0	3	3	100.0
28.	पश्चिम बंगाल	105419	4077	34018	12.0	19	1	5	20.0	17	0	2	0.0
	कुल राज्य	2033483	430678	1026438	42.0	33328	6685	20852	32.1	5563	1018	3676	27.7
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	882	73	230	31.7	0	0	0	–	3	0	0	–
30.	चंडीगढ़	3931	1027	1890	54.3	2	0	0	–	0	0	0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31.	दादरा और नगर हवेली	401	12	99	12.1	1	0	1	0.0	10	0	4	0.0
32.	दमण और दीव	248	56	232	24.1	0	0	1	0.0	0	0	0	–
33.	दिल्ली	49350	12189	18680	65.3	34	3	5	60.0	0	0	0	–
34.	लक्षद्वीप	95	1	2	50.0	0	0	0	–	0	0	0	–
35.	पुडुचेरी	4989	4439	5052	87.9	2	0	2	0.0	0	0	0	–
	कुल संघ शासित	59896	17797	26185	68.0	39	3	9	33.3	13	0	4	0.0
	कुल अखिल भारत	20933379	448475	1052623	42.6	33367	6688	20861	32.1	5578	1018	3680	27.7

स्रोतः भारत में अपराध

वर्ष 2009 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध आईपीसी के अपराधों एवं अत्याचारों के तहत पंजीकृत मामले (सीआर), दोषसिद्ध मामले (सीवी), मामले जिनमें विचारण पूरा हो चुका है (टीसी) और दोषसिद्ध की दर (सीवीआर)

		कुल आई पीसी मामले				अनु-जातियों के विरुद्ध अत्याचार				अनु.जन.जातियों के विरुद्ध मामले			
क्र.सं.	राज्य	सीआर	सीवी	टीसी	सीवीआर	सीआर	सीवी	टीसी	सीवीआर	सीआर	सीवी	टीसी	सीवीआर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	180441	29988	89968	33.3	4465	232	1816	12.8	828	59	381	15.5
2.	अरूणाचल प्रदेश	2262	331	569	58.2	0	0	0	–	21	0	0	–
3.	असम	55313	3139	14880	21.1	0	1	26	3.8	9	3	29	10.3
4.	बिहार	122931	8500	47218	18.0	3836	216	1843	11.7	67	9	43	20.9
5.	छत्तीसगढ़	51370	11431	23636	48.4	466	94	327	28.7	551	103	363	28.4
6.	गोवा	3005	311	1189	20.2	3	0	0	–	0	0	0	–
7.	गुजरात	115183	23467	57081	41.1	1180	43	683	6.3	195	11	135	8.1
8.	हरियाणा	56229	12031	33155	36.3	303	50	274	18.2	0	0	0	–
9.	हिमाचल प्रदेश	13315	1655	6788	24.5	87	12	58	20.7	1	0	0	–
10.	जम्मू और कश्मीर	21975	4776	10323	46.3	0	1	2	50.0	0	0	0	–
11.	झारखंड	27436	10240	33016	31.0	6.31	95	373	25.5	182	70	202	34.7
12.	कर्नाटक	134042	26209	73367	35.7	3164	32	1566	2.0	272	5	221	2.3
13.	केरल	118369	42935	75230	57.1	467	28	284	9.9	102	4	41	9.8
14.	मध्य प्रदेश	207762	53222	112284	47.4	3040	1014	2614	38.8	1135	409	1098	37.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	महाराष्ट्र	199598	7149	74273	9.6	1072	51	734	6.9	224	10	219	4.6
16.	मणिपुर	2852	7	26	26.9	0	0	0	–	0	0	0	–
17.	मेघालय	2448	209	539	38.8	0	0	0	–	0	0	0	–
18.	मिजोरम	2047	1446	1589	91.0	0	0	0	–	0	0	0	–
19.	नागालैंड	1059	457	566	80.7	0	0	0	–	0	0	0	–
20.	उड़ीसा	55740	3359	25517	13.2	1709	52	720	7.2	552	23	296	11.7
21.	पंजाब	355.45	6625	18926	35.0	108	8	78	10.3	0	0	0	–
22.	राजस्थान	166565	36722	60471	60.7	4985	638	1475	43.3	1183	217	515	42.1
23.	सिक्किम	669	154	335	46.0	16	10	13	76.9	14	8	9	88.9
24.	तमिलनाडु	174691	68077	109547	62.1	1310	94	776	12.1	22	10	31	32.3
25.	त्रिपुरा	5486	267	2102	12.7	7	4	10	40.0	27	9	24	37.5
26.	उत्तर प्रदेश	172884	54374	100723	54.0	7461	3186	6063	52.5	4	7	14	50.0
27.	उत्तराखंड	8802	2808	4051	69.3	58	26	56	46.4	0	4	5	80.0
28.	पश्चिम बंगाल	113036	3003	23758	12.6	21	0	2	0.0	16	0	0	–
	कुल राज्य	2061155	412892	1001106	41.2	33389	5887	19792	29.7	5405	961	3526	27.3
29.	अंडमान और निकोबार द्विपसमूह	941	56	149	37.6	0	0	0	–	2	0	0	–
30.	चंडीगढ़	3555	684	1420	48.2	0	0	0	–	0	0	0	–
31.	दादरा और नगर हवेली	442	36	146	24.7	1	0	0	–	16	1	4	25.0
32.	दमण और दीव	276	21	166	12.7	2	0	0	–	0	0	0	–
33.	दिल्ली संघ शासित	50251	11830	20353	57.1	31	0	3	0.0	0	0	1	0.0
34.	लक्षद्वीप	134	0	74	0.0	0	0	0	–	0	0	0	–
35.	पुडुचेरी	4591	2136	2368	90.2	3	0	0	–	0	0	0	–
	कुल संघ शासित	4591	2136	2368	90.2	3	0	0	–	0	0	0	–
	कुल अखिल भारत	2121345	427655	1025781	41.7	33426	5887	19795	29.7	5423	962	3531	27.2

स्रोत: भारत में अपराध

वर्ष 2009 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध आईपीसी के अपराधों एवं अत्याचारों के तहत पंजीकृत मामले (सीआर), दोषसिद्ध मामले (सीवी), मामले जिनमें विचारण पूरा हो चुका है (टीसी) और दोषसिद्ध की दर (सीवीआर)

		कुल आई पीसी मामले				अनु-जातियों के विरुद्ध अत्याचार				अनु.जन.जातियों के विरुद्ध मामले			
क्र.सं.	राज्य	सीआर	सीवी	टीसी	सीवीआर	सीआर	सीवी	टीसी	सीवीआर	सीआर	सीवी	टीसी	सीवीआर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	181438	37816	110365	34.3	4271	263	1748	15.0	803	31	423	7.3
2.	अरूणाचल प्रदेश	2439	480	814	59.0	0	0	0	–	54	1	4	25.0
3.	असम	61668	2558	15018	17.0	7	2	14	14.3	3	1	13	7.7
4.	बिहार	127453	8562	52733	16.2	3516	158	1378	11.5	71	5	41	12.2
5.	छत्तीसगढ़	54958	14050	34022	41.3	340	124	398	31.2	507	139	447	31.1
6.	गोवा	3293	305	1426	21.4	1	0	0	–	0	0	0	–
7.	गुजरात	116439	20939	55227	37.9	1008	72	791	9.1	155	8	140	5.7
8.	हरियाणा	59120	10460	32606	32.1	380	70	303	23.1	0	0	0	–
9.	हिमाचल प्रदेश	13049	1057	5315	19.9	100	5	23	21.7	2	1	2	50.0
10.	जम्मू और कश्मीर	23223	5112	9628	53.1	0	0	0	–	0	0	0	–
11.	झारखंड	38889	6429	26586	24.2	577	95	371	25.6	234	51	200	25.5
12.	कर्नाटक	142322	26027	74484	34.9	2472	80	1614	5.0	294	10	198	5.1
13.	केरल	148313	56274	89741	62.7	583	18	185	9.7	88	5	36	13.9
14.	मध्य प्रदेश	214269	60489	131902	45.9	3373	1070	3038	35.2	1383	384	1148	33.4
15.	महाराष्ट्र	208168	7973	89001	9.0	1107	36	854	4.2	292	8	215	3.7
16.	मणिपुर	2715	37	54	68.5	0	0	0	–	0	0	0	–
17.	मेघालय	2505	207	492	42.1	0	0	0	–	0	0	0	–
18.	मिजोरम	2174	2134	2280	93.6	0	0	0	–	0	0	0	–
19.	नागालैंड	1059	545	694	78.5	0	0	0	–	0	0	0	–
20.	उड़ीसा	56459	3229	33502	9.9	1707	116	1470	7.9	556	64	306	20.9
21.	पंजाब	36648	8314	20673	40.2	115	12	62	19.4	0	0	0	–
22.	राजस्थान	16957	33627	56871	59.1	4979	534	1322	40.4	1319	168	373	45.0
23.	सिक्किम	552	89	188	47.3	3	0	0	–	1	0	0	–
24.	तमिलनाडु	185678	67060	120578	55.6	1628	187	763	24.5	33	2	3	66.7
25.	त्रिपुरा	5805	274	2478	11.1	11	1	4	25.0	35	7	26	26.9
26.	उत्तर प्रदेश	174129	69448	119001	58.4	6272	4872	7493	64.4	0	25	47	53.2
27.	उत्तराखंड	9240	3175	4721	67.3	35	38	72	52.6	0	2	6	33.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	पश्चिम बंगाल	129616	3189	23609	13.5	63	0	3	0.0	47	0	0	–
	कुल राज्य	2164628	449957	1114009	40.4	32548	7708	21916	35.2	5877	912	3628	25.1
29.	अंडमान और निकोबार द्विपसमूह	980	82	165	49.7	0	0	0	–	1	0	6	0.0
30.	चंडीगढ़	3373	751	1865	40.3	0	0	0	–	0	0	0	–
31.	दादरा और नगर हवेली	378	30	131	22.9	0	1	1	100.0	2	0	2	0.0
32.	दमण और दीव	203	18	129	14.0	0	0	0	–	0	0	1	0.0
33.	दिल्ली संघ शासित	51292	10112	19641	51.5	16	7	19	36.8	0	0	0	–
34.	लक्षद्वीप	42	0	0	–	0	0	0	–	0	0	0	–
35.	पुडुचेरी	3935	3178	5091	62.4	5	0	0	–	0	0	0	–
	कुल संघ शासित	60203	14171	27022	52.4	21	8	20	40.0	3	0	9	0.0
	कुल अखिल भारत	2224831	464128	1141031	40.7	32569	7716	21936	35.2	5880	912	3637	25.1

स्रोत: भारत में अपराध

चीनी के निर्यात की मांग

1215. **श्री गोविंद प्रसाद मिश्र:**
श्री कमलेश पासवान:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी की उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण चीनी उद्योग संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (आई.एस.एम.ए) ने सरकार से चीनी उद्योग की समस्याओं को कम करने के लिए निर्यात की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या चीनी निर्यात को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कोटा प्रीमियम को समाप्त करने का अनुरोध भी प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) ने 2011-12 चीनी मौसम में 30-40 लाख टन चीनी के निर्यात के लिए अभ्यावेदन दिया है। सरकार ने उनकी मांग पर विचार किया है और खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन 2011-12 चीनी मौसम के दौरान 10 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

खेलकूद प्रतियोगिताओं में सुरक्षा पर व्यय

1216. **श्रीमती सीमा उपाध्याय:**
श्री महेश्वर हजारी:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दशक के दौरान बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (बी.सी.सी.आई.) सहित विभिन्न खेलकूद संस्थाओं को सरकार द्वारा प्रदत्त कर छूट और अन्य छूटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इंडियन प्रीमियर लीग (आई.पी.एल.) के गठन के पश्चात् से अब तक इसके लिए विभिन्न केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती और किए गए अन्य सुरक्षा व्यय का ब्यौरा क्या है और इसकी बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सुरक्षा एजेन्सियों की तैनाती के बदले आई.पी.एल. आयोजनकर्त्ताओं से कोई राशि वसूली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो आई.पी.एल. और अन्य क्रिकेट मामलों जैसी वाणिज्यिक प्रतियोगिताओं में सुरक्षा प्रदान करने का आधार क्या था और स्टेडियमों और अन्य सुविधाओं के उपयोग की वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ङ) सरकार को ऐसी खेलकूद प्रतियोगिताओं से करों के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी। बी.सी.सी.आई. ने बताया है कि आई.पी.एल. मैचों के लिए सुरक्षा नि:शुल्क नहीं प्राप्त होती और प्रत्येक राज्य टीमों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा स्टेडियम के दिन भी अपना शुल्क वसूलती है। तदनुसार बी.सी.सी.आई. से आई.पी.एल. मैचों के आयोजन के लिए उनके द्वारा या उनके सहयोगी या आयोजकों द्वारा भुगतान किये गये सुरक्षा शुल्कों और करों के ब्यौरे देने का भी अनुरोध किया जा रहा है। इस तरह एकत्र की गई सूचना भी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

स्मारकों की पहचान करने के लिए विरासत निकाय

1217. श्री वैजयंत पांडा:
श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ऐसे स्मारकों जिन्हें विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल करने हेतु यूनेस्को को सिफारिश की जा सके, की पहचान करने के लिए विश्व विरासत मामलों संबंधी परामर्शदात्री समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने हाल ही में देश में किसी स्मारक की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल करने के क्या मानदंड हैं;

(च) क्या उक्त प्राधिकरण को सिफारिश किए जाने के लिए उड़ीसा राज्य में किसी स्मारक/स्थल की पहचान की गयी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) सरकार ने 1 नवम्बर, 2011 को विश्व विरासत मामलों के लिए एकसलाहकार समिति का गठन किया है, जिसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

(i) युनेस्को सूची में भारत के विरासत स्थलों की अनंतिम सूची की समीक्षा करना तथा उपयुक्त परिवर्धन/लोप करने की सिफारिश करना ताकि अनंतिम सूची, इसमें शामिल करने के लिए उपयुक्त स्थलों की प्रतिनिधिक हो, और जिन पर अगले 5 से 7 वर्षों में विचार करने की संभावना हो।

(ii) स्थल के उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व और नामांकन डोजियर की गुणवत्ता, दोनों को ध्यान में रखते हुए, विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकन हेतु विरासत स्थलों पर विचार करना और उनकी सिफारिश करना।

(iii) विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए विश्व विरासत कन्वेंशन के समक्ष ऐसे डोजियर प्रस्तुत करने से पूर्व प्रत्येक नामांकन डोजियर (गुणवत्ता आश्वासन कार्य के रूप में) पर आशोधनों सहित अथवा उसके बिना अनुमोदन के लिए विचार करना और उनकी सिफारिश करना।

(iv) नामांकन डोजियर में अपनाये जाने वाले अभिगमों और उन परामर्शदाताओं की सम्भावित सूची जिनकी सेवाएं प्रत्येक मामले में डोजियर तैयार करने के लिए ली जानी है, के साथ-साथ, अगले 3 से 4 वर्षों में नामांकन के लिए उपयुक्त स्थलों की एक सूची पर विचार करना और उनकी सिफारिश करना।

(v) मौजूदा स्थल प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा करना तथा मौजूदा स्थल प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन और अन्य स्थलों, जहां कोई स्थल विद्यमान न हो, के विकास के लिए उपयुक्त सिफारिशें करना।

(vi) संकटग्रस्त विश्व विरासत स्थलों, यदि कोई हों, के प्रबंधन के संबंध में की जाने वाली समयबद्ध कार्रवाईयों के संबंध में विशिष्ट समीक्षाएं करना और सिफारिशें करना।

सलाहकार समिति की प्रथम बैठक शीघ्र ही आयोजित होने वाली है।

(ङ) विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए, मानदंड सहित, प्रक्रियाएं युनेस्को के तत्वावधान में, विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अंत:सरकारी समिति द्वारा जारी 'विश्व विरासत कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों' में अन्तर्विष्ट हैं। ये युनेस्को की वैबसाईट पर उपलब्ध हैं और निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड की जा सकती है:

http://whc.unesco.org/archive/opguideo8-en.pdf

(च) और (छ) इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कृषि योजनाओं का विलय

1218. श्री एल. राजगोपाल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजनाओं पर अधिक ध्यान दिये जाने और उनके बेहतर कार्यान्वयन के लिए कृषि मंत्रालय की 51 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन अथवा उनका विलय दस योजनाओं में किया जाने वाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में योजना आयोग के साथ कोई परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परामर्श का क्या परिणाम निकला?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) कृषि और सहकारिता विभाग वर्तमान में कृषि के विकास के लिए 53 स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है और इन मौजूदा स्कीमों के पुनर्गठन के लिए योजना आयोग के साथ मामले को उठाया है।

[हिन्दी]

अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) मुद्रित किया जाना

1219. श्री इज्यराज सिंह:
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य देशों से आयातित वस्तुओं के पैकेटों पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को न छापे जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में बाट और माप मानक (डिब्बाबंद वस्तुएं) नियम, 1977 में कोई प्रावधान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और वर्तमान वर्ष के दौरान चूककर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी हां।

(ख) प्राप्त शिकायतों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ग) जी हां, बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के नियम 6(1) (च) के तहत भारत में आयात किए जाने वाले पैकेजों पर अधिकतम खुदरा मूल्य घोषित करने का एक उपबंध था जिसको 1 अप्रैल, 2011 से निरस्त कर दिया गया है। विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के साथ 1 अप्रैल, 2011 से लागू विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 6(1) (ङ) के तहत भारत में आयातित सभी पैकेजों पर खुदरा विक्रय मूल्य (एमआरपी) घोषित करने के लिए एक वैसा ही उपबंध दिया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दायर किए गए/निपटाए गए/अभियोजित मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

दायर किए गए/निपटाए गए/अभियोजित मामलों की संख्या

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रश्न	2008-09	2009-10	2010-11	चालू वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1.	कर्नाटक	(क)	जी हां।	जी हां।	जी हां।	जी हां।
		(ख)	मै. भारत बिस्कुट निर्माता संघ, दिल्ली	निर्माता व्यापारी संघ, दिल्ली की शिकायत	ड्राई सैल निर्माता एसोसिएशन, नई दिल्ली की शिकायत	श्री राजकुमार, नं. 7, मुंबई की शिकायत

1	2	3	4	5	6	7
			और मै. क्रूसेड एर्गेस्ट टोबेको, मुंबई की शिकायतें			
		(घ)	बिस्कुटों के विरुद्ध 11 मामले और सिगरेटों के विरुद्ध 46 मामले कुल 57	कार वॉक्स, थ्री बाण्ड इत्यादि जैसे उपभोक्ता उत्पादों के विरुद्ध 161 मामले	शून्य	आटोमोबाइल एक्सेसरीज/एपेक्स रेसिंग के संबंध में 3 मामले।
2.	पंजाब	(क)	जी हां।	जी हां।	जी हां।	जी हां।
		(ख)	शिकायतें	शिकायतें	शिकायतें	शिकायतें
		(ग)	आंकड़े उपलब्ध नहीं	आंकड़े उपलब्ध नहीं	आंकड़े उपलब्ध नहीं	आंकड़े उपलब्ध नहीं
3.	असम	(क)	जी हां।	जी हां।	जी हां।	जी हां।
		(ख)	शिकायतें	शिकायतें	शिकायतें	शिकायतें
		(ग)	6 मामले	5 मामले	17 मामले	11 मामले
4.	अरुणाचल प्रदेश	(क)	जी नहीं।	जी नहीं।	जी नहीं।	जी नहीं।
		(ख) और (घ)	औचक जांच/निरीक्षण के समय मामले दायर किए गए और निपटाए गए	औचक जांच/निरीक्षण के समय मामले दायर किए गए और निपटाए गए	औचक जांच/निरीक्षण के समय मामले दायर किए गए और निपटाए गए	औचक जांच/निरीक्षण के समय मामले दायर किए गए और निपटाए गए
5.	पश्चिम बंगाल	(क)			जी हां।	
		(ख) और (घ)				माननीय मंत्री सुश्री
					अगाथा संगमा की शिकायत।	
		(घ)			01 जब्ती	
6.	राजस्थान	(क)	जी हां।	जी हां।	जी हां।	जी हां।
		(ख)	शिकायत	शिकायत	शिकायत	शिकायत
		(घ)	शून्य	8 मामले दायर किए	शून्य	19 मामले दायर
7.	केरल	(क)				जी हां।

1	2	3	4	5	6	7
		(ख)				3 शिकायतें प्राप्त हुई।
		(घ)				22 मामले दायर किए गए
8.	दिल्ली	(क)			जी हां।	जी हां।
		(ख)			1-शिकायत	3-शिकायतें।
		(घ)			मामले दायर किए गए	मामले दायर किए गए
9.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	(क)	जी नहीं।	जी नहीं।	जी नहीं।	जी नहीं।
		(ख)	औचक निरीक्षण	औचक निरीक्षण	औचक निरीक्षण	औचक निरीक्षण
		(घ)	9 मामले दायर किए गए	शून्य	4 मामले दायर किए गए	3 मामले दायर किए गए
1.	उत्तराखण्ड	(क)	जी नहीं।	जी नहीं।	जी नहीं।	जी नहीं।
		(ख)	निरीक्षण	निरीक्षण	निरीक्षण	निरीक्षण
		(घ)	124 मामले दायर किए गए	117 मामले दायर किए गए	136 मामले दायर किए गए	50 मामले दायर किए गए
1.	आंध्र प्रदेश	(क)	जी हां।	जी हां।	जी हां।	जी हां।
		(ख)	सिगरेट जैसे आयातित पैकेटों संबंधी शिकायतें	सिगरेट जैसे आयातित पैकेटों संबंधी शिकायतें	सिगरेट जैसे आयातित पैकेटों संबंधी शिकायतें	सिगरेट जैसे आयातित पैकेटों संबंधी शिकायतें
		(घ)	182 मामले दायर किए गए	283 मामले दायर किए गए	336 मामले दायर किए गए	164 मामले दायर किए गए
1.	उत्तर प्रदेश	(क)	जी हां।	जी हां।	जी हां।	जी हां।
		(ख)	आयातित पैकेटों संबंधी शिकायतें	आयातित पैकेटों संबंधी शिकायतें	आयातित पैकेटों संबंधी शिकायतें	आयातित पैकेटों संबंधी शिकायतें
		(घ)	04 मामले दायर किए गए	14 मामले दायर किए गए	27 मामले दायर किए गए	10 मामले दायर किए गए
1.	सिक्किम	(क)	जी नहीं।			
		(ख) एवं (घ)	पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान किए गए निरीक्षणों के दौरान 14 मामले दायर किए गए और उन पर कार्रवाई की गई।			

1	2	3	4	5	6	7
1.	मेघालय	(क)	जी हां।	जी हां।	जी हां।	जी हां।
		(ख)	आयातित पैकेटों के संबंध में जनता से और माननीय मंत्री सुश्री अगाथा संगमा से प्राप्त शिकायतें	आयातित पैकेटों के संबंध में जनता से और माननीय मंत्री सुश्री अगाथा संगमा से प्राप्त शिकायतें	आयातित पैकेटों के संबंध में जनता से और माननीय मंत्री सुश्री अगाथा संगमा से प्राप्त शिकायतें	आयातित पैकेटों के संबंध में जनता से और माननीय मंत्री सुश्री अगाथा संगमा से प्राप्त शिकायतें
		(घ)	24 मामले दायर किए गए	40 मामले दायर किए गए	50 मामले दायर किए गए	13 मामले दायर किए गए
1.	जम्मू और कश्मीर	(क)	जी नहीं।			
		(ख) एवं (घ)	पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खिलौनों, परफ्यूम, चाकलेट और खेल का सामान तथा अन्य खाद्य पदार्थों के संबंध में 23 मामले दायर किए गए और उन पर कार्रवाई की गई।			

फ्लैटों का रखरखाव

1220. **श्री महाबल मिश्रा:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी आवासों के आबंटियों से फ्लैटों के रखरखाव के संबंध में प्राप्त अधिकांश शिकायतों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) बड़ी शिकायतों के अंतर्गत रखता है;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों को निपटाने की समय-सीमा क्या है; और

(ग) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है कि सभी आबंटी सरकारी फ्लैटों का उचित रखरखाव करें और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सभी शिकायतों को समय पर निपटाए?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रो. (प्रो. सौगत राय): (क) जी नहीं।

(ख) बड़ी शिकायतों को निधि (फंड) की उपलब्धता और संविदाओं के लागू रहने की शर्त पर 30 दिन की अवधि में निपटाने का प्रयास किया जाता है।

(ग) वेब आधारित के.लो.नि.वि. सेवा प्रारम्भ की गयी है तथा शिकायतों की निगरानी के.लो.नि.वि. के अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर की जाती है। दिल्ली में दखलकारों से सूचना कॉल सेंटर और एस.एम.एस. के माध्यम से प्राप्त की जाती है।

[अनुवाद]

पशु प्रजनन कार्यक्रम

1221. **श्री प्रताप सिंह बाजवा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में पशुओं की विभिन्न नस्लों की जनसंख्या का आंकड़ा क्या है;

(ख) क्या उनके प्रतिशत में गिरावट आयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पशु जैव-विविधता संकर प्रजनन कार्यक्रमों के कारण गम्भीर खतरे में है; और

(ङ) यदि हां, तो संकटापन्न भारतीय पशु नस्लों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग) 17वीं पशुधन से गणना (2003) तक पशुधन संख्या पर नस्ल वार आंकड़े एकत्रित नहीं किए गए थे। तथापि, 18वीं पशुधन संगणना (2007) के दौरान सरकार द्वारा नस्लवार आंकड़े एकत्रित करके सारणीबद्ध किए गए हैं। अतः पूर्व के वर्षों के साथ गोपशु की नस्ल वार संख्या की तुलना करना संभव नहीं है। तथापि, 2003 से 2007 की अन्तर संगणना अवधि के दौरान गोपशु की कुल संख्या में वृद्धि की प्रतिशतता 7.5% है। 18वीं पशुधन संगणना, 2007 के अनुसार गोपशु की नस्ल-वार संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में स्वदेशी गोपशु नस्लों के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार निम्नलिखित योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। इन योजनाओं में स्वदेशी गोपशु नस्लों के विकास और संरक्षण पर बल दिया गया है।

1. राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना

2. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म

3. केन्द्रीय पशुयुंथ पंजीकरण योजना

ये योजनाएं देश में गोपशु नस्लों के विकास एवं संरक्षण में राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति कर रही हैं।

विवरण

सारणी: 18वीं पशुधन संगणना (2007) के अनुसार गोपशु की अखिल भारतीय नस्ल-वार संख्या

क्र.सं.	गोपशु नस्ल	पशुओं की संख्या
1	2	3
1.	जर्सी	1,037,227
2.	होलस्टल फ्रीजन	557,194
3.	अन्य विदेशी	138,235
4.	जर्सी वर्ण संकरित	20,378,521
5.	होलस्टेन फ्रीजन वर्ण संकरित	7,779,921
6.	अन्य वर्ण संकलित	3,152,962
7.	अलाम्बदी	31,874
8.	अमृतमहल	96,021
9.	बाचूर	454,103
10.	बारगुर	20,879
11.	बिंझरपुरी	29,749
12.	देवनी	165,846
13.	गंगातेरी	375,154
14.	गाओलाओ	222,566
15.	घूमसूरी	82,117
16.	गिर	2,216,421
17.	हाल्लीकर	2,191,486
18.	हरियाना	2,600,111
19.	जेल्लीकट	34,191
20.	कनग्याम	314,817
21.	कनकरेज	3,884,457
22.	केनकाठा	179,987
23.	खेडीगढ़	171,414
24.	खिलारी	1,419,735
25.	कृष्णा वैली	2,314
26.	कुआउनी	459
27.	लड़ाखी	24,213
28.	मालन गिद्दा	1,282,121
29.	मालवी	1,515,753
30.	मनापरी	102,046

1	2	3
31.	मेवाती	75,427
32.	मोट्टू	700,908
33.	नागोरी	837,334
34.	निमाड़ी	309,237
35.	ओंगोले	257,661
36.	पोनवार	24,072
37.	पुंनूर	733
38.	पूर्णिया	147,988
39.	राठी	924,057
40.	लाल कांधारी	176,621
41.	लाल सिंधी	550,272
42.	सहीवाल	457,177
43.	सीरी	61,750
44.	तराई	2,606
45.	थारपारकर	557,621
46.	थो थो	207,220
47.	अम्बला चेरी	217,960
48.	वेचूर	160
49.	कसासागोउ दवार्फ (एलैक)	480
50.	अन्य ग्रेड	4,218,272
51.	गैर-प्रजातीय	138,655,925
	कुल गोपाशु	199,075,005

स्रोत: त्वरित सारणी बद्धीकरण योजना पर आधारित अखिल भारतीय रिपोर्ट, ग्राम स्तर कुल (अनंतिम परिणाम), 18वीं पशुधन संगणना 2007, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार

[हिन्दी]

राष्ट्रमंडल खेलों में अनियमितताएं

1222. **श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला:**
श्री रूद्रमाधव राय:
श्री राधा मोहन सिंह:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा उन्नीसवें राष्ट्रमंडल खेल (सी.डब्ल्यू.जी.), 2010 को आयोजित करने में कुल कितना व्यय और इससे कितनी आय एवं कितना घाटा हुआ;

(ख) क्या उक्त खेलों में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के कथित मामलों की जांच में लगी हुई विभिन्न केन्द्रीय जांचकर्ता एजेन्सियों ने अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन अनियमितताओं/भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार/लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभी तक एजेन्सी-वार क्या कार्यवाही की गयी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त जांचों को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन अनियमितताओं/भ्रष्टाचार में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कितने अधिकारी दोषी पाये गए और प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गयी?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन हेतु ओ.सी. को जारी हुए कुल 2307.82 करोड़ रु. में से ओ.सी. ने 234.00 करोड़ रुपयों का पुनर्भुगतान कर दिया है। इसके अतिरिक्त 432. 00 करोड़ रु. भी प्राप्त राजस्व के रूप में सरकार के खातों में जमा किये जा चुके हैं। मेजबान शहर अनुबंध में भारत सरकार ने आयोजन समिति के राजस्व तथा व्यय के बीच किसी भी प्रकार की कमी को पूरा करने का वचन किया था अत: वहां किसी प्रकार की हानि नहीं हुई।

(ख) से (ङ) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी अर्थात् केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों ने अब तक विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध 20 मामले दर्ज किये हैं। इनमें दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध जांच के पूरा होने के बाद कानून के अनुसार कार्यवाही आरंभ की जाएगी।

[अनुवाद]

नगरों/कस्बों के विकास संबंधी कार्यदल

1223. श्री उदय सिंह: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ कार्यदल ने नगरों और कस्बों को सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर रहने योग्य बनाने की सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने नगरों को सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से अधिक अनुकूल बनाने के लिए किसी विदेशी एजेन्सी की सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) भारत सरकार ने 20 वर्ष की अवधि के लिए शहरी ढांचागत (इन्फ्रास्ट्रक्चर) सेवाओं में निवेश संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए डा. ईशर जज आहलूवालिया की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (एच.पी.ई.सी.) का गठन किया था। इस उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति के निष्कर्षों और सिफारिशों वाली रिपोर्ट का कार्यांग सारांश संलग्न है। इस समय जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अगले चरण की कार्यनीति एवं शरू किए जाने वाले कार्यों पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डा. ईशर आहलूवालिया की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय शहरी ढांचागत सेवाओं पर प्रस्तुत रिपोर्ट - मार्च, 2011

सारांश और सिफारिशें

1. भारत का शहरीकरण हो रहा है। यह परिवर्तन जिसके कारण भारत की शहरी जनसंख्या 2031 तक 600 मिलियन के आसपास हो जाएगी, जनसंख्या के आंकड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन मात्र नहीं है। इससे शहरों और कस्बों के तीव्र विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। आगामी दशकों में शहरी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचागत परिवर्तन तथा आर्थिक विकास की उच्च दर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। भारत के सभी शहरों और कस्बों में उत्तम कोटि की जन सेवाएं सुनिश्चित करना अपने आप में ही एक लक्ष्य है अपितु यह भारत की आर्थिक क्षमताओं की पूर्ण प्राप्ति में भी सहायक सिद्ध होगा।

2. इस रिपोर्ट से यह निष्कर्ष निकलता है कि शहरीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग के बिना भारत के आर्थिक विकास की गति को बनाए नहीं रखा जा सकता है, यदि शहरी गरीबों की जरूरतों को शहरीकरण प्रबंधक की वृहत चुनौतियों से अलग रखा जाएगा तो गरीबी का समाधान भी नहीं किया जा सकता। शहरों को राष्ट्रीय विकास का वाहक बनना होगा। भारत अपनी शहरी कार्यनीति को गलत करने की भूल नहीं कर सकता। साथ ही, ग्रामीणों को शहरी लोगों से अलग करने के दृष्टिकोण में मूलभूत परिवर्तन लाए बिना इस कार्यनीति को सही पट्टी पर नहीं लाया जा सकता।

3. इस रिपोर्ट में यह प्रमाणित किया गया है कि शहरीकरण के प्रबंधन की चुनौती से निवेश में वृद्धि, शासन और वित्तपोषण के ढांचे को मजबूत करके तथा भारत सरकार के सभी स्तरों पर एक विस्तृत क्षमता निर्माण कार्यक्रम में संयोजन के माध्यम से निपटना होगा।

4. इस अवधारणा में अन्योन्याश्रित संघीय व्यवस्था में शहरों और नगरों की भूमिका पर विशेष बल दिया गया है। समिति का मानना है कि सामान्यतया शहरी स्थानीय निकायों के रूप में ज्ञात भारत के नगर निगमों, नगरपालिकाओं तथा नगर-पंचायतों को सुस्पष्ट कार्यों, स्वतंत्र वित्त संसाधनों तथा निवेश और सेवा सुपुर्दगी के संबंध में निर्णय लेने की स्वायत्तता से युक्त स्थानीय स्वाशासन के रूप में सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। उन्हें नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होना भी अनिवार्य है। इस परिवर्तन के मूल तत्व पहले से ही स्थानीय शासन की रूपरेखा में विद्यमान हैं जैसा कि जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन. यू.आर.एम.) के संबंध में संविधान के 74वें संशोधन में उल्लिखित है और तेरहवें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा शहरी क्षेत्र पर बल दिया गया है।

5. इस रिपोर्ट में शहरी नीति और योजना की विस्तृत रूपरेखा की विवेचना की गई है। इस रूपरेखा के मूल तत्व इस प्रकार हैं:—

* 2011-12 में शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर में 0.7 प्रतिशत जी.डी.पी. की तुलना में 2031-32 तक 1.1 प्रतिशत निवेश बढ़ाना।

* साझेदारी से परिसम्पत्तियों - पुरानी तथा नई पर खर्च बढ़ाना।

* मलिन बस्तियों सहित शहरी क्षेत्रों का नवीकरण और पुनरुद्धार करना।

* भूमि उपयोग और माल ढुलाई के एकीकरण के साथ क्षेत्रीय और महानगरीय योजना में सुधार।

* संस्तुत मानकों को पूरा करने के लिए गरीबों सहित सभी के लिए सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना।

* सेवा प्रदाय की व्यवस्था में सुधार करना।

* एक मेयर के अधीन एकीकृत कमान द्वारा शहरों और नगरों के शासन में सुधार करना।

* शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय आधार को सुदृढ़ और सुरक्षित करना।

* राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय शहरी निकायों को एक समर्थ वातावरण उपलब्ध कराना ताकि वे अपनी बढ़ी हुई जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें।

* भारत सरकार ने एक नया और उन्नत जे.एन.एन.यू.आर.एम. आरम्भ किया है जो कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुरूप शहरी सुधारों को सहायता प्रदान करना है और क्षमता वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करता है।

2. सारांश:

प्रतिलेखन और रिपोर्ट में किए गए विश्लेषण से प्राप्त मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

ए.1 शहरीकरण और अर्थव्यवस्था विकास

6. भारत की मात्र 30 प्रतिशत जनता शहरी क्षेत्रों में रहती है। यह चीन, इंडोनेशिया, दक्षिणी कोरिया, मैक्सिको तथा ब्राजील की तुलना में बहुत कम है। इसका एक कारण भारत में प्रति व्यक्ति आय का बहुत कम होना है। समिति के प्रस्ताव में यह आकलन किया गया है कि भारत की वर्तमान में परिभाषित शहरी जनसंख्या, 2031 में 600 मिलियन के करीब होगी जो 2001 की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। 1 मिलियन और इससे अधिक की आबादी वाले महानगरों की संख्या, जो 2001 में 35 थी वह 2011 में 50 हो गई और 2031 तक यह बढ़कर सम्भवतया 87 हो जाएगी। भारतीय शहरों का विस्तार कई प्रकार से होगा जैसे कि सीमाओं में विस्तार की प्रक्रिया के अंतर्गत छोटे नगर पालिका क्षेत्र और मुख्य शहर के इर्द गिर्द बड़े गांव बढ़ते हुए महानगरीय क्षेत्र का हिस्सा बन जाएंगे।

7. तीन दशकों में हुई तीव्र आर्थिक वृद्धि के परिणामस्वरूप लोगों को गांवों से शहरों की ओर अधिक संख्या में प्रवास करना चाहिए था परन्तु भारत में हुए विकास के बाद भी ऐसा पूरी तरह से नहीं हुआ। इसका कारण औद्योगिकरण का पूंजी आधारित होना तथा प्रौद्योगिकी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था से सेवाओं में आई तेजी का कौशल आधारित होना है। भारत के कुछ शहर ज्ञान और नवपरिवर्तन के केन्द्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं। चूंकि अधिक शहर उद्योगों तथा अन्य गैर-कृषि संबंधी आर्थिक गतिविधि के लिए समायोजन की अर्थव्यवस्थाएं तथा पैमाने उपलब्ध कराते हैं, अतः शहरी क्षेत्र राष्ट्रीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए प्रमुख कारक के रूप में कार्य करेगा। विश्व अर्थव्यवस्था के एकीकरण के साथ भारत के आगे आने पर, औद्योगीकरण में और अधिक लोग शामिल होंगे। वर्तमान स्थिति में, भारत के सामने और अधिक व्यापक आधार तथा श्रम गहन विकास करते हुए अपनी उच्च विकास दर को निरंतर बनाए रखने की चुनौती है।

8. कृषि क्षेत्र का भविष्य निर्णायक रूप से उस तरीके से जुड़ा हुआ है जिसके द्वारा उद्योगों व सेवा क्षेत्रों में विकास हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग उन अवसरों से विशेष रूप से वंचित रह जाते हैं जो शहरों में रोजगार, उद्यमिता संबंधी अवसरों, अधिगम और वित्तीय प्रत्यायोजन के लिए उपलब्ध रहते हैं। जैसे-जैसे शहरीकरण का विकास होता है वैसे-वैसे खाद्यान्नों की

अपेक्षा खाद्य वस्तुओं अर्थात् सब्जियों, मसूर, दूध, अण्डों इत्यादि की मांग में भी वृद्धि होती जाती है। इससे अवसंरचना, संचार तंत्र, प्रोसेसिंग, पैकिंग तथा संगठित रिटेलिंग में निवेश को बढ़ावा मिलता है। इन निवेशों तथा अन्य आर्थिक अंतर-संयोजन से ग्रामीण और शहरी केन्द्र जुड़ जाते हैं तथा उनके मध्य सह-क्रिया का निर्माण होता है। वास्तव में, सरकारी नीति को भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उपयोगी संभावना को बढ़ावा देने पर केन्द्रित होनी चाहिए। यह रिपोर्ट इस तथ्य को बताती है कि भारत के शहरी विकास का भविष्य-ग्रामीण क्षेत्रों तक लाभ पहुंचाने पर निर्भर है। पहले से ही यह सुझाव देने के साक्ष्य हैं कि उत्तर-सुधार काल में भारत के शहरी क्षेत्रों में बढ़ते जीवन स्तर ने देश के ग्रामीण निर्धनों के पक्ष में महत्वपूर्ण संवितरणात्मक प्रभाव डाला है।

ए.2 सेवा वितरण की स्थिति

9. भारत के शहर और नगर, जो सेवाएं यहां तक कि वर्तमान आबादी को भी उपलब्ध कराते हैं, उनकी गुणवत्ता में स्पष्ट रूप से त्रुटि है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है तथा मानदंडों में वृद्धि हो रही है, वर्तमान सेवा के स्तर शहरी नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुपात में बहुत निम्न है। शहरों और नगरों की आर्थिक उत्पादकता को बनाए रखने की अपेक्षा में भी ये निम्न हैं।

10. समिति का यह भी विचार है कि लोक सेवाएं जैसे कि पेय जल, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़कें और स्ट्रीट लाइटें सभी को सुलभ होनी चाहिए। इसी समय उन्हें आर्थिक विकास में शहरों के योगदान को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2008 में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए सेवा मानकों की पूर्ति करनी चाहिए तथापि सम्मिलित तथा आर्थिक विकास दोनों के लिए नीति के वास्तविक अवसंरचना के स्थान पर संवितरण सेवाओं पर केन्द्रित करने की आवश्यकता होगी। सेवा वितरण के लिए शासन में सुधार करने पर केन्द्रित करना चुनौती है। इसके बिना, शहरी अवसरंचना में अतिरिक्त पूंजी निवेश से सेवा वितरण में सुधार करने का कोई परिणाम नहीं निकलेगा।

11. समिति ने निम्न आय आवास तथा लोग परिवहन के संबंध में स्थिति नोट की है। वहन करने योग्य आवास अभियानों के अभाव के कारण, निर्धन तथा कुछ गैर-निर्धन स्लमों में रहने के लिए विवश हैं तथा इनमें से अधिकांश में जल और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। भारत के कई शहरों में औसतन 25 प्रतिशत आबादी स्लमों में निवास करती है, ग्रेटर मुंबई में कुल आबादी का 54 प्रतिशत स्लम निवासी है। सभी स्लम निवासी निर्धन नहीं होते हैं तथा इन चुनौतियों की जटिलता की समीक्षा शहरी आयोजना, सभी के लिए अवसंरचना विकास और लोक सेवा वितरण के संदर्भ में की जा रही है।

12. भारत में शहरीकरण की चुनौती बढ़े हुए न्यूनतम स्तरों पर सेवा वितरण को सुनिश्चित करना है जो कि आयोजना के लिए आवश्यक है। यह विशेष रूप से उस स्थिति में है जब वर्तमान शहरी आबादी के पास अपर्याप्त सेवाएं हैं तथा कुल शहरी आबादी में कम से कम 250 मिलियन तक वृद्धि होने की संभावना है।

ए.3 शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश का आकलन

13. समिति के विचारार्थ विषय में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि इसमें 2008 से 20 तक की अवधि में शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के 8 प्रमुख सेक्टरों के लिए निवेश संबंधी आवश्यकताओं का आकलन किया जाना चाहिए और उन्नत सेवा प्रदाय सुनिश्चित करने के साथ-साथ शहरी क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर के भारी अभाव के वित्तपोषण के उपाय सुझाने चाहिए जो नवनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करते हों।

14. समिति ने शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के सभी क्षेत्रों में 2031 तक की अवधि के लिए अपने अधिपत्र की विस्तृत व्याख्या की है। समिति ने आठ क्षेत्रों यथा जल आपूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, शहरी रोड, शहरी परिवहन, यातायात सहायक इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रीट लाइटिंग में निवेश का विस्तृत आकलन तैयार किया है। समिति ने इन क्षेत्रों में अनुमानित लागत को

यथोचित ढंग से बढ़ाकर शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर में समग्र निवेश का अनुमान भी तैयार किया है।

15. तथापि, इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा और बिजली वितरण की जरूरतों को शामिल नहीं किया गया है जो कि समिति के विचारार्थ विषय में शामिल नहीं हैं।

16. समिति ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना से पन्द्रहवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 2012-31 तक की अवधि के लिए अनुमान तैयार किए हैं। भूमि के मूल्यों में अस्थिरता को देखते हुए इस अनुमानित लागत में भूमि अधिग्रहण की लागत को शामिल नहीं किया गया है।

17. 20 वर्ष की अवधि के लिए शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 2009-10 के मूल्यों के अनुरूप निवेश की लागत 39. 2 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है। इसमें से 17.3 लाख करोड़ रुपये (या 44 प्रतिशत) शहरी सड़कों के लिए निर्धारित की गई है। इस क्षेत्र के लिए बैकलॉग भारत के शहरों में बहुत बड़ा, 50 प्रतिशत से 8. प्रतिशत के बराबर है। जलापूर्ति, मल-जल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वर्षा जल संचयन जैसे शहरी सेवाएं प्रदान करने वाले क्षेत्रों को 8 लाख करोड़ रुपये (या 20 प्रतिशत) की आवश्यकता होगी। समिति ने स्लमों सहित नवीनीकरण एवं पुनर्विकास में विनिवेश के लिए 4 लाख करोड़ रुपये का सुस्पष्ट प्रावधान किया है।

18. इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि नीति का केन्द्र बिन्दु लोक सेवाओं के प्रावधान पर होना चाहिए जो आधारभूत परिसम्पत्तियों और न केवल परि-सम्पत्तियों के सृजन से भरपूरा हो, समिति ने परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए संचालन एवं रखरखाव (ओ. एंड एम.) के महत्व पर विशेष बल दिया है। नई तथा पुरानी परिसम्पत्तियों के लिए संचालन एवं अनुरक्षण संबंधी आवश्यकताओं के लिए 20 वर्षों की अवधि में 19.9 लाख करोड़ रुपये रखे जाते हैं।

19. समिति को विश्वास है कि शासन सबसे कमजोर तथा सर्वाधिक निर्णायक कड़ी है जिसे भारत में इतने अत्यावश्यक शहरी परिवर्तन को पूरा करने के लिए सुधारने की जरूरत है। शहरी आधारभूत की विनिवेश जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े बड़े स्लमों को अपेक्षित वित्त प्रदान करना, संस्थानों तथा उनकी क्षमता, जो सेवा प्रदान करने तथा राजस्व सृजन के लिए संस्थान चलाते हैं, के सुधार पर निर्णायक रूप से आश्रित हैं। समिति का यह विचार है कि भारतीय नगरों तथा शहरों पर अधिक व्यय को करों तथा प्रयोक्ता प्रभारों को संकलित करने के लिए बेहतर शासन संरचना, मजबूत राजनीतिक तथा प्रशासनिक इच्छाशक्ति तथा प्रदान करने के लिए सुधारी गई क्षमता से जोड़ा जाना है। अपने नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होने तथा विकास की गति में सहयोग देने के लिए नगरों को सशक्त, वित्तीय रूप से दृढ़ तथा शासन करने के लिए कुशल होना चाहिए।

20. नगर पालिका निकायों को 74वें संविधान संशोधन द्वारा सौंपी गई व्यापक जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करने के लिए उन्हें, भारत सरकार और राज्य सरकारों से स्थानान्तरण, राज्य सरकारों से पूर्व निर्धारित सत्र आधारित स्थानान्तरणों और उनके अपने राजस्व स्त्रोतों वाली स्थानीय सरकारों के रूप में मजबूत करना होगा। शहरों को युक्तिमूलक यूजर्स प्रभावों सहित उन्नत कर राजस्वों से अपने साधनों को बढ़ाने में सहायता मिलेगी जो ऋण चुकाने और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी. पी.पी.) के माध्यम से वित्त पोषण के नए उपाय को अपनाने में लाभदायक सिद्ध होगी। इसके बाद ही, वे शहरी आधारिक संरचना आधार को बढ़ाने, अपने निवासियों को नियमित आधार सेवाओं की उन्नत गुणता उपलब्ध कराने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान कर पाने में सक्षम हो सकेंगे।

ए.5 वित्त प्रदान करना

21. भारत में शहरी स्थानीय शासन संसाधन जुटाने की क्षमता, वित्तीय स्वशासन के अनुसार सबसे कमजोर है। जब राज्य सरकारों तथा भारत सरकार से स्थानांतरण में हाल के वर्षों में वृद्धि हुई है तब शहरी स्थानीय निकायों के कर के आधार सीमित, अपरिवर्तनीय तथा लाभ रहित है तथा जो सेवाएं देते हैं उनके लिए वे युक्तिमूलक प्रयोक्ता प्रभार लगाने के लिए भी समर्थ नहीं हुए हैं।

22. शहरी स्थानीय निकाय अपनी सीमाओं के भीतर तथा राज्य सरकार के सुस्पष्ट अनुमोदन से बाजार से उधार ले सकते हैं। तथापि यह बहुत ही बाध्यकारी प्रतिबद्धता नहीं रही है क्योंकि बाहरी स्त्रोतों से वित्त प्राप्त करने में सही चुनौती उनके अपने वित्त एवं कमजोर शासन की खतरनाक अवस्था रही है।

23. समिति का विश्वास है कि आर्थिक वृद्धि तथा समावेश के लिए शहरी आधारभूत के महत्त्व को देखते हुए भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को दोनों ठोस निधियों को प्रदान करके तथा निधियन के लिए अतिरिक्त प्रक्रिया का प्रयोग करके सहयोग करना होगा, जिन्हें शहरी स्थानीय निकायों के अपने वित्तों की सुदृढ़ीकरण में जरूरत पड़ेगी। पिछले क्रमशः सभी स्तरों पर शासन में सुधार अपेक्षित है।

24. भारत सरकार को कार्यक्रम के बड़े भाग को वित्त प्रदान करने, साथ ही राज्य सरकारों तथा शहरी स्थानीय निकायों की अपेक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होगा। राज्य सरकारों को शहरी स्थानीय निकायों के साथ संवैधानिक अधिदेशाधीन राजस्व हिस्सेदारी प्रबंधन के रूप में सहयोग देना होगा। अपनी ओर से शहरी स्थानीय निकाय शासन में सुधार करेंगे तथा गरीबों समेत सभी को विनिर्दिष्ट मानकों की सेवा प्रदान करने के लिए वित्त प्रदान करेंगे। इसे उत्तरदायित्व के फ्रेमवर्क के भीतर किया जाना चाहिए। भारत के शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी की बढ़ती हुई आकांक्षाओं के कारण शहरी स्थानीय निकायों पर और मांगें बढ़ेंगी तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने में समुदाय भागीदारी एक महत्वपूर्ण कारक होगा।

खेल स्टेडियम

1224. श्री डी.बी. चन्द्रे गौड़ा:
श्री एस.आर. जेयदुरई:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेलों (सी.डब्ल्यू.जी.) के आयोजन हेतु पुनरुद्धार किए गए गई स्टेडियम राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के दौरान विभिन्न खेल संघों से खाली करा लिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या उक्त संघों को उक्त स्टेडियम में अपनी खेल गतिविधियां जारी रखने की अनुमति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार राजस्व अर्जित करने के लिए स्टेडियम के कमरे निगमों को किराये पर देने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न खेल संघों से सरकार/भारतीय खेल प्राधिकरण को कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(छ) इन पर क्या कार्रवाई की गयी?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी हां।

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण के निम्न स्टेडियमों को जिन्हें राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के आयोजन के लिए नवीकृत किया गया था उन्हें विभिन्न खेल परिसंघों से खाली करा लिया गया था:

1. जवाहर लाल नेहरु स्टेडियम
2. इंदिरा गांधी स्टेडियम
3. मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम
4. डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर

चूंकि खाली कराये गये स्टेडियमों को राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की तैयारी के लिए स्वीकृत करने हेतु केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) को सौंपा जाना था, इसलिए परिसंघों से स्टेडियम खाली करने के लिए कहा गया था। परिसंघों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के सफल आयोजन के पश्चात, दिल्ली के सभी पांच स्टेडियमों में खेल गतिविधियों हेतु खेल परिसंघों को अनुमति दी जा रही है और वे इन स्टेडियमों में खेल गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रमण्डल खेल हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण के स्टेडियमों के नवीकरण के लिए जिन राष्ट्रीय खेल परिसंघों ने जगह खाली की, उनका ब्यौरा निम्नलिखित है:

1. जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम

क्र.सं.	खेल परिसंघ का नाम
1.	भारतीय ओलंपिक संघ
2.	भारतीय एमेच्योर एथलेटिक परिसंघ
3.	भारतीय घुड़सवारी परिसंघ
4.	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ
5.	भारतीय बालीबाल परिसंघ
6.	भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ
7.	भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी परिसंघ
8.	भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ
9.	भारतीय गोल्फ संघ
10.	भारतीय जूडो परिसंघ
11.	राष्ट्रीय राइफल संघ
12.	भारतीय तीरंदाजी संघ
13.	क्लाइम्बर एवं एक्सपलोरर क्लब
14.	दिल्ली पर्वतारोहण संघ
15.	भारतीय फेंसिंग संघ
16.	अखिल भारतीय पी.एस.यू. खेल नियंत्रण बोर्ड
17.	विशेष ओलंपिक भारत, दिल्ली
18.	भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड
19.	वुशु परिसंघ
20.	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ
21.	भारतीय स्टायल कुश्ती संघ
22.	राष्ट्रीय एडवेंचर फाउंडेशन
23.	बास्केटबाल परिसंघ
24.	नई दिल्ली गोल्फ संघ
25.	विशेष ओलंपिक भारत

2. मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम

क्र.सं.	खेल परिसंघ का नाम
1.	भारतीय हाकी परिसंघ
2.	भारतीय महिला हाकी परिसंघ

3. इंदिरा गांधी स्टेडियम

क्र.सं.	खेल परिसंघ का नाम
1.	कुश्ती परिसंघ
2.	साइक्लींग परिसंघ

4. डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर

क्र.सं.	खेल परिसंघ का नाम
1.	भारतीय पावर लिफ्टिंग संघ
2.	भारतीय रोलर स्केटिंग संघ

[हिन्दी]

दूध का उत्पादन

1225. **श्री गोपीनाथ मुंडे:**
श्री जयवंत गंगाराम आवले:
श्री रेवती रमण सिंह:
श्री पी.सी. मोहन:
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री हमदुल्लाह सईद:
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में दूध के उत्पादन और खपत का ब्यौरा क्या है और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान दूध का कितना उत्पादन किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार दूध का मूल्य कम करने के लिए दूध और दूध उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार दूध के पाउडर के आयात की पूरी तरह से अनुमति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) सरकार ने दूध के उत्पादन को बढ़ाने और दूध के बढ़ते मूल्यों को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं/उठा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में दूध उत्पादन और इसकी खपत इस प्रकार है:

वर्ष	दूध उत्पादन (मि. टन में)	प्रति व्यक्ति खपत# (लीटर प्रति माह)	
		ग्रामीण	शहरी
2008-09	108.6	-	-
2009-10	112.5	4.12	5.36
2010-11	116.2*	-	-

*अनुमानित उपलब्धि

#स्रोत: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) यह सर्वेक्षण पांच वर्ष में एक बार किया जाता है। अंतिम सर्वेक्षण 2009-10 में किया गया था।

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ने वर्ष 2011-12 के लिए अनुमानित दुग्ध उत्पादन को अंतिम रूप नहीं दिया है।

(ख) और (ग) सरकार ने 18 फरवरी, 2011 से दूध पाउडरों (स्किम्ड दूध पाउडर, सम्पूर्ण दूध पाउडर, डेयरी व्हाईटनर और शिशु दूध आहार सहित), केसिन और केसिन उत्पादों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है।

(घ) भारत सरकार की आयात-निर्यात नीति (एक्जिम) के अनुसार मुक्त सामान्य लाइसेंस की श्रेणी के तहत दूध पाउडर का आयात स्वच्छता आवश्यकता के अनुपालन के अधीन है।

(ङ) भारत सरकार देश में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है:

1. राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन योजना
2. सघन डेयरी विकास कार्यक्रम
3. डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना
4. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण
5. चारा और आहार विकास योजना

दूध और दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ाने और इनके मूल्य को स्थिर करने के लिए सरकार ने दूध पाउडरों, केसिन और केसिन उत्पादों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को राज्य दुग्ध परिसंघों और मेट्रो डेरियों द्वारा दूध के पुनर्निर्माण के लिए वर्ष 2011-12 में टेरिफ रेट कोटा के तहत 0% रियायती शुल्क पर 50,000 मि. टन स्किम्ड दूध पाउडर और सम्पूर्ण दूध पाउडर और 15,000 मि. टन बटर, बटर आयल और एनहाईड्रस दुग्ध वसा आयात करने की अनुमति भी दी है।

खाद्यान्न बिजाई वाला क्षेत्र

1226. राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री हरीश चौधरी:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अभी हाल ही में कतिपय खाद्यानों के निवल बिजाई क्षेत्र में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में देश में विभिन्न खाद्यान्नों के राज्य-वार/फसल-वार बिजाई क्षेत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने देश में अधिक क्षेत्र में खाद्यान्नों की बिजाई सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए हैं/किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) 2009-10 के अलावा जो एक सूखा वर्ष था, को छोड़कर हाल के विगत वर्ष में मुख्य खाद्यान्न फसलों के तहत बुआई क्षेत्र में वृद्धि हुई है। विगत तीन वर्षों अर्थात् 2008-09 से 2011-12 तथा मौजूदा वर्ष के दौरान मुख्य खाद्यान्न फसलों के तहत क्षेत्र-व्याप्ति के फसलवार एवं राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) देश में कृषि भूमि में वृद्धि लाने के लिए, भारत सरकार अनेक योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है जैसे (i) वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल सिंचित विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.), (ii) नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ग्रस्त नदियों के केचमेंटों में भू-संरक्षण (आर.वी.पी. तथा एफ.पी.आर.) (iii) क्षारीय तथा अम्लीय मिट्टी के पुनरूधार एवं विकास (आर.ए.डी.ए.एस.) तथा (iv) खेती योग्य क्षेत्रों के रूप में अंतरण करने में जल-सिंचित विकास परियोजना (डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए.)।

इसके अतिरिक्त देश में गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के उपयोग की रोकथाम करने तथा खाद्य सुरक्षा को बरकरार रखने के उद्देश्य से, कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 (एन.पी.एफ.-2007) तैयार की है, जिसमें विचार किया गया है कि अपवाद परिस्थितियों के अलावा कृषि के लिए मुख्य फार्म भूमि को संरक्षित किया जाए, बशर्ते कि एजेंसियां जिनको कि गैर-कृषि परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि प्रदान की गयी है, समतुल्य गैर-उन्नत/बंजर

भूमि के उपचार एवं संपूर्ण विकास के लिए मुआवजा दिया जाए। इसके अतिरिक्त गैर-कृषि परियोजनाओं के लिए, जहां तक संभव हो खेतों के लिए कम जैविकीय क्षमता वाली भूमि को निर्धारित किया जाए तथा उसे आवंटित किया जाए।

इसी प्रकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भू-संसाधन विभाग ने एक राष्ट्रीय पुनर्वास तथा बंदोबस्त नीति, 2007 विकसित किया है जिसमें यह विचार किया गया है कि किसी भी परियोजना के प्रयोजक के साथ न्यूनतम क्षेत्र वाली भूमि को अधिग्रहित किया जाए तथा जहां तक संभव हो, बंजर भूमि, गैर-उन्नत भूमि अथवा गैर-सिंचित भूमि पर परियोजनाएं स्थापित की जाए। परियोजनाओं में गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए कृषि प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण को न्यूनतम पर रखा जाए; ऐसे प्रयोजनों के लिए बहु-फसलयुक्त भूमि को संभवतया टाला जाए; तथा सिंचाई भूमि का अधिग्रहण, यदि टाला नहीं जाता है, तो इसे न्यूनतम पर रखा जाए।

विवरण

2008-09 से 2011-12 के दौरान प्रमुख खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत राज्यवार क्षेत्र

क्षेत्र (000 हेक्टेयर)

राज्य	चावल				गेहूं			कुल मोटे अनाज				कुल दालें				कुल खाद्यान्न			
	2008-09	2009-10	2010-11*	2011-12$	2008-09	2009-10	2010-11*	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12$	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12$	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
आंध्र प्रदेश	4387.0	3441.0	4751.0	2750.0	14.0	10.0	10.0	1270.0	1283.0	1136.0	639.0	1771.0	1932.0	2130.0	713.0	7442.0	6666.0	8027.0	4102.0
अरुणाचल प्रदेश	126.8	151.5	#	#	3.3	3.2	#	65.2	65.0	#	#	8.5	8.9	#	#	203.8	198.6	#	#
असम	2448	2495.8	2313.0	50.1	2138.0	58.4	55.0	22.8	26.1	25.0	25.0	113.7	115.3	116.0	7.0	2670.8	2695.6	2509.0	2170.0
बिहार	3496.0	3213.7	3045.7	3271.9	2158.3	2193.3	2240.9	679.7	662.3	626.1	293.9	585.7	564.9	605.3	80.9	6919.7	6634.2	6518.1	3846.6
छत्तीसगढ़	3734.0	3670.7	3702.5	3704.3	88.9	112.2	110.8	280.6	271.9	152.6	149.5	859.8	808.9	855.5	214.3	4963.3	4863.7	4821.4	4068.1
गोवा	50.0	47.1	#	#	एनए	एनए	एनए	0.3	0.3	#	#	9.9	7.9	#	#	60.2	55.3	#	#
गुजरात	747.0	679.0	761.0	718.0	1091.0	878.0	1289.0	1441.0	1404.0	1353.0	1006.0	784.0	733.0	852.0	572.0	4063.0	3694.0	4255.0	2296.0
हरियाणा	1210.0	1205.0	1245.0	1205.0	2462.0	2492.0	2515.0	755.3	711.0	780.0	619.0	181.8	132.0	177.0	50.0	4609.1	4540.0	4717.0	1874.0
हिमाचल प्रदेश	77.7	76.7	77.1	77.2	360.0	352.5	357.0	328.7	324.5	326.7	304.7	31.0	30.4	29.9	21.1	297.4	784.1	790.7	402.9
जम्मू और कश्मीर	257.6	259.9	261.4	260.6	278.7	288.9	288.9	363.0	357.0	349.4	336.7	30.6	29.7	45.2	27.4	929.9	935.6	944.8	624.7
झारखण्ड	1683.6	995.0	730.7	1637.4	99.9	99.7	101.1	263.7	208.0	226.3	269.8	387.6	315.7	407.0	240.9	2434.8	1618.3	1465.1	2148.2
कर्नाटक	14514.0	1487.0	1490.0	1025.0	269.0	283.0	254.0	3591.0	3706.0	3636.0	2411.0	2087.0	2479.0	2699.0	1351.0	7461.0	7955.0	8079.0	4787.0
केरल	234.3	234.0	213.2	135.0	एनए	एनए	एनए	3.2	2.9	0.9	0.3	7.7	10.3	3.8	1.7	245.2	247.3	217.9	137.0
मध्य प्रदेश	1682.3	1445.7	1602.9	1601.2	3785.2	4275.9	4341.0	1886.0	1797.3	1756.2	1656.0	4559.8	4940.5	5178.0	1128.5	11913.3	12459.4	12878.1	4385.7
महाराष्ट्र	1522.0	1470.0	1519.0	1455.0	1022.0	108.10	1325.0	5791.0	6185.7	5756.0	2782.0	3082.0	3376.0	4070.0	2008.0	11417.0	12112.7	12670.0	6245.0
मणिपुर	168.4	169.4	#	#	एनए	एनए	एनए	4.3	4.8	#	#	12.9	14.5	#	#	185.6	188.7	#	#
मेघालय	108.1	108.2	#	#	0.4	0.4		19.5	19.6	#	#	4.5	4.0	#	#	132.5	132.2	#	#
मिजोरम	52.0	47.2	#	#	एनए	एनए	एनए	9.6	8.5	#	#	4.0	3.9	#	#	65.6	59.6	#	#
नागालैण्ड	173.1	168.6	#	#	1.4	2.0	#	76.4	78.0	#	#	33.0	33.5	#	#	283.9	282.1	#	#

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
उड़ीसा	4454.7	4365.1	4231.1	3497.3	5.3	4.0	3.2	162.5	169.8	211.4	197.5	804.9	867.2	852.2	499.8	5427.4	5406.1	5297.8	4194.6
पंजाब	2735.0	2802.0	2831.0	2750.0	3526.0	3522.0	3512.0	175.1	159.0	149.0	146.0	23.9	20.1	20.4	19.1	6460.0	6503.1	6512.4	2915.1
राजस्थान	133.4	150.7	131.1	111.1	2294.8	2394.2	2479.2	7104.8	7226.0	7702.8	6581.2	3672.5	3501.0	4710.0	3638.6	13205.5	13271.9	15023.2	9330.9
सिक्किम	14.7	13.0	#	#	5.8	5.2	#	46.5	47.0	#	#	12.6	13.2	#	#	79.6	78.4	#	#
तमिलनाडु	1931.8	1845.5	1994.9	1881.6	एनए	एनए	एनए	724.0	652.6	794.1	442.8	536.1	534.7	727.4	190.6	3191.9	3032.8	3516.3	2515.0
त्रिपुरा	242.5	245.5	#	#	0.6	0.7	#	2.1	2.0	#	#	6.1	6.4	#	#	251.3	254.7	#	#
उत्तर प्रदेश	6034.0	5186.7	5670.7	5810.0	9513.0	9668.0	9637.0	1987.2	1926.6	2059.0	1859.0	2223.3	2540.7	2427.0	924.2	19757.5	19393.7	19793.7	8593.2
उत्तराखंड	296.0	294.0	290.0	276.0	398.0	395.0	379.0	2710.0	256.0	256.0	244.0	64.0	64.0	63.0	43.0	1026.0	1009.0	988.0	563.0
पश्चिम बंगाल	5935.7	5630.1	7229.3	4294.9	307.0	315.9	316.8	110.1	114.4	109.6	62.3	182.6	181.9	192.2	61.4	6535.4	6242.3	5347.9	4418.6
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समुह	7.9	8.1	#	#	एनए	एनए	एनए	0.2	0.2	#	#	2.1	2.9	#	#	10.2	11.2	#	#
दादर एवं नगर हवेली	13.6	12.5	#	#	0.6	0.7	#	2.2	2.0	#	#	6.4	5.9	#	#	22.8	21.2	#	#
दिल्ली	7.4	6.8	#	#	17.1	21.3	#	10.5	3.3	#	#	0.3	0.4	#	#	35.3	31.8	#	#
दमन और द्वीव	1.8	2.0	#	#	एनए	एनए	एनए	1.9	0.3	#	#	1.3	1.3	#	#	5.0	3.6	#	#
पुडुचेरी	20.8	20.9	#	#	एनए	एनए	एनए	0.1	0.1	#	#	2.5	2.0	#	#	23.4	23.0	#	#
अन्य	एनए	एनए	970.8	871.5	एनए	एनए	33.4	एनए	एनए	231.1	208.8	एनए	एनए	117.7	47.2	एनए	एनए	1353.1	1127.6
अखिल भारत	45537.4	41918.3	42561.2	39471.1	27752.4	28457.4	29248.3	27449.5	27675.3	27637.4	20234.3	22093.1	23282.3	26278.5	10839.7	122832.4	121333.4	125725.4	70545.1

*19.7.2011 को जारी चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार

$ 14.09.2011 (केवल खरीफ) को जारी पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार

टिप्पणी: रबी फसल के रूप में, गेहूं के उत्पादन अनुमानों को अभी तक जारी नहीं किया गया है।

एनए लागू नहीं

अन्यों में शामिल आंकड़े

[अनुवाद]

अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) की समीक्षा

1227. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री अंजन कुमार एम. यादव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत आवंटित और जारी की गई राजसहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्यों से योजना के अंतर्गत राज्यों को प्रदान की जा रही राज सहायता को बढ़ाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस योजना के अंतर्गत इसके अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (च) यह विभाग समय-समय पर विभिन्न एजेंसियों से अंत्योदय अन्न योजना के क्रियान्वयन सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण का आकलन करवाता रहा है। ऐसे आकलन अध्ययनों से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में शामिल करने/शामिल न करने की त्रुटि, खाद्यान्नों का लीकेज/विपथन आदि जैसी कुछ कमियों/त्रुटियों का पता चला है। ऐसी रिपोर्टें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में पाई गई कमियों को दूर करने

के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने हेतु संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी जाती हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को वितरण करने के लिए अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल और 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं की दर पर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह के हिसाब से खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का आबंटन किया जाता है।

अंत्योदय अन्न योजना सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन भारतीय खाद्य निगम और विकेन्द्रीकृत खरीद योजना वाले राज्यों रिलीज की गई खाद्य राजसहायता राज्य सरकारों द्वारा किए गए खाद्यान्नों के उठान पर निर्भर करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अंत्योदय अन्न योजना के अधीन रिलीज की गई कुल खाद्य राजसहायता निम्नानुसार हैं:

वर्तमान वर्ष के लिए रिलीज की गई राजसहायता के स्कीम-वार ब्यौरे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर तैयार किए जाते हैं।

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	रिलीज की गई खाद्य राजसहायता (अंत्योदय अन्न योजना के परिवार)
2008-09	12615
2009-10	14224
2010-11	14083

पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान (2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12) के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अंत्योदय अन्न योजना की श्रेणी के लिए किए गए खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना के निर्गम मूल्यों पर अंत्योदय अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों के लिए 27 राज्यों में 174 निर्धनतम और पिछड़े जिलों के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी केन्द्रीय सतर्कता समिति की सिफारिशों के अनुसरण में खाद्यान्नों के किए गए अतिरिक्त आबंटन का ब्यौरा विवरण II में दिया गया है।

कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने उन्हें दिए गए अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की लक्षित संख्या से अधिक अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की संख्या में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया है। तथापि, चूंकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उन्हें दिए गए ऐसे परिवारों की संख्या के अंदर अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की संख्या की पहचान करनी होती है इसलिए अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की संख्या बढ़ाने के लिए उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और सुप्रवाही बनाना एक सतत प्रक्रिया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की सूचियों की लगातार समीक्षा करने, उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करने, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने, विभिन्न स्तरों पर मॉनीटरिंग और सतर्कता में सुधार करने तथा विभिन्न स्तरों पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों में कंप्यूटरीकरण जैसी नई प्रौद्योगिकियां लागू करने के लिए नियमित रूप से अनुरोध करती रही है।

विवरण I

पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष (2008-2009, 2009-10, 2010-11 और 2011-2012) में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय अन्न योजना श्रेणी के लिए किया गया खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का आवंटन

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	654.288	654.288	654.288	654.288
2.	अरूणाचल प्रदेश	15.972	15.972	15.972	15.972
3.	असम	295.692	295.692	295.692	295.692
4.	बिहार	1,019.988	1,019.988	1,047.884	1050.420
5.	छत्तीसगढ़	301.944	301.944	301.944	301.944

1	2	3	4	5	6
6.	दिल्ली	63.084	63.084	63.084	63.084
7.	गोवा	6.108	6.108	6.108	6.108
8.	गुजरात	340.080	340.080	340.080	340.080
9.	हरियाणा	122.820	122.820	122.820	122.820
10.	हिमाचल प्रदेश	82.740	82.740	82.740	82.740
11.	जम्मू और कश्मीर	107.388	107.388	107.388	107.388
12.	झारखंड	385.536	385.536	385.527	385.524
13.	कर्नाटक	503.892	503.892	503.892	503.892
14.	केरल	250.260	250.260	250.260	250.260
15.	मध्य प्रदेश	664.260	664.260	664.260	664.260
16.	महाराष्ट्र	1,034.880	1,034.880	1,034.880	1034.880
17.	मणिपुर	26.724	26.724	26.724	26.724
18.	मेघालय	29.484	29.484	29.484	29.484
19.	मिजोरम	10.920	10.920	10.920	10.920
20.	नागालैण्ड	19.968	19.968	19.968	19.968
21.	उड़ीसा	531.120	531.120	531.120	531.120
22.	पंजाब	75.360	75.360	75.360	75.360
23.	राजस्थान	391.488	391.488	391.488	391.488
24.	सिक्किम	6.936	6.936	6.936	6.936
25.	तमिलनाडु	783.144	783.144	783.144	783.144
26.	त्रिपुरा	47.520	47.520	47.520	47.520
27.	उत्तर प्रदेश	1,719.480	1,719.480	1,719.480	1,719.480
28.	उत्तराखंड	63.516	63.516	69.072	80.184
29.	पश्चिम बंगाल	621.684	621.684	621.684	621.684
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.800	1.800	1.800	1.800
31.	चण्डीगढ़	0.822	0.624	0.624	0.624
32.	दादरा और नगर हवेली	2.196	2.196	2.196	2.196
33.	दमन और दीव	0.636	0.636	0.636	0.636
34.	लक्षद्वीप	0.492	0.498	0.504	0.504
35.	पुदुचेरी	13.548	13.548	13.548	13.548
	जोड़	10,195.770	10,195.578	10,229.027	10242.672

विवरण II

अंत्योदय अन्न योजना के निर्गम मूल्यों पर अंत्योदय अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों के लिए 27 राज्यों में 174 निर्धनतम और पिछड़े जिलों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में खाद्यानों का किया गया तदर्थ अतिरिक्त आवंटन

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जोड़
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	44694
2.	अरूणाचल प्रदेश	283
3.	असम	5882
4.	बिहार	158088
5.	छत्तीसगढ़	33429
6.	गुजरात	19748
7.	हरियाणा	2280
8.	हिमाचल प्रदेश	960
9.	जम्मू और कश्मीर	2052
10.	झारखंड	39874
11.	कर्नाटक	12038
12.	केरल	1420
13.	मध्य प्रदेश	74530
14.	महाराष्ट्र	40572
15.	मणिपुर	351
16.	मेघालय	859
17.	मिजोरम	61
18.	नागालैंड	121
19.	उड़ीसा	55189
20.	पंजाब	705
21.	राजस्थान	28292
22.	सिक्किम	23
23.	तमिलनाडु	15701
24.	त्रिपुरा	923
25.	उत्तराखंड	491
26.	उत्तर प्रदेश	121443
27.	पश्चिम बंगाल	99431
	सकल जोड़	759650

किसानों की ऋणग्रस्तता

1228. श्री यशवीर सिंह:
श्रीमती जया प्रदा:
श्री नीरज शेखर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी एक सरकारी एजेंसी की हाल ही की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश में किसानों की लगभग आधी जनसंख्या ऋणग्रस्त है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश और बिहार सहित ऋणग्रस्त किसानों की राज्य-वार संख्या के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में किसानों की ऋणग्रस्तता के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों विशेष रूप से गेहूं और धान की उत्पादन लागत में वृद्धि का प्रतिशत जानने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) किसान परिवारों की ऋणग्रस्तता (एन.एस.एस. 59वां चक्र की एन.एस.एस.ओ. रिपोर्ट 498) पर रिपोर्ट के अनुसार 89.35 मिलियन किसान परिवारों में से 43.42 मिलियन किसान (48.6%) के औपचारिक अथवा अनौपचारिक या दोनों स्रोतों से ऋणग्रस्त होने की सूचना है। उत्तर प्रदेश और बिहार सहित राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया।

(ग) देश में किसानों की ऋणग्रस्तता के लिए की पहचान किए गए मुख्य कारणों में लगातार फसल के न होने, स्वास्थ्य, विवाह और अन्य सामाजिक समारोहों से संबंधित खर्च के साथ जुड़े कृषि व्यवसाय में पूंजी के प्रयोजनों या चालू खर्चों के लिए ऋण आदि हैं।

(घ) और (ङ) भारत सरकार महत्वपूर्ण खाद्य फसलों के उत्पादन की लागत पता करने के लिए मुख्य फसलों की कृषि की लागत पर एक स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम में धान और गेहूं सहित 27 फसल शामिल हैं। इन फसलों को तीन वर्षों की ब्लॉक अवधि के लिए चुना गया है और प्रत्येक राज्य में फसलों के समन्वय में अखिल भारतीय स्तर पर सम्बद्ध फसल के लिए उनके महत्व पर निर्भर करते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य का अन्तर है। पिछले तीन वर्षों अर्थात 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के लिए गेहूं, धान और अन्य खाद्यान्नों के लिए उत्पादन आंकड़ों की लागत संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

प्रत्येक राज्य में ग्रामीण परिवारों तथा कुल और ऋणग्रस्त किसान परिवारों की अनुमानित संख्या

राज्य	ग्रामीण परिवारों की अनुमानित संख्या ('00)	किसान परिवारों की अनुमानित सं. ('00)	ऋणग्रस्त परिवारों की अनुमानित सं. ('00)	ऋणग्रस्त किसान परिवारों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	142512	60339	49493	82.0
अरूणाचल प्रदेश	15412	1227	72	59
असम	41525	25040	4536	18.1
बिहार	116853	70804	23383	33.0
छत्तीसगढ़	36316	27598	11092	40.2
गुजरात	63015	37845	19644	51.9
हरियाणा	31474	19445	10330	53.1
हिमाचल प्रदेश	11922	9061	3030	33.4
जम्मू और कश्मीर	10418	9432	3003	31.8
झारखंड	36930	28238	5893	20.9
कर्नाटक	69908	40413	24897	61.6
केरल	49942	21946	14126	64.4
मध्य प्रदेश	93898	63206	32110	50.8
महाराष्ट्र	118177	65817	36098	54.8
मणिपुर	2685	2146	5	24.8
मेघालय	3401	2543	103	4.1
मिजोरम	942	780	184	23.6
नागालैण्ड	973	805	294	36.5
उड़ीसा	66199	42341	20250	47.8

1	2	3	4	5
पंजाब	29847	18442	12069	65.4
राजस्थान	70172	53080	27828	52.4
सिक्किम	812	531	174	38.8
तमिलनाडु	110182	38880	28954	74.5
त्रिपुरा	5977	2333	1148	49.2
उत्तर प्रदेश	221499	171575	69199	40.3
उत्तरांचल	11959	8962	644	7.2
पश्चिम बंगाल	121667	69226	34696	50.1
संघशासित क्षेत्र समूह	2325	732	372	50.8
अखिल भारत	1478988	893504	434242	48.6

स्रोत: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ द्वारा मई, 2005 में जारी की गई "किसान परिवार की ऋणग्रस्तता" एनएसएस 59 चक्र (जनवरी-दिसम्बर, 2002) पर रिपोर्ट सं. 498

विवरण II

गेहूं, धान और अन्य खाद्यानों के लिए लागत उत्पादन सी 2 (रु./क्विंटल)

फसल	राज्य	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5
गेहूं	बिहार	668.98	609.28	673.44
	छत्तीसगढ़	879.11	962.61	1039.7
	गुजरात	602.91	581.12	717.70
	हरियाणा	588.68	673.46	716.55
	हिमाचल प्रदेश	778.94	866.86	1217.1
	झारखंड	1111.55	1292.45	1391
	मध्य प्रदेश	730.32	779.37	810.25
	महाराष्ट्र	NS	NS	1275.8
	पंजाब	617.11	647.95	804.80
	राजस्थान	568.12	649.77	683.58
	उत्तर प्रदेश	635.89	651.14	769.84
	उत्तराखंड	756.86	806.28	632.98
	पश्चिम बंगाल	996.32	975.17	1204.7

1	2	3	4	5
धान	आंध्र प्रदेश	556.60	638.56	789.90
	असम	852.76	619.81	731.41
	बिहार	518.50	435.48	584.82
	छत्तीसगढ़	524.08	552.74	761.74
	गुजरात	434.21	456.76	624.37
	हरियाणा	609.03	676.86	1021.9
	हिमाचल प्रदेश	704.67	922.45	634.08
	झारखंड	653.85	718.11	865.26
	कर्नाटक	520.29	581.66	737.44
	केरल	717.34	747.73	792.61
	मध्य प्रदेश	694.75	783.31	745.22
	महाराष्ट्र	1007.57	894.01	1413.6
	उड़ीसा	570.35	599.68	715.04
	पंजाब	477.42	505.92	669.86
	तमिलनाडु	634.32	696.79	894.99
	उत्तर प्रदेश	615.41	600.73	732.62
	उत्तराखंड	505.38	527.66	674.05
	पश्चिम बंगाल	625.07	668.34	731.25
ज्वार	आंध्र प्रदेश	897.71	1166.40	1102.37
	कर्नाटक	934.63	956.40	1007.52
	मध्य प्रदेश	724.06	672.98	1123.22
	महाराष्ट्र	667.41	748.90	927.53
	राजस्थान	679.56	850.81	756.72
	तमिलनाडु	766.75	582.93	694.87
बाजरा	गुजरात	595.13	611.09	615.04
	हरियाणा	683.37	678.98	769.59
	कर्नाटक	705.74	657.07	975.04
	महाराष्ट्र	746.84	742.88	1063.65
	राजस्थान	572.40	549.38	668.23
	उत्तर प्रदेश	528.93	537.84	731.21
मक्का	आंध्र प्रदेश	575.65	611.10	840.58
	बिहार	424.62	429.07	404.43

1	2	3	4	5
	छत्तीसगढ़	545.94	494.02	651.33
	गुजरात	1355.65	512.09	593.48
	हिमाचल प्रदेश	560.74	669.95	796.56
	झारखंड	620.70	715.18	एनएस
	कर्नाटक	488.93	465.07	581.69
	मध्य प्रदेश	1169.96	885.37	975.69
	राजस्थान	956.41	690.80	658.77
	तमिलनाडु	610.93	591.15	668.32
	उत्तर प्रदेश	748.33	842.75	1387.36
	उत्तराखंड	787.04	996.10	एनएस
चना	आंध्र प्रदेश	1420.03	1370.16	1559.04
	बिहार	1513.49	1299.76	1042.52
	छत्तीसगढ़	1136.17	1061.68	1417.82
	झारखंड	1470.73	1290.27	1635.06
	हरियाणा	1597.15	3479.70	1967.71
	कर्नाटक	1583.46	1545.75	1619.93
	मध्य प्रदेश	1551.00	1613.49	1551.94
	महाराष्ट्र	1894.80	1614.12	2277.68
	राजस्थान	1247.65	1817.84	1691.66
	उत्तर प्रदेश	1751.12	1820.35	1882.68
अरहर	आंध्र प्रदेश	1924.28	2192.98	3670.54
	बिहार	1839.67	1723.63	1408.75
	गुजरात	1400.62	1136.36	1898.30
	मध्य प्रदेश	1588.03	1569.41	1873.83
	कर्नाटक	1764.12	1682.16	2172.46
	महाराष्ट्र	1956.68	1973.68	2775.80
	उड़ीसा	2577.34	2527.40	2147.67
	तमिलनाडु	2698.20	1314.66	4154.22
	उत्तर प्रदेश	1702.14	1823.22	1941.55
मूंग	आंध्र प्रदेश	2764.12	1604.53	2229
	कर्नाटक	2671.54	2590.88	5777.48
	महाराष्ट्र	3159.29	2424.60	2261.24

1	2	3	4	5
उड़द	आंध्र प्रदेश	1425.52	1454.55	1914.90
	छत्तीसगढ़	2621.70	1468.28	2297.44
	मध्य प्रदेश	2138.84	1939.92	1833.65
	महाराष्ट्र	3249.00	1773.81	3342.29
	उड़ीसा	1894.74	2037.70	2111.87
	राजस्थान	1321.64	2133.35	3579.51
	तमिलनाडु	2330.48	2483.97	2625.29
	उत्तर प्रदेश	1907.16	2304.17	2564.97
रागी	कर्नाटक	802.77	1031.39	1005.02
	महाराष्ट्र	1520.89	2363.69	1963.49
	तमिलनाडु	755.24	5.68.86	1322.00
जौ	राजस्थान	465.16	632.04	580.46
	उत्तर प्रदेश	677.24	659.01	663.54
मसूर	बिहार	1110.52	1206.57	1441.61
	झारखंड	1165.73	1118.89	1213.78
	मध्य प्रदेश	1434.10	1634.73	1980.66
	उत्तर प्रदेश	1735.04	1817.44	2121.35
	पश्चिम बंगाल	NS	NS	2322.51
मटर	मध्य प्रदेश	1220.84	1144.85	1511.37
	उत्तर प्रदेश	1280.01	1357.18	1806.45

नोट: एनएस-फसल का चयन नहीं किया गया एनए-डाटा उपलब्ध नहीं।

शहरों/कस्बों में अवसंरचना

1229. **डॉ. पी. वेणुगोपाल:**
श्री जगदीश सिंह राणा:
श्री सुशील कुमार सिंह:
योगी आदित्यनाथ:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में स्थित शहरों और कस्बों में मूल-भूत सुविधाएं और अवसंरचना प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित उक्त योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले शहरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार पांच लाख की जनसंख्या वाले शहरों/छोटे कस्बों में मूल-भूत सुविधाएं और अवसंरचना प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्र में अवसंरचना विकास हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) को बढ़ावा देने में आ रही बाधाओं की पहचान की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उन पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) का शुभारंभ 3 दिसम्बर, 2005 को किया गया था जिसका उद्देश्य शहरी अवसंरचना, सेवा प्रदाता तंत्रों की क्षमता बढ़ाने, सामुदायिक भागीदारी और नागरिकों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) और पेरास्टेटल एजेंसियों के उत्तरदायित्व पर जोर देते हुए, देश भर में शहरों का सुधार आधारित और तीव्र गति से विकास करना है। 2001 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या पर आधारित 65 शहरों को जे.एन.एन.यू.आर.एम. के शहरी अवस्थापना और शासन (यू.आई.जी.) घटक के तहत शामिल किया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। शेष शहर निधियों की उपलब्धता की शर्त पर छोटे और मझौले शहरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के तहत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ग) और (घ) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. घटक के तहत 5 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले निम्नलिखित 28 शहरों/शहरी समूहों को शामिल करना प्रस्तावित था:

क्र.सं.	राज्य का नाम	कस्बे का नाम
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	गुंटूर
		वारंगल
2.	छत्तीसगढ़	दुर्ग-भिलाई नगर
3.	गुजरात	भावनगर
		जामनगर
4.	कर्नाटक	बेलगांव
		हुबली-धारवाड़
		मंगलोर
5.	केरल	कोझीकोड
6.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर
7.	महाराष्ट्र	अमरावती
		औरंगाबाद
		भिवंडी
		कोल्हापुर
		सोलापुर
8.	उड़ीसा	कटक
9.	पंजाब	जालंधर
10.	राजस्थान	बिकानेर
		जोधपुर
		कोटा
11.	तमिलनाडु	सलेम
		तिरूचिरापल्ली
		तिरूप्पूर
12.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़
		बरेली
		गाजियाबाद
		गोरखपुर
		मुरादाबाद

संसाधनों की कमी के कारण, योजना आयोग और वित्त मंत्रालय जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. घटक के तहत इन शहरों को शामिल करने पर सहमत नहीं हो सके।

(ङ) और (च) जे.एन.एन.यू.आर.एम. जहां उपयुक्त हो, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) व्यवस्थाओं के माध्यम से लक्ष्य परियोजनाओं के विकास, प्रबंधन, कार्यान्वयन और वित्तपोषण में निजी क्षेत्र की क्षमताओं का उपयोग करना है। इस मिशन के तहत विभिन्न सेवाओं के प्रावधान हेतु निजी भागीदारी को बढ़ावा देना राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) द्वारा किये जा रहे मुख्य सुधारों में से एक हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शहरों को बहुत से सुधार करने होंगे जिनका लक्ष्य नगर पालिका शासन और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है। मिशन निदेशालय ने 'जे.एन.एन.यू.आर.एम.' के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी हेतु शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के विश्लेषण हेतु 'टूलकिट' तैयार कर परिचालित किया है। इस टूलकिट में शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) के कर्मचारीगणों के लिए एक सरल/जांच सूची निहित है जिससे वे यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि क्या परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के लिए उपयुक्त है। मिशन निदेशालय ने टूलकिट को परिचालन में लाने के लिए चयनित शहरों को सहायता भी उपलब्ध करायी है।

विवरण

जेएनएनयूआरएम के यूआईजी घटक के अंतर्गत शामिल शहरों की सूची

क्र.सं.	शहर/शहरी समूह	राज्य का नाम	2001 की जनगणना के अनुसार आबादी (लाख में)
1	2	3	4
क. मेगा शहर			
1.	दिल्ली	दिल्ली	128.27
2.	ग्रेटर मुम्बई	महाराष्ट्र	164.34
3.	अहमदाबाद	गुजरात	45.25
4.	बंगलौर	कर्नाटक	57.01
5.	चेन्नई	तमिलनाडु	65.60
6.	कोलकाता	वेस्ट बंगाल	132.06
7.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	57.42
(ख) मिलियन से ज्यादा जनसंख्या वाले शहर			
1.	पटना	बिहार	16.98
2.	फरीदाबाद	हरियाणा	10.56
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश	14.58
4.	लुधियाना	पंजाब	13.98
5.	जयपुर	राजस्थान	23.27
6.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	22.46
7.	मदुरई	तमिलनाडु	12.03
8.	नासिफ	महाराष्ट्र	11.52
9.	पुणे	महाराष्ट्र	37.60
10.	कोचीन	केरल	13.55
11.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	12.04
12.	आगरा	उत्तर प्रदेश	13.31
13.	अमृतसर	पंजाब	10.03
14.	विशाखापट्नम	आंध्र प्रदेश	13.45
15.	बडोदरा	गुजरात	14.91
16.	सूरत	गुजरात	28.11
17.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	27.15
18.	नागपुर	महाराष्ट्र	21.29

1	2	3	4
19.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	14.61
20.	मेरठ	उत्तर प्रदेश	11.61
21.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	10.98
22.	जमशेदपुर	झारखंड	11.04
23.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	10.67
24.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	10.42
25.	विजयवाडा	आंध्र प्रदेश	10.39
26.	राजकोट	गुजरात	10.03
27.	धनबाद	झारखंड	10.65
28.	इन्दौर	मध्य प्रदेश	16.40
(ग) एक मिलियन से कम आबादी वाले चुनिंदा शहर/शहरी समूह (यूए)			
1.	गुवाहाटी	असम	8.19
2.	इटानगर	अरूणाचल प्रदेश	0.35
3.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	6.12
4.	रायपुर	छत्तीसगढ़	7.00
5.	पणजी	गोवा	0.99
6.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	1.45
7.	रांची	झारखंड	8.63
8.	तिरूवनंतपुरम	केरल	8.90
9.	इंफाल	मणिपुर	2.50
10.	शिलॉग	मेघालय	2.68
11.	एजवाल	मिजोरम	2.28
12.	कोहिमा	नागालैंड	0.77
13.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	6.58
14.	गंगटोक	सिक्किम	0.29
15.	अगरतला	त्रिपुरा	1.90
16.	देहरादून	उत्तरांचल	5.30
17.	बोध गया	बिहार	3.94
18.	उज्जैन	मध्य प्रदेश	4.31
19.	पूरी	उड़ीसा	1.57
20.	अजमेर पुष्कर	राजस्थान	5.04

1	2	3	4
21.	नैनीताल	उत्तरांचल	2.20
22.	मैसूर	कर्नाटक	7.99
23.	पुदुचेरी	पुदुचेरी	5.05
24.	चंडीगढ़	पंजाब एंड हरियाणा	8.08
25.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	9.88
26.	मथुरा	उत्तर प्रदेश	3.23
27.	हरिद्वार	उतरांचल	2.21
28.	नान्देड	महाराष्ट्र	4.31
29.	पोरबन्दर	गुजरात	1.58
30.	तिरूपति	आंध्र प्रदेश	2.28

[हिन्दी]

कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषण

1230. श्री राजू शेट्टी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बजट-2011 में घोषित कृषि विकास योजनाओं हेतु आवंटित और उपयोग की गई निधियां का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय स्तर पर कोई नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) पांच नई कृषि विकास स्कीमों-आयल पाम क्षेत्र विस्तार पर विशिष्ट कार्यक्रम (ऑयल पॉम), शहरी कलस्टर के लिए सब्जी पहल (सब्जी कलस्टर) सघन बाजार संवर्धन के माध्यम से पोषकता सुरक्षा के लिए पहल (पोषक अनाज) राष्ट्रीय प्रोटीन आपूर्ति मिशन (प्रोटीन आपूर्ति) और त्वरित चारा विकास कार्यक्रम (ए.एफ.डी.पी.) की घोषणा की गई थी। इसी बजट में 60,000 दलहन गांव स्कीम के संशोधन की घोषणा की गयी थी। इन 6 उप-स्कीमों के लिए निधियों का राज्य-वार आवंटन और निर्मुक्ति संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) इन 6 स्कीमों को प्रोटीन आपूर्ति स्कीम के लिए संबंधित संयुक्त सचिव के कार्यभार के अन्तर्गत प्रभागों को सौंपा गया है सिर्फ प्रोटीन पूरक स्कीम को छोड़कर जो कि पशुपालन विभाग के पास कार्यान्वयन के लिए है:-

क्र.सं.	स्कीमों का नाम	प्रभाग
1.	ऑयल पॉम	तिलहन, दलहन एवं मक्का प्रौद्योगिकी मिशन
2.	सब्जी कलस्टर	बागवानी विभाग
3.	पोषक अनाज	सूखा प्रबंधन प्रभाग
4.	प्रोटीन आपूर्ति	पशु पालन डेयरिंग एवं मात्स्की विभाग
5.	ए.एफ.डी.पी.	वर्षा सिंचित प्रणाली एवं विकास
6.	60,000 दलहन गांव	फसल प्रभाग

विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.स.	राज्य	दलहन गांव		ऑयल पॉम		सब्जी कलस्टर		पोषक अनाज		एएफडीपी		प्रोटीन आपूर्ति	
		आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	25.10	25.10	192.00	192.00	17.00	17.00	11.32	11.32	24.50	24.50	17.75	17.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	3.50	1.75	0.62	0.31	–	–	0.00	–
3.	असम	–	–	–	–	12.00	6.00	–	–	–	–	3.00	1.50
4.	बिहार	10.18	5.00	–	–	12.00	6.00	–	–	24.50	12.25	24.29	12.14
5.	छत्तीसगढ़	11.22	5.61	0.48	0.24	12.00	6.00	10.29	5.12	25.00	4.69	12.38	6.19
6.	गोवा	–	–	–	–	3.50	1.75	–	–	–	–	0.00	–
7.	गुजरात	14.40	7.20	4.80	2.40	12.00	6.00	15.02	7.51	15.00	7.50	14.58	7.29
8.	हरियाणा	–	–	–	–	12.00	6.00	3.47	1.74	15.00	7.50	12.18	6.09
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	12.00	6.00	–	–	–	–	6.68	–
10.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	12.00	6.00	–	–	–	–	0.00	–
11.	झारखंड	–	–	–	–	12.00	6.00	1.16	0.58	–	–	14.88	7.44
12.	कर्नाटक	30.86	15.43	33.60	16.80	17.00	8.50	26.57	13.29	30.00	15.00	18.50	9.25
13.	केरल	–	–	–	–	12.00	6.00	–	–	–	–	6.82	3.41
14.	मध्य प्रदेश	55.48	27.74	–	–	12.00	6.00	21.66	10.83	30.00	15.00	24.82	–
15.	महाराष्ट्र	50.96	25.48	0.96	0.48	17.00	8.50	91.48	45.74	30.00	15.00	24.80	12.40
16.	मणिपुर	–	–	–	–	3.50	1.75	–	–	–	–	0.00	–
17.	मेघालय	–	–	–	–	3.50	1.75	–	–	–	–	3.00	1.50
18.	मिजोरम	–	–	14.80	7.40	3.50	1.75	–	–	–	–	5.00	2.50
19.	नागालैंड	–	–	–	–	3.50	1.75	–	–	–	–	5.00	2.50
20.	ओडिशा	9.90	4.95	17.76	8.88	12.00	6.00	2.95	1.48	–	–	17.72	4.51
21.	पंजाब	–	–	–	–	12.00	6.00	–	–	15.50	7.75	11.70	5.85
22.	राजस्थान	43.22	21.61	–	–	12.00	6.00	87.68	43.84	45.00	22.50	17.81	8.91
23.	सिक्किम	–	–	–	–	3.50	1.75	0.43	0.22	–	–	3.00	1.50
24.	तमिलनाडु	7.32	3.66	33.66	11.71	17.00	8.50	10.79	5.40	15.50	7.75	18.17	9.09
25.	त्रिपुरा	–	–	–	–	3.50	1.75	–	–	–	–	0.00	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26.	उत्तर प्रदेश	38.36	19.18	–	–	12.00	6.00	4.40	2.20	30.00	15.00	27.52	13.76
27.	उत्तराखण्ड	–	–	–	–	12.00	6.00	5.87	2.94	–	–	0.00	–
28.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	17.00	7.69	0.64	0.32	–	–	10.40	5.20
	कुल राज्य	297.00	161.05	298.06	239.91	293.00	154.19	294.35	152.84	300.00	154.44	300.00	138.78

[अनुवाद]

कैंटीन की बिक्री पर कर में छूट

1231. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों (सी.पी.एम.एफ.) ने कैंटीन की बिक्री पर वैट में छूट की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी, हां।

(ख) कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यू.ए.आर.बी.) के अध्यक्ष ने केन्द्रीय पुलिस कैण्टीन (सी.पी.सी.) को मूल्य योजित कर (वैट) से छूट देने के लिए सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा संघराज्य क्षेत्रों को पत्र लिखा है।

माननीय गृह राज्य मंत्री तथा गृह सचिव ने भी केन्द्रीय पुलिस कैण्टीन (सी.पी.सी.) को मूल्य योजित कर (वैट) से छूट के लिए दिनांक 30.09.2011 तथा 02.06.2008 के पत्र के माध्यम से सभी राज्य सरकारों एवं संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों को पत्र लिखा है। अब तक 12 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों, अर्थात बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड, मणिपुर, मेघालय, हरियाणा, राजस्थान, झारखण्ड, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल तथा चण्डीगढ़ ने केन्द्रीय पुलिस कैण्टीनों की बिक्री पर वैट से छूट देने की सहमति प्रदान की है।

[हिन्दी]

ऋण माफी योजना के अंतर्गत सहायता

1232. श्री हुक्मदेव नारायण यादव: क्या **कृषि मंत्री** 22-2-2011 के तारांकित और 30-08-2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या क्रमश: 69 और 4425 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऋण राहत योजना के अंतर्गत किसानों की ओर ऋण की कुल राशि बकाया है, जिसकी ऋण राहत योजना के अंतर्गत माफ किए जाने की घोषणा की गई थी और इससे कितने किसान लाभान्वित हुए तथा कितनी राशि माफ की गई;

(ख) उन किसानों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने आत्महत्या की तथा उनके परिवारों को राज्य-वार दी गई मुआवजा राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों को दिए गए कृषि से संबंधित सहायता-अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न सहायता-अनुदान योजनाओं के स्थान पर प्रति एकड़ के आधार पर किसानों को नकद दिए जाने वाले कृषि विकास सहायता अनुदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) केन्द्रीय बजट 2008-09 में कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम की घोषणा की गई जिसमें किसानों के लिए माफी दिए जाने वाले अतिदेय ऋण का कुल मूल्य का अनुमानित 50,000 करोड़ रु. था तथा अतिदेय कारणों पर एक बारगी भुगतान के लिए 10,000 करोड़ रु. अनुमानित था। अब तक स्कीम के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के सम्बंध ने 104 लाख कृषि ऋण खातों को लाभान्वित किया गया है और ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों के सम्बंध में 189.25 लाख ऋण खाते लाभान्वित किए गए हैं। भारत सरकार ने अब तक अग्रणी संस्थाओं को स्कीम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति के रूप में 52519.88 करोड़ रु. की राशि जारी की है।

(ख) उन किसानों जिन्होंने आत्महत्या की, का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र

राज्य सरकारों को एक लाख रु. और केरल सरकार को 50 हजार रु. की अनुग्रह राशि उन किसानों के सम्बंधियों को दी गई है।

कुछ राज्य सरकारों द्वारा ऐसे परिवारों को राज सहायता प्राप्त/मुफ्त शिक्षा सुविधा, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा भी दी जाती है। राज्य सरकारों ने उन किसानों, जिन्होंने आत्महत्याएं की हैं, के परिवार को आजीविका सहायता देने के लिए उपाय भी किए हैं।

(ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा अनेक स्कीमों के अन्तर्गत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों और राज्यों को पूंजी सम्पदा के सृजन के लिए सामान्य और अनुदान सहायता दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के लिए ब्यौरा निम्नानुसार दिया गया है:-

(करोड़ रुपये)

वर्ष	अनुदान सहायता (सामान्य)	अनुदान सहायता (पूंजी सहायता)
2008-09	8418.69	0.00
2009-10	9123.26	0.00
2010-11	13450.93	88.74
2011-12 (सितंबर, 2011)	8212.37	10.54

यह विभाग राज्यवार सूचना का रख रखाव नहीं करता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्यों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 2006 से कृषि कारणों से किसानों की आत्महत्या

क्र.स	राज्य/संघ शासित प्रदेशों का नाम	अवधि (रिपोर्ट की तारीख)	राज्य सरकारों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार कृषि कारणों से किसानों द्वारा आत्महत्या की सं.
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2006	556
		2007	493
		2008	469
		2009	296
		2010	152
		2011	42
2.	कर्नाटक	2006-07	176
		2007-08	182
		2008-09	156
		2009-10	138
		2010-11	77
3.	महाराष्ट्र	2006	1033
		2007	801
		2008	735
		2009	550
		2010	454
		2011	123
4.	केरल	2006	112
		2007	68
		2008	11
		2009	शून्य
		2010	शून्य
		2011	शून्य
5.	तमिलनाडु	2006	01
		2007	01
		2008	शून्य
		2009	शून्य
		2010	शून्य
6.	पंजाब	2006	19
		2007	24
		2008	12
		2009	15
		2010	04

कृषि शिक्षा का मूल्यांकन

1233. श्री मकन सिंह सोलंकी:
श्री भूदेव चौधरी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्यानों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए देश में कृषि शिक्षा का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश सहित पिछड़े क्षेत्रों में कृषि कालेज/अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करने और देश में अधिक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी हां।

(ख) देश में कृषि शिक्षा का नियमित मूल्यांकन कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की वार्षिक बैठकों में आधिकारिक मान्यता, कृषि विश्वविद्यालयों के अधिष्ठताओं की बैठकों में तथा अन्य स्टेक होल्डरों से परामर्श करके दिया जाता है।

(ग) कृषि तथा कृषि शिक्षा राज्य का विषय होने के कारण, राज्यों में कृषि महाविद्यालयों की स्थापना संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

(घ) विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है जिसके अधिकार क्षेत्र में मध्य प्रदेश के भी 6 जिले होंगे।

[अनुवाद]

कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.)

1234. श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः
श्री संजय भोईः
श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः
श्री हंसराज गं. अहीरः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान कपास का अनुमानित उत्पादन कितना है;

(ख) क्या कपास की उच्च उत्पादन लागत के दृष्टिगत इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में कपास की मांग में कमी आ रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या कपास की कम मांग का कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) 14.09.2011 को जारी 2011-12 के लिए पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, देश में कपास का कुल उत्पादन 36.10 मिलियन गांठें (प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम) तक अनुमानित है।

(ख) और (ग) मध्यम स्टेप्ल कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2010-11 में 2500 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2011-12 में 2800 रुपए प्रति क्विंटल तक हो गया है। लम्बे स्टेप्ल कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 3000 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 3300 रुपए प्रति क्विंटल तक हो गया है।

(घ) और (ङ) कपास परामर्शी बोर्ड (सी.ए.बी.) के मूल्यांकन के अनुसार, 2011-12 के लिए कपास की कुल मांग विगत वर्ष अर्थात 2010-11 के लिए 253 लाख गांठों की तुलना में 250 लाख गांठों तक मामूली रूप से कम होने का अनुमान है। मांग का कम अनुमान घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धीमी गति के कारण है। घरेलू बाजार में कपास की मांग मामूली है तथा खरीददारी कम है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा यूरोप में कम कपड़ा नौभार ने उत्पादन में लगभग 10% की कटौती करने के लिए घरेलू कपड़ा उद्योग को बाध्य किया है।

(च) और (छ) सरकार नामित केन्द्रीय, राज्य एवं सहकारी एजेंसियों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास का प्रापण करने का प्रस्ताव करती है तथापि किसान उच्चतर मूल्य पर उस समय अपने उत्पादों को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं जब बाजार में बेहतर मुनाफा मिलता है।

शहरी क्षेत्रों में गरीबी

1235. **श्री पी. करूणाकरन:**
श्री राकेश सिंह:
श्री जगदीश सिंह राणा:
श्री कादिर राणा:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के महानगरों और शहरी क्षेत्रों में निर्धनों/गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की पहचान करने हेतु दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है और ऐसे क्षेत्रों में रह रहे ऐसे परिवारों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने देश में निर्धन व्यक्तियों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो मानव विकास रिपोर्ट, 2011 के बहु-निर्धनता सूचकांक के अनुसार निर्धन व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे परिवारों के लाभार्थ विभिन्न योजनाओं और उनके अंतर्गत आरंभ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में किए गए आवंटन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की पहचान करने के लिए भारत सरकार ने जून, 2011 में संयुक्त ग्रामीण-शहरी सामाजिक-आर्थिक तथा जाति आधारित जनगणना शुरू की है। शहरी सामाजिक-आर्थिक तथा जाति आधारित जनगणना करने के लिए तैयार की गई प्रश्नावली में उत्तर देने वाले शहरी व्यक्तियों से संवेदनशील तीन संकेतकों—रिहायशी, व्यवसायिक और सामाजिक के बारे में सूचना देना शामिल है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों ने भारत सरकार के वित्तीय और तकनीकी सहयोग से सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एस.ई.सी.सी.) पहले ही शुरू कर दी है।

(ख) से (घ) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे शहरी गरीबों को स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करके, कौशल प्रशिक्षण देकर तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए उनके श्रम का उपयोग करके मजदूरी रोजगार मुहैया कराकर शहरी बेरोजगार और अल्प रोजगार गरीबों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है। वर्ष 2005 से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम घटक) का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों, विशेष रूप से स्लम वासियों को बुनियादी सुविधाएं और किफायती आवास मुहैया कराना है।

सरकार ने स्लम वासियों और शहरी गरीबों के लिए दिनांक 02.06.2011 से राजीव आवास योजना (रे) नामक एक नई स्कीम शुरू की है। इस स्कीम का उद्देश्य उन राज्यों को सहायता मुहैया कराना है, जो स्लम वासियों को सम्पत्ति का अधिकार देने के इच्छुक हैं।

एस.जे.एस.आर.वाई. और जे.एन.एन.यू.आर.एम. के संबंध में पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान किया गया राज्य-वार आबंटन का ब्यौरा क्रमशः विवरण I और II में दिया गया है।

विवरण I

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना एसजेएसआरवाई के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान आबंटित और जारी राज्य-वार केन्द्रीय धनराशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	3115.78	4327.22	3390.53	3390.53	3790.43	5226.02	4827.60	2413.80
2.	अरूणाचल प्रदेश	222.53	0.00	207.85	103.93	201.79	201.79	259.97	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	आसाम	2956.8	2947.90	2956.05	1478.03	2869.96	2869.96	3274.79	0.00
4.	बिहार	1855.09	1980.98	1790.24	895.12	2001.40	2001.40	3158.72	1579.36
5.	छत्तीसगढ़	1122.37	637.36	1075.14	881.30	1201.95	1201.95	1342.71	671.35
6.	गोवा	110.94	0.00	90.56	0.00	101.24	0.00	115.29	0.00
7.	गुजरात	1450.38	1548.80	1501.44	1501.44	1678.53	1928.53	3843.37	0.00
8.	हरियाणा	547.14	1334.27	585.34	585.34	654.37	654.37	1597.70	798.85
9.	हिमाचल प्रदेश	11.64	12.43	12.15	12.15	50.00	50.00	109.54	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	160.24	0.00	120.93	0.00	135.21	135.21	293.30	146.65
11.	झारखंड	727.93	0.00	728.91	0.00	814.88	814.88	1627.99	0.00
12.	कर्नाटक	3648.54	4896.14	3524.71	3524.71	3940.4	5376.04	4874.28	2437.14
13.	केरल	953.22	1017.91	948.13	948.13	1059.96	474.03	1376.53	688.28
14.	मध्य प्रदेश	4722.97	5043.8	4087.96	4087.96	4570.13	5914.80	5719.08	2859.54
15.	महाराष्ट्र	8998.1	9808.72	8075.96	8075.96	9028.52	10464.11	10304.04	0.00
16.	मणिपुर	445.06	445.71	461.88	461.88	448.43	448.43	799.30	0.00
17.	मेघालय	381.48	190.74	369.51	0.00	358.74	0.00	469.49	0.00
18.	मिजोरम	349.7	350.20	369.51	369.51	358.74	641.66	358.74	0.00
19.	नागालैंड	286.11	286.53	277.13	277.13	269.06	419.06	269.06	134.53
20.	उड़ीसा	1664.03	1776.95	1476.59	1476.59	1650.75	1650.75	2083.28	0.00
21.	पंजाब	241.04	120.52	358.93	0.00	401.27	0.00	2275.11	1137.55
22.	राजस्थान	2773.39	1574.91	2623.52	1311.76	2932.96	2932.96	4187.60	0.00
23.	सिक्किम	63.58	63.67	46.19	46.19	44.84	194.84	44.84	22.50
24.	तमिलनाडु	4012.17	4284.44	3817.38	3817.38	4267.63	4267.63	6346.09	3173.05
25.	त्रिपुरा	445.06	248.84	461.88	0.00	448.43	224.25	523.81	0.00
26.	उत्तरांचल	530.71	566.72	488.70	488.70	546.34	546.34	583.96	2291.98
27.	उत्तर प्रदेश	6880.05	8846.94	6462.43	6462.43	7224.67	7224.67	11119.01	5559.50
28.	पश्चिम बंगाल	1824.27	1948.07	1940.44	1940.44	2169.31	2169.31	5764.81	2882.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	43.55	0.00	37.50	0.00	37.50	18.75	23.34	11.67
30.	चंडीगढ़	58.06	0.00	78.52	0.00	78.52	39.26	147.13	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	25.81	0.00	17.58	17.58	17.58	8.79	17.30	0.00
32.	दमन और दीव	22.58	0.00	16.41	0.00	16.41	0.00	12.23	0.00
33.	दिल्ली	92.2	0.00	93.34	0.00	200.00	0.00	350.00	0.00
34.	पुदुचेरी	7.8	7.80	6.66	6.66	50.00	50.00	150.00	75.00
	कुल	50750.00	54067.25	48500.00	42160.85	53620.00	58149.79	78250.01	24883.14

विवरण II

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (बीएसयूपी और आईएचएसडीपी) के अंतर्गत राज्य-वार एवं वर्ष-वार आबंटित और जारी धनराशि

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09				2009-10				2010-11				2011-12			
		शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)		एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)		शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)		एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)		शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)		एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)		शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)		एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	
		अनुमोदित एसीए	जारी एसीए	अनुमोदित एसीए	जारी एसीए	अनुमोदित एसीए	जारी एसीए	अनुमोदित एसीए	जारी एसीए	अनुमोदित एसीए	जारी एसीए	अनुमोदित एसीए	जारी एसीए	अनुमोदित एसीए	जारी एसीए	अनुमोदित एसीए	जारी एसीए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	650.50	211.57	271.98	48.11	0.00	240.111	0.00	1115.04	0.00	308.113	0.00	114.18	0.00	14.85	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	40.511	0.00	0.00	0.00	10.111	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	49.04	0.00	23.37	7.311	0.00	24.40	13.73	11.17	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	133.22	33.30	14.21	32.10	0.00	0.00	31.51	0.00	0.00	0.00	67.40	111.28	0.00	0.00	0.00	24.11
5.	छत्तीसगढ़	23.03	0.00	38.82	0.00	211.78	83.[illegible]	0.00	43.57	0.00	7.44	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	78.74	175.34	73.23	33.14	103.22	137.25	17.13	13.1111	12.411	158.44	0.00	8.41	130.88	2.34	0.00	5.40
8.	हरियाणा	0.00	15.59	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	13.37	0.00	7.80	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	8.20
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	20.18	8.311	0.00	0.00	0.00	10.44	0.00	0.00	11.71	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	49.56	7.47	34.51	13.80	0.00	4.92	17.85	9.61	0.00	3.19	29.72	5.36	0.00	0.00	0.00	22.33
11.	झारखंड	118.68	9.67	72.40	33.33	0.00	1.10	0.00	0.00	77.15	37.41	43.35	13.94	0.00	0.00	0.00	10.60
12.	कर्नाटक	135.00	21.88	76.93	0.00	0.00	74.37	0.00	38.46	0.00	49.97	0.00	37.84	0.00	35.01	0.00	46.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.	केरल	31.18	0.00	42.18	47.82	0.00	24.00	55.29	8.24	0.00	50.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मध्या प्रदेश	87.59	17.80	21.88	10.94	0.00	51.63	28.87	12.46	0.00	56.65	16.78	6.77	0.00	12.80	10.96	18.26
15.	महाराष्ट्र	705.34	436.41	772.57	386.79	467.99	232.55	20.111	92.29	0.00	23.87	0.00	84.06	86.25	49.81	326.21	9.22
16.	मणिपुर	43.91	0.00	8.33	8.18	0.00	10.118	11.67	4.411	0.00	0.00	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00	10.35
17.	मेघालय	16.58	0.00	13.46	3.58	0.00	10.09	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	51.20	0.00	23.57	3.77	0.00	12.80	0.00	11.12	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	9.58
19.	नागालैंड	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	7.85	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	5.41	1.35	123.30	55.34	0.00	0.00	9.45	17.91	0.00	9.95	5.42	4.73	0.00	0.00	0.00	6.83
21.	पंजाब	0.00	0.00	8.22	3.54	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00	9.04	99.76	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	0.00	0.00	52.10	40.24	0.00	0.00	45.93	43.94	88.11	43.17	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56	17.92	8.96	0.00	1.96	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	94.44	57.84	184.17	77.38	0.00	126.73	18.74	90.85	0.00	162.36	0.00	10.92	0.00	43.30	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	3.49	17.60	0.00	0.00	6.98	14.11	19.02	0.00	0.00	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तरांचल	9.93	3.20	0.00	0.00	31.32	0.00	81.66	26.99	0.00	10.61	0.00	16.84	0.00	1.29	0.00	7.78
27.	उत्तर प्रदेश	937.76	235.51	509.10	256.50	0.00	11.14	100.62	18.50	5.40	284.49	111.76	198.20	4.80	54.03	33.70	99.52
28.	पश्चिम बंगाल	440.87	211.13	297.60	227.41	0.00	87.84	0.16	72.14	355.11	150.33	0.00	34.15	0.00	159.46	0.00	76.12
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	94.03	0.00	0.00	0.00	89.91	0.00	0.00	0.00	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	52.80	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.88	183.69	0.00	0.00	227.82	0.00	0.00	0.00
34.	पुदेचुरी	0.00	0.00	0.00	0.96	50.89	13.78	0.00	0.43	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	3781.62	1582.50	2793.01	1296.21	689.20	1331.73	501.32	780.72	1432.20	11120.15	141.110	8711.95	449.73	455.411	370.17	354.11

[हिन्दी]

निर्धनों हेतु खाद्यान्नों का आवंटन

1236. श्री जगदानंद सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जनसंख्या के चिन्हित वर्गों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न मुहैया कराती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों के आवंटन और उठान का राज्य-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चिन्हित वर्गों के अतिरिक्त जनसंख्या के अन्य निर्धन वर्गों को भी खाद्यान्न मुहैया कराने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अपेक्षित खाद्यान्नों की अतिरिक्त मात्र क्या है और उक्त योजना पर कितना वार्षिक व्यय किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) लक्षित वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन देश में 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित 6.52 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की समस्त स्वीकृत संख्या के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर किया जाता है। 11.52 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आवंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक की उपलब्धता और विगत के उठान पर निर्भर करते हुए किया जाता है। फिलहाल विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्नों का आवंटन 15 किलोग्राम और 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की रेंज में है। गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को उच्च राजसहायता प्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर आवंटन किए जाते हैं जो निम्नानुसार है:-

(रुपए प्रति कि.ग्रा.)

जिंस	अंत्योदय अन्न योजना	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर
गेहूं	2.00	4.15	6.10
चावल	3.00	5.65	सामान्य-7.95 ग्रेड 'ए' 8.30

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणियों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के आवंटन और उठान का ब्यौरा संलग्न विवरण I से IV में दिया गया है।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए अनुरोध और केन्द्रीय पूल में स्टॉक की उपलब्धता को ध्यान में रखकर सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए वर्ष 2009-10, 2010-2011 और 2011-12 के दौरान निम्नानुसार अतिरिक्त आवंटन किए हैं:-

2009-10

I. दो माह के लिए अंत्योदय अन्न योजना/गरीबी रेखा से नीचे/गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु वितरण करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आधारित/से निकाले गए मूल्यों पर जनवरी, 2010 में 36.08 लाख टन खाद्यान्न।

2010-11

II. 8.45 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 11.85 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की दर पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना/गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए मई, 2010 में 30.66 लाख टन खाद्यान।

III. उन 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जहां यह आवंटन 15 किलोग्राम से कम था वहां गरीबी रेखा से ऊपर के मूल्यों पर गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए न्यूनतम 15 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह आवंटन सुनिश्चित करने के लिए अगस्त, 2010 में 27.41 लाख टन खाद्यान।

IV. 4 पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और दो पहाड़ी राज्यों, जहां यह मात्रा 35 किलोग्राम से कम थी, वहां गरीबी रेखा से ऊपर के मूल्यों पर गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह सुनिश्चित करने के लिए अगस्त, 2010 में 3.65 लाख टन खाद्यान्न।

V. सितम्बर, 2010 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 25.00 लाख टन खाद्यान्न और जनवरी, 2011 में 25 लाख टन खाद्यान्न।

VI. 8.45 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 11.85 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की दर पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए जनवरी, 2011 में 25.00 लाख टन खाद्यान्न।

2011-12

VII. मई, 2011 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 50.00 लाख टन खाद्यान्न।

VIII. 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए गरीबी रेखा से ऊपर के मूल्यों पर 50 लाख टन आवंटन जिससे जून, 2011 से वहां प्रति परिवार प्रति महीना आवंटन बढ़कर 15 किलोग्राम हो गया और 4 पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और हिमाचल

प्रदेश और उत्तराखंड के दो पहाड़ी राज्यों, जहां यह मात्रा 35 किलोग्राम से कम थी, वहां इसे बढ़ाकर 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त आवंटनों के अलावा सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 27 राज्यों 174 निर्धनतम और पिछड़े जिलों में गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को जुलाई से अक्तूबर, 2011 के दौरान 23.67 लाख टन खाद्यान्नों का अतिरिक्त आवंटन किया है। इसमें अंत्योदय अन्न योजना मूल्यों पर अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को वितरण के लिए 7.59 लाख टन खाद्यान्न और गरीबी रेखा से नीचे मूल्यों पर गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को 16.08 लाख टन खाद्यान्न का आवंटन शामिल है और इस पर 3012.57 करोड़ की अनुमानित राजसहायता खर्च होगी।

विवरण-I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2008-2009 के लिए खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान			
		गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़	गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1,052.088	654.288	1,871.306	3577.682	1035.857	644.569	1852.54	3532.766
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.524	15.972	60.060	101.556	25.309	15.86	49.889	91.058
3.	असम	475.224	295.692	635.340	1406.256	473.79	295.009	632.043	1400.842
4.	बिहार	1,719.804	1,019.988	218.330	2958.122	738.978	772.495	17.729	1529.022
5.	छत्तीसगढ़	485.688	301.944	150.066	937.698	472.694	301.944	31.117	805.755
6.	दिल्ली	108.696	63.084	420.768	592.548	88.359	53.161	420.295	561.815
7.	गोवा	5.460	6.108	24.787	36.355	5.46	5.356	23.142	33.958
8.	गुजरात	486.469	340.080	215.491	1042.04	445.348	340.753	70.865	856.966
9.	हरियाणा	208.572	122.820	272.101	603.493	197.589	112.235	77.792	387.616
10.	हिमाचल प्रदेश	133.140	82.740	247.296	463.176	125.083	83.703	251.615	460.401
11.	जम्मू और कश्मीर	201.696	107.388	467.720	776.804	204.558	111.223	454.501	770.282
12.	झारखंड	619.956	385.536	60.438	1065.93	505.608	367.101	10.654	883.363
13.	कर्नाटक	798.864	503.892	730.586	2033.342	799.817	503.729	647.726	1951.272
14.	केरल	402.348	250.260	511.996	1164.604	402.458	250.585	467.888	1120.931
15.	मध्य प्रदेश	1,068.216	664.260	353.207	2085.683	1147.915	655.125	182.422	1985.462
16.	महाराष्ट्र	1,709.424	1,034.880	421.481	3165.785	1545.76	902.623	258.555	2706.938
17.	मणिपुर	43.008	26.724	36.684	106.416	37.272	22.905	37.861	98.038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	मेघालय	47.376	29.484	67.416	144.276	48.021	29.739	67.973	145.733
19.	मिजोरम	17.640	10.920	54.348	82.908	15.44	10.07	49.788	75.298
20.	नागालैंड	32.112	19.968	74.796	126.876	34.375	21.246	83.423	139.044
21.	उड़ीसा	1,165.572	531.120	170.091	1866.783	1159.265	531.95	135.127	1826.342
22.	पंजाब	121.176	75.360	466.384	662.92	104.231	46.533	354.574	505.338
23.	राजस्थान	629.532	391.488	343.604	1364.624	614.179	377.563	289.057	1280.799
24.	सिक्किम	11.304	6.936	25.980	44.22	12.123	6.936	25.54	44.599
25.	तमिलनाडु	1,259.232	783.144	1,640.456	3682.832	1349.833	827.174	1629.144	3806.151
26.	त्रिपुरा	76.380	47.520	151.104	275.004	77.797	48.879	141.336	268.012
27.	उत्तर प्रदेश	2,765.700	1,719.480	440.674	4925.854	2456.513	1608.775	190.049	4255.337
28.	उत्तराखंड	145.656	63.516	153.080	362.252	125.746	55.065	127.307	308.118
29.	पश्चिम बंगाल	1,553.580	621.684	856.678	3031.942	1381.671	512.809	824.037	2718.517
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.040	1.800	22.501	39.341	4.01	1.449	10.92	16.379
31.	चंडीगढ़	3.006	0.822	1.800	5.628	2.984	0.526	0	3.51
32.	दादर और नगर हवेली	4.524	2.196	1.434	8.154	4.524	2.196	1.368	8.088
33.	दमन और दीव	1.044	0.636	0.690	2.37	0.235	0.1	0.088	0.423
34.	लक्षद्वीप	0.756	0.492	3.360	4.608	0.756	0.492	2.455	3.703
35.	पुड्डुचेरी	21.564	13.548	3.237	38.349	12.605	4.759	1.564	18.928
	जोड़	17,405.371	10,195.770	11.175.290	38,776.431	15,655.783	9,524.637	9,420.384	34,600.804

विवरण-II

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2009-2010 के लिए खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान			
		गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़	गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1,052.088	654.288	2,177.874	3884.25	1025.602	624.841	1876.249	3526.692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.524	15.972	60.060	101.556	24.646	15.515	59.377	99.538
3.	असम	475.224	295.692	715.050	1485.966	472.792	294.94	632.501	1400.233
4.	बिहार	1,719.804	1,019.988	697.689	3437.481	1128.744	917.645	227.625	2274.014
5.	छत्तीसगढ़	485.688	301.944	304.320	1091.952	438.38	297.851	224.667	1005.898
6.	दिल्ली	108.696	63.084	420.768	592.548	83.294	51.464	442.517	577.275
7.	गोवा	5.460	6.108	35.140	46.708	5.461	5.584	34.263	45.308
8.	गुजरात	481.968	340.080	796.440	1618.488	436.233	309.727	279.504	1025.464
9.	हरियाणा	208.572	122.820	649.080	980.472	194.958	111.564	195.149	501.671
10.	हिमाचल प्रदेश	133.140	82.740	281.586	497.466	125.307	81.899	254.606	461.812
11.	जम्मू और कश्मीर	201.696	107.388	467.720	756.804	198.378	100.636	459.84	758.854
12.	झारखंड	619.956	385.536	306.300	1311.792	585.276	377.555	75.449	1038.28
13.	कर्नाटक	810.384	503.892	853.216	2167.492	823.56	512.891	755.741	2092.192
14.	केरल	402.348	250.260	648.996	1301.604	402.435	249.106	581.902	1233.443
15.	मध्य प्रदेश	1,068.216	664.260	1,298.394	3030.87	1326.159	743.101	884.166	2953.426
16.	महाराष्ट्र	1,709.424	1,034.880	1,765.055	4509.359	1600.574	953.669	1021.774	3576.017
17.	मणिपुर	43.008	26.724	47,414	117.146	48.228	28.787	45.089	122.104
18.	मेघालय	47.376	29.484	70.416	147.276	46.972	29.263	69.08	145.315
19.	मिजोरम	17.640	10.920	54.348	82.908	16.14	9.62	49.915	75.675
20.	नागालैंड	32.112	19.968	77.466	129.546	34.807	22.638	77.087	134.532
21.	उड़ीसा	1,165.572	531.120	419.160	2115.852	1166.1	536.384	378.217	2080.701
22.	पंजाब	121.176	75.360	1,017.384	1213.92	112.253	50.17	825.103	987.526
23.	राजस्थान	629.532	391.488	924.444	1945.464	627.407	384.712	907.216	1919.335
24.	सिक्किम	11.304	6.936	25.980	44.22	11.301	7	25.905	44.206
25.	तमिलनाडु	1,259.232	783.144	1,725.456	3767.832	1214.759	781.254	1955.099	3951.112
26.	त्रिपुरा	76.380	47.520	178.104	302.004	73.998	48.243	156.935	279.176
27.	उत्तर प्रदेश	2,765.700	1,719.480	2,554.714	7039.894	2633.109	1664.269	2157.635	6455.013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	उत्तराखंड	145.656	63.516	226.830	436.002	147.666	62.885	197.921	408.472
29.	पश्चिम बंगाल	1,553.580	621.684	1,141.280	3316.544	1469.782	509.152	1166.359	3145.293
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.115	1.800	25.044	31.959	3.012	1.352	14.125	18.489
31.	चंडीगढ़	3.572	0.624	21.600	25.796	3.445	0.194	21.637	25.276
32.	दादर और नगर हवेली	4.524	2.196	2.160	8.88	1.508	0.732	0.733	2.973
33.	दमन और दीव	1.044	0.636	2.640	4.32	0.489	0.268	0.589	1.346
34.	लक्षद्वीप	0.756	0.498	3.360	4.614	0.756	0.504	2.447	3.707
35.	पुड्डुचेरी	21.564	13.548	18.600	53.712	16.893	8.943	6.481	32.317
	जोड़	17,413.031	10,195.578	19,994.088	47,602.697	16,545.424	9,794.358	16,062.903	42,402.685

विवरण-III

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2010-2011 के लिए खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान			
		गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़	गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1,052.088	654.288	1,970.104	3,676.480	1,047.270	651.972	1,733.895	3,433.137
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.524	15.972	60.060	101.556	22.021	13.258	49.744	85.023
3.	असम	475.224	295.692	902.210	1,673.126	467.054	292.276	832.311	1,591.641
4.	बिहार	1,691.908	1,047.884	803.400	3,543.192	1,578.663	990.201	400.290	2,969.154
5.	छत्तीसगढ़	485.688	301.944	380.400	1,168.032	488.845	290.276	355.986	1,135.107
6.	दिल्ली	108.696	63.084	423.954	595.734	102.430	47.692	456.781	607.303
7.	गोवा	5.460	6.108	57.183	68.751	5.766	6.007	42.031	53.804
8.	गुजरात	550.368	340.080	995.550	1,885.998	566.836	329.707	636.337	1,532.880
9.	हरियाणा	208.572	122.820	353.850	685.242	208.278	119.619	285.200	613.097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	हिमाचल प्रदेश	133.140	82.740	293.108	508.988	119.519	82.488	284.455	486.462
11.	जम्मू और कश्मीर	201.696	107.388	448.020	757.104	199.466	106.211	443.438	749.115
12.	झारखंड	619.956	385.527	313.920	1,319.412	568.567	361.799	102.381	1,032.747
13.	कर्नाटक	810.384	503.892	946.200	2,260.476	820.164	455.472	856.404	2,132.040
14.	केरल	402.348	250.260	747.038	1,399.646	410.892	256.364	705.901	1,373.157
15.	मध्य प्रदेश	1,068.216	664.260	877.978	2,610.454	1,321.076	593.133	793.651	2,707.860
16.	महाराष्ट्र	1,709.424	1,034.880	1,765.108	4,490.412	1,657.242	943.946	1,085.981	3,687.169
17.	मणिपुर	43.008	26.724	72.112	141.844	25.881	17.699	27.629	71.209
18.	मेघालय	47.376	29.484	106.068	182.928	45.893	29.024	81.688	156.605
19.	मिजोरम	17.640	10.920	41.580	70.140	16.439	9.938	38.125	64.502
20.	नागालैंड	32.112	19.968	74.796	126.876	34.868	20.826	82.432	138.126
21.	उड़ीसा	1,165.572	531.120	525.096	2,221.788	1,118.944	520.996	412.149	2,052.089
22.	पंजाब	121.176	75.360	589.812	786.348	114.963	51.853	513.891	680.707
23.	राजस्थान	629.532	391.488	1,016.108	2,037.128	635.059	384.787	917.997	1,937.843
24.	सिक्किम	11.304	6.936	26.010	44.250	10.490	6.451	26.059	43.000
25.	तमिलनाडु	1,259.232	783.144	1,680.456	3,722.832	1,253.445	775.561	1,669.120	3,698.126
26.	त्रिपुरा	76.380	47.520	178.722	302.622	72.264	45.016	131.740	249.020
27.	उत्तर प्रदेश	2,765.700	1,719.480	2,463.768	6,948.948	2,816.831	1,679.267	2,059.855	6,555.953
28.	उत्तराखंड	140.100	69.072	264.950	474.122	153.828	67.535	234.475	455.838
29.	पश्चिम बंगाल	1,553.580	621.684	1,426.600	3,601.864	1,535.429	491.693	1,298.496	3,325.618
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5.340	1.800	26.880	34.020	3.173	0.907	13.841	17.921
31.	चंडीगढ़	3.756	0.624	27.000	31.380	3.517	0.140	22.318	25.975
32.	दादर व नगर हवेली	5.028	2.196	2.700	9.924	1.459	0.373	0.625	2.457
33.	दमन व दीव	1.044	0.636	3.300	4.980	0.370	0.143	0.649	1.162
34.	लक्षद्वीप	0.756	0.504	3.360	4.620	0.986	0.504	4.895	6.385
35.	पुड्डुचेरी	21.564	13.548	21.000	56.112	20.480	12.385	15.570	48.435
	जोड़	17,448.901	10,229.027	19,869.401	47,547.329	17,448.808	9,655.519	16,616.340	43,720.667

विवरण-IV

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2011-2012 के लिए खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान*			
		गरेनी	अंअयो	गरेऊ+	जोड़	गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1052.088	654.288	2031.876	3738.252	502.906	318.825	645.987	1,467.718
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.524	15.972	60.060	101.556	12.681	7.299	31.223	51.203
3.	असम	475.224	295.692	1035.840	1806.756	231.960	144.846	412.174	788.980
4.	बिहार	1689.372	1050.420	910.520	3650.312	816.782	501.712	176.985	1,495.479
5.	छत्तीसगढ़	485.688	301.944	431.120	1218.752	240.689	142.249	138.367	521.305
6.	दिल्ली	108.696	63.084	426.078	597.858	54.778	21.089	203.393	279.260
7.	गोवा	5.532	6.108	48.676	60.316	2.766	3.106	24.376	30.248
8.	गुजरात	550.368	340.080	1128.290	2018.738	272.195	175.088	183.229	630.512
9.	हरियाणा	208.572	122.820	401.030	732.422	119.624	60.102	150.528	330.254
10.	हिमाचल प्रदेश	133.140	82.740	303.266	519.146	65.532	41.368	146.967	253.867
11.	जम्मू और कश्मीर	201.696	107.388	447.720	756.804	101.419	54.940	225.782	382.141
12.	झारखंड	619.968	385.524	333.540	1339.032	301.652	190.202	36.418	528.141
13.	कर्नाटक	810.384	503.892	1072.370	2386.646	403.405	254.392	460.002	1,117.799
14.	केरल	402.348	250.260	779.066	1431.674	202.663	125.752	371.344	699.759
15.	मध्य प्रदेश	1,068.216	664.260	948.260	2680.736	857.125	372.340	327.040	1,556.505
16.	महाराष्ट्र	1709.424	1034.880	1902.810	4647.114	838.922	477.168	558.559	1,874.649
17.	मणिपुर	43.008	26.724	90.714	160.446	31.230	19.543	26.868	77.641
18.	मेघालय	47.376	29.484	104.836	181.696	24.223	14.909	50.476	89.608
19.	मिजोरम	17.640	10.920	41.580	70.140	8.320	5.111	18.826	32.257
20.	नागालैंड	32.112	19.968	74.796	126.876	17.695	10.737	41.578	70.010
21.	उड़ीसा	1165.572	531.120	420.306	2116.998	583.399	259.122	192.498	1,035.019
22.	पंजाब	121.176	75.360	617.564	814.100	57.223	26.907	233.815	317.945
23.	राजस्थान	629.532	391.488	1094.120	2115.140	319.096	193.855	505.289	1,018.240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	सिक्किम	11.304	6.936	26.030	44.270	6.458	3.784	12.894	23.136
25.	तमिलनाडु	1259.232	783.144	1680.456	3722.832	636.650	396.841	842.789	1,876.280
26.	त्रिपुरा	76.380	47.520	184.134	308.034	41.391	25.043	67.927	134.361
27.	उत्तर प्रदेश	2765.700	1719.480	2628.710	7113.890	1,496.261	856.871	922.887	3,276.019
28.	उत्तराखंड	128.988	80.184	292.530	501.702	60.913	33.435	128.451	222.799
29.	पश्चिम बंगाल	1553.580	621.684	1588.490	3763.754	759.287	247.372	690.017	1,696.676
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5.340	1.800	26.880	34.020	2.095	0.334	5.312	7.741
31.	चंडीगढ़	3.756	0.624	30.600	34.980	1.614	0.060	12.600	14.274
32.	दादर व नगर हवेली	5.028	2.196	3.060	10.284	2.656	1.098	1.025	4.779
33.	दमन व दीव	1.044	0.636	3.750	5.430	1.185	0.269	0.997	2.451
34.	लक्षद्वीप	0.756	0.504	3.360	4.620	0	0	0	0
35.	पुड्डुचेरी	21.564	13.548	23.800	58.912	9.631	6.324	5.875	21.830
	जोड़	17435.328	10242.672	21196.238	48874.238	9,084.426	4,992.093	7,852.498	21,929.017

+ जून, 2011 में किया गया तदर्थ आवंटन शामिल है।

* सितम्बर, 2011 तक

[अनुवाद]

सरकारी आवासों में सी.एफ.एल. का उपयोग

1237. श्री मानिक टैगोर:
श्री ए. गणेश मूर्ति:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र सहित दिल्ली में सरकारी आवासों में मौजूदा बल्बों/ट्यूबलाईटों को कम्पेक्ट फ्लूरोसेंट लैंप (सी.एफ.एल.) में परिवर्तित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे प्रस्तावों को पूरे देश में लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) मंत्रिगणों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और संसद सदस्यों के निःशुल्क सुसज्जित आवासों में काम्पेक्ट फ्लयूरेसेंट लैम्प (सी.एफ.एल.) और ट्यूब मुहैया कराए जाते हैं। इन आवासों में काम्पेक्ट फ्लयूरेसेंट लैम्प (सी.एफ.एल.) की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। अन्य प्रकार के रिहायशी आवासों में कब्जाधारी स्वयं काम्पेक्ट फ्लयूरेसेंट लैम्प (सी.एफ.एल.)/ट्यूब लगाते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बागवानी का विकास

1238. कुमारी मीनाक्षी नटराजन:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की बिहार और मध्य प्रदेश सहित देश में बागवानी के विकास हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना/योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिहार और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी, हां। कृषि एवं सहकारिता विभाग दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें यथा (i) पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन और बिहार एवं मध्य प्रदेश और अन्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुडुचेरी सहित शेष राज्यों में, देश में उत्पादन, कटाई पश्चात् प्रबंधन और विपणन को कवर करते हुए सर्वांगीण दृष्टिकोण सुनिश्चित करके क्षेत्र आधारित क्षेत्रीय रूप से विभेदीकृत क्लस्टर अपनाकर बागवानी क्षेत्र का समय विकास करने के लिए (ii) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) कार्यान्वित कर रहा है।

दोनों स्कीमों के अंतर्गत उत्पादन से संबंधित कार्यकलापों (नई नर्सरियों की स्थापना, विभिन्न बागवानी फसलों का क्षेत्र विस्तार, पुराने और जर्जर बागानों का पुनरूद्धार, आई.पी.एम. और आई.एन.एम. का संवर्धन, जैविक कृषि, मधुमक्खी पालन के माध्यम से पालीनेशन सहायता) बागवानी यांत्रिकी, जल संसाधनों का सृजन, कटाई पश्चात् प्रबंधन और मण्डी अवसंरचना का सृजन करने के लिए निधियां प्रदान की जाती है।

एन.एच.एम. के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 85% का अंशदान किया जाता है और 15% राज्य सरकारों द्वारा पूरा किया जाता है। एच.एम.एन.ई.एच. के अंतर्गत स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्य को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है।

(ग) एन.एच.एम. के अधीन पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिहार और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा एन.एच.एम. के अधीन संलग्न विवरण। तथा एच.एम.एन.ई.एच. के अधीन संलग्न विवरण 11 दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य	निधियां निर्मुक्त				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	12968.39	9566.59	10518.00	9270.00	42322.98
2.	बिहार	3122.48	2435.17		1000.00	6557.65
3.	छत्तीसगढ़	3000.00	6000.00	9657.00	8500.00	27157.00
4.	गोवा	100.45	150.00	212.00	150.00	612.45
5.	गुजरात	3531.83	2521.32	5497.00	3825.00	15375.15
6.	हरियाणा	3300.31	5600.00	5150.00	7622.90	21673.21
7.	झारखंड	5000.00	3084.00	1600.00	2500.00	12184.00
8.	कर्नाटक	12536.88	8001.67	9325.00	8412.50	38276.05
9.	केरल	7517.29		4400.00	4900.00	16817.29
10.	मध्य प्रदेश	6000.00	3545.00	5100.00	3000.00	17645.00
11.	महाराष्ट्र	13021.70	9173.20	12614.00	6375.00	41183.90

1	2	3	4	5	6	7
12.	उड़ीसा	2341.00	3500.00	3259.00	4000.00	13100.00
13.	पंजाब	1412.48	2578.00	3500.00	4674.00	12164.48
14.	राजस्थान	4097.71	2500.00	4000.00	3500.00	14097.71
15.	तमिलनाडु	9688.00	6180.00	7750.00	6200.00	29818.00
16.	उत्तर प्रदेश	6372.78	9148.38	5400.00	5100.00	26016.16
17.	पं बंगाल	607.20		2880.00	0.00	3487.20
18.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	200.00	152.00	200.00	552.00
19.	पुड्डुचेरी		33.25	56.34	64.00	153.59
	कुल	94618.50	74211.58	91070.34	79293.40	339193.82

* 15.11.2011 तक आंकड़े

विवरण-II

(रु. लाख में)

क्र.सं. राज्य	निर्मुक्त निधियां				
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*	कुल
1. अरुणाचल प्रदेश	1765.00	1492.00	2684.60	4000.00	9941.6
2. असम	3675.00	3743.00	2995.02	1875.00	12288.02
3. मणिपुर	2500.00	3029.00	3951.00	3950.00	13430
4. मेघालय	2862.50	1932.00	2675.00	2650.00	10119.5
5. मिजोरम	3050.00	3500.00	3890.00	3500.00	13940
6. नागालैंड	2450.00	3950.00	4400.00	3969.00	14769
7. सिक्किम	2675.00	3428.20	2455.00	3625.00	12183.2
8. त्रिपुरा	1700.00	3000.00	2620.00	3950.00	11270
9. जम्मू और कश्मीर	1815.00	1700.00	3000.00	2900.00	9415
10. हिमाचल प्रदेश	2100.00	1589.00	1500.00	2500.00	7689
11. उत्तराखंड	2000.00	1700.00	2900.00	1500.00	8100
कुल	26592.5	29063.2	33070.62	34419	123145.32

* आंकड़े 15-11-2011

[अनुवाद]

शहरी क्षेत्रों में खाली भूमि

1239. श्री जोसेफ टोप्पो: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को आवासों का निर्माण करने हेतु बड़े शहरों में अप्रयुक्त खाली भूमि की पहचान करने के निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्तर-पूर्व राज्यों सहित इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में आवासों की अत्यधिक मांग को देखते हुए सरकार का विचार अप्रयुक्त खाली भूमि की पहचान करने और भवन निर्माण हेतु उसे स्थानीय विकास एजेंसियों को सौंपने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) जी नहीं। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को बड़े शहरों में आवासों का निर्माण करने हेतु अप्रयुक्त खाली भूमि की पहचान करने और इसे भवन निर्माण हेतु स्थानीय विकास एजेन्सियों को सौंपने के संबंध में कोई निदेश नहीं दिए हैं क्योंकि 'भूमि' और 'कालोनी बनाना' राज्य का विषय होने के कारण यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे इस संबंध में प्रयास-पहल करें।

[हिन्दी]

दाल की किस्मों का विकास करना

1240. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अरहर की दाल की पहली संकर किस्म विकसित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस नई किस्म के बीज किसानों को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) देश में अब तक अरहर की कोई कम्पोजिट किस्म विकसित नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

टी.वी. चलचित्रों में आपत्तिजनक विषयवस्तु

1241. श्री आर.के. सिंह पटेल: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** आपत्तिजनक विषयवस्तु जाने के बारे में 9.8.2011 के तारांकित प्रश्न संख्या 136 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने देश में टी.वी. चैनलों के माध्यम से गीतों, विज्ञापनों, चलचित्रों संगीत एलबम आदि दिखाए जाने/प्रसारित किए जाने के विरुद्ध शिकायतों के बाद केवल सलाह जारी की है और सुधारात्मक उपाय के रूप में दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरी की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी चैनलों के विरुद्ध क्या कड़ी कार्यवाही/उपाय किए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) से (ग) केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में यथा अंतर्विष्ट, उसके परंतुक के साथ पठित नियम 6(1) (ण) में यह प्रावधान है कि किसी भी फिल्म अथवा फिल्म गीत अथवा फिल्म प्रोमो अथवा फिल्म ट्रेलर अथवा संगीत वीडियो अथवा संगीत एलबमों अथवा उनके प्रोमोज, चाहे भारत में या विदेश में निर्मित किए गए हों, को केबल सेवा के जरिए तक तक प्रसारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी.बी.एफ.सी.) द्वारा भारत में अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु उपयुक्त होने के रूप में प्रमाणित न किया गया हो। इस नियम के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यह भी प्रावधान है कि "अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन" नामक अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जैसा चलचित्र अधिनियम, 1952 में उसे अभिप्रेत किया गया है।

अन्य बातों के साथ-साथ, उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन के कारण ही मंत्रालय ने एस.एस. म्यूजिक चैनल और सोनी पिक्स चैनल के संबंध में, मंत्रालय ने 7 दिनों के लिए उक्त चैनल के प्रसारण/पुन: प्रसारण पर रोक लगाते हुए दिनांक 16.11.2010 को एक आदेश जारी किया। तथापि, उक्त चैनल ने मंत्रालय के आदेश के विरुद्ध माननीय मद्रास उच्च न्यायालय से एक अनुकूल निर्णय प्राप्त कर लिया। मंत्रालय द्वारा माननीय न्यायालय की खंडपीठ में दायर की गई अपील से संबंधित मामला उस न्यायालय में लंबित

है। सोनी पिक्स चैनल के संबंध में मंत्रालय ने दिनांक 14.07.2011 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस मामले पर अंतर-मंत्रालयीय समिति की बैठक में विचार किया गया है और नियमानुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

मंत्रालय ने इस मामले में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी.बी.एफ.सी.) के अधिकारियों और भारतीय प्रसारण (आई.बी.एफ.) के प्रतिनिधियों के साथ अपर सचिव (सू.व.प्र.) की अध्यक्षता में दिनांक 24-10-2011 को एक बैठक भी बुलाई और आई.बी.एफ. को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उसके सदस्य चैनलों द्वारा चलचित्र अधिनियम, 1952 और केबल टी.वी. नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 में अंतर्विष्ट प्रावधानों का कड़ाई से अनुसरण किया जाए। यदि किसी प्रकार का उल्लंघन सत्यापित होता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

किसानों के लिए बीमा योजना

1242. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड सहित देश में किसानों हेतु बीमा योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित विभिन्न फसलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बीमा योजनाओं द्वारा कवर की गई विभिन्न फसलों के अंतर्गत कुल हैक्टेयर क्षेत्र और उसके अंतर्गत एकत्र किए गए कुल प्रीमियम का राज्य-वार और फसल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान फसल बीमा के दावों के संबंध में किए गए भुगतान और दिए गए प्रीमियम का झारखंड सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को किसानों से उनके दावों का भुगतान न किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा फसल कवरेज में वृद्धि करने और भविष्य में बीमा दावों का तत्काल निपटान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) कवर किए गए खरीफ और रबी फसलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-Iक से Iग में दिया है।

(ख) और (ग) राज्य-वार और फसल-वार संलग्न विवरण-II क से IIग में दिया गया है।

(घ) स्कीमों के प्रावधान के अनुसार सभी अनुज्ञेय दावे निर्धारित हैं। भुगतान किए गए। तथापि समय-समय से किसानों द्वारा कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कुछ शिकायतें हैं: बैंकों द्वारा प्रस्तावित बीमा के गलत प्रस्तुतीकरण के खाते पर दावे बीमा के विशाल ईकाई क्षेत्र के कारण फसल नुकसान के गैर यथार्थ आकलन आदि के भुगतान के अन्तर्गत दावों के भुगतान में विलम्ब हुआ है जहां तक संभव है सभी दावों का उपयुक्तता से निपटान किया गया।

भुगतान में विलम्ब हुआ है जहां तक संभव है सभी दावों का उपयुक्तता से निपटान किया गया।

(ङ) कार्यान्वयन राज्यों के समन्वय में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा फसल बीमा स्कीमों के बारे में जागरूकता सृजन करने के लिये नियमित प्रयास किए गए हैं। प्रमुख राष्ट्रीय/स्थानीय समाचार पत्रों, ऑडियो-विजुएल मीडिया के माध्यम से प्रसारण, कृषि मेलों/मेला/गोष्ठी में विज्ञापन के माध्यम से, कार्यशाला/प्रशिक्षण आयोजन आदि स्कीम के उद्देश्यों और लाभ प्रसार के लिए अभियान आयोजित करना प्रमुख कार्यकलाप है। राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन.ए.आई.एस.) को और अधिक कृषक अनुकूल बनाने के लिए इसकी सीमित क्षेत्र को हटाकर इसे संशोधित किया गया है। संशोधित एन.ए.आई.एस. रबी 2010-2011 से 50 जिलों में पाइलेट आधार पर कार्यान्वयन शुरू किया गया है। स्कीम के अधीन पात्र किसानों को अग्रिम के रूप से दावों के 25% का भुगतान किया जाता है। निजी बीमा कम्पनियों को भी किसानों के अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए स्कीम के कार्यान्वयन की अनुमति दी गयी है।

विवरण-I क

क्र.सं.	खरीफ मौसम		रबी मौसम	
	खाद्य फसल/तिलहन	वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी फसलें	खाद्य फसल/तिलहन	वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी फसलें
1	2	3	4	5
1.	बाजरा	केला	बाजरा	केला

1	2	3	4	5
2.	उर्द	मिर्च	जौ	बैंगन
3.	एरण्ड	कपास	उड़द	मिर्च
4.	लोबिया	अदरक	चना	धनिया
5.	चना	जूट	मूंग	कपास
6.	मूंग	प्याज	मूंगफली	सौंफ
7.	मूंगफली	अन्नास	कुलथी	लहसुन
8.	ग्वार	आलू	ज्वार	अदरक
9.	कुलथी	गन्ना	अलसी	इसाबगोल
10.	ज्यार	पीओका	मक्का	जीरा
11.	कोदो-कुटकी	हल्दी	मसूर	मेथी
12.	मक्का	संतरा	धान	प्याज
13.	मोथ (गुजरात में मथ दलहन सवल)		मटर	आलू
14.	नवाने		रागी/मडुआ	गन्ना
15.	तिल (उड़ीसा में तिलहन फसल)		तोरिम/सरसों	रेपीओका
16.	धान		कुसुम	टमाटर
17.	रागी/मडुआ		रामतिल	टमाटर
18.	रामतिल		सूरजमुखी	
19.	सोयाबीन		रारामीरा (राज में तिलहन)	
20.	सूरजमुखी		तूर/अरहर	
21.	तूर (मसूर/अरहर)		गेहूं	
22.			फ्रेंच बीन	

टिप्पणी: **झारखंड** राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित

विवरण-III ख

पायलट मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम

खरीफ 2010

क्र.सं.	प्रदेश	जिले	फसलें
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद, गुंटूर, खम्माम, वारंगल, पं. गोदावरी	लाल मिर्च, कपास, ऑयल पाल्म, मीठे सन्तरें

1	2	3	4
2.	बिहार	पटना, नवादा भाबुआ (कैमूर), रोहतास (सासाराम), गया, नालंदा और औरंगाबाद	धान और मक्का
3.	छत्तीसगढ़	दुर्ग, रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर, खैरागढ़ और राजनंदगांव	धान और सोयाबीन
4.	गुजरात	बांसकांठा, दाहोड़, पंचमहल, साबरकाण्ठा, बडोदरा	मक्का
5.	हरियाणा	अम्बाला, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र	धान, सिट्रस, आम
6.	झारखण्ड	चतरा, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गोडा, गुमला, हजारीबाग, लोहरदगा, पलामू, रांची, साहिबगंज, प. सिंहभूम, लातेहार, सराय केला	उड़द, मूंग, मूंगफली और मक्का
7.	कर्नाटक	बैंगलोर (ग्रामीण), बेल्लारी, बिदार, बीजापुर, चित्र दुर्ग, चिका बल्लीपुर, गदग, गुलबर्ग, हस्सन, हावेरी, कोलार, कोपाल, रामनगर, शिमोगा, तुमकुर और यादगिर	रागी मक्का, ज्यार, मलका, मूंग, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, प्याज, कपास, मिर्च, उड़द, आलू, अंगूर
8.	केरल	पलाक्कड़, इदुक्ककी एवं वयानाद	धान और कालीमिर्च
9.	मध्य प्रदेश	इन्दौर और धार	सोयाबीन और कपास
10.	महाराष्ट्र	अकोला, अमरावती, बुलधाना, वर्धा, वाशिम और यावातमल	कपास
11.	उड़ीसा	बारगढ़, बोलांगीर और नौपादा	धान
12.	राजस्थान	अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बांसवाड़ा, बारान, भरतपुर, बूंदी, चित्तौरगढ़, चुरू, धौलपुर, दौसा, डुंगरपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, जयपुर, जैसलमेर, जालोड़, झालावार, जोधपुर, कोटा, करोली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमाण्ड, सवाई माधोपुर, सिरोही, सिकर, टोंक एवं उदयपुर	बाजरा, ज्वार, मक्का, धान, मूंग, मोथ, उड़ चौलाई, मूंगफली, सोयाबीन, रामतिल, ग्वार कपास, मिर्च
13.	तमिलनाडु	धर्मापुरी, पेराम्बलूर और अरियालूर, विरूधूनगर, विल्लूपुरम, डिण्डीगुल, सलेम, कोयम्बटूर और तिरपुर	केला, टैपियोका, हल्दी, धान कपास, मूंगफली, मक्का, अनाज, दलहन, धान-I, धान-I, मक्का, रामतिल, सूरजमुखी एवं सब्जी
14.	उत्तराखण्ड	अल्मोड़ा, चमौली, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, टेहरी-गढ़वाल, उत्तरकाशी, पौड़ी, गढ़वाल, हरिद्वार	सेब, आम
15.	उत्तर प्रदेश	औरैया, बागपत और जौनपुर	धान, मक्का, बाजरा, मक्का, उड़द और मूंगफली
16.	पं. बंगाल	बनकुरा, पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, हुगली, बीरभूमि, मालडा, कोचबेहर और मुर्शिदाबाद।	अमन धान

1	2	3	4
डब्ल्यू बीसीआईएस रबी 2010-11			
1.	आंध्र प्रदेश	चित्तूर एवं रंगा रेड्डी	आम
2.	बिहार	पटना, नवादा भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भाबुआ, जहानाबाद, अरवल, नवादा, दरभंगा, मधुबनी, शिखौरा, लखीसराय, समस्तीपुर, खगडिया, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मध्यपुरा, पुर्निया, कशिनगंज, अररिया, कटिहार, भागलपुर, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, सीवान, पश्चिम चंपारण, वैशाली, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, शारण, बांका, गया और गोपालगंज	गेहूं, चना मसूर, रबी मक्का, मलका, सरसों आलू प्याज, बैंगन एवं टमाटर
3.	छत्तीसगढ़	दुर्ग, राजंदगांव, धामतरी, एवं कबीरधाम (क्वार्धा)	गेहूं और चना
4.	हरियाणा	अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, फतेहाबाद एवं सिरसा	गेहूं, आम, टमाटर, सिट्रम
5.	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर, सोलन, पूना, कांगड़ा, हमीरपुर, सिरमौर, शिमला, मण्डी, कुल्लू, किन्नौर, चम्बा	सेब, आम, आलू, टमाटर
6.	झारखण्ड	रांची, सिमदेगा, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, दुमका, लातेहार, गुमला, पं. सिंहभूम, सरायकेला, खर्सावन, लौह दर्गा, पूर्वी सिंहभूम, चतरा, धनबाद, साहिबगंज और कोडा	टमाटर, फूलगोभी, बन्दगोभी, मटर, कुसुम, अलसी, मसूर, एवं शरद धान (धान)
7.	कर्नाटक	बागालकोट, बेलगांव, बिदार, बीजापुर, चित्रदुर्ग, धारवाड़, दवनगिरी, हावेरी, कोपाल, यादगिर एवं कोलार	गेहूं, ज्वार, चना, आलू, आम एवं अंगूर
8.	केरल	पलाक्कड़, कोजीखोड़, कन्नूर, एवं केसरगोड	धान और काजू
9.	मध्य प्रदेश	सिहौर, औसमंगाबाद एवं धार	गेहूं चना
10.	राजस्थान	अजमेर अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, बूंदी, चित्तौरगढ़, चुरू, धौलपुर, दौसा, डुंगरपुर, श्री हनुमानगढ़, झुंझुनू, जयपुर, जैसलमेर, जालोड़, झालावार, जोधपुर, कोटा, करोली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमाण्ड, सवाई माधोपुर, सिरोही, सिकर, टोंक एवं उदयपुर	गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामिरा, जीरा, इसबघोल, फेनुग्रीक, धनिया, अजवायन, लहसुन, मटर, आलू एवं टमाटर
11.	तमिलनाडु	अरियालूर, पेराम्बलूर, विरूद्धनगर, सालेम, बिल्लीपुरम, डिंडीगुल, धर्मापुरी, कोयम्बटूर एवं त्रिपुर	उड़द, मिर्च, कपास, रामतिल, मूंगफली, मक्का, आम, प्याज, धान, सूरजमुखी, तेपिओका, हल्दी, लहसुन, पुष्प, आम एवं टमाटर
12.	उत्तराखण्ड	अल्मोड़ा, चमौली, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, रूद्र प्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उधमसिंह नगर एवं उत्तरकाशी	सेब, आम, लीची, आलू एवं टमाटर
13.	उत्तर प्रदेश	बागपत, औरैया और जौनपुर	मसूर, गेहूं, चना, मटर एवं सरसों
14.	पं. बंगाल	पश्चिम मिदनापुर, जलपाईगुड़ी, हुगली, पूर्वी मिदनापुर, वीरभूम, मालदा, कूच बिहार, मुर्शिदाबाद, बांकुरा एवं 24 परगना (दक्षिण), बर्दवान, हावड़ा, नदियां, पूर्वी मिदनापुर एवं हुगली	बोरोधान एवं आलू

विवरण-I ग

पायलट संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित राज्यवार जिले और फसलें

रबी 201 0-11

क्र.सं.	राज्य	जिले	अधिसूचित फसलें
1.	छत्तीसगढ़	रायपुर	गेहूं (सिंचित), गेहूं (असिंचित), चना (तीन)
2.	आंध्र प्रदेश	नेल्लोर, प्रकाशम और वारंगल	उड़द, मिर्च, मूंग, मूंगफली, धान, सूरजमुखी, ज्वार, मक्का, और बंगाल ग्राम
3.	असम	कामरूप और धुबरी	ग्रीष्म धान
4.	बिहार	मुंगेर, जामुई और शिवहर	गेहूं, चना, मक्का, अरहर, गन्ना और सरसों
5.	गुजरात	गांधीनगर, खेड़ा, भावनगर और सबरकंठ	गेहूं, बाजरा, मूंगफली, सरसों और आलू
6.	झारखण्ड	रांची	गेहूं, तोरिया और सरसों, चना और आलू
7.	कर्नाटक	गुलबर्गा, शिमोगा और तुमकुर	बंगाल ग्राम (वर्षा सिंचित), मूंग, ज्वार (वर्षा सिंचित), मक्का (सिंचित), सूरजमुखी, वर्षा सिंचित और गेहूं (सिंचित)
8.	मध्य प्रदेश	दातिया और शेयोपुर	गेहूं और चना
9.	महाराष्ट्र	अहमदानगर, अकोला, बुलधाना और वाशिम	चना
10.	ओडिसा	बलाशोर, भादरक, बरगढ़ सोनपुर और कालाहांडी	धान
11.	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर, उन्नाव, ललितपुर और वाराणसी	गेहूं, मटर, चना, मसूर, आलू और सरसों
12.	उत्तराखण्ड	हरिद्वार और देहरादून	गेहूं
	कुल	34	

विवरण-II क

क्र. सं.	प्रदेश/संघ शासित प्रदेश	खरीफ फसलें			रबी फसलें			कुल फसलें		
		बीमित क्षेत्र (हे.)	संकलित प्रीमियम	भुगतान किए गए दावे	बीमित क्षेत्र (हे.)	संकलित प्रीमियम	भुगतान किए गए दावे	बीमित क्षेत्र (हे.)	संकलित प्रीमियम	भुगतान किए गए दावे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	4570204	22066	71666	479735	1728	3241	5049939	23794	74907
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	245	1	0	0	0	0	245	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	असम	23625	98	69	19486	176	329	43111	273	398
4.	बिहार	1433216	14512	51854	913651	11257	31425	2346867	25709	83279
5.	छत्तीसगढ़	1744713	2941	12378	73377	75	45	1818090	3016	12423
6.	गोवा	206	0	0	0	0	0	206	0	0
7.	गुजरात	2052346	11031	80677	67064	186	464	2119410	11216	81140
8.	हरियाणा	65796	518	30	20411	193	402	86208	711	433
9.	हिमाचल प्रदेश	22089	128	386	10858	259	683	32948	337	1069
10.	जम्मू और कश्मीर	2990	8	44	3459	6	0	6448	14	44
11.	झारखंड	993793	2763	25135	22520	55	318	1016313	2818	25454
12.	कर्नाटक	1495452	5459	18366	234774	468	1630	1730226	5927	19996
13.	केरल	14807	178	127	22767	188	100	37574	366	227
14.	मध्य प्रदेश	3695977	10693	4496	2369525	4831	3863	6065502	15524	8359
15.	महाराष्ट्र	2167668	11212	38445	96113	170	139	2263781	11382	38583
16.	मणिपुर	10907	75	223	0	0	0	10907	75	223
17.	मेघालय	2234	9	8	2308	45	2	4542	55	10
18.	मिजोरम	134	1	11	0	0	0	134	1	11
19.	उड़ीसा	1094553	5329	5440	131502	465	650	1226054	5794	6090
20.	पुडुचेरी	744	2	0	4043	19	3	4787	21	3
21.	राजस्थान	5374008	13176	144308	2057379	14693	15544	7431337	27869	159852
22.	सिक्किम	36	0	0	18	0	0	54	0	0
23.	तमिलनाडु	99517	977	2304	1025628	5520	10818	1125146	6497	13123
24.	त्रिपुरा	151	1	0	452	3	0	603	4	0
25.	उत्तर प्रदेश	2235922	5045	13571	1842445	3896	3557	4078367	3941	17127
26.	उत्तराखंड	32894	315	800	37132	127	159	70026	442	960
27.	पश्चिम बंगाल	221897	958	1889	300427	7588	1990	522324	8545	3879
	कुल	27356124	107496	472227	9735075	51947	75364	37091199	159443	547591

विवरण-II ख

क्र. सं.	प्रदेश/संघ शासित प्रदेश	खरीफ फसलें बीमित क्षेत्र (हे.)	खरीफ फसलें संकलित प्रीमियम	खरीफ फसलें भुगतान किए गए दावे	रबी फसलें बीमित क्षेत्र (हे.)	रबी फसलें संकलित प्रीमियम	रबी फसलें भुगतान किए गए दावे	कुल फसलें बीमित क्षेत्र (हे.)	कुल फसलें संकलित प्रीमियम	कुल फसलें भुगतान किए गए दावे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2851455	11075	80215	788425	1999	3660	3639880	13075	83876
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	276	1	0	0	0	0	276	1	0
3.	असम	7306	17	5	20126	124	70	27432	142	75
4.	बिहार	525315	-3777	6610	653735	4668	21099	1179050	8445	27709
5.	छत्तीसगढ़	1488888	2425	6805	99036	176	104	1587924	2601	6909
6.	गोवा	838	0	0	0	0	0	838	0	0
7.	गुजरात	1794250	8264	46724	56417	137	1149	1850667	8401	47873
8.	हरियाणा	699	6	0	2171	17	9	2871	23	9
9.	हिमाचल प्रदेश	5476	26	5	16041	45	459	21517	71	464
10.	जम्मू और कश्मीर	858	1	0	2635	2	0	3493	4	0
11.	झारखंड	252513	653	2680	55260	124	596	307773	777	3277
12.	कर्नाटक	1587295	4251	14427	544358	762	932	2131653	5013	15359
13.	केरल	7830	49	20	17782	119	89	25612	168	109
14.	लक्ष्यद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मध्य प्रदेश	2549744	6502	1779	1833466	2163	6573	4383210	8665	8351
16.	महाराष्ट्र	2237532	7502	46958	51694	73	545	2289226	7574	47502
17.	मेघालय	661	4	1	2615	23	0	3276	27	1
18.	उड़ीसा	613211	2623	3450	144564	498	837	757775	3120	4287
19.	पुडुचेरी	79	0	0	3918	7	49	3997	7	49
20.	पंजाब	338	5	1	0	0	0	338	5	1
21.	राजस्थान	2805322	4491	25031	1670287	5971	8473	4475609	10462	33504
22.	सिक्किम	0	0	0	373	1	0	373	1	0
23.	तमिलनाडु	37685	391	378	975499	5507	67724	1013184	5898	68103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	त्रिपुरा	505	2	1	2151	17	5	2656	20	6
25.	उत्तर प्रदेश	915758	2027	2473	1789125	3898	2790	2704882	5925	5264
26.	उत्तराखंड	16712	128	750	46967	116	638	63679	243	1389
27.	पश्चिम बंगाल	155819	590	964	341758	7677	38424	497577	8267	39388
	कुल	17856365	54808	239277	9118403	34125	154226	26974769	88933	393503

विवरण-II ग

क्र. सं.	प्रदेश/संघ शासित प्रदेश	खरीफ फसलें			रबी फसलें			कुल फसलें		
		बीमित क्षेत्र (हे.)	संकलित प्रीमियम	भुगतान किए गए दावे	बीमित क्षेत्र (हे.)	संकलित प्रीमियम	भुगतान किए गए दावे	बीमित क्षेत्र (हे.)	संकलित प्रीमियम	भुगतान किए गए दावे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	3437862	22085	77662	741356	3864	682	4179219	25949	78344
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	303	1	3	186	1	0	489	2	3
3.	असम	17277	99	60	12029	149	0	29306	248	60
4.	बिहार	1567393	15381	8449	1395653	22696	382	2963046	38077	8831
5.	छत्तीसगढ़	1710078	3042	123	116574	165	13	1826651	3207	136
6.	गोवा	772	0	0	0	0	0	772	0	0
7.	गुजरात	2123101	12192	6859	79014	279	296	2202115	12472	7155
8.	हरियाणा	31870	565	263	40225	683	871	72095	1247	1134
9.	हिमाचल प्रदेश	12698	103	09	21705	998	0	34403	1101	0
10.	जम्मू और कश्मीर	3803	6	0	1665	3	0	5468	9	0
11.	झारखंड	322756	1089	8904	26494	79	320	349250	1168	9225
12.	कर्नाटक	1003091	4231	4674	141220	645	304	1144311	4876	4978
13.	केरल	16836	238	95	23605	212	1175	40442	450	1270
14.	लक्ष्यद्वीप	4105058	22288	7905	3359343	13511	32343	7464402	35800	40248
15.	मध्य प्रदेश	1376854	7221	1819	66496	293	41	1443350	7514	1860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	महाराष्ट्र	407	3	10	70	0	2	477	3	11
17.	मेघालय	891	5	0	746	14	1	1637	19	1
18.	उड़ीसा	1132903	5928	13876	64409	576	401	1197312	6504	14277
19.	पुडुचेरी	598	2	5	2616	12	4	3215	14	9
20.	पंजाब	3709	12	2	1496	5	1	5195	17	3
21.	राजस्थान	5725257	27640	3785	3799277	36182	27046	9524534	63822	30831
22.	तमिलनाडु	105665	1227	849	1078949	7563	21973	1184614	8790	22821
23.	त्रिपुरा	802	5	0	70	0	0	872	5	0
24.	उत्तर प्रदेश	1555861	4973	6366	1582252	4972	4625	3138113	9945	10991
25.	उत्तराखंड	47396	564	1296	30292	423	0	77688	987	1296
26.	पश्चिम बंगाल	318553	1576	1707	398849	9652	326	717402	11228	2034
	कुल	24621794	130478	144714	12984585	102977	90805	37606380	233455	235519

[अनुवाद]

आइसोपाम के अंतर्गत उपलब्धि

1243. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री प्रदीप माझी:
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तिलहनों संबंधी कोई तकनीकी मिशन आरंभ किया है और बाद में इसका तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का (आई.एस.ओ.पी.ओ.एम.) एकीकृत योजना नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना में विलय कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपरोक्त योजना को देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, हां। भारत सरकार द्वारा मई 1986 में, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन तथा 2004-05 में समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम, एवं मक्का स्कीम की शुरूआत की गई थी।

(ख) कार्यक्रमों के प्रति संकेन्द्रित प्रणाली प्रदान करने तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने तथा विभेदित क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर आधारित क्रियान्वयन में राज्यों को शिथिलता प्रदान करने के लिए तिलहन विकास कार्यक्रम (ओ.पी.पी.), ऑयल पाम विकास कार्यक्रम (ओ.पी.डी.पी.), राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम (एन.पी.डी.पी.) तथा त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (ए.एम.डी.पी.) नामक चार पूर्व स्कीमों में संशोधन किया गया था तथा इनको केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम समेकित तिलहन, दलहन, ऑयल पाम तथा मक्का (आइसोपाम) में समाहित किया गया था। 2010-11 से आइसोपाम

स्कीम के दलहन घटक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ. एस.एम.) में शामिल कर दिया गया है।

(ग) और (घ) आइसोपाम के अन्तर्गत तिलहन विकास कार्यक्रम आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल नामक प्रमुख तिलहन उत्पादक 14 राज्यों में क्रियान्वित किया गया है। मक्का विकास कार्यक्रम आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल नामक प्रमुख मक्का उत्पादक 15 राज्यों में क्रियान्वित किया गया है।

आइसोपाम फसलों तथा जिलों के चयन में राज्यों को शिथिलिता प्रदान करता है। आइसोपाम के अन्तर्गत आयल पाम विकास कार्यक्रम वर्तमान में आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, उड़ीसा, केरल, मिजोरम तथा महाराष्ट्र राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है। आयल पाम विकास कार्यक्रम राज्यों के कृषि/बागवानी विभागों के द्वारा अभिज्ञात जिलों में क्रियान्वित किया गया है।

(ङ) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आइसोपाम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य-वार आवंटन तथा निर्मुक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(च) विगत तीन वर्षों में तथा प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान आयलपाम के अन्तर्गत तिलहन, दलहन तथा मक्का उत्पादन एवं क्षेत्र विस्तार के संबंध में उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

आइसोपाम के तहत विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार आवंटन तथा निर्मुक्ति

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (23-11-2011) तक	
		आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति	अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना (केन्द्रीय अंश)	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	3000.00	3000.00	3731.84	3731.84	5756.710	5756.710	8694.7954	@
2.	बिहार	800.00	800.00	859.66	859.66	799.202	799.202	1774.0785	166.00
3.	छत्तीसगढ़	884.06	884.06	1261.57	1261.57	1166.907	1166.907	1372.2470	875.8129
4.	गुजरात	1600.00	1600.00	2363.15	2363.15	1785.772	1785.772	3283.7880	2234.00
5.	गोवा @	–	–	–	–	–	–	5.1176	@
6.	हरियाणा	700.00	700.00	655.88	655.88	503.110	503.110	1139.1538	522.7969
7.	हिमाचल प्रदेश	10.00	10.00	59.43	.59.43	89.261	89.261	84.3310	82.9900
8.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	82.63	82.63	132.480	132.480	262.87	205.9700
9.	केरल @	2700.00	2700.00	1738.49	1738.49	5748.546	5748.546	9410.5797	204.0000
10.	मध्य प्रदेश	60.00	60.00	35.22	35.22	.	.	61.5550	22.6795
11.	मध्य प्रदेश	3500.00	3500.00	4329.32	4329.32	5619.360	5619.360	8566.4750	5558.8125
12.	महाराष्ट्र	2900.00	2900.00	3428.42	3428.42	5498.364	5498.364	9534.0885	6000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	मिजोरम	390.00	390.00	553.76	553.76	876.840	876.840	361.4451	171.8738
14.	ओडिशा	575.00	575.00	3164.04	3164.04	3050.00	3050.00	4332.5060	2913.1995
15.	पंजाब	30.94	30.94	58.09	58.09	60.766	60.766	299.9954	140.2740
16.	राजस्थान	3140.00	3140.00	3001.64	3001.64	5070.900	5070.900	6558.7760	2751.0480
17.	तमिलनाडु	1900.00	1900.00	1753.83	1753.83	1132.559	1132.559	1404.4478	836.5834
18.	उत्तर प्रदेश	1450.00	1450.00	1822.08	1822.08	1221.880	1221.880	2076.6939	901.9570
19.	पश्चिम बंगाल	400.00	400.00	754.73	754.73	614.182	614.182	730.7025	100.0000
	कुल	24040.00	24040.00	29653.78	29653.78	39126.839	39126.839	59953.6462	23687.9975

@ राज्यों के पास उपलब्ध अप्रयुक्त धनराशि।

विवरण II

आइसोपाम के तहत उपलब्धि

(उत्पादन के तहत उपलब्धि)

फसलें	2008-09	2009-10	2010-11 *	2011-12 * *
तिलहन	277.19	248.81	311.00	208.86
दलहन	145.66	146.62	एनएफएसएम के तहत	एनएफएसएम के तहत
मक्का	197.31	167.19	212.78	158.55
आयलपाम (क्षेत्र विस्तार हेक्टेयर में)	26178	15841	17925	11834#

* चौथा अग्रिम अनुमान

** केवल खरीद के लिए पहला अग्रिम अनुमान

31.10.2011 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत क्षेत्र विस्तार

ग्रामीण भण्डारण योजना

1244. श्री एम.आई. शानवास: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण भंडारण योजना (जी.बी.वाई.) आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में केरल सहित राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) ग्रामीण भण्डारण योजना 1.4. 2001 से पहले से ही अस्तित्व में है जो ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) ग्रामीण भण्डार योजना, 400 करोड़ रुपयों के आवंटित बजट के साथ 90 लाख मी.ट. की भण्डार क्षमता के निर्माण के लक्ष्य के साथ ग्यारहवीं योजना में क्रियान्वित की जा रही है। वर्तमान में सभी वर्गों के किसानों, कृषि स्नातकों, सहकारी समितियों

एवं केन्द्रीय भण्डारण निगमों/राज्य भण्डार निगमों को परियोजना लागत के 25% की दर से सब्सिडी प्रदान की जा रही है। अन्य सभी वर्गों के व्यक्तियों, कंपनियों तथा निगमों को परियोजना लागत के 15% की दर से सब्सिडी प्रदान की जा रही है। पूर्वोत्तर राज्यों/पहाड़ी क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों तथा उनकी सहकारी समितियों तथा महिला किसानों को परियोजना लागत के 33.33% की दर से सब्सिडी प्रदान की जा रही है। केवल सहकारी समितियों द्वारा विनिर्मित गोदामों तक, ग्रामीण गोदामों के पुनरुद्धार के लिए सहायता प्रतिबंधित है। अब तक पूरे देश में 787.18 करोड़ रुपये की निर्मुक्त सब्सिडी के साथ 294.83 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले 25682 ग्रामीण गोदाम स्वीकृत किये गये हैं।

स्कीम के प्रमुख उद्देश्य हैं:

(i) कृषि उत्पादों, संसाधित फार्म उत्पादों तथा कृषि आदानों के भण्डारण के लिए किसानों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बद्ध सुविधाओं के साथ वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता का निर्माण।

(ii) वायदा वित्तपोषण तथा विपणन ऋण की सुविधा प्रदान करके कटाई के तत्काल पश्चात संकटकालीन बिक्री पर रोक।

(iii) कृषि जिंसों के भण्डारण के संबंध में, ऐसे गोदामों में भण्डारण रसीद की राष्ट्रीय व्यवस्था लागू करके देश में कृषि विपणन अवसंरचनाओं का सुदृढ़ीकरण।

(iv) कृषि उत्पादों की मण्डी योग्यता को उन्नत करने के लिए कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग, मानकीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्रण का संवर्धन।

(v) देश में भण्डारण अवसंरचनाओं के निर्माण में निजी तथा सहकारी क्षेत्रों को निवेश हेतु प्रोत्साहित करके कृषि क्षेत्र में निवेश की घटती हुई प्रवृत्ति को सही दिशा में लाना।

(ग) स्कीम के प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों के अनुसार स्कीम के अन्तर्गत सब्सिडी के लाभ को प्राप्त करने के लिए वित्तपोषण करने वाले बैंकों के जरिये नाबार्ड/एन.सी.डी.सी. को प्रर्वतकों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार मंत्रालय में केरल राज्य सरकार का कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चलचित्र अधिनियम, 1952 की समीक्षा

1245. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री नरहरि महतो:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी.बी.एफ.सी.) से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् भी कुछ फिल्मों को दिखाए जाने के विरुद्ध बढ़ते विरोध प्रदर्शनों की संख्या के दृष्टिगत चलचित्र अधिनियम, 1952 की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार, सी.बी.एफ.सी. द्वारा प्रमाण-पत्र दिए जाने से पहले, बिना किसी विरोध और विवाद के फिल्म का दिखाया जाना सुनिश्चित करने हेतु फिल्म में दर्शाए गए विषय/विषय वस्तु पर विशेषज्ञों की राय लिया जाना अनिवार्य बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. जगतरक्षकन): (क) और (ख) प्रस्तावित मसौदा चलचित्र विधेयक, 2011 में कुछ ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं जिनके तहत यदि बोर्ड को किसी प्रमाणित फिल्म पर कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो बोर्ड से इस आशय का कोई उल्लेख प्राप्त होने पर केंद्र सरकार बोर्ड को उस फिल्म की पुन: जांच करने के लिए कह सकती है।

(ग) मौजूदा अधिनियम में विशेषज्ञों के साथ इस प्रकार का परामर्श किए जाने के प्रावधान अंतर्विष्ट हैं बशर्ते जांच समिति द्वारा ऐसी इच्छा व्यक्त की गई हो।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मुद्रास्फीति रोकने के लिए खाद्य भंडारों का प्रयोग

1246. श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए अपने खाद्यान्न भंडार का उपयोग करने के कोई सुझाव/सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) केन्द्रीय पूल में उपलब्ध पर्याप्त स्टाक और अतिरिक्त खाद्यान्नों का आवंटन करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों को देखते हुए तथा चावल और गेहूं के खुला बाजार मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के आवंटन को पिछले 2 वर्षों में बढ़ाया गया है। 2009-10 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन चावल और गेहूं के लिए किए गए 560.22 लाख टन के आवंटन की तुलना में 2010-11 के दौरान सरकार ने 632.46 लाख टन का आवंटन किया है। वर्तमान वर्ष में अब तक 612.07 लाख टन चावल और गेहूं का आवंटन किया गया है। इस प्रकार, लक्षित लाभार्थियों को वितरण करने के लिए राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों का आवंटन किया गया है।

[अनुवाद]

चीनी का निर्यात

1247. श्री मनीष तिवारी:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विपणन मौसम, 2011-12 के दौरान चीनी का कुल अनुमानित उत्पादन तथा इसी अवधि के दौरान इसकी देश में कुल अनुमानित मांग कितनी है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान सरकार चीनी का निर्यात करने पर विचार कर रही है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान चीनी की कितनी मात्रा का निर्यात प्रस्तावित है;

(घ) क्या चालू वर्ष में चीनी के प्रस्तावित निर्यात का चीनी की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, जोकि पिछले छः माह के दौरान पहले से ही बढ़ रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो देश में चीनी की उपलब्धता एवं इसके मूल्य पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा सितम्बर, 2011 में जारी गन्ना उत्पादन के प्रथम अग्रिम आकलनों के आधार पर चीनी के उत्पादन का अनंतिम अनुमान लगभग 246 लाख टन लगाया गया है जबकि वर्तमान चीनी मौसम 2011-12 के दौरान देश में लगभग 220 लाख टन की घरेलू मांग होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत चीनी मौसम 2011-12 के दौरान 10 लाख टन चीनी की मात्रा का निर्यात करने की हाल ही में अनुमति दी है।

(घ) और (ङ) घरेलू मंडी में चीनी के मूल्य विभिन्न कारकों यथा चीनी की उत्पादित मात्रा, अग्रेनीत स्टॉक, घरेलू मांग, अंतर्राष्ट्रीय चीनी मूल्य और मंडी रुझानों आदि पर निर्भर करते हैं, इसलिए घरेलू मूल्यों पर निर्यात का प्रभाव दर्शा पाना संभव नहीं है। सरकार का यह प्रयास है कि विनियमित निर्मुक्ति तंत्र की नीति के माध्यम से उचित मूल्य पर पर्याप्त चीनी उपलब्ध हो।

[हिन्दी]

शहरी विकास हेतु प्रस्ताव

1248. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान शहरी विकास योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्राप्त हुए प्रस्तावों में से कुल कितने प्रस्ताव मंजूर किए गए तथा कितने अभी भी लंबित हैं;

(ग) अब तक मंजूर की गई एवं जारी की गई परियोजना-वार धनराशि क्या है; और

(घ) लंबित प्रस्ताव कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार से पिछले तीन वर्षों के दौरान शहरी विकास से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(i) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के घटक शहरी अवसंरचना और शासन (यू.आई.जी.) और छोटे तथा मझोले कस्बों हेतु शहरी अवसंरचना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.): महाराष्ट्र सरकार ने जे.एन.एन.यू.आर.एम. के घटक यू.आई.जी. के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान जल आपूर्ति, स्वच्छता, सीवर आदि स्कीमों हेतु 173 विस्तृत परियोजना रिपोर्टे (जी.पी.आर.) भेजी थी जिनमें से 79 डी.पी.आर. अनुमोदित और 93 डी.पी.आर. राज्य सरकार को वापस कर दिये गए थे।

महाराष्ट्र हेतु कुल 5133.73 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता में से 3662.03 करोड़ रुपये जारी किये गए हैं।

शहरी विकास योजना और राज्य सरकार की प्राथमिकता से प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तकनीकी मूल्यांकन और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर जे.एन.एन.यू.आर.एम. के यू.आई.जी. के तहत निधिकरण के लिए विचार किया जाता है। अत: परियोजनाओं की मंजूरी की कोई समय सीमा नहीं हैं।

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के तहत महाराष्ट्र की राज्य स्तरीय मंजूरी कमेटी (एस.एल.एस.सी.) से 12 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से 10 परियोजनाएं 326.42 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत पर मंजूरी दी गई है जिसमें केन्द्र की वचनबद्धता 261.70 करोड़ रुपये है और महाराष्ट्र सरकार को 87.27 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। शेष दो परियोजनाएं निधिकरण हेतु पात्र नहीं हैं।

(ii) महाराष्ट्र के 19 शहरों के लिए 2.65 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए शहर स्वच्छता योजना के विकास का एक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है तथा 2009-10 और 2010-11 प्रत्येक के दौरान 0.80 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(iii) महाराष्ट्र सरकार नासिक, कोल्हापुर और पिम्परी-चिंचवाड़ शहरों के लिए सूचना प्रणाली सुधार योजना (आई.एस.आई.पी.) के कार्यान्वयन हेतु तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। नासिक में आई.एस.आई.पी. को 1.04 करोड़ रुपये की लागत से अनुमोदित की गई है। शेष प्रस्ताव निधियों की कमी के कारण अस्वीकार किये गये हैं।

कुल जारी राशि में से, 2009-10 और 2010-11 प्रत्येक के दौरान 0.31 करोड़ रुपये की राशि जारी की गयी है।

(iv) सात बड़े शहरों के आस-पास कस्बों हेतु शहरी अवसंरचना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के तहत महाराष्ट्र सरकार से तीन परियोजनाएं नामत: वसाई-विरार हेतु एकीकृत ठोस कचराप्रबंधन स्कीम, वसाई-विरार उप-क्षेत्र हेतु भूमिगत सीवर स्कीम और वसाई-विरार उप-क्षेत्र हेतु 200 एम.एल.डी. जल आपूर्ति स्कीम प्राप्त हुई हैं।

वसाई-विरार हेतु एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन स्कीम और वसाई-विरार उप-क्षेत्र हेतु भूमिगत सीवर स्कीम परियोजनाएं 9795.27 लाख रुपये की लागत पर अनुमोदित की गई हैं जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 7836.22 लाख रुपये है तथा प्रथम किस्त के रूप में 634.53 लाख जारी किये गये हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अपना हिस्सा पहले ही समाप्त कर दिया है अत: किसी नई परियोजना हेतु धनराशि जारी करने पर विचार नहीं किया जा सकता है।

(V) पिछले तीन वर्षो के दौरान महाराष्ट्र सरकार से दो मेट्रो रेल परियोजनाओं जिनका नाम कोलाबा-बांद्रा-मानखुर्द कॉरीडोर लाइन-II और कोलाबा-महालक्ष्मी-बांद्रा कॉरीडोर लाइन-III है, का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार ने कोलाबा-बांद्रा-मानखुर्द कॉरीडोर लाइन-II हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण स्कीम के तहत 1532 करोड़ रुपये की सहायता जारी की है।

राष्ट्रीय मवेशी एवं भैंस प्रजनन परियोजना

1249. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय मवेशी एवं भैंस (एन.पी.सी.बी.बी.) प्रजनन परियोजना के पहले चरण में वर्ष-वार कितनी राशि व्यय की गयी है;

(ख) क्या उक्त परियोजना हेतु आवंटन का उपयोग संबंधित शीर्ष के अंतर्गत किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस परियोजना के चरण-दो के अंतर्गत किया गया आवंटन एवं अब तक इस पर वर्ष-वार कितनी राशि व्यय की गयी है; और

(ङ) चरण-दो के प्रारंभ होने तथा इसके पूरा होने का समय क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना (एन.पी.सी.बी.बी.) चरण-1 के तहत जारी निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(लाख रुपए में)

2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	कुल
1570.75	4187.45	4103.89	3594.97	6759.67	9090.71	3928.19	762.82	33998.45

(ख) और (ग) जी, हां। एन.पी.सी.बी.बी. के चरण-1 और चरण-2 के तहत कवर किए गए प्रमुख घटकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के चरण-2 के तहत 914.89 करोड़ रुपए का आवंटन उपलब्ध करवाया गया था। इस परियोजना के चरण-2 के तहत जारी धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(लाख रुपए में)

2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1610.00	4184.91	8736.97	11605.00	12199.00	9458.42

(ङ) एन.पी.सी.बी.बी. के चरण-2 को दिसम्बर, 2006 में 5 वर्ष की अवधि के लिए आरंभ किया गया था और इसे दिसम्बर, 2011 तक क्रियान्वित किया जाना है।

विवरण

क्र.स.	एनपीसीबीबी चरण-I के दौरान कवर किए गए प्रमुख घटक	एनपीसीबीबी चरण-I के दौरान कवर किए गए प्रमुख घटक
1	2	3
(क)	संस्थागत पुनर्सरचना	(क) तरल नाइट्रोजन, परिवहन और वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण।
(1)	राज्य क्रियान्वयन एजेंसी का नामांकन/शामिल करना/सृजन करना।	(1) वीर्य केन्द्र
(2)	कंप्यूटरीकरण/एमआईएस	(2) मौजूदा वीर्य बैंकों का सुदृढ़ीकरण
(3)	अध्ययन/सर्वेक्षण	(3) नए वीर्य बैंक
		(4) तरल नाइट्रोजन भंडारण और परिवहन प्रणाली
(ख)	मानव शक्ति विकास प्रशिक्षण अवसंरचना	(ख) सांड उत्पादन कार्यक्रम

1	2	3
	का सुदृढ़ीकरण	
(1)	व्यावसायिकों और एआई कर्मियों की प्रशिक्षण लागत	(1) मुर्राह सांड उत्पादन कार्यक्रम
(2)	किसानों के शिविर/अभियान/उन्मुखीकरण	(2) स्वदेशी गोपशु सांड उत्पादन कार्यक्रम
(3)	सेमिनार/कार्यशाला	(3) भ्रूणों का आयात
(4)	निजी एआई कर्मियों को टेपरिंग अनुदान	(4) वीर्य स्ट्रा का आयात
(ग)	हिमित वीर्य नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण	(ग) प्राकृतिक सेवा के लिए सांडों की खरीद
(1)	स्पर्म केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	(1) नर बछड़ों की खरीद
(2)	एफएस बैंक/डिपो का सुदृढ़ीकरण	(2) नर बछड़ों का बीमा
(3)	तरल नाइट्रोजन थोक भंडारण और सप्लाई	(3) एसटीडी (कारयो टाइपिंग सहित) के विरुद्ध सांडों का परीक्षण
(4)	फील्ड एआई नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण/विस्तार	(घ) फील्ड निष्पादन रिकार्डिंग, संतति परीक्षण, ओएनबीएस आदि के लिए राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों, प्रजनक एसोसिएशनों, गौशालाओं, सहकारिताओं, एनजीओ को समर्थन
(घ)	नस्ल सुधार/सांड उत्पादन	(1) संतति परीक्षण कार्यक्रम
(1)	फार्मों/ईटी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण, अन्य भागीदार एजेंसियों (दुग्ध संघों/गौशालाओं/ एनजीओ/प्रजनक एसोसिएशनों आदि) को सहायता	(2) एमओईटी के साथ ओएनबीएस का क्रियान्वयन
(2)	भैंस, वर्ण संकर और स्वदेशी गोपशु के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम (फील्ड रिकार्डिंग/संतति परीक्षण कार्यक्रम/सांडों की खरीद/वितरण आदि।	(3) सांड माता फार्मों का सुदृढ़ीकरण
(ङ)	विविध (ऊपर कवर न की गई छोटी गतिविधियां आदि)	(ङ) एआई नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण
		(1) वीर्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण
		(2) नए वीर्य केन्द्रों की स्थापना
		(3) एआई सांडों की खरीद
(ङ)	विविध (ऊपर कवर न की गई छोटी गतिविधियां आदि)	(ङ) एआई नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण
		(1) वीर्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण
		(2) नए वीर्य केन्द्रों की स्थापना
		(3) एआई सांडों की खरीद

1	2	3
		(च) फील्ड एआई नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण
		(1) निजी एआई कर्मियों की स्थापना
		(2) एआई केन्द्रों को मोबाइल केन्द्रों में बदलना
		(3) एनजीओ/स्वयं सेवी संगठनों/एआई केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण
		(छ) मानव शक्ति विकास
		(1) निजी एआई कर्मियों का प्रशिक्षण
		(2) मौजूदा एआई कर्मियों का प्रशिक्षण
		(3) व्यावसायिकों का प्रशिक्षण
		(4) विदेशों में व्यावसायिकों का प्रशिक्षण
		(ज) एआई कर्मियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण/स्थापना
		(1) 6000 रुपए प्रति कर्मी की दर से निजी एआई कर्मियों को सहायता
		(झ) राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सहायता
		(1) राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रबंधकीय अनुदान
		(2) कंप्यूटरीकरण और एमआईएस
		(3) समवर्ती मूल्यांकन
		(ट) यौन स्वास्थ्य नियंत्रण कार्यक्रम
		(1) प्रजननात्मक उर्वरता शिविरों का आयोजन
		(ठ) सीपीएमयू को सहायता

[अनुवाद]

अचल संपत्ति का अंतरण

1250. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने विनिर्णय दिया है कि कोई भी अचल संपत्ति जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, बिक्री समझौते या वसीयत के माध्यम से विधिक रूप से अंतरित नहीं की जा सकती;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से यह कहा है कि वे तत्काल कदम उठाएं तथा उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय को लागू करें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) जी हां। विधि और न्याय मंत्रालय ने सूचित किया है कि उच्चतम न्यायालय ने सूरज लैम्प एंड इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लि. बनाम हरियाणा सरकार तथा अन्य मामले में एस.एल.पी. (सिविल) सं. 2009 की 13917 में दिनांक 11.10.2011 को निर्णय दिया है कि अचल सम्पत्ति का कानूनी और न्यायिक रूप से हस्तांतरण पंजीकृत हस्तांतरण विलेख द्वारा ही किया जा सकता है। 'जी.पी.ए. बिक्री अथवा बिक्री करार (एस.ए.)/जनरल पावर ऑफ एटॉर्नी (जी.पी.ए.)/वसीयत हस्तांतरण के माध्यम से किए गए सौदों से हकदारी नहीं मिल जाती और न ही हस्तांतरण होता है। अचल

संपत्ति के हस्तांतरण की इस प्रक्रिया को मान्य अथवा वैध विधि नहीं कहा जा सकता है। ये विधियां इस सुस्थापित कानूनी स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं कि बिक्री करार (एस.ए.)/जनरल पावर ऑफ एटॉर्नी (जी.पी.ए.)/वसीयत के माध्यम से किए गए सौदे 'हस्तांतरण' अथवा 'बिक्रियां' नहीं हैं और यह कि इस प्रकार के सौदे को पूर्ण हस्तांतरण नहीं माना जा सकता है। तथापि, उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी है कि बिक्री करार (एस.ए.)/जनरल पावर ऑफ एटॉर्नी (जी.पी.ए.)/वसीयत के माध्यम से किए गए सौदों के बारे में उनकी टिप्पणियां वास्तविक सौदों पर लागू करने के लिए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विधि एवं न्याय मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में इस सुस्थापित कानूनी स्थिति को दोहराया है कि बिक्री करार (एस.ए.)/जनरल पावर ऑफ एटॉर्नी (जी.पी.ए.)/वसीयत के माध्यम से किए गए सौदे 'हस्तांतरण' अथवा 'बिक्रियां' नहीं हैं और यह कि इस प्रकार के सौदे को पूर्ण हस्तांतरण नहीं माना जा सकता है। शीर्षस्थ न्यायालय का यह निर्णय कानूनी स्थिति की पुनरावृत्ति है। अतः राज्य सरकारों को उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को लागू करने के लिए कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

पी.डी.एस. में बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी

1251. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री आनन्दराव अडसुल:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को शामिल करने तथा अपात्र लाभार्थियों को बाहर करने के लिए बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने संशोधित गरीबी अनुमानों को अधिसूचित करने का भी निर्णय किया है, जिसके आधार पर राज्य पी.डी.एस. के अंतर्गत लाभार्थियों की समुचित पहचान कर सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य खाद्य विभागों के सचिवों के विभिन्न सम्मेलनों ने इस प्रणाली का पुनरुद्धार करने तथा लक्षित लाभार्थियों तक खाद्यान्न पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं; और

(च) यदि हां, तो इन सिफारिशों को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपात्र परिवारों के नाम काटने और पात्र परिवारों के नाम जोड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की सूचियों की समीक्षा करनी होती है।

भारत सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता और प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए समयबद्ध तरीके से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यू.आई.डी. (आधार) नामांकन के एक भाग के रूप में यू.आई.डी.ए.आई. नियुक्त विभिन्न पंजीयकों द्वारा चलाई जा रही आंकड़े एकत्रण की प्रक्रिया में सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी फील्डों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, जहां तक संभव हो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आधार पंजीकरण के साथ उचित दर दुकानों के स्तर पर सुपुर्दगी और भुगतान के इलेक्ट्रानिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के साथ भी इसे जोड़ना चाहिए। इससे बायो-मैट्रिक एकत्रीकरण की प्रक्रिया सुप्रवाही बनाने और उचित दर दुकानों से वस्तुएं जारी करने के समय लाभार्थियों को प्रमाणित करने में सहायता मिलेगी।

(ग) से (च) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का आवंटन करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, योजना आयोग के 1993-94 के गरीबी अनुमानों और भारत के महापंजीयक के 1 मार्च, 2000 के आबादी अनुमानों अथवा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा वास्तव में पहचान किए गए ऐसे परिवारों और जारी किए गए राशन कार्डों, जो भी कम हो, का उपयोग करता है। इन अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या 6.52 करोड़ है, जिसमें लगभग 2.44 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवार शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार ने देश में सामाजिक-आर्थिक और जातीय जनगणना शुरू की है जिससे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों के अधीन कवरेज के लिए लाभार्थियों की पहचान की जा सकेगी।

यह विभाग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सफल और प्रभावी सुधारों के लिए राज्यों से नियमित रूप से बातचीत कर रहा है। 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सर्वोत्तम पद्धतियां और सुधार' पर जुलाई, 2010 में राज्य खाद्य सचिवों और अन्य अधिकारियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ यह संकल्प लिया गया था कि लाभार्थियों की सही पहचान गरीबी के संशोधित अनुमानों और आबादी अद्यतन अनुमानों के आधार पर की जाए, प्रत्येक माह खाद्यान्नों की समय से सुपुर्दगी की जाए, उचित दर

दुकानों के लिए द्वार पर सुपुर्दगी की जाए, जहां कहीं से मांग आए वहां खाद्यान्नों का थोक में वितरण किया जाए आदि। फरवरी, 2011 में राज्य खाद्य मंत्रियों और खाद्य सचिवों के साथ चार क्षेत्रीय सम्मेलन भी किए गए थे।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और सुप्रवाही बनाना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने इसकी नियमित रूप से समीक्षा की है और मॉनीटरिंग तथा सतर्कता में सुधार करके, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में पारदर्शिता बढ़ाकर, संशोधित नागरिक अधिकार पत्र, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यंत्रों का उपयोग करके तथा उचित दर दुकानों के प्रचालनों की सक्षमता में सुधार करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को मजबूत बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश भी जारी किए हैं।

[हिन्दी]

कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रों में शिक्षा

1252. श्रीमती मीना सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रों में शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसान अपने पशुधन में वृद्धि कर सकें;

(ख) पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कृषि शिक्षा से लाभान्वित हुए किसानों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) कृषि शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी हां।

(ख) प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित किसानों की संख्या:

वर्ष	किसानों की संख्या
2009-2010	12.33 लाख
2010-2011	12.60 लाख
2011-2012	09.25 लाख

(अक्टूबर, 2011 तक)

पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक लाभान्वित हुए किसानों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) कृषि शिक्षा राज्य का विषय है इसलिए इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाना संबंधित राज्य सरकार के दायरे में आता है।

विवरण

वर्ष 2009-2010-11 और 2011-12 के अक्तूबर तक के.वी.के. प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभान्वित किसानों की संख्या

वर्ष	राज्य	प्रशिक्षित किसानों की संख्या
1	2	3
2009-10		
जोन-I	पंजाब	22403
	हरियाणा	40113
	दिल्ली	321
	हिमाचल प्रदेश	19830
	जम्मू और कश्मीर	10692
जोन-II	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	711
	बिहार	149857

1	2	3
	झारखंड	38930
	पश्चिम बंगाल	37014
जोन–III	अरुणाचल प्रदेश	7468
	असम	10273
	मणिपुर	6078
	मेघालय	4482
	मिजोरम	6242
	नागालैंड	7184
	सिक्किम	5171
	त्रिपुरा	4956
	जोन–IV	
	उत्तर प्रदेश	151350
	उत्तराखंड	17222
	जोन–V	
	आंध्र प्रदेश	41283
	महाराष्ट्र	80277
	जोन–VI	
	राजस्थान	67362
	गुजरात	52470
जोन–VII		
	मध्य प्रदेश	81704
	छत्तीसगढ़	30314
	उड़ीसा	40447
जोन–VIII	कर्नाटक	101454
	तमिलनाडु	146442
	केरल	34144
	पुदुचेरी	4252
	गोआ	2750
	लक्षद्वीप	9949

1	2	3
	कुल योग	• 1233145
	वर्ष 2010-11	
जोन-I	पंजाब	21375
	हरियाणा	42880
	दिल्ली	871
	हिमाचल प्रदेश	21962
	जम्मू और कश्मीर	11674
जोन-II	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	673
	बिहार	159730
	झारखंड	37205
	पश्चिम बंगाल	28759
जोन-III	अरुणाचल प्रदेश	9989
	असम	19675
	मणिपुर	8992
	मेघालय	7468
	मिजोरम	9942
	नागालैंड	8238
	सिक्किम	7948
	त्रिपुरा	6796
जोन-IV		
	उत्तर प्रदेश	138923
	उत्तराखंड	19695
जोन-V		
	आंध्र प्रदेश	39876
	महाराष्ट्र	75364
जोन-VI		
	राजस्थान	67087
	गुजरात	56538

1	2	3
जोन–VII		
	मध्य प्रदेश	73556
	छत्तीसगढ़	46050
	उड़ीसा	58077
जोन–VIII		
	कर्नाटक	91228
	तमिलनाडु	145773
	केरल	30079
	पुदुचेरी	5219
	गोआ	2070
	लक्षद्वीप	6851
	कुल योग	1260563
	वर्ष राज्य	प्रशिक्षित किसानों की संख्या
	2011-12 (अक्टूबर तक)	
जोन–I	पंजाब	16130
	हरियाणा	28079
	दिल्ली	119
	हिमाचल प्रदेश	14872
	जम्मू और कश्मीर	7591
जोन–II	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	504
	बिहार	110897
	झारखंड	29197
	पश्चिम बंगाल	28421
जोन–III	अरुणाचल प्रदेश	5641
	असम	6780
	मणिपुर	3811
	मेघालय	2924
	मिजोरम	5241

1	2	3
	नागालैंड	5241
	सिक्किम	3407
	त्रिपुरा	2152
जोन–IV		
	उत्तर प्रदेश	117210
	उत्तराखंड	12312
जोन–V		
	आंध्र प्रदेश	31432
	महाराष्ट्र	67512
जोन–VI		
	राजस्थान	52211
	गुजरात	38405
जोन–VII		
	मध्य प्रदेश	72605
	छत्तीसगढ़	21212
	उड़ीसा	29152
जोन–VIII		
	कर्नाटक	72032
	तमिलनाडु	103973
	केरल	25266
	पुदुचेरी	3061
	गोआ	1870
	लक्षद्वीप	7461
कुल योग		925655

डीडीए (दिविप्रा) द्वारा आवासीय तथा व्यावसायिक क्षेत्र का विकास

1253. **श्री माणिकराव होडल्या गावितः** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा विकसित किए गए आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों का रखरखाव स्वयं डीडीए द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बवाना औद्योगिक क्षेत्र तथा रोहिणी को सड़क द्वारा जोड़ने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) जी हां। सीवरेज, नालियों, जल आपूर्ति और सड़कों आदि जैसी सेवाओं के रखरखाव सहित दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्रों का दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा तब तक रखरखाव किया जाता है जब तक कि दिल्ली जल बोर्ड जैसे संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों को ये सेवाएं सौंप नहीं दी जातीं।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि इस भू-भाग में डीडीए द्वारा प्रस्तावित शहरी विस्तार सड़क सं. 11 का निर्माण किए जाने से ये दोनों स्थान जुड़ जाएंगे तथा यह कार्य वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान शुरू किया जाएगा।

(ङ) उपयुर्क्त दिए गए उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दूध के मूल्यों में वृद्धि

1254. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन फेडरेशन ने उत्पादन की लागत में वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मदर डेयरी द्वारा भी दूध की कीमतें बढ़ाए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) गुजरात सहकारिता दुग्ध विपणन परिसंघ (जी.सी.एम.एम.एफ.) ने सूचित किया है कि दूध की कीमत बढ़ाने का ऐसा कोई निर्णय नहीं है।

(ग) और (घ) मदर डेयरी, दिल्ली ने बताया है कि तत्काल यानि अगले एक महीने के भीतर कीमत बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देना

1255. श्री जगदीश ठाकोर: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में गुजराती एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश एवं विदेश में गुजराती एवं अन्य भाषाओं की फिल्मों एवं संगीत को किस तंत्र/तरह से बढ़ावा दिए जाने की संभावना है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्य-वार आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) और (ख) सरकार ने भारतीय सिनेमा और नई प्रतिभा की बहु-भाषायी विविधता का संवर्द्धन करने के लिए 11वीं योजनावधि के लिए "विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों का निर्माण" नामक एक योजनागत स्कीम का अनुमोदन किया है। इस योजनागत स्कीम में 36 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में 15 (पंद्रह) फीचर फिल्मों तथा अंग्रेजी/हिन्दी भाषा में 3 (तीन) फिल्मों का निर्माण करने का प्रावधान है। इस स्कीम को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एन.एफ.डी.सी.) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

उक्त योजनागत स्कीम के अनुसार, एन.एफ.डी.सी. बाह्य निर्माताओं व निर्देशकों से फिल्म-प्रस्ताव आमंत्रित करता है, जिन पर एक पटकथा समिति द्वारा विचार किया जाता है, इस समिति की सिफारिशों की एन.एफ.डी.सी. की जांच समिति द्वारा पुनः जांच की जाती है और उन्हें अंततः एन.एफ.डी.सी. के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अनुमोदित फिल्म-प्रस्तावों पर एन.एफ.डी.सी. द्वारा फिल्मों का निर्माण/सह-निर्माण किया जाता है। एन.एफ.डी.सी. ने अभी तक 6 (छह) फिल्मों का निर्माण किया है और गुजराती भाषा में एक फिल्म सहित 11 (ग्यारह) फिल्में निर्माणाधीन हैं। इन योजनागत स्कीमों के अंतर्गत निर्मित कई फिल्मों जैसे कि पाल्तादाचो म्यूनिस (कोंकणी), बायोस्कोप (मलयालम), हाट (राजस्थान) और माया बाजार (बंगला) को भारत के भीतर व भारत से बाहर आयोजित समारोहों में प्रदर्शित किया गया है। इन फिल्मों को अनेक राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

(ग) इस योजनागत स्कीम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं और हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में फिल्मों का निर्माण करने के लिए अभी तक एन.एफ.डी.सी. को निम्नलिखित निधियां जारी की गई हैं। इन निधियों का राज्य-वार आवंटन नहीं किया गया है।

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
2008-09	6.50
2009-10	7.84
2010-11	9.99
2011-12	7.80
	32.13

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान मीडिया गतिविधियां

1256. श्री रूद्रमाधव राय:
श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के दौरान मीडिया केन्द्र की डिजाइनिंग स्थापना तथा प्रमुख प्रेस केन्द्र एवं अन्य मीडिया कार्यकलापों का संचालन करने का कार्य ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बी.ई.सी.आई.एल.) को दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्य के लिए आवंटित एवं व्ययित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त परियोजना में लागत वृद्धि कितनी रही तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सभी सौंपे गए कार्यों को कब तक पूरा किया गया था?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) जी, हां। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय, पत्र सूचना कार्यालय (पी.आई.बी.) द्वारा राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के दौरान प्रेस संबंधी कार्यकलापों के लिए हॉल संख्या 12 व 12क, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में मुख्य प्रैस केंद्र (एम.पी.सी.) और स्थलीय मीडिया केंद्रों (वी.एम.सी.) की स्थापना करने के लिए ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) को टर्नकी डिलीवरी पार्टनर के रूप में संलग्न किया गया था।

(ग) और (घ) यद्यपि, उक्त कार्य के लिए 31.75 करोड़ रुपए की निधियां आवंटित की गई थीं, तथापि, केवल 20.70 करोड़ रुपए का वास्तविक व्यय हुआ।

(ङ) सौंपे गए कार्य को 23 सितंबर, 2010 तक पूरा कर लिया गया था।

कृषि प्रशिक्षण

1257. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि क्लिनिक एवं कृषि व्यवसाय की स्थापना करने में समर्थ बनाने हेतु सरकार कृषि में स्नातकों को प्रशिक्षण देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों की प्रस्तावित स्थापना तथा उनमें से अब तक स्थापित किए गए संस्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे संस्थानों द्वारा अब तक लाभान्वित व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) ऐसे प्रत्येक केन्द्र द्वारा उक्त अवधि के दौरान आबंटित एवं उपयोग की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, हां।

(ख) देश में बेरोजगार कृषि स्नातकों की क्षमता का दोहन करने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम "कृषि क्लिनिक एवं कृषि-व्यापार केन्द्रों की स्थापना" अप्रैल, 2002 से क्रियान्वित की

जा रही है। ऐसी कृषि उद्यमी जो स्कीम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात अपने कृषि उद्यमों की स्थापना करते हैं, किसानों को अपरिहार्य रूप से विस्तार तथा अन्य सेवाएं प्रदान करके सार्वजनिक विस्तार के प्रयासों को अनुपूरित करेंगे। शुरुआत से 24.11.2011 तक समूचे देश में स्कीम के तहत 26921 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है जिसमें से 9569 उम्मीदवारों ने अपने कृषि उद्यमों की स्थापना कर ली है।

स्कीम की प्रमुख विशेषताएं

(I) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान, हैदराबाद, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन एक शीर्षस्थ स्वायत्त संस्थान, प्रशिक्षण घटक का समन्वय करता है। स्कीम के तहत देश में अभिज्ञात नोडल प्रशिक्षण संस्थाओं के जरिए पात्र चयनित उम्मीदवारों को 2 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उनके उद्यमों की स्थापना में एक वर्ष तक नोडल प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा मदद भी की जाती है।

(II) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कृषि क्लिनिकों को ऋण सहायता तथा बैंकों के जरिए ऋण से जुड़ी हुई बैक-एंडेड सब्सीडी की मानीटरिंग के लिए उत्तरदायी है। इस स्कीम के तहत महिलाओं, अ.जा./अ.ज.जा. तथा पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों के सभी वर्गों के उम्मीदवारों के मामले में 44 प्रतिशत की दर पर तथा अन्य उम्मीदवारों के मामले में 36 प्रतिशत की दर पर ऋण से जुड़ी हुई बैक-एंडेड सब्सिडी देने का प्रावधान है।

(ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं है। तथापि, 11वीं योजना के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में ए.सी.ए.बी.सी. स्कीम के तहत अभिज्ञात एन.टी.आई. की संख्या की सूची संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(घ) 11वीं योजना के दौरान 62 नोडल प्रशिक्षण संस्थानों ने कुल 13691 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया तथा इसकी राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(ङ) 11वीं योजना के दौरान प्रत्येक एन.टी.आई. द्वारा निर्मुक्त तथा प्रयुक्त धनराशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

11वीं योजना अवधि के दौरान अभिज्ञात नोडल प्रशिक्षण संस्थानों की राज्यवार सूची

क्र.सं	राज्य	एनटीआईकी संख्या	11वीं योजना के दौरान प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3	482
2.	असम	2	286
3.	बिहार	4	979
4.	छत्तीसगढ़	1	105
5.	गुजरात	3	416
6.	हरियाणा	1	278
7.	हिमाचल प्रदेश	3	202
8.	जम्मू और कश्मीर	3	820
9.	झारखंड	2	219
10.	कर्नाटक	3	879
11.	केरल	1	48
12.	मध्य प्रदेश	1	131
13.	महाराष्ट्र	6	3069
14.	मणिपुर	1	163
15.	मिजोरम	1	32
16.	नागालैंड	1	146
17.	उड़ीसा	3	100
18.	पुदुचेरी	1	69
19.	पंजाब	1	238

1	2	3	4
20.	राजस्थान	3	720
21.	तमिलनाडु	5	1507
22.	उत्तर प्रदेश	9	2776
23.	उत्तरांचल	1	26
24.	पश्चिम बंगाल	3	0
	कुल	62	13691

विवरण II

कृषि क्लीनिक एवं कृषि-व्यापार केन्द्र स्कीम के तहत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अभिज्ञात नोडल प्रशिक्षण संस्थानों को जारी तथा उनके द्वारा प्रयुक्त धनराशि

क्र.सं.	नोडल प्रशिक्षण संस्थान का नाम	निर्मुक्त धनराशि (लाख रु. में)	प्रयुक्त धनराशि (लाख रु. में)
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	बोजा वेंकट रेड्डी कृषि फांउडेशन, नान्दयाड	24.99	18.93
2.	उद्यमिता विकस केंद्र, हैदराबाद	35.26	35.81
3.	सहभागी ग्रामीण विकास पहल, हैदराबाद	57.38	38.62
	असम		
4.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	0.34	5.79
5.	भारतीय कृषि व्यापार व्यवसायिक सोसायटी, गुवाहाटी	59.32	58.10
	बिहार		
6.	उद्यमिता विकास संस्थान, पटना	49.04	55.23
7.	एससीएडीए, पटना	32.53	41.26
8.	एसआरआईएसटीआई फाउंडेशन, पटना	38.21	28.60
9.	एसआरआईएसटीआई फाउंडेशन, पटना	80.39	56.48

1	2	3	4
	छत्तीसगढ़		
10.	भारतीय कृषि कालेज, दुर्ग	17.78	6.86
	गुजरात		
11.	अंतराष्ट्रीय लोक नेतृत्व संस्थान, अहमदाबाद	56.45	48.44
12.	विवेकानंद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, कच्छ	14.43	14.43
13.	एमआईटीसीओएन-अमरेली (गुजरात)	0.00	0.00
	हरियाणा		
14.	भारतीय कृषि व्यापार व्यवसायिक सोसायटी, करनाल	52.36	45.54
	हिमाचल प्रदेश		
15.	हिमाचल परामर्श सेवा संगठन, शिमला	13.59	6.39
16.	भारतीय कृषि व्यापार व्यावसायिक सोसायटी, सोलन	26.28	33.8
17.	डा. वाई एस परमार बावानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	0	7.50
	जम्मू और कश्मीर		
18.	भारतीय कृषि व्यापार व्यासायिक सोसायटी, जम्मू	37.79	51.53
19.	भारतीय कृषि व्यापार व्यासायिक सोसायटी, श्रीनगर	51.74	46.43
20.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	45.36	36.62
	झारखंड		
21.	भारतीय कृषि व्यापार व्यवसायिक सोसायटी, बोकारो	40.41	35.00
22.	ग्रामीण विकास एवं सामाजिक कल्याण संगठन, रांची	5.11	5.11
	कर्नाटक		
23.	मेसर्स टेरा-फार्मा बायो टेक्नालाजी लि., बंगलौर	110.49	110.91
24.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, त्रिचुर	38.20	30.53

1	2	3	4
25.	श्रीराम प्रतिष्ठान मंडल, बेलगाम (कर्नाटक)	16.00	9.45
	केरल		
26.	केरल कृषि व्यापार व्यवसायिक सोसायटी, भोपाल	9.88	10.84
	मध्य प्रदेश		
27.	कृष्णा वेली एडवांसड कृषि फाउंडेशन, सांगली	27.82	20.47
	महाराष्ट्र		
28.	कृष्णा वेली एडवांसड कृषि फाउंडेशन, सांगली	132.25	139.19
29.	कृषि विज्ञान केन्द्र, अमरावली	64.40	21.01
30.	बारामती कृषि विकास ट्रस्ट कृषि विज्ञान केन्द्र, बारामती	48.61	39.52
31.	कृषि विज्ञान केन्द्र, परवार नगर	31.73	35.33
32.	मिटकोन कांस्लटेंसी सर्विस लि., पुणे	230.20	200.29
33.	श्रीराम प्रतिष्ठान मंडल, शोलापुर	45.96	64.58
	मणिपुर		
34.	सहकारी प्रबंधन संस्थान, इम्फाल	38.75	38.22
	मिजोरम		
35.	भारतीय कृषि व्यापार व्यवसायिक सोसायटी, आइजल	6.21	6.21
	नागालैंड		
36.	भारतीय कृषि व्यापार व्यवसायिक सोसायटी, मेडजीफेमा	22.04	27.65
	ओडिशा		
37.	एफीनिटी बिजनेस स्कूल, खुर्दा	10.43	7.82
38.	एचडीएफ स्कूल आफ मैनेजमेंट, भुवनेश्वर	12.92	2.89
39.	कृषि प्रबंधन केन्द्र, उत्कल विश्वविद्यालय	7.31	0

1	2	3	4
	पुदुचेरी		
40.	लोक सेवा स्वैच्छिक संघ, पुदुचेरी (क्षेत्रीय केंद्र)	28.05	18.66
	पंजाब		
41.	भारतीय कृषि व्यापार व्यवसायिक सोसायटी, अमृतसर	33.11	41.79
	राजस्थान		
42.	जयपुर व्यापर एवं वित्त प्रबंध संस्थान, जयपुर	153.95	130.00
43.	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	4.68	7.21
44.	राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान, जयपुर	0	1.61
	तमिलनाडु		
45.	कृषि एवं ग्रामीण विकास अध्ययन केंद्र, कोयंबटूर	5.15	8.15
46.	वैकल्पिक रोजगार केंद्र, नामक्कल	103.97	94.02
47.	राष्ट्रीय कृषि फाउंडेशन, चेन्नई	17.43	12.04
48.	षडमुगा कला, विज्ञान प्रौद्योगिक व अनुसंधान अका. तंजवुर	2.57	3.06
49.	लोक सेवा स्वैच्छिक संघ, मदुरई	192.33	154.41
	उत्तर प्रदेश		
50.	साम हिजिनबाटम कृषि प्रौ. एवं विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद	17.04	20.91
51.	कृषि एवं ग्रामीण विकास केन्द्र, नोएडा	33.79	26.27
52.	सीएस आजाद कृषि एवं प्रौ. विश्वविद्यालय, कानपुर	0	0.24
53.	इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान, लखनऊ	20.48	22.37
54.	उत्कृष्ट कृषि ग्रामीण विकास सो. मुरादाबाद	44.44	42.14

1	2	3	4
55.	कृषि विज्ञान केन्द्र, कौशाम्बी	6.63	11.22
56.	राजा दिनेश सिंह कृष्षि विज्ञान केंद्र, प्रतापगढ़	5.39	0.80
57.	राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, लखनऊ	5.95	9.88
58.	श्री मा गुरू ग्रामोद्योग संस्थान, वाराणसी	365.35	372.70
	उत्तराखंड		
59.	जी बी पंत कृषि व प्रौ. विश्वविद्यालय, पंतनगर	5.05	5.04
	पश्चिम बंगाल		
60.	विज्ञान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	0.43	0.75
61.	नेताजी सुभाष क्षेत्रीय सख्या प्रबंध संस्थान, कल्याणी	0	7.89
62.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्‌यमिता पार्क, आईआईटी, खड़गपुर	0	3.51

[हिन्दी]

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास

1258. **श्री विलास मुत्तेवार:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र बलों के परामर्श से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास करने के लिए कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास करने के लिए सशस्त्र बलों/सेना के परामर्श से ऐसा कोई प्रस्ताव/योजना तैयार नहीं की जा रही है। तथापि, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में, सिविक एक्शन प्रोग्राम आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ.) को निधियां आवंटित की जाती हैं। इस कार्यक्रम का लक्ष्य स्थानीय जनता और सुरक्षा बलों के बीच विश्वास और सहयोग पैदा करना है।

पशु रोग

1259. **श्री रेवती रमण सिंह:**
श्री मकनसिंह सोलंकी:
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि पिछले तीन वर्षो के दौरान विभिन्न राज्यों में खुरपका एवं मुंहपका रोग के कारण कई पशु मर गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस रोग से पशुओं को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या ऐसे रोगों के संबंध में सरकार कोई अनुसंधान कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणाम क्या हैं;

(च) क्या देश में किसी गहन पशु जांच प्रणाली का विकास किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों से खुरपका और मुंहपका रोग के कारण गोपशुओं की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रोग के प्रकोप, दौरा और मृत्यु संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। बछड़ों में मृत्यु की छिटपुट घटनाएं मायोकार्डियल रोधगलन के कारण होती हैं और व्यस्कों में यह कुछ मामलों में हेमोरेनिक सेप्टिसीमिया जैसे पैथोजेनिक वैक्टिरीकरण संक्रमणों के कारण पैदा हुई क्लिनिकल जटिलता के कारण होती हैं।

(ग) मुंहपका और खुरपका रोग की रोकथाम, नियंत्रण तथा संरोध के लिए भारत सरकार केन्द्रीय प्रायोजित योजना नामत:- "पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता" (ए.एस.सी. ए.डी.) के तहत पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफ. एम.डी.-सी.पी.) के माध्यम से परीक्षण/टीकाकरण के लिए अन्य सरकारों निधियां प्रदान करती है। मुंहपका और खुरपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम को टीकाकरण के लिए टीके की लागत, कोल्ड चेन का रखरखाव और अन्य संभारतंत्रीय समर्थन के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ देश के 221 विशिष्ट जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, ए.एस.सी.ए.डी. के तहत एफ.एम.डी. सहित पशुधन के आर्थिक रूप से प्रमुख रोगों के नियंत्रण के लिए एफ.एम.डी.-सी.पी. के तहत कवर किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अलावा सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कुछ राज्य राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी. वाय.) के तहत एफ.एम.डी. टीकाकरण चला रहे हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी. ए.आर.) देश में एफ.एम.डी. के स्थानिक विज्ञान, रोग निदान और निगरानी के संबंध में एफ.एम.डी. परियोजना निदेशालय, मुक्तेश्वर और भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आई.वी.आर.आई.), बंगलौर के माध्यम से एफ.एम.डी. अनुसंधान में सक्रिय रूप से संलग्न है। अनुसंधान और निष्कर्ष से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) और (छ) आई.सी.ए.आर. ने वायरस प्रसार पर निगरानी के लिए वार्षिक क्रियाकलाप के तौर पर राष्ट्रीय सेरो-निगरानी अध्ययन आरंभ किया है। इसके अंतर्गत वार्षिक रूप से देश के प्रत्येक जिले में करीब 100 पशुओं की जांच की जाती है।

विवरण I

विगत तीन वर्षों में राज्यों और संघ क्षेत्रों द्वारा मुंहपका और खुरपका रोग के प्रकोप, आक्रमण और मृत्यु संबंधी सूचना को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008			2009			2010		
		O	A	D	O	A	D	O	A	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	9	326	3	8	359	7	2	33	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	6	463	29	18	1072	74	13	865	31
3.	छत्तीसगढ़	0	0	0	1	40	0	0	0	0
4.	गुजरात	8	295	20	15	605	7	13	611	18
5.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	3	22	0
6.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1	8	0
7.	जम्मू और काश्मीर	16	1671	1	4	781	1	3	89	0
8.	झारखंड	12	50	0	4	353	0	8	1970	0
9.	कर्नाटक	254	5453	61	169	3647	117	86	1866	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	केरल	0	0	0	47	303	0	0	0	0
11.	मध्य प्रदेश	1	135	0	0	0	0	0	0	0
12.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	5	64	1
13.	मेघालय	16	176	0	134	3982	0	133	1815	0
14.	मिजोरम	21	575	11	43	836	71	12	141	0
15.	नागालैण्ड	19	689	59	7	163	5	54	3631	16
16.	उड़ीसा	26	628	15	84	2303	49	8	748	14
17.	पंजाब	2	300	24	1	51	0	0	0	0
18.	राजस्थान	13	511	21	31	947	23	14	6392	251
19.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	तमिलनाडु	12	110	19	0	0	0	1	68	10
21.	त्रिपुरा	3	42	0	28	1139	9	8	141	3
22.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	5	121	0
23.	उत्तरांचल	0	0	0	2	722	55	0	0	0
24.	पश्चिम बंगाल	31	1329	15	306	9224	55	53	1397	0
25.	दमन और द्वीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	449	12753	278	902	26527	473	422	19982	361

O–प्रकोप
A–हमला
D–मृत्यु

विवरण II

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) द्वारा खुरपका और मुंहपका रोग संबंधी किए गए अनुसंधान और निष्कर्ष

(1) देश भर के 23 राज्यों को कवर करते हुए प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क, जिसमें प्रशिक्षित जनशक्ति शामिल है, एफ.एम.डी. के रीयल-टाईम निगरानी के लिए स्थापित किया गया है।

(2) रीयल-टाईम अपादा विज्ञान सूचना के मिलने और एफ.एम.डी. के लिए स्वदेशी रोग निदान किटों के विकास से पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा 2003 में राष्ट्रीय एफ.एम.डी. नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ करने में मदद मिली।

(3) देश में रोग की घटना में क्रमिक गिरावट और रोग की घटना से होने की त्वरित, रीयल-टाईम संक्षिप्त रोग निदान और सेरो निगरानी द्वारा पुष्ट किया गया है।

(4) पहली बार देश में वायरस के प्रसार की निगरानी में प्रयोग के लिए स्वदेशी डी.आई.वी.ए. जांचों को विकसित किया गया। आजकल देश में इन जांचों का बहुत प्रयोग किया जा रहा है।

(5) भैंसों में एफ.एम.डी. टीके की बेहतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से एफ.एम.डी. से इन पशुओं की सुरक्षा के बारे में लोगों में जागरूकता आई है और इससे ग्रामीण स्तर पर घरेलू आय में बढ़ोतरी के साथ पशुधन में मूल्यवर्द्धन हुआ है।

(6) थर्मो-स्थिरता और प्रतिरक्षण प्रतिक्रिया की अवधि को बढ़ाने के लिए वर्तमान संपूर्ण वायरस टीके को एक पर्याय के रूप में रिवर्स जेनेटिक्स द्वारा नई पीढ़ी के टीके को तैयार करने के लिए अंतराष्ट्रीय सहयोग की पहल की गई है।

(7) सार्क क्षेत्र में एफ.एम.डी. नियंत्रण अभियान का नेतृत्व करने के लिए आई.सी.ए.आर. को दक्षिण एशिया में एफ.एम.डी. के लिए एफ.ए.ओ. क्षेत्रीय संदर्भ केंद्र के रूप में जाना जाता है।

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए प्रस्ताव

1260. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य सरकारों से कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा ऐसे प्रस्ताव अभी भी लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग) राज्य सरकारों से ऐसे कोई प्रस्ताव सीधे प्राप्त नहीं हुए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण योजना स्कीम के अंतर्गत देश में नई खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना तथा विद्यमान यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन और विस्तार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय उद्यमियों को संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु अधिकतम 50 लाख रुपए और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75 लाख रुपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पूर्व में ऐसे अनुदान के लिए मंत्रालय को सभी आवेदन राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त होते थे। तत्पश्चात् इन आवेदनों पर केन्द्रीय रूप से कार्रवाई करके अनुदान, सीधे मंत्रालय द्वारा वितरित किया जाता था। वर्ष 2007-08 से आवेदनों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन, अनुदान पात्रता की गणना तथा निधियों का वितरण पूर्णत: विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है। नई प्रक्रिया के तहत, कोई भी उद्यमी/आवेदक पड़ोस के बैंक की शाखा/वित्तीय संस्था में आवेदन कर सकता है। उसके पश्चात् बैंक/वित्तीय संस्था आवेदन का मूल्यांकन करके मंत्रालय द्वारा दिए गए विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार राशि की गणना करेगी और इस उद्देश्य से स्थापित ई-पोर्टल के माध्यम से मंत्रालय को अनुदान जारी करने के लिए सिफारिश करेगी। बैंक/वित्तीय संस्था से संस्तुति और अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात्, मंत्रालय अनुदान की मंजूरी देता है और नोडल बैंक के माध्यम से संबंधित आवेदक को धनराशि ई-पोर्टल से अंतरित करता है। निधियों की कमी के कारण कुछ आवेदन वितरण हेतु लंबित पड़े हैं। 11वीं योजना में, मंत्रालय ने अब तक महाराष्ट्र के लिए 492 यूनिटों को सहायता दी है।

[अनुवाद]

एकीकृत कीट प्रबंधन को बढ़ावा देना

1261. **श्री प्रदीप माझी:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकीकृत कीट प्रबंधन, टिड्डी दल नियंत्रण तथा पादप संरक्षण में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के पुनर्विन्यास और कीटनाशी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ठोस कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में एकीकृत कीट प्रबंधन को बढ़ावा दे रहे केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे अतिरिक्त केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक स्थापित किए गए ऐसे केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) चालू पंचवर्षीय योजना में पादप संरक्षण हेतु आवंटित एवं अब तक उपयोग की गयी राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त अवधि के दौरान ऐसे केन्द्रों में प्रशिक्षित किसानों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) केन्द्र सरकार "भारत में कीट प्रबंध प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण" स्कीम के तहत कीटनाशक अधिनियम, 1968 के क्रियान्वयन, टिड्डी नियंत्रण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य तथा समेकित कीट प्रबंध को बढ़ावा दे रही है। 28 राज्यों तथा 1 संघ शासित क्षेत्र में स्थापित 31 केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंध केन्द्रों के जरिए आई.पी.एम. से संबंधित क्रियाकलापों का क्रियान्वयन किया जाता है। टिड्डी चेतावनी संगठन टिड्डी निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन करता रहा है और राजस्थान तथा गुजरात और हरियाणा के कुछ भागों में अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्र में 2 लाख वर्ग किमी. से अधिक क्षेत्र में रेगिस्तानी टिड्डियों की मानीटरिंग और नियंत्रण कर रहा है।

कृमिनाशी अधिनियम, 1968 (उक्त अधिनियम) तथा कृमिनाशी नियमावली, 1971 (उक्त नियमावली) नामक व्यापक विधान के तहत कीटनाशकों का विनियमन किया जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत गठित पंजीकरण समिति द्वारा कीटनाशकों का पंजीकरण किया जाता है। संदर्भ विश्लेषण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 16 के तहत केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला की स्थापना की गयी है। कीटनाशक नमूनों के विश्लेषण के लिए 2 क्षेत्रीय कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाएं तथा 68 राज्य कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं।

राष्ट्रीय पादप संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद को एक स्वायत्त सोसाईटी के रूप में बदल दिया गया है तथा इसे राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान का नाम दिया गया है ताकि पौध संरक्षण के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए इसे एक उत्कृष्ट संस्थान बनाया जा सके।

(ग) देश में समेकित कीट प्रबंध को बढ़ावा देने वाले केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) 11वीं योजना के दौरान ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च) वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान पौध संरक्षण के लिए आबंटित निधियों तथा अब तक प्रयुक्त धनराशियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(छ) सी.आई.पी.एम.सी. द्वारा उक्त अवधि के दौरान प्रशिक्षित किसानों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य	सी.आई.पी.एम.सी.
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.	असम	गुवाहाटी
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर
4.	अरूणाचल प्रदेश	इंटानगर
5.	बिहार	पटना
6.	छत्तीसगढ़	रायपुर
7.	गोवा	मडगांव
8.	गुजरात	वड़ोदरा
9.	हरियाणा	फरीदाबाद
10.	हिमाचल प्रदेश	सोलन
11.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
		कश्मीर
12.	झारखंड	रांची
13.	कर्नाटक	बंगलौर
14.	केरल	एर्नाकुलम
15.	मध्य प्रदेश	इन्दौर
16.	मेघालय	शिलांग
17.	महाराष्ट्र	नागपुर
18.	मणिपुर	इम्फाल
19.	मिजोरम	आइजोल
20.	नागालैंड	दीमापुर
21.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
22.	पंजाब	जालंधर
23.	राजस्थान	श्रीगंगानगर
24.	सिक्किम	गंगटोक
25.	तमिलनाडु	त्रिची
26.	त्रिपुरा	अगरतला
27.	उत्तराखंड	देहरादून
28.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर
		लखनऊ
29.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

विवरण II

वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान आबंटित/प्रयुक्त राज्यवार धनराशि

(रु. हजार में)

	राज्य	सीआईपीएम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
			बप्रा	व्यय	बप्रा	व्यय	बप्रा	व्यय	बप्रा	व्यय	बप्रा	व्यय 10/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	2252	1861	2099	3017	2549	2943	3476	3275	3125	1707
2.	असम	गुवाहाटी	4503	3845	5014	7065	6312	7608	8116	8458	6813	4988
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर	1695	1465	1826	1855	2051	1534	3631	2890	3075	2108
4.	अरूणाचल प्रदेश	इटानगर			190	115	332	61	175	145		258
5.	बिहार	पटना	1332	1152	1562	2472	3739	3066	3460	3265	3225	1916
6.	छत्तीसगढ़	रायपुर	2350	1850	2289	3967	4452	3790	4316	4111	4104	2484
7.	गोवा	मडगांव	903	810	796	756	1508	983	2992	1107	2675	278
8.	गुजरात	बड़ोदरा	2029	1852	2130	3134	4921	4047	4634	4681	4268	2981
9.	हरियाणा	फरीदाबाद	1789	1673	1955	3418	3800	3433	3365	2865	3515	2697
10.	हिमाचल प्रदेश	सोलन	2546	2156	2331	3173	3796	3665	4476	4624	4062	3762
11.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	1315	1084	1207	1987	2209	1583	1905	1765	1656	1558
		श्रीनगर	642	566	970	1208	1368	1163	1226	1076	1210	641
12.	झारखंड	रांची	1632	1462	2130	2965	4596	4578	5530	5832	4890	3568
13.	कर्नाटक	बंगलौर	1965	1648	1930	3509	4521	4046	5102	4956	4095	3347
14.	केरल	एर्नाकुलम	1439	1301	1567	1991	1745	1708	2214	1852	2625	352
15.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	1698	1422	1524	2064	3042	2904	2680	2565	3233	1291
16.	मेघालय	शिलांग	1449	1302	2175	2807	3625	3376	3681	4282	3312	1833
17.	महाराष्ट्र	नागपुर	1852	1774	2450	4412	4947	6250	5717	6586	2858	2513
18.	मणिपुर	इम्फाल	465	365	541	597	1119	893	1428	1170	1545	924
19.	मिजोरम	आईजल	1023	864	830	1350	1581	466	2271	1921	2305	732
20.	नागालैंड	दीमापुर	1052	745	915	1497	1753	540	1938	1831	2031	1471
21.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	2466	2351	2512	4114	4302	5167	4074	3832	3630	2563
22.	पंजाब	जालंधर	1606	1423	1665	5796	3945	3234	3397	3774	3050	2117
23.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	2887	2574	2700	4522	4846	5074	3841	3696	3615	1922
24.	सिक्किम	गंगटोक	2710	5614	2781	3364	3563	3365	3961	3861	3689	2467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	तमिलनाडु	त्रिचि	1233	1147	1188	1614	2462	1819	2340	1852	2092	992
26	त्रिपुरा	अगरतला					469		528	145	587	437
27	उत्तराखंड	देहरादून	2060	1874	3440	4521	6877	6354	5964	5178	5650	3042
28	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	2670	2463	2719	3868	3600	3915	3660	3632	3300	3126
		लखनऊ	2305	2241	2268	3924	4821	2915	5114	4890	4070	3725
29	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	3406	3215	3496	3902	5346	4836	6681	4122	4316	3634
	कुल		55274	52099	59200	88984	104197	95316	111893	104239	98621	65414

विवरण III

11वीं योजना के दौरान (नवंबर, 2011 तक) सीआईपीएमसी द्वारा प्रशिक्षित किसानों की सूची

क्र.सं.	राज्य	सीआईपीएमसी	कुल प्रशिक्षित किसानों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	4380 + (135)
2.	असम	गुवाहाटी	5160 + (150)
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर	780
4.	अरूणाचल प्रदेश	इटानगर	660 + (384)
5.	बिहार	पटना	4380 + (608)
6.	छत्तीसगढ़	रायपुर	3227
7.	गोवा	मडगांव	3240
8.	गुजरात	बड़ोदरा	3855
9.	हरियाणा	फरीदाबाद	5160 + (1667)
10.	हिमाचल प्रदेश	सोलन	4920 + (660)
11.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू श्रीनगर	5040* + (330)
12.	झारखंड	रांची	4380
13.	कर्नाटक	बंगलौर	3134
14.	केरल	एर्नाकुलम	1541
15.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	3515 + (105)
16.	मेघालय	शिलांग	2400
17.	महाराष्ट्र	नागपुर	4680

1	2	3	4
18.	मणिपुर	इम्फाल	1080
19.	मिजोरम	आईजल	140
20.	नागालैंड	दीमापुर	780
21.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	4440
22.	पंजाब	जालंधर	3540
23.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	5100 + (125)
24.	सिक्किम	गंगटोक	1759
25.	तमिलनाडु	त्रिचि	2610
26.	त्रिपुरा	अगरतला	240
27.	उत्तराखंड	देहरादून	3420
28.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर गोरखपुर	10920** + (507)
29.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	3240 + (210)
		योग	98721 + (4881)
		कुल योग	103602

*सीआईपीएमसी श्रीनगर में प्रशिक्षित किसानों सहित

** सीआईसीएमसी लखनऊ में प्रशिक्षित किसानों सहित कोष्ठक में दिए गए आंकड़े-एफएफएस क्रियाकलापों से अलग प्रशिक्षित किसान

जैविक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1262. **श्रीमती अन्नू टन्डन:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जैविक एवं हरित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करने हेतु उद्यमियों के लिए विशेष योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार जैविक कृषि का उपयोग करते हुए गांव आधारित कृषि उद्योग हेतु विशेष प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (घ) मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय जैविक एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना समेत देश में नई खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना तथा विद्यमान यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन और विस्तार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों समेत देश में उद्यमियों को संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु अधिकतम 50 लाख रुपए और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75 लाख रुपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

[हिन्दी]

दाल उत्पादन हेतु सहायता

1263. **श्री धनश्याम अनुरागी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों को धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) जी हां। देश में दालों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न फसल उत्पादन कार्यक्रमों, यथा-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60000 दलहन गांवों का समेकित विकास, के अंतर्गत निधियों का आबंटन किया है। उन राज्यों में जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन के तहत शामिल नहीं है कृषि में बृहद प्रबंध के जरिए देश में दाल उत्पादन की वृद्धि करने के लिए भी निधियों का आबंटन किया गया है। तथापि, एम.एम.ए. के तहत धनराशि दलहन कार्यक्रमों सहित सभी कृषि कार्यक्रमों के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। वर्ष 20111-12 के दौरान निधियों के आबंटन का राज्यवार तथा स्कीमवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	के तहत आबंटित धनराशि रा.खा.सु.मि. दालें	60000 दलहन ग्राम कार्यक्रम (आर.के.वी.वाई.)	कृषि में बृहत प्रबंधन (दलहन विकास कार्यक्रम सहित समेकित निधि) 90% केन्द्रीय अंश
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	63.862	25.1	0
2.	असम	8.732	0	13.33
3.	बिहार	16.483	10.18	0
4.	छत्तीसगढ़	20.005	11.22	0
5.	गुजरात	22.223	14.4	0
6.	हरियाणा	9.349	0	0
7.	जम्मू और कश्मीर	0	0	31.44
8.	झारखंड	14.256	0	0
9.	कर्नाटक	54.049	30.86	0
10.	मध्य प्रदेश	112.333	44.48	0
11.	महाराष्ट्र	101.22	50.96	0
12.	उड़ीसा	17.84	9.9	0
13.	पंजाब	6.597	0	0
14.	राजस्थान	72.024	43.22	0
15.	तमिलनाडु	13.755	7.32	0
16.	उत्तर प्रदेश	86.737	38.36	0

1	2	3	4	5
17.	पश्चिम बंगाल	8.764	0	0
18.	गोवा	0	0	39
19.	केरल	0	0	10.01
20.	हिमाचल प्रदेश	0	0	17.05
21.	उत्तराखंड	0	0	19.65
22.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	17.22
23.	मणिपुर	0	0	17.22
24.	मेघालय	0	0	19.5
25.	मिजोरम	0	0	12.02
26.	नागालैण्ड	0	0	19.5
27.	सिक्किम	0	0	15.6
28.	त्रिपुरा	0	0	15.6
29.	दिल्ली	0	0	0.25
30.	पुदुचेरी	0	0	0.25
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0.04
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0.03
33.	दमण और दीव	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0.03
		627.231	297.00	247.74

[अनुवाद]

पी.वाई.के.के.ए. योजना के अन्तर्गत खेल-कूद प्रतियोगिताएं

1264. **श्री नवीन जिन्दल:**
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पी.वाई.के.के.ए.) योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को जारी की गयी एवं उनके द्वारा उपयोग की गयी धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन राज्यों को पी.वाई.के.के.ए. योजना अभी लागू करनी है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान ऐसे टूर्नामेंट आयोजित करने तथा खेल अवसंरचना का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बावजूद भी जिला एवं ब्लॉक स्तरों पर उक्त योजना के अंतर्गत कुछ राज्य खेल-कूद कार्यकलापों को आयोजित कराने पर राजी नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके राज्य-वार क्या कारण हैं;

(ङ) क्या प्रशिक्षित कर्मियों की कमी के कारण पी.वाई.के.के.ए. निदेशालय को पूरे देश में स्थित 48000 केन्द्रों का प्रबंधन करने में काफी कठिनाइयां आ रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और उन पर क्या कदम उठाए गए हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) 50925 ग्रामों तथा ब्लॉक पंचायतों में खेल मैदानों के विकास तथा वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों (2008-09 से 2010-11) तथा चालू वित्तीय वर्ष 31 अक्टूबर 2011 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 682.95 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। राज्य-वार और वर्ष-वार जारी की गई राशि तथा फंड की उपयोगिता/उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित स्थिति संलग्न विवरण I, II, III व IV में दी गई हैं।

(ख) संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

पायका योजना वर्ष 2008-09 के दौरान खेल मैदानों के विकास तथा वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने संबंधी जारी किए गए राज्य वार सहायता-अनुदान तथा फंड की उपयोगिता से संबंधित स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एसएआई/एनवाईकेएस का नाम	खेल मैदानों का विकास/जारी अनुदान			वार्षिक प्रतियोगिताएं	
		ग्राम/ब्लॉक पंचायत की संख्या	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का अनुदान	उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति	राज्यों/एवं संघ राज्यक्षेत्रों को जारी अनुदान	उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	2303	12.99	तय हो गया	0.78	तय हो गया
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य		0.93	तय हो गया
3.	असम	355	शून्य		1.88	तय हो गया
4.	बिहार	900	5.22	तय हो गया	शून्य	
5.	छत्तीसगढ़	996	शून्य		शून्य	
6.	गोवा	23	शून्य		शून्य	
7.	गुजरात	922	शून्य		शून्य	
8.	हरियाणा	631	3.26	तय हो गया	शून्य	
9.	हिमाचल प्रदेश	332	2.01	तय हो गया	शून्य	
10.	जम्मू और कश्मीर	427	2.66	तय हो गया	शून्य	
11.	झारखंड	शून्य	शून्य		शून्य	
12.	कर्नाटक	शून्य	शून्य		शून्य	
13.	केरल	115	0.80	तय हो गया	शून्य	

1	2	3	4	5	6	7
14.	मध्य प्रदेश	2335	11.82	तय हो गया	शून्य	
15.	महाराष्ट्र	2724	8.91	तय हो गया	शून्य	
16.	मणिपुर	83	0.87	तय हो गया	शून्य	
17.	मेघालय	शून्य	शून्य		शून्य	
18.	मिजोरम	85	0.85	तय हो गया	शून्य	
19.	नागालैंड	115	1.18	तय हो गया	शून्य	
20.	उड़ीसा	654	3.67	तय हो गया	शून्य	
21.	पंजाब	1247	6.27	तय हो गया	1.97	तय हो गया
22.	राजस्थान	893	3.71	तय हो गया	शून्य	
23.	सिक्किम	26	0.54	तय हो गया	शून्य	
24.	तमिलनाडु	1299	5.00	तय हो गया	शून्य	
25.	त्रिपुरा	108	1.09	तय हो गया	0.37	तय हो गया
26.	उत्तर प्रदेश	5285	10.00	तय हो गया	शून्य	
27.	उत्तराखंड	760	10.00	तय हो गया	शून्य	
28.	पश्चिम बंगाल	368	शून्य	तय हो गया	शून्य	
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र					
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य		शून्य	
30.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य		शून्य	
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य		शून्य	
32.	पुदुचेरी	शून्य	शून्य		शून्य	
	कुल	22,986	83.85		5.93	

विवरण II

पायका योजना वर्ष 2009-10 के दौरान खेल मैदानों के विकास तथा वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने संबंधी जारी किए गए राज्य वार सहायता-अनुदान तथा फंड की उपयोगिता से संबंधित स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एसएआई/एनवाईकेएस का नाम	खेल मैदानों का विकास/जारी अनुदान			वार्षिक प्रतियोगिताएं	
		ग्राम/ब्लॉक पंचायत की संख्या	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का अनुदान	उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति	राज्यों/एवं संघ राज्यक्षेत्रों को जारी अनुदान	उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	12.99	तय हो गया	0.95	तय हो गया

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरूणाचल प्रदेश	387	4.44	तय नहीं हुआ	शून्य	
3	असम	शून्य	3.85	तय नहीं हुआ	शून्य	
4	बिहार	शून्य	5.02	तय नहीं हुआ	3.42	तय हो गया
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	5.06	तय नहीं हुआ	1.17	तय हो गया
6.	गोवा	शून्य	0.18	तय नहीं हुआ	शून्य	
7.	गुजरात	शून्य	7.10	तय हो गया	शून्य	
8.	हरियाणा	शून्य	3.25	तय हो गया	1.10	तय हो गया
9.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	2.01	तय हो गया	0.70	तय हो गया
10.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	2.10	तय नहीं हुआ	शून्य	
11.	झारखंड	424	2.39	तय नहीं हुआ		
12.	कर्नाटक	583	3.12	तय नहीं हुआ	1.42	तय हो गया
13.	केरल	शून्य	0.80	तय नहीं हुआ	शून्य	
14.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य		2.64	तय हो गया
15.	महाराष्ट्र	शून्य	4.86	तय नहीं हुआ	शून्य	
16.	मणिपुर	शून्य	शून्य		0.47	तय हो गया
17.	मेघालय	91	1.06	तय नहीं हुआ	शून्य	
18.	मिजोरम	169	0.21	तय हो गया	0.37	तय हो गया
19.	नागालैंड	शून्य	0.30	तय हो गया	0.56	तय हो गया.
20.	उड़ीसा	654	8.05	तय हो गया	2.11	तय हो गया
21.	पंजाब	शून्य	6.27	तय नहीं हुआ	1.18	तय हो गया
22.	राजस्थान	शून्य	4.72	तय नहीं हुआ	1.93	तय हो गया
23.	सिक्किम	52	0.13	तय हो गया	0.32	तय हो गया
24.	तमिलनाडु	शून्य	1.91	तय नहीं हुआ	2.63	तय हो गया
25.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य		0.36	तय हो गया
26.	उत्तर प्रदेश	शून्य	16.96	तय हो गया	2.55	तय हो गया
27.	उत्तराखंड	शून्य	5.90	तय हो गया	1.03	तय हो गया
28.	पश्चिम बंगाल	शून्य	2.32	तय हो गया	शून्य	
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र					
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य		शून्य	

1	2	3	4	5	6	7
30.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य		शून्य	
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य		शून्य	
32.	पुदुचेरी	शून्य	शून्य		शून्य	
	कुल	2,360	105.00		24.91	

विवरण III

पायका योजना वर्ष 2010-11 के दौरान खेल मैदानों के विकास तथा वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने संबंधी जारी किए गए राज्य वार सहायता-अनुदान तथा फंड की उपयोगिता से संबंधित स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एसएआई/एनवाईकेएस का नाम	खेल मैदानों का विकास/जारी अनुदान			वार्षिक प्रतियोगिताएं	
		ग्राम/ब्लॉक पंचायत की संख्या	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का अनुदान	उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति	राज्यों/एवं संघ राज्यक्षेत्रों को जारी अनुदान	उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	4606	25.98	तय हो गया	11.26	तय नहीं हुआ
2.	अरूणाचल प्रदेश	774	10.51	तय नहीं हुआ	2.05	तय नहीं हुआ
3.	असम	शून्य	शून्य		3.34	तय नहीं हुआ
4.	बिहार	शून्य	शून्य		6.19	तय नहीं हुआ
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य		2.01	तय हो गया
6.	गोवा	शून्य	शून्य		0.26	तय नहीं हुआ
7.	गोवा	1097	2.55	तय हो गया	2.69	तय नहीं हुआ
8.	गुजरात	1262	14.43	तय नहीं हुआ	1.81	तय हो गया
9.	हरियाणा	664	8.80	तय नहीं हुआ	1.33	तय हो गया
10.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य		2.1	तय नहीं हुआ
11.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य		3.16	तय नहीं हुआ
12.	कर्नाटक	1165	14.86	तय नहीं हुआ	2.94	तय हो गया
13.	केरल	115	11.17	तय नहीं हुआ	1.32	तय नहीं हुआ
14.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य		4.79	तय हो गया
15.	महाराष्ट्र	2787	41.94	तय नहीं हुआ	4.36	तय नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6	7
16.	मणिपुर	शून्य	शून्य			
17.	मेघालय	91	1.19	तय नहीं हुआ	0.79	तय नहीं हुआ
18.	मिजोरम	168	2.27	तय नहीं हुआ	0.71	तय नहीं हुआ
19.	नागालैंड	460	2.96	तय नहीं हुआ	0.13	तय नहीं हुआ
20.	उड़ीसा	654	5.98	तय नहीं हुआ	4.27	तय नहीं हुआ
21.	पंजाब	2494	26.66	तय नहीं हुआ	1.85	तय नहीं हुआ
22.	राजस्थान	शून्य	शून्य			
23.	सिक्किम	26	2.02	तय हो गया		
24	तमिलनाडु	शून्य	शून्य		5.1	तय हो गया
25.	त्रिपुरा	540	3.24	तय नहीं हुआ	0.78	तय हो गया
26.	उत्तर प्रदेश	4575	62.27	तय नहीं हुआ	9.47	तय हो गया
27.	उत्तराखंड	1519	19.41	तय नहीं हुआ	1.47	तय हो गया
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र					
28.	पश्चिम बंगाल	शून्य	2.32	तय नहीं हुआ	3.31	तय नहीं हुआ
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	66	1.06	तय नहीं हुआ	शून्य	
30.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य		0.03	तय नहीं हुआ
31.	लक्षद्वीप	11	0.51	तय नहीं हुआ	शून्य	
32.	पुदुचेरी	55	0.69	तय नहीं हुआ	शून्य	
33.	एनवाईकेएस	शून्य	शून्य		10.53	
	कुल	23,129	260.84		88.05	

विवरण IV

पायका योजना वर्ष 2011-12 के दौरान खेल मैदानों के विकास तथा वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने संबंधी जारी किए गए राज्य वार सहायता-अनुदान तथा फंड की उपयोगिता से संबंधित स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एसएआई/एनवाईकेएस का नाम	खेल मैदानों का विकास/जारी अनुदान			वार्षिक प्रतियोगिताएं	
		ग्राम/ब्लॉक पंचायत की संख्या	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का अनुदान	उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति	राज्यों/एवं संघ राज्यक्षेत्रों को जारी अनुदान	उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	25.98	छवज कनम	शून्य	

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य		शून्य	
3.	असम	शून्य	शून्य		शून्य	
4.	बिहार	शून्य	शून्य		शून्य	
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य		2.23	देय नहीं
6.	गोवा	शून्य	शून्य		शून्य	
7.	गुजरात	शून्य	शून्य		शून्य	
8.	हरियाणा	शून्य	शून्य		1.60	देय नहीं
9.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य		1.24	देय नहीं
10.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य		शून्य	
11.	झारखंड	शून्य	शून्य		शून्य	
12.	कर्नाटक	शून्य	शून्य		2.17	देय नहीं
13.	केरल	शून्य	शून्य		0.23	देय नहीं
14.	मध्य प्रदेश	2335	29.73	देय नहीं	4.92	देय नहीं
15.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य		शून्य	
16.	मणिपुर	शून्य	शून्य		शून्य	
17.	मेघालय	शून्य	शून्य		0.08	देय नहीं
18.	मिजोरम	शून्य	2.07	देय नहीं	शून्य	
19.	नागालैंड	115	4.44	देय नहीं	शून्य	
20.	उड़ीसा	शून्य	7.34	देय नहीं	शून्य	
21.	पंजाब	शून्य	शून्य		2.09	देय नहीं
22.	राजस्थान	शून्य	शून्य		0.45	देय नहीं
23.	सिक्किम	शून्य	शून्य		1.12	देय नहीं
24.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य		शून्य	
25.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य		0.70	देय नहीं
26.	उत्तर प्रदेश	शून्य	18.39	देय नहीं	8.20	देय नहीं
27.	उत्तराखंड	शून्य	शून्य		1.39	देय नहीं
28.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य		शून्य	
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र					
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य		शून्य	

1	2	3	4	5	6	7
30.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य		शून्य	
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य		शून्य	
32.	पुदुचेरी	शून्य	शून्य		शून्य	
	कुल	2,450	87.95		26.42	

पंचायत युवा क्रीड़ा केन्द्र और खेल अभियान योजना के अन्तर्गत समिति

1265. **श्री अर्जुन चरण सेठी:** क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पी.वाई.के.के.ए.) योजना को राज्य/जिला/ब्लाक स्तरों पर लागू करने/निगरानी के लिए किसी समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उक्त योजना में केन्द्र और राज्य विधानमंडलों के लोक प्रतिनिधियों को सम्बद्ध करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी हां।

(ख) पायका योजना राज्य और जिला स्तर पर कार्यपालक समितियों के गठन का प्रबन्ध करती है। राज्य स्तर कार्यपालक समिति की अध्यक्षता सम्बद्ध राज्य सरकार के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है। पायका की सामान्य परिषद् की अनुवर्ती सिफारिशों के अनुसार राज्य ने ब्लॉक पंचायत के अध्यक्ष की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तर कार्यपालक समितियों का भी गठन किया गया है। पायका योजना के अंतर्गत गठित की गई समितियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को हिदायतें जारी की है कि वे पायका योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पायका कार्यपालक समिति (डी.एल.ई.सीज) में संसद सदस्य को सहयोगी बना लें। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने बताया है कि पायका की डी.एल.ई.सीज में संसद-सदस्य को तदनुसार सहयोगी बनाया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पायका की राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर कार्यपालक समिति के गठन की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कार्यपालक समितियों का गठन राज्य स्तर	जिला स्तर	ब्लॉक स्तर
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	हां	हां	नहीं
2.	अरूणाचल प्रदेश	हां	हां	नहीं
3.	असम	हां	हां	नहीं

1	2	3	4	5	6	7
4.	बिहार	हां		हां		हां
5.	छत्तीसगढ़	हां		हां		हां
6.	गोवा	हां		हां		हां
7.	गुजरात	हां		हां		हां
8.	हरियाणा	हां		हां		हां
9.	हिमाचल प्रदेश	हां		हां		हां
10.	जम्मू और कश्मीर	हां		हां		हां
11.	झारखंड	हां		हां		हां
12.	कर्नाटक	हां		हां		हां
13.	केरल	हां		हां		हां
14.	मध्य प्रदेश	हां		हां		हां
15.	महाराष्ट्र	हां		हां		हां
16.	मणिपुर	हां		हां		हां
17.	मेघालय	हां		हां		हां
18.	मिजोरम	हां		हां		हां
19.	नागालैंड	हां		हां		हां
20.	उड़ीसा	हां		हां		हां
21.	पंजाब	हां		हां		हां
22.	राजस्थान	हां		हां		हां
23.	सिक्किम	हां		हां		हां
24.	तमिलनाडु	हां		हां		हां
25.	त्रिपुरा	हां		हां		हां
26.	उत्तर प्रदेश	हां		हां		हां
27.	उत्तराखंड	हां		हां		नहीं
28.	पश्चिम बंगाल	हां		हां		हां
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र					
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	हां		हां		हां
30.	लक्षद्वीप	हां		हां		हां
31.	पुदुचेरी	हां		हां		नहीं

कच्ची चीनी का आयात

1266. **श्री समीर भुजबल:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान देश में कितनी कच्ची चीनी का आयात किया गया है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों में इस चीनी की प्रसंस्करण प्रक्रिया में कठिनाई आ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मुद्दों को हल करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) चीनी की उपलब्धता में सुधार और मूल्य नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) केन्द्रीय सरकार कच्ची और व्हाइट/रिफाइंड चीनी के आयात के अलग-अलग आंकड़े नहीं रखती है। तथा इसने 2008-09 और 2009-10 चीनी मौसमों के दौरान कच्ची और व्हाइट/रिफाइंड चीनी के अलग-अलग आयात की गहन मानीटरिंग की, जब चीनी का उत्पादन काफी घट गया था और सरकार ने 17.2.2009 से 30.9.2009 की अवधि के दौरान अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत टन-दर-टन आधार पर और 17.4.2009 से खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के तहत कच्ची चीनी के शुल्कमुक्त आयात की अनुमति दी थी। राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े के अनुसार 2008-09 और 2009-10 के दौरान (अगस्त, 2010 तक) देश में आयात की गई कच्ची चीनी की मात्रा क्रमशः 22.37 लाख टन और 33.96 लाख टन थी। जहां तक 2010-11 चीनी मौसम का संबंध है, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता ने जुलाई, 2011 तक 2.958 लाख टन चीनी (कच्ची और व्हाइट/रिफाइंड दोनों) के आयात के बारे में सूचित किया है।

(ख) इस वर्ष केन्द्रीय सरकार को ऐसी किसी समस्या के बारे में सूचना नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार का प्रयास है कि विनियमित रिलीज तंत्र की नीति के जरिये उचित मूल्य पर देश में पर्याप्त चीनी उपलब्ध कराई जाए।

मत्स्यन में विदेशी नौकाएं

1267. **श्री हरिन पाठक:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र में परम्परागत मछुआरों को मत्स्यन में विदेशी नौकाओं के आगमन के कारण मत्स्यन के अवसर कम होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को भारतीय तटों पर विदेशी कंपनियों द्वारा मत्स्यन पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (घ) पारम्परिक मछुआरे सामान्यतः क्षेत्रीय जलों में यानि 12 नौचालन मील तक मत्स्यन प्रचालन चलाते हैं जहां पर राज्य सरकारों का नियंत्रण होता है। केन्द्र सरकार के कार्यक्षेत्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ई.ई.जेड.) है जो गहरे समुद्र में 12 से 200 नौचालन मील तक स्थित है। पात्र भारतीय उद्यमियों को अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्यन करने के लिए अनुमति पत्र (एल.ओ.पी.) जारी किए जाते हैं। सरकार द्वारा विदेशी कंपनियों को अनुमति पत्र जारी नहीं किए जाते हैं।

उर्वरक राजसहायता

1268. **श्री एस. सेम्मलई:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक राजसहायता में वृद्धि के कारण किसानों द्वारा उर्वरकों के प्रयोग की मात्रा में कोई परिवर्तन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों की खपत तथा उर्वरक पर सब्सीडी का ब्यौरा निम्नलिखित है-

वर्ष	खपत (लाख टन में)	सब्सीडी (रु. करोड़ में)
2008-09	493.80	99,495 रु.
2009-10	524.76	64,032 रु.
2010-11	565.02	65,837 रु.

[हिन्दी]

नेहरू युवा केन्द्र संगठन के अंतर्गत समितियां

1269. श्री गोरखनाथ पाण्डेय:
श्री भूपेन्द्र सिंह:

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन.वाई. के.एस.) कार्यक्रम के अंतर्गत सभी राज्यों में राज्य तथा साथ ही जिला स्तर पर युवा समन्वयकों की भर्ती करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु स्वीकार मानदंडों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नेहरू युवा केन्द्र संगठनों के कार्यकरण की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर सलाहकार समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समिति में पदाधिकारियों को मनोनीत करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं और दोनों समितियों की संरचना क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त समितियों की बैठकें किन-किन तिथियों को हुईं; और

(च) युवा समन्वयकों द्वारा नेहरू युवा केन्द्र संगठनों के कार्यक्रमों में लोक प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) नेहरू युवा केन्द्र संगठन के नये केन्द्रों के लिए जिला युवा समन्वयकों के 123 पदों के सृजन का प्रस्ताव हाल ही में अनुमोदित किया गया है। रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। जिला युवा समन्वयक के ग्रेड में रिक्तियों को भर्ती नियमावली के अनुसार पदोन्नति, प्रति नियुक्ति स्थानान्तरण/अनुबंध द्वारा भरा जा रहा है। पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर भरने जाने वाले पदों को हाल ही में भर लिया गया है। उसी प्रकार सीधी भरती द्वारा निक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

राज्य युवा समन्वयक के 18 पद हैं जिन्हें आंचलिक निदेशक के रूप में पदनामित किया गया है जिनमें से चार पद रिक्त पड़े हैं। इन रिक्त पदों को भरने के लिए विभागीय उम्मीदवारों की पदोन्नति विधि से भरने की कार्रवाई शुरू की गई है।

(ग) जी हां,

(घ) ने.यु.के. संगठन की युवा कार्यक्रम संबंधी राज्य सलाहकार समिति (एस.ए.सी.वाई.पी.) तथा युवा कार्यक्रम संबंधी जिला सलाहकार समिति (डी.ए.सी.वाई.पी.) निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ गठित की गई है–

1. ने.यु.के. संगठन और राज्य सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ प्रभावकारी संपर्क स्थापित करना।
2. राज्य के युवाओं की आवश्यकता की दृष्टि से समुचित विकास परियोजना का पता लगाना तथा उसकी पहचान करना।
3. राज्य स्तर पर प्रशिक्षण और अवसंरचना के विकास तथा प्रशिक्षकों के बुनियादी समूह के लिए आवश्यक संसाधन और विशेषज्ञता हासिल करना।

इन समितियों के पदाधिकारियों के नामांकन तथा उनकी संरचना के संबंध में मानदण्ड संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ङ) एस.ए.सी.वाई.पी. की बैठकें वर्ष में दो बार तथा डी. ए.सी.वाई.पी. की बैठकें प्रत्येक तिमाही में आयोजित होती हैं।

(च) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। ये अनुदेश जारी किये गये हैं कि सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों (संसद सदस्यों/एम.एल.ए./एम.एल. सी.) को नेहरू युवा केन्द्र संगठन के कार्यक्रमों में नियमित रूप से आमंत्रित किया जाए।

युवा कार्यक्रम संबंधी राज्य सलाहकार समिति (एम.ए.सी.वाई. पी.) और युवा कार्यक्रम संबंधी जिला सलाहकार समिति (डी.ए. सी.वाई.पी.) तथा पदाधिकारियों का नामांकन और उनकी संरचना निम्न प्रकार हैं:

विवरण

एस.ए.सी.वाई.पी.:

माननीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, भारत सरकार व अध्यक्ष, नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा गैर सरकारी सदस्य के रूप में संसद सदस्यों/एम.एल.ए./एम.एल.सी. में से दो स्थानीय प्रतिनिधियों को नामित किया जाता है।

* महानिदेशक, ने.यु.के.सं. द्वारा दो जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, महिला, एक्टीविस्ट, खिलाड़ियों को नामित किया जाता है।
* एस.ए.सी.वाई.पी. के सरकारी सदस्य हैं: विकास एजेंसियों के प्रधान, राज्य के मुख्य लीड बैंक आफीसर, डी.जी.

ने.यु.के.सं. के प्रतिनिधि, उप कार्यक्रम सलाहकार एन.एस.एस.।

* राज्य के उपनिदेशक, एन.वाई.के.एस, भी/एस.ए.सी.वाई.पी. के विशेष आमंत्रिती शासकीय सदस्य के रूप में हैं।

डी.ए.सी.वाई.पी.

* युवा कार्यक्रम संबंधी जिला सलाहकार समिति डी.एम./डी.सी. व डी.ए.सी.वाई.पी. के अध्यक्ष द्वारा जिले से सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा विद, भूतपूर्व सैनिक से तीन गैर सरकारी सदस्य।

* डी.ए.सी.वाई.पी. में प्रतिनिधित्व के लिए युवा नेताओं द्वारा स्वयं ही दो प्रतिनिधि चुने जाते हैं।

* एन.वाई.सी. स्वयं सेवक भी अपने में से एक प्रतिनिधि चुनते हैं।

* डी.ए.सी.वाई.पी. के सरकारी सदस्य हैं: विकास एजेंसियों के प्रधान, जिला के लीड बैंक आफीसर, कार्यक्रम अधिकारी, एन.एस.एस.।

डी.ए.सी.वाई.पी. और एस.ए.सी.वाई.पी. के गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का है।

युवा कार्यक्रम संबंध राज्य सलाहकार समिति (एस.ए.सी.वाई.पी.) का गठन।

क्र.सं.	विवरण	पदनाम
1.	राज्य के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री	अध्यक्ष
2 व 3.	सांसद/विधायक/सदस्य विधान परिषद, माननीय मंत्री एवं अध्यक्ष, नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा नामित किया जाना है।	माननीय सदस्य
4 व 5.	प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, खिलाड़ी (महानिदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा नामित)	माननीय सदस्य
6	मंडल निदेशक/क्षेत्रीय समन्वयक	सदस्य सचिव
7	निदेशक, युवा सेवाएं एवं खेल	सदस्य
8	निदेशक, ग्रामीण विकास	सदस्य
9	निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	सदस्य
10	निदेशक, समाज कल्याण	सदस्य
11	निदेशक, संस्कृति	सदस्य
12	निदेशक, लघु कृषि	सदस्य
13	निदेशक, लघु उद्योग	सदस्य
14	निदेशक, पर्यावरण एवं वन	सदस्य
15	निदेशक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग	सदस्य
16	निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क	सदस्य
17	राज्य में लीड बैंक का प्रमुख	सदस्य
18	उप कार्यक्रम सलाहकार, एन.एस.एस.	सदस्य
19	महानिदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य
20	राज्य के उप निदेशक	विशेष आमंत्रिती

युवा कार्यक्रम पर जिला सलाहकार समिति (डी.ए.सी.वाई.पी.) का गठन

क्र.सं.	विवरण	पदनाम
1.	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	जिला युवा समन्वयक	सदस्य सचिव
3.	क्षेत्रीय समन्वयक, ने.यु.के.सं.	सदस्य
4.	अपर उपायुक्त विकास एवं योजना	सदस्य
5.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन	सदस्य
6.	महाप्रबंधक, डीआईसी	सदस्य
7.	जिला जन सम्पर्क अधिकारी	सदस्य
8.	फील्ड पब्लिसिटी अधिकारी	सदस्य
9.	जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी	सदस्य
10.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
11.	लीड बैंक अधिकारी	सदस्य
12.	परियोजना अधिकारी डी.आर.डी.ए.	सदस्य
13.	परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए.	सदस्य
14.	एन.जी.ओ. के प्रमुख	सदस्य
15.	गैर सरकारी	सदस्य
16.	गैर सरकारी	सदस्य
17.	युवा नेता	सदस्य
18.	युवा नेता	सदस्य
19.	राष्ट्रीय युवा कोर स्वयंसेवक	सदस्य

[अनुवाद]

दलहन ग्रामों की स्थापना

1270. **श्री गुरुदास दासगुप्तः**
श्री पी. लिंगमः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दलहनों के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से 60000 दलहन ग्रामों की स्थापना के लिए बजट 2011 में निधियों का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अभी तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) जी, हां। दलहन का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने वर्षासिंचित क्षेत्रों में "60000 दलहन ग्रामों का एकीकृत विकास" कार्यक्रम के अंतर्गत संघ बजट 2011-12 में 300.00 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध कराई थी। कार्यक्रम 11 प्रमुख दलहन उगाने वाले राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, स्व-स्थाने

नमी संरक्षण कार्यों, उत्पादन का प्रदर्शन और त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत संयुक्त खंडों में बचाव प्रौद्योगिकियों के लिए सहायता और किसानों को बेहतर आर्थिक प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कृषक संगठनों के आयोजन के ढांचे एवं छोर से छोर तक सहायता बढ़ाने के लिए छोटे किसान कृषक व्यवसाय संघ (एस.एफ.ए.सी.) को बाजार संबद्ध विस्तार सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 2011-12 के दौरान आबंटित किए गए 300.00 करोड़ रु. में से, 164.05 करोड़ रु. की राशि 15.11.2011 तक कार्यक्रम लागू करने के लिए राज्य को निर्मुक्त की जा रही है।

गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध

1271. श्री विश्व मोहन कुमार: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने चालू वर्ष के दौरान अतिरेक उत्पादन और गेहूं के भंडार होने के बावजूद गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रखने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अगली रबी फसल की कटाई तक घरेलू उपभोग हेतु कम मूल्यों पर पर्याप्त गेहूं उपलब्ध होने का अनुमान है; और

(घ) यदि हां, तो लोगों को कम मूल्यों पर अतिरिक्त गेहूं उपलब्ध कराने की पद्धतियों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी नहीं। इसकी बजाय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की सिफारिशों के आधार मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने अपनी 8.9.2011 को हुई बैठक में निर्णय लिया था कि इलैक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज पत्तनों के जरिए निजी रूप से रखे स्टाक में से 20 लाख टन गेहूं का निर्यात किया जाए। उपर्युक्त निर्णय हाल के वर्षों में गेहूं और चावल का रिकार्ड उत्पादन और खरीदारी होने तथा बफर मानदण्डों/रणनीतिक रिजर्व से काफी अधिक स्टाक केन्द्रीय पूल में उपलब्ध होने और भंडारण स्थान की अस्थायी कमी होने के कारण भी लिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। 2011-12 के लिए केन्द्रीय पूल के गेहूं बजट के अनुसार 1.11.2011 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में 296.71 लाख टन गेहूं का स्टाक है और 1 अप्रैल, 2012 की स्थिति के अनुसार गेहूं का अनुमानित अथशेष 161.35 लाख टन होने की संभावना है जबकि बफर मानदण्ड और रणनीतिक रिजर्व 70 लाख टन है जो अगले रबी कटाई मौसम तक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन गेहूं की घरेलू खपत को पूरा करने की जरूरत के लिए पर्याप्त है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोध और केन्द्रीय पूल में उपलब्ध अधिशेष स्टाक का निपटान करने के लिए सरकार समय-समय पर खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का अतिरिक्त आवंटन करती रही है। 2010-11 और 2011-12 के दौरान गेहूं और चावल, दोनों के निम्नलिखित अतिरिक्त आवंटन किए गए हैं :

I. गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना/गरीबी रेखा से ऊपर से परिवारों के लिए मई, 2010 में 30.66 लाख टन खाद्यान्न। जिसमें 8.45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर 16.86 लाख टन गेहूं शामिल हैं।

II. गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए अगस्त, 2010 में 31.06 लाख टन खाद्यान्न, इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के मूल्यों पर 18.04 लाख टन गेहूं शामिल है।

III. सितम्बर, 2010 और जनवरी, 2011 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 50.00 लाख टन खाद्यान्न। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के मूल्यों पर 15.79 लाख टन गेहूं शामिल है।

IV. गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए जनवरी, 2011 में 25.00 लाख टन खाद्यान्न, जिसमें 8.45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर 13.75 लाख टन गेहूं शामिल है।

V. गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु मई, 2011 में 50.00 लाख टन खाद्यान्न, जिसमें 15.79 लाख टन गेहूं शामिल है।

VI. 30.6.2011 को आवंटित 50.00 लाख टन खाद्यान्न, इसमें 35.57 लाख टन गेहूं शामिल है।

VII. माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के आधार पर अंत्योदय अन्न योजना/गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर जुलाई से अक्तूबर, 2011 तक के दौरान 27 राज्यों में 174 निर्धनतम/पिछड़े जिलों के लिए आवंटित 23.67 लाख टन खाद्यान्न। इनमें अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर क्रमश: 2.76 लाख टन और 6.19 लाख टन गेहूं शामिल है।

सौर ऊर्जा पैनल

1272. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री मकनसिंह सोलंकी:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली के वी.आई.पी. आवासीय क्षेत्रों में पानी गरम करने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने के लिए योजनाएं/कार्यक्रम आरंभ किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान प्रयोजन हेतु के.लो.नि.वि. द्वारा आवंटित और उपभोग की गई राशि का आवास-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वी.आई.पी. क्षेत्रों के सभी आवासीय इकाइयों में सौर ऊर्जा पैनल स्थापित कर दिए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) ऐसे किसी विशिष्ट कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया गया है। तथापि, मंत्रिगणों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और संसद सदस्यों आदि के आवासों में सोलर वाटर हिटिंग सिस्टम प्रणाली मुहैया करायी गई है।

(ग) मंत्रिगणों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और संसद सदस्यों के आवासों में पिछले दो वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यय हुआ है :

(व्यय लाख रु. में)

क्र.सं.	वर्ष	संसद सदस्य	मंत्रिगणों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
1.	2009.10	35.95	शून्य
2.	2010.11	40.62	शून्य
3.	2011.12	शून्य	शून्य

मंत्रिगणों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आवासों के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं दर्शाया गया है क्योंकि यह कार्य 2009-10 के पहले पूरा हो चुका था।

(घ) जी नहीं।

(ङ) अन्य अति विशिष्ट व्यक्तियों की ओर से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1273. श्रीमती दीपा दासमुंशी:
श्री रवनीत सिंह:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की कुल संख्या क्या है और सार्वजनिक और निजी कंपनियां कितनी हैं;

(ख) क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या बढ़ाने के लिए निजी और छोटे, मध्यम उद्यमों को शामिल करेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत देश में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या कितनी है;

(घ) इन निजी उद्यमों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) इस उद्योग में अभी तक सृजित रोजगारों के अवसरों की संख्या क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग) सार्वजनिक एवं निजी स्वामित्व वाली यूनिटों समेत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या संबंधी आंकड़े खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या वर्ष 2007-08 में 26,221 थी। ब्यौरा विवरण I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय अपनी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण योजना स्कीम के अंतर्गत देश में नई खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना तथा विद्यमान यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन और विस्तार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय उद्यमियों को संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत की सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से परन्तु अधिकतम 50 लाख रुपए और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से परन्तु अधिकतम 75 लाख रुपए की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। देश में उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में नियोजित व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक बढ़ती रही। आर्थिक कार्यकलापों में वैश्विक मंदी के कारण वर्ष 2007-08 में पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों में रोजगार की वृद्धि दर से कमी रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण के 62वें चक्र डाटा के अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 63,45,768 व्यक्तियों को नियोजित किया गया है।

विवरण I

पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या (2007-08)

राज्य	परिचालन में फैक्ट्रियां की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	6127
तमिलनाडु	3589
महाराष्ट्र	2316
उत्तर प्रदेश	1700
पंजाब	2072
कर्नाटक	1604
गुजरात	1401
पश्चिम बंगाल	1271
केरल	1183
असम	876
हरियाणा	501
छत्तीसगढ़	730
उड़ीसा	580
मध्य प्रदेश	533
राजस्थान	516
उत्तरांचल	288
बिहार	179
झारखण्ड	114
दिल्ली	116
हिमाचल प्रदेश	112
जम्मू और कश्मीर	114
गोवा	74
पुडुचेरी	60
त्रिपुरा	54
दमण एवं दीव	28
चंडीगढ़ (संघशासित)	24
नागालैण्ड	16
मेघालय	14
मणिपुर	10
दादरा एवं नगर हवेली	14
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	5
कुल	26,221

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ)-वार्षिक उद्योग टाइम सीरीज सर्वेक्षण आंकड़े, मार्च 2011

विवरण II

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10,2010-11 तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यवार सहायता प्राप्त और वित्तीय सहायता प्राप्त यूनिटों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि	अनुमोदित	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	43	947.49	48	908.999	41	677.05	30	562.096	41	786.68
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	17.67	3	376.14	2	66.420	0	0
4.	असम	12	442.17	17	176.79	22	418.74	26	875.701	5	78.47
5.	बिहार	5	83.915	2	42.3	2	35.59	6	136.681	3	39.66
6.	चंडीगढ़	6	138.08	0	0	0	0	1	25.000	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	10	163.725	4	45.46	27	297.574	26	234.87
8.	दिल्ली	0	0	7	160.65	2	50	3	82.600	12	320.21
9.	गोवा	1	17	1	24.57	1	24.26	1	25.00	1	25.00
10.	गुजरात	32	544.06	39	714.81	42	665.18	52	1419.72	66	1242.04
11.	हरियाणा	19	418.72	23	349.415	11	134.96	14	325.280	10	184.58
12.	हिमाचल प्रदेश	12	325.09	5	152.745	10	269.58	7	204.530	11	289.07
13.	जम्मू और कश्मीर	9	109.855	3	22.05	7	59.73	5	89.095	2	18.180
14.	झारखण्ड	2	9.09	0	0	3	44.09	4	85.425	0	0
15.	कर्नाटक	34	529.62	35	629.895	24	269.55	14	377.790	16	238.25
16.	केरल	47	876.8	32	545.37	33	567.53	19	411.72	28	539.67
17.	मध्य प्रदेश	10	172.32	14	201.87	18	273.03	14	211.294	13	194.05
18.	महाराष्ट्र	95	1695.805	121	1802.633	113	1717.3	56	1006.524	107	1452.83
19.	मणिपुर	3	61.74	3	45.51	6	163.75	1	23.975	5	92.15
20.	मेघालय	1	8.19	2	159.57	2	123.02	2	100.045	0	0
21.	मिजोरम	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0
22.	नागालैण्ड	1	27.485	4	178.205	1	64.99	1	6.205	0	0
23.	उड़ीसा	6	129.41	2	36.68	6	84.4	8	200.875	2	8.44
24.	पुडुचेरी	2	31.3	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	पंजाब	32	481.45	61	841.36	13	172.37	9	149.495	22	316.12
26.	राजस्थान	35	566.075	44	551.975	27	27325.46	48	691.123	63	806.10
27.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	तमिलनाडु	53	951.79	36	594.355	41	672.11	24	493.582	43	797.45
29.	त्रिपुरा	2	39.98	1	13.86	0	0	0	0	0	0
30.	उत्तर प्रदेश	63	1123.425	43	875.475	32	560.63	47	1078.638	37	635.89
31.	उत्तराखण्ड	9	339.78	6	163.15	12	307.57	0	168.523	1	2.460
32.	पश्चिम बंगाल	35	653.56	19	390.135	10	136.48	10	317.945	10	206.51
	कुल	569	10725.2	579	9765.767	487	8249.97	437	9432.862	524	8508.66

[अनुवाद]

खाद्यान्न खरीद में कठिनाई

1274. श्री सी. राजेन्द्रन:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न खाद्य आधारित योजनाओं के अंतर्गत मांग/अधिकार को पूरा करने के लिए किसानों से खाद्यान्नों की खरीद में कठिनाई आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खरीद नीति में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मांग को पूरा करने के लिए खरीद में सुधार हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी नहीं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं की मांग को पूरा करने के लिए किसानों से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा खरीदने में कोई कठिनाई नहीं है।

(ग) और (घ) जी नहीं। सरकार मौजूदा खरीद नीति में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं कर रही है।

(ङ) गेहूं और चावल की खरीदारी में सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गेहूं और चावल की खरीद में सुधार के लिए उठाए गए कदम

1. रबी विपणन मौसम 2008-09 में गेहूं का न्यूनतक समर्थन मूल्य 1080 रुपए प्रति क्विंटन निर्धारित किया गया था जिसके परिणास्वरूप 253.82 लाख टन की रिकार्ड खरीदारी हुई। रबी विपणन मौसम 2009-10 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1100 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था और 225.14 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी। रबी विपणन मौसम 2011-12 में सरकार ने गेहूं का न्यनतम समर्थन मूल्य 1120 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया था। इसके अतिरिक्त 50 रुपए का बोनस भी अनुमोदित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 281.44 लाख टन गेहूं की खरीद हुई जो कि रिकार्ड खरीद है।

2. खरीफ विपणन मौसम 2009-10 में साधारण और ग्रेड ए किस्म की धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः 950 रुपये और 980 रुपये प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त, सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2009-10 के दौरान धान की दोनों किस्तों पर 50 रुपये के बोनस की भी अनुमति दी थी। खरीफ विपणन मौसम 2010-11 के लिए साधारण और ग्रेड ए किस्म की धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपए और 1030 रु. प्रति क्विंटल तय किया गया था। खरीफ विपणन मौसम 2010-11 में 341.80 लाख टन चावल की खरीद हुई खरीफ विपणन मौसम 2011-12 में साधारण और ग्रेड 'ए' किस्म की धान का न्यूनतक समर्थन मूल्य क्रमशः 1080/-और 1110/- रुपए घोषित किया गया था। खरीफ विपण मौसम 2011'12 में 353 लाख टन चावल की खरीद का अनुमान है।

3. राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे बाजार की सही आमद को दर्ज करने के लिए अनुदेश जारी करें और चावल मिल मालिकों पर न्यूनतम 50% अनिवार्य लेवी लागू करना सुनिश्चित करें।

4. सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2009-10 और 2010-11 के लिए सहकारी समितियों और स्वयं सेवी समूहों के लिए कमीशन प्रभार बढ़ाकर 2.5% कर दिया है ताकि विशेष रूप से ऐसे राज्यों में जहां खरीदारों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुविकसित नहं है, के लघु और सीमांत किसानों से अधिकतम खरीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। इससे अधिक से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान भी सुनिश्चित होगा।

5. किसानों तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए राज्यों को विकेन्द्रीकृत खरीद योजना अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

[हिन्दी]

शुष्क भूमि के क्षेत्र में वृद्धि

1275. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त संघ (यू.एन.ओ.) की रिपोर्ट के अनुसार देश में शुष्क भूमि के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति के मद्देनजर सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू.एन.सी.सी.डी., 2011) की रिपोर्ट सुझाव दिया गया कि भूमिगत तथा जल संसाधनों पर उच्च जनसंख्या दबाव के कारण भारत में शुष्क भूमि मरुस्थलीकरण की प्रक्रियाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बन रही है। तथापि, देश में शुष्क भूमि क्षेत्रों में किसी महत्वपूर्ण बदलाव का कोई प्रमाण नहीं है।

मृदा अपरदन, भू निम्नीकरण की रोकथाम तथा सूखाग्रस्त/वर्षा सिंचित क्षेत्रों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए कृषि मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न पनधारा कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। कृषि मंत्रालय के सभी प्रमुख कार्यक्रमों में वर्षा सिंचित क्षेत्रों/शुष्क भूमि क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है। कार्यक्रम का विवरण निम्न प्रकार है:

(क) पनधारा कार्यक्रम

कृषि मंत्रालय

1. वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.)
2. नदी घाटी परियोजना तथा बाढ़ प्रवण नदी के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण (आर.वी.पी. तथा एफ.पी.आर.)
3. झूम खेती क्षेत्रों के लिए पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यू डी.पी.एस.ई.ए.)
4. समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)

(ख) अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)
2. बृहत कृषि प्रबंधन (एम.एम.ए.)
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.)
4. राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.)
5. राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन (एन.एम.एम.आई.)
6. समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का (आइसोपाम) स्कीम

शुष्क भूमि खेती के संबंध में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (ए.आई.सी.आर.पी.डी.ए.) के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के द्वारा शुष्क भूमि कृषि पर अनुसंधान परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

[अनुवाद]

मत्स्यन बंदरगाह

1276. श्री बलीराम जाधव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के उत्तर-पश्चिम मुंबई के वर्सोवा में मत्स्यन बंदरगाह स्थापित करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचार हेतु आया है और क्या परियोजना की कुल लागत का 75 प्रतिशत वित्त-पोषण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (घ) जी नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने "समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधा और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत वरसोवा में मात्स्यिकी बंदरगाह बनाने की अपनी इच्छा दर्शाई है। तथापि, राज्य सरकार से इस संबंध में अभी विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होना है।

नार्थ/साऊथ एवन्यू में पुनरुद्धार कार्य

1277. **श्री महेश जोशी:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान नार्थ/साउथ एवन्यू में कोई फ्लैटों और अन्य सांसद आवासीय क्षेत्रों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से और निजी एजेंसियों के माध्यम से पुनरुद्धार का कार्य किया गया है;

(ख) उपरोक्त में से कितने फ्लैटों में उक्त पुनरुद्धार कार्य किया गया है और शेष कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को घटिया सामग्री के प्रयोग सहित अनियमितताओं और निरंतर पानी रिसने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) दोषी निर्माण एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और काली सूची में डाली गई एजेंसियों के नाम क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) पिछले एक वर्ष के दौरान नार्थ/साउथ एवेन्यू और अन्य संसद सदस्यों के आवासीय क्षेत्र में कुल 79 फ्लैटों/बंगलों में उन्नयन का कार्य आरंभ किया गया है।

(ख) इनमें से 76 फ्लैटों/बंगलों में उन्नयन कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष 3 फ्लैटों/बंगलों में यह कार्य दो महीनों की समयावधि में पूरा हो जाएगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के आलोक में लागू नहीं होता।

सी.जी.ई.डब्ल्यू.एच.ओ. की आवासीय योजनाएं

1278. **डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा सहित देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवास प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार कर्मचारी गृह कल्याण संगठन के अंतर्गत विभिन्न आवासीय योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त योजनाएं निर्धारित योजना के अनुसार कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त आवासों के आवंटन हेतु समय-सीमा का योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) सी.जी.एड.डब्ल्यू.यू.एच.ओ. द्वारा सूचित स्थिति के अनुसार विभिन्न भागों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान मुहैया कराने हेतु संगठन के अंतर्गत आवासीय स्कीम निम्नानुसार है:

आवासीय परियोजनाएं जहां निर्माण कार्य प्रगति पर हैं	योजनार्गत आवासीय परियोजनाएं हैं:
(i) चेन्नई (फेज-II);	(i) विशाखापटनम
(ii) हैदराबाद (फेज-III);	(ii) भुवनेश्वर (फेज-II);
(iii) मोहाली (फेज-I);	(iii) मोहाली (फेज-II);
(iv) भुवनेश्वर (फेज-I);	(iv) मेरठ (फेज-II);
(v) मेरठ (फेज-I);	(v) ग्रेटर नोएडा
(vi) कोलकाता (फेज-II) और	(vi) चेन्नई (फेज-III);
(vii) जयपुर (फेज-II);	(vii) नवी मुम्बई;
(viii) मोहाली (एस.ए.एस. नगर)	

तथापि, दिल्ली एवं गुडगांव के संबंध में किसी स्कीम की योजना नहीं है।

(ख) से (घ) सी.जी.ई.डब्ल्यू.यू.एच.ओ. द्वारा यथा सूचना के अनुसार स्कीमें मांग सर्वेक्षण संचालित कराने के बाद तैयार की जा रही हैं और इसके पश्चात् राज्य सरकार प्राधिकरणों से भूमि प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के विकास प्राधिकरणों से भूमि की न मिलने की स्थिति में आवासीय स्कीमें

टर्नकी परियोजनाओं के रूप में तैयार की जाती हैं जिसमें भूमि भी निर्माणकर्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसलिए ऐसी आवासीय स्कीमों के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा रही है। प्रत्येक स्कीम के लिए मकानों का आबंटन कम्प्यूटरीकृत ड्रा के पश्चात् पात्र आवेदकों को किया जा रहा है। किसी परियोजना विशेष में रिहायशी इकाइयों की संख्या का विशिष्ट आबंटन परियोजना के पूर्ण होने के समय किया जाता है। निम्नलिखित आवासीय स्कीमों में आबंटन किए गए हैं:

स्कीम	समय सीमा
(i) चेन्नई (फेज-II);	स्कीम के औपचारिक रूप से बंद होने के बाद तीन माह के भीतर सभी स्कीमों में आबंटन समय से किया गया है।
(ii) हैदराबाद (फेज-III);	
(iii) मोहाली (फेज-I);	
(iv) भुवनेश्वर (फेज-I);	
(v) मेरठ (फेज-I);	
(vi) कोलकाता (फेज-II);	
(vii) जयपुर (फेज-II);	
(viii) भुवनेश्वर (फेज-II);	
(ix) मोहाली (फेज-II); और	
(x) विशाखापटनम	

[अनुवाद]

गेहूं का वायदा मूल्य

1279. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में गेहूं के वायदा मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और देश में गेहूं के हाजिर मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी हां। गेहूं का भावी सौदा व्यापार मुख्यत: नेशनल कमोडिटी और डेरीवेटिव्ज एक्सचेंज, मुंबई में किया जाता है। यह देखा गया है कि दिसम्बर, 2011 में समाप्त हो रहे नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज संविदा के लिए गेहूं का भावी मूल्य 30.06. 2011 के 1299/- रुपए प्रति क्विंटल से घटकर 31.10.2011 को 1133/-रु. प्रति क्विंटल हो गया। तथापि, बाद में भावी मूल्यों में स्थिरता आ गई है और 22.11.2011 को यह 1208/-रुपए प्रति क्विंटल उद्धरित किए गए हैं।

(ग) स्पॉट और भावी मूल्य भौतिक बाजार में रुझान को दर्शाते हैं और मांग तथा आपूर्ति के मूल तत्वों द्वारा निर्धारित होते हैं तथा सरकारी नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों आदि से भी प्रभावित होते हैं।

धान की खरीद

1280. **श्री विष्णु पद राय:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दिगलीपुर और रंगत क्षेत्र में अनेक धान की खेती करने वाले किसान धान की खेती छोड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या लोक प्रतिनिधियों ने विगत में अनेक अवसरों पर इस मुद्दे को उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और क्षेत्र से सरकारी एजेंसियों द्वारा धान की खरीद नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त धान की खरीद हेतु क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और किसानों के पूरे उत्पाद की खरीद कब तक किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी नहीं। विभाग में ऐसी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) दिनांक 4 मार्च, 2011 और 20 सितम्बर, 2011 के पत्र श्री विष्णु पाड़ा रे से प्राप्त हुए थे जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अंडमान व निकोबार की रंगत और दिगलीपुर तहसील के किसानों से चावल/धान की खरीदारी करने का अनुरोध किया गया था। महासचिव, लोक सभा को संबोधित श्री विष्णु पाड़ा रे का लिखा हुआ दिनांक 2.9.2011 का पत्र भी प्राप्त हुआ है। अंडमान व निकोबार द्वीप-समूह ने खरीफ विपणन मौसम 2003-04 से विकेन्द्रीकृत खरीद योजना अपना ली है और खाद्यान्नों की खरीदारी करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की है। भारत सरकार ने धान की खरीदारी करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने हेतु दिनांक 30.8.2011 के पत्र द्वारा यह मामला पहले ही अंडमान व निकोबार की सरकार के साथ उठाया है।

मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एम.आर.टी.) का कार्यान्वयन

1281. श्री राजय्या सिरिसिल्ला: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एम.आर.टी.) के कार्यान्वयन हेतु निधियां प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मानक/मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) देश में एम.आर.टी. व्यवस्था के अंतर्गत सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रयोजन हेतु स्वीकृत/जारी तथा उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) शहरी परिवहन शहरी विकास के साथ अन्तर्निविष्ट है जो कि राज्य का विषय है। इसलिए मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एम. आर.टी.) को परिकल्पित, अनुमोदित किया गया और राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजा गया। केन्द्रीय सरकार इन प्रस्तावों पर राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एन.यू.टी.पी.) के अनुसार विचार करती है जिसे वर्ष 2006 में बनाया गया था। राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एन.यू.टी.पी.) में यह निर्धारित है कि उपलब्ध जन परिवहन प्रौद्योगिकियों का व्यापक स्पेक्ट्रकम है। ऐसी प्रत्येक प्रौद्योगिकी की अपनी विशिष्टताएं हैं और यह शहरी रूप-रेखा, तराई क्षेत्र, मांग के स्तर, निर्देश और शहरी फैलाव, भावी उन्नति की संभावनाओं और जनसंख्या के घनत्व आदि जैसी विशिष्ट स्थिति के लिए बहुत उपयुक्त होती है। इसलिए केन्द्रीय सरकार एम.आर.टी.एस. के लिए सभी सिद्ध प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन देती है।

(ख) और (ग) मेट्रो और बस रेपिड ट्रांजिट परियोजनाओं के संबंध में विगत तीन वित्तीय वर्षों/चालू वित्तीय वर्ष में शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इसके अतिरिक्त रेलवे मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त उनकी निजी निधियों/सहायता से केन्द्रीय परियोजनाएं शुरू कर रहा है। रेलवे मंत्रालय द्वारा प्रदत्त ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

(करोड़ रुपए में)

विगत तीन वित्तीय वर्षों/चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से निर्माण/क्रियान्वयन के लिए शुरू की गई परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य/परियोजना	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (करोड़ रुपए में)	2008-09 में उपयोग के लिए जारी की गई निधियां	2008-09 में उपयोग के लिए जारी की गई निधियां	2008-09 में उपयोग के लिए जारी की गई निधियां	2008-09 में उपयोग के लिए जारी की गई निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दिल्ली	171.605	47469.96	36680.58	3650.33	3387.33	628.21

1	2	3	4	5	6	7	8
	(i) दिल्ली मेट्रो फेज-II (जिसमें एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाईन, मेट्रो का नोएडा, गुडगांव द्वारका और वैशाली तक का विस्तार शामिल है (जीएनसीटी दिल्ली) दिल्ली						
	(ii) मेट्रो (फेज-III)						
	(iii) बदरपुर से फरीदाबाद तक का विस्तार						
2.	कर्नाटक बंगलोर मेट्रो	42.3	11609.00	262	404.01	577.22	910
3.	पश्चिम बंगाल	29.0	5127.49	12	124	429.13	136.50
	(i) कोलकाता मेट्रो (पूर्व पश्चिम कोरीडोर)						
	(ii) कोलकाता बीआरटी						
4.	तमिलनाडु (चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना	45.046	14600.00	–	152.79	652	1250
5.	महाराष्ट्र	197.26	11805.17	161.37	442.65	40.37	79.58
	(i) मुंबई मेट्रो रेल (लाईन-I)						
	(ii) मुंबई मेट्रो रेल (लाईन-II)						
	(iii) पुणे बीआरटी						
	(iv) पिंपरी चिंचवाड बीआरटी						
6.	गुजरात	99.2	1560.47	144.51	70.67	4.60	88.18
	(i) अहमदाबाद बीआरटी						
	(ii) राजकोट बीआरटी						
	(iii) सूरत बीआरटी						
7.	मध्य प्रदेश	68.14	525.57	12.31	0.00	7.38	47.55
	(i) भोपाल बीआरटी						
	(ii) इन्दौर बीआरटी						
8.	राजस्थान जयपुर बीआरटी	39.45	479.55	51.34	0.00	0.00	5.64
9.	आन्ध्र प्रदेश	129.46	12737.57	0.00	75.70	0.00	44.89
	(i) विजयवाडा बीआरटी						
	(ii) विजाग बीआरटी						
	(iii) हैदराबाद मेट्रो						

विवरण II

एमटीपी परियोजनाओं के लिए निधियों का आबंटन और व्यय

क्र.सं.	परियोजनाओं के नाम	अंशदान	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
			2008-09 के दौरान व्यय	परिव्यय	2009-10 के दौरान व्यय	परिव्यय	2010-11 के दौरान व्यय	परिव्यय	2011-12 के दौरान व्यय	परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पश्चिम बंगाल										
1.	सर्कुलर रेलवे	0.00	1.09	13.00	0.60	2.00	16.18	16.10	0.17	5.00
2.	दम दम-टोलीगंज-रेपिड ट्रांजिट प्रणाली-टोलीगंज	रेलवे	76.85	192.20	100.00	130.00	218.05	104.00	176.74	195.00
	से न्यू गढिया, दम दम-नोवापारा/बाडानगर और नोवापारा-एनएससीबी एयरपोर्ट के बीच विस्तार सहित	राज्य सरकार			36.00		233.46			
3.	नोआपारा-बारासात वाया बामानवंदर-मेट्रो रेलवे का निर्माण (18.00 कि.मी.)	रेलवे	0	0	0	0	100.00	100.00	1712	1000.00
4.	बारानगर-बेरकपुर और दक्षिणेश्वर-मेट्रो रेलवे का निर्माण (14.50 कि.मी.)	रेलवे	0	0	0	0	5.16	100.00	0.83	1600.00
5.	दम दम एयरपोर्ट से यू गढिया वाया राजरहाट-मेट्रो रेलवे का निर्माण (32.00 कि.मी.)	रेलवे	0	0	0	0	0.98	100.00	0	1600.00
6.	जोका-विनय बंडाल दिनेश बाग वाया माजेरहाट-मेट्रो रेलवे का निर्माण (16.72 कि.मी.)	रेलवे	0	0	0	0	41.05	150.00	31.46	1625.80
7.	रानाघाट-बोनगांव-विद्युतीकरण	रेलवे	-1.07	1.00	0.66	0.35	0.30	0.15	0.65	1.37
8.	बारासात -हसनावाद-विद्युतीकरण	रेलवे	-0.90	4.00	-6.93	1.50	0.55	1.10	6.30	12.76
9.	रानाघाट-गेडे-विद्युतीकरण	रेलवे	-0.11	0.10	-2.12	0.50	0.54	0.75	1.50	3.16
महाराष्ट्र										
10.	सांताक्रूज-बोरिवली-पांचवी लाईन	रेलवे	0.13	0.15	0.36	3.30	0	0.20	0.02	2.82
11.	बेलापुर-पानवेल-पूर्व पश्चिम कोरीडोर के भाग के रूप में यात्री लाईन को दुगुना बनाना	रेलवे	2.17	2.00	2.54	1.93	7.05	6.30	3.19	10.00
		राज्य सरकार	43.28		3.55	7.25	7.47		0	0
12.	थाणे-तुरभे-नेरूल-वाशी-न्यू मुंबई में कोरीडोर संख्या 1 के भाग के रूप में	रेलवे	5.02	0.50	7.79	7.41	9.09	4.30	4.18	17.71
		राज्य सरकार	2.10		3.79	4.59	4.46		0.30	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	बेलापुर-सीवुड-उरान-विद्युतिकरण	रेलवे	5.52	30.00	6.17	25.00	5.13	39.10	4.79	55.00
	दोहरी लाईन	राज्य सरकार	17.13		0.69	22.80	25.22		1.49	0.00
14.	मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) फेज-I	रेलवे	406.86	345.99	326.42	304.00	348.96	180.00	42.52	85.16
		राज्य सरकार	109.16	345.99	326.42	304.00	178.54	180.00	42.52	85.16
15.	मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) फेज-II	रेलवे	0.01	0.01	43.46	125.00	31.95	150.00	42.00	233.88
तमिलनाडु										
16.	चेन्नई बीच-तिरुमलई, मास रेपिड ट्रांजिट प्रणाली (एमआरटीएस) फेज-I	रेलवे	1.11	1.00	5.57	10.00	5.84	10.00	3.32	10.19
17.	तिरुमलई-वेलाचेरी मास रेपिड ट्रांजिट प्रणाली (एमआरटीएस) फेज-II	रेलवे	12.00	26.00	15.59	10.00	10.67	10.00	3.62	11.89
		राज्य सरकार	38.57	52.00	31.17	20.30	31.62	20.30	7.23	18.58
18.	चेन्नई बी-ताम्बरम-चेंगलपट्टु (जी.सी.)	रेलवे	14.99	15.00	6.22	10.00	6.44	10.00	2.92	9.64
19.	वेलाचेरी से सेंट थाम माउन्ट तक मास रेपिड ट्रांजिट प्रणाली (एमआरटीएस) का विस्तार फेज-II	रेलवे	20.00	20.00	10.28	20.00	18.25	20.00	9.90	23.00
आंध्र प्रदेश										
20.	मल्टी मॉडल परिवहन प्रणाली (एमएमटीएस) फेज-I	रेलवे	0.05	0.05	*	*	*	*	*	*
		राज्य सरकार	0.05	0.05						

[हिन्दी]

शौचालयों का निर्माण

1282. **श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र राज्य सरकार से अपने राज्य के विभिन्न शहरों में शौचालयों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है और इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) संशोधित एकीकृत कम लागत सफाई (आई.एल.सी.एस.) स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं तथा महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न शहरों में 39,663 शौचालयों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की दी गई है। महाराष्ट्र के रामटेक शहरी स्थानीय निकाय का प्रस्ताव आई.एल.सी.एम. स्कीम के अंतर्गत

धनराशि की कमी के कारण मंत्रालय के पास लंबित है। इस स्तर पर स्वीकृति हेतु कोई समय-समय नहीं बतायी जा सकती है।

[अनुवाद]

दिल्ली मेट्रो रेल

1283. श्री जी.एम. सिद्देश्वरः क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में नए मेट्रो मार्ग आरंभ हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो मार्ग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू मेट्रो लाइनों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मार्ग हेतु आवंटित और व्यय निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक मार्ग हेतु परियोजना के पूर्ण होने के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं; और

(ङ) दिल्ली के प्रत्येक क्षेत्र में मेट्रो सेवाओं के विस्तार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटिड (डी.एम. आर.सी.) ने सूचित किया है कि वर्ष 2011 में दिल्ली में निम्नलिखित मेट्रो लाइनें/सेक्शन शुरु किए गए हैं :

क्र.सं.	कोरीडोर/सेक्शन	लम्बाई (कि.मी.)	स्टेशनों की संख्या	शुरू किए जाने की तारीख
1.	सरिता विहार-बदरपुर	4.82	3	14.01.2011
2.	नई दिल्ली से तेज गति की एयर पोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लिंक-आई.जी.आई. एयरपोर्ट-द्वारका सेक्टर 21	22.70	6	23.02.2011
3.	कीर्ति नगर-अशोक पार्क लिंक	3.31	2	27.08.2011

(ग) और (घ) चल रही मेट्रो लाइनों के साथ डी.एम. आर.सी. द्वारा आबंटित और खर्च की गई निधियों के ब्यौरों के साथ-साथ प्रत्येक मार्ग को पूरा करने के लिए निर्धारित तारीखें नीचे दी गई हैं:

क्र.सं.	मार्ग का नाम	कुल लम्बाई (कि.मी.)	स्टेशन	पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्य	2011-12 में आबंटित निधियां	डीएमआरसी द्वारा खर्च की गई निधियां
	दिल्ली मेट्रो फेज-III					
1.	मुकुन्दपुर से यमुना विहार	55.697	35	मार्च 2016		
2.	जनकपुरी पश्चिम से कालिन्दी कुंज	33.494	22	फरवरी, 2016		
3.	केन्द्रीय सचिवालय से कशमीरी गेट	9.37	7	दिसंबर, 2016	700.89	29.83
4.	जहांगीर पुरी से बादली कोरीडोर	4.489	3	दिसंबर, 2014		
	कुल	103.050	67			
5.	बदरपुर से फरीदाबाद तक का विस्तार	13.875	9	सितंबर, 2014	100	0.04

(ङ) शहरीकरण के संदर्भ में मेट्रो सेवाओं का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क को चार चरणों में क्रियान्वित किए जाने की योजना है। फेज-I जिसमें 65.10 कि.मी. की लम्बाई और फेज-II जिसमें 124.93 कि.मी. लम्बाई शामिल है, पहले से ही प्रचालन में है। जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट है, भारत सरकार ने 103.05 कि.मी. लम्बाई के दिल्ली मेट्रो फेज-III के क्रियान्वयन की

भी स्वीकृति दी है। डी.एम.आर.सी. को दिल्ली मेट्रो फेज-IV का सर्वेक्षण कार्य शुरू करने का भी निर्देश दिया गया है।

[हिन्दी]

सी.डब्ल्यू.जी. फ्लैटों का निर्माण

1284. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रमण्डल खेल गांव (सीडब्ल्यूजी) में कितने फ्लैटों का निर्माण बिना अनुमति तथा बिना नक्शे पारित करवा कर किया गया;

(ख) क्या लापरवाही, जिसके कारण ऐसा अवैध निर्माण संभव हुआ के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु कोई जॉच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो फ्लैटों के निर्माण में संलिप्त अधिकारियों/बिल्डरों/कंपनियों के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि जब परियोजना विकासक (पीडी) ने डीडीए को पूर्णता प्लान प्रस्तुत किया तो यह पता चला कि परियोजना विकासक के उपरी भूतल में अनाधिकृत रूप से 17 फ्लैटों का निर्माण किया। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया कि जब परियोजना विकासक और डीडीए के संयुक्त दल के निरीक्षण किया तो यह नोटिस किया गया कि परियोजना विकासक द्वारा अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफएआर) का निर्माण किया गया था।

(ख) और (ग) डीडीए ने यह भी सूचित किया कि पूर्णता प्लान प्रस्तुत करने पर डीडीए के अधिकारियों के विरूद्ध कोई जांच नहीं की गई है। डीडीए ने उन 17 फ्लैटों को गिरा दिया है जिनका उपरी भूतल में अनाधिकृत रूप से निर्माण किया गया था। भवन नक्शे प्रस्तुत करने के बाद भी माप की जांच की जा सकेगी। स्थल पर वास्तविक माप के बाद डीडीए ने स्वीकृत प्लान से अधिक 5 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर के संबंध में कम्पाउडिंग शुल्क की वसूली के लिए कार्रवाई नहीं की है। अतिरिक्त एफएआर के लिए डीडीए ने शहरी विकास मंत्रालय को कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव भेज दिया है। इस प्रस्ताव को संबंधित मंत्रिदल (जीओएम) के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

[अनुवाद]

कृषि नेतृत्व और सम्मेलन तथा पुरस्कार

1285. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि नेतृत्व सम्मेलन पुरस्कार वार्षिक रूप से आयोजित किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आयोजित सम्मेलनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उद्देश्यों तथा इसमें प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दक्षिणी राज्यों में भी सम्मेलन आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय इस प्रकार के किसी "कृषि नेतृत्व और सम्मेलन और पुरस्कार" का आयोजन नहीं करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

माओवाद का प्रसार

1286. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जिनेवा ने भारत के 20 राज्यों और 200 जिलों में माओवाद के फैलने और बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाओं की मौजूदगी के संबंध में जानकारी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने माओवादी हिंसा के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सैन्य अभियान सहित माओवाद को नियंत्रित और कुचलने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) ऐसी कोई रिपोर्ट गृह मंत्रालय के ध्यान में नहीं आई है। गृह मंत्रालय के पास उपलब्ध वामपंथी उग्रवादी हिंसा के आंकड़े संलग्न विवरण I से IV में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) 'पुलिस' और 'लोक-व्यवस्था' राज्य के विषय होने के नाते कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित कार्रवाई प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आती है। केन्द्र सरकार, वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के प्रति व्यापक दृष्टिकोण रखती है जिसमें यह सी.ए.पी.एफ. की तैनाती, विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता, राज्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शासन प्रणाली एवं क्षमता निर्माण में सुधार सहित अनेक मुद्दों पर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार का यह मन्तव्य है कि समुचित पुलिस कार्रवाई, संकेन्द्रित विकासात्मक प्रयासों और शासन प्रणाली में सुधार के एक संमिश्रित तरीके से वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध वांछित परिणाम हासिल होंगे। तथापि, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेना की तैनाती का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण I

वर्ष 2007 से 2011 (दिनांक 15.11.2011 तक) के दौरान नक्सली हिंसा का राज्यवार विस्तार

राज्य	2007		2008		2009		2010		2011 (दिनांक 15.11.2011 तक)	
	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें
आन्ध्र प्रदेश	138	45	92	46	66	18	100	24	44(82)	6(18)
बिहार	135	67	164	73	232	72	307	97	274 (272)	49(75)
छत्तीसगढ़	582	369	620	242	529	290	625	343	385(538)	182(315)
झारखंड	482	157	484	207	742	208	501	157	415(436)	137(137)
मध्य प्रदेश	32	6	35	26	1	–	7	1	4(7)	0(1)
महाराष्ट्र	94	25	68	22	154	93	94	45	92(75)	50(37)
उड़ीसा	67	17	103	101	266	67	218	79	172(189)	49(65)
उत्तर प्रदेश	9	3	4	–	8	2	6	1	1(6)	0(1)
पश्चिम बंगाल	32	6	35	26	255	158	350	258	88(322)	40(234)
अन्य	17	5	14	4	5	–	4	0	1(4)	0(0)
कुल	1565	696	1591	721	2258	908	2212	1005	1476(1931)	513(883)

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 2010 की तदनरुप अवधि का ब्यौरा दर्शाते हैं।

विवरण II

वर्ष 2007 से 2011 (दिनांक 15.11.2011 तक) के दौरान नक्सली हिंसा के महत्वपूर्ण तुलनात्मक पैरामीटर

क्र.सं.	पैरामीटर	2007	2008	2009	2010	2011 (दिनांक 15.11.2011 तक)
क.	घटनाओं की संख्या	1565	1591	2258	2212	1476 (1931)
ख.	मारे गए सिविलियन (जिनमें	460	490	591	720	389(614)
	से मारे गए पुलिस के मुखबिर		170	211	323	188 (280)
ग.	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	236	231	317	285	124(269)
घ.	पुलिस के साथ मुठभेड़ की घटनाएं	276	271	309	272	205(242)
ङ.	(बारुदी सुरंगों सहित) पुलिस पर हमलों की संख्या	182	192	250	229	103(186)
च.	(मुठभेड़ तथा पुलिस पर हमलों के दौरान) मारे गए नक्सलियों की संख्या	141	199	219	172	96(147)
छ.	गिरफ्तार किए गए नक्सलियों की संख्या	1456	1743	1981	2916	1728 (2502)
ज.	आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या	390	400	150	266	344(238)
झ.	छीने गए हथियारों की कुल संख्या	233	1219	217	253	41(253)
	जब्त किए गए हथियारों की संख्या	352	1511	572	642	546(559)
ट	आयोजित किए गए हथियार प्रशिक्षण शिविर	48	52	61	94	74(74)
ठ.	आयोजित की गई जन अदालतें	68	71	50	75	85(63)

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 2010 की तदनरूप अवधि का ब्यौरा दर्शाते हैं।

विवरण III

वर्ष 2007 से 2011 (दिनांक 15.11.2011 तक) के नक्सली हिंसा के विभिन्न सूचकांकों के राज्यवार सांख्यिकीय आंकड़े

क्र.सं.	राज्य	घटनाओं की संख्या	मारे गए सिविलियनों की संख्या	मारे गए पुलिस के मुखबिर (मारे गए कुल सिविलियनों में से)	मारे गए सुरक्षा बल कार्मियों की संख्या	पुलिस के साथ मुठभेड़ों की संख्या	(बारुदी सुरंगों सहित) पुलिस पर हमलों की संख्या	मारे गए नक्सलियों की संख्या (मुठभेड़ों और हमलें में)	गिरफ्तार किए गए नक्सली	आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या	छीने गए कुल हथियारों की संख्या	जब्त किए गए हथियारों की कुल संख्या	आयोजित किए गए हथियार प्रशिक्षण शिविर	आयोजित की गई जन अदालतों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	44(82)	6(18)	3(16)	0(0)	6(10)	0(1)	4(7)	118(129)	207(129)	0(0)	24(34)	0(0)	6(3)
2.	बिहार	274(272)	46(53)	12(12)	3(22)	15(18)	10(21)	13(5)	363(301)	25(13)	1(61)	144(58)	12(1)	14(14)
3.	छत्तीसगढ़	385(538)	105(151)	78(90)	77(164)	91(119)	59(100)	33(72)	458(813)	20(6)	24(109)	92(104)	21(47)	12(12)
4.	झारखंड	415(436)	117(114)	28(31)	20(23)	36(45)	19(20)	16(12)	315(312)	16(20)	5(15)	136(185)	20(4)	48(22)
5.	महाराष्ट्र	92(75)	41(28)	34(22)	9(9)	20(7)	5(10)	3(2)	85(66)	15(22)	1(0)	11(27)	4(3)	1(0)
6.	मध्य प्रदेश	4(7)	0(0)	0(0)	0(1)	0(1)	0(0)	0(0)	6(0)	0(2)	1(1)	10(1)	0(0)	0(0)
7.	उड़ीसा	172(189)	35(49)	25(25)	14(16)	21(7)	7(16)	23(6)	141(167)	50(37)	9(4)	68(22)	7(7)	3(8)
8.	उत्तर प्रदेश	1(6)	0(1)	0(1)	0(0)	0(2)	0(0)	0(0)	13(77)	5(0)	0(0)	2(26)	0(0)	0(0)
9.	पश्चिम बंगाल	88(322)	39(200)	9(83)	1(34)	16(32)	2(17)	4(42)	200(492)	6(5)	6(63)	59(102)	10(11)	1(4)
10.	अन्य	1(4)	0(0)	0(0)	0(0)	0(1)	1(1)	0(1)	29(63)	0(4)	0(0)	0(0)	0(1)	0(0)
	कुल	1476 (1931)	389(614)	188(280)	124(269)	205(242)	103(186)	96(147)	1728(2502)	344(238)	41(253)	546(559)	74(74)	85(63)

* कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 2010 की तदनरुप अवधि का ब्यौरा दर्शाते हैं।

विवरण IV

वामपंथी उग्रवादियों द्वारा देश भर में बनाए गए आर्थिक लक्ष्यों की घटनाएं

			2007	कुल	2008	कुल	2009	कुल	2010	कुल	2011(15 नव. तक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
निशाना	आन्ध्र प्रदेश	यूरेनियम माइन्स	0	08	0	05	0	17	0	24	–	12(18)
बनाई गई		एस्सार स्टील	1		1		0		0		–	
आर्थिक	छत्तीसगढ़	एनडीएमसी	4		0		2		11		1(9)	
अवसंरचना		एस्सार पाइप	1		3		1		1		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		लाइन्स										
		बीआरओ	1		0		0		0		–	
		ग्रामीण सड़क निर्माण योजना	0		1		4		3		4(3)	
	उड़ीसा	एस्सार पाइप लाइन्स	0		0		5		1		1(1)	
		ग्रामीण सड़क योजना	0		0		2		4		2(1)	
	महाराष्ट्र	बीआरओ	0		0		0		1		1(1)	
	मध्य प्रदेश	ग्रामीण सड़क निर्माण योजना	0		0		0		1		0(1)	
	बिहार	सीमेंट संयंत्र	1		0		0		0		–	
		सोलर प्लेट	0		0		2		0		–	
		ग्रामीण सड़क निर्माण योजना	0		0		1		1		2(1)	
	झारखंड	ग्रामीण सड़क निर्माण योजना	0		0		0		1		0(1)	
		एस्सार पाइप लाइन्स	0		0		0		0		1(0)	
रेलवे	आन्ध्र प्रदेश		1		2		0		1		0(1)	
	बिहार		9		11		8		16		3(14)	
	छत्तीसगढ़		18		6		5		8		6(5)	
	झारखड़		15		7		17		13		7(12)	23(47)
	महाराष्ट्र		0	47	0	27	0	46	0	54	–	
	उड़ीसा		2		0		10		7		0(6)	
	पश्चिम बंगाल		2		1		6		7		0(6)	
	उत्तर प्रदेश		0		0		0		2		0(2)	
	आन्ध्र प्रदेश		0		1		0		4		2(2)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	बिहार		0		14		24		14		18	
टेलीफोन	महाराष्ट्र		1	06	2	46	1	67	1	45	2(1)	31(38)
एक्सचेंज/ टावर	छत्तीसगढ़		3		15		10		2		3(2)	
	झारखंड		0		10		14		6		3(6)	
	उड़ीसा		2		4		18		17		3(14)	
	पश्चिम बंगाल		0		0		0		1		0(1)	
	आन्ध्र प्रदेश		3		0		0		1		0(1)	
विद्युत संयंत्र	छत्तीसगढ़		0	03	0	01	0	2	0	3	–	0(2)
	पश्चिम बंगाल		0		0		0		1		–	
	महाराष्ट्र		0		1		2		1		0(1)	
	उड़ीसा		00		0		1		1		1(1)	
	झारखंड		04		4		2		6		2(6)	
	छत्तीसगढ़		01		2		0		0	9	3(0)	6(9)
खनन	आन्ध्र प्रदेश		01	06	0	06	0	3	0		–	
	महाराष्ट्र		00		0		0		1		0(1)	
	पश्चिम बंगाल		0		0		0		1		0(1)	
पोल/	छत्तीसगढ़		10	10	2.3	24	7	7	1	2	3(0)	3(1)
ट्रांसमिशन	उड़ीसा		0	10	01	24	0	7	0	2	–	
	झारखंड		0		0		0		1		0(1)	
पंचायत	छत्तीसगढ़		2		2		0		3		0(3)	
भवन	झारखंड		0		0		7		4		0(3)	
	आन्ध्र प्रदेश		1		0		0		0		–	
	महाराष्ट्र		0	4	5	7	8	23	6	31	0(2)	4(20)
	बिहार		0		0		3		0		1(0)	
	उड़ीसा		0		0		3		11		1(9)	
	पश्चिम बंगाल		1		0		2		7		2(3)	
विद्यालय	छत्तीसगढ़		38		19		7		13		1(7)	
भवन	आन्ध्र प्रदेश		0		0		0		1	39	0(1)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	झारखंड		3	43	4	25	37	71	7	39	6(6)	21(31)
	बिहार		1		0		21		10		14(10)	
	महाराष्ट्र		1		2		1		0		–	
	उड़ीसा		0		0		5		8		0(7)	
वन, सड़क, पुलिया इत्यादि			63	63	41	41	126	126	158	158	119 (122)	119 (122)
	कुल		190	190	182	182	362	362	365	365	219 (288)	219 (288)

* कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष 2010 की तदनुरूप अवधि के हैं।

[अनुवाद]

कबड्डी विश्व कप के लिए डोप जांच

1287. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में अगले माह आयोजित होने वाले द्वितीय कबड्डी विश्व कप के लिए परीक्षण के दौरान डोप जांच में कुछ कबड्डी खिलाड़ी पाजिटिव पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा घटना में शामिल/पाजिटिव पाये गये खिलाड़ियों, कोच और अन्य सहायक स्टाफ के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय डोपिंगरोधी एजेंसी (नाडा) ने मुख्यत: एथलीटों, पहलवानों और भारोतोलकों के डोपिंग में शामिल होने की घटनाओं से निपटने के लिए कोई बड़े सक्रिय उपाय किये हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा खिलाड़ियों में व्याप्त ऐसी डोपिंग की समस्या पर रोक लगाने के लिए क्या अन्य उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी हां। 20 पुरुष भारतीय कबड्डी खिलाड़ी दूसरे विश्व कप के ट्रायल के दौरान जांच में पाजिटिव पाये गये हैं। आयोजक अर्थात पंजाब सरकार को स्वच्छ विश्व कप आयोजित करने की सलाह दी गई थी।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय डोप रोधी एजेन्सी (नाडा) ने पहले से ही 20 खिलाड़ियों को अनंतिम रूप से निलंबित किया है और डोपिंग रोधी नियमावली, नाडा के अन्तर्गत गठित डोपिंग रोधी अनुशासनिक पैनल को 14 मामले भेजे हुए हैं। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एन.डी.टी.एल.) से बी, नमूना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शेष मामले भेजे जायेंगे।

(ङ) से (छ) नाडा द्वारा खेलों में डोपिंग के खतरे को रोकने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए गये हैं:

1. लंदन ओलंपिक, 2012 के लिए विभिन्न केन्द्रों पर प्रशिक्षण पा रहे शीर्ष संभावितों सहित प्रतियोगिता के दौरान और उसके इतर एथलीटों की जांच की आवृत्ति बढ़ाना।
2. प्रशिक्षण संस्थानों में एथलीटों, कोचों और सहायक कर्मियों के कमरों की औचक जांच तथा नमूनों का औचक संग्रहण।
3. खिलाड़ियों, कोचों तथा सहायक कर्मियों के बीच डोप संबंधी विषयों से संबंधित शैक्षिक सामग्रियों का वितरण।

4. एथलीटों और कोचों के साथ सेमिनार/कार्यशालाओं/शैक्षिक सत्रों में वृद्धि।

5. कोचों और सहायक कर्मियों पर उनके नियोक्ताओं के माध्यम से बारीकी से नजर रखना तथा सतर्कता रखना।

इसके अतिरिक्त नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला में हाल ही डोपिंग घटनाओं के परिणामस्वरूप सरकार ने डोपिंग के प्रचलन से संबंधित मुद्दे के सभी पहलुओं की जांच के लिए 7.7.2011 को न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक सदस्यीय समिति के रूप में नियुक्त किया गया है। जांच समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं:

1. एथलेटिक विधाओं में बड़े पैमाने पर तथाकथित डोपिंग की हाल की घटनाओं के तथ्यों और परिस्थितियों का निर्धारण।

2. बड़े पैमाने पर ऐसी डोपिंग की घटनाओं के कारणों तथा इसमें सन्निहित कार्यप्रणाली की जांच करना जिसमें प्रशिक्षण कैम्पों/प्रतियोगिताओं में तथा उसके इर्द-गिर्द प्रतिबंधित पदार्थों की उपलब्धता भी शामिल है।

3. इसमें शामिल एजेंसियों, यदि कोई है, की भूमिका की जांच करना।

4. डोप परीक्षण के प्रोटोकाल तथा इसकी सत्यनिष्ठा और संवर्धन में सुधार के लिए उपचारी उपाय सुझाना ताकि ऐसी चूक, यदि कोई है, भविष्य में फिर से न हो।

5. कोई अन्य विषय।

[हिन्दी]

झुग्गियों को अन्यत्र बसाया जाना

1288. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का समयबद्ध तरीके से दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) के माध्यम से राजधानी दिल्ली में हजारों झुग्गियों को अन्यत्र बसाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(ग) क्या डी.डी.ए. द्वारा इस प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विलम्ब के कारण क्या हैं;

(ङ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान डी.डी.ए. द्वारा दिल्ली में कुछ झुग्गियों को अन्यत्र विस्थापित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर वर्ष-वार कितनी निधियां व्यय की गई हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उल्लेख किया है कि उसकी भूमि पर 291 झुग्गी झोपड़ी समूह हैं जिनमें से 23 झुग्गी झोपड़ी समूहों को उच्च प्राथमिकता आधार पर स्वस्थाने विकास करने हेतु चिह्नित किया गया है। इस पर होने वाले व्यय की गणना अभी नहीं की गई है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है। तथापि निर्माण कार्य के दौरान अस्थाई आवास हेतु स्थलों की पहचान कर ली गयी हैं।

(ङ) और (च) पिछले 3 वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 70 झुग्गियों को बसाया गया है। इन 70 झुग्गियों को बवाना पुनर्वसन स्कीम के तहत उन प्लाटों पर बसाया गया है जो खाली पड़े थे तथा इनका आवंटन नीति के अनुसार लाइसेंस शुल्क के आधार पर किया गया है। इसलिए पिछले 3 वर्षों के दौरान 'पुनर्वसन' शीर्ष/स्कीम के तहत कोई व्यय नहीं किया गया।

[अनुवाद]

कृषि उपज में मूल्य वृद्धि

1289. श्री नलिन कुमार कटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि उपरिव्यय के कारण देश में जैव तथा बागवानी सहित कृषि उपज के मूल्यों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिचौलिये लाभ अर्जित कर रहे हैं और किसान और उपभोक्ताओं को इससे लाभ नहीं पहुंच रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा किसानों को बिचौलियों के चुगल से बचाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की रिपोर्ट के अनुसार, जून, 2010 से मई, 2011 की अवधि के दौरान फार्म आदानों के लिए आधार

2004-05=100 के साथ थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई) दर्शाता है कि इसमें संपूर्ण रूप से डीजल आयल (एल.डी.ओ.), के लिए 46.83% लुब्रीकेंट के लिए 13.59% ट्रैक्टरों के लिए 8. 71% तथा उर्वरकों के लिए 7.63% तक की वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान इन आदानों के वास्तविक मद में बढ़े हुए मूल्य से उत्पादन की आदान लागत पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा। सिंचाई के लिए विद्युत, कीटनाशकों, गैर-विद्युत मशीनरी, चारा, गौपशु आहार एवं डीजल तेल (एच.एस.डी.ओ.) के मूल्यों जैसे अन्य आदानों में लगभग 1 से 4.5% के बीच की वृद्धि हुई।

(ग) और (घ) उपभोक्ताओं के लिए कार्बनिक एवं बागवानी उत्पादों सहित कृषि उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में अनेकों बिचौलिए कार्यरत हैं यथा कमिशन एजेंट, व्यापारी, थोक विक्रेता, डिस्ट्रीब्यूटर आदि। किसान द्वारा जारी मूल्य विपणन चैनल, अपनाए गए विपणन चैनलों के तौर-तरीके तथा उत्पादन क्षेत्रों से बाजार की दूरी में कार्यरत इन बिचौलियों पर निर्भर करता है। बिचौलिए एक ओर उपभोक्ताओं के मूल्यों में किसानों की हिस्सेदारी कम करते हैं तथा दूसरी ओर उपभोक्ताओं के मूल्य में वृद्धि करते हैं। यह देखा गया है कि नष्ट योग्य पदार्थों सहित, कृषि उत्पाद के मामले में बिचौलियों की संख्या 6-8 के बीच है। कृषि मंत्रालय द्वारा किये गये सहस्त्राब्दि अध्ययन (2004) के अनुसार, फलों, सब्जियों तथा फूलों के मामले में उपभोक्ता पर खर्च में उत्पादकों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से 68 प्रतिशत तक होती है। इसके अतिरिक्त, समूचित विपणन अंत:संरचना तथा भण्डारण की कमी के परिणामस्वरूप जिंसों की अत्यधिक बर्बादी भी होती है जिसके पश्चात विपणन लागत अधिक होती है तथा उपभोक्ता द्वारा अदा किये गये वैकल्पिक मूल्य में वृद्धि होती है।

किसानों द्वारा जारी बेहतर मूल्य तथा उपभोक्ताओं को उचित दरों पर वेतन गुणवत्ता उत्पाद को सुसाध्य बनाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में अनेकों सुधार पहलुओं की शुरूआत की है। सुधार पहलुओं में से एक पहलू एक आदर्श अधिनियम तैयार करना था जिसका परिचालन सीधे विपणन, संविदा खेती निजी एवं सहकारी क्षेत्र में बाजारों की स्थापना करने आदि जैसे वैकल्पिक विपणन चैनल का प्रावधान करने के लिए उनके ए.पी.एम.सी. अधिनियम में संशोधन करने हेतु अनुरोध के साथ-साथ 2003 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को लिया गया था। यह खरीददारों को किसानों द्वारा सीधी बिक्री को सुसाध्य करेगा जो बिचौलियों की भूमिका को कम करेगा तथा विपणन लागत को कम करके किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करेगा।

किसानों द्वारा गोदामों की स्थापना

1290. श्री रवनीत सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्यान्नों के भण्डारण हेतु आवश्यक अतिरिक्त भण्डारगृह/भाण्डागृहों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने किसानों को अपनी भूमि पर गोदाम स्थापित करने को बढ़ावा देने की नीति तैयार की है/अथवा तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा खाद्यान्नों की क्षति तथा विनाश की रोकथाम के लिए क्या अन्य कदम उठाये गये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) सरकार ने खाद्यान्नों की अधिक खरीदारी होने के कारण और कवर तथा प्लिंथ के अधीन भंडारण में कमी करने के लिए निजी उद्यमियों, केंद्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के जरिए भंडारण गोदामों का निर्माण करने की स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के अधीन 19 राज्यों में लगभग 151 लाख टन क्षमता सृजित की जानी है।

(ख) और (ग) सरकार ने 1.4.2011 से 'ग्रामीण भंडारण योजना' शुरू की है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पाद, प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद, कृषि आदान आदि के भंडारण के लिए किसानों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने हेतु और बंधक रखकर ऋण लेने तथा बाजार ऋण की सुविधा सृजित करके मजबूरन बिक्री को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में संबद्ध सुविधाओं वाली वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का सृजन करना है।

इस संशोधित स्कीम के अधीन 26.5.2008 से किसानों की सभी श्रेणियों, कृषि स्नातकों, सहकारी समितियों और केंद्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों को 25% की दर पर राजसहायता दी जा रही है। अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों, कम्पनियों और निगमों को प्रयोजना लागत के 15% की दर पर राजसहायता दी जा रही है। पूर्वोत्तर राज्यों/पहाड़ी क्षेत्रों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों तथा उनकी सहकारी समितियों और महिला किसानों के मामले में 33.33% राजसहायता दी जाएगी। यह स्कीम 90 लाख टन के लक्ष्य और 400 करोड़ रुपए के बजट आबंटन के साथ 11वीं योजना की संपूर्ण अवधि के दौरान जारी रहेगी।

(घ) खाद्यान्नों में क्षति को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न पग उठाए जाते हैं। कीट/जंतुबाधा को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से रोग निरोधी और रोगहर उपाय किए जाते हैं। प्रभावी मूषक नियंत्रण उपाय भी किए जाते हैं। भंडारण में खाद्यान्नों का उचित परिरक्षण सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से गुणवत्ता जांच की जाती है। कैप में भंडारित खाद्यान्नों के स्टाक के लिए पर्याप्त डनेज प्रदान किया जाता है। डनेज सामग्री को साफ और जंतुबाधा से मुक्त किया जाता है। वर्षा, धूप आदि से कैप के स्टाक की सुरक्षा करने के लिए प्रत्येक चट्टे को पालीथीन कवर से ढका जाता है। पालीथीन कवरों को नाइलान की रस्सियों से बांधा जाता है। राज्य सरकारों/एजेंसियों द्वारा किए

गए कैप में भंडारित गेहूं के स्टाक का भारतीय खाद्य निगम और संबंधित राज्य सरकारों/एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर संयुक्त निरीक्षण किया जाता है। आमतौर पर स्टाक 'प्रथम आमद-प्रथम निर्गम' के सिद्धांत पर जारी किया जाता है।

कृषि क्षेत्र में रोजगार

1291. श्रीमती जे. शांता: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ समय के दौरान कृषि क्षेत्र में रोजगार की दर और रोजगार के अवसरों में गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में श्रमोन्मुखी प्रौद्योगिकी उन्नयन का उत्तरदायित्व किसी अनुसंधान संस्थान को सौंपा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी उन्नयन की गई प्रौद्योगिकी को कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जनसंख्या गणना 1991 के अनुसार, देश में कृषि में कार्यरत कृषकों एवं कृषि कार्मिकों की कुल संख्या 210.68 मिलियन थी। 2001 गणना में उसमें 234.10 मिलियन तक वृद्धि हुई है जो 10 वर्षों में 11.11% की वृद्धि दर्शाता है। योजना आयोग द्वारा प्रकाशित ग्यारहवें योजना दस्तावेज के अनुसार, 9.47 मिलियन के दसवीं योजना लक्ष्य की तुलना में, कृषि क्षेत्र में सृजित रोजगार 8.84 मिलियन था। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा जारी भारत 2009-10 में रोजगार तथा बेरोजगार संबंधी मुख्य संकेतकों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 63 प्रतिशत पुरुष सामान्य स्थिति (मुख्य स्थिति + सहायक स्थिति) कार्मिकों को कृषि क्षेत्र में नियुक्त किया गया जबकि 79 प्रतिशत महिलाएं कृषि क्षेत्र पर निर्भर थीं। कृषि में पुरुषों के संबंध में नगरीय कार्यबल का हिस्सा 6 प्रतिशत तथा महिला कार्मिकों का हिस्सा 14 प्रतिशत था। कृषि में पुरुषों के संबंध में शहरी कार्यबल की हिस्सेदारी लगभग 6 प्रतिशत तथा महिला कार्मिकों की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत थी।

(ग) कृषि क्षेत्र में प्रारंभ की गयी अनेक योजनाओं का लक्ष्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना तथा प्रक्रिया में अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन करना भी है। कृषि क्षेत्र में क्रियान्वित महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल हैं - वृहत कृषि प्रबंधन (एम.एम.ए.), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.), ग्रामीण भंडारण योजना, कृषि विपणन अंत:संरचना का विकास, लघु सिंचाई, ग्रामीण ऋण, एकीकृत तिलहन, दलहन, पाम आयल एवं मक्का योजना (आइसोपाम) तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.)।

कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के अलावा यह योजनाएं किसानों के प्रापण संबंधी आय में सुधार लाने के अतिरिक्त आन-फार्म एवं नान-फार्म रोजगार भी सृजित करती है।

(घ) और (ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने अपने संस्थानों तथा अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (ए.आई.सी.आर.पी.एस.) के माध्यम से अनेक प्रौद्योगिकी तथा उपकरण का विकास किया है जिसके फलस्वरूप श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि हुई है तथा इससे भिन्न खेती संबंधी कार्यों में मजदूरी कम हुई है। कुछ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां निम्नलिखित हैं:

चुनिंदा प्रौद्योगिकियों से कड़ी मजदूरी में गिरावट आ रही है तथा मानव श्रम में वृद्धि हो रही है।

प्रचालन	प्रौद्योगिकी
बुआई तथा वृक्षारोपण	* डिबलर/सीड ड्रिल्स
	* राइस सीडर/ट्रांसप्लांटर
	* मल्टी-क्राप प्लांटर
विडिंग/इंटरकल्चर	* ग्रबर वीडर
	* ड्राईलैंड वीडर
	* व्हील होस
	* कोनो वीडर
हार्वेसटिंग तथा थ्रेसिंग	* इंप्रोवड् सेरिटिड सिकिल
	* पेडल आपरेटिड राइस थ्रेशर
	* ग्राउंडनेट पोड स्ट्रीपर
	* ट्री क्लाइम्बर
क्लीनिंग/ग्रेडिंग/सेपरेशन	* डबल स्क्रीन क्लीनर
	* पेडल कम पावर आपरेटिड ग्रेन क्लीनर
	* पामोग्रेनेट ऐरीलस एक्सट्रेक्टर
शीलिंग/डीहोलिंग/पीलिंग	* टूबलर मेज शैलर
	* ग्राउंडनेट/केस्टर डीकोरडीकेटर
	* गारलिक प्रोसेसिंग इक्वीपमेंट
	* शुगरकेन जूस फिलटरेशन सिस्टम
	* टेंडर कोकोनेट पंच तथा कटर

पी.डी.एस. के अंतर्गत अतिरिक्त मदें

1292. **श्रीमती श्रुति चौधरी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) के अंतर्गत अतिरिक्त मदों को शामिल किये जाने के लिए राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हरियाणा सहित राज्य-वार सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केन्द्र सरकार उचित दर दुकानों के जरिए पात्र लाभार्थियों को वितरण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) और चीनी का आवंटन करती है। भारत सरकार स्थानीय खाद्य पसंद, राज्य सरकारों के अनुरोध और केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता पर विचार करते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी जैसे मोटे अनाजों का आवंटन भी करती है।

इसके अलावा, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इन दुकानों के जरिए बिक्री करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली से इतर वस्तुओं को शामिल करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जिन्सों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के जरिए दाल, खाद्य तेल, आयोडीनयुक्त नमक, मसाले आदि जैसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से इतर वस्तुओं का वितरण किया जाता है जिनमें हरियाणा राज्य सरकार भी शामिल है जिसने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के अलावा दालों का वितरण करने की सूचना दी है।

पशुधन के लिए बीमा कवर

1293. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकार द्वारा पशुधन-मछलियों और कुक्कुट को बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए योजना लागू की गई है;

(ख) प्रत्येक योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या गुजरात में इनमें से कोई योजनाएं चल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों को विभिन्न योजनाओं के तहत अब तक दी गई वित्तीय सहायता का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) पशुधन वाले कृषकों और गोपशु पालकों को सहायता प्रदान करने के लिए देश में 2005-06 से पशुधन बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है।

भारत सरकार ने पशुधन बीमा योजना को सभी राज्यों के चुनिंदा 100 जिलों में वर्ष 2005-06 में पायलट आधार पर आरंभ किया था। यह योजना 10.12.2009 से 300 चुनिंदा जिलों को कवर करती है। यह योजना स्वदेशी/वर्ण संकरित दुधारू गोपशु और भैंस रखने वाले पशुधन कृषकों और गोपशु पालकों को लाभ पहुंचाती है। राजसहायता का लाभ प्रति घर प्रति लाभार्थी दो पशुओं तक सीमित है। इस योजना के तहत निधियों का उपयोग प्रीमियम के राजसहायता के भुगतान, पशुचिकित्सा प्रैक्टिशनरों के मानदेय और जागरूकता अभियान के प्रचार-प्रसार पर किया जाता है। प्रीमियम की 50% राशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है और शेष 50% प्रीमियम राशि का वहन भारत सरकार करती है। इस योजना को राज्य पशुधन विकास बोर्डों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। जिन राज्यों में ऐसे बोर्ड मौजूदा नहीं हैं वहां इस योजना को राज्य पशुपालन निदेशालय क्रियान्वित कर रहा है।

उक्त के अलावा, वाणिज्यिक/निजी भेड़/बकरी/खरगोश पालन के लिए फार्म स्थापित करने के लिए "जुगाली करने वाले छोटे लिए पशुओं और खरगोशों का विकास" नामक योजना के तहत बीमा का प्रावधान है जिसके लिए 11वीं योजना के दौरान बीमा कवर के लिए 12.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

इसके अलावा, "सूअर विकास" और "नर भैंस बछड़ों को बचाना और पालना" नामक योजनाओं के तहत यूनिट लागत का 25% नाबार्ड के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इन योजनाओं के यूनिट लागत में बीमा लागत (पशु के मूल्य का 5%) शामिल है। मछलियों और कुक्कुट को कवर करने के लिए कोई बीमा योजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है।

(ग) और (घ) पशुधन बीमा योजना गुजरात में क्रियान्वित की जा रही है। गुजरात को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है:

(लाख रुपए में)

वर्ष	जारी निधि
2005-06	150.00
2006-07	271.00
2007-08	0.00
2008-09	0.00
2009-2010	0.00
2010-2011	200.00
2011-2012	300.00
कुल	921.00

[हिन्दी]

आकाशवाणी/दूरदर्शन का कम्प्यूटरीकरण

1294. श्री जगदीश सिंह राणा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य-वार और आकाशवाणी/दूरदर्शन-वार कुल कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) से (ग) आकाशवाणी स्टूडियो केन्द्रों में तकनीकी सुविधाओं नामत: कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग व ट्रांसमिशन और कार्यालय के दैनिक कार्यकरण नामत: बजट/निधि/कार्यक्रम सारणी व स्टॉफ संबंधी मामलों की आंकड़ा आधार प्रबंधन प्रणाली, दैनंदिन तकनीकी व प्रशासनिक रिपोर्टों की तैयारी करने, पत्रों के टंकण आदि की प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु सभी आकाशवाणी केन्द्रों का चरणबद्ध तरीके से कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। 10वीं योजनागत कम्प्यूटरीकरण स्कीम के दौरान ट्रांसमिशन व कार्यक्रम निर्माण (रिकॉर्डिंग) के लिए 185 आकाशवाणी स्टूडियों केन्द्रों को तथा कार्यालय के दैनंदिन कार्यकरण के लिए 226 केन्द्रों/अधिकारियों को कम्प्यूटर (हार्डडिस्क आधारित रिकॉर्डिंग प्रणाली) मुहैया कराए गए।

11वीं योजना के अंतर्गत निम्नलिखित स्कीमें संस्वीकृत की गई हैं:

(क) नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार, डिजिटलीकरण स्कीम के अंतर्गत तकनीकी सुविधाओं का कम्प्यूटरीकरण:

(i) रिकॉर्डिंग, निर्माण व ट्रांसमिशन, आंकड़ा विषय-वस्तु सर्वर, वर्क-स्टेशनों के लिए 98 प्रमुख स्टूडियों केन्द्रों का पूर्ण डिजिटलीकरण।

(ii) 51 स्थानों पर क्षेत्रीय समाचार इकाइयां।

(iii) 5 स्थानों– दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एवं हैदराबाद में अभिलेखीय प्रणालियां।

(iv) आकाशवाणी केन्द्रों की केन्द्रीय आंकड़ा प्रणाली व नेटवर्किंग।

11वीं योजना में उपर्युक्त स्कीमों के लिए 178.37 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए गए हैं।

ख. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सुविधाओं के ई-अभिशासन व उन्नयन की स्कीम के अंतर्गत कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण:

जहां तक दूरदर्शन का प्रश्न है, दूरदर्शन महानिदेशालय का सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ दूरदर्शन के चैनलों तथा विपणन कार्यालयों वे केन्द्रों में विज्ञापनों की बुकिंग व बिलिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर अधिप्राप्त करने हेतु निविदा आमंत्रित करने संबंधी दस्तावेज तैयार कर रहा है। इस समय, कोई निधियां आबंटित नहीं की गई हैं, इसलिए कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकतीं।

[अनुवाद]

पाम तेल का मूल्य

1295. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अन्य निर्यातक देशों में पाम तेल के बढ़ते स्टॉक से इसके मूल्यों में गिरावट होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी नहीं। ऐसी कोई संभावना नहीं है। भारत पाम तेल सहित खाद्य तेलों को अपनी घरेलू आवश्यकता को अन्य देशों से अपनी आवश्यकता का लगभग 50% आयात करके पूरा करता है। देश में 2010-11 के दौरान 178.07 लाख टन खाद्य तेलों की कुल घरेलू उपलब्धता होने का अनुमान है और 94.36 लाख टन कुल खाद्य तेलों का उत्पादन होने का अनुमान है। मांग और घरेलू स्रोतों से आपूर्ति के बीच का अंतर हाल के वर्षों में तिलहनों का उत्पादन बढ़ने के बावजूद पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आबादी बढ़ने और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने के कारण मांग बढ़ी है। 2010-11 के दौरान (नवम्बर-अक्तूबर) खाद्य तेलों के 83.71 लाख टन के कुल आयात में से 64.56 लाख टन आयात क्रूड पाम तेल और रिफाइंड पामोलीन का हुआ है, जिसका आयात इंडोनेशिया और मलेशिया से किया जाता है (स्रोत: साल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया)। तथापि, कृषि विभाग निम्नलिखित स्कीमों के अधीन पाम तेल सहित खाद्य तिलहनों की फसलों की अधिक खेती को प्रोत्साहित करने के प्रयास कर रहा है:

(i) केंद्रीय रूप से प्रायोजित तिलहन, पाम तेल और मक्का की एकीकृत स्कीम।

(ii) कृषि मैक्रो प्रबंधन।

(iii) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।

इनके अलावा, किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए समय-समय पर तिलहनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है जिससे देश में खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ने की संभावना है।

नि:शक्त व्यक्तियों हेतु रिक्तियां

1296. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए कुल कितनी रिक्तियां अतिरिक्त की गई हैं;

(ख) इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने विनिर्धारित अवधि के भीतर इन रिक्तियों को भरे जाने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) वर्ष 2010-11 के दौरान, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित 23 पद रिक्त थे।

(ख) इन 23 रिक्त पदों में से, सात पद पहले ही भरे जा चुके हैं। अवर श्रेणी लिपिक के दो रिक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षा फरवरी, 2012 में आयोजित की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के आठ पदों के लिए अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है। दो पदों के लिए भर्ती न्यायालयी मामले के कारण रोक दी गई है। शेष रिक्त पद परीक्षा के आधार पर योग्य व्यक्तियों की उपलब्धता के अध्यधीन भरे जाएंगे।

(ग) से (ङ) जी, हां। लक्षद्वीप प्रशासन ने विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सभी विभागाध्यक्षों को दिनांक 07.02.2011 को अनुदेश जारी किए हैं।

[हिन्दी]

फसल बीमा योजनाएं

1297. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फसल बीमा योजनाओं के तहत किसानों को उपलब्ध कराई जाने वाली निधियों को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) वर्तमान में, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन.ए.आई.एस.), पायलेट संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एम.एन.आई.एस.) पायलेट मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम (डब्ल्यू बी.सी.आई.एस.) तथा पायलेट नारियल पाम बीमा स्कीम (सी.पी.आई.एस.) नामक चार फसल बीमा स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है। सभी स्कीमें मांग पर आधारित हैं तथा सरकार द्वारा इन स्कीमों के अंतर्गत सरकार द्वारा दावे के भुगतान के लिए निधियों की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। निधियों की अपेक्षाएं फसल की पैदावार, मौसल की दशाओं एवं स्कीमों की व्यापकता के स्तर पर आधारित हैं।

मृकुला देवी मंदिर का संरक्षण

1298. श्री वीरेन्द्र कश्यप: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) ने उदयपुर में मृकुला देवी मंदिर का संरक्षण कार्य आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) ए.एस.आई. द्वारा उक्त मंदिर के विश्लेषणात्मक कार्य को किस तिथि को वन अनुसंधान संस्थान (एफ.आर.आई.) देहरादून को सौंपा गया था;

(घ) क्या उक्त प्रयोजनार्थ कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(च) इन कार्यों की मौजूदा स्थिति क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) स्मारकों का संरक्षण कार्य एक सतत प्रक्रिया है। मरम्मत की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धा पर निर्भर करते हुए मृकुला देवी मंदिर पर भी नियमित रूप से संरक्षण कार्य किया जाता है।

(ग) से (च) उक्त मंदिर के विश्लेषणात्मक अध्ययन का कार्य अगस्त, 2010 में वन अनुसंधान संस्थान (एफ.आर.आई.) देहरादून को इस अनुरोध के साथ सौंपा गया था कि रिपोर्ट शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत की जाए। वन अनुसंधान संस्थान से विस्तृत रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

[अनुवाद]

जेएनएनयूआरएम के तहत निधियों का उपयोग

1299. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2010-11 के दौरान जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत केवल थोड़ी-सी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मिशन के तहत कितनी प्रगति हुई;

(ग) निधियों के उपयोग न किये जाने और बड़ी परियोजनाओं के पूरा न होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त योजना के तहत परियोजनाओं/कार्यों को गति देने के लिए किसी निगरानी प्राधिकरण का गठन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त परियोजनाओं/कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के उप-मिशन शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के लिए परियोजनाओं के लिए उपयोग हेतु 3577.92 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में 1930.93 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। 60528.99 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत तथा 27960.19 करोड़ रुपए की एसीए वचनबद्धता से दिनांक 31.03.2011 तक 532 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। दिनांक 31.03.2011 तक परियोजनाओं के लिए उपयोग हेतु 13254.47 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

(ग) जेएनएनयूआरएम चयनित शहरों के नियोजित विकास के लिए सुधार आधारित कार्यक्रम है। राज्य/शहर पहचान किए गए सुधारों के कार्यान्वयन के लिए अपनी वचनबद्धता दर्शाते हुए भारत सरकार के साथ करार ज्ञान (एओए) निष्पादित करते हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) संबंधी उप-मिशन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए पहली किस्त करार ज्ञापन (एओए) पर हस्ताक्षर करने के बाद जारी की जाती है। जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सुधार आधारित है तथा करार ज्ञापन में यथा-परिचालित राज्य और शहरी स्थानीय निकाय/पैरा स्टेटल स्तर पर अनिवार्य तथा वैधानिक सुधारों के कार्यान्वयन के लिए सहमत उपलब्धियों प्राप्त करने के अध्यधीन धनराशि की दूसरी और बाद की किस्तें जारी की जाती हैं।

चूंकि राज्यों ने करार ज्ञापन में अपनी वचनबद्धता के अनुसार सभी सुधार नहीं किए हैं, इसलिए मंत्रालय अनुमोदित परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की बाद किस्तें जारी करने पर विचार नहीं कर सका।

सरकार ने स्थिति की समीक्षा की तथा उन राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों में यूआईजी परियोजनाओं के मामले में केन्द्रीय अंश का 10 प्रतिशत अपने पास रखने के लिए एसीए की आगे की किस्तों

पर विचार/जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने हेतु दिनांक 01.12.2010 को निर्णय लिया, जहां सुधारों के कार्यान्वयन में पर्याप्त प्रगति की गई है। यह भी निर्णय लिए गया है कि राज्य शेष राशि को पूरा करने तथा चालू परियोजनाएं पूरा करने के लिए अपनी स्वयं की धनराशि का उपयोग कर सकते हैं तथा सुधारों को पूरा करने के बाद रोकी गई धनराशि की प्रति-पूर्ति प्राप्त कर सकते हैं।

दिनांक 20.11.2011 की स्थिति के अनुसार परियोजनाओं हेतु उपयोग के लिए एसीए के रूप में 15339.17 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(घ) से (च) जी हां। स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एंजसी (आईआरएमए) वे एजेंसियां होती हैं, जो जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत स्वीकृत और निगरानी समिति (सीएमएमजी) द्वारा यथा-अनुमोदित राज्यों द्वारा नियुक्त की जाती है ताकि जारी धनराशि का उद्देश्य पूर्ण और समय-बद्ध तरीके से उपयोग किया जा सके। आईआरएमए को परियोजना कागजातों की डेस्क समीक्षा करना तथा प्रत्येक परियोजना का आवधिक स्थल दौरा करना अपेक्षित है। जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत परियोजना एवं शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और पैरा स्स्टेटलों के माध्यम से राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। राज्य के लिए परियोजनाओं की प्रगति का आकलन राज्य स्तरीय संचालन समिति (एसएलएसजी) राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) तथा आई आरएमए के माध्यम से किया जाता है। मिशन के कार्यान्वयन को और सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की जाती है।

समेकित डेयरियों की स्थापना

1300. श्री ई.जी. सुगावनमः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन फार्मर्ज फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव का देश के कुछ भागों में समेकित डेयरियों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें स्थापित करने के लिए किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) नई इकाइयों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग) भारतीय कृषक उर्वरक सहकारिता (इफको) ने आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में एक एकीकृत डेयरी फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इफको ने 3 वर्षों के लिए प्रति शिपमेंट लगभग 3000 गाय यानि कुल 900 गायों को आयात करने का प्रस्ताव दिया है। यूनिट स्थापित करने के लिए इस विभाग को कोई समय-सीमा नहीं दी गई है।

[हिन्दी]

घटिया बीजों की आपूर्ति

1301. श्री भूपेन्द्र सिंहः
श्री रामकिशुनः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान घटिया गुणवत्ता के उर्वरकों, बीजों तथा कीटनाशकों के उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे घटिया उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों के उपयोग से फसल को हुई क्षति का राज्य-वार और वर्ष-वार आकलन क्या है;

(ग) क्या उक्त कारणों के चलते फसलों को हुई हानि के संबंध में किसानों को कोई मुआवजा उपलब्ध कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान घटिया पाए गए बीजों के नमूनों तथा उर्वरक का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण I तथा II में दिया गया है। नकली कीटनाशकों के बड़े पैमाने पर आपूर्ति के किसी भी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य वार घटिया बीजों की आपूर्ति तथा हुई हानि और किसानों को दिये गये मुआवजे सहित की गई कार्यवाही का ब्यौरा संलग्न विवरण III में दिया गया है।

उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 में घटिया उर्वरकों के कारण किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

जैसे कि विशाल स्तर पर नकली कीटनाशकों की आपूर्ति की कोई रिपोर्ट नहीं है, इसलिए, कीटनाशकों के संबंध में क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

2008-09 के दौरान बीज विधि प्रवर्तन की प्रगति रिपोर्ट

क्र.सं. राज्य	लिये गये नमूनों की कुल सख्या	घटिया पाये गये नमूनों की संख्या	चेतावनी जारी होने वाले मामलों की संख्या	बिक्री रोको आदेश जारी किये जाने वाले मामलों की संख्या	न्यायालय में दायर मामलों की संख्या	न्यायालय द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या, दी नई सजा/ कारावास	न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या	बीज जब्त किये जाने वाले मामलों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	10352	93	–	115	93	–	93	–
2. चण्डीगढ. (सं. क्षेत्र)	709	21	17	–	–	–	–	–
3. दिल्ली	128	4	–	–	4	–	4	–
4. गुजरात	2559	41	–	18	1	17	–	–
5. गोवा	891	11	11	–	–	–	–	–
6. हरियाणा	3205	33	–	–	–	–	–	–
7. हिमाचल प्रदेश	479	–	–	–	–	–	–	–
8. कर्नाटक	6426	56	52	14	4	–	4	–
9. केरल	51	4	4	–	–	–	–	–
10. मध्य प्रदेश	3692	750	750	–	–	–	–	–
11. महाराष्ट्र	1107	187	–	–	–	–	–	–
12. मिजोरम	1005	127	127	–	–	–	–	–
13. उड़ीसा	1607	455	455	–	–	–	–	–
14. पंजाब	7571	1810	176	–	–	–	7	–
15. पुडुचेरी (सं. क्षेत्र)	205	5	5	–	–	–	–	–
16. राजस्थान	–	–	17	–	–	–	124	–
17. सिक्किम	1205	15	–	–	–	–	–	–
18. तमिलनाडु	37186	1750	–	1750	484	348	136	–
19. त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–
20. उत्तर प्रदेश	3951	91	23	6	5	2	3	–
21. उत्तराखण्ड	401	–	–	–	–	–	–	–
22. पश्चिम बंगाल	3009	421	512	507	–	–	–	–

2009-10 के दौरान बीज विधि प्रवर्तन की प्रगति रिपोर्ट

क्र.सं. राज्य	लिये गये नमूनों की कुल सख्या	घटिया पाये गये नमूनों की संख्या	चेतावनी जारी होने वाले मामलों की संख्या	बिक्री रोको आदेश जारी किये जाने वाले मामलों की संख्या	न्यायालय में दायर मामलों की संख्या	न्यायालय द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या, दी नई सजा कारावास	न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या	बीज जब्त किये जाने वाले मामलों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	11448	279	–	225	225	–	323	–
2. बिहार	887	195	16	–	–	–	–	–
3. छत्तीसगढ़	1325	37	37	–	–	–	–	–
4. दिल्ली	138	2	–	–	2	1	1	–
5. गुजरात	3042	42	–	–	17	2	32	–
6. गोवा	417	6	6	–	–	–	–	–
7. हरियाणा	2897	490	1	8	21	21	–	–
8. हिमाचल प्रदेश	1122	–	–	–	–	–	–	–
9. जम्मू और कश्मीर	921	25	15	–	8	–	8	–
10. झारखण्ड	811	97	20	20	–	–	–	–
11. कर्नाटक	7584	57	42	24	15	2	17	–
12. केरल	712	98	–	–	–	–	–	–
13. मध्य प्रदेश	4197	1077	841	336	10	2	8	–
14. महाराष्ट्र	12580	523	288	901	92	47	527	35
15. नागालैंड	917	133	133	–	–	–	–	–
16. उड़ीसा	1579	151	151	–	–	–	–	–
17. पंजाब	–	–	–	–	–	–	–	–
18. पुदुचेरी (सं. क्षेत्र)	261	20	7	–	–	–	–	–
19. तमिलनाडु	48061	1910	–	1910	492	387	241	–
20. उत्तर प्रदेश	4439	161	93	–	–	–	3	–
21. उत्तराखण्ड	397	5	2	2	2	–	2	–
22. पश्चिम बंगाल	3127	91	211	–	–	–	–	–

2008-09 के दौरान बीज विधि प्रवर्तन की प्रगति रिपोर्ट

क्र.स.	राज्य	लिये गये नमूनों की कुल सख्या	घटिया पाये गये नमूनों की संख्या	चेतावनी जारी होने वाले मामलों की संख्या	बिक्री रोको आदेश जारी किये जाने वाले मामलों की संख्या	न्यायालय में दायर मामलों की संख्या	न्यायालय द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या, दी नई सजा कारावास	न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या	बीज जब्त किये जाने वाले मामलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	11316	262	–	222	84	–	533	–
2.	बिहार	987	175	26	25	2	2	–	–
3.	छत्तीसगढ़	1325	41	41	–	–	–	–	–
4.	दिल्ली	168	3	–	–	3	1	3	–
5.	गुजरात	2419	40	–	–	26	5	53	–
6.	गोवा	407	9	–	9	–	–	–	–
7.	हरियाणा	2997	590	3	11	38	26	12	–
8.	हिमाचल प्रदेश	1122	25	10	10	8	2	6	–
9.	जम्मू और कश्मीर	1121	25	18	–	10	8	10	–
10.	झारखण्ड	911	97	21	25	11	4	7	4
11.	कर्नाटक	7168	72	57	19	15	811	97	–
12.	केरल	742	98	98	–	–	–	–	–
13.	मध्य प्रदेश	4397	579	–	579	–	–	8	–
14.	महाराष्ट्र	14340	662	350	1443	268	53	742	35
15.	नागालैंड	1017	133	133	–	–	–	–	–
16.	उड़ीसा	1596	151	151	–	–	–	–	–
17.	पंजाब	5800	251	75	75	5	3	9	–
18.	पुदुचेरी (सं. क्षेत्र)	261	20	15	–	–	–	–	–
19.	तमिलनाडु	55016	1761	–	1761	523	431	333	–
20.	उत्तर प्रदेश	5439	191	98	22	33	–	36	–
21.	उत्तराखण्ड	697	15	8	2	5	–	7	–
22.	पश्चिम बंगाल	4127	91	251	–	–	–	–	–

विवरण II

2008-09 के दौरान विश्लेषित तथा घटिया पाये गये उर्वरकों की राज्यवार संख्या

क्र.स.	राज्य का नाम	लैबो की संख्या	वार्षिक विश्लेषण क्षमता	नमूनों की संख्या विश्लेषित	पोषक तत्वों में कमी तत्वों में कमी	घटिया भौतिक मानक व अशुद्धताएं	कुल	%क्षमता उपयोग	घटिया नमूनों का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	असम	1	500	206	–	5	5	41.2	2.4
2.	मिजोरम	1	250	3	–	–	–	1.2	–
3.	झारखण्ड	1	2015	880	4	–	4	43.7	0.5
4.	बिहार	1	2000	1860	36	10	46	93.0	2.5
5.	उड़ीसा	2	3500	2965	50	19	69	84.7	2.3
6.	पश्चिम बंगाल	3	4500	2611	234	1	235	58.0	9.0
	कुल पूर्वी एवं पूर्वोत्तर	9	12765	8525	324	35	359	66.8	4.2
7.	गुजरात	3	7500	6220	41	2	43	82.9	0.7
8.	मध्य प्रदेश	4	9150	4275	540	20	560	46.7	13.1
9.	छत्तीसगढ़	1	3670	2503	221	1	222	68.2	8.9
10.	महाराष्ट्र	4	13400	9519	1483	137	1620	71.0	17.0
11.	राजस्थान	4	8000	8102	276	130	406	101.3	5.0
	कुल पश्चिमी क्षेत्र	16	41720	30620	2561	290	2851	73.4	9.3
12.	हरियाणा	3	5100	2087	19	8	27	40.9	1.3
13.	हिमाचल प्रदेश	2	2000	1265	38	1	39	63.3	3.1
14.	जम्मू और कश्मीर	2	1280	1315	4	5	9	102.7	0.7
15.	पंजाब	2	3000	3145	15	–	15	104.8	0.5
16.	उत्तर प्रदेश	5	10000	9454	556	–	556	94.5	5.9
17.	उत्तराखण्ड	2	800	216	19	2	21	27.0	9.7
	कुल उत्तरी क्षेत्र	16	22180	17482	651	16	667	78.8	3.8
18.	आंध्र प्रदेश	5	15000	14186	419	88	507	94.6	3.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	कर्नाटक	4	9600	4697	383	27	410	48.9	8.7
20.	केरल	2	5000	4285	211	5	216	85.7	5.0
21.	पुडुचेरी	1	700	549	3	1	4	78.4	0.7
22.	तमिलनाडु	14	17500	12487	311	68	379	71.4	3.0
	कुल दक्षिणी क्षेत्र	26	47800	36204	1327	189	1516	75.7	4.2
23.	भारत सरकार	4	8500	11667	271	65	336	137.3	2.9
	अखिल भारत	71	132965	104498	5134	595	5729	78.6	5.5

2009-10 के दौरान विश्लेषित तथा घटिया पाये गये उर्वरकों की राज्यवार संख्या

क्र.स.	राज्य का नाम	लैबो की संख्या	वार्षिक विश्लेषण क्षमता	नमूनों की संख्या विश्लेषित	पोषक तत्वों में कमी	घटिया भौतिक मानक व अशुद्धताएं	कुल	%क्षमता उपयोग	घटिया नमूनों का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	असम	1	500	232	9	–	9	46.4	3.9
2.	मिजोरम	1	250	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	झारखण्ड	1	3330	678	9	–	9	20.4	1.3
4.	बिहार	1	2000	2143	63	4	67	107.2	3.1
5.	उड़ीसा	2	3500	2803	107	17	124	80.1	4.4
6.	पश्चिम बंगाल	3	4500	2378	267	3	270	52.8	11.4
	कुल पूर्वी एवं पूर्वोत्तर	9	14080	8234	455	24	479	58.5	5.8
7.	गुजरात	3	7500	4658	49	0	49	62.1	1.1
8.	मध्य प्रदेश	4	5200	5142	648	11	659	97.7	15.9
9.	छत्तीसगढ़	1	3150	2306	143	6	149	73.2	6.5
10.	महाराष्ट्र	4	13640	13880	1747	335	2082	101.8	15.0
11.	राजस्थान	4	8000	9827	143	18	161	122.8	1.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	कुल पश्चिमी क्षेत्र	16	37490	34813	2730	370	3100	92.9	8.9
12.	हरियाणा	3	5100	4099	62	23	85	80.4	2.1
13.	हिमाचल प्रदेश	2	2000	1618	41	3	44	80.9	2.7
14.	जम्मू और कश्मीर	2	1400	1332	10	3	13	95.1	1.0
15.	पंजाब	2	3000	3067	24	0	24	102.2	0.8
16.	उत्तर प्रदेश	5	10000	10873	662	–	662	108.7	6.1
17.	उत्तराखण्ड	2	800	274	29	1	30	34.3	10.9
	कुल उत्तरी क्षेत्र	16	22300	21263	828	30	858	95.3	4.0
18.	आंध्र प्रदेश	5	15000	14432	225	39	264	96.2	1.8
19.	कर्नाटक	7	10065	6305	375	20	395	62.6	6.3
20.	केरल	2	5000	3860	105	0	105	77.2	2.7
21.	पुडुचेरी	1	700	491	2	1	3	70.1	0.6
22.	तमिलनाडु	14	17500	18082	424	170	594	103.3	3.3
	कुल दक्षिणी क्षेत्र	29	48265	43170	1131	230	1361	89.4	3.2
23.	भारत सरकार	4	8500	10832	324	81	405	127.4	3.7
	अखिल भारत	74	130635	118312	5468	735	6203	90.6	5.2

2010-11 के दौरान विश्लेषित तथा घटिया पाये गये उर्वरकों की राज्यवार संख्या

क्र.स.	राज्य का नाम	लैंबो की संख्या	वार्षिक विश्लेषण क्षमता	नमूनों की संख्या विश्लेषित	पोषक तत्वों में कमी	घटिया भौतिक मानक व अशुद्धताएं	कुल	%क्षमता उपयोग	घटिया नमूनों का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	असम	1	500	271	7	0	7	54.2	2.6
2.	मिजोरम	1	250	5	0	0	0	2.0	0.0
3.	झारखण्ड	1	3385	682	4	0	4	20.1	0.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	1	2000	1748	58	1	59	87.4	3.4
5.	उड़ीसा	2	3500	2396	38	27	65	68.5	2.7
6.	पश्चिम बंगाल	3	4500	2064	259	3	262	45.9	12.7
	कुल पूर्वी एवं पूर्वोत्तर	9	14135	7166	366	31	397	50.7	5.5
7.	गुजरात	3	7500	5977	30	0	30	79.7	0.5
8.	मध्य प्रदेश	4	5200	4560	570	26	596	87.7	13.1
9.	छत्तीसगढ़	1	2500	2098	110	8	118	83.9	5.6
10.	महाराष्ट्र	4	13630	14989	1897	433	2330	110.0	15.5
11.	राजस्थान	4	8000	14336	260	31	291	179.2	2.0
	कुल पश्चिमी क्षेत्र	16	36830	41960	2867	498	3365	113.9	8.0
12.	हरियाणा	3	5100	4089	49	11	60	80.2	1.5
13.	हिमाचल प्रदेश	2	2000	1866	31	2	33	93.3	1.8
14.	जम्मू और कश्मीर	2	1400	1395	7	2	9	99.6	0.6
15.	पंजाब	2	3000	3123	50	6	50	104.1	1.6
16.	उत्तर प्रदेश	5	10000	9205	538	0	538	92.1	5.8
17.	उत्तराखण्ड	2	700	200	12	0	12	28.6	6.0
	कुल उत्तरी क्षेत्र	16	22200	19878	687	15	702	89.5	3.5
18.	आंध्र प्रदेश	5	15000	14935	255	47	302	99.6	2.0
19.	कर्नाटक	7	10065	5948	274	33	307	59.1	5.2
20.	केरल	2	3000	2574	46	0	46	85.8	1.8
20.	पुडुचेरी	1	700	627	6	0	6	89.6	1.0
21.	तमिलनाडु	14	17500	18011	527	175	702	102.9	3.9
	कुल दक्षिणी क्षेत्र	29	46265	42095	1108	255	1363	91.0	3.2
23.	भारत सरकार	4	8500	10769	199	179	378	126.7	3.5
	अखिल भारत	74	127930	121868	5227	978	6205	95.3	5.1

विवरण III

विगत तीन वर्षों के लिए भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुए घटिया/अवमानक बीजों की आपूर्ति की शिकायतों के ब्यौरे और ऐसी शिकायतों पर की गई कार्रवाई

2008-09 कोई शिकायत नहीं 2009-10

क्र.सं.	राज्य का नाम	शिकायत का ब्यौरा	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	पंजाब	मैसर्स टेक्नीको एग्री साईंस लि. द्वारा प्राप्त हुए आलू मिनी टयूबर बीज के बारे में 2009 में श्री सुरजीत सिंह भाटी, जालंधर (पंजाब) से यह कहते हुए कि विवादास्पद बीज ने निष्पादन नहीं किया।	मामला केन्द्रीय आलू अनुसंधान-I स्टेशन, जालंधर के द्वारा विश्लेषित एवं अन्वेषित किया गया था। पार्टी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पंजीकृत की गई है। पार्टी ने एफआईआर एक को चुनौती देते हुए पंजाब उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है (2009 सी डब्ल्यूपी सं. 1838)
2.	राजस्थान	राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा 2009-10 में राज्य में विणित बीज के राज्य में विणित बीज के तीन नमूने अवमानक पाए गए थे।	राजस्थान सरकार ने डीलरों/वितरकों तथा उत्पादकों के विरूद्ध कार्रवाई की है तथा कारण बताओं नोटिस जारी किया है। बीजों पर विद्यमान कानूनी तंत्रों के अनुसार कानूनी कार्यवाही आरम्भ की गई थी।
3.	बिहार	बिहार सरकार ने भी वर्ष 2009-10 में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा आपूर्ति किए गए संकर मक्का बीजों में अनाज की खराब सैटिंग के बारे में सूचित किया है।	शिकायत प्राप्ति के बाद, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा से वैज्ञानिको के एक दल ने दौरान किया था और सूचित किया कि संकर मक्का बीजों में अनाज की खराब सैटिंग प्रतिकूल मौसम अवस्थाओं के कारण थी राज्य सरकार ने बीज कम्पनियों को सलाह दी कि बीज पैकेट पर संकर मक्का का बिजाई समय और तापमान संवेदनशीलता उपलब्ध उपलब्ध कराएं।
2010-11			
1.	छत्तीसगढ़	खरीफ-2010 के दौरान धान संकर (केआरएज-2) के बारे में शिकायत। बीज 16 जिलों में वितरित किए गए थे। पौधों की ऊंचाई में घट बढ़ और विसंक्रमणता के साथ फूल खिलने के समय में अंतर के बारे में केवल 8 जिलों से शिकायत प्राप्त हुई थी।	राज्य कृषि विभाग, राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) और छत्तीसगढ़ बीज एवं कृषि विकास निगम से अधिकारियों को शामिल करते हुए आठ समितियों ने 86 ब्लाकों को शामिल करते हुए इन आठ जिलों में फसल का निरीक्षण किया। लॉट से नमूने निकाले गए और डीएनए फिंगर प्रिंट परीक्षण के लिए कृषि, विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएएस), बंगलौर, चावल अनुसंधान निदेशालय और परियोजना निदेशक, हैदराबाद को प्रस्तुत किए गए। एनएससी द्वारा भेजे

1	2	3	4
			गए बीजों के 106 नमूनों में से लगभग 47 व्यापक परीक्षण/डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर 95% शुद्धता से नीचे पाए गए थे। राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद, एनएससी ने छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. को 201.70 लाख रुपये की पूर्ण बीज लागत राशि लौटा दी। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर स्वीकृति समिति (एसएलएससी), छत्तीसगढ़ ने 10.05.2011 को आयोजित इसकी बैठक में आर के वीवाई के अंतर्गत प्रभावित किसानों की सहायता के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 1351.60 लाख रुपये की दर लागत पर चावल और गेहूं प्रदर्शन कार्यान्वित करने के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किया। यह भी निर्णय लिया था कि प्रभावित किसानों को आरकेबी वाई के अंतर्गत सहायता के रूप में 1051 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार, कुल 2604.30 लाख रुपये की राशि प्रभावित किसानों की सहायता के लिए एनएससी और आर केवीवाई के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है। एनएससी ने संकर बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कड़े गुणवत्ता नियंत्रण उपाय लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।
2.	हरियाणा	खरीफ 2011 में नकली बीटी कपास बीजों का विक्रय	राज्य सरकार द्वारा सूचित किए अनुसार पांच एफ आई आर पंजकृत की गई हैं और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।
3.	मध्य प्रदेश	खरीफ 2010 के दौरान कुछ निश्चित क्षेत्रों में उड़द के प्रमाणित बीजों सीवी आजाद-1 तथा आजाद 2 में विलम्ब से फूल खिलने तथा कली बनने के बारे में मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में किसानों के शिकायत प्राप्त हुई।	समिति ने रिपोर्ट दी है कि विलम्ब से फूल खिलना तथा कली बनना किस्मों की प्रकाश संश्लेषण प्रकृति के कारण था तथा इसका उड़द के बीज की गुणवत्ता से सीधा सम्बंध नहीं था तथापि, मध्य प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है कि विलम्ब से फल खिलना तथा कली बनना प्राकृतिक आपदाओं के कारण था तथा क्षति से पीड़ित किसानों को मुआवजे की भी निर्मुक्ति की है।
4.	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश,	खरीफ, 2010 के दौरान उड़द सी.वी.पी.यू.-30 तथा पी यू-40 तथा तिल टी के जी-55 के घटिया कली पैदा के घटिया कली पैदा करने के बारे में मध्य प्रदेश,	शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर तथा आईआईपीआर कानपुर से वैज्ञानिकों के एक दल ने प्रभावित क्षेत्रों

1	2	3	4
		उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा झारखण्ड के किसानों से प्राप्त हुई शिकायत।	का दौरा किया तथा रिपोर्ट दी कि कमजोर कली बनना अत्यधिक बढवार के कारण था न कि घटिया गुणवत्ता बीजों के कारण।

[अनुवाद]

आईएनटीएसीएच के लिए निधियां

1302. **श्री प्रहलाद जोशी:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास (आईएनटीएसीएच) ने वर्तमान वित्त वर्ष में राष्ट्रीय विरासत के संरक्षण हेतु केन्द्रीय सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति न्यास (इन्टैक) और इसके विभिन्न अध्यायों को प्रत्येक वर्ष संस्कृति मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तहत गैर-आवर्ती अनुदान व परियोजना संबद्ध वित्त पोषण, दोनों के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 2011-12 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में 60 लाख रु. की राशि मंजूर की गई है जिसमें से प्रथम किस्त के रूप में अक्टूबर, 2011 में 45 लाख रु. की राशि जारी की जा चुकी है।

ट्रैफिक उल्लंघन

1303. **श्री पन्ना लाल पुनिया:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के फेस बुक पर दिए गए फोटोग्राफों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में ट्रैफिक उल्लंघन चालान काटने के लिए मान्य सबूत के रूप में प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले छह महीनों के दौरान इस आधार पर काटे गए कुल चालानों की संख्या कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के फेसबुक पर दिए गए ट्रैफिक उल्लंघन के फोटोग्राफों को मान्य सबूत माना जाता है और पिछले छह महीनों के दौरान अर्थात् दिनांक 22.05.2011 से 22.11.2011 तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के फेसबुक पर दिए गए फोटोग्राफों के आधार पर 6416 चालान काटे गए हैं।

आपूर्ति श्रृंखला में सुधार

1304. **श्री असादूद्दीन आवेसी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) का विचार परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर अपनी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नई प्रणाली के कब तक लागू होने की संभावना है;

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 2010-11 के दौरान गेहूं और चावल की कुल कितनी खरीद की गई;

(घ) भारतीय खाद्य निगम को वर्ष 2010-11 के दौरान भण्डारण और ढुलाई में कुल कितनी हानि हुई; और

(ङ) नई प्रणाली से उक्त हानि में किस हद तक कमी होने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, भारतीय खाद्य निगम अपनी आपूर्ति श्रृंखला को संपुष्ट करने के लिए उन्नत प्रणाली डिजाइन का सुझाव देने की दृष्टि अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में मौजूद प्रक्रिया का आकलन करने के लिए अध्ययन कर रहा है।

(ग) 2010-11 विपणन मौसम के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल की निम्नानुसार खरीदरारी की गई है :

गेहूं	225.14 लाख टन
चावल	341.80 लाख टन

(घ) भारतीय खाद्य निगम में 2010-11 के दौरान निम्नानुसार भंडारण और मार्गस्थ हानियां हुई थी :

(अनंतिम/अलेखापरिक्षित)

वर्ष	भंडारण हानि (मात्रा लाख टन में) (गेहूं + चावल)	भंडारण हानि का %	रेल मार्गस्थ हानि (मात्रा लाख टन में) (गेहूं + चावल)	मार्गस्थ हानिं का %
2010-11	1.56	0.29	1.60	0.50

(ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए लागू नहीं।

[हिन्दी]

प्रसारण सेवाएं विनियामक विधेयक

1305. श्री नारनभाई कछाड़िया: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टी.वी. चैनल, एफ.एम. रेडियो जैसी प्रसारण सेवाओं के विनियमन के लिए बनाये जा रहे प्रसारण सेवाएं विनियामक विधेयक की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार का इरादा वर्तमान में एफ.एम. रेडियो द्वारा प्रसारित सामग्री और फ्रीकवेंसी को नियंत्रित करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन दिशानिर्देशों के कब तक जारी किये जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउण्डेशन और ब्रॉडकास्टर एडीटर्स ऐसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने सरकार द्वारा बनाए जा रहे नए अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग मानदंडों के प्रति अपनी आशंका व्यक्त की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रसारकों की ऐसी आशंका का आधार क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) मंत्रालय ने प्रसारण सेवाओं का क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2007 में मसौदा प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक तैयार किया था और उसे स्टेकहोल्डरों की टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए मंत्रालय की वैबसाइट पर प्रस्तुत किया गया था। प्रसारण विनियामक की प्रस्तावित संरचना और विषय-वस्तु विनियमन के मुद्दे पर प्रसारकों व अन्य ने कड़ा विरोध जताया था। इसलिए, एक स्वतंत्र प्रसारण विनियामक की आवश्यकता, कार्य-क्षेत्र, अधिकार-क्षेत्र, संगठनात्मक संरचना, शक्तियों व कार्यों पर तथा विषय-वस्तु विनियमन से संबंधित मुद्दों पर स्टेकहोल्डरों के परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए उनके साथ व्यापक रूप से परामर्श करने के लिए 27 नवंबर, 2009 को सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया जोकि उक्त मुद्दों के संबंध में सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

इस बीच, उद्योग ने विषय-वस्तु विनियमन हेतु एक स्व-विनियामक तंत्र की स्थापना की है। अपनी स्व-विनियामक पहल के रूप में, भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आई.बी.एफ.) ने सामान्य मनोरंजन चैनलों पर विषय-वस्तु को विनियमित करने के लिए प्रसारण विषय-वस्तु शिकायत परिषद (बी.सी.सी.सी.) की स्थापना की है। समाचार प्रसारक संघ (एन.बी.ए.) ने समाचार चैनलों की विषय-वस्तु संबंधी शिकायतों पर विचार करने के लिए समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एन.बी.एस.ए.) का गठन किया है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ए.एस.सी.आई.) ने भी विज्ञापन में स्व-विनियमन के लिए एक आचार-संहिता विकसित की है और उन्होंने विज्ञापनों से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए एक उपभोक्ता शिकायत प्रकोष्ठ (सी.सी.सी.) की स्थापना की है। इस समय, एक प्रसारण विनियामक की स्थापना करके विभिन्न प्रसारण सेवाओं के विनियमित करने के लिए मंत्रालय के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत प्रख्यापित नियमों में प्रदत्त मौजूदा विनियामक ढांचे में प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों द्वारा कार्यक्रमों व विज्ञापनों के प्रसारण को विनियमित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान अंतर्विष्ट हैं। फिलहाल, किसी पृथक विनियामक तंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक एफ.एम. रेडियो का संबंध है, सरकार ने आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं; तथापि, एफ.एम. चरण-III में प्रावइेट फर्मों के जरिए एफ.एम. रेडियो प्रसारण के विस्तार हेतु दिनांक 25-07-2011 को सरकार द्वारा नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिनका ब्यौरा मंत्रालय की वैबसाइट **www.mib.nic.in** पर उपलब्ध है।

(ङ) औ (च) अनेक समाचारपत्रों में इस आशय की रिपोर्टें प्रकाशित हुई थीं कि टी.वी. चैनलों की अनुमति के नवीकरण की शर्तों के संबंध में अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों में किए गए संशोधनों को लेकर प्रसारकों की कतिपय आशंकाएं हैं। मंत्रालय द्वारा प्रसारकों के साथ की गई एक बैठक में इन आशंकाओं को दूर कर दिया गया।

कृषि की उत्पादन लागत में वृद्धि

1306. **श्री घनश्याम अनुरागी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान रासायनिक उर्वरकों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण कृषि की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किसानों को वित्तीय हरजाना देने के लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक उपाए किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का इरादा कृषि उत्पादन की बढ़ती लागत को देखते हुए समर्थन मूल्य बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) जी, हां। रासायनिक उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के कारण कृषि की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण करती हैं, जो उत्पादन की लागत सहित महत्त्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखता है।

[अनुवाद]

बीपीएल के लिए विशेष कार्ड

1307. **श्री संजय धोत्रे:**
श्री मंगनी लाल मंडल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विशेष ग्रीन कार्ड जारी करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कार्डों को जारी करने के लिए क्या मानदंड अपनाया गया है;

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में इस प्रयोजना के लिए चिह्नित लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उक्त कार्डों को जारी करने के कार्य को पूरा कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकारें गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए अलग-अलग प्रकार के राशन कार्ड जारी करेंगी।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का आवंटन करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग योजना आयोग के 1993-94 के गरीबी अनुमानों और भारत के महापंजीयक के 1 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार गरीबी अनुमानों पर आधारित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या अथवा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा वास्तव में पहचान किए गए परिवारों और उन्हें जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या, जो भी कम हो, का उपयोग करता है।

इन अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या 6.52 करोड़ है जिसमें लगभग 2.44 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवार शामिल हैं। पहचान किए गए राज्यवार और श्रेणीवार लाभभोगियों की संख्या अनुबंध में दर्शाई गई है। तथापि, 30.8.2011 तक दी गई सूचना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लिए 10.77 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के राशन कार्ड जारी किए हैं।

विवरण

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय अन्य योजना परिवारों को जारी किए गए राशन कार्डो की राज्यवार कुल संख्या

(30.8.2011 तक पाप्त सूचना के अनुसार आंकड़े लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94 के गरीबी अनुमानों के आधार पर 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार गरेनी के परिवारों की अनुमोनित संख्या	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी राशन कार्ड		
			गरीबी रेखा से नीचे	अंत्योदय अन्य योजना	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	40.63	161.91	15.58	177.49
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.99	0.61	0.38	0.99
3.	असम	18.36	12.02	7.04	19.06
4.	बिहार	65.23	39.22	25.01	64.23
5.	छत्तीसगढ़	18.75	11.56	7.19	18.75
6.	दिल्ली	4.09	1.67	1.50	3.17
7.	गोवा	0.48	0.13	0.14	0.27
8.	गुजरात	21.20	25.99	8.10	34.09
9.	हरियाणा	7.89	9.83	2.92	12.75
10.	हिमाचल प्रदेश	5.14	3.17	1.97	5.14
11.	जम्मू और कश्मीर	7.36	4.80	2.56	7.36
12.	झारखंड	23.94	14.76	9.18	23.94
13.	कर्नाटक	31.29	87.68	12.00	99.68
14.	केरल	15.54	14.59	5.96	20.55
15.	मध्य प्रदेश	41.25	52.48	15.82	68.30
16.	महाराष्ट्र	65.34	45.88	24.64	70.52
17.	मणिपुर	1.66	1.02	0.64	1.66
18.	मेघालय	1.83	1.13	0.70	1.83
19.	मिजोरम	0.68	0.42	0.26	0.68
20.	नागालैंड	1.24	0.77	0.47	1.24
21	उड़ीसा	32.98	36.92	12.65	49.57
22.	पंजाब	4.68	2.89	1.79	4.68
23.	राजस्थान	24.31	16.53	9.32	25.85

1	2	3	4	5	6
24.	सिक्किम	0.43	0.27	0.16	0.43
25.	तमिलनाडु	48.63	176.20	18.65	194.85
26.	त्रिपुरा	2.95	1.82	1.13	2.95
27.	उत्तर प्रदेश	106.79	65.84	40.95	106.79
28.	उत्तराखंड	4.98	3.07	1.91	4.98
29.	पश्चिम बंगाल	51.79	38.05	14.80	52.85
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.28	0.12	0.04	0.16
31.	चंडीगढ़	0.23	0.09	0.02	0.11
32.	दादरा और नगर हवेली	0.18	0.12	0.05	0.17 33
33.	दमन और दीव	0.04	0.03	0.01	0.04
34.	लक्षद्वीप	0.03	0.02	0.012	0.03
35.	पुदुचेरी	0.84	1.16	0.32	1.48
	कुल	652.03	832.77	243.87	1076.64

कपास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन

1308. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:**
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री हरिन पाठक:
श्री ए. सम्पत:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन के लिए उपलब्ध राशि अपर्याप्त है जिससे उच्च गुणवत्ता की कपास के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कपास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत वित्तीय सहायता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में देश में राज्य-वार कपास के उत्पादन का ब्यौरा क्या है, और

(च) देश में कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या व्यापक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) 11वीं योजना के दौरान कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-II के अंतर्गत राज्यों को 274.75 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। मिनी मिशन-II के कार्यान्वयन के फलस्वरूप कपास का उत्पादन 2006-07 में 226.32 लाख गांठों से 2010-11 में 334.25 लाख गांठों तक बढ़ गया। (चौथा अग्रिम अनुमान)। इसी प्रकार उपरोक्त अवधि के दौरान उत्पादन भी 421 कि.ग्रा./हैक्टेयर से 510 किलोग्राम/हैक्टेयर तक बढ़ गया है।

(ग) और (घ) कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-II के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2012-13 के लिए 15.75 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है।

(ङ) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के लिए प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में कपास उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं–

(उत्पादन 170 कि.ग्रा. की लाख गांठों में)

राज्य	2008-09	2009-10	2010-11 चौथा अग्रिम अनुमान	2011-12 प्रथम अग्रिम अनुमान
आंध्र प्रदेश	35.69	32.27	53.00	58.00
गुजरात	70.14	79.86	105.00	116.50
हरियाणा	18.58	19.26	17.50	19.57
कर्नाटक	8.66	8.68	12.50	12.00
मध्य प्रदेश	8.56	8.55	20.00	20.75
महाराष्ट्र	47.52	58.59	88.00	90.00
उड़ीसा	1.47	1.47	2.50	3.50
पंजाब	22.85	20.06	21.06	23.00
राजस्थान	7.26	9.03	9.00	13.00
तमिलनाडु	1.88	2.25	5.00	4.00

(च) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा कार्यान्वित कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-I के अंतर्गत देश में कपास की उत्पादकता तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए नई किस्मों तथा प्रौद्योगिकियों का विकास किया जाता है। कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-II के अंतर्गत, कपास की खेती तथा उत्पादन के संवर्धन के लिए किसानों को विभिन्न आदानों जैसे बीजों, कृषि उपकरणों, जल उपकरण, जैव एजेंट/जैव-कीटनाशकों, समेकित कीट प्रबंधन, प्रदर्शनों के माध्यम से फसल उत्पादन तथा पौध संरक्षण, प्रौद्योगिकियों का स्थानांतरण, किसान फील्ड स्कूलों, किसान प्रशिक्षण आदि सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे

1309. श्री के. सुधाकरण:
श्री आर. थामराईसेलवन:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के मलिन बस्ती क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की संख्या के मूल्यांकन हेतु हाल ही में कई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान किस हद तक वृद्धि हुई है; और

(ङ) देश के मलिन बस्ती क्षेत्रों में बेहतर जीवन स्थिति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) 2001 की जनगणना के अनुसार देश में स्लम क्षेत्र में रह रहे 0-6 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 75.77 लाख थी। 2011 की जनगणना के नवीनतम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों से स्लमों में रह रहे बच्चों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ङ) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 2005 से कार्यान्वित किए जा रहे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम घटक) का उद्देश्य शहरी गरीबों को विशेष रूप से स्लमवासियों को बुनियादी सुविधाएं और किफायती आवास मुहैया कराना है।

सरकार ने हाल ही में स्लमवासियों और शहरी गरीबों के लिए राजीव आवास योजना (आरएवाई) नामक एक नई स्कीम आरंभ की है। इस स्कीम का उद्देश्य स्लमवासियों को सम्पत्ति का अधिकार देने के इच्छुक राज्यों को सहायता मुहैया कराना है।

कृषि विपणन

1310. **श्री एम.बी राजेश:**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कृषि उपज की विपणन अवसंरचना सुविधाओं में सुधार/सुदृढ़ीकरण के लिए किसी उपाय पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषि विपणन क्षेत्र में बिचौलियों से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कृषि विपणन में सुधार के लिए सहकारी समितियों को सशक्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत:): (क) और (ख) सरकार द्वारा 2003 में उन्नत तथा वैकल्पित विपणन चैनलों के माध्यम से विद्यमान कृषि विपणन व्यवस्था को सुधारने के संबंध में, एक आदर्श कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम तैयार किया गया था तथा सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को अपनाने के लिए परिचालित किया गया। आदर्श अधिनियम किसानों से प्रत्यक्ष विपणन/खरीद, संविदा खेती, निजी तथा सहकारी क्षेत्रों में मण्डियों की स्थापनों, प्याजों, फलों, सब्जियों तथा फूलों के लिए विशेष मण्डी शुल्क का युक्तीकरण, मण्डियों के प्रबंधन का व्यवसायीकरण, मण्डियों के प्रबंधन और विकास में सार्वजनिक निजी सहभागिता को बढ़ावा ग्रेडिंग तथा मानकीकरण को बढ़ावा इत्यादि के लिए प्रावधान है। आंध्र प्रदेश सहित सोलह राज्यों ने आदर्श अधिनियम की तर्ज पर सुधार किए हैं। सुधारों की राज्यवार स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

विपणन सुधारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भी 2 मार्च 2010 को कृषि विपणन के प्रभारी राज्य मंत्रियों की एक समिति गठित की है। समिति ने मण्डी सुधारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विनिमय किया है। समिति की पहली रिपोर्ट सरकार को 8 सितम्बर 2011 को प्रस्तुत की गई जिसको सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को इसकी अनुशंसा के कार्यान्वयन तथा टिप्पणियां करने के लिए परिचालित किया गया है।

इसके साथ ही कृषि मंत्रालय देश में कृषि विपणन सुधारने के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है जिनमें विपणन अनुसंधान तथा आसूचना नेटवर्क स्कीम, ग्रामीण भण्डारण योजना तथा कृषि विपणन, ग्रेडिंग, मानकीकरण का सुदृढ़ीकरण करना/विकास करना शामिल हैं।

(ग) आदर्श एपीएमसी अधिनियम, प्रत्यक्ष विपणन, संविदा खेती तथा निजी एवं सहकारी क्षेत्रों में मण्डियों की स्थापना के लिए प्रावधान की व्यवस्था करता है। इससे किसानों से खरीददारों तक प्रत्यक्ष बिक्री की सुविधा सुलभ होती है। जिससे मध्यस्थों की भूमिका कम होती है तथा विपणन लागत को कम कर किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होते हैं।

(घ) और (ङ) सरकार की कई स्कीमों के अंतर्गत सहकारी समितियों सहायता प्राप्ति के लिए पात्र हैं जैसे कि ग्रामीण भण्डारण योजना, कृषि विपणन अवसंचनाओं के सुदृढ़ीकरण/विकास हेतु स्कीमें, विपणन तथा मानकीकरण, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मूल्य समर्थन स्कीम, सहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए सहायता, सहकारी समितियों के विकास के लिए एनसीडीसी कार्यक्रम को सहायता इत्यादि।

विवरण

दिनांक 31.10.2011 तक कृषि मण्डियों में सुधारों की प्रगति (एपीएमसी अधिनियम)

क्र.सं.	सुधारों के चरण	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	2	3
1.	राज्य/संघ क्षेत्र जहां में प्रत्यक्ष विपणन, संविदा खेती	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश,

1	2	3
	तथा निजी/सहकारी क्षेत्रों में मण्डियों के लिए एपीएमसी अधिनियम के लिए सुधार किया गया है।	झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड और त्रिपुरा।
2.	राज्य/संघ क्षेत्र जहां एपीएमसी अधिनियम के लिए आंशिक तौर पर सुधार किया गया है।	प्रत्यक्ष विपणन: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश अनुबंध खेती : छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चण्डीगढ़
3.	राज्य/संघ क्षेत्र जहां एपीएमसी अधिनियम नहीं है इसलिए सुधार की आवश्यकता नहीं है।	बिहार*, केरल, मणिपुर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा व नगर हवेली, दमन और दीव, और लक्षद्वीप
4.	राज्य/संघ क्षेत्र जहां एपीएमसी अधिनियम पहले से सुधार की व्यवस्था करता है।	तमिलनाडु
5.	राज्य/संघ क्षेत्र जहां सुधार के लिए प्रशासनिक कार्यवाही आरंभ की गई है।	मेघालय, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, पश्चिम, बंगाल, पुडुचेरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश

*एपीएमसी अधिनियम, 1.09.2006 से निरस्त है।

एपीएमसी नियमावली की स्थिति:

(क) राज्य जिनमें नियमावली पूर्णरूप से बनाई गई है : आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक।

(ख) राज्य जिनमें नियमावली आंशिक रूप से बनाई गई है।

(i) मण्डी शुल्क के एक स्थान लेवी हेतु केवल मिजोरम;

(ii) संविदा खेती तथा एक से अधिक मण्डी के लिए विशेष लाइसेंस के लिए मध्य प्रदेश;

(iii) संविदा खेती के लिए हरियाणा।

[हिन्दी]

गुजरात के स्मारक

1311. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात राज्य में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के नाम क्या हैं;

(ख) इन स्मारकों के रखरखाव और संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में उक्त प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान स्मारक-वार इन स्मारकों से अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनके रखरखाव के लिए आबंटित निधि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) मरम्मत की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए इस स्मारकों पर नियमित रूप से संरक्षण का कार्य किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कथित उद्देश्य के लिए आबंटित/किए गए खर्च और चालू वर्ष के लिए आबंटन का ब्यौरा इस प्रकार है:–

क्र.सं.	वर्ष	किया गया खर्च/आबंटन (राशि लाख रु. में)
1.	2008-09	405.62
2.	2009-10	459.98
3.	2010-11	549.93
4.	2011-12	625.00 (आबंटन)

(ग) गुजरात में छह स्मारक हैं जिन पर टिकट लगता है। इन स्मारकों से अर्जित किए गए राजस्व का ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) गुजरात में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए अपेक्षित निधि उपलब्ध कराया जा रहा है।

विवरण I

गुजरात (वडोदरा मंडल) में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	भद्रकाली मंदिर के पार्श्व में तीन द्वार	अहमदाबाद	अहमदाबाद
2.	भद्रकाली मंदिर के पार्श्व में भद्र द्वार	अहमदाबाद	अहमदाबाद
3.	सीदी सैय्यद की मस्जिद	अहमदाबाद	अहमदाबाद
4.	अहमद शाह की मस्जिद	अहमदाबाद	अहमदाबाद
5.	तीन दरवाजा अथवा त्रिपोलिया गेट	अहमदाबाद	अहमदाबाद
6.	शाह कूपा मस्जिद	अहमदाबाद	अहमदाबाद
7.	जामी मस्जिद	अहमदाबाद	अहमदाबाद
8.	अहमद शाह की रानियों के मकबरे	अहमदाबाद	अहमदाबाद
9.	अहमद शाह का मकबरा	अहमदाबाद	अहमदाबाद
10.	पंच कुवा गेट	अहमदाबाद	अहमदाबाद
11.	सारंगपुर में रानी की मस्जिद	अहमदाबाद	अहमदाबाद
12.	मकबरा	अहमदाबाद	अहमदाबाद
13.	ईंटों की मीनारें	अहमदाबाद	अहमदाबाद
14.	सीदी बशीर की मीनार तथा मकबरा (झुका हुआ)	अहमदाबाद	अहमदाबाद
15.	दिल्ली गेट	अहमदाबाद	अहमदाबाद
16.	कुतुब शाह की मस्जिद	अहमदाबाद	अहमदाबाद
17.	दादा हरीर की मस्जिद व मकबरा	अहमदाबाद	अहमदाबाद
18.	दादा (बाई) हरीर का सीढ़ीदार कुआं	अहमदाबाद	अहमदाबाद

1	2	3	4
19.	कालुलपुर द्वार	अहमदाबाद	अहमदाबाद
20.	सारंगपुर द्वार	अहमदाबाद	अहमदाबाद
21.	दरियापुर द्वार	अहमदाबाद	अहमदाबाद
22.	प्रेमाभाई द्वार	अहमदाबाद	अहमदाबाद
23.	माता भवानी का कुआं	अहमदाबाद	अहमदाबाद
24.	अच्युत बीबी की मस्जिद तथा मकबरा	अहमदाबाद	अहमदाबाद
25.	दरिया खान का मकबरा	अहमदाबाद	अहमदाबाद
26.	मुहाफिज खान की मस्जिद	अहमदाबाद	अहमदाबाद
27.	रानी रूपवती की मस्जिद	अहमदाबाद	अहमदाबाद
28.	शाहपुर काजी मोहम्मद चिश्ती की मस्जिद	अहमदाबाद	अहमदाबाद
29.	सैय्यद उस्मान की मस्जिद तथा मकबरा	अहमदाबाद	अहमदाबाद
30.	शाह आलम का मकबरा तथा इसके आसपास समूह की सभी इमारतें	अहमदाबाद	अहमदाबाद
31.	लघु पत्थर मस्जिद (रानी मस्जिद)	अहमदाबाद	अहमदाबाद
32.	आजम खान मौजम्म खान का रौजा	अहमदाबाद	अहमदाबाद
33.	दस्तूर खान की मस्जिद	अहमदाबाद	अहमदाबाद
34.	रानी सीपरी की मस्जिद व मकबरा	अहमदाबाद	अहमदाबाद
35.	अस्तोदिया	अहमदाबाद	अहमदाबाद
36.	मलिक आलक की मस्जिद	अहमदाबाद	अहमदाबाद
37.	रायपुर द्वार	अहमदाबाद	अहमदाबाद
38.	कंकरिया तालाब का प्रवेश मार्ग	अहमदाबाद	अहमदाबाद
39.	बीबीजी की मस्जिद	अहमदाबाद	अहमदाबाद
40.	हैबतखान की मस्जिद	अहमदाबाद	अहमदाबाद
41.	बाबा लौली की मस्जिद	अहमदाबाद	अहमदाबाद
42.	सर्वे सं. 6814 में नवाब सरदार खान का रौजा जिसकी सी.एस.सं. 6811 है।	अहमदाबाद	अहमदाबाद
43.	परिसर सहित नवाब सरदार खान का रौजा जिसकी सी.एस.सं. 6811 है	अहमदाबाद	अहमदाबाद
44.	मीर अबू तुरब का मकबरा	अहमदाबाद	अहमदाबाद
45.	जेठाभाई का सीढ़ीदार कुआं	इशानपुर	अहमदाबाद

1	2	3	4
46.	लघु प्रस्तर मस्जिद (गुमले मस्जिद)	इशानपुर	अहमदाबाद
47.	मकबरे (कुतुब-ए-आलम)	वटवा	अहमदाबाद
48.	विशाल मस्जिद	सरखेज रोजा	अहमदाबाद
49.	विशाल तालाब, महल तथा (हरम)	सरखेज रोजा	अहमदाबाद
50.	मंडप	सरखेज रोजा	अहमदाबाद
51.	बाबा इशाक तथा बाबा गंज बक्श का रोजा	सरखेज रोजा	अहमदाबाद
52.	बीबी (रानी) राजबाई का मकबरा	सरखेज रोजा	अहमदाबाद
53.	मोहम्मद बेगढ़ का मकबरा	सरखेज रोजा	अहमदाबाद
54.	शेख अहमद खट्टाउ गंज बक्श का मकबरा	सरखेज रोजा	अहमदाबाद
55.	जामी मस्जिद	ढोलका	अहमदाबाद
56.	मालव तालाब	ढोलका	अहमदाबाद
57.	खान मस्जिद	ढोलका	अहमदाबाद
58.	बहलोल खान गाजी की मस्जिद	ढोलका	अहमदाबाद
59.	ध्वस्त इमारत	ढोलका	अहमदाबाद
60.	लोथल स्थित प्राचीन स्थल	सरगवाला	अहमदाबाद
61.	रगुशा पीर की मस्जिद	रणपुर	अहमदाबाद
62.	जामी मस्जिद	मंडल	अहमदाबाद
63.	काजी मस्जिद	मंडल	अहमदाबाद
64.	सैय्यद मस्जिद	मंडल	अहमदाबाद
65.	मनसर तालाब तथा वेदियां	वीरमगाम	अहमदाबाद
66.	प्राचीन स्थल गोहिलवाड टिम्बो (टीला)	अमरेली	अमरेली
67.	काशीविश्वनाथ मंदिर की दीवार पर भित्ति चित्र	पडार सिंहा	अमरेली
68.	प्राचीन स्थल	वेनीवडार	अमरेली
69.	सीढ़ीदार कुआं	बोरसाड	आन्नद
70.	जामी मस्जिद	खम्भात	आनंद
71.	प्राचीन स्थल/टीला	सिहोर	भावनगर
72.	दरबारगढ़	सिहोर	भावनगर
73.	प्राचीन स्थल/टीला	वाला	भावनगर

1	2	3	4
74.	जैन मंदिर	तलजा	भावनगर
75.	तलजा गुफाएं	तलजा	भावनगर
76.	जामी मस्जिद	भरूच	भरूच
77.	महादेव का प्राचीन ध्वस्त मंदिर	बावका	दहोद
78.	सिकंदर शाह का मकबरा	हलोल	गोधरा
79.	एक-मीनार-की मस्जिद	हलोल	गोधरा
80.	पंच-महुदा-की-मस्जिद	हलोल	गोधरा
81.	मकबरा	हलोल	गोधरा
82.	कुंडलीदार सीढीदार कुआं रास्ते के चारों तरफ 50 फुट जगह के साथ जोकि नजदीकी सड़क से 10 फुट दूर है।	चांपानेर	गोधरा
83.	सकर खान की दरगाह	चांपानेर	गोधरा
84.	नगर द्वार	चांपानेर	गोधरा
85.	दुर्ग की दीवारें	चांपानेर	गोधरा
86.	दुर्ग के दक्षिण पूर्वी कोने पर नगर दीवार जोकि पहाड़ी तक जा रही है।	चांपानेर	गोधरा
87.	पूर्वी व दक्षिणी भद्र द्वार	चांपानेर	गोधरा
88.	सहर की मस्जिद (बोहरानी)	चांपानेर	गोधरा
89.	तीन प्रकोष्ठ	चांपानेर	गोधरा
90.	मांडवी अथवा कस्टम हाउस	चांपानेर	गोधरा
91.	जामी मस्जिद	चांपानेर	गोधरा
92.	सीढ़ीदार कुआं	चांपानेर	गोधरा
93.	केवडा मस्जिद	चांपानेर	गोधरा
94.	मकबरा जिसके मध्य में ईंटों का गुम्बद तथा छोटे कोने में गुब्बद है।	चांपानेर	गोधरा
95.	केवडा मस्जिद का स्मारक	चांपानेर	गोधरा
96.	नगीना मस्जिद	चांपानेर	गोधरा
97.	नगीना मस्जिद का स्मारक	चांपानेर	गोधरा
98.	लाल गुम्बज	चांपानेर	गोधरा

1	2	3	4
99.	कबूतरखाना पैवेलियन	चांपानेर	गोधरा
100.	कमानी मस्जिद	चांपानेर	गोधरा
101.	बावा मान की मस्जिद	चांपानेर	गोधरा
102.	द्वार सं. 1 अटक द्वार (दो प्रवेश द्वारों सहित)	पावागढ़ हिल	गोधरा
103.	द्वार सं. 2 (तीन प्रवेशद्वारों सहित) बुधिया द्वार	पावागढ़ हिल	गोधरा
104.	द्वार सं. 3 मोती द्वार सहनशाह द्वार	पावागढ़ हिल	गोधरा
105.	द्वार सं. 4 बड़ी बुर्जी सहित तथा उसके अंदर के कमरे	पावागढ़ हिल	गोधरा
106.	बुर्जियों के दाहिने ओर सीढ़ियों सहित सात मजिल	पावागढ़ हिल	गोधरा
107.	द्वार सं. 4 के ऊपर टकसाल	पावागढ़ हिल	गोधरा
108.	द्वार सं. 5 गुलान बुलान द्वार	पावागढ़ हिल	गोधरा
109.	द्वार सं. 6 बुलंद दरवाजा	पावागढ़ हिल	गोधरा
110.	मकई कोठर	पावागढ़ हिल	गोधरा
111.	पटई रावल का महल तथा तालाब	पावागढ़ हिल	गोधरा
112.	द्वार सं. 7 मकई द्वार	पावागढ़ हिल	गोधरा
113.	द्वार सं. 8 तारापुर गेट	पावागढ़ हिल	गोधरा
114.	पावागढ़ का किला तथा पावागढ़ पहाड़ी के शिखर पर ध्वस्त हिन्दू मंदिर तथा जैन मंदिर	पावागढ़ हिल	गोधरा
115.	नवलखा कोठर	पावागढ़ हिल	गोधरा
116.	शिखर पर किले की दीवार	पावागढ़ हिल	गोधरा
117.	रुद्र महालय मंदिर	देसर	गोधरा
118.	कंकेश्वर महादेव मंदिर	काकनपुर	गोधरा
119.	मूर्तियों की स्क्रीन के साथ रत्नेश्वर प्राचीन मंदिर	रतनपुर	गोधरा
120.	रुदाबाई सीढ़ीदार कुआं	अदालत	गांधीनगर
121.	दुर्वासा ऋषि का आश्रम तथा उसका स्थल	पिंडारा	जामनगर
122.	कालिका माता मंदिर	नवी ध्रेवाड	जामनगर
123.	गोकेश्वर महादेव मंदिर	लौराली	जामनगर
124.	सर्वे सं. 106 में गांधी गढ़ी तथा मंदिर	ओल्ड ढींक	जामनगर
125.	राम लक्ष्मण का मंदिर	बरादिया	जामनगर

1	2	3	4
126.	द्वारकाधीश मंदिर समूह तथा इसके बाहरी परिसर अहाते सर्वे. सं. 1607, 1608, 1906	द्वारका	जामनगर
127.	क्षत्रप अभिलेख	द्वारका	जामनगर
128.	रूक्मिणी मंदिर	द्वारका	जामनगर
129.	धनषनवेल मंदिर (मागडेरू)	धनषनवेल	जामनगर
130.	सर्वे सं. 655 में गुहादित्य मंदिर	वरवाडा	जामनगर
131.	जूनागढ़ी (जैन) मंदिर	वसई	जामनगर
132.	कंकेश्वर महादेव मंदिर तथा अन्य पूजा स्थल	वसई	जामनगर
133.	गोप (सूर्य) मंदिर	नानी गोप	जामनगर
134.	अशोक शिलालेख	जूनागढ़	जूनागढ़
135.	बौद्ध गुफा	जूनागढ़	जूनागढ़
136.	बाबा प्यारे, खापरा कोडिया गुफाएं	जूनागढ़	जूनागढ़
137.	प्राचीन टीला	इंतवा	जूनागढ़
138.	जामी मस्जिद	मंगरोल	जूनागढ़
139.	बीबी मस्जिद	मंगरोल	जूनागढ़
140.	रवेली मस्जिद	मंगरोल	जूनागढ़
141.	रणछोड़ रायाजी मंदिर तथा महादेव मंदिर चौक के आसपास पड़ी खाली जमीन	मूल द्वारका	जूनागढ़
142.	विट्ठलभाई हवेली	वास्को	खेडा
143.	भामरिया कुआं	महमदाबाद	खेडा
144.	गल्लेश्वर का मंदिर	सरनाल	खेडा
145.	सैफु-उद्-दीन तथा निजाम-उद्-दीन का मकबरा	सोजाली	खेडा
146.	मुबारक सैय्यद का मकबरा	सोजाली	खेडा
147.	राव लखा छतरी	भुज	कच्छ
148.	शिव मंदिर	कोटई	कच्छ
149.	उत्खनित स्थल	सुरकोटडा	कच्छ
150.	मलाई माता मंदिर	पालद्वार	मेहसाण
151.	हिंगलोजी माता मंदिर	खंडोसन	मेहसाण

1	2	3	4
152.	सभा मंडप (दो मंदिर) तथा प्राचीन मंदिर	खंडोसन	मेहसाण
153.	जसमलनाथजी महादेव मंदिर	असोदा	मेहसाण
154.	अजपल कुंड	वादनगर	मेहसाण
155.	अभिलेख तथा अर्जुन बाड़ी	वादनगर	मेहसाण
156.	तोरण	वादनगर	मेहसाण
157.	कुंड	विजापुर	मेहसाण
158.	सूर्य मदिर, सूर्य कुंड तथा अन्य लगे हुए मंदिर व पड़ी हुई मूर्तियां	मोढेरा	मेहसाण
159.	खान सरोवर का प्रवेशद्वार	पाटन	पाटन
160.	रानी-की-वाव	पाटन	पाटन
161.	सहस्रलिंग तालाब (उत्खनित)	अनावडा	पाटन
162.	शेख फरीद मकबरा	पाटन	पाटन
163.	जामी मस्जिद	सिधपुर	पाटन
164.	रुद्र महालय मंदिर के अवशेष	सिधपुर	पाटन
165.	नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर	सुनाक	पाटन
166.	सिवाई माता मंदिर	सुनाक	पाटन
167.	नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर	रुहावी	पाटन
168.	संदेरी माता मंदिर में दो छोटे पूजा स्थल	सांदेर	पाटन
169.	सीतामाता मंदिर	पिलुदरा	पाटन
170.	सूर्य प्रतिमा वाला तोरण	पिलुदरा	पाटन
171.	लिम्बोजी माता मंदिर	डेनमाल	पाटन
172.	मकान जहां महात्मा गांधी पैदा हुए थे	पोरबंदर	पोरबंदर
173.	प्राचीन पार्श्वनाथ मंदिर	वडोदरा	पोरबंदर
174.	गुफाएं	मियानी	राजकोट
175.	सिंकदरशाह का मकबरा	प्रांतजी	साबरकंठा
176.	मंदिर समूह	खेड तथा रोडा	साबरकंठा
177.	दरगाह जिसे ख्वाजा दाना साहेब के रोजा के नाम से जाना जाता है	सूरत	सूरत
178.	प्राचीन इंगलिश मकबरे	सूरत	सूरत

1	2	3	4
179.	ख्वाजा सफर सुलेमानी का मकबरा	सूरत	सूरत
180.	प्राचीन डच तथा अर्मीनियन मकबरे तथा कब्रिस्तान	सूरत	सूरत
181.	फतेह बुर्ज	व्यारा	सुरेन्द्रनगर
182.	फतेह बुर्ज	व्यारा	सुरेन्द्रनगर
183.	रनक देवी का मंदिर	वधावन	सुरेन्द्रनगर
184.	प्राचीन टीला	रंगपुर	सुरेन्द्रनगर
185.	सूर्य मंदिर	थानगढ़	सुरेन्द्रनगर
186.	नवलखा मंदिर	सेजकपुर	सुरेन्द्रनगर
187.	गांव में प्राचीन स्थल/टीला (गणेश मंदिर)	सेजकपुर	सुरेन्द्रनगर
188.	दरबारगढ़	हल्वाड	सुरेन्द्रनगर
189.	अनंतेश्वर मंदिर	भादिया आनंदपुर	सुरेन्द्रनगर
190.	भाउ ताम्बेकरवाडा में भित्ति चित्र वाले कक्ष	वड़ोदरा	वड़ोदरा
191.	ऐतिहासिक स्थल सर्वे सं. 431, 435	वड़ोदरा	वड़ोदरा
192.	हजीरा या कुतुबुद्दीन महमद खान का मकबरा	दंतेश्वर	बडोदरा
193.	प्राचीन स्थल (उत्खनित)	कायावरोहन	वड़ोदरा
194.	तोरण प्रवेशद्वार	कायावरोहन	वड़ोदरा
195.	समश्यापुरा का प्राचीन स्थल	गोराज	वड़ोदरा
196.	वड़ोदरा द्वार तथा उसके आसपास के निर्माण हीरा द्वार सर्वे सं. 38, 41, 45, 47 तथा टिक्का सं. 102 व 103	दभोई	वडोदरा
197.	हीरा द्वारा सर्वे सं. 38, 41, 45, 47 तथा टिक्का सं. 102 व 103	दभोई	वड़ोदरा
198.	माहुदी (चांपानेर्रा) द्वार तथा उसके पास के निर्माण	दभोई	वड़ोदरा
199.	नांदोदी द्वारा तथा उसके पास के निर्माण	दभोई	वड़ोदरा
200.	सप्तसुखी वाव	दभोई	वड़ोदरा
201.	सूक्ष्म प्रस्तर स्थल सर्वे सं. 311, 12, 13 तथा 298	अमर्जपुरा	वड़ोदरा
202.	प्राचीन स्थल (कोटडा)	धौलावीरा तहसील – भरूच	भुज

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अगस्त तक गुजरात में केंद्रीय संरक्षित टिकट वाले स्मारकों पर प्रवेश शुल्क से राजस्व डाटा।

	वर्ष स्मारक का नाम	2008-09 (धनराशि रु. में)	2009-10 (धनराशि रु. में)	2010-11 (धनराशि रु. में)	2011-12 (अप्रैल से अगस्त तक) (धनराशि रु. में)
1	2	3	4	5	6
1.	जामी मस्जिद, चम्पानेर-पावागढ़, सहर की मस्जिद, चम्पानेर पावागढ़	582275	934815	1298720	416430
2.	सूर्य मंदिर, मोढेरा	1198925	1274685	1392895	554350
3.	रानी-की-वाव, पाटन	1319630	1297925	1412585	605365
4.	अशोक के शिला शासनादेश, जूनागढ़	254375	287490	233395	69845
5.	बौद्ध गुफाएं, जूनागढ़	327272	359245	322855	106330
6.	बाबा प्यारा गुफाएं, जूनागढ़, और खपरा खोडिया गुफाएं, जूनागढ़	855	1915	2550	825
	कुल योग	3683332	4156075	4663000	1753145

कृषि उत्पादन

1312. **श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:**
श्री सुरेश अंगड़ी:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री सी. शिवासामी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कृषि उत्पादन में कमी दर्ज हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से व्यापक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जैसाकि निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है, 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मुख्य कृषि फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

उत्पादन (मिलियन टन)

फसल	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*	2011-12 #
1	2	3	4	5	6
चावल	96.69	99.18	98.09	95.32	87.10
गेहूँ	78.57	80.68	80.80	85.93	उ. नहीं

1	2	3	4	5	6
मोटे अनाज	40.75	40.03	33.55	42.22	30.42
दालें	14.76	14.57	14.66	18.09	6.43
खाद्यान्न	230.78	234.47	218.11	241.56	123.95
तिलहन	29.76	27.72	24.88	31.10	20.89
गन्ना	348.19	285.03	292.30	339.17	342.20
कपास $	25.88	22.28	24.02	33.43	36.10

*19.07.2011 के अनुसार अग्रिम अनुमान

14.9.2011 के अनुसार पहले अग्रिम अनुमान (केवल खरीफ)

$ प्रत्येक 170 किलोग्राम की मिलियन गांठें

देश के बहुत से राज्यों में कम मानसून/सूखे के क़ारण 2009-10 के दौरान अधिकांश फसलों के उत्पादन में हानि हुई। अन्स सक्षम/अधिक लाभप्रद फसलों वाले क्षेत्रों में अंतरण के कारण गन्ने के उत्पादन में उतार-चढ़ाव होता रहा है।

(ग) देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों के माध्यम से कृषि मंत्रालय द्वारा अनेकों फसल विकास योजनाएं तथा कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे है, नामत: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.), एकीकृत तिलहन, दलहन, पाम आयल एवं मक्का योजना (आइसोपाम), वृहत कृषि प्रबंधन के तहत चावल/गेहूं/मोटे अनाजों के लिए एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)। उक्त योजनाओं के अतिरिक्त, 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने तथा वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60000 दलहन तथा तिलहन गांवों के एकीकृत विकास के लिए दो नए कार्यक्रमों की शुरुआत की गयी थी। दलहन उत्पादन के लिए आइसोपाम के दलहन घटक को मिलाकर तथा दो नए संभावित राज्यों नामत: असम तथा झारखंड को शामिल करने के साथ 1.4.2010 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को सुदृढ़ किया गया है। देश के 16 दलहन उत्पादक राज्यों में पांच दलहन फसलों में से प्रत्येक फसल के लिए 1000 हेक्टेयर के 1000 एककों को शामिल करने के लिए ब्लाक प्रदर्शनों के रूप में "त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (ए3पी)" नामक एक नए कार्यक्रम की भी शुरुआत की गयी है।

[अनुवाद]

बंगलादेश से घुसपैठ

1313. **श्री दुष्यंत सिंह:**
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री प्रेमदास:
श्री जयवंत गंगाराम आवले:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश के विभिन्न भागों में हाल ही में बंगलादेशियों की घुसपैठ की कई घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे लोगों ने देश में राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि बनवा लिये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में ऐसे प्रवासियों की गिरफ्तारी और उन्हें वापस भेजने सहित उनका पता लगाने और वापस भेजने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/ किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) बांग्लादेशी राष्ट्रिकों के वैध यात्रा दस्तावेजों के बगैर भारत में प्रवेश करने की घटनाओं की जानकारी मिली है। चूंकि ऐसे बांग्लादेशी राष्ट्रिकों का देश में प्रवेश चोरी-छिपे और छद्म रूप में होता है अत: देश के विभिन्न राज्यों में रह रहे ऐसे अवैध अप्रवासियों का सही-सही अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) बांग्लादेश से आए कुछेक अवैध अप्रवासियों द्वारा धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र

इत्यादि प्राप्त करने की कतिपय घटनाओं की जानकारी मिली है। इस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। जैसे ही ऐसी घटनाओं का पता चलता है तो संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन कानूनी प्रावधानों द्वारा यथाधिदेशित ऐसे दस्तावेजों को निरस्त करने के साथ-साथ ऐसे अन्य यथोचित कदम उठाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

(ङ) केन्द्र सरकार को विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 (2) (ग) के तहत विदेशी राष्ट्रिकों को उनके देश वापस भेजने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने और उन्हें उनके देश वापस भेजने की ये शक्तियां राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी प्रत्यायोजित की गई हैं। ऐसे अवैध अप्रवासियों का पता लगाना और उन्हें उनके देश वापस भेजना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे बांग्लादेशी राष्ट्रिक, जो वर्ष 2008, 2009 और 2010 के दौरान वैध यात्रा दस्तावेजों के आधार पर आए और जिन्हें वीजा की वैधता अवधि से अधिक समय सीमा तक रुकने सहित विभिन्न कारणों के आधार पर उनके देश वापस भेजा गया था, के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	वापस भेजे गए बांग्लादेशी राष्ट्रिकों की संख्या
2008	12625
2009	10602
2010	6290

चालू वर्ष से संबंधित अपेक्षित जानकारी संकलित नहीं की गई है।

राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केन्द्र

1314. श्री बाल कुमार पटेल:
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी केन्द्र का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति/प्रगति क्या है;

(ग) इस केन्द्र की स्थापना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में कौन-कौन-सी बड़ी बाधाएं सामने आ रही हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (घ) प्रस्तावित राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केन्द्र (एनसीटीसी) के गठन एवं संरचना के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अदरक का उत्पादन

1315. श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री एंटो एंटोनी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में अदरक उत्पादक राज्यों में अदरक का कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या सरकार का इरादा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए अदरक उत्पादन को बढ़ावा देने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या अदरक उत्पादकों को विशेषज्ञ प्रोत्साहन दिया जा रहा है;

(घ) वर्तमान पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान अदरक उत्पादक राज्यों में अदरक का उत्पादन दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) और (ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं अर्थात् (i) पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों में बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) एवं (ii) शेष राज्यों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के तहत अदरक समेत बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। अदरक समेत बागवानी फसलों को क्षेत्र विस्तार; बीज तथा रोपण सामग्री का उत्पादन एवं आपूर्ति, माडल नर्सरियों का विकास, बीज अवसंरचना सहित विभिन्न उत्पादन संबंधी घटकों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। अदरक सहित मसालों के लिए एनएचएमएंड एचएमएनईएच के तहत उपलब्ध सहायता का प्रतिमान एवं अधिकतम दर का ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(घ) एनएचएम एवं एचएमएनईएच के तहत वर्तमान पंचवर्षीय योजनाके दौरान इस प्रयोजन के लिए निर्धारित निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण III में दिया गया है।

विवरण I

अदरक का राज्य वार उत्पादन

(उत्पादन: 000 टन)

राज्य	2008-09	2009-10	2010-11
आंध्र प्रदेश	11.684	16.674	16.670
अरूणाचल प्रदेश	41.790	49.663	53.000
असम	103.915	107.893	119.62
बिहार	0.840	0.840	0.840
छत्तीसगढ़	2.107	1.780	1.415
गुजरात	49.504	47.694	69.581
हरियाणा	2.280	3.580	7.785
हिमाचल प्रदेश	18.814	13.962	16.760
कर्नाटक	81.163	135.031	100.000
केरल	30.809	28.603	28.662
मध्य प्रदेश	9.336	9.679	9.680
महाराष्ट्र	1.200	1.100	1.040
मणिपुर	5.818	7.931	3.840
मेघालय	50.286	54.009	53.644
मिजोरम	34.290	31.000	32.500
नागालैंड	32.000	34.000	35.440
उड़ीसा	30.800	30.800	30.800
राजस्थान	0.362	0.467	0.459
सिक्किम	40.641	43.190	45.890
तमिलनाडु	16.340	13.867	26.69
त्रिपुरा	7.123	7.932	7.599
उत्तर प्रदेश	2.075	2.346	2.5381
उत्तराखंड	11.840	11.840	11.840
पश्चिम बंगाल	23.834	23.834	23.834
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.525	1.575	1.850
अखिल भारत	610.377	679.290	701.989

स्रोत: राज्य अर्थ एवं सांख्यिकी/कृषि/बागवानी विभाग

विवरण II

		मसाले (प्रति लाभार्थि अधिकतम 4 है. क्षेत्र हेतु)	सहायता का प्रतिमान	
क्र.सं.	मद	अधिकतम स्वीकार्य लागत	एचएमएनईच के अंतर्गत	एनएचएम के अंतर्गत
(i)	मसालों के बीच एवं राइजोमेटिक मसाले	25,000 रुपये/हैं.	लागत का 75% अर्थात आईएनएम/आईपीएम इत्यादि के लिए रोपण सामग्री पर हुए व्यय एवं सामग्री की लागत सहित 18750 रुपये/है.	प्रति है. अधिकतम 12,500/- रुपये (आईएनएम/आईपीएम इत्यादि के लिए रोपण सामग्री पर हुए व्यय एवं सामग्री की लागत को पूरा करने के लिए लागत का 50%)

विवरण III

वर्तमान पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) के दौरान अदरक के क्षेत्र विस्तार (है.) के लिए प्रदान की गई निधियां

(लाख रुपए में)

राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)

राज्य	2007-08 परिव्यय	2008-09 परिव्यय	2009-10 परिव्यय	2010-11 परिव्यय	2011-12 परिव्यय	कुल परिव्यय
आंध्र प्रदेश	0.00	10.69	31.32	0.00	0.00	42.01
छत्तीसगढ़	360.00	371.25	0.00	450.00	337.50	1518.75
हरियाणा	24.30	23.63	42.19	62.50	0.00	152.62
झारखंड	56.25	538.88	61.88	0.00	500.00	1157.01
कर्नाटक	110.00	382.50	79.94	25.00	0.00	597.44
केरल	65.25	925.31	168.75	0.00	0.00	1159.31
उड़ीसा	90.00	67.50	90.00	37.50	37.50	322.50
कुल	705.80	2319.76	474.08	575.00	875.00	4949.64

पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन (एचएमएनईएच)

राज्य	2007-08 परिव्यय	2008-09 परिव्यय	2009-10 परिव्यय	2010-11 परिव्यय	2011-12 परिव्यय	कुल परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7
अरूणाचल प्रदेश	65.00	78.00.	32.50	135.38	459.38	770.26
असम	162.50	130.00	130.00	93.75	93.75	610.00
मेघालय	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00

1	2	3	4	5	6	7
मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	99.38	99.38
नागालैंड	49.40	51.09	39.00	28.12	42.19	209.80
सिक्किम	130.00	84.50	78.00	121.88	190.50	604.88
त्रिपुरा	61.75	46.80	29.90	55.50	48.94	242.89
हिमाचल प्रदेश	0.00	19.76	12.74	0.00	0.00	32.50
उत्तराखंड	40.30	32.50	59.67	39.56	107.06	279.09
कुल	560.95	442.65	381.81	474.19	1041.20	2900.80

[हिन्दी]

पी.डी.एस. का आधुनिकीकरण

1316. **श्री संजय भोई:**
श्री राम सुन्दर दास:
श्री निशिकांत दुबे:
श्री सी.आर. पाटिल:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री रवनीत सिंह:
श्री गोपाल सिंह शेखावत:
श्री कपिल मुनि करवारिया:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री सी. राजेन्द्रन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस) में भ्रष्टाचार/विपथन के संबंध में शिकायतें मिली हैं जिनमें सेवाएं प्रभावित हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पी.डी.एस. के कार्यकरण को कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने इसका आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण शुरू किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या सरकार का इरादा विशिष्ट पहचान कार्ड परियोजना के आंकड़े को पी.डी.एस. के साथ जोड़ने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की खरीदारी, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपुओं तक इनकी ढुलाई के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर आबंटित खाद्यान्नों का उठान और वितरण करने, पात्र गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने और उचित दर दुकानों के जरिए पात्र राशन कार्ड धारकों को आबंटित खाद्यान्नों के वितरण का पर्यवेक्षण करने की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

देश में कुछ क्षेत्रों/राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में अनियमितताओं के बारे में रिपोर्ट मिली हैं। जब कभी भी व्यक्तियों और संगठनों तथा प्रैस रिपोर्टों के जरिए सरकार को शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो इन्हें जांच और उचित कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजा गया है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और कारगर बनाना एक सतत प्रक्रिया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण और आवश्यक वस्तुओं की स्मार्ट कार्ड आधारित सुपुर्दगी पर पायलट स्कीम शुरू की गई है। भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता और प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए समयबद्ध तरीके से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण करें।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यू.आई.डी. (आधार) नामांकन के एक भाग के रूप में यू.आई.डी.ए.आई. नियुक्त विभिन्न पंजीयकों द्वारा चलाई जा रही आंकड़े एकत्रण की प्रक्रिया में सार्वजनिक

वितरण प्रणाली संबंधी फील्डों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, जहां तक संभव हो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आधार पंजीकरण के साथ उचित दर दुकानों के स्तर पर सुपुर्दगी और भुगतान के इलेक्ट्रानिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के साथ भी इसे जोड़ना चाहिए। इससे बायो-मैट्रिक एकत्रीकरण की प्रक्रिया सुप्रवाही बनाने और उचित दर दुकानों से वस्तुएं जारी करने के लिए लाभार्थियों को प्रमाणित करने में सहायता मिलेगी।

[अनुवाद]

टीवी चैनलों के लिए नए दिशा-निर्देश

1317. श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री वैजयंत पांडा:
श्री उदय सिंह:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टीवी चैनलों को लाइसेंस देने/नवीनीकरण के लिए हाल ही में नए दिशा-निर्देश बनाये हैं/वर्तमान मानदंडों को कठोर बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ प्रसारकों ने टीवी चैनलों के लिए नए मानदंडों/दिशा-निर्देशों पर असंतोष दर्शाया है;

(घ) यदि हां, तो टीवी चैनलों/प्रसारकों की कड़ी शिकायतों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इन शिकायतों का निवारण कर दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने टीवी चैनलों की अपलिंकिंग व डाउनलिंकिंग हेतु मौजूदा नीतिगत दिशा-निर्देशों में कतिपय संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया था जिसका केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 07 अक्तूबर, 2011 को हुई उसकी बैठक में अनुमोदन कर दिया गया है। इन नीतिगत संशोधनों की मुख्य विशेषताएं अनुलग्नक में दी गई हैं।

(ग) इस संबंध में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्रसारकों से प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

नीतिगत संशोधनों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :

(i) गैर-समाचार एवं समसामयिक विषयक चैनलों की अपलिंकिंग और विदेशी चैनलों की डाउनलिंकिंग हेतु निवल मूल्य के मापदंडों को संशोधित करते हुए उक्त राशि को प्रथम चैनल के लिए 1.5 करोड़ रु. से बढ़ाकर 5 करोड़ रु. और प्रत्येक अतिरिक्त चैनल के लिए इसे 2.5 करोड़ रु. कर दिया गया है।

(ii) 'समाचार एवं समसामयिक विषयक' चैनलों की अपलिंकिंग हेतु निवल मूल्य के मापदंड को प्रथम चैनल के लिए 3 करोड़ रु. से बढ़ाकर 20 करोड़ रु. और प्रत्येक अतिरिक्त चैनल के लिए 5 करोड़ रु. कर दिया गया है।

(iii) टेलीपोर्टों के लिए चैनल की क्षमता के निरपेक्ष निवल मूल्य संबंधी मापदंड एकरूप होंगे। निवल मूल्य का मापदंड प्रथम टेलीपोर्ट के लिए 3 करोड़ रु. और प्रत्येक अतिरिक्त टेलीपोर्ट के लिए 1 करोड़ रु. होगा।

(iv) सभी टीवी चैनलों के लिए अनुमति प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष की समय-सीमा के भीतर अपने टीवी चैनलों को प्रचलित करना आवश्यक होगा जिसके लिए गैर-समाचार एवं समसामयिक विषयक चैनलों को 1 करोड़ रु. की निष्पादन-बैंक प्रत्याभूति पर हस्ताक्षर करने होंगे जबकि समाचार एवं समसामयिक विषयक चैनलों को 2 करोड़ रु. की निष्पादन-बैंक प्रत्याभूति देनी होगी। अनुमति-प्राप्त चैनल को एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रचालित न किए जाने की स्थिति में निष्पादन-बैंक प्रत्याभूति को जब्त कर लिया जाएगा और अनुमति रद्द कर दी जाएगी।

(v) चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग हेतु अवधि/पंजीयन की अवधि 10 वर्ष की एकसमान अवधि होगी।

(vi) आवेदक कंपनी में प्रबंधन के सर्वोच्च पद पर आसीन किसी एक व्यक्ति अर्थात् अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य प्रचालन अधिकारी या मुख्य तकनीकी अधिकारी या मुख्य वित्त अधिकारी

को किसी मीडिया कंपनी में समाचार एवं गैर-समाचार दोनों प्रकार के चैनलों के संबंध में न्यूनतम 3 वर्ष का पूर्व-अनुभव होना चाहिए।

(vii) प्रक्रिया के अनुसार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करने के लिए पश्चात् कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विलय, विसम्बद्धन एवं आमेलन के प्रस्तावों को अनुमति दी जाएगी।

(viii) किसी भी समय में टीवी चैनलों की अनुमति के नवीकरण पर 10 वर्ष की अवधि के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते चैनल को कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता के उल्लंघनों सहित अनुमति के निबंधन एवं शर्तों का 5 या उससे अधिक बार उल्लंघन करने का दोषी न पाया गया हो।

(ix) भारत में प्रचालित किए जा रहे और भारत से अपलिंग किए जाने वाले लेकिन विदेशी दर्शकों के लिए अभिप्रेत चैनलों के संबंध में उस देश के नियमों व विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा जिसके लिए विषय-वस्तु निर्मित व अपलिंक की जा रही है।

(x) टीवी चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग और टेलीपोर्टों की स्थापना करने हेतु अनुमति शुल्क प्रति वर्ष 2 लाख रु. प्रति चैनल/टेलीपोर्ट होगा, जबकि भारत से अपलिंक किए जाने वाले टीवी चैनलों की डाउनलिंकिंग हेतु अनुमति शुल्क प्रति वर्ष 5 लाख रु. प्रति चैनल होगा। विदेशों से अपलिंक किए जाने वाले टीवी चैनलों की डाउनलिंकिंग हेतु अनुमति शुल्क प्रति वर्ष 15 लाख रु. प्रति चैनल होगा।

[हिन्दी]

बीजों की आपूर्ति

1318. **श्री गोपाल सिंह शेखावतः**
श्री निशिकांत दुबेः
श्री गजानन ध. बाबरः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः
डॉ. किरोड़ी लाल मीणाः
श्री धर्मेन्द्र यादवः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकारी और निजी एजेंसियों द्वारा झारखंड और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों को राज्य-वार आपूर्ति किए गए बीजों की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी एजेंसियों द्वारा आपूर्ति किए गए बीजों की गुणवत्ता निम्न स्तर की है जिसके परिणामस्वरूप प्रति हैक्टेयर उपज कम होती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सत्य है कि किसानों को मध्यम और जल्दी तैयार होने वाली फसलों की क़िस्मों के बीज की भारी कमी हो रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्र सरकार जल्दी तैयार होने वाली और मध्यम अवधि की किस्मों सहित गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए बीज संबंधी कार्यकलापों में राज्य सरकारों को मदद कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार एवं निजी एजेंसियों द्वारा प्रमाणिक/गुणवत्ताप्रद बीजों की मांग एवं आपूर्ति के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) सामान्य तौर पर सरकारी एजेंसियों द्वारा आपूर्ति किए गए बीज प्रमाणिक बीज होते हैं, जो न्यूनतम फील्ड मानकों एवं न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों के अनुरूप बीज फसलों के आधार पर राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा यथा प्रमाणित होते हैं। हालांकि खरीफ 2010 के दौरान पौधे की लम्बाई में भिन्नता एवं निष्फलता के साथ पुष्पण के समय भिन्नता, जिसके परिणामस्वरूप उपज पर बुरा प्रभाव पड़ता है, के संबंध में छत्तीसगढ़ के 8 जिलों को राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा आपूरित धान के आर.एच.-2 संकर बीज के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। हालांकि राज्य कृषि विभाग, राष्ट्रीय बीज निगम एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज कृषि विकास निगम लिमिटेड से अधिकारियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त जांच दल ने प्रभावित जिलों का दौरा करके रिपोर्ट दी है कि कुछ क्षेत्रों में उपज बहुत अधिक थी एवं कुछ क्षेत्रों में उपज बहुत कम थी जिसका एकमात्र कारण बीज में कमी नहीं थी बल्कि विपरीत जलवायु परिस्थितियों एवं वर्षा कम मात्रा में होना भी था।

(घ) और (ङ) जी नहीं। देश में लघु एवं मध्यम अवधि फसल किस्मों की उपलब्धता संलग्न विवरण II में दी गई है।

(च) और (छ) जी हां, लघु एवं मध्यम अवधि किस्मों सहित गुणवत्ताप्रद बीजों की उपलब्धता में सुधार के लिए संघ सरकार विभन्न फसल विकास स्कीमों के तहत बीज संबंधी कार्यकलापों में राज्य सरकार को सहायता कर रही है। स्कीम के ब्यौरे संलग्न विवरण III में दिए गए हैं।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार एवं निजी संस्थाओं द्वारा प्रमाणित/गुणवताप्रद बीजों की मांग एवं आपूर्ति का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	2009-10				2010-11				2011-12			
	आवश्यकता	उपलब्धता सरकारी एजेंसी	निजी	कुल	आवश्यकता	सरकारी एजेंसी	उपलब्धता निजी	कुल	आवश्यकता	सरकारी एजेंसी	उपलब्धता निजी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	39.27	23.09	20.91	44.00	44.01	40.59	14.43	55.02	48.04	47.32	22.19	69.51
अरुणाचल प्रदेश	0.12	0.09	0.03	0.12	0.11	0.11	0.00	0.11	0.12	0.12	0.00	0.12
असम	4.82	2.60	2.22	4.82	7.05	2.00	5.05	7.05	9.81	4.27	5.34	9.61
बिहार	11.83	8.63	4.03	12.66	13.13	7.07	6.61	13.68	15.80	8.11	8.95	17.06
छत्तीसगढ़	4.28	4.27	0.00	4.28	5.07	5.45	0.56	6.01	6.27	4.81	1.20	6.01
गोवा	0.03	0.03	0.00	0.03	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.05
गुजरात	7.90	2.62	6.61	9.23	8.11	2.65	6.56	9.20	13.76	3.32	10.82	14.14
हरियाणा	8.53	11.58	1.87	13.45	11.35	3.54	10.56	14.10	10.85	4.34	11.27	15.61
हिमाचल प्रदेश	1.38	0.78	0.59	1.38	2.28	1.59	0.77	2.37	1.64	1.44	0.20	1.64
झारखंड	2.49	2.09	0.00	2.09	3.39	2.46	2.78	5.25	1.16	0.97	0.31	1.28
जम्मू और कश्मीर	0.70	0.67	0.04	0.71	1.14	0.91	0.23	1.14	5.65	0.04	1.05	1.01
कर्नाटक	10.36	7.29	4.63	11.92	11.04	10.99	4.32	15.30	11.60	8.36	5.11	13.48
केरल	1.20	1.24	0.00	1.24	1.20	1.32	0.00	1.32	1.20	1.09	0.00	1.09
मध्य प्रदेश	17.63	11.78	13.77	25.55	23.52	13.61	17.47	31.08	29.16	18.91	14.21	33.12
मेघालय	0.13	0.13	0.01	0.13	0.15	0.14	0.01	0.15	27.30	13.84	15.76	29.60
महाराष्ट्र	25.31	21.93	4.88	26.81	27.04	1284	14.93	27.78	0.16	0.16	0.00	0.16
मणिपुर	0.45	0.45	0.00	0.45	0.13	0.13	0.00	0.13	0.18	0.16	0.02	0.18
मिजोरम	0.02	0.01	0.00	0.02	0.03	0.03	0.00	0.03	0.01	0.01	0.00	0.01
नागालैंड	0.09	0.07	0.03	0.09	0.19	0.19	0.00	0.19	1.41	0.47	0.00	0.47
उड़ीसा	6.48	6.64	0.00	6.64	6.86	7.64	0.00	7.64	8.35	6.24	0.00	6.24

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
पुडुचेरी	0.11	0.12	0.00	0.12	0.11	0.11	0.00	0.11	0.11	0.11	0.00	0.11
पंजाब	14.28	5.82	9.47	15.29	13.28	2.00	13.18	15.18	13.59	2.52	15.30	17.82
राजस्थान	19.36	10.63	9.82	20.45	18.42	9.63	9.62	19.25	20.42	12.95	12.04	24.99
सिक्किम	0.08	0.08	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.08	0.06	0.06	0.00	0.06
तमिलनाडु	11.15	3.79	10.75	14.54	5.93	3.29	6.71	10.00	5.51	2.96	5.72	8.69
त्रिपुरा	0.22	0.27	0.00	0.27	0.27	0.29	0.01	0.31	0.24	0.25	0.00	0.25
उत्तरांचल	1.69	1.66	0.00	1.67	1.00	0.98	0.03	1.01	61.95	23.13	27.89	51.02
उत्तर प्रदेश	42.70	34.23	8.83	45.11	55.25	21.88	24.74	46.63	1.08	0.97	0.00	0.97
पश्चिम बंगाल	16.49	8.22	8.37	16.60	30.88	13.86	17.33	31.19	35.13	10.60	18.71	29.31
कुल	249.12	170.80	108.92	279.72	290.76	165.44	155.92	321.36	330.41	177.54	176.08	353.62

विवरण II

खरीफ 2010 के लिए मध्यम एवं लघु अवधि फसल किस्मों के बीज की उपलब्धता

मात्रा क्विंटल में

फसल	मध्यम अवधि		लघु अवधि	
	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता
1	2	3	4	5
अरहर	78601	77738	24694	24565
बाजरा	53776	78765	200532	215033
रागी	–	–	27241	30874
एरंड	18715	27405.99	9480	10850.35
कपास	106810	111457	24441	27260
लोबिया	–	–	21463	20534
मूंगफली	173422	175761	1628730	1806751
ग्वार	3	15	76000	84815

1	2	3	4	5
कुलथी	–	–	3728	650
इंडियन बीन	–	–	350	350
ज्वार	45515	45522	76740	91562
पटसन	8487	8960	21640	21080
कोडो मिलेट	–	–	400	429
मक्का	299496	400691	453692	499770
मूंग	21323	19116.5	158289	170756.35
मोठ बीन	–	–	15300	5759
रामतिल	–	–	1517	1069
धान	1913840	2221963	1041041	1168676
राजमा (फ्रेंच बीन)	2	0	1100	700
तिल	6576	6978	12876	19460
सोयाबीन	1364785	1415429	1572730	2138246
सुडान ग्रास	200	200	–	–
सूरजमुखी	8870	11980	36128	40315
उड़द	68972	99752	65514	87515.5
बाजरा नेपियर संकर	25	25	–	–
कुल	4169418	4701758	5473626	6467020

रबी 2010-11 के लिए मध्यम एवं लघु अवधि फसल किस्मों के बीज की उपलब्धता

(मात्रा क्विंटल में)

फसल	मध्यम अवधि		लघु अवधि	
	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता
1	2	3	4	5
जौ	73665	69690	112000	116785
धान	944761	1526764	536572	623457
गेहूं	43858448	4144696	2633754	2978699

1	2	3	4	5
मक्का	89000	95000	105103	114503
रागी	–	–	2754	3048
बाजरा	8192	8474	2142	3350
ज्वार	–	–	98394	96220
चना	324073	334207	785557	1007992
उड़द	6257	47	68231	74774
मूंग	28	28	51346	49952
खेसारी	3350	3350	143	40
मसूर	42576	34261	22428	24400
मटर	113303	89631	83482	87234
लोबिया	–	–	2200	3750
राजमा	32800	34000	274	274
मूंगफली	126537	49525	423595	667368
रेपसीड और सरसों	89051	83357	97065	104230
अलसी	1776	1669	5389	3535
राया	–	–	247	767
कुसुम	6000	5330	1570	2460
तिल	246	0	919	1087
सूरजमुखी	12335	13000	48547	61225
कपास	2430	2565	–	–
एरंड	–	–	187	195
रामतिल	–	–	1320	1320
कुलथी	–	–	5328	5328
बरसीम	–	–	2450	2420
जई	–	–	8800	8800
आलू	–	–	2052649	2056799
अन्य	–	–	1155	1155
कुल	6186461	6429104	7153601	8101196

खरीफ 2011 के लिए मध्यम एवं लघु अवधि फसल किस्मों के बीज की उपलब्धता

मात्रा क्विंटल में

फसल	मध्यम अवधि		लघु अवधि	
	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता
1	2	3	4	5
अरहर	69749	85622	115157	121231
बाजरा	222048	250554	49231	57774
उड़द	26962	66572	98545	138628
एरंडी	21275	31423	2400	3240
कपास	91118	95389	93582	109951
लोबिया	1600	612	176900	30826
ढ़ांचा	3612	0	30	30
मूंगफली	659129	697147	1638261	1899774
ग्वार	22104	28648	20200	24183
कुलथी	–	–	3895	926
इंडियन बीन	–	–	10960	12870
पटसन	12368	12475	21510	21220
कोडो मिलेट	–	–	800	800
मक्का	326794	357673	534372	634841
मेस्ता	–	–	330	413
मूंग	50033	67386	126304	127967
मोठ बीन	4	823	15250	8961
रामतिल	59	280	1986	424
धान	2067280	2276516	2589249	2219555
आलू	–	–	550	550
रागी	8025	8025	24330	24018
राजमा	111	111	–	–

1	2	3	4	5
तिल	9286	8323	9964	11221
सोरघम	79113	101846	69634	66967
सोयाबीन	223570	424994	2774968	3180662
सूरजमुखी	2022	1730	–	–
सनई	–	–	32821	55350
कुल	3896260	4516149	8411230	8752384

रबी 2011-12 के लिए मध्यम एवं लघु अवधि फसल किस्मों के बीज की उपलब्धता

मात्रा क्विंटल में

फसल	मध्यम अवधि		लघु अवधि	
	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता
1	2	3	4	5
अरहर	420	931	–	–
बाजरा	2170	2170	14402	18114
जौ	76000	86480	92055	115250
बरसीम	200	200	–	–
एरंडी	1945	2085	–	–
कपास	275	336	–	–
लोबिया	3358	5020	–	–
चना	135053	150060	1372924	1698066
मूंगफली	169032	93188	549820	815542
कुलथी	785	1242	–	–
ज्वार	46063	47743	–	–
खेसारी	3490	3490	–	–
मसूर	43928	37073	63813	47596
लेथिरस	178	117	–	–

1	2	3	4	5
अलसी	1185	879	1131	894
मक्का	3329	3300	136115	169466
मूंग	7637	1557	37975	55194
रामतिल	1400	1400	–	–
जई	6102	6834	–	–
धान	1316078	1757220	455641	539397
मटर	72907	65140	–	–
आलू	783639	120747	2261138	2787846
रागी	2326	2558	–	–
रेपसीड/सरसों	116211	100428	149799	196056
कुसुम	10599	10240	–	–
सोरघम	49350	49159	–	–
सूरजमुखी	955	845	38656	40570
तिल	4853	4826	1757	1820
उड़द	7894	2770	100922	110036
गेहूं	4009986	4682443	4148726	4541406
कुल	6877347	7240480	9424874.64	11137254.3

विवरण III

विद्यमान स्कीमों/कार्यक्रम के तहत बीज संबंधी कार्यकलापों हेतु प्रदत्त सहायता

क्र.स.	स्कीम/घटक	फसल	सहायता का प्रतिमान
1	2	3	4
1.	वृहत कृषि प्रबंधन प्रणाली-राज्य कार्य योजना (एमएमए)	चावल और गेहूं बाजरा, ज्वार रागी और जौ	(i) 500 रु. प्रति क्विंटल अथवा लागत का 50% चावल और गेहूं के लिए प्रमाणित बीज वितरण हेतु जो भी कम हो।
			(ii) 800 रु. प्रति क्विंटल अथवा लागत का 50% बाजरा, ज्वार और जौ के लिए प्रमाणित बीज वितरण हेतु जो भी कम हो।

1	2	3	4
			(iii) संकर बाजरा और ज्वार के प्रमाणित बीज वितरण के लिए 1000 रु. प्रति क्विंटल
			(ii) 1000 रु. क्विंटल अथवा लागत का 50% संकर चावल बीज के लिए प्रमाणित बीज वितरण हेतु जो भी कम हो।
			(v) 2000 रु. प्रति क्विंटल अथवा लागत का 50% संकर चावल बीज के लिए प्रमाणित बीज वितरण हेतु जो भी कम हो।
2.	समेकित तिलहन, दलहन और मक्का स्कीम (आईसोपाम)	सभी तिलहन, दलहन और मक्का आयल पाम अंकुर	तिलहन (i) प्रजनक बीज की खरीद हेतु पूर्ण लागत
			(ii) आधारी एवं प्रमाणिक बीज उत्पादन के लिए 1000 रु./-प्रति क्विंटल
			(iii) 1200/-रु. प्रति क्विंटल अथवा बीज लागत का 25% प्रमाणित बीज वितरण हेतु जो भी कम हो।
			(iv) उच्च उपज किस्मों के बीज मिनिकीटों को पूर्ण लागत (कार्यान्वयन एजेंसी एनएससी/एसएफसीआई/नैफेड/कृभको)
			आयलपाम
			(v) किसानों की सम्पूर्ण भू-जोत के लिए 7500/-रु. प्रति है. की उच्चतम सीमा के साथ लागत का 75%
3.	कपास प्रौद्योगिकी मिशन	कपास बीज	(i) लागत का 50% अथवा 50/-रु. प्रति कि.ग्रा. आधारी बीज उत्पादन के लिए जो भी कम हो
			(ii) लागत का 25% अथवा 15/-रु. प्रति कि.ग्रा. आधारी बीज उत्पादन के लिए जो भी कम हो
			(iii) प्रमाणित बीज वितरण हेतु 20/-रु. प्रति कि.ग्रा.
			(iv) बीजोपचार हेतु 40/- प्रति कि.ग्रा. तक सीमित लागत का 50%
4.	जूट एवं मेस्ता प्रौद्योगिकी मिशन	पटसन एवं मेस्ता	(i) आधारी बीज उत्पादन हेतु 3000/-रु. प्रति क्विंटल की अधिकतम लागत सीमा का 50%
			(i) प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु 700/-रु. प्रति क्विंटल की अधिकतम लागत सीमा का 25%
			(ii) प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु 2000/-रु. प्रति क्विंटल की अधिकतम लागत सीमा का 50%

1	2	3	4
5.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)	चावल	(i) 1000/रु. प्रति क्विंटल अथवा लागत का 50%, प्रमाणित संकर चावल बीज उत्पादन के लिए जो भी कम हो
			(ii) 2000/रु. प्रति क्विंटल अथवा लागत का 50%, प्रमाणित संकर चावल बीज उत्पादन के लिए जो भी कम हो
			(iii) 5/रु. प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50%, प्रमाणित उच्च उपज किस्म बीज वितरण हेतु जो भी कम हो
			(iv) उच्च उपज किस्मों के बीज मिनिकीटों की पूर्ण लागत
		गेहूं	(i) 5/रु. प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50%, प्रमाणित उच्च उपज किस्म बीज वितरण हेतु जो भी कम हो
			(ii) उच्च उपज किस्मों के बीज मिनिकीटों की पूर्ण लागत
		दलहन	(i) आधारी एवं प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए 1000/-रु. प्रति क्विंटल
			(ii) 1200/-रु. प्रति क्विंटल अथवा लागत का 50%, प्रमाणित बीज वितरण के लिए जो भी कम हो
			(iii) उच्च उपज किस्मों के बीज मिनिकीटों की पूर्ण लागत
6.	गुणवत्ताप्रद बीज के उत्पादन और वितरण के लिए अवसंरचना सुविधा का विकास और सुदृढ़ीकरण	क. बीज ग्राम कार्यक्रम सभी कृषि फसल	(i) किसानों द्वारा बचाए गए बीजों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए लागत का 50% की दर पर आधारी/प्रमाणिक बीजों के वितरण के लिए वित्तीय सहायता
			(ii) 50-150 किसानों के समूह हेतु 15000/-रु. की दर पर बीज उत्पादन और बीज उत्पादन और बीज प्रौद्योगिकी पर किसानों को प्रशिक्षण
			(iii) 20 क्विंटल क्षमता के बीज भंडारण बीन प्रापण के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति किसानों के लिए 3000/-रु. अधिकतम के अध्यधीन 33% की दर पर और अन्य किसानों हेतु 2000/-रु. अधिकतम के अध्यधीन 25% की दर पर सहायता और 10 क्विंटल क्षमता के बीज भंडारण बीन प्रापण हेतु अ.जा./अ.ज.जा. किसानों के लिए अधिकतम 1500/-रु. के अध्यधीन 33% की दर पर और अन्य किसानों के लिए 1000/-रु. अधिकतम के अध्यधीन 25% की दर पर सहायता
		ख. बीज ले जाने के लिए परिवहन पर राजसहायता	(i) सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड और प. बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर राज्यों हेतु उपलब्ध

1	2	3	4
			(ii) चिन्हित राज्य राजधानी/जिला मुख्यालय से बाहर बीजों को ले जाने के लिए राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों को सड़क और रेल परिवहन भार के 100% अंतर का भुगतान किया जा रहा है।
		आलू को छोड़कर सभी प्रमाणिक बीज	(iii) 60/-रु. प्रति क्विटंल की अधिकतम सीमा के तहत वास्तविक लागत, राज्य से राज्य राजधानी/जिला मुख्यालय से बिक्री आउटलेट/बिक्री काउन्टर तक बीजों को ले जाने के लिए जो भी कम हो, का भुगतान किया जाता है।
		ग. अवसंरचना सुविधाओं का सृजन और सुदृढ़ीकरण	बीज सफाई, ग्रेडिंग प्रोसेसिंग, पैकिंग और बीज भंडारण के लिए अवसंरचना सुविधाओं का सृजन/सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य और बीज निगमों को सहायता प्रदान की जाती है।
		घ. बीज गुणवत्ता नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण	राज्य सरकार/बीज प्रमाणीकरण एजेंसी/एसटीएल/बीज निगम को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनके गुणवत्ता नियंत्रण संगठन का सुदृढ़ीकरण किया जा सके।
		ङ. बीज बैंक की स्थापना और रख रखाव सभी कृषि फसलें	भारत सरकार बीज बैंक के तहत बीज के प्रापण के लिए चक्रीय निधि प्रदान करती है। 50% निधि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है और शेष कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रदान की जाती है। प्रमाणित और आधारी बीजों की रख-रखाव लागत विभिन्न कार्यकलापों जैसें परिवहन, प्रोसिंग और ग्रेडिंग, भंडारण क्षति और बीज बीमा के लिए प्रदान की जाती है। यदि बीज को गैर बीज घोषित किया जाता है तब भारत सरकार मूल्य में भिन्नता का अंतर प्रदान करती है।
		च. निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन को बढ़ाने के लिए सहायता	ऋण से जुड़ी पार्श्वांत राजसहायता के रूप में 25 लाख रु. अधिकतम पूंजी राजसहायता का 50% के साथ भंडारण और प्रोसंसिंग अवसंरचना की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
		छ. संकर चावल बीज उत्पादन	संकर चावल बीज उत्पादन सहायता 2000/-रु. प्रति क्विंटल संकर चावल बीज वितरण सहायता 2500/-रु. प्रति क्विंटल
		ज. जैव प्रौद्योयोगिकी हेतु सहायता	नई टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए लाभार्थी को एक करोड़ रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कवर की गई विशिष्ट फसलें: केला, गन्ना, बांस, आलू, बागवानी फसलें, औषधीय फसलें, आयलपाम और सजावटी पौध
7.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सभी फसल	बीज अवसंरचना सहित सभी कार्यकलाप

1	2	3	4
8.	राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)	बागवानी फसल	सब्जी: 5000/-रु. प्रति है. की दर पर बीज हेतु सहायता; इन्डेन्टिंग एजेंसी को प्रजनक बीज की लागत का 25% अनुमत है। फल: 4 है. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन न्यूनतम 50,000 की पौध के लिए 6.25 लाख रु. की दर पर नर्सरी हेतु सहायता बीज अवसंरचना: 200 लाख रु. प्रति परियोजना सार्वजनिक और निजी क्षेत्र हेतु सहायता का प्रतिमान अलग-अलग है।
9.	पूर्वोत्तर प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमएनई)	बागवानी फसलें	फल नर्सरी और बीज अवसंरचना हेतु एनएचएम के अनुरूप। हालांकि बीज उत्पादन हेतु कोई सहायता उपलब्ध नहीं है।
10.	मेगा बीज परियोजना		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वर्ष 2005-06 में 10वीं योजना में "कृषि फसल एवं मात्स्यिकी में बीज उत्पादन" नामक एक बीज परियोजना की शुरूआत की थी जिसमें कुल परिव्यय 198.89 करोड़ रु. था। इस परियोजना का उद्देश्य आईसीएआर संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ करना था ताकि गुणवत्ताप्रद बीजों का उत्पादन किया जा सके और किसानों हेतु गुणवत्ताप्रद बीज की उपलब्धता को बढ़ाया जा सके। यह देश के 86 केन्द्रों (38 एमएयू और 47 आईसीएआर संस्था और 1 गैस आईसीएआर संस्थान) में प्रचालित है। परियोजना 63.33 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ 11वीं योजना अवधि में जारी रही। बीज से संबंधित अन्य कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल है; 1. आईसीआर के तहत बीज पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना प्रजनक बीज उपलब्धता का समन्वय करती है जैसा कि कई फसलों में प्रमाणित बीज के उत्पादन हेतु आवश्यक है। इस परियोजना के तहत, 2. गुणवत्ताप्रद बीज के लाभों के बारे में किसानों में जागृति लाना और एसआरआर को बढ़ाने के प्रयास के रूप में आईसीएआर/एसएयू द्वारा विभिन्न फसलों में सहभागिता बीज उत्पादन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 3. पांच प्रमुख मुद्दों अर्थात् बीज उत्पादन और प्रमाणीकरण, बीज भौतिकी, परीक्षण और भंडारण, बीज पैथोलॉजी, बीज एटमालॉजी और बीज प्रसंस्करण से संबंधित समस्याओं पर एआईसीआर की-एनएसपी (फसल) के तहत देश भर में 23 बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्रों (आईसीएआर और एसएयू) में अनुसंधान किए जा रहे हैं।

1	2	3	4
			4. बीज संबंधित नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए आईसीएआर, एनएससी और एसएफसीआई, बीज से संबंधित डीओएसी के सभी प्रभागों के प्रतिनिधित्व के साथ कृषि मंत्रालय के एक परामर्शदाता समूह का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

सिमी की गतिविधियां

1319. **श्री हरिन पाठक:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान स्टूडेण्ट्स मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के कई छात्रों को देश के विभिन्न भागों में आतंकी घटनाओं में शामिल होने के कारण गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में सिमी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी घटनाओं में अपनी संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किए गए सिमी कार्यकर्ताओं का ब्यौरे संलग्न-विवरण में दिया गया है।

(ग) चूंकि सिमी सहित संगठनों की गतिविधियां देश में शांति एवं साम्प्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने से सरोकार रखती हैं, इसलिए उन पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निरन्तर निगरानी रखी जाती है और सरकार संविधान में अन्तर्निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को कायम रखने तथा शांति एवं साम्प्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए हर हाल में प्रतिबद्ध है। सिमी की गतिविधियों के मद्देनजर, जो देश की सुरक्षा के लिए हानिकार है तथा शांति एवं साम्प्रदायिक सौहार्द को भंग करने और समाज के धर्मनिरपेक्ष तानेबाने को अस्त-व्यस्त करने की क्षमता रखती हैं, सिमी को भारत सरकार द्वारा दिनांक 5.2.2010 को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) के तहत विधिविरुद्ध संघ के रूप में घोषित किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्यों के नाम	गिरफ्तार किए गए सिमी कार्यकर्ताओं की संख्या
1.	राजस्थान	14
2.	गुजरात	20
3.	दिल्ली	3
4.	मध्य प्रदेश	6
5.	केरल	1

आसूचना एजेंसियों के बीच समन्वय

1320. **श्री एस. अलागिरी:**
डॉ. संजय सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कुचलने के लिए विभिन्न आसूचना एजेंसियों के बीच उचित और समयोचित समन्वय की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) आसूचना ब्यूरो (आई बी) तथा अन्य केन्द्रीय एवं राज्य सुरक्षा तथा आसूचना एजेंसियों के बीच नियमित समन्वय को सुकर बनाने के लिए आसूचना ब्यूरो (आई बी) और राज्य स्तर पर प्रभावकारी समन्वय तंत्र विद्यमान है। दिनांक 31.12.2008 को एक शासकीय आदेश जारी किया गया है जिसके तहत बहु-एजेंसी केन्द्र (एमएसी) से राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों की एजेंसियों सहित अन्य सभी एजेंसियों से एमएसी के साथ आसूचना का आदान-प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। एमएसी की सदस्य एजेंसियों के प्रतिनिधि खतरे के आकलन के लिए नियमित बैठक करते हैं। आसूचना ब्यूरो की स्टाफ संख्या में भी वृद्धि की गई है। आसूचना ब्यूरो में मल्टी

एजेंसी सेन्टर को 27×7 आधार पर कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए इसका सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन किया गया है।

टीवी कार्यक्रमों का श्रेणीकरण

1321. श्री नरहरि महतो:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउण्डेशन ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विषय-वस्तु के विनियमन के संबंध में टेलीविजन कार्यक्रमों के श्रेणीकरण के लिए सरकार को ड्राफ्ट कोड कंटेंट प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विषय-वस्तु के विनियमन की तत्काल आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) के विस्तार पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो देश में सीएएस के विस्तार की वर्तमान स्थिति क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) गैर-समाचार एवं समसामयिक विषयक टीवी चैनलों के मामले में स्व-विनियमन तंत्र की स्थापना करने संबंधी अपने प्रयासों के भाग के रूप में भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ) ने, अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न विषयों पर आधारित कार्यक्रमों के वर्गीकरण तथा विषय-वस्तु से संबंधित शिकायतों पर विचार करने के लिए प्रसारण विषय-वस्तु शिकायत परिषद (बीसीसीसी) के गठन के संबंध में विषय-वस्तु संहिता व प्रमाणन नियम बनाने के लिए एक पत्र मंत्रालय को भेजा था। मंत्रालय ने आईबीएफ को बीसीसीसी को प्रचालित करने और केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत निर्धारित मौजूदा कार्यक्रम संहिता का अनुसरण करने की सलाह दी थी।

(ग) और (घ) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत प्रख्यापित नियमों में प्रदत्त मौजूदा विनियामक ढांचे में प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों द्वारा कार्यक्रमों व विज्ञापनों के प्रसारण को विनियमित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान अंतर्विष्ट हैं। फिलहाल, किसी पृथक विनियामक तंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ङ) और (च) देश में सशर्त पहुंच प्रणाली (कैस) के विस्तार हेतु मंत्रालय के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि सरकार ने देश में केबल टीवी सेवाओं में चरणबद्ध व समयबद्ध तरीके से संबोधनीयता के साथ डिजिटलीकरण प्रवर्तित करने का निर्णय लिया है जिसके फलस्वरूप 31 दिसंबर, 2014 तक ऐनलॉग केबल टीवी सेवाएं पूरी तरह से बंद हो जाएंगी।

साइबर अपराध प्रकोष्ठ

1322. श्री बदरूद्दीन अजमल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साइबर अपराध के मामलों से निपटने के लिए आसूचना एजेंसी में कोई विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, इसलिए साइबर अपराध सहित अपराधों को रोकने, उनका पता लगाने उन्हें दर्ज करने और उनकी जांच-पड़ताल करने तथा अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों की मशीनरी के माध्यम से अपराधियों पर अभियोजन चलाने की जिम्मेदारी बुनियादी रूप से राज्य सरकारों की है। विभिन्न राज्य सरकारों ने साइबर अपराध-प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो (सीबीआई) में एक विशेष यूनिट है जो संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार में आने वाले साइबर अपराध संबंधी मामलों से निपटती हैं। सीबीआई द्वारा स्थापित साइबर अपराध जांच प्रकोष्ठ, (सीसीआईसी) साइबर अपराधों की जांच करता है और साइबर अपराध एवं साइबर-धोखाधड़ी से निपटने वाले कानूनों के कार्यान्वयन में संबंधित पुलिस संगठनों की मदद करता है। केन्द्र सरकार, सीबीबाई अकादमी, गजियाबाद, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए), हैदराबाद, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), नई दिल्ली, एनईपीए, बारापानी, (एलएनजेएनएनआईसीएफएस), नई दिल्ली, सीडीटीएस, चंडीगढ़ और हैदराबाद तथा जीईक्यूडी, हैदराबाद जैसे विभिन्न प्रशिक्षण-संस्थानों में 'साइबर अपराध की जांच-पड़ताल' के संबंध में राज्य सरकारों

के कार्मिकों को नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान करके उनके प्रयासों में सहायता करती है।

कृषि में लागत संबंधी बाध्यता

1323. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि चूंकि कृषि की लागत में सबसे ज्यादा हिस्सा श्रम लागत का है इसलिए प्रौद्योगिकी और बीज जो मानव श्रम के प्रयोग को कम करते हैं, को तेजी से स्वीकार करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) खेती/उत्पादन लागत में सामग्री आदानों के लिए नकद व्यय के साथ-साथ सभी अदा की गयी लागतें तथा भूमि एवं पारिवारिक श्रम सहित स्वामित्व प्राप्त परिसंपत्तियों के आरोपित मूल्य शामिल हैं। कुल संचालात्मक लागत के एक हिस्से के रूप में श्रम लागत फसलों के अनुसार 30 से 70% के बीच होती है। प्रति यूनिट उत्पादन लागत को कम करने का तरीका समुचित उपायों को अपनाने के माध्यम से पैदावार में वृद्धि करनी है।

(ग) उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए नई बीज किस्मों को अपनाने, फार्म मशीनें, औजारों, छिड़काव सिंचाई सैटों उन्नत/नई प्रौद्योगिकी को शामिल करने आदि के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की गयी हैं यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), एकीकृत तिलहन, पाम आयल एवं मक्का योजना (आइसोपाम) कृषक क्षेत्रों पर नए विकसित कृषि/बागवानी उपकरणों का प्रदर्शन, गुणवत्ता बीजों के उत्पादन एवं वितरण के लिए मूलभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण आदि।

मंत्रालय का सृजन

1324. **श्री प्रबोध पांडा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न किसान संगठनों ने किसान कल्याण मंत्रालय के सृजन हेतु विभिन्न प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत कर दिए हैं जो कि अनन्य रूप से किसान कल्याण संबंधी मामलों की देखरेख करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी नहीं। हालांकि भारतीय किसान आंदोलन समन्वयन समिति ने सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कृषि संबंधी सभी निर्णय लेने के लिए कृषि हेतु नोडल मंत्रालय के सृजन की मांग रखी गई थी।

(ग) कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग तथा पशुपालन, डेयरिंग एवं मात्स्यिकी विभाग आते हैं जिनमें कृषि के विकास हेतु सहायता देने एवं देश में कृषि उत्पादन तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं पर ध्यान संकेन्द्रित करने में सामंजस्य है। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण भी विशेषकर वर्षासिंचित कृषि की क्षमता को बढ़ाने एवं सामंजस्य स्थापित करने के लिए सृजित किया गया है। इसके अलावा, संविधान की राज्य सूची में कृषि शामिल है एवं विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं।

[हिन्दी]

मेट्रो रेल निगम द्वारा बाल गृहों की स्थापना

1325. **श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेट्रो रेल निगम बालिकाओं के लिए बाल गृह के निर्माण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) से (ग) दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (डी.एम.आर.सी) ने सूचित किया है कि उनका इरादा इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के निकट, पचास अनाथ बालिकाओं के लिए बालगृह का निर्माण करने का है, जिसके लिए प्राथमिक कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं निविदा भेजी जा चुकी है।

[अनुवाद]

तेजाबी हमले के संबंध में विधेयक

1326. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से महिलाओं और बालिकाओं पर तेजाबी हमले के संबंध में कोई विधेयक प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) आंध्र प्रदेश सरकार से महिलाओं और बालिकाओं पर तेजाबी हमले के संबंध में इस प्रकार का कोई विधेयक गृह मंत्रालय को नहीं प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पाम तेल के उत्पादन का प्रभाव

1327. श्री वरूण गांधी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व वन्यजीव निधि (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) के अनुसार पाम तेल का उत्पादन सीधे निरवनीकरण, विलुप्तप्राय प्रजातियों के वासस्थल की हानि तथा 'ग्रीन हाउस' गैस उत्सर्जन से जुड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तेल के विकल्प की तलाश करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) विश्व के वनों पर प्रभाव डालने वाले मुख्य मामलों पर विश्व वन्यजीव निधि (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) की स्थिति के बारे में बताने वाली एक शृंखला 'आयलपाम पर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की स्थिति संबंधी पेपर अप्रैल, 2008' में इस बात बात पर चिंता जताई गई है कि आयलपाम की बढ़ती मांग आयलपाम रोपण के उच्च आरक्षित मूल्यों वाले क्षेत्रों में फैलाव को प्रोत्साहित कर सकती है, वनों को अंधाधुन्ध काटने के कारण पर्यावरणीय एवं सामाजिक दबाव बढ़ता है एवं मीठा पानी के पारिस्थितकीय तंत्र, वनों पर निर्भर लोगों की आजीविका, संकटापन्न प्रजातियों जैसे हांथी, गेंडा, चीता एवं ओराग-ऊटान के निवास स्थानों एवं वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रशमन की सफलता भी खतरे में पड़ती है।

यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा 2007 में प्रकाशित एक रिपोर्ट का भी संदर्भ देती है। जिसमें यह बताया गया है कि पामआयल का रोपण अब मलेशिया एवं इण्डोनेशिया में वर्षा वनों के विनाश का मुख्य कारण है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने पेपर में उद्योग विनियामकों, क्रेताओं एवं अन्य पणधारियों से आयलपाम उद्योग में पर्यावरण के हिसाब से उचित, सामाजिक रूप से लाभकारी एवं आर्थिक रूप से व्यवहार्य पद्धतियों के अपनाने को विकसित एवं प्रोत्साहित करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने की जरूरत बताई है।

(ख) और (ग) आयलपाम साधारणतया अधिक वर्षा, उच्च आर्द्रता एवं अधिक घंटों तक धूप वाली कृषि-जलवायु परिस्थितियों में उगाया जाता है। भारत में आयल पाम कृषि भूमि पर सिंचित परिस्थितियों में उगाया जाता है। चूंकि आयलपाम अधिकतम तेल देने वाली बारहमासी फसल है एवं खाद्य तेल का सबसे सस्ता स्रोत है। भारत में इसकी कृषि को खाद्य तेल की देशी उपलब्धता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण समझा जाता है विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत खाद्य तेल का निवल आयातक है।

'समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का योजना' (आइसोपाम) के तहत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, उड़ीसा, केरल, मिजोरम एवं महाराष्ट्र में आयलपाम विकास का एक घटक कार्यान्वित किया जा रहा है। चूंकि आइसोपाम के अंतर्गत आयलपाम विकास कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, यह सुनिश्चित है कि आयलपाम कृषि पद्धतियां पर्यावरण की दृष्टि से उचित, सामाजिक रूप से लाभकारी एवं आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं।

[हिन्दी]

ताजमहल का सौन्दर्यकरण

1328. प्रो. रामशंकर: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान ताजमहल के सौन्दर्यीकरण हेतु कोई परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अवधि के दौरान उक्त उद्देश्य हेतु आबंटित और उपयोग की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त परियोजना में शामिल एजेंसियों का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) स्मारकों का संरक्षण, परिरक्षण, रसायनिक उपचार, रखरखाव, साथ ही स्मारकों में और उसके चारों ओर बागवानी संबंधी गतिविधियां सतत् कार्य हैं जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किये जाते हैं। यद्यपि ताजमहल के सौन्दर्यकरण के लिए कोई विशेष परियोजना शुरू नहीं की गई है

तथापि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार ताजमहल पर पयर्टकों के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराते हुए संरक्षण, परिरक्षण, रखरखाव, परिवेश का विकास करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ताजमहल परिसर में स्मारकों के संरचनात्मक संरक्षण, रसायनिक परिरक्षण और पर्यावरणीय विकास पर हुए खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है:

(लाख रुपए में)

वर्ष	संरचनात्मक संरक्षण	परिरक्षण रसायनिक	पर्यावरण विकास
2008-09	232.54	21.32	18.77
2009-10	157.00	52.00	19.00
2010-11	93.22	28.12	20.37

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं का वायदा कारोबार

1329. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र राज्य सरकार से आवश्क वस्तुओं को वायदा कारोबार से बाहर रखने संबंधी कोई अनुरोध /प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु खाद्यान्न आवंटन

1330. **श्री रमेन डेका:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में खाद्यान्नों का राज्य-वार कितना आवंटन और उठान किया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों और किरासन तेल के कोटा को बढ़ाने अथवा अतिरिक्त आवंटन करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उनके जटिल स्थलाकृति तथा संचार अवसंरचना के अपर्याप्त साधनों के कारण कोई विशेष व्यवस्था की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) पिछले 2 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पूर्वोत्तर क्षेत्र को किए गए खाद्यान्नों के आबंटन और उठान का राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

(ख) से (ङ) जिस वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन पूर्वोत्तर राज्यों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक समान रूप से लागू मानदण्डों के आधार पर किया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की स्वीकृत संख्या के लिए पूर्ण आबंटन किया जा रहा है। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक की उपलब्धता और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए विगत के उठान पर निर्भर करते हुए किया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और मौसम को देखते हुए असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड और त्रिपुरा के सभी पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के अधीन भी 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर खाद्यान्नों का पूर्ण आबंटन किया जाता है।

असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों से खाद्यान्नों का अतिरिक्त आबंटन करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उनके अनुरोधों और केन्द्रीय पूल में उपलब्ध स्टाक को देखते हुए गरीबी रेखा से नीचे/गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों हेतु संलग्न विवरण II के अनुसार अतिरिक्त आबंटन किए गए हैं।

मिट्टी का तेल

सरकार को अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की राज्य सरकारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल को बढ़ाने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। असम सरकार ने बाढ़ के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल का अतिरिक्त आबंटन करने के लिए अनुरोध किया है। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की राज्य सरकारों के अनुरोध स्वीकार नहीं किए जा सके हैं क्योंकि सरकार ने इसके लिए वर्ष 2011 और 2011-12 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल के वार्षिक आबंटन को युक्तिसंगत बनाने में पूर्वोत्तर राज्यों में मौजूद कठिन स्थल और संभार तंत्र को

ध्यान में रखा था। इसके अलावा इन राज्यों में एलपीजे के विस्तार के अनुपात में मिट्टी के तेल के कोटे को कम नहीं किया गया था, जैसा कि अन्य के मामले में किया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त मिट्टी के तेल के लिए असम राज्य सरकार का अनुरोध बाढ़ की प्रत्याशा में और आपदा (बाढ़) समाप्त होने के काफी बाद प्राप्त हुआ था। मौजूदा नीति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा अतिरिक्त आबंटन प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देने के रूप में प्राकृतिक आपदा के समय किया जाता है।

विवरण I

वर्ष 2009-10 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यानों (चावल और गेहूं) का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान			
		गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़	गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़
1.	अरूणाचल प्रदेश	25.524	15.972	60.060	101.556	24.646	15.515	59.377	99.538
2.	असम	475.224	295.692	715.050	1485.966	472.792	294.94	632.501	1400.233
3.	मणिपुर	43.008	26.724	47.414	117.146	48.228	28.787	45.089	122.104
4.	मेघालय	47.376	29.484	70.416	147.276	46.972	29.263	69.08	145.315
5.	मिजोरम	17.640	10.920	54.348	82.908	16.14	9.62	49.915	75.675
6.	नागालैंड	32.112	19.968	77.466	129.546	34.807	22.638	77.087	134.532
7.	त्रिपुरा	76.380	47.520	178.104	302.004	73.998	48.243	156.935	279.176

वर्ष 2010-11 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यानों (चावल और गेहूं) का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान			
		गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़	गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़
1	अरूणाचल प्रदेश	25.524	15.972	60.060	101.556	22.021	13.258	49.744	85.023
2	असम	475.224	295.692	902.210	1.673.126	467.054	292.276	832.311	1.591.641
3	मणिपुर	43.008	26.724	72.112	141.844	25.881	17.699	27.629	71.209
4	मेघालय	47.376	29.484	106.068	182.928	45.893	29.024	81.688	156.605
5	मिजोरम	17.640	10.920	41.580	70.140	16.439	9.938	38.125	64.502
6	नागालैंड	32.112	19.968	74.796	126.876	34.868	20.826	82.432	138.126
7.	त्रिपुरा	76.380	47.520	178.722	302.622	72.264	45.016	131.740	249.020

वर्ष 2011-12 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यानों (चावल और गेहूं) का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान			
		गरेनी	अंअयो	गरेऊ+	जोड़	गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़
1.	अरूणाचल प्रदेश	25.524	15.972	60.060	101.556	12.681	7.299	31.223	51.203
2.	असम	475.224	295.692	1035.840	1806.756	231.960	144.846	412.174	788.980
3.	मणिपुर	43.008	26.724	90.714	160.446	31.230	19.543	26.868	77.641
4.	मेघालय	47.376	29.484	104.836	181.696	24.223	14.909	50.476	89.608
5.	मिजोरम	17.640	10.920	41.580	70.140	8.320	5.111	18.826	32.257
6.	नागालैंड	32.112	19.968	74.796	126.867	17.695	10.826	41.578	70.010
7.	त्रिपुरा	76.380	47.520	184.134	308.034	41.391	25.043	67.927	134.361

+ जून, 2011 में किया गया तदर्थ आवंटन शामिल हैं।
*सितम्बर, 2011 तक

विवरण II

पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यानों (चावल और गेहूं) का किया गया विशेष तदर्थ अतिरिक्त आवंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गरेनी/अंअयो/गरेऊ के परिवारों के लिए जनवरी, 2010 में किया गया तदर्थ अतिरिक्त आवंटन
1.	अरूणाचल प्रदेश	4840
2.	असम	89860
3.	मणिपुर	8140
4.	मेघालय	8980
5.	मिजोरम	3340
6.	नागालैंड	6040
7.	त्रिपुरा	14440

2010-11

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मई, 2010 में गरेनी/अंअयो/गरेऊ के लिए किया गया तदर्थ अतिरिक्त आवंटन	सितम्बर, 2010 और जनवरी 2011 में गरीबी रेखा से नीचे के लिए किया गया तदर्थ अतिरिक्त आवंटन	जननरी, 2011 में गरीबी रेखा से ऊपर के लिए किया गया तदर्थ अतिरिक्त आवंटन
1	2	3	4	5
1.	अरूणाचल प्रदेश	4114	12592	3104

1	2	3	4	5
2.	असम	196381	290794	192673
3.	मणिपुर	6919	17730	5231
4.	मेघालय	7633	19034	5773
5.	मिजोरम	5678	10214	18149
6.	नागालैंड	10268	14510	13864
7.	त्रिपुरा	12274	22622	9269

2011.12

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मई, 2011 में गरीबी रेखा से नीचे के लिए किया गया तदर्थ अतिरिक्त आवंटन
1.	अरूणाचल प्रदेश	7592
2.	असम	140794
3.	मणिपुर	12730
4.	मेघालय	14033
5.	मिजोरम	5214
6.	नागालैंड	9510
7.	त्रिपुरा	22622

नोट: कुल आवंटन में से कुछ राज्यों को किया गया पुन: आवंटन शामिल हैं।

उपभोक्ता संरक्षण परिषद

1331. श्री मंगनी लाल मंडल:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उपभोक्ता संरक्षण परिषद (सीपीसी) के कृत कार्य क्या हैं;

(ख) क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 8क के अंतर्गत तथा अधिदिष्ट कई राज्यों ने सीपीसी की स्थापना नहीं की है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने ऐसे राज्यों को सीपीसी की स्थापना करने संबंधी कोई निदेश जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सीपीसी द्वारा दायर मामले तथा निपटाए गए मामले का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार, उपभोक्ता परिषदों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण करना है जैसे कि :

(i) जीवन और सम्पत्ति के लिए परिसंकटमय माल एवं सेवाओं के विपणन के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार;

(ii) माल या सेवाएं, जैसी भी स्थिति हो, कि क्वालिटी, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार जिससे कि अनुचित व्यापारिक व्यवहार से उपभोक्ता को संरक्षण दिया जा सके;

(iii) जहां भी संभव हो वहां प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर विभिन्न किस्मों का माल एवं सेवाएं सुलभ कराने का आश्वासन दिए जाने का अधिकार;

(iv) सुने जाने का और यह आश्वासन किए जाने का अधिकार कि उपभोक्ताओं के हितों पर समुचित पीठों में सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा;

(v) अनुचित व्यापारिक व्यवहार (या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार) या उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण के विरुद्ध प्रतितोष प्राप्त करने का अधिकार; और

(vi) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।

(ख) जी हां, कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उपभोक्ता संरक्षण, अधिनियम, 1986 की धारा 8 क के तहत यथा अधिदेशित जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन नहीं किया है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदों/जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना के लिए समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश जारी करती रही है। अंतिम पत्र सचिव (उ.मा.) द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2011 को भेजा गया।

(ङ) उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों का संवर्धन और संरक्षण करना है। ये परिषदें प्रतिष्ठान को समय-समय पर नियम बनाने और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करने में मार्गदर्शन और परामर्श देती हैं। इन परिषदों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत मामलों के निपटान का अधिदेश प्राप्त नहीं है।

विशिष्ट पहचान कार्डों को जारी करना

1332. श्री पी.सी. गददीगौदर:
श्री के.पी. धनपालन:
श्री हरिन पाठक:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान कार्ड/आधार (विशिष्ट पहचान कार्ड) जारी करने हेतु कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में राज्य सरकारों तथा आम जनता की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी प्रकार के सरकारी लाइसेंसों, पासपोर्टों, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पैन कार्ड, सीजीएचएस कार्ड, सरकारी पहचान पत्रों इत्यादि को जारी करने हेतु यूआईडी कार्ड अनिवार्य करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में सभी नागरिकों को यह कार्ड कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है तथा विहित समय-सीमा में कार्ड को जारी करने हेतु कितने केन्द्र कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) कार्डों को सफलतापूर्वक और त्रुटिरहित जारी किए जाने तथा उनके दुरुपयोग को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) सरकार ने देश में सभी सामान्य निवासियों की विशिष्ट विशेषताओं संबंधी जानकारी एकत्र करके राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने का निर्णय लिया है। एनपीआर में ऐसे सभी सामान्य निवासियों जो कि 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, के संबंध में फोटोग्राफ, 10 अंगुलियों की छाप और 2 आइरिस भी होंगे।

यूआईडीएआई जोकि योजना आयोग के अंतर्गत एक सम्बद्ध कार्यालय है, को भारत के सभी निवासियों को विशिष्ट पहचान संख्यांक (आधार) जारी करने का अधिदेश प्राप्त है न कि कार्ड जारी करने का। यूआईडीएआई आधार संख्यांक तैयार कर रही है और पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी निवासियों को दे रही है। आधार संख्यांक के लिए निवासियों का नामांकन स्वैच्छिक है।

(घ) एनपीआर के अंतर्गत आरआईसी को जारी किए जाने संबंधी वित्तीय प्रस्ताव व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के विचाराधीन है।

(ङ) इस स्कीम को अभी तक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।

चक्रवात संभावित क्षेत्रों में धान की खेती

1333. डॉ. क्रुपारानी किल्ली: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई है कि चावल अनुसंधान निदेशालय द्वारा हाल ही में आयोजित नवोन्मेषी चावल किसान (इन्नोवेटिव राइस फार्मर्स) सम्मेलन में आंध्र प्रदेश के कुछ किसानों द्वारा ड्रिप सिंचाई के माध्यम से चक्रवात संभावित क्षेत्रों में सफलतापूर्वक धान की खेती की बात हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के अन्य चक्रवात संभावित क्षेत्रों में भी उक्त प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) चावल अनुसंधान विकास निदेशालय (डीआरडी) द्वारा आयोजित हाल ही हुए अभिनव चावल कृषक सम्मेलन में आंध्र प्रदेश के कम वर्षा वाले कुडप्पा जिले के अभिनव किसानों में से एक ने चावल तीव्रीकरण पद्धति (एसआरआई) के समेकन में चावल में ड्रिप सिंचाई के उपयोग को पेश किया।

(ग) और (घ) ड्रिप सिंचाई एक जल संरक्षण प्रौद्योगिकी है जिसमें सिंचाई के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय

सूक्ष्म सिंचाई मिशन के जरिए ड्रिप सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह तरीका कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है।

[हिन्दी]

आंतरिक सुरक्षा

1334. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री के.डी. देशमुख:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव देश में बढ़ते आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में सुरक्षा विशेषज्ञों की कोई टीम गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा पुलिस और आसूचना एकत्रीकरण तंत्र में सुधार हेतु अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) जी, हां। गृह मंत्रालय द्वारा आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आंतरिक सुरक्षा के ढांचे, तकनीकी सुविधाओं, कार्रवाइयों तथा निरोधक उपायों को बदलते खतरे के स्तरों एवं चुनौतियों से निपटने के लिए नियमित रूप से अद्यतन बनाया जा रहा है।

(ग) और (घ) विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर, सरकार तकनीकी सलाह एवं आकलन करने, प्रक्रिया, कार्यप्रणाली एवं पद्धतियों की समीक्षा करने, विधिक प्रणाली का उन्नयन करने इत्यादि जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए समय-समय पर विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग करती है।

(ङ) सतत प्रक्रिया के एक भाग के रूप में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की अन्य सभी आसूचना तथा सुरक्षा एजेंसियों के साथ वास्तविक समय पर मिलान और आसूचना के आदान-प्रदान के लिए आसूचना ब्यूरो को 24×7 आधार पर कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए बहु-एजेंसी केन्द्र (एम.ए.सी.) का सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन करना; आतंकवाद से संबंधित आंकड़ों/सूचना के त्वरित आदान-प्रदान के लिए सभी राज्यों में 24×7 आधार पर कार्य करने वाले नियंत्रण कक्ष स्थापित करना; एम.ए.सी. और इसके राज्य स्तरीय नोड (सहायक बहु-एजेंसी केन्द्र) से सभी राज्य विशेष शाखाओं (एस.एस.बी.) को जोड़ने वाले नेटवर्क की स्थापना करना; एस.एस.बी. के सुदृढ़ीकरण के लिए कदम उठाना इत्यादि शामिल हैं। इन एजेंसियों की मानवशक्ति की संख्या की समीक्षा की जाती है और इसमें वृद्धि भी की जाती है।

कृषि विकास हेतु योजनाएं

1335. श्री अनंतकुमार हेगड़े:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* **ललन सिंह:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि विकास हेतु आरंभ की गई केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्य और निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति से संतुष्ट हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कुछ योजनाओं का नवीनीकरण कर इसे 12वीं योजना अवधि में शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ङ) 11वीं योजना अवधि के दौरान शुरू की गई मुख्य केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें निम्नलिखित हैं:

(i) ग्यारहवीं योजना के अंत तक चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन क्रमश: 10, 8 और 2 मिलियन टन बढ़ाने के लिए 11वीं योजना के दौरान 4883 करोड़ रु. के परिव्यय से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन।

(ii) मृदा जांच आधार पर जैविक खाद्य के संयोजक से उर्वरक के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 11वीं योजना अवधि के दौरान 429.85 करोड़ रुपए के परिव्यय से राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना (एन.पी.एम.एस.एच.एफ.)।

(iii) "पणधारियों को प्रासंगिक सूचना और सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से कृषि उत्पादन और आय को वैश्विक स्तरों तक बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण सृजन" के लिए वर्ष 2010 में कृषि राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान।

कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा अन्य चल रही स्कीमों के साथ-साथ नई स्कीमों का कार्यान्वयन किए जाने के परिणामस्वरूप, खाद्यान्नों, गेहूं, दालों और चावल का उत्पादन दसवीं योजना के अन्त की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

10वीं योजना के अंत (2005-06) में 208.60 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन था जो वर्ष 2010-11 में 241.56 एम.टी. होकर अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया।

गेहूं उत्पादन 69.53 एम.टी. से बढ़कर 85.93 एम.टी. हो गया जो 16.58 एम.टी. की वृद्धि दर्शाता है।

इसी अवधि में दालों का उत्पादन 13.3 एम.टी. से बढ़कर 18. 09 एम.टी. हो गया जो 4.07 एम.टी. की वृद्धि दर्शाता है।

चावल उत्पादन वर्ष 2005-06 के दौरान 91.79 एम.टी. था जो 2008-09 में बढ़कर 99.18 एम.टी. हो गया जो 7.39 एम. टी. की वृद्धि दर्शाता है।

इस स्कीमों के घटक 12वीं योजना के दौरान भी जारी रहेंगे।

[अनुवाद]

युद्धविराम का उल्लंघन

1336. श्री आनंदराव अडसुल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान सीमा पर युद्धविराम में उल्लंघन की घटनाएँ सामने आई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सामने आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त सीमा पर गोलीबारी के कारण कितने नागरिक तथा सुरक्षा बल के कार्मिक मारे गए/घायल हुए तथा उनके आश्रितों को कितना मुआवजा दिया गया;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ इस मुद्दे को उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमा रक्षक बल है। तथापि, जम्मू और कश्मीर में सैन्य कार्रवाई नियंत्रण के तहत नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सीमा सुरक्षा बल की तैनाती की जाती है।

विगत तीन वर्षों के संबंध में, जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा क्षेत्र में हुए युद्धविराम उल्लंघनों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	कुल युद्धविराम उल्लंघन
2009	28
2010	44
2011(आजतक)	45

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में पाकिस्तान से लगी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई गोलाबारी की घटनाओं और उनमें घायल हुए और मारे गए सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	गोलीबारी की घटनाओं की संख्या	घायल	मारे गए
2008	09	19	1
2009	07	17	2
2010	26	13	3
2011 (अक्टूबर, 2011 तक)	10	3	3

कथित तौर पर, सीमा-नियंत्रण रेखा पर हुई गोलाबारी में 2 नागरिकों की मृत्यु हुई।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मारे गए एवं घायल हुए बीएसएफ कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को भुगतान किए गए मुआवजे के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	भुगतान किया गया मुआवजा (रुपये में)
2008	28,86,610/-
2009	64,05,643/-
2010	85,17,693/-
2011 (अक्टूबर, 2011 तक)	29,97,495/-

(घ) और (ङ) युद्ध विराम उल्लंघनों की सभी घटनाओं की जांच की जाती है और सुस्थापित हाटलाइन तंत्र, फ्लैग मीटिंगों और दोनों देशों के सैन्य कार्रवाहियों के महानिदेशक डीजीएमओ के बीच बैठकों के माध्यम से यथोचित स्तर पर पाकिस्तान सैन्य प्राधिकारियों

के पास विरोध दर्ज कराया जाता है। युद्ध विराम उल्लंघनों के मुद्दे को दिनांक 23-24 जून, 2011 को इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई विदेश सचिव स्तरीय वार्ता के दौरान पाकिस्तान के साथ उठाया गया था।

माओवादियों द्वारा हमला

1337. **श्री संजय दिना पाटील:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के दिनों में माओवादियों द्वारा रेलवे संपत्ति पर हमले/तोड़फोड़ के मामले बढ़े हैं;

(ख) क्या हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे हमलों से रेलवे की सुरक्षा के लिए व्यापक नीति बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) और (ख) चालू वर्ष में (15 नवम्बर तक) विभिन्न नक्सल प्रभावित राज्यों में माओवादियों द्वारा रेलवे पर हमले की वर्ष 2010 की समवर्ती अवधि में ऐसे 47 हमलों की तुलना में 23 घटनाएं हुईं।

(ग) और (घ) भारत के संविधान की राज्य सूची II की मद सं. 2 के अनुसार 'रेलवे में पुलिस व्यवस्था' राज्य का विषय है। पटरियों, पुलों, सुरंगों तथा चलने वाली ट्रेनों सहित रेलवे के परिसरों में अपराध की रोकथाम करना, मामलों का पंजीकरण करना, उनकी जांच-पड़ताल करना तथा कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना राज्य पुलिस बलों का सांविधिक उत्तरदायित्व है जिसे वे संबंधित राज्य की राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के माध्यम से निर्वहन करते हैं। तथापि, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में प्रभावी सहायता प्रदान करने हेतु रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को तैनात किया जाता है। भारत सरकार स्थिति की गहन निगरानी कर रही है और समय-समय पर इस विषय पर राज्य सरकारों को सलाह जारी करती है।

[हिन्दी]

एफ.सी.आई. द्वारा खरीद

1338. **श्रीमती भावना पाटील गवली:**
श्री अर्जुन राम मेघवाल:
श्री सी. राजेन्द्रन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के खरीद केन्द्रों से खाद्यान्नों की खरीद को तेज करने हेतु कोई कार्य योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एफ.सी.आई. द्वारा सेवा प्रदान किए जाने का कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या इस योजना के अंतर्गत कई राज्यों में खरीद केन्द्रों की स्थापना की गयी है; और

(च) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) प्रत्येक विपणन मौसम की शुरूआत से पहले खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग राज्यों के खाद्य सचिवों, भारतीय खाद्य निगम और अन्य हितधारकों की बैठक आयोजित करता है ताकि आगामी विपणन मौसम में खरीद की व्यवस्था करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा सके। इस बैठक में खोले जाने वाले क्रय केंद्रों की संख्या और पैकिंग सामग्री की खरीदारी और भंडारण स्थान जैसी व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की जाती है। बैठक सभी राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) पिछले तीन वर्षों में धान और गेहूं की खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों द्वारा खोले गए खरीद केंद्रों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

विवरण I

धान की खरीद के लिए पिछले तीन वर्षों में प्रचालित खरीद केन्द्रों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	खरीफ विपणन मौसम 2008-09	खरीफ विपणन मौसम 2009-10	खरीफ विपणन मौसम मौसम 2010-11
1.	आंध्र प्रदेश	489	518	534
2.	असम	12	11	21
3.	बिहार	3791	2914	549
4.	छत्तीसगढ़	1577	1577	1589
5.	दिल्ली	2	2	4
6.	गुजरात	9	0	10
7.	हरियाणा	179	181	183
8.	हिमाचल प्रदेश	5	5	5
9.	झारखंड	40	29	10
10.	जम्मू और कश्मीर	15	15	15
11.	कर्नाटक	29	32	40
12.	केरल	210	450	470
13.	महाराष्ट्र	884	872	857
14.	मध्य प्रदेश	465	475	473
15.	ओडिशा	2274	1130	503
16.	पुडुचेरी	12	12	0
17.	पंजाब	1546	1588	1721
18.	राजस्थान	12	0	0
19.	तमिलनाडु	1300	1281	317
20.	उत्तर प्रदेश	2173	3841	2235
21.	उत्तराखंड	39	59	52
22.	पश्चिम बंगाल	213	1500	1921
	सकल जोड़	15276	16492	11509

विवरण II

गेहूं की खरीद के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों द्वारा प्रचालित खरीद केन्द्रों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	2008-09	2009-10	2010-11
पंजाब	1600	1610	1702
हरियाणा	364	365	367
उत्तर प्रदेश	4843	4409	4498
राजस्थान	290	297	304
मध्य प्रदेश	1617	1248	1228
दिल्ली	2	4	4
बिहार	4498	2852	567
हिमाचल प्रदेश	7	7	7
गुजरात	215	153	188
झारखंड	13	18	8
छत्तीसगढ़	1333	1333	1333
जम्मू और कश्मीर	15	15	15
महाराष्ट्र	85	85	58
उत्तराखंड	242	200	200
पश्चिम बंगाल	0	0	0
जोड़	15124	12596	10479

[अनुवाद]

बीएसएफ कर्मियों की हत्या

1339. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रांची के निकट सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) के कुछ कर्मी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) उक्त दुर्घटना में मारे गए बी.एस.एफ. कर्मियों के परिवारों को भुगतान किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) हाल ही में रांची में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी। तथापि, इसमें कोई भी बी.एस.एफ. कार्मिक नहीं मारा गया था।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) नागरिक उड्डयन महानिदेशालय वायुयान नियमावली 1937, भाग-X के तहत मामले की जांच कर रहा है, जो प्रगति पर है।

(ङ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर लागू नहीं होता।

राष्ट्रीय खेल

1340. श्री के. पी. धनपालन: क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अगले राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु किस स्थान का चयन किया गया है;

(ख) उक्त राष्ट्रीय खेल के आयोजन/करवाए जाने की तैयारी की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार तैयारी के स्तर से संतुष्ट है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्वीकृत/जारी धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु सरकार द्वारा कौन सी अन्य खेल सुविधाएं प्रदान की जा रही है?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) केरल अगले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर रही राज्य सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ की है। केरल सरकार ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की सफलता के लिए, 31 स्थलों की पहचान की गई है जो केरल में पूरे 35 जिलों में फैला हुआ है। आरम्भ की जा रही परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:-

स्टेडियम का नवीकरण/स्तरोन्नयन-16

नये निर्माण-7

अस्थाई ओवरलेज-7

ग्रीनफील्ड स्टेडियम-1

चल रही परियोजनाएं के 4 चरणों में पूरा होने की उम्मीद है:-

चरण-1 31.12.2011 तक प्रचालन में आना तक किया गया है।

चरण-2 31.12.2012 तक प्रचालन में आना तक किया गया है।

चरण-3 30.09.2012 तक प्रचालन में आना तक किया गया है।

चरण-4 30.09.2012 के बाद पूरा होने की उम्मीद है।

नवीकरण/स्तरोन्नयन तथा नये निर्माण परियोजनाओं की उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त कर ली गई है। राज्य सरकार तथा राष्ट्रीय खेल सचिवालय राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए अस्थाई रूप से गठित किया गया था तथा कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी गहनता से की जा रही है।

(ङ) भारत सरकार ने 110 करोड़ रु. की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी है, जो मई 2010 में केंद्रीय टीम द्वारा केरल दौरे में अनुमानित संबंधित राष्ट्रीय खेलों के परियोजनाओं की कुल लागत का 50% है। 110 करोड़ रु. की कुल अनुमोदित अतिरिक्त केंद्रीय सहायता में से, 55 करोड़ रु. की प्रथम किस्त केरल सरकार को जारी कर दी गई है। केरल सरकार, केंद्रीय सरकार से निम्नानुसार सहायता प्राप्त कर चुकी है:-

1. जिम्मी जार्ज इंडोर स्टेडियम तिरूवंतपुरम-1.00 करोड़ रु.

2. के.डब्ल्यू.ए. तरणताल तिरूवनंतपुरम-1.50 करोड़ रु.

3. राष्ट्रीय खेलों का आयोजन-3.00 करोड़ रु.

4. अत्तिगंल में जिला खेल परिषद परिसर का समापन-2.28 करोड़ रु.

अत: केरल सरकार, भारत सरकार से लगभग 62.78 करोड़ रु. निधियां प्राप्त कर चुकी है।

कृषि पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव

1341. श्री एंटो एंटोनी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि उत्पादों पर प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इससे हुई क्षति का फसल-वार और राज्य वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपराचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) प्राकृतिक आपदाओं सहित प्रकृति की अनियमितताएं कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है और यह हाल के वर्षों में कृषि उत्पादन में उतार-चढ़ाव से प्रतिबिम्बित हुआ है। उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक के दौरान वृद्धि और कमी (-) सहित मुख्य फसलों (चावल, गेहूं, मोटे अनाज, तिलहन, गन्ना, कपास) के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

राज्य सरकारों के पास प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत सहायता देने के लिए राज्य विपदा अनुक्रिया कोष (एस.डी.आर.एफ) में पहले से ही निधियों की सुलभ उपलब्धता है। प्रणित राज्य/राज्यों द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत करने की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय विपदा अनुक्रिया कोष (एन.डी.आर.एफ.) से अतिरिक्त सहायता पर विचार किया गया है। इन कोषों से राहत सहायता देने के लिए निर्धारित मदें और प्रतिमान हैं।

विवरण

वर्ष 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन में राज्यवार वृद्धि (+) कमी (-)

चावल

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्पादन ('000 टन)				पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन में वृद्धि (+)/कमी(-)		
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*	200809	2009-10	2010-11*
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	13324.0	14241.0	10538.0	14385.0	917.0	−3703.0	3847.0
अरूणाचल प्रदेश	158.1	163.9	215.8	#	5.8	51.9	#
असम	3319.0	4008.5	4335.8	4752.0	689.5	327.3	416.2
बिहार	4418.1	5590.3	3599.3	3320.2	1172.2	−1991.1	−279.1
छत्तीसगढ़	5426.6	4391.8	4110.4	6159.0	−1034.8	−281.4	2048.6
गोवा	121.6	123.3	100.6	#	1.7	−22.7	#
गुजरात	1474.0	1303.0	1292.0	1523.0	−171.0	−11.0	231.0
हरियाणा	3613.0	3298.0	3625.0	3472.0	−315.0	327.0	−153.0
हिमाचल प्रदेश	121.5	118.3	105.9	131.2	−3.2	−12.4	25.3
जम्मू और कश्मीर	561.3	563.1	497.4	507.7	1.8	−65.7	10.3
झारखंड	3336.4	3420.2	1538.4	1136.9	83.8	−1881.8	−401.4
कर्नाटक	3717.0	3802.0	3691.0	4047.0	85.0	−111.0	356.0
केरल	528.5	590.3	598.3	542.9	61.8	8.0	−55.4
मध्य प्रदेश	1461.9	1559.7	1260.6	1772.1	97.8	−299.1	511.5
महाराष्ट्र	2996.0	2284.0	2183.0	2669.0	−712.0	−101.0	486.0
मणिपुर	406.2	397.0	319.9	#	−9.2	−77.1	#
मेघालय	200.0	203.9	206.7	#	3.9	2.8	#
मिजोरम	15.7	46.0	44.4	#	30.3	−1.6	#
नागालैंड	290.6	345.1	240.3	#	54.5	−104.8	#
ओडिशा	7540.7	6812.7	6917.5	6858.2	−728.0	104.8	−59.3
पंजाब	10489.0	11000.0	11236.0	10837.0	511.0	236.0	−399.0
राजस्थान	259.6	241.1	228.3	265.6	−18.5	−12.8	37.3

1	2	3	4	5	6	7	8
सिक्किम	22.9	21.7	24.3	#	−1.2	2.6	#
तमिलनाडु	5040.2	5182.7	5665.2	6139.4	142.5	482.5	474.2
त्रिपुरा	624.6	627.1	640.0	#	2.5	12.9	#
उत्तर प्रदेश	11780.0	13097.0	1080.1	12014.1	1317.0	−2289.9	1207.0
उत्तराखंड	593.0	582.0	608.0	545.0	−11.0	26.0	.63.0
पश्चिम बंगाल	14719.5	15037.2	14340.7	12332.7	317.7	−696.5	.2008.0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	21.9	22.1	24.9	#	0.2	2.8	#
दादरा और नगर हवेली	23.7	23.4	13.5	#	−0.3	−9.9	#
दिल्ली	31.4	31.4	29.0	#	0.0	−2.4	#
दमन और दीव	3.5	3.8	3.3	#	0.3	−0.5	#
पुदुचेरी	53.4	50.8	52.4	#	.2.6	1.6	#
अन्य	एनए	एनए	एनए	1915.2	एनए	एनए	एनए
अखिल भारत	96692.9	99182.4	89093.0	95325.1	2489.5	-10089.4	6232.1

*19.7.2011 को निर्मुक्त चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार # आंकड़ों को अन्य में शामिल किया गया एनए: लागू नहीं

वर्ष 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन में राज्यवार वृद्धि (+) कमी (-)

गेहूं

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्पादन ('000 टन)				पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन में वृद्धि (+)/कमी(-)		
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*	200809	2009-10	2010-11*
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	8.0	16.0	10.0	10.0	8.0	.6.0	0.0
अरूणाचल प्रदेश	5.3	5.2	4.8	#	.0.1	.0.4	#
असम	71.0	54.6	63.5	64.0	−16.4	8.9	0.5
बिहार	4450.4	4410.0	4570.8	4670.0	−40.4	160.8	99.2
छत्तीसगढ़	98.8	92.5	121.9	126.8	−6.3	29.4	4.9
गुजरात	3838.0	2593.0	2352.0	3854.1	−1245.0	−241.0	1502.1
हरियाणा	10236.0	10808.2	10500.0	11040.9	572.2	−308.2	540.9
हिमाचल प्रदेश	504.4	547.3	327.1	670.0	42.9	−220.2	342.9
जम्मू और कश्मीर	495रू9	483.6	289.9	289.9	−12.3	−193.7	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8
झारखंड	139.9	153.9	173.2	151.4	14.0	19.3	−21.8
कर्नाटक	261.0	247.0	251.0	245.0	−14.0	4.0	−6.0
मध्य प्रदेश	6032.5	6521.9	8410.0	7627.1	489.4	18881	−82.9
महाराष्ट्र	2078.7	1516.0	1740.0	2292.0	−562.7	224.0	552.0
मेघालय	1.1	0.7	0.7	#	−0.4	0.0	#
नागालैंड	1.6	2.1	2.4	#	0.5	0.3	#
ओडिशा	8.7	7.4	5.8	4.7	−1.3	−1.6	−11
पंजाब	15720.0	15733.0	15169.0	15828.6	13.0	−564.0	659.6
राजस्थान	7124.9	7287.0	7500.9	7214.5	162.1	213.9	−286.4
सिक्किम	4.5	7.8	5.9	#	3.3	−1.9	#
त्रिपुरा	1.9	1.2	1.3	#	−0.7	0.1	#
उत्तर प्रदेश	25679.0	28554.0	27518.0	30001.0	2875.0	−1036.0	2483.0
उत्तराखंड	814.0	797.0	845.0	887.0	−17.0	48.0	42.0
पश्चिम बंगाल	917.3	764.5	846.7	842.0	−152.8	82.2	−4.7
दादरा और नगर हवेली	1.1	1.1	1.0	#	0.0	−0.1	#
दिल्ली	76.2	74.4	92.7	#	.1.8	18.3	#
अन्य	एनए	एनए	एनए	108.8	एनए	एनए	एनए
अखिलभारत	78570.2	80679.4	80803.6	85927.8	2109.2	124.2	5124.3

*19.7.2011 को निर्मुक्त चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार # आंकड़ों को अन्य में शामिल किया गया एनए: लागू नहीं

वर्ष 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन में राज्यवार वृद्धि (+) कमी (-)

मोटे अनाज

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्पादन ('000 टन)				पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन में वृद्धि (+)/कमी(-)		
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*	200809	2009-10	2010-11*
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	4274.0	4716.0	3318.0	4348.8	442.0	−1398.0	1030.8
अरूणाचल प्रदेश	76.8	77.7	78.6	#	0.9	0.9	#
असम	17.0	15.4	17.2	17.0	−1.6	1.8	.0.2

1	2	3	4	5	6	7	8
बिहार	1498.5	1751.3	1508.1	1338.2	252.8	−243.2	−169.9
छत्तीसगढ़	229.7	184.4	181.8	205.4	−45.3	.2.6	23.6
गोवा	0.7	0.8	0.8	#	0.1	0.0	#
गुजरात	2151.0	1976.0	1600.0	1755.2	−175.0	−376.0	155.2
हरियाणा	1357.0	1329.4	1132.0	1369.0	−27.6	−197.4	237.0
हिमाचल प्रदेश	896.2	712.1	563.5	713.5	−184.1	−148.6	150.0
जम्मू और कश्मीर	499.5	660.4	513.3	550.7	160.9	−147.1	37.3
झारखंड	386.4	333.9	216.9	268.2	−52.5	−117.0	51.3
कर्नाटक	6943.0	6254.0	5895.0	7501.0	−689.0	−359.0	1606.0
केरल	2.8	1.7	2.2	0.7	−1.1	0.5	−1.5
मध्य प्रदेश	2122.5	2149.9	2041.2	2166.3	27.4	−108.7	125.1
महाराष्ट्र	7093.0	5971.6	6293.3	6959.0	−1121.4	321.7	665.7
मणिपुर	8.4	11.5	11.7	#	3.1	0.2	#
मेघालय	27.4	27.8	28.2	#	0.4	0.4	#
मिजोरम	0.7	9.3	11.5	#	8.6	2.2	#
नागालैंड	139.4	127.3	76.8	#	−12.1	−50.5	#
ओडिशा	210.4	191.7	230.4	364.0	−18.7	38.7	133.6
पंजाब	583.1	575.1	527.1	540.0	−8.0	−48.0	12.9
राजस्थान	7121.4	7325.1	3907.2	7995.5	204.3	−3418.5	4088.3
सिक्किम	72.6	66.2	74.2	#	−6.4	8.0	#
तमिलनाडु	1357.1	1755.1	1642.0	1878.2	398.0	−113.1	236.2
त्रिपुरा	2.1	2.0	2.0	#	−0.1	0.0	#
उत्तर प्रदेश	3058.9	3080.2	2968.8	3216.6	21.3	−111.4	247.8
उत्तराखंड	339.0	347.0	297.0	334.0	8.0	−50.0	37.0
पश्चिम बंगाल	265.8	365.4	404.0	407.9	99.6	38.6	3.9
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.9	0.6	0.4	#	−0.3	−0.2	#
दादरा और नागर हवेली	2.7	2.7	1.9	#	0.0	−0.8	#
दिल्ली	11.6	11.7	3.3	#	0.1	−8.4	#
दमन और दीव	0.5	3.8	0.5	#	3.3	−3.3	#
पुदुचेरी	0.3	0.2	0.2	#	.0.1	0.0	#
अन्य	एनए	एनए	एनए	290.1	एनए	एनए	एनए
अखिल भारत	40750.4	40037.9	33549.2	42219.2	−712.5	.6488.7	8670.1

*19.7.2011 को निर्मुक्त चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार # आंकड़ों को अन्य में शामिल किया गया एनए: लागू नहीं

वर्ष 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन में राज्यवार वृद्धि (+) कमी (-)

दलहन

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्पादन ('000 टन)				पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन में वृद्धि (+)/कमी(-)		
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*	200809	2009-10	2010-11*
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	1697.0	1448.0	1429.0	1439.0	−249.0	−19.0	10.0
अरूणाचल प्रदेश	8.3	9.0	9.7	#	0.7	0.7	#
असम	63.0	64.5	64.6	63.0	1.5	0.1	−1.6
बिहार	497.1	469.1	472.4	555.6	−28.0	3.3	83.2
छत्तीसगढ़	536.8	498.6	488.7	535.6	−38.2	−9.9	46.9
गोवा	11.3	10.2	8.5	#	−1.1	−1.7	#
गुजरात	743.0	609.0	517.0	720.0	−134.0	−92.0	203.0
हरियाणा	101.8	178.1	100.0	159.0	76.3	−78.1	59.0
हिमाचल प्रदेश	36.0	23.5	20.7	16.5	−12.5	−2.8	−4.2
जम्मू और कश्मीर	15.4	14.2	13.6	23.2	−1.2	−0.6	9.7
झारखंड	301.8	280.7	223.7	267.1	−21.1	−57.0	43.4
कर्नाटक	1265.0	972.0	1118.0	1497.0	−293.0	146.0	379.0
केरल	8.4	6.3	10.3	5.1	−2.1	4.0	−5.2
मध्य प्रदेश	2453.6	3683.1	4304.6	3391.4	1229.5	621.5	−913.2
महाराष्ट्र	3024.0	1656.0	2370.0	3146.0	−1368.0	714.0	776.0
मणिपुर	7.2	6.5	7.2	#	−0.7	0.7	#
मेघालय	3.3	3.9	3.5	#	0.6	−0.4	#
मिजोरम	2.7	3.6	6.5	#	0.9	2.9	#
नागालैंड	41.6	39.7	34.7	#	−1.9	−5.0	#
ओडिशा	383.5	387.3	399.4	414.1	3.8	12.1	14.7
पंजाब	23.0	21.7	1.8.0	18.4	−1.3	−3.7	0.4
राजस्थान	1552.8	1826.4	713.7	3216.4	273.6	−1112.7	2502.7
सिक्किम	11.6	11.8	12.9	#	0.2	1.1	#
तमिलनाडु	185.0	164.5	204.2	296.0	−20.5	39.7	91.8
त्रिपुरा	4.7	4.4	4.5	#	−0.3	0.1	#
उत्तर प्रदेश	1576.9	1998.1	1901.4	2012.0	421.2	−96.7	110.6

1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तराखंड	50.0	39.0	46.0	52.0	−11.0	7.0	6.0
पश्चिम बंगाल	147.6	128.5	150.3	161.2	−19.1	21.8	10.9
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.3	1.2	1.8	#	−0.1	0.6	#
दादरा और नागर हवेली	5.6	5.5	4.9	#	−0.1	−0.6	#
दिल्ली	0.7	0.7	0.8	#	0.0	0.1	#
दमन और दीव	1.1	1.1	1.1	#	0.0	0.0	#
पुदुचेरी	0.4	0.5	0.3	#	0.1	−0.2	#
अन्य	एनए	एनए	एनए	105.0	एनए	एनए	एनए
अखिलभारत	14761.5	14566.7	14661.9	18093.5	−194.8	95.2	3431.6

*19.7.2011 को निर्मुक्त चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार # आंकड़ों को अन्य में शामिल किया गया एनएः लागू नहीं

वर्ष 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन में राज्यवार वृद्धि (+) कमी (-)

तिलहन

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्पादन ('000 टन)				पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन में वृद्धि (+)/कमी(-)		
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*	200809	2009-10	2010-11*
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	3390.0	2189.1	1500.0	1986.0	−1200.9	−689.1	486.0
अरूणाचल प्रदेश	25.6	30.5	28.3	#	4.9	−2.2	#
असम	139.0	137.9	144.7	152.0	−1.1	6.8	7.3
बिहार	137.9	138.0	144.6	155.2	0.1	6.6	10.6
छत्तीसगढ़	192.6	193.5	200.4	217.2	0.9	6.9	16.8
गोआ	7.0	8.2	8.1	#	1.2	−0.1	#
गुजरात	4725.0	4015.9	3097.0	3911.9	−709.1	−918.9	814.9
हरियाणा	642.8	932.8	877.5	964.0	290.0	−55.3	86.5
हिमाचल प्रदेश	‰6.5	5.0	3.8	8.4	−1.5	−1.2	4.6
जम्मू और कश्मीर	53.3	49.6	49.7	49.8	−3.7	0.1	0.1
झारखंड	68.8	73.2	79.6	88.5	4.4	6.4	8.9
कर्नाटक	1549.0	1212.0	1005.0	1212.0	−337.0	−207.0	207.0
केरल	2.4	1.6	1.2	2.0	−0.8	−0.4	0.8
मध्य प्रदेश	6352.0	6976.9	7636.2	8035.4	624.9	659.3	399.2

1	2	3	4	5	6	7	8
महाराष्ट्र	4874.0	3409.7	2814.0	4997.0	−1464.3	−595.7	2183.0
मणिपुर	0.9	0.7	0.7	#	.0.2	0.0	#
मेघालय	6.7	7.1	7.0	#	0.4	−0.1	#
मिजोरम	0.8	2.5	3.0	#	1.7	0.5	#
नागालैंड	68.1	71.5	84.6	#	3.4	13.1	#
ओडिशा	196.6	180.3	172.1	183.4	−16.4	−8.2	11.3
पंजाब	76.5	76.2	83.4	71.2	−0.3	7.2	−12.2
राजस्थान	4197.6	5178.4	4407.2	6090.2	980.8	−771.2	1683.0
सिक्किम	7.5	7.4	9.4	#	.0.1	2.0	#
तमिलनाडु	1146.7	1043.0	939.6	1131.9	−103.7	−103.4	192.3
त्रिपुरा	2.7	2.5	2.5	#	−0.2	0.0	#
उत्तर प्रदेश	1146.8	1164.5	816.0	911.0	17.7	−348.5	95.0
उत्तराखंड	29.0	26.0	33.0	23.4	−3.0	7.0	-9.6
पश्चिम बंगाल	705.1	582.6	727.1	760.6	−122.5	144.5	33.5
दादरा और नगर हवेली	0.1	0.1	0.1	#	0.0	0.0	#
दिल्ली	2.7	0.6	4.9	#	−2.1	4.3	#
पुदुचेरी	1.6	1.8	1.1	#	0.2	−0.7	#
अन्य	एनए	एनए	एनए	149.7	एनए	एनए	एनए
अखिल भारत	29755.3	27719.0	24881.7	31100.8	−2036.3	−2837.3	6219.1

*19.7.2011 को निर्मुक्त चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार # आंकड़ों को अन्य में शामिल किया गया एनएः लागू नहीं

वर्ष 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन में राज्यवार वृद्धि (+) कमी (-)

गन्ना

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्पादन ('000 टन)				पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन में वृद्धि (+)/कमी(-)		
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*	200809	2009-10	2010-11*
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	20296.0	15380.0	11708.0	14784.0	−4916.0	−3672.0	3076.0
अरूणाचल प्रदेश	21.8	23.4	27.1	#	1.6	3.7	#

1	2	3	4	5	6	7	8
असम	980.0	1099.7	1059.0	1097.0	119.7	−40.7	38.0
बिहार	3854.9	4959.9	5032.6	15000.0	1105.0	72.7	9967.4
छत्तीसगढ़	27.5	25.4	29.2	21.8	−2.1	3.8	−7.4
गुजरात	15190.0	15510.0	12400.0	14240.0	320.0	−3110.0	1840.0
गोआ	56.0	49.3	52.3	#	−6.7	3.0	#
हरियाणा	8860.0	5130.0	5335.0	5987.0	−3730.0	205.0	652.0
हिमाचल प्रदेश	58.4	53.1	45.6	38.3	−5.3	−7.5	−7.4
जम्मू और कश्मीर	0.2	0.0	0.0	0.0	−0.2	0.0	0.0
झारखंड	150.0	348.8	447.0	457.3	198.8	98.2	10.3
कर्नाटक	26240.0	23328.0	30443.0	37595.0	−2912.0	7115.0	7152.0
केरल	218.0	275.5	285.0	110.3	57.5	9.5	-174.8
मध्य प्रदेश	3180.0	2975.0	2535.0	2667.0	−205.0	−440.0	132.0
महाराष्ट्र	88437.0	60648.0	64159.0	78838.0	−27789.0	3511.0	14679.0
मणिपुर	16.8	21.3	21.3	#	4.5	0.0	#
मेघालय	0.3	0.3	0.2	#	0.0	−0.1	#
मिजोरम	0.8	13.7	12.4	#	12.9	−1.3	#
नागालैंड	247.3	185.8	152.9	#	−61.5	−32.9	#
ओडिशा	1096.2	646.2	489.9	902.7	−450.0	−156.3	412.8
पंजाब	6690.0	4670.0	3700.0	4170.0	−2020.0	−970.0	470.0
राजस्थान	593.8	388.2	344.5	360.9	−205.6	−43.7	16.4
तमिलनाडु	38071.0	32804.4	29745.6	34292.0	−5266.6	−3058.8	4546.4
त्रिपुरा	46.7	51.7	44.9	#	5.0	−6.8	#
उत्तर प्रदेश	124665.3	109048.0	117140.0	120555.0	−15617.3	8092.0	3415.0
उत्तरांचल	7686.0	5590.0	5842.0	6516.0	−2096.0	252.0	674.0
पश्चिम बंगाल	1272.0	1638.3	1000.8	1100.0	366.3	−637.5	99.2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.5	3.0	2.0	#	−0.5	−1.0	#
पुदुचेरी	228.4.	162.3	247.3	#	−66.1	85.0	#
अन्य	एनए	एनए	एनए	435.3	एनए	एनए	एनए
अखिल भारत	348187.9	285029.3	292301.6	339167.6	−63158.6	7272.3	46866.0

*19.7.2011 को निर्मुक्त चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार # आंकड़ों को अन्य में शामिल किया गया एनए: लागू नहीं

वर्ष 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन में राज्यवार वृद्धि (+) कमी (-)

कपास

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्पादन ('000 टन)				पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन में वृद्धि (+)/कमी(-)		
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*	200809	2009-10	2010-11*
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	3491.0	3569.0	3227.0	5300.0	78.0	−342.0	2073.0
असम	0.6	0.6	0.8	#	0.0	0.2	#
छत्तीसगढ़	0.1	0.1	0.3	#	0.0	0.2	#
गुजरात	8276.0	7013.8	7986.3	10500.0	-1262.2	972.5	2513.7
हरियाणा	1885.0	1858.0	1926.0	1750.0	-27.0	68.0	−176.0
हिमाचल प्रदेश	0.2	0.1	0.0	#	-0.1	−0.1	#
कर्नाटक	778.0	866.0	868.2	1250.0	88.0	2.2	381.8
केरल	1.7	1.5	1.3	#	−0.2	−0.2	#
मध्य प्रदेश	864.8	856.1	855.3	2000.0	−8.7	−0.8	1144.7
महाराष्ट्र	7015.0	4752.0	5859.3	−8800.0	−2263.0	1107.3	2940.7
मेघालय	6.5	5.6	5.5	#	−0.9	-0.1	#
मिजोरम	0.6	0.1	0.8	#	−0.5	0.7	#
नागालैंड	0.3	0.1	0.0	#	−0.2	-0.1	#
ओडिशा	124.7	146.6	147.2	250.0	21.9	0.6	102.8
पंजाब	2355.0	2285.0	2006.0	2100.0	−70.0	-279.0	94.0
राजस्थान	862.2	725.7	903.1	900.0	−136.5	177.4	-3.1
तमिलनाडु	200.7	187.7	225.0	500.0	−13.0	37.3	275.0
त्रिपुरा	1.5	1.4	1.4	#	−0.1	0.0	#
उत्तर प्रदेश	6.8	0.8	5.0	50.0	−6.0	4.2	45.0
पश्चिम बंगाल	13.2	6.0	3.3	#	−7.2	−2.7	#
पुदुचेरी	0.2	0.0	0.0	#	−0.2	0.0	#
अन्य	एनए	एनए	एनए	25.0	एनए	एनए	एनए
अखिल भारत	25884.1	-22276.2	24021.8	33425.0	−3607.9	1745.6	9403.2

*19.7.2011 को निर्मुक्त चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार # आंकड़ों को अन्य में शामिल किया गया एनए: लागू नहीं

कम लागत वाली समेकित स्वच्छता योजना

1342. **श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों से कम लागत वाली समेकित स्वच्छता (आई.एल.सी.एस.) योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उनमें से कितने प्रस्ताव अनुमोदित हुए हैं तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इनके अन्तर्गत आबंटित और जारी की गयी धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) पूरी हुई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा वास्तव में कितनी आई.एल.सी.एस. इकाईयां बन पाई हैं तथा उक्त अवधि के दौरान योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि उपयोग हुई है?

आवास और शहरी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) एकीकृत कम लागत सफाई स्कीम को जनवरी, 2008 में संशोधित किया गया है एवं स्कीम के तहत संशोधित दिशा दिर्नेशों के अंतर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, असम, जम्मू एवं कश्मीर, पं. बंगाल, केरल, नागालैंड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उड़ीसा राज्यों से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पास हुए हैं। विभिन्न राज्य सरकारों से एकीकृत कम लागत सफाई स्कीम (आई.एल.सी.एस.) के अंतर्गत विगत तीन वर्षों यानी 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान प्राप्त एवं स्वीकृत परियोजनाओं और जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत निधियों के उपयोग समेत पूर्ण परियोजनाओं एवं निर्मित इकाइयों की संख्या के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

विगत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों, आबंटित एवं जारी निधियां

वित्तीय वर्ष 2008-09

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रस्तावित इकाइयों की सं.	स्वीकृत इकाइयों की संख्या	कुल स्वीकृत केन्द्रीय सब्सिडी (करोड़ रु. में)	जारी/समायोजित केन्द्रीय सब्सिडी
1.	बिहार	9808	9808	7.48	7.48* समायोजित
2.	उत्तर प्रदेश	235606	235606	179.64	70.74* (37.10 समायोजित 33.64 जारी)
3.	जम्मू और कश्मीर	1116	1116	1.06	1.06*समायोजित
4.	पश्चिम बंगाल	6798	6798	5.18	1.29
5.	केरल	1675	1675	1.28	0.32
6.	मणिपुर	7117	7117	6.78	1.69
7.	नागालैंड	3404	3404	3.24	0.81
	कुल	265524	265524	204.66	37.75

वित्तीय वर्ष 2009-10

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रस्तावित इकाइयों की सं.	स्वीकृत इकाइयों की संख्या	कुल स्वीकृत केन्द्रीय सब्सिडी (करोड़ रु. में)	जारी/समायोजित केन्द्रीय सब्सिडी
1.	बिहार	47416	2323	1.771	0.44* समायोजित
2.	उत्तर प्रदेश	8174	2647	2.02	43.30
3.	जम्मू और कश्मीर	35812	4781	4.48	1.12* समायोजित

1	2	3	4	5	6
4.	नागालैंड	2076	2076	1.95	2.917
5.	उत्तराखंड	7698	1613	1.23	1.23
6.	महाराष्ट्र	12237	12237	8.78	0.85
7.	मध्य प्रदेश	7423	7423	5.60	0.48
8.	त्रिपुरा	2998	2998	2.85	1.08
9.	तमिलनाडु	382	0	–	–
10.	केरल	6564	6564	–	–
11.	गुजरात	4125	–	–	–
12.	पश्चिम बंगाल	9818	–	–	–
13.	हरियाणा	13933	–	–	–
	कुल	158656	42662	28.681	49.857
वित्तीय वर्ष 2010-11					
1.	असम	7068	0	–	–
2.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	79.97
3.	महाराष्ट्र	–	–	–	7.31
4.	केरल	–	–	–	2.21
5.	मध्य प्रदेश	–	–	–	5.58
6.	राजस्थान	5339	1039	0.792	0.198
7.	पश्चिम बंगाल	0	0	–	3.89
8.	झारखंड	13723	0	–	–
9.	छत्तीसगढ़	66675	0	–	–
10.	ओडिशा	29279	0	–	–
	कुल	122084	1039	0.792	99.158

1	2	3	4	5	6
वित्तीय वर्ष 2011-12					
1.	ओडिशा	29279	4690	4.1	0.89
2.	झारखंड	3891	3891	3.4	0.74
3.	छत्तीसगढ़	26018	26018	22.76	4.96
4.	पश्चिम बंगाल	9818	7751	6.78	1.48
5.	नागालैंड	–	–	–	1.463
6.	मणिपुर	–	–	–	5.09
7.	मध्य प्रदेश	4358	4358	3.81	2.25
8.	त्रिपुरा	22041	22041	24.1	5.25
9.	महाराष्ट्र	2405	2405	0	0
	कुल	97810	71154	64.95	22.123

विवरण II

आज तक आई एल सी एस स्कीम की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत इकाइयों की संख्या	अपूर्ण इकाइयों की संख्या	निर्माणाधीन इकाइयों की संख्या	प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र (करोड़ रु. में)
1.	उत्तर प्रदेश	238253	231649	3634	162.34
2.	बिहार	12231	4834	1295	4.57
3.	जम्मू और कश्मीर	5897	1454	2249	1.73
4.	उत्तराखंड	1613	1613	0	0.32
5.	पश्चिम बंगाल	14549	710	0	1.29
6.	केरल	8239	544	304	0.32
7.	मणिपुर	7117	552	2566	1.69
8.	नागालैंड	5480	2689	1168	3.727
9.	महाराष्ट्र	39663	1616	199	5.63
10.	मध्य प्रदेश	14281	2817	647	0.48
11.	त्रिपुरा	25039	0	1217	1.08
12.	राजस्थान	1039	0	0	0
13.	ओडिशा	4690	0	0	0
14.	झारखंड	3891	0	0	0
15.	छत्तीसगढ़	26018	0	0	0
	कुल	408000	248478	13279	183.177

के.वी.के. और आई.सी.ए.आर. द्वारा अनुसंधान

1343. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:
श्री मंगनीलाल मंडल:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौड़ा:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.), केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों (सी.ए.यू.) और कृषि विज्ञान केन्द्रों (के.वी.के.) द्वारा हासिल उल्लेखनीय उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान आई.सी.ए.आर., के.वी.के. और सी.ए.यू. के लिए कितना बजटीय आबंटन किया गया है;

(ग) क्या इन निकायों द्वारा किया गया अनुसंधान विकसित देशों द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान के समकक्ष है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में कृषि क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्षवार बजट प्रावधान इस प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	योजना बजट प्रावधान (रु. करोड़ में)
2007-2008	1620.00
2008-2009	1760.00
2009-2010	1760.00
2010-2011	2300.00
2011-2012	2800.00

(ग) जी हां।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित अग्रणी तकनीकों व ज्ञान जैसे-अरहर जीनोमिक्स, मक्का के सिंगल क्रास हाइब्रिड्स, भैंसों की क्लोनिंग, सूखा अभेद्य उपयोग हेतु तैयार उत्पादों के लिए संशोधित वातावरणीय पैकेजिंग, ऑन-लाइन सूचनाओं तक खुली पहुंच की वैश्विक स्तर पर प्रशंसा हुई है।

(ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उपलब्ध संसाधनों से कृषि उत्पादन और उत्पादकता में सतत वृद्धि के लिए अपने समग्र दिशा-निर्देशों, मार्गदर्शन और फ्रेमवर्क के तहत प्रबन्धन सुधारों के रूप में समय-समय पर अनेक नीतिगत पहलें की है।

विवरण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों की उल्लेखनीय उपलब्धियां

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.)

मृदा एवं जल उत्पादकता: भारत के 21 राज्यों में फैले 500 जिलों का मृदा-परीक्षण डाटा के उपयोग से भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित मृदा मानचित्र तैयार किए गए थे। बुन्देलखण्ड में इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट इन्टरवेंशन अपनाने पर चारा उत्पादन लगभग दुगना हो गया और क्षेत्र में सरप्लस चारा हुआ जिससे दुग्ध उत्पादकता भैसों में 33 प्रतिशत और गायों में 40 प्रतिशत तक बढ़ गई।

अनुवांशिक संसाधन: भारत के 21 राज्यों में किए गए अन्वेषणों से 1785 वंशावलियों को एकत्रित कर रिपोजिटरी में संग्रहित किया गया। इनमें 976 वंशावलियां वन्य प्रजातियों के हैं। इसके अलावा 37 देशों से 32,617 वंशावलियां आयातित की गई, इनमें फसलों के सुधार हेतु अंतर्राष्ट्रीय ट्रायल मेटिरियल (6127) और ट्रांसजेनिक्स (132) भी शामिल हैं।

फसल सुधार: मुख्य खाद्य फसल चावल गेहूं, मक्का, पर्ल मिलेट तथा दलहन सहित फसलों के 52 किस्मों/संकर किस्मों को देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र में उत्पादन हेतु रिलीज/सिफारिश की गई। वर्ष के दौरान 629 टन नाभिकीय बीज, 9554 टन प्रजनक बीज, 7745 टन फाउंडेशन बीज 3471 टन प्रमाणिक बीज और 10,443 टन विश्वस्त रूप से चिन्हित बीज उत्पादित किए गए। चार किस्मों नामत: सोर्ड बीन की थार माही, भारतीय बीन की थार कार्तिकी तथा थार माघी और क्लसटरबीन की थार भाधावाई को पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्रों के लिए जारी किया गया। आलू की संकर किस्म जे. एक्स. 576 को उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए कुफरी गौरव के रूप में जारी किया गया।

पशुधन सुधार: फील्ड संतति परीक्षण के तहत आनुवांशिक रूप से उत्कृष्ट मूर्रा बुफैलो बुल्स (नर भैस) के सीमने की 81560

खुराकों को किसानों और फील्ड में भैंस सुधार कार्यक्रम में शामिल अन्य एजेंसियों को बांटा गया। नीली-रवि, जाफराबादी, सुर्ती, भादावारी, पंजरपुरी तथा स्वैम्प बुफैलो के उत्कृष्ट झुंड स्थापित किए गए।

पशुधन प्रबंधन: भेड़ और डेरी पशुओ के बेहतर पोषण मूल्य के लिए सुपारी का आवरण (कम लिग्निन, सिलिका और ज्यादा कैल्शियम, सल्फर और कापर) धान की भूसी का विकल्प हो सकता है। असाइक्लिक बकरी और भैस में चक्रीयता तथा प्रजनन क्षमता के पुनःस्थापन में करी और बेल के पत्तों के पाउडर संपूरक का सकारात्मक प्रभाव पाया गया। पिपली (पाइपर लोंगम), हींग (फेरूला एसाफोटीडा) तथा लेमनग्रास (साईम्बोपोगोन साईट्रेटस) तेल को स्वस्थाने कुक्कट आहार में एस्परगिलास पैरासिटीकस के विरूद्ध क्षमतावान फफूंदरोधी हर्बल संयोजन पाया गया। कृषिब्रो चिक्स (चूजों) को समानरूपी खली देने की तुलना में विषाक्तरहित करेंज खली खिलाने से क्षमता में सुधार हुआ है। वर्तमान में उपयोग किया जा रहा मुंहपका-खुरपका रोग वैक्सीन स्ट्रेन आई.एन.डी.आर. 2/75 अभी तक बेहतर वैक्सीन है और यह देश में टाइप 'ओ' फैलाने वाली सभी नस्लों के लिए कारगर है। परियोजना निदेशालय-मुहंपका एवं खुरपका रोग को दक्षिण एशिया के लिए एफ.ओ. क्षेत्रीय रिफरेंस प्रयोगशाला के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

सस्योत्तर प्रबंधन तथा मूल्यवर्धन: गेहूं के मुलायम प्ररोह की खेती के लिए एक बहुस्तरीय रैक वृद्धि प्रणाली तैयार की गई और पूरे वर्ष इसकी उपलब्धता के लिए मुलायम गेहूं प्ररोह पाउडर के उत्पादन के लिए एक पाइलट प्लांट विकसित किया गया। संशोधित वातावरण पैकिंग द्वारा 8-12 डिग्री से. के साथ-साथ अर्थ-पारगम्य फिल्म से बगैर किसी शीत हानि के आम, चीकू, शरीफा की भंडारण अवधि को बढ़ाया जा सकता है। तैयार पल्प स्टेज में आम प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा एकत्र अपशिष्ट के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की गई। भैंस के दुग्ध से बेहतर गुणवत्ता वाली फेटाचीज को उच्च प्रायोगिक गुणवत्तायुक्त बनाने के लिए उचित प्रौद्योगिकी तैयार की गई।

कृषि यंत्रीकरण और ऊर्जा प्रबंधन: गन्ने की कलमों को काटने के लिए ऊर्जा चालित वायवीय नियंत्रित कलम काटने वाली मशीन विकसित की गई जिसकी क्षमता पैडल चालित यूनिट में 550 कलम/घंटा की तुलना में 1200 कलम/घंटा है। 8 पंक्ति वाले ऊर्जा चालित, चावल प्रतिरोपण यंत्र जिसकी क्षमता 0.2 है./घंटा है, के उपयोग से 82 श्रमिक/घंटा की कमी आई और 50 प्रतिशत आर्थिक बचत हुई। जूट-नेल वीडर (5-6 नेल) से खरपतवार उगने के बाद 4-30 दिन में खरपतवार का 80 प्रतिशत नियंत्रण किया जा सकता है। हाथ से दो बार खरपतवार निकालने की तुलना में इस प्रणली से रु. 3000-5000/है. का शुद्ध लाभ हुआ। एकल स्पैन का पोलीहाउस प्रकार का सोलर टनल ड्रायर विकसित और परीक्षण किया गया। इसमें क्रोकर, एंकरी तथा रिब्बन फिश किस्मों को सुखाने की दर धूप में सुखाने की तुलना में नमकरहित और नमक उपचार दोनों ही स्थितियों में अधिक है।

कृषि मानव संसाधन विकास: छात्रों में उद्यमशीलता की दक्षता विकसित करने के लिए 49 विश्वविद्यालयों की मौजूदा 220 यूनिटों में पच्चीस नई परीक्षणात्मक शिक्षण यूनिटों को शामिल किया गया। कृषि अनुसंधान और शिक्षा में वैश्विक क्षमता हासिल करने के लिए 30 स्थानों में उत्कृष्टता के मुख्य क्षेत्रों को सहायता भी दी गई।

सूचना, संचार और प्रचार सेवाएं: परिषद ने अनुसंधान जर्नलों नामतः 'द इंडियन जर्नल आफ एग्रीकल्चरल साइंस' तथा 'द इंडियन जर्नल आफ एनीमल साइंस' तक सबकी पहुंच को सुगम बनाया है। इन जर्नलों को ई-पी के एस.ए.आर. परियोजना (एन. ए.आई.पी.) के तहत आन-लाइन किया गया और अब विश्व में 47 विभिन्न देशों में इसके 4746 पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। इंटरनेट पर भा.कृ.अ.प. वेबसाइट के अवलोकन में कई गुणा की वृद्धि हुई है तथा वेबसाइट द्वारा प्रतिमाह औसतन 1,50,000 से ज्यादा आगन्तुकों को आकर्षित किया गया जिसमें 45 प्रतिशत नए आगंतुक होते हैं। मासिक न्यूजलैटर अंग्रेजी में 'आई.सी.ए.आर. मेल' तथा हिंदी में 'आई.सी.ए.आर. चिट्ठी' को आरंभ किया गया। तिमाही न्यूज 'एग्रीबॉयटैक' के अलावा इसे 13 भाषाओं में आरंभ किया गया और जैव प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे विभिन्न स्टेकहोल्डरों को भेजा जा रहा है। भा.कृ.अ.प. फिल्म के प्रसारण के लिए प्रसार भारती के साथ गठजोड़ किया गया।

आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अनुसंधान: आदिवासी और पर्वतीय किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अल्मोड़ा, उमियम तथा पोर्टब्लेयर स्थित संस्थानों द्वारा प्रौद्योगिकियां विकसित की गईं। चार किस्में खेती के लिए जारी की गई जिसमें मक्का की दो और गेहूं और बाजरे की एक-एक किस्म शामिल है। दक्षिण अंडमान से नारियल की अठारह प्रविष्टियां एकत्र की गईं जिनमें तीन बौनी तथा एक माकापुनो टाइप शामिल है। नारियल रोपण में मूंगफली की कृषि क्रियाओं को मानकीकृत किया गया जिनमें पता लगा है कि छंटाई के साथ नारियल रोपण में बीज उत्पादन भी किया जा सकता है।

आई.पी. कार्य प्रबंधन: सत्तावन पेटेंट आवेदन दर्ज किए गए, 30 प्रकाशित किए गए और भा.कृ.अ.प. को सात प्रदान किए गए। इसके अलावा 11 पादप किस्म शीर्षक आवेदन दर्ज किए गए, 109 प्रकाशित किए गए और 81 प्रदान किए गए।

साझेदारी और सम्पर्क: भा.कृ.अ.प. और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग ने केनसस स्टेट यूनिवर्सिटी, मैनहट्टन, यू.एस.ए. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्ट्यूट के साथ एक कार्य योजना तैयार की।

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय: पिछले एक वर्ष के दौरान भा. कृ.अ.प. में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 6 राज्यों में स्थित विभिन्न संघटक महाविद्यालयों से 188 छात्रों ने स्नातक डिग्री तथा 39 छात्रों ने स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण की है।

कृषि विज्ञान केन्द्र

प्रौद्योगिकी आकलन, परिष्करण तथा हस्तांतरण: वर्ष के दौरान 4501 स्थानों में विभिन्न फसलों पर 18013 परीक्षणों द्वारा 1819 प्रौद्योगिकीय उपायों का मूल्यांकन किया गया। पशुधन के तहत किसानों के खेतों में 610 स्थानों पर 238 प्रौद्योगिकीय उपायों का मूल्यांकन किया गया। दक्षता विकास के लिए लगभग 28000 है. क्षेत्र में 86,976 अग्रपंक्ति प्रदर्शन किए गए। प्रौद्योगिकी सृजन तथा उपभोक्ता के बीच के अंतराल को कम करने के लिए 300 कृषि विज्ञान केन्द्रों में मोबाइल परामर्श सेवाएं आरंभ की गईं।

नई पहलें : हमारे देश के कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाने हेतु कुछ नई पहलों में भारतीय संस्थानों के नेटवर्क प्रयासों द्वारा 'अरहर' जीनोम की डीकोडिंग, चावल जानकारी पोर्टल का विकास, एग्री-इंडिया की स्थापना, फार्म प्रवर्तकों की बैठक, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उद्योग और गैर सरकारी संगठनों के साथ अनुसंधान एवं विकास प्रयास तथा दक्षिण एशिया का बोरलॉग संस्थान (बी. आई.एस.ए.) शामिल है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की उत्पादकता

1344. **श्री दिनेश चन्द्र यादव:**
श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:
श्री सोमेन मित्रा:
श्री जगदानंद सिंह:
श्री महेन्दसिंह पी. चौहाण:
श्री मिथिलेश कुमार:
श्री पी.के. बिजू:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:
श्रीमती जे. शांता:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खाद्यान्नों की उत्पादकता घटी है और यह मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश की कृषि उत्पादकता अभी भी विश्व उत्पादन से काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत)

(क) और (ख) जी नहीं, महोदया। देश में खाद्यान्नों की उत्पादकता 2006-07 में 1756 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर से बढ़कर 2010-11 (चौथे अग्रिम अनुमान) में 1921 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर तक हो गयी है जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के 241.56 मिलियन टन उत्पादन का एक रिकार्ड स्तर प्राप्त हुआ जो 2010-11 के लिए 229.12 मिलियन टन की खाद्यान्न प्रक्षेपित मांग की तुलना में महत्त्वपूर्ण रूप से अधिक है।

(ग) और (घ) 2009 (अद्यतन उपलब्ध) के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) की रिपोर्टों के अनुसार, भारत में अधिकांश फसलों की उत्पादकता, विश्व उत्पादकता औसत की तुलना में बहुत कम है। 2009 के लिए विश्व उत्पादकता औसत के साथ-साथ भारत में मुख्य फसलों की उत्पादकता की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गयी है-

देश	उत्पादकता (किलोग्राम/हैक्टेयर)					
	चावल	गेहूं	कुल अनाज	कुल दलहन	तेल-फसलें (प्राथमिक)	गन्ना
भारत	2178	2907	2183	659	1006	64553
विश्व	4320	3039	3566	930	621	69866

टिप्पणी: कृषि मंत्रालय द्वारा जारी सरकारी अनुमानों के अनुसार भारत में उत्पादकता।

(ङ) देश में कृषि फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों के माध्यम से कृषि मंत्रालय द्वारा अनेकों फसल विकास योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं, नामत: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), एकीकृत

तिलहन, दलहन, पाम आयल एवं मक्का योजना (आईसोपाम), सूक्ष्म कृषि प्रबंधन के तहत चावल/गेहूं/मोटे अनाजों के लिए एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)। उक्त योजनाओं के अतिरिक्त, वर्ष 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने तथा वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60000 दलहन तथा तिलहन गांवों के एकीकृत विकास के लिए दो नए कार्यक्रमों की शुरुआत की गयी थी। देश के 16 दलहन उत्पादक राज्यों में पांच दलहन फसलों में से प्रत्येक फसल के लिए 1000 हैक्टेयर के 1000 एककों को शामिल करने के लिए ब्लाक प्रदर्शनों के रूप में "त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (ए3पी)" नामक एक नए कार्यक्रम की भी शुरुआत की गयी है।

कृषि उत्पादकता में उच्चतर वृद्धि करने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद फसलों पर अनुसंधान भी कर रहा है यथा गेहूं, चावल, मक्का, सारगम, छोटे मिलेट, तिलहन, दलहन, कपास, गन्ना एवं पटसन। अनुसंधान कार्यक्रमों में शामिल हैं-कृषि जैविकीय क्षेत्रों के अनुसार विशिष्ट किस्मों एवं प्रौद्योगिकियों की पहचान के विकास सहित भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के उपयुक्त लाभप्रद फसल पद्धतियों के मद में इन फसलों में फसल सुधार, उत्पादन तथा रक्षात्मक प्रौद्योगिकियों से संबंधित मूल एव नीतिगत अनुसंधान, किस्मों एवं हाईब्रीडों के विकास, गैर-परम्परागत क्षेत्रों एवं मौसमों के लिए उपयुक्त संबंधित उत्पादन एवं रक्षात्मक प्रौद्योगिकियां। इन पहलुओं के परिणामस्वरूप, विशिष्ट ट्रेटस के साथ भिन्न-भिन्न जैविकीय क्षेत्रों को अच्छी सुग्राह्यता के साथ फसलों की उन्नत किस्में/हाईब्रीड विकसित किए गए हैं। मूल बीजों तथा प्रमाणित बीजो के गुणन के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग के सूचकांक के अनुसार उन्नत किस्मों के प्रजनक बीज का उत्पादन किया जाता है। फ्रंटलाइन प्रदर्शनों (एफ.एल.डी.) के माध्यम से प्रोद्योगिकियों को बढ़ावा देना तथा उसे अपनाना सुनिश्चित किया जाता है। विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से नकद फसलों के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों तथा अखिल भारत समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं (ए.आई.सी.आर.पी.) द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को भी लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

[अनुवाद]

अति महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों से पत्राचार

1345. श्री के. सी. सिंह 'बाबा': क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय/अधीनस्थ कार्यालय संसद सदस्यों तथा मंत्रियों सहित अति महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के पत्रों की पावती नहीं दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में मौजूदा दिशानिर्देश क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) भ्रष्टाचार और अन्य लोक महत्व के मामलों के संबंध में इस प्रकार के कितने पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) समग्रत:, गृह मंत्रालय में प्राप्त होने वाले सभी वी.आई.पी. पत्रों की पावती भेजी जाती है। इस विषय से संबंधित दिशानिर्देश केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियमावली में निहित हैं जिसमें कहा गया है कि संसद सदस्यों से प्राप्त होने वाले पत्रों की 15 दिनों के अंदर पावती भेजी जानी चाहिए।

(ग) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी

[हिन्दी]

मैट्रो स्टेशन

1346. श्री तूफानी सरोज: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली मैट्रो के अन्तर्गत कुल कितने मैट्रो स्टेशन कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि मैट्रो स्टेशनों के निर्माण में पैदल यात्रियों की सुविधाओं की उपेक्षा की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी सुविधा के लिए मैट्रो स्टेशनों पर कितने उपमार्ग/उपरिपुल मुहैया कराये गये हैं/कराए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटिड (डी.एम.आर.सी.) ने सूचित किया है कि दिल्ली मैट्रो के अंतर्गत कुल 141 मैट्रो स्टेशन कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटिड (डी.एम.आर.सी) ने विभिन्न मेट्रो स्टेशनों पर पैदल चलने वालों के लिए निम्नलिखित भूमिगत (सबवेज) और भूमोपरि पुल (फुट ओवरब्रिज) बनाए गए हैं:-

क्र.सं.	जनसुविधा	स्टेशनों के नाम
1.	भूमोपरि मार्ग	केन्द्रीय सचिवालय, राजीव चौक, मंडी हाउस, तिलक नगर से बाराखंबा रोड, आई.एन.ए., उद्योग भवन, रेसकोर्स, एम्ज, ग्रीन पार्क, हौज खास, मालवीय नगर, साकेत और कश्मीरी गेट
2.	भूमोपरि पुल (फुट ओवरब्रिज)	प्रगति मैदान, तीस हजारी, झिलमिल, शास्त्री पार्क, लक्ष्मी नगर और निर्माण विहार
3.	भूमोपरि पुलों (फुट ओवरब्रिज) का निर्माण कार्य शुरू हो गया है।	सरिता विहार और आनन्द विहार आई.एम.बी.टी.

पैदल चलने वाले, स्टेशन परिसरों के गैर-भुगतान किए जाने वाले क्षेत्र के माध्यम से रोड पार करने के लिए, भूमोपरी पुलों/भूमिगत मार्ग (एफ.ओ.बी./अंडरपास) द्वारा अधिकतर स्टेशन परिसरों का उपयोग कर सकते हैं।

खेलों में प्रतिबंधित दवाओं का प्रयोग

1347. श्री राम सुन्दर दासः
कुमारी मीनाक्षी नटराजनः
श्री रवनीत सिंहः

क्या **युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षो से प्रशिक्षकों/अधिकारियों द्वारा एथलीट्स पर डोप परीक्षण किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा डोपिंग के लिए जिम्मेदार/में संलिप्त संबंधित खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों/अधिकारियों आदि के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या खिलाड़ियों के बीच कथित डोपिंग की घटनाओं की जांच के लिए सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्त एक-सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या है और सरकार द्वारा उक्त समिति की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है/कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और

(च) इस प्रकार के अनैतिक व्यवहार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके?

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) सरकार ने डोपिंग के प्रचलन से संबंधित मुद्दे के सभी पहलुओं की जांच के लिए 7-7-2011 को न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवा निवृत मुख्य न्यायाधीश को एक सदस्यीय समिति के रूप में नियुक्त किया गया है। जांच समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार है:-

(1) एथलेटिक विधाओं में बड़े पैमाने पर तथाकथित डोपिंग की हाल की घटनाओं के तथ्यों और परिस्थितियों का निर्धारण।

(2) बड़े पैमाने पर ऐसी डोपिंग की घटनाओं के कारणों तथा इसमें सन्निहित कार्यप्रणाली की जांच करना जिसमें प्रशिक्षण कैम्पों/प्रतियोगिताओं में तथा उसके इर्द-गिर्द प्रतिबंधित पदार्थों की उपलब्धता भी शामिल है।

'(3) इसमें शामिल एजेंसियों, यदि कोई है, की भूमिका की जांच करना।

(4) डोप परीक्षण के प्रोटोकाल तथा इसकी सत्यनिष्ठा और संवर्धन में सुधार के लिए उपचारी उपाय सुझाना ताकि ऐसी चूक, यदि कोई है, भविष्य में फिर से न हो।

(5) कोई अन्य विषय।

(ग) से (ङ) समिति की रिपोर्ट की अभी तक प्रतीक्षा है।

(च) नाडा द्वारा खेलों में डोपिंग के खतरे को रोकने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए गए हैं:

(1) लंदन ओलंपिक, 2012 के लिए विभिन्न केन्द्रों पर प्रशिक्षण पा रहे शीर्ष संभावितों सहित प्रतियोगिता के दौरान और उसके इतर एथलीटों की जांच की आवृत्ति बढ़ाना।

(2) प्रशिक्षण संस्थानों में एथलीटों, कोचों और सहायक कर्मियों के कमरों की औचक जांच तथा नमूनों का औचक संग्रहण।

(3) खिलाड़ियों, कोचों तथा सहायक कर्मियों के बीच डोप संबंधी विषयों से संबंधित शैक्षिक सामग्रियों का वितरण।

(4) एथलीटों और कोचों के साथ सेमिनार/कार्यशालाओं/शैक्षिक सत्रों में वृद्धि।

(5) कोचों और सहायक कार्मिकों पर उनके नियोक्ताओं के माध्यम से बारीकी से नजर रखना तथा सतर्कता रखना।

[अनुवाद]

कृषि को बढ़ावा देने की योजनाएं

1348. श्री रामसिंह राठवा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में कृषकों की दशा सुधारने हेतु कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उसके लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन योजनाओं के अन्तर्गत अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कृषि क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन लंबित है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) सरकार ने कृषि उत्पादन में सतत् वृद्धि और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रमों/स्कीमों को बनाकर किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। गुजरात राज्य में विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और आवंटित, निर्मुक्त और राज्यों द्वारा उपयोग की गई निधियों, का ब्यौरा और पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय उपलब्धियों के प्रतिशत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) कृषि एवं सहकारिता विभाग के पास गुजरात सरकार से प्राप्त कोई विशेष प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान व्यय के संदर्भ में आवंटित, निर्मुक्त, वहन किया गया व्यय और उपलब्धि के प्रतिशत

राज्य का नामः गुजरात

(करोड़ रुपये में)

स्कीम का नाम	2008.09				2009.10				2010.11				2011.12			
	आवंटन	निर्मुक्ति	व्यय	उपलब्धियों का %	आवंटन	निर्मुक्ति	व्यय	उपलब्धियों का %	आवंटन	निर्मुक्ति	व्यय	उपलब्धियों का %	आवंटन	निर्मुक्ति	व्यय	उपलब्धियों का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
वृहत प्रबंधन स्कीम	36.45	50..45	46.65	92.47	36.45	36.30	36.51	95.33	36.58	39.19	42.29	107.91	30.94	41.88	17.04	40.69
कपास पर तकनीकी मिशन (टीएमसी)	16.50	12.90	12.90	100.00	11.15	8.65	9.94	116.26	1.05	1.05	1.53	146.71	1.75	1.04	0.90	86.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
राष्ट्रीय बागवानी मिशन	85.00	35.32	35.58	100.74	63.00	25.21	33.49	132.84	62.90	54.97	63.51	115.54	76.50	38.25	23.65	61.83
विस्तार सुधार के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम को सहायता	11.92	1.89	2.78	147.09	11.88	5.57	3.04	54.58	10.15	5.10	4.91	96.27	20.04	6.00	3.07	51.17
समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का (आईसोपाम) स्कीम	16.00	16.00	21.61	135.06	23.63	23.63	13.26	56.12	17.86	17.86	20.34	113.89	0.00	0.00	13.50	
सूक्ष्म सिचांई	150.77	48.99	73.96	150.97	146.56	44.47	54.26	122.01	120.0ĉ	120.00	120.00	100.00	130.95	130.00	130.96	100.74
राष्ट्रीय बांस मिशन	6.09	4.50	4.50	100.00	4.90	3.70	3.60	97.30	2.4	1.60	1.26	78.75	2.00	0.00	0.00	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	243.39	243.39	243.39	100.00	386.19	386.19	386.19	100.00	353.45	388.63	371.97	95.71	515.48	250.45	199.66	79.72
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)	21.55	8.33	6.79	81.51	23.54	15.08	14.49	96.09	39.0	23.89	30.16	126.25	30.27	5.55	5.09	91.71
मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता की राष्ट्रीय प्रबंधन परियोजना	#	0.00			#	0.00				#		#	#	1.86		
कुल	587.67	421.77	448.16	106.26	707.30	550.70	554.78	100.74	643.6	652.29	655.97	100.56	807.93	473.17	393.87	83.24

$ वर्ष 2008-09 से स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

स्कीम के तहत कोई राज्यवार आवंटन नहीं है।

धान खरीदने के लिए बोनस

1349. श्री वैजयंत पांडा:
श्री नित्यानंद प्रधान:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार धान खरीदने के लिए बोनस प्रदान करने का है/किया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा बोनस की घोषणा राज्यवार नहीं की जाती है। 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान धान की सामान्य तथा ग्रेड 'ए' किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 50 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया गया था। बाद के वर्षों के लिए धान के अधिप्रापण हेतु बोनस की घोषणा नहीं की गयी है।

कृषि अवकाश

1350. श्री के. सुगुमार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषक संघों ने 10 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 6 माह का कृषि अवकाश करने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) कृषक संघों द्वारा 10 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 6 माह का कृषि अवकाश करने संबंधी कोई विशिष्ट रिपोर्ट नहीं है। हालांकि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पूर्वी गोदावरी जिले के अमालपुरम प्रभाग के केन्द्रीय डेल्टा क्षेत्र के किसानों ने इस वर्ष खरीफ फसल नहीं उगाने का निर्णय लिया है एवं अगेती रबी को प्राथमिकता देते हुए कृषि अवकाश घोषित किया है। किसानों ने कृषि आदानों के लिए

राजसहायता बढ़ाने, मुख्य किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने एवं अधिप्राप्ति एवं विपणन तंत्र को सरल तथा कारगर बनाने की मांग की है।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की संस्तुतियों के आधार पर निम्नलिखित उपचारी उपाय शुरू किए गए हैं:

(i) खरीफ 2010 के लिए 39.54 करोड़ रुपये की सीमा तक 7% की ब्याज माफी स्वीकृत, निर्मुक्त एवं किसानों के खाते में समायोजित की गई हैं।

(ii) इस वर्ष से पूर्वी गोदावरी जिले को संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में शामिल किया गया है। फसल बीमा के लिए 46.00 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई।

(iii) 75% राजसहायता पर 32,328 क्विंटल धान बीज की आपूर्ति का अनुदेश दिया गया है।

(iv) आंध्र प्रदेश विपणन परिसंघ को खरीफ, 2011 एवं रबी 2011-12 के दौरान 50% की दर पर राजसहायता (977. 59 लाख रुपये की राशि) से उर्वरकों की आपूर्ति करने की सलाह दी गई है।

(v) पूर्वी गोदावरी जिले को राजसहायता पर फार्म उपकरणों की आपूर्ति के लिए 501.71 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई।

(vi) इसके अलावा, नए खोले गए अधिप्राप्ति केन्द्रों के जरिए धान की अधिप्राप्ति, सिंचाई/ड्रेनेज (निकास) चैनलों की मरम्मत एवं रखरखाव, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत कार्यों का कैलेंडर तैयार करने एवं माडल किसानों के जरिए फसल अवकाश के नुकसानों के बारे में जागरूकता सृजन शुरू किया गया है।

शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं का विपणन

1351. श्री प्रताप सिंह बाजवा:
श्री एन. एस. वी. चित्तन:
श्री कमल किशोर "कमांडो":

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फलों और सब्जियों के उत्पादन, विपणन तथा वितरण के लिए कोई संस्थागत व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार एक और कृषकों को लाभकारी मूल्य देने तथा दूसरी ओर इन शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के मूल्यों में उतार-चढ़ाव दूर करने के लिए क्या उपाय करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) फलों एवं सब्जियों समेत बागवानी फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने एवं विपणन सहायता देने के लिए 2005-06 से देश में "राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.)" की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है। 'पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एच.एम.एन.ई.एच.)' के तहत कवर किए गए आठ पूर्वोत्तर राज्यों एवं जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को मिशन के तहत कवर किया गया है। इन योजनाओं के तहत फलों एवं सब्जियों के विपणन के लिए अवसंरचना के सृजन हेतु सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अलावा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के तहत ही 2011-12 के दौरान 300.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से शहरी समूहों के लिए सब्जी पहल (वी.आई.यू.सी.) संबंधी एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। योजना 29 राज्यों में प्रत्येक में एक मिलियन अथवा एक मिलियन के नजदीक जनसंख्या वाले एक शहर अथवा राजधानी शहर में कार्यान्वित की जा रही है। शुरूआत में यह कार्यक्रम एक वर्ष (2011-12)की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। यह योजना किसान संस्थाओं/समूहों के गठन, किसानों को प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण, किसान समूहों को एग्रीगेटर/बाजार से जोड़ने; सब्जी उत्पादन एवं रोपण सामग्री से शुरू करके खुदरा बिक्री स्तर तक विपणन करके शहरी केन्द्रों को आपूर्ति से संबंधित सभी पहलुओं को कवर करती है।

(ग) बाजार हस्तक्षेप योजना (एम.आई.एस.) सामान्यतया नाशवान प्रकृति की एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कवर नहीं की गई कृषि एवं बागवानी जिन्सों की अधिप्राप्ति के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार के अनुरोध पर कार्यान्वित की जा रही है। एम.आई.एस. बम्पर फसल होने की स्थिति में जब बाजार में भरमार होती है एवं मूल्य आर्थिक स्तर/उत्पादन की लागत से नीचे गिर जाते हैं तब इन जिन्सों के उत्पादकों को मजबूरी में बिक्री करने से बचाने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही है। एम.आई.एस. के तहत अधिप्राप्ति केन्द्रीय संस्था के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफैड) एवं राज्य द्वारा नामित संस्थाओं द्वारा की जाती है। यदि अधिप्राप्ति संस्थाओं को कोई हानि

होती है तो वह केन्द्र सरकार एवं संबंधित राज्य सरकार द्वारा 50:50 (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 75:25) के आधार पर वहन की जाती है। हालांकि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच वहन की जाने वाली हानि की राशि अधिप्राप्ति लागत के 25% तक सीमित है। अधिप्राप्ति संस्थाओं द्वारा अर्जित लाभ, यदि कोई हो, तो वह उनके पास ही रहता है।

[हिन्दी]

तिहाड़ जेल में हाथापाई

1352. श्रीमती सुमित्रा महाजनः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में ही तिहाड़ जेल में कैदियों द्वारा गैर-कानूनी वस्तुएं रखने तथा बार-बार आपस में हाथापाई करने के मामलों की रिपोर्ट मिली है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और उत्तरदायी सुरक्षा अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है;

(घ) क्या हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या उच्च न्यायालय ने तिहाड़ जेल प्राधिकरण से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) भविष्य में इस प्रकार के मामले रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान आज तक कैदियों द्वारा तम्बाकू, करेन्सी नोट जैसी गैर-कानूनी वस्तुएं रखने, कर्मचारियों को धमकाने, कैदियों के बीच हाथापाई इत्यादि की कुल 656 घटनाएं सामने आयीं हैं। जेल अधीक्षकों द्वारा कैदियों को जेल मैनुअल/दिल्ली कारागार अधिनियम के तहत यथानुमन्य सजा दी गई थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011 के दौरान, प्रतिषिद्ध वस्तुओं के बरामद होने और कैदियों के बीच हाथापाई होने के संबंध में कर्तव्य के प्रति कोताही बरतने के लिए 10 जेल कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई है।

(ग) और (घ) प्रत्येक मामले में जांच करायी जाती है और दोषी कैदियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध दिल्ली कारागार अधिनियम/जेल मैनुअल/सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियमावली, 1965 के तहत यथोचित कार्रवाई की जाती है।

(ङ) और (च) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने स्व-प्रस्ताव बनाम राज्य रिट याचिका संख्या (दा.) 1151/2008 में स्वयमेव संज्ञान लिया है जिसमें माननीय न्यायालय ने कारागार विभाग को जेल के अंदर मोबाइल फोन, ब्लेड के दुरुपयोग आदि जैसी प्रतिषिद्ध वस्तुओं के प्रयोग से बचने के लिए कतिपय एहतियाती उपाय करने का निर्देश दिया है।

(छ) जेल में प्रतिषिद्ध वस्तुओं की तस्करी रोकने और कैदियों के बीच आपस में होने वाली हाथापाई को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) प्रत्येक कैदी के मिलने वाले आगंतुकों और जेल कर्मचारियों की गहन तलाशी और उसकी बॉडी की फ्रिस्किंग;

(ii) डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाना;

(iii) कैदियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाना;

(iv) दिल्ली की जेलों में 11 मोबाइल फोन जैमर्स लगाना;

(v) हाथापाई को रोकने के लिए बार-बार अपराध करने वाले और पहली बार अपराध करने वाले अपराधियों को पृथक-पृथक रखना।

(vi) आदतन जेल में अपराध करने वाले अपराधियों और उग्र कैदियों की पहचान करना और उन पर चौबीसों घण्टे निगरानी रखना।

[अनुवाद]

गेहूं और धान के उत्पादन की आदान लागत

1353. श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) ने देश में गेहूं और धान के उत्पादन की आदान लागत का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो 2010-11 और 2011-12 के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों द्वारा लगाई गई वास्तविक आदान लागत, आकलित की गई आदान लागत से बहुत अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) द्वारा गेहूं की अखिल भारत भारित औसत उत्पादन लागत जिसमें सभी आदान लागतें शामिल हैं, 2010-11 तथा 2011-12 के लिए क्रमश: 826 रुपए तथा 927 रुपए प्रति क्विंटल अनुमानित की गयी है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा इन दो वर्षों के लिए धान (चावल) की अखिल भारत भारित औसत उत्पादन लागत क्रमश: 742 रुपए एवं 888 रुपए प्रति क्विंटल अनुमानित की गयी है।

(ग) और (घ) खेती लागत योजना के तहत, चुनिंदा किसानों से एकत्रित क्षेत्रीय आंकड़ों के आधार पर उत्पादन/खेती की लागत के अनुमानों का सृजन किया जाता है। इसके आधार पर, वास्तविक उत्पादन, लागत संबंधी आंकड़े लगभग दो वर्षों के अंतर के बाद उपलब्ध होते हैं।

मलिन बस्तियों का पुनर्वास

1354. **श्री उदय सिंह:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपमशन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एन.ए.सी.) के एक कार्य समूह ने इस बात पर जोर दिया है मि मलिन बस्तियों के निवासियों का पुनर्वास उसी स्थान पर किया जाना चाहिए जहां वे वर्तमान में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो देश भर की मलिन बस्तियों के निवासियों के पुनर्वास की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार शहरी भारत को मलिन बस्तियों से मुक्त बनाने के उद्देश्य को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कर पाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) राष्ट्रीय सलाहकार समिति की कार्य समूह की सिफारिशों संबंधी प्रारूप जो सार्वजनिक जानकारी हेतु रखा गया था में इस बात पर जोर दिया गया है कि इस बारे में निर्णय, कि क्या बसाव अनुपयुक्त है और स्लम की पुनर्स्थापना अत्यावश्यक है उचित प्रक्रिया जो पारदर्शी, सहभागी और उचित है के बाद लिया जाना चाहिए। इसलिए विस्थापन को, अन्य सभी विकल्पों की पारदर्शी तरीके से संभावना समाप्त होने के बाद ही अंतिम उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए।

कार्य समूह की सिफारिशों को राष्ट्रीय सलाहकार समिति द्वारा अभी अंतिम रूप दिया जाना शेष है।

(ख) से (घ) स्लम वासियों का पुनर्वास करना राज्य का विषय है। तथापि दिनांक 2.06.2011 को राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.) नामक एक नई स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम में स्लम पुनर्विकास हेतु आश्रय तथा बुनियादी नागरिक एवं सामाजिक सेवाओं तथा स्लम वासियों के लिए किफायती आवास के सृजन हेतु संपत्ति का अधिकार प्रदान करने वाले इच्छुक राज्यों को सहायता के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। राजीव आवास योजना के चरण I की अवधि स्कीम के अनुमोदन की तारीख से 2 वर्ष की है जिसके लिए 5000 करोड़ रु. के बजट की व्यवस्था की गई है। इस स्कीम में 12वीं योजना (2017) के अंत तक संपूर्ण देश में लगभग 250 शहरों को शामिल करने की संभावना है। शहरों का चयन केन्द्र के परामर्श से राज्यों द्वारा किया जाएगा। राज्यों को जेएनएनयूआरएम के सभी मिशन शहरों अधिमानत: 2001 की जनगणना के अनुसार 3 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों, स्लमों अल्पसंख्यक आबादी वाले अन्य छोटे शहरों और उन क्षेत्रों जहां संपत्ति के अधिकार दिए गए हैं, को शामिल करना अपेक्षित होगा। स्कीम राज्यों द्वारा तय गति के अनुसार प्रगति करेगी।

राष्ट्रीय संस्कृति कोष

1355. **श्री निशिकांत दुबे:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में राष्ट्रीय कोष में कुल कितनी धनराशि उपलब्ध है;

(ख) क्या विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रण में आने वाले विभिन्न उपक्रमों/निगमों ने उक्त कोष में योगदान दिया है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) एनसीएफ में उपलब्ध कुल निधियां इस प्रकार हैं :

प्राथमिक अक्षय निधि	–	19.50 करोड़ रु.
गौण अक्षय निधि	–	10.89 करोड़ रु.
एनसीएफ में परियोजना निधियां	–	10.40 करोड़ रु.

उपर्युक्त के अलावा, लगभग 40 करोड़ रु. की राशि, एनसीएफ परियोजनाओं पर खर्च किए जाने हेतु विश्वास में इंडियन ऑयल फाउंडेशन के पास रखी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ कॉरपोरेटों द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति निधि को दिए गए अंशदान

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ कॉरपोरेट के नाम और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तारीख	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ कारपोरेट द्वारा अंशदान की वचनबद्धता	दिया गया वास्तविक अंशदान (दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 की स्थिति के अनुसार)	परियोजना का उद्देश्य
1.	इंडियन ऑयल-कॉरपोरेशन दिनांक 30 मार्च, 2001 का समझौता ज्ञापन।	प्रत्येक वर्ष में 10 करोड़ रुपयों का अंशदान दिया जाएगा।	1 करोड़ रुपये	पांच राज्यों के चिह्नित किए गए स्मारकों का संरक्षण और परिरक्षण।
2.	यूको बैंक, चंडीगढ़ शाखा दिनांक 15 जुलाई 2008 का समझौता ज्ञापन।	20 लाख रुपये	20 लाख रुपये	हिडिंबा देवी मंदिर, मनाली का जीर्णोद्धार एवं रख-रखाव।
3.	मैसर्स गेल इंडिया लिमिटेड, दिनांक 13 अप्रैल, 2009 का समझौता ज्ञापन।	30 लाख रुपये	30 लाख रुपये	दिल्ली के तुगलकाबाद किले का जीर्णोद्धार और रख-रखाव।
4.	मैसर्स नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, दिनांक 22 दिसंबर, 2009 का समझौता ज्ञापन।	5 करोड़ रुपये	50 लाख रुपये	उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में स्मारक-समूहों को अपनाना।
5.	मैससर्स आयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, दिनांक 18 दिसंबर, 2009 का समझौता ज्ञापन।	प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपयों का अंशदान दिया जाएगा।		भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन।
	दिनांक 29 जून, 2010 का समझौता ज्ञापन।	30 लाख रुपये।	30 लाख रुपये	अहोम स्मारकों, शिवसागर, असम का जीर्णोद्धार और विकास।
	दिनांक 29 जून, 2010 का समझौता ज्ञापन।	13.47 लाख रुपये	13.47 लाख रुपये	राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली के प्रवेश द्वार पर स्थिति रथ के चारों ओर प्लास्टिक केस को चमकीले शीशे के आवरण से बदलना।
	दिनांक 25 नवंबर, 2010 का समझौता ज्ञापन।	40 लाख रुपये	25 लाख रुपये	विरासत नामक उत्सव के लिए
6.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिनांक 13 जुलाई, 2010 का समझौता ज्ञापन।	75 लाख रुपये	20 लाख रुपये	मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के हजार दुराई पैलेस में संरक्षण, पर्यटकों के लिए सुविधाओं का प्रावधान, स्मारक का प्रदीप्तिकरण और संग्रहालय प्रदर्शन के लिए व्यावसायिक सलाह प्रदान करना।
7.	मैसर्स शिपिंग-कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दिनांक 19 अप्रैल, 2011 का समझौता ज्ञापन	25 लाख रुपये	25 लाख रुपये	शोर मंदिर, महाबलीपुरम में शौचालय खंड का निर्माण।

एफआईआईआई तथा एसआरएफटीआई को विश्वविद्यालय का दर्जा

1356. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे तथा सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा देकर इन संस्थाओं द्वारा दी जाने वाले डिग्री को मान्यता देने के लिए कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित करने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) से (ग) आईआईटी, एनआईटी व एनआईएफटी की तर्ज पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन फिल्म एवं टेलीविजन संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित करने के प्रमुख उद्देश्य से एक विधेयक का प्रस्ताव किया गया है ताकि इन संस्थानों में एक पुनर्गठित प्रशासनिक संरचना स्थापित की जा सके, उन्हें शैक्षिक निकाय बनाया जा सके और साथ ही, इन संस्थानों द्वारा संचालित किए जा रहे पाठ्यक्रमों को सांविधिक मान्यता प्राप्त हो सके। इसके लिए अन्य विभागों/मंत्रालयों के साथ व्यापक परामर्श करना होगा और इसके प्रवर्तन से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने जैसी अन्य प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। इस प्रकार, यह एक समय लगने वाली प्रक्रिया है और इस चरण में कोई समय-सीमा निर्धारित करना मुश्किल होगा।

भण्डारण स्थान का दुरुपयोग

1357. श्री सी.आर. पाटिल:
श्री मिथिलेश कुमार:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में भण्डारण स्थान की कमी तथा खाद्यान्नों की क्षति के मद्देनजर नए गोदाम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के खाद्यान्नों के भण्डारण हेतु बने भण्डागारों का शराब की बोतलों सहित अन्य मदों के भण्डारण के लिए उपयोग होने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) उत्तरदायी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने सहित इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गयी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) सरकार ने खाद्यान्नों की अधिक खरीदारी होने के कारण और कवर तथा प्लिंथ के अधीन भंडारण में कमी करने के लिए निजी उद्यमियों, केंद्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के जरिए भंडारण गोदामों का निर्माण करने की स्कीम तैयार की है।

इस स्कीम के अधीन 19 राज्यों में लगभग 151 लाख टन क्षमता सृजित की जानी है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी हां। राजस्थान स्टेट ब्रेवरीज कारपोरेशन लिमिटेड को गोदाम पट्टे पर देने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ये शिकायतें बंद कर दी गई थीं क्योंकि, स्टाक कम होने के समय गोदाम किराए पर देने की भारतीय खाद्य निगम की नीति के अनुसार गोदाम किराए पर दिए गए थे और इसलिए किसी अधिकारी को जिम्मेदार नहीं माना गया था। ये गोदाम 1.4.2010 से खाली हो गए हैं।

विवरण

30.10.2011 की स्थिति के अनुसार गारंटी योजना के तहत स्वीकृत क्षमता की स्थिति

क्र.सं.	एजेंसी	कुल अनुमोदित क्षमता (आंकड़े टन में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	451,000
2.	बिहार	300,000
3.	छत्तीसगढ़	222,000
4.	गुजरात	80,000

1	2	3
5.	हरियाणा	3,880,000
6.	हिमाचल प्रदेश	142,550
7.	जम्मू और कश्मीर	361,690
8.	झारखंड	175,000
9.	कर्नाटक	416,500
10.	मध्य प्रदेश (डीसीपी)	360,000
11.	केरल	15,000
12.	महाराष्ट्र	655,500
13.	ओडिशा (डीसीपी)	300,000
14.	पंजाब	5,125,000
15.	राजस्थान	250,000
16.	तमिलनाडु	345,000
17.	उत्तराखंड	25,000
18.	उत्तर प्रदेश	1,860,000
19.	पश्चिम बंगाल (डीसीपी)	156,600

[हिन्दी]

हूजी तथा आई.एस.आई. की गतिविधियां

1358. श्री गोपीनाथ मुंडे: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी (हूजी) तथा इन्टर सर्विसेज इंटेलीजेन्स (आई.एस.आई.) की गतिविधियां बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में पकड़े गए हूजी और आई.एस.आई. एजेंटों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) जी हां, दिनांक 17.11.2009 को एस.टी.एफ. कोलकाता द्वारा तीन बांगलादेशी राष्ट्रिकों तथा हूजी के कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। उनके कब्जे से 30 लाख रुपए के जाली भारतीय करेंसी नोट बरामद किए गए थे।

वर्ष 2009-2011 की अवधि के दौरान चार आई.एस.आई. एजेंटों/कार्यकर्ताओं/प्रशिक्षित पाक नागरिकों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

(घ) सरकार आतंकवाद के सभी रूपों एवं अभिव्यक्तियों का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि इसका कोई भी कारण, चाहे वह वास्तविक अथवा काल्पनिक जैसा भी हो, आतंकवाद अथवा हिंसा को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता। अतिवाद और आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की ताकत को बढ़ाना; निजी औद्योगिक उपक्रमों के संयुक्त उद्यमों में सी.आई.एस.एफ. की तैनाती करने के लिए सी.आई.एस.एफ. अधिनियम में संशोधन, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुम्बई में एन.एस.जी. हबों की स्थापना; आपात स्थिति में एन.एस.जी. के कार्मिकों के आवागमन के लिए हवाई जहाज की मांग करने के लिए महानिदेशक, एन.एस.जी. को शक्तियां प्रदान करना, बहु-एजेंसी केन्द्र को सशक्त बनाना और उसका पुनर्गठन करना, ताकि वह अन्य आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ आसूचना को सही समय पर एकत्र करने और उनका आदान-प्रदान करने के लिए चौबीसों घण्टे प्रतिदिन (24×7) आधार पर कार्य कर सके; आप्रवासन नियंत्रण को सख्त बनाना;

सीमाओं पर चौबीसों घण्टे निगरानी और गश्त लगा करके प्रभावकारी सीमा प्रबंधन, प्रेक्षण चौकियों की स्थापना; सीमा पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी करना, आधुनिक एवं उच्च प्रौद्योगिकी उपकरण लगाना; आसूचना तंत्र का उन्नयन और तटीय सुरक्षा शामिल हैं। आतंकवाद का दमन करने के लिए निवारक उपायों को कठोर बनाने के लिए वर्ष 2008 में विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को संशोधित और अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया है ताकि अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले अपराधों की जांच की जा सके और अभियोजना चलाया जा सके। आतंकवाद के खतरों से निपटने के एक उपाय के रूप में राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नैटग्रिड) का सृजन किया गया है।

धन शोधन निवारण अधिनियम को वर्ष 2009 में संशोधित किया गया है ताकि उसमें अन्य बातों के साथ-साथ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कतिपय

अपराधों को स्थापित (प्रेडिकेट) अपराध के रूप में शामिल किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, सरकार विभिन्न बहु-पक्षीय एवं द्विपक्षीय मंचों के साथ-साथ बहुस्तरीय द्विपक्षीय परिसंवादों में सीमापार आतंकवाद के सभी पहलुओं और इसके वित्तपोषण के मुद्दों को उठाती रहती है।

[अनुवाद]

संशोधित कृषि बीमा योजना

1359. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एम.एन.ए.आई.एस.) के अंतर्गत कृषकों को मुआवजा दिलाने के लिए कुहरा, लू तथा ओलावृष्टि द्वारा विभिन्न फसलों के लिए हुई प्राकृतिक क्षति को भी शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषकों को हुए कृषि फसल के नुकसान हेतु मौसम बीमा को शामिल करके एम.एन.ए.आई.एस. को और अधिक व्यापक बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) कोहरा, लू एवं ओलावृष्टि समेत कई प्राकृतिक कारणों से फसलों की सामान्य उपज में कमी के लिए वित्तीय क्षतिपूर्ति देने के लिए एम.एन.ए.आई.एस. एक व्यापक बीमा योजना है। फसल कटाई प्रयोगों (सी.सी.ई.) के वैज्ञानिक तरीके से उपज का आकलन किया जाता है।

(ग) और (घ) एम.एन.ए.आई.एस. के तहत प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसानों को तत्काल राहत देने के लिए संभावित दावों के 25% की अग्रिम अदायगी का एक प्रावधान है। प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण बुआई/रोपण जोखिम रोकने के लिए बीमित राशि का 25% भुगतान करने का भी प्रावधान रखा गया है।

दिल्ली में नक्सली

1360. **श्री यशवीर सिंह:**
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री नीरज शेखर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नक्सलियों ने दिल्ली में अपना अड्डा स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान दिल्ली से अब तक गिरफ्तार किए गए नक्सलियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नक्सलियों के लिए प्रछन्न रूप से काम करने वाले व्यक्तियों की टोलियां भी राजधानी में सक्रिय हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नक्सलियों ने देश और विदेशों में कुछ आतंकी समूहों के साथ संयुक्त मोर्चे बनाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) सी.पी.आई. (माओवादी) दिल्ली में अपने गुट की दिल्ली शहर समिति के माध्यम से कार्य करती है। सी.पी.आई. (माओवादी) के अतिरिक्त, सी.पी.एम.एल. - न्यू डेमोक्रेसी तथा सी.पी.एम.एल. - लिबरेशन सहित कई वामपंथी उग्रवादी (एल.डब्ल्यू.ई.) समूह दिल्ली में सक्रिय हैं। इसके अलावा, सी.पी.आई. (माओवादी) के अग्रणी संगठन जैसे कि रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी फ्रंट (आर.डी.एफ.), राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए समिति (सी.आर.पी.पी.), पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑव् इंडिया (पी.डी.एफ.आई.), डेमोक्रेटिक स्टूडेन्ट्स यूनियन (डी.एस.यू.) इत्यादि दिल्ली में सक्रिय हैं।

(ख) चालू वर्ष में, छत्तीसगढ़ के एक सी.पी.आई. (माओवादी) समर्थक को सी.पी.आई. (माओवादी) द्वारा छत्तीसगढ़ में एस्सार समूह से जबरन धन वसूलने में कथित रूप से लिप्त रहने के कारण गिरफ्तार किया गया था।

(ग) और (घ) वर्तमान में दिल्ली में नक्सलियों के लिए प्रच्छन्न रूप से काम करने वाले व्यक्तियों की टोलियों (स्लीपर सेल) के सक्रिय होने की सूचना देने वाली कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि, ऊपर उल्लिखित दिल्ली शहर समिति और सी.पी.आई. (माओवादी) के अग्रणी संगठन दिल्ली में सक्रिय हैं। ऐसी गतिविधियों पर गहन निगरानी रखी जा रही है।

(ङ) और (च) सी.पी.आई. (माओवादी) और इसके अग्रणी संगठन भारत गणराज्य के विरुद्ध 'स्ट्रेजिक यूनाइटेड फ्रंट' के तहत विभिन्न उग्रवादी समूहों को एकजुट करने की अपनी रणनीति के अनुसरण में पूर्वोत्तर स्थिति विभिन्न भारत - विरोधी उग्रवादी समूहों से संबंध स्थापित करने का प्रयास करते रहे हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार

1361. **डॉ. संजय सिंह:**
श्रीमती रमा देवी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रत्येक पुलिस स्टेशन में लोक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले छः माह के दौरान माह-वार दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(घ) क्या सरकार ने इस शिकायतों के आधार पर कोई जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मलयालम कार्यक्रमों का प्रसारण

1362. श्री पी. करूणाकरण: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी और एफ.एम. रेडियो पर मलयालम कार्यक्रमों का प्रसारण केरल के उत्तरी भागों में उपलब्ध नहीं होता;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय, आकाशवाणी की संरचना केरल के 8 स्थानों नामतः अलापुझा (अलप्पी), देवीकुलम (इड्डुकी), कन्नूर, कोच्चि, कोझिकोड (कालीकट), मेन्जेरी, तिरुवंतपुरम व त्रिशूर में उपलब्ध है। पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र होने के कारण कुछ उत्तरी भाग को छोड़कर इन ट्रांसमीटरों द्वारा पूरे केरल को कवर किया जाता है। तथापि, इस क्षेत्र को शॉर्ट वेब द्वारा और डी.डी. डायरेक्टर प्लस पर के.यू. बैंड पर उपलब्ध डी.टी.एच. सेवा द्वारा कवर किया जाता है।

(ग) स्थलीय एफ.एम. कवरेज में वृद्धि करने के लिए 11वीं योजना में कासरगोड स्थित 100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटर सहित केरल के निम्नलिखित 5 स्थानों में एफ.एम. ट्रांसमीटर स्थापित किए जा रहे हैं जोकि अभी तक कवर न होने वाले क्षेत्रों को कवर करेंगे:-

क्र.सं.	स्थान	एफ.एम. ट्रांसमीटर की क्षमता
1.	इड्डुकी	100 वाट
2.	कलपेट्टा	100 वाट
3.	कासरगोड	100 वाट
4.	पुनालूर	100 वाट
5.	त्रिशूर	1 कि.वा.

[हिन्दी]

सीमाओं पर सुरक्षा

1363. श्री जगदानंद सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-नेपाल और भारत-बांग्लादेश सीमावर्ती क्षेत्रों में की गई सुरक्षा व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाल ही में उक्त सीमा पर बड़ी मात्रा में उर्वरक, अनाज, पैट्रोलियम-उत्पाद, हथियार इत्यादि जब्त किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नेपाल सीमा पर तस्करी रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) भारत-नेपाल सीमा पर सीमा रक्षक बल है। एस.एस.बी. ने भारत-नेपाल सीमा पर अब तक 450 सीमा जांच चौकियां (बी.ओ.पी.) स्थापित की हैं। प्रत्येक बी.ओ.पी. की स्वीकृत संख्या एक प्लाटून है।

सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा रक्षक बल है, जिसकी इस सीमा पर 1185 स्वीकृत सीमा जांच चौकियों सहित 75 बी.एस.एफ. बटालियानें हैं। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र के नदीय क्षेत्रों में प्रभुत्व बनाए रखने के लिए 3 तैरने वाली (फ्लोटिंग) सीमा जांच चौकियां (बी.ओ.पी.) भी तैनात की गई हैं।

(ख) और (ग) उत्तर संलग्न विवरण दिया गया है।

(घ) एस.एस.बी. भारत-नेपाल सीमा पर गश्त और नाकाबंदी जैसी विभिन्न गतिविधियां नियमित रूप से चलाती हैं। सीमा पार करने वाले लोगों की औचक और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी दोनों के आधार पर जांच भी की जा रही है। इस संबंध में नियमित निगरानी की जा रही है।

विवरण

चालू वर्ष (दिनांक 13.10.2011) के दौरान भारत-नेपाल और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर उर्वरकों, अनाजों, पेट्रोलियम पदार्थों, हथियारों इत्यादि की जब्ती का ब्यौरा

1. भारत-नेपाल सीमा

क्र.सं.	मद	मात्रा/जब्त की गई वस्तुओं का मूल्य (रुपये)
1.	उर्वरक (धनराशि रुपये में)	19,72,860
2.	अनाज (कि.ग्रा. मात्रा)	4,91,275 कि.ग्रा. 76,68,256/ रु. के मूल्य का
3.	पेट्रोलियम उत्पाद (मुख्यत: डीजल, केरोसिन, लीटर में)	5,650 लीटर 1,89,619/ रु. के मूल्य का
4.	हथियार (संख्या)	06

2. भारत-बांग्लादेश सीमा

क्र.स.	मद	मात्रा/जब्त की गई वस्तुओं का मूल्य (रुपये)
1.	उर्वरक (धनराशि रुपये में)	7,568 कि.ग्रा. 91,661 कि.ग्रा.
2.	अनाज (किग्रा मात्रा)	15,23,613 रुपये के मूल्य का 49,596 कि.ग्रा.
3.	पेट्रोलियम उत्पाद मुख्यत: डीजल, केरोसिन (लीटर में)	832 लीटर 67,380/ रुपये के मूल्य का
4.	हथियार (संख्या)	42

[अनुवाद]

सरकारी मकानों में निर्माण

1364. श्री मानिक टैगोर: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विशेष रूप से एन.डी.एम.सी. क्षेत्रों में सरकारी क्वाटरों में कुछ आबंटियों द्वार गैर-कानूनी रूप से निर्माण कार्य/अतिरिक्त कमरे बनाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कालोनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि दिल्ली नगर निगम कार्पोरेशन क्षेत्रों में सरकारी कॉलोनियों में मकानों में अतिरिक्त निर्माण/अतिरिक्त कमरे बनाए जाने के 6761 मामले उनके ध्यान में लाए गए हैं। इनके ब्यौरे संलग्न हैं।

(ग) मौजूदा आबंटी द्वारा आवास खाली करने और उसका नए आबंटी को पुर्नआबंटन करने की अवधि के दौरान सरकारी क्वार्टरों में अनधिकृत निर्माण हटाने का निर्णय लिया गया है। आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, इस मंत्रालय के दिनांक 21 जून, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11010/1/2010-डब्ल्यू. 1 के तहत इस निर्णय की सूचना संबंधित प्राधिकरणों को दी गई है। तदनुसार सरकारी क्वार्टरों में अनधिकृत निर्माण को हटाना एक सतत प्रक्रिया है तथा संबंधित एजेंसियां निर्धारित नीति मार्गनिर्देशों के अनुसार कार्रवाई करती हैं।

विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र/कॉलोनी/पूछताछ कार्यालय	अनधिकृत निर्माण/ अतिरिक्त कमरे
1	2	3
1.	फिरोजशाह रोह	22
2.	सुनहरी बाग लेन	39
3.	नार्थ एवेन्यू	78
4.	साउथ एवेन्यू	34
5.	कृष्णमेनन लेन	22
6.	भारती नगर	48
7.	तिलक लेन	20
8.	काका नगर	96
9.	बापा नगर	21
10.	पंडारा रोड	194
11.	पंडारा पार्क	3
12.	कार्नवालिस रोड	9
13.	हुमायू रोड	4
14.	शाहजहां रोड	35
15.	रविन्द्र नगर	37
16.	बंगाली मार्केट	32
17.	अतुलग्रोव रोड	3
18.	टेलीग्राफ लेन	7
19.	कॉपरनिक्स लेन	1
20.	मोती बाग	470
21.	नेताजी नगर	1795
22.	चाणक्यपुरी	35
23.	सरोजनी नगर	434
24.	लोधी कॉलोनी	243
25.	लक्ष्मीबाई नगर	313
26.	किदवई नगर	477
27.	नौरोजी नगर	125
28.	नानकपुरा	160
29.	आर के पुरम से.-1 मोहम्मदपुर	83
30.	आर के पुरम से. 2	240
31.	आर के पुरम से. 3	257
32.	आर के पुरम से. 5	394
33.	आर के पुरम से. 7	253
34.	आर के पुरम से. 8	108
35.	आर के पुरम से.-9	126
36.	आर के पुरम से. 12	78
37.	एण्ड्रयूजगंज	50
38.	सादिक नगर	39
39.	श्रीनिवास	144
40.	कस्तूरबा नगर	85
41.	त्यागराज नगर	10
42.	से. I, पुष्प विहार	74
43.	से. IV पुष्प विहार	25
44.	से. VII, पुष्प विहार	38
	कुल	6761

[हिन्दी]

डेयरी विकास

1365. कुमारी मीनाक्षी नटराजनः
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से डेयरी विकास के बारे में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ, राज्यवार कितने अनुदान आबंटित किए गए;

(घ) क्या सरकार का विचार मवेशी खरीदने हेतु किसानों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा 31.10.2011 तक, 1,16,292.17 लाख रुपए के कुल परिव्यय से 296 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है और सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आई.डी.डी.पी.), गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण (एस.आई.क्यू. एवं सी.एम.पी.) और सहकारिताओं को सहायता (ए-सी) नामक योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के तहत बिहार राज्य सहित 28 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों को 74,788.16 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है। अनुमोदित परिव्यय और जारी की गई धनराशि को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण, अनुबंध में दिया गया है। राज्य सरकारों/राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को आई.डी.डी.पी. और एस.आई.क्यू. एवं सी.एम.पी. योजनाओं के अंतर्गत 47 प्रस्तावों के लिए, जो योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार संस्वीकृति के लिए पात्र नहीं है, संशोधित प्रस्ताव/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

(ग) सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आई.डी.डी.पी.), गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण (एस.आई.क्यू. एवं सी.एम.पी.) और सहकारिताओं को सहायता (ए-सी) नामक योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार जारी की गई धनराशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) विभाग के पास गोपशुओं की खरीद के लिए कृषकों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है। तथापि, डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना (डी.ई.डी.एस) के अंतर्गत परियोजना लागत की 25% तक बैक एंडिड पूंजीगत राजसहायता (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 33.33%) लाभार्थियों को दी जाती है।

विवरण

31.10.2011 तक आईडीडीपी, सीएसपी और सहकारिताओं को सहायता योजना के अंतर्गत कुल अनुमोदित लागत, केन्द्रीय हिस्सेदारी और जारी की गई धनराशि

(लाख टन में)

		सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीडीपी)			गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण (सीएमपी)				सहकारिताओं को सहायता (एसी)			
क्र.सं	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	कुल अनुमोदित लागत (केन्द्रीय हिस्सेदारी)	कुल जारी	परियोजनाओं की संख्या	कुल अनुमोदित लागत	कुल केन्द्रीय हिस्सेदारी	कुल जारी	परियोजनाओं की संख्या	कुल अनुमोदित लागत	कुल केन्द्रीय हिस्सेदारी	कुल जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	3	1939.56	2116.76	0	649.00	552.76	338.25	0	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	1221.73	621.00	4	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
3.	असम	2	1849.11	1095.38	2	143.32	118.69	36.54	1	2224.01	1131.28	678.00
4.	बिहार	6	1364.17	1198.65	4	445.68	362.53	249.05	0	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	3	1836.79	856.20	0	0.00	0.00	0.00	1	480.00	240.00	235.00
6.	गोवा	1	259.46	170.78	1	246.36	193.16	193.16	0	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	1	600.00	600.00	11	4257.58	3380.21	2948.91	0	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	4	2768.18	2506.67	6	985.64	813.57	813.57	2	988.12	494.06	494.00
9.	हिमाचल प्रदेश	3	2572.79	1972.95	4	298.64	252.24	224.59	0	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	2	1243.29	770.26	1	376.13	307.61	135.36	0	0.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	3	938.70	683.79	0				0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	कर्नाटक	0		72.00	19	2410.22	1936.75	1637.36	4	1581.08	790.54	790.54
13.	केरल	4	3516.63	2483.23	17	3859.79	3154.00	2628.35	1	413.20	206.60	206.60
14.	मध्य प्रदेश	6	3040.90	2266.82	4	804.23	638.08	638.08	4	5350.00	2675.00	2675.00
15.	महाराष्ट्र	3	4927.09	4928.08	18	4023.77	3210.86	2076.60	4	834.90	417.45	417.45
16.	मणिपुर	3	1800.69	1290.91	1	21.00	21.00	21.00	0	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	2	613.81	580.21	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	5	1435.91	1381.57	2	277.88	236.73	165.24	0	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	4	2092.11	1733.01	2	91.24	86.77	82.65	1	20.47	10.24	10.24
20.	ओडिशा	10	6688.79	4497.62	7	923.46	775.67	631.58	0	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	0			8	2675.29	2204.87	1158.35	6	9488.10	4744.05	2507.27
22.	राजस्थान	4	2607.34	1997.57	10	940.39	772.75	772.75	0	0.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	5	2328.51	2285.62	2	127.77	127.77	127.77	0	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	6	2961.88	2016.38	13	2342.27	1902.71	1464.55	4	2403.99	1202.00	1173.49
25.	त्रिपुरा	3	919.55	919.55	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	6	3468.36	2819.39	14	1321.10	1115.77	998.32	10	5255.64	2627.82	1894.97
27.	उत्तरांचल	3	3946.62	2667.75	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	4	1644.77	883.24	7	473.71	434.07	332.89	1	643.84	321.92	321.92
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	239.41	221.91	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
30.	पुडुचेरी	0			1	88.20	71.46	71.46	0			
	कुल	99	58826.15	45637.30	158	27782.67	22670.03	17746.38	39	29683.35	14860.96	11404.48

सकल योग परियोजनाओं की संख्या	296
सकल योग अनुमोदित परिव्यय	116292.17
सकल योग जारी निधि	74788.16

गोचर भूमि का विस्तार

1366. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में निरन्तर घट रही गोचरभूमि के विस्तार हेतु कोई योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) कृषि मंत्रालय चारागाह भूमि के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कोई नई स्कीम तैयार नहीं कर रहा है। तथापि, देश में चारागाह विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के पास कई स्कीमें/कार्यक्रम कार्यान्वियनाधीन है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नवत् है:

(i) केन्द्रीय प्रायोजित चारा एवं आहार विकास स्कीम।

(ii) समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम।

(iii) वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना।

(iv) नदी घाटी परियोजना एवं बाढ़ प्रवण नदी के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।

(v) झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजनाएं।

(vi) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम।

(vii) राष्ट्रीय अभिनव कृषि परियोजना।

एनजीओ को सहायता

1367. श्री राम सिंह कस्वां:
श्री संजय सिंह:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृषि क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को (एन.जी.ओ. से) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में राज्य-वार/एन.जी.ओ.-वार दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों से वित्तीय अनियमितताओं की खबरें हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार ने उक्त एन.जी.ओ. द्वारा किए गए कार्यों का लाभ ग्राम स्तर पर पहुंचाने के लिए क्या उपाय किए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) आमतौर पर कृषि के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को भारत सरकार द्वारा सीधे सहायता मुहैया नहीं कराई जाती है। ऐसी सहायता कुछ स्कीमों और कार्यक्रमों के अधीन राज्य मुहैया कराते हैं। कृषि मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अधीन एन.जी.ओ. को मुहैया कराई गई सहायता में संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) लागू नहीं।

(घ) इन स्कीमों के अधीन विभिन्न क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण I

कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में एनजीओ के द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता

1. "भारत में कीट प्रबंधन तंत्र का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण" की केन्द्रीय क्षेत्र योजना
क. जैव-नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	एनजीआ का नाम एवं पता	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्तर प्रदेश	मैसर्स लोकउद्योग सेवा संस्थान, एटीएण्डपी-सिकरौर, आजमगढ़	4.34	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
2.	मणिपुर	मैसर्स एक्शन फार रूरल अपलिफ्टमेंट सर्विस (एएफआयूएस), हिरोक, भाग-1, पी.ओ. वनीना, जिला-थोबल	4.83	–	–	–
3.	तमिलनाडु	मैसर्स राजेन्द्र कृषि अनुसंधान एवं ग्रामीण विकास फाउंडेशन (आरएएफएफएआरआरडी), चित्तूर	2.98	–	–	–
4.	उत्तर प्रदेश	मैसर्स यश कृषि तकनीकी एवं विज्ञान केन्द्र, इलाहाबाद	–	–	3.00	–
ख. कृषक फील्ड स्कूल						
1.	उत्तर प्रदेश	मैसर्स कृषि संसाधन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय सुधार फाउंडेशन (एफएआरएमईआर) एसजे-14, शास्त्रीनगर गाजियाबाद-201002	–	–	–	*2.92
2. राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) के तहत अनुसंधान एवं विकास परियोजना (एनबीएम)						
1.	असम	निदेशक/गन्ना एवं बांस प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीबीटीसी) नारकल बस्ती, हू-नारंगी रोड, गुवाहाटी-781024	130.84	76.96	45.00	–
2.	मध्य प्रदेश	कार्यक्रम संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र माजगावन, सतना-485331	–	4.13	–	–
3.	मणिपुर	अध्यक्ष, एफईईडीएस/केवीके-सिलवन, बी.पी.ओ. हेंगबंग, पी.ओ. कांगपोकपी, सेनापति जिला, मणिपुर-795129	–	–	600.00	459.00

*डीएसी से संस्वीकृति प्राप्त हुई परन्तु अब तक राशि निर्मुक्त नहीं की गई।

3. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित एनजीओ द्वारा चलाये जा रहे कृषि विज्ञान केन्द्र

(लाख रु. में)

क्र.स.	एनजीओ केवीके का नाम (राज्य/के.श.प्रदेश)	निम्नलिखित अवधि के दौरान निर्मुक्त की गई निधियां				कुल
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा						
1.	भागवत भक्ति आश्रम, रामपुरा, रेवाड़ी	52.00	56.10	104.46	30.73	243.29
2.	सोसायटी फार क्रिएशन आफ हेवेन आन अर्थ, अम्बाला	51.91	69.85	92.36	30.44	244.56
	कुल	103.91	125.95	196.82	61.17	487.85

1	2	3	4	5	6	7
बिहार						
1.	श्रम भारती, जिला जमुई	45.96	37.35	111.71	31.55	226.57
2.	वनवासी सेवा केन्द्र, कैमूर	51.1	43.5	108.62	35.54	238.76
3.	एस.के. चौधरी एजुकेशन ट्रस्ट, मधुबनी	50.21	39	90.03	26.25	205.49
4.	ग्राम निर्माण मंडल आश्रम, नवादा	74.43	57.1	103.62	42.45	277.6
5.	समता सेवा केन्द्र, सीतामढ़ी	42.75	38.93	117.95	25.1	224.73
	कुल	264.45	215.88	531.93	160.89	1173.15
झारखंड						
1.	संथाल पहाड़िया सेवा मंडल, देवघर	75.4	67.25	97.55	26.25	266.45
2.	ग्रामीण विकास ट्रस्ट, गोड्डा	61.19	60.7	104.68	28.25	255.12
3.	रिसर्च एण्ड स्टडी सेंटर, गुमला	49.73	42.31	126.19	33.79	252.02
4.	होलीक्रामस वी.टी.आई. हजारीबाग	62.56	50.2	120.33	38.31	271.4
5.	राम कृष्ण मिशन आश्रम, दिव्यमान, रांची	38.3	48	134.92	32.37	253.59
	कुल	287.18	268.46	583.67	159.27	1298.58
पश्चिम बंगाल						
1.	कल्याण, पुरूलिया	82.02	65.77	116.98	42.03	306.8
2.	श्री राम कृष्ण आश्रम, साउथ 24-परगना	79.92	55.2	166.98	45.35	347.45
3.	सेवा भारती, वेस्ट मिदनापुर	70.8	55.4	130.52	35.03	291.75
	कुल	232.74	176.37	414.48	122.41	946.00
मणिपुर						
1.	उटाउ ज्वाइंट फारमिंग कम पीसी कल्चर को. सोसायटी लि. बिशनपुर, मणिपुर	37.25	51.05	206.59	57.6	352.49
2.	फाउंडेशन फार इनवारमेंट एण्ड इको. डेवे. सर्विस सेनापति, मणिपुर	39.00	50.3	165.8	51.96	307.06
	कुल	76.25	101.35	372.39	109.56	659.55
त्रिपुरा						
1.	श्री रामकृष्ण सेवा केन्द्र, वेस्ट त्रिपुरा	38.75	46.6	133.19	33	251.54

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश						
1.	कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, सुल्तानपुर	66.68	55.05	114.31	5.00	241.04
2.	आरबीएस कॉलेज, एटा	74.60	55.55	117.73	18.78	266.66
3.	दीनदयाल अनुसंधान संस्थान गोंडा	76.46	51.55	114.97	5.00	247.98
4.	दीनदयाल अनुसंधान संस्थान चित्रकूट	59.05	63.50	125.25	18.78	266.58
5.	इलाहाबाद कृषि संस्थान, इलाहाबाद	77.97	50.80	108.79	19.46	257.02
6.	राजा अवधेश सिंह मेमोरियल सोसायटी, प्रतापगढ़	39.55	59.30	100.03	18.78	217.66
7.	कुंवर राम बक्स सिंह एजुकेशनल सोसाइटी, उन्नाव	47.12	43.80	116.75	10.30	217.97
8.	पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, गाजीपुर	43.30	44.80	121.70	17.32	226.92
9.	आर.बी.एस. कॉलेज, बिचपुरी, आगरा	38.80	40.00	128.72	17.12	224.64
10.	मानव विकास एवं सेवा संस्थान, सीतापुर	43.10	44.30	100.96	21.78	210.14
11.	डा. भीमराव अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी, कौशाम्बी	47.95	44.55	87.14	17.12	196.76
12.	सरपंच समाज, औरैया	77.00	82.30	99.65	10.30	269.25
13.	रणवीय रनजय डिग्री कॉलेज एशोसिएशन, सीतापुर-II	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
	कुल	691.58	635.50	1336.00	184.54	2847.62
आंध्र प्रदेश						
1.	रायलसीमा सेवा समिति, चितौड़	75.26	62.90	82.20	59.00	279.36
2.	विनयआश्रम चेरूकुपाली मंडल, गुंटूर	63.76	14.23	118.13	91.00	287.12
3.	ग्राम नव निर्मल समिति, करीमनगर	68.86	60.00	126.67	62.00	317.53
4.	श्री हनुमंथराया एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसायटी, कुरनूल	77.42	56.75	132.89	64.00	331.06
5.	यूथ फार एक्शन, महबूबनगर	56.79	22.01	70.42	37.00	186.22
6.	डेक्कन डेवलपमेन्ट सोसायटी, मेडक	30.43	27.00	62.44	42.00	161.87
7.	अरबिन्दो इन्स्टीटयूट आफ रूरल डेवलपमेंट, नलगोंडा	141.54	92.50	215.17	86.00	535.21

1	2	3	4	5	6	7
8.	भागवतुला चैरिटेबल ट्रस्ट, विशाखापट्टनम	77.50	59.25	101.41	57.00	295.16
	कुल	591.56	394.64	909.33	498.00	2393.53
महाराष्ट्र						
1.	प्रवर इंस्टीटयूट आफ रिसर्च एण्ड एजुकेशन, अहमदनगर	82.05	79.56	135.75	76.00	373.36
2.	रूरल डेवलपममेंट एण्ड रिसर्च फाउंडेशन, अकोला	105.64	79.90	118.74	82.00	386.28
3.	श्रम साधना ट्रस्ट, अमरावती	89.23	54.15	134.28	68.00	345.66
4.	दीन दयाल रिसर्च इंस्टीटयूट, बीड	66.15	55.00	125.27	57.00	303.42
5.	सतपुडा एजुकेशनल सोसायटी, बुल्डाना	55.76	39.70	110.27	52.00	257.73
6.	संत नामदेव सेवाभावी संस्था, हिंगोली	52.65	45.67	113.19	52.00	263.51
7.	सतपुड़ा विकास मंडल, जलगांव	57.93	41.70	97.74	52.00	249.37
8.	मराठवाड़ा शेट्टी सहाय मंडल, जालना	57.34	40.80	97.69	52.00	247.83
9.	डी.वाई. पाटील एजुकेशनल सोसायटी, कोल्हापुर	37.99	26.90	83.58	52.00	200.47
10.	मंजारा चैरिटेबल ट्रस्ट, लातुर	77.45	87.50	137.22	52.00	354.17
11.	संस्कृति समवर्धन मंडल, नान्देड़	35.00	24.75	54.79	42.00	156.54
12.	डा. हेडगेवर सेवा समिति, नन्दुरबार	49.95	38.94	115.03	57.00	260.92
13.	जीवन ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, परभनी	53.12	24.25	47.02	47.00	202.39
14.	एग्री. डेवलपमेंट ट्रस्ट, पुणे	69.91	65.90	108.00	62.00	305.81
15.	वसन्त प्रकाश विकास प्रतिष्ठान, सांगली	52.33	30.30	79.93	52.00	214.56
16.	कल्याणी गोरक्षण ट्रस्ट, सतारा	41.25	30.25	73.64	57.00	202.14
17.	सिन्धुदुर्ग जिला कृषि प्रतिष्ठान, सिन्धुदर्ग	36.11	38.35	95.46	57.00	226.92
18.	सबरी कृषि प्रतिष्ठान, सोलापुर	53.38	50.05	109.32	63.00	275.75
19.	गोखले एजुकेशनल सोसायटी, थाणे	57.78	40.75	106.29	57.00	261.82
20.	एसयूबीआईडीई फाउंडेशन, वसीम	70.23	45.65	107.46	57.00	280.34
21.	ग्रामोन्नति मंडल, पुणे (एन)	0.00	0.00	26.86	52.00	78.86
22.	श्रम साधना ट्रस्ट, अकोला (यू)	0.00	0.00	35.20	52.00	87.20
23.	रिच फील्ड एग्रो-ई-रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट	0.00	0.00	0.00	54.95	54.95

1	2	3	4	5	6	7
	सेंटर नासिक (एम)					
24.	जे.एन. इंस्टीटयूट आफ एजुकेशन साइंस एण्ड टेकनिकल रिसर्च पोखरानी (फाटा), नान्देड़ (एस)	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00
	कुल	1201.25	940.07	2143.73	1351.95	5637.00
राजस्थान						
1.	सोसायटी फार अपलिफ्टमेंट आफ रूरल इकनॉमी बारमेड़	57.58	39.10	83.57	37.88	180.25
2.	विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर	66.48	63.10	150.09	33.76	279.67
3.	गांधी विद्या मंदिर, चुरू	56.55	40.10	100.94	45.26	197.59
4.	प्रगति ट्रस्ट, जयपुर	62.29	61.60	135.43	36.50	259.32
5.	बनस्थली विद्यापीठ, टोंक	48.63	49.51	60.17	41.50	158.31
6.	ग्रामोथान विद्यापीठ, हनुमानगढ़	53.15	48.60	146.25	36.00	248.00
	कुल	344.68	302.01	676.45	230.90	1323.14
गुजरात						
1.	गुजरात विद्यापीठ, गांधीनगर	70.94	68.22	123.42	40.00	262.58
2.	गुजरात विद्यापीठ, बलसाड	58.74	66.86	137.80	47.75	263.40
3.	गुजरात विद्यापीठ, खेड़ा	91.62	47.85	115.48	32.00	254.95
4.	सरस्वती ग्राम विद्यापीठ, पाटन	50.11	52.10	88.60	29.76	190.81
5.	रूरल एग्रो रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सोसायटी, कच्छ	53.53	45.60	120.71	32.76	219.84
6.	मंगल भारती भादुरपुर, वडोदरा	39.17	56.09	81.28	28.88	176.54
7.	भारतीय एग्रो इन्डस्ट्रीज फाउंडेशन, भरूच	21.95	30.50	29.95	24.55	82.40
8.	मेहसाना डिस्ट्रीक एजुकेशन फाउंडेशन, महसाना	81.97	49.60	110.91	31.00	242.48
9.	अम्बुजा सीमेंट फाउंडेशन, जुनागढ़	103.11	58.07	130.19	31.0	291.37
10.	लोकभारती ग्रामविद्यापीठ, भावनगर	0.00	19.25	74.02	26.96	93.27
	कुल	571.14	494.14	1012.36	324.66	2077.64

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश						
1.	लोकमत्स देवी अहिल्या बाई होलकर सोसल नेशनल मिशन, बहरानपुर	30.75	75.35	112.21	159.37	377.68
2.	कस्तुरबा गांधी नेशनल मेमोरियल, ट्रस्ट, इंदौर	41.25	50.25	104.27	145.17	340.94
3.	कालुखेड़ा शिक्षा समिति, रतलाम	78.88	47.85	83.66	89.45	299.84
4.	पीडीकेवीएएस, रायसेन	47.95	40	79.3	94.95	262.2
5.	दीन दयाल रिसर्च इंस्टीटयूट, सतना	61.22	44.25	88.48	60	253.95
6.	सेंटर फार रूरल डवलपमेंट एण्ड इनवारमेंट, शिवहर	86.5	46.11	72.07	83.97	288.65
7.	मालवा महिला विकास समिति, विदिशा	0	0	0	0	0
	कुल	346.55	303.81	539.99	632.91	1823.26
कर्नाटक						
1.	बेलगांव इंटिग्रीटेड रूरल डेवलमेंट सोसायटी, बेलगांव	56.77	53.00	130.28	36.75	276.80
2.	कर्नाटक लिंगायत एजुकेशन सोसायटी, बेलगांव-ए	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
3.	तरलाबालू रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, देवनगर	36.65	48.70	142.53	35.25	263.13
4.	के.एच. पाटिल एग्रीकल्चर साइंसेज फाउंडेशन, गडग	79.04	61.00	187.71	45.23	372.98
5.	जेएसएस महाविद्यापीठ, रामानुज रामानुज रोड, मैसूर	58.65	47.00	122.81	38.60	267.06
	कुल	231.11	209.70	583.33	165.83	1189.97
तमिलनाडु						
1.	सीआरईईडी, अरियालुर	13.60	83.10	166.39	23.44	286.53
2.	श्री अविनाशलिंघम इंस्टीटयूट आफ हायर एजुकेशन एण्ड होम साइंस, कोयम्बटूर	71.99	46.00	106.77	32.25	257.01
3.	आरवीएस एजुकेशन ट्रस्ट, डिंडिगुल	79.20	61.00	164.54	42.19	346.93
4.	एमवाईआरएडीए, इरोडे	42.15	66.60	163.71	36.94	309.40

1	2	3	4	5	6	7
5.	सरस्वती फाउंडेशन फार रूरल डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग, करूर	42.65	42.00	155.10	36.19	275.94
6.	तमिलनाडु बोर्ड आफ रूरल डेवलपमेंट, कृष्णागिरी	45.86	40.00	112.55	36.94	235.35
7.	यूपीएसआई, निलगिरी	40.15	45.00	59.60	31.69	176.44
8.	सेंट जान एजुकेशनल ट्रस्ट, पेराम्बलूर	51.28	50.08	139.21	33.94	274.51
9.	भतवस्लम मेमोरियल ट्रस्ट, तंजावुर	52.06	39.00	106.61	33.94	231.61
10.	सेंटर फार डेवलपमेंट एण्ड कम्यूनिकेशन ट्रस्ट, थेनी	47.50	55.75	103.60	18.75	225.60
11.	आरवीएस एजुकेशनल ट्रस्ट, तिरूनेलवेली	41.82	50.00	91.20	18.00	201.02
12.	तमिलनाडु बोर्ड आफ रूरल डेवलमेंट, तिरूवन्नमलाई	50.22	51.72	115.91	34.73	252.58
13.	एससीएडी, तूतीकोरीन	46.72	44.50	130.51	32.44	254.17
	कुल	625.20	674.75	1615.70	411.44	3327.09
केरल						
1.	बापूली सेवक समाज, इडुक्की	55.17	47.00	100.74	35.44	238.35
2.	क्रिश्चन एजेंसी फार रूरल डेवलपमेंट, पट्टनटूटा	49.12	54.05	131.30	40.73	275.20
3.	मित्रनिकेतन, तिरूवनन्तपुरम	44.60	49.00	127.68	30.15	251.43
	कुल	148.89	150.05	359.72	106.32	764.98

विवरण II

सरकार द्वारा किए गए उपायों का स्कीम-वार ब्यौरा

क्र.सं.	स्कीम का नाम	किए गए उपाय
1	2	3
1.	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम भारत में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण	सरकार द्वारा वित्त पोषित एनजीओ की जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं से खेत में जैव नियंत्रण एजेंट निर्मुक्त किए जाते हैं और एनजीओ को भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किसान फील्ड स्कूलों के माध्यम से समेकित कीट प्रबंधन दृष्टिकोण के बारे में किसानों को जागरूक किया जाता है।

1	2	3
2.	राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम)	एनजीओ का चयन और स्कीम के तहत उन्हें कार्य सौंपना एनबीएम/राज्य सरकार की राज्य स्तरीय नियंत्रण समिति द्वारा तय किया जाता है।
3.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निधिबद्ध कृषि विज्ञान केन्द्र	एनजीओ के तहत कार्यरत केवीके गांवों में अधिदेशित कार्यकलापों का आयोजन करते हैं।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नासिक मॉडल

1368. **श्री समीर भुजबलः** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नासिक में वर्तमान में कार्यान्वित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मॉडल का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त माडल वितरण के दुरुपयोग के निवारण और एक समान वितरण में किस हद तक सफल रहा है;

(ग) क्या सरकार का देश के अन्य भागों में 'नासिक मॉडल' प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और लाभ क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) महाराष्ट्र के नासिक जिले में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के लिए पायलट आधार पर होम डिलिवरी स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अधीन राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक माह खाद्यान्नों का वितरण किए जाने की बजाए तीन माह के लिए अग्रिम में एक बार में खाद्यान्नों का वितरण किया जाता है। यह स्कीम वैकल्पिक है और राशन कार्ड धारकों को अग्रिम में अपनी सहमति और निर्गम मूल्य देना अपेक्षित होता है। खाद्यान्नों की ढुलाई ग्रामों में की जाती है और ग्राम सतर्कता समिति के सदस्यों और सरकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में पूर्व निर्धारित तारीख को इनका वितरण किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस स्कीम का राज्य में 14 जिलों के 5848 ग्रामों तक विस्तार किया गया है।

इस स्कीम का कोई औपचारिक आकलन अभी तक नहीं किया गया है। तथापि, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस स्कीम के मुख्य निम्नवत् हैं:

(क) समाज के कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा।

(ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों में पारदर्शिता।

(ग) उचित दर दुकानों और सरकारी कर्मचारियों के बीच का लेन-देन का स्तर कम होना।

(घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिंसों के विपथन/दुरुपयोग और चोर बाजारी के कम अवसर।

इस संबंध में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने जुलाई 2011 में आदेश जारी किए हैं जिनमें कुछ सुरक्षा उपायों की शर्त के अध्यधीन एक बार में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 6 माह तक के राशन का उठान करने और वितरण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुमति दी गई है। इन शर्तों में लाभार्थियों पर एक बार में 6 माह तक की पात्रता का उठान करने के लिए बाध्यता न होना प्रत्येक माह तथा किस्तों में कोटे का उठान करने की मौजूदा प्रणाली उन लोगों के लिए जारी रखना जो समस्त मात्रा का उठान करने के इच्छुक नहीं हैं अथवा इसका भुगतान नहीं कर सकते हैं आदि।

रियल्टी शो के लिए मार्गनिर्देश

1369. **श्री नृपेन्द्रनाथ रायः**
श्री नरहरि महतोः

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लगभग सभी टीवी चैनलों द्वारा प्रायोजित रियल्टी शो कार्यक्रमों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो टीवी चैनलों पर दिखाए जा रहे उक्त कार्यक्रमों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रमों को अनुमति देने हेतु कोई विनियामक प्राधिकरण मौजूद है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कलाकारों के प्रदर्शन का आकलन करने के बारे में निर्णायक मंडल के लिए कोई मार्गनिदेश नियत किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ): (क) और (ख) ऐसा कोई अध्ययन मंत्रालय की जानकारी में नहीं लाया गया है।

(ग) से (च) प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों द्वारा कार्यक्रमों के प्रसारण को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार विनियमित किया जाता है। उक्त अधिनियम में ऐसे टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की किसी प्रकार की पूर्व-सेंसरशिप का प्रावधान नहीं है। तथापि, ऐसे सभी कार्यक्रमों के लिए उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता का कड़ाई से पालन करना आवश्यक होता है।

[हिन्दी]

बारूदी सुरंग विस्फोट

1370. **श्री भीष्मशंकर** उर्फ **कुशल तिवारी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नक्सलियों और माओवादियों द्वारा 2010 और 2011 में बारूदी सुरंगों के जरिए किए गए विस्फोटों में मारे गए सुरक्षा बलों के कार्मिकों और असैनिकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सुरक्षा बलों के पास इस बारूदी सुरंगों का पता लगाने और विस्फोटों से बचने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने देश में बारूदी सुरंगों से होने वाले विस्फोटों पर काबू पाने के लिए क्या उपाय किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) वर्ष 2011 (21 नवम्बर तक) के दौरान वर्ष 2010 की तदनुरूप अवधि में विभिन्न बारूदी सुरंगों के जरिए किए गए विस्फोटों/अन्य विस्फोटों में मारे गए 207 व्यक्तियों (158 पुलिसकर्मी और 49 सिविलियन की तुलना में) 49 व्यक्ति (38 पुलिसकर्मी और 11 सिविलियन) मारे गए थे।

(ख) से (घ) सुरक्षा बलों को बारूदी सुरंगों और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस (आई.ई.डी.) का पता लगाने तथा उन्हें नष्ट करने के लिए आधुनिक उपस्कर उपलब्ध कराए जाते हैं। विस्फोटकों का पता लगाने के लिए वे डोंग स्क्वॉडों की सेवाओं का भी प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, आई.ई.डी. रोधी कौशल में वृद्धि करने के लिए सेवानिवृत्त सेना कार्मिकों की सेवाओं का भी उपयोग किया जा रहा है। सुरक्षा बलों को इस प्रयोजना के लिए बारूदी सुरंगों से सुरक्षा वाहन (माइन प्रोटेक्शन व्हीकल्स) भी उपलब्ध कराए गए हैं। भारत सरकार पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के माध्यम से इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण पर निरंतर ध्यान केन्द्रित कर रही है।

[अनुवाद]

ऑटोरिक्शा चालकों द्वारा लूटना

1371. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर कैब और ऑटोरिक्शा चालकों द्वारा लूटने और अधिक किराया लेने के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में कितने कैब और ऑटोरिक्शा चालकों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध कितने एफआईआर दर्ज किए गए; और

(ग) सरकार ने आईजीआई विमानपत्तन पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) आईजीआई एयरपोर्ट पर टीएसआर और टैक्सियों द्वारा मना करने और ज्यादा किराया लेने के कुछ मामलों की सूचना दिल्ली पुलिस को मिली है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष अर्थात् 2008, 2009, 2010 और 2011 (15.11.2010 तक) के दौरान ज्यादा किराया लेने और मना करने के लिए टीएसआर/कैब के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा अभियोजन, चालान किये गये टीएसआर/कैब, ऑटो रिक्शा एवं कैब चालकों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर तथा विभिन्न अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए चालकों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	मना किया जाना			ज्यादा किराया लेना		
	टीएसआर	कैब	कुल	टीएसआर	कैब	कुल
2008	02	01	03	–	01	01
2009	07	06	13	34	04	38
2010	12	10	22	08	08	16
2011 (15.11.2011 तक)	01	01	02	01	08	09

वर्ष	जारी किए गए कुल चालानएफ टीएसआर	कैब	आई आर की संख्या	गिरफ्तार किए गए वयक्ति
2008	1188	2773	02	04
2009	3679	2935	02	02
2010	4072	3562	05	10
2011 (15.11.2011 तक)	210	4846	08	08

(ग) आईजीआई एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं :

1. कैब चालकों द्वारा लूटपाट करने और ज्यादा किराया लेने को रोकने के लिए आगमन एवं प्रस्थान टर्मिनलों पर चौबीसों घंटे पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है।
2. दिल्ली पुलिस ने यात्रियों की सेवा के लिए एयरपोर्ट पर प्री-पेड टैक्सी बूथ खोले हैं।
3. लोग दोषी कैब चालकों के खिलाफ 'ट्रैफिक हेल्पलाइन' के टेलिफोन नंबर 2584444 तथा 1095 पर चौबीसों घंटे शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
4. मना करने, ज्यादा किराया लेने, दुर्व्यवहार करने अथवा प्रताड़ित करने के संबंध में कैब/ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराने के लिए दिल्ली पुलिस ने 56767 पर शॉर्ट मैसेज सर्विस शुरू की है।
5. पीड़ित व्यक्ति दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के फेसबुक पर शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं।
6. ऐसे उल्लंघन का पता लगाने के लिए समय-समय पर टीएसआर तथा कैबों की औचक जांच की जाती है।

[हिन्दी]

किसानों की समस्याएं

1372. श्री भूदेव चौधरी:
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्पादन और उत्पादकता में गिरावट, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, किसानों द्वारा लगातार आत्महत्या, किसानों का ऋण में दबे होना और अनेक अन्य समस्याओं के कारण देश में कृषि क्षेत्र की दुर्दशा हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र पर नए सिरे से विचार करने और कृषि नीति में संशोधन सहित इस क्षेत्र में ढांचागत सुधार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) भारत में कृषि क्षेत्र इसके समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं के दबावों को झेलते हुए उभरा है। कृषि क्षेत्र का पुनरोद्धार करने एवं किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने विशेषत: फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव को कम करने, किसानों द्वारा आत्महत्या को रोकने, किसानों को वहनीय दरों पर ऋण प्रवाह में वृद्धि और इसके पुनर्भुगतान आदि पर प्रोत्साहन देने आदि पर केन्द्रित स्कीमों के कार्यान्वयन सहित विभिन्न कदम उठाए हैं।

कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, पनधारा प्रबंधन, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना आदि जैसी विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के माध्यम से लोक निवेश बढ़ाया गया है। वर्ष 2011-12 के दौरान कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू किए गए अतिरिक्त उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ आयलपाम रोपण के तहत 60,000 हैक्टेयर क्षेत्र को लाने, सब्जी क्लस्टर पर पहल, पोषक अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देना और प्रोटीन अनुपूरकों हेतु राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करने की स्कीमें शामिल हैं।

कृषि कारणों जनित समस्याओं के समाधान के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र में 31 जिला में को कवर करते हुए वर्ष 2006 में शुरुआत में 3 वर्षों के लिए घोषित पुनर्वास

पैकेज का कार्यान्वयन किय गया है। इस पैकेज के तहत 30.6.2011 तक 19910.70 करोड़ रु. की धनराशि निर्मुक्त की गई है। पैकेज के गैर ऋण घटकों के कार्यान्वयन हेतु अवधि को 30.9.2011 तक बढ़ा दिया गया था।

अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत स्कीम 2008 से 65318.33 करोड़ रु. की धनराशि से लगभग 3.69 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं।

3 लाख रु. तक के फसल ऋण के समय पर पुनर्भुगतान हेतु ब्याज छूट को वर्ष 2011-12 के दौरान बढ़ाया गया था जिससे ऐसे किसानों जो अपना फसल ऋण समय पर चुकाते हैं, के लिए प्रभावी ब्याज दर घटकर 4% वार्षिक हो गई।

प्रमुख कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को किसानों के हितार्थ पिछले पांच वर्षों के दौरान सतत रूप से बढ़ाया गया था।

राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 में परिकल्पित सुधारों एवं सरकार द्वारा किए गए ठोस प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं, जो कृषि जिन्सों के उत्पादन में क्रमिक वृद्धि से स्पष्ट है जिसके परिणाम स्वरूप ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के पहले चार वर्षों हेतु कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि दर वर्ष 2009 में गंभीर सूखे के बावजूद 3.2% पर रही है। यह वृद्धि दर पिछले दो पंचवर्षीय योजना अवधियों की तुलना में अधिक है। वर्ष 2010-11 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि 6.6% अनुमानित की गई है। ऋणग्रस्त किसानों को पर्याप्त राहत भी प्रदान की गई है और संस्थागत स्रोतों के माध्यम से कृषि ऋण प्रवाह को भी बढ़ावा गया है। इसके अलावा जैसा कि राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया है कृष्य कारणों के चलते किसानों द्वारा आत्महत्या में कमी आई है।

गन्ना किसानों के लिए प्रोत्साहन

1373. **श्रीमती मीना सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए गन्ना किसानों को प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी हां, भारत सरकार गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में वृहत कृषि प्रबंधन प्रणाली के तहत गन्ना आधारित फसलन पद्धति क्षेत्रों (एस.यू.बी.ए.सी.एस.) के सतत विकास पर एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है।

(ख) इस स्कीम के तहत प्रदर्शनों, किसानों और विस्तार कर्मियों के प्रशिक्षण के साथ-साथ किसान-वैज्ञानिक-इन्टरफेस, महत्वपूर्ण आदानों जैसे फार्म उपकरणों, रोपण सामग्री, ड्रिप-सिंचाई पद्धति की आपूर्ति आदि के माध्यम से प्रौद्योगिकियों के अन्तरण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है। वृहत कृषि प्रबंधन प्रणाली के तहत राज्यों को एकमुश्त निधियां निर्मुक्त की जाती है। इसके अलावा, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी निम्नलिखित कार्यकलापों को कवर करते हुए गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों के लिए ऋण उपलब्ध करवा रहा है:

(i) ताप उपचार संयंत्रों की स्थापना;

(ii) नर्सरियों की देखभाल;

(iii) कीट नियंत्रण उपाय;

(iv) गन्ने की उन्नत किस्मों को लगाने के लिए खेतीहरों को प्रोत्साहन;

(v) सिंचाई योजनाएं।

सड़क दुर्घटनाएं

1374. **श्री माणिकराव होडल्या गावित:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और एन.सी.आर. में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में डी.टी.सी. बसों सहित चार-पहिया वाहनों से दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए और कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ;

(ग) उक्त अवधि में दोषी चालकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के कारणों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसका क्या परिणाम रहा; और

(च) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एनआईसीआरए स्कीम

1375. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एक नई स्कीम नेशनल एनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट चेंज रेसिलेंट एग्रीकल्चर (एनआईसीआरए) लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य-वार उन जिलों का ब्यौरा क्या है जहां निकरा लागू करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जनवरी, 2011 में नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट चेंज (एनआईसीआरए), नामक एक नई स्कीम प्रारंभ की है, जिसका वर्ष 2010-2012 के लिए कुल परिव्यय 350 करोड़ रुपये है। इस स्कीम का उद्देश्य, देश में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन करना तथा लागत प्रभावी अनुकूलन तथा शमनात्मक रणनीतियों का विकास है।

(ग) वर्ष 2011-2012 से देश के 27 राज्यों के 100 संवेदनशील जिलों तथा एक केन्द्रशासित प्रदेश में सूखा, बाढ़, ताप से निबटने के लिए किसानों के खेतों में जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन हेतु योजना तैयार की गई है। विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एन.आई.सी.आर.ए. के अंतर्गत तकनीकी प्रदर्शन हेतु पहचाने गए जिलों का राज्य-वार सूची

क्रम.सं.	राज्य	जिलों की संख्या	जिलों के नाम
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	पोर्ट ब्लेयर
2.	आंध्र प्रदेश	6	पश्चिम गोदावरी, श्रीकाकुलम, अनंतपुर, नलगोंडा, करनूल, खम्मम
3.	अरुणाचल प्रदेश	3	तिरप, पश्चिम कामेंग, पश्चिम सियांग
4.	असम	4	सोनितपुर, डिब्रूगढ़, धुबरी, कछार
5.	बिहार	6	सारन,सुपौल, बक्सर, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद
6.	छत्तीसगढ़	3	रायपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा
7.	गुजरात	3	वलसाड, राजकोट, कच्छ
8.	हरियाणा	2	यमुनानगर, सिरसा
9.	हिमाचल प्रदेश	4	हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, किन्नौर
10.	जम्मू और कश्मीर	2	कठुआ, फुलवामा
11.	झारखंड	5	कोडरमा, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, चतरा
12.	कर्नाटक	4	तुमकुर, कोलार, दावणगेरे, बेलगाम
13.	केरल	1	अल्लेप्पी
14.	मध्य प्रदेश	7	सतना, गुना, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, बालाघाट

1	2	3	4
15.	महाराष्ट्र	7	नंदुरबार, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, रत्नागिरि, अहमदाबाद गोंदिया
16.	मणिपुर	2	सेनापति, पूर्वी इम्फाल
17.	मेघालय	2	उमियम, पश्चिम गारो हिल्स
18.	मिजोरम	1	लुंगलेई
19.	नागालैंड	3	फेक, दीमापुर, मोकोकचुंग
20.	ओडिशा	4	केंद्रपाड़ा, झाड़सुगड़ा, सोनेपुर, गंजाम
21.	पंजाब	4	रोपड़, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, बठिंडा
22.	राजस्थान	4	झुनझुनु, भरतपुर, जोधपुर, कोटा
23.	सिक्किम	1	पूर्वी सिक्किम
24.	तमिलनाडु	4	विल्लुपुरम, नमक्कल, नागपट्टिनम, रामनाथपुरम
25.	त्रिपुरा	1	पश्चिम बंगाल
26.	उत्तर प्रदेश	11	बहराइच, झांसी, कुशीनगर, सोनभद्र, चित्रकुट गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, महाराजगंज, बागपत, मुजफ्फरनगर
27.	उत्तराखंड	2	उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल
28.	पश्चिम बंगाल	3	कूच बिहार, मालदा, दक्षिण 24 परगना

नाइट विजन डिवाइसें

1376. श्री रूद्रमाधव राय:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सभी नक्सल प्रभावित पुलिस स्टेशनों को नाइट विजन डिवाइस देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सभी नक्सल प्रभावित पुलिस स्टेशनों को उक्त डिवाइसें कब तक दे दिए जाने की संभावना है और इन पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(ग) नक्सली कार्यों को रोकने में उक्त डिवाइसें किस स्तर पर लाभदायक होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (ग) 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और अत्याधुनिक उपकरणों के साथ राज्य पुलिस बलों को सज्जित करने सहित कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के संबंध में कार्रवाई प्राथमिकत: संबंधित राज्य सरकारों के दायरे में आती है, जो राज्यों में नक्सली गतिविधियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटती हैं। केन्द्र सरकार भी स्थिति की गहन निगरानी करती है और कई योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना (एमपीएफ स्कीम) के अन्तर्गत पुलिस बलों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण करने के लिए राज्य सरकारों के संसाधन में सहायता प्रदान करना शामिल है। एमपीएफ स्कीम के अंतर्गत, राज्य सरकारें अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को तैयार करती हैं और उसे उस योजना से संबंधित वार्षिक कार्य योजना में शामिल करती हैं, जिस पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार एवं अनुमोदन प्रदान किया जाता है तथा राज्यों को तदनुसार निधियां जारी की जाती हैं।

एमपीएफ स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2010-11 की समग्र कार्य योजना में नक्सल प्रभावित राज्यों हेतु अनुमोदित नाइट विजन डिवाइस (एनवीडी) के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित एनवीडी की मात्रा
1.	आंध्र प्रदेश	30
2.	महाराष्ट्र	06
3.	ओडिशा	25
4.	पश्चिम बंगाल	05
	कुल	66

[हिन्दी]

भूख हड़ताल

1377. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली पुलिस ने 2011 में जन्तर मन्तर पर भूख हड़ताल पर बैठने के लिए कुल कितने संगठनों को अनुमति दी थी;

(ख) कितने संगठनों को उक्त प्रयोजनार्थ अनुमति नहीं दी गई थी और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन मानकों का ब्यौरा क्या है जिनके आधार पर अनुमति दी गई थी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2011 के दौरान जन्तर-मन्तर पर भूख हड़ताल पर बैठने के लिए किसी भी संगठन का अनुमति नहीं दी थी। इस वर्ष जन्तर-मन्तर पर भूख हड़ताल पर बैठने के लिए 58 संगठनों के दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी थी और उन्हें भूख हड़ताल के स्थान पर धरने पर बैठने की सलाह दी गई थी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति

1378. श्री प्रदीप माझी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में नई राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति को अन्तिम रूप देकर इसे लागू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बढ़ती हुई शहरी परिवहन मांग पूरी करने के लिए विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों को, राज्य-वार, स्वीकृत/जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि में विभिन्न राज्यों द्वारा राज्य-वार उपयोग में लाई गई सहायता राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि में ऐसी सहायता राशि का दुरुपयोग करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): (क) और (ख) सरकार ने अप्रैल, 2006 में राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति तैयार की है जिसमें सुरक्षित, किफायती, तीव्र, आरामदायक, विश्वसनीय और सतत् शहरी परिवहन प्रणालियों, तथा सुएकीकृत तथा प्रणालियों के बीच परस्पर निर्बाध यात्रा उपलब्ध कराने वाली गुणता, आधारित मल्टीमॉडल जन परिवहन प्रणालियों, भू-उपयोग परिवहन एकीकरण, यातायात प्रबंधन के लिए सुव्यस्थित परिवहन प्रणालियां शुरू करने आदि का उल्लेख है। इस नीति का कार्यान्वयन एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) से (ङ) उक्त नीति में वित्तीय सहायता के लिए सामान्य दिशा-निर्देश दिए गए हैं। तथापि, शहरी परिवहन के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता इस मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के तहत दी जाती है।

जेल सुधारों पर राष्ट्रीय नीति

1379. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जेल सुधारों और उपचारात्मक प्रशासन पर एक राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) सरकार का विचार इस स्कीम को किस प्रकार से लागू करने का है; और

(घ) इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह): (क) से (घ) जेल सुधार एवं दण्डात्मक प्रशासन संबंधी राष्ट्रीय नीति की प्रारूप संबंधी समिति ने केन्द्र और राज्य सरकारों के संबंध में विभिन्न सिफारिशें कीं। समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार थीं:-

(i) कारागारों के विषय को समवर्ती सूची में शामिल करना,

(ii) मौजूदा कारागार अधिनियम, 1984 के स्थान पर एक नया एवं व्यापक केन्द्रीय कानून बनाना,

(iii) सभी कैदियों को मताधिकार का अधिकार देने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करना,

(iv) कारागारों के आधुनिकीकरण की योजना चरण-II को जारी रखना,

(v) भारत के संविधान के भाग IV में उल्लिखित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में कारागारों के प्रबंधन और अपराधियों के साथ बर्ताव संबंधी सिद्धांतों को सम्मिलित करना,

(vi) दंडात्मक सेवाओं के प्रशासन से संबंधित विधानों की उद्देशिका में यह विशिष्ट उल्लेख किया जाए कि दण्ड, सुधार और पुनर्वास-अपराधियों को दी गई सजा के उद्देश्य है,

(vii) भारत सरकार द्वारा परिचालित मॉडल कारागार मैनुअल की तर्ज पर राज्य कारागार मैनुअलों को संशोधित करना,

(viii) सजा को माफ करने/कम करने संबंधी सभी आवेदनों की समीक्षा करने के लिए राज्य स्तरीय बोर्ड का गठन करना,

(ix) सभी कैदियों को औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना,

(x) दया याचिकाओं का छह माह में निपटान करना,

(xi) विशेष न्यायालयों/लोक अदालतों की स्थापना करना,

(xii) कारागारों में कैदियों की रहन-सहन की स्थिति में सुधार करना और

(xiii) जेलों में कैदियों का उपचार।

समिति की अधिकांश सिफारिशें राज्य सरकारों से संबंधित हैं और चूंकि कारागार राज्य का विषय है, इसलिए उन्हें तदनुसार, कार्यान्वयन हेतु उन्हें भेज दिया गया था।

भारत सरकार से संबंधित प्रमुख सिफारिशें ये हैं: (i) कारागार को समवर्ती सूची में शामिल करना (ii) कारागार अधिनियम, 1894 के स्थान पर नया केन्द्रीय कारागार कानून अधिनियमित करना (iii) सभी कैदियों को मतदान करने की अनुमति देने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) में संशोधन करना, (iv) कारागारों के आधुनिकीकरण की योजना के चरण-II को जारी रखना।

ऊपर (i) और (ii) में उल्लिखित सिफारिशों की मंत्रालय में जांच की गई थी और इस संबंध में कोई कार्रवाई करना व्यवहार्य नहीं पाया गया।

जहां तक ऊपर (iii) में उल्लिखित सिफारिश का संबंध है, इस मामले की भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श से जांच की गई थी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया है और यह टिप्पणी की है कि पूर्वोक्त प्रावधान में लगाया गया प्रतिबंध युक्तियुक्त था और इस प्रावधानों में किसी प्रकार का मनमानापन अथवा भेदभाव सन्निहित नहीं है।

राजसहायता प्राप्त दालें और खाद्य तेल

1380. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दालें और खाद्य तेल राजसहायता प्राप्त दरों पर दिए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वितरण हेतु राजसहायता प्राप्त दालों और खाद्य तेलों का नियत कोटा देने का प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी, हां। दालें और खाद्य तेल सब्सिडीकृत दरों पर दिए जा रहे हैं।

(ख) दालों संबंधी स्कीम इस स्कीम के तहत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे के राशन कार्ड धारक परिवारों को एक कि.ग्रा. प्रतिमाह की दर से वितरित करने के लिए राज्य सरकारों को आपूर्ति की गई आयातित दालों पर, पदनामित आयातकर्ता एजेंसियों को 10 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर पर सब्सिडी दी जाती है। इस स्कीम को 31.03.2012 तक आगे बढ़ाया गया है।

खाद्य तेल संबंधी स्कीम: 'सब्सिडी वाले आयातित तेल के वितरण की स्कीम' के तहत 2008 से राशन कार्ड-धारकों को प्रति राशन कार्ड एक लीटर की दर से वितरण हेतु 15 रुपए प्रति कि. ग्रा. की केंद्रीय सब्सिड़ी के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जरिए सब्सिडीकृत दरों पर खाद्य तेल दिए जाते हैं। इस स्कीम को 30.09.2012 तक आगे बढ़ाया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदया: सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.01/2 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत हुई।

[**डॉ. एम. तम्बिदुरई** *पीठासीन हुए।*]

सभापति महोदय: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01/4 बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री घनश्याम अनुरागी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.0/2 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (कुमारी सैलजा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं।

(1) (एक) इंडियन म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5321/15/11]

(3) (एक) सालार जंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सालार जंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5322/15/11]

(5) (एक) एसियाटिक सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एसियाटिक सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5323/15/11]

(7) (एक) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5324/15/11]

(9) (एक) इंडियन म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5325/15/11]

...*(व्यवधान)*

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5326/15/11]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) विनिर्दिष्ट खाद्य मदों पर (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंधों) को हटाना (तीसरा संशोधन) आदेश, 2011 जो 28 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2447(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5327/15/11]

(दो) विनिर्दिष्ट खाद्य मदों पर (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंधों) को हटाना (संशोधन) आदेश, 2011 जो 27 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2227(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5328/15/11]

(तीन) सा.का.नि. 726(अ) जो 28 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चीनी और खांडसारी के डीलरों पर स्टॉकधारिता और टर्नओवर सीमाएं अधिरोपित की गई हैं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5329/15/11]

(चार) सा.का.नि. 772(अ)/आ.व./गन्ना जो 19 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चीनी मौसम 2010-2011 के लिए गन्ने का कारखाना-वार उचित और लाभप्रद मूल्य अधिसूचित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5330/15/11]

(4) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 31 की उपधारा (1) के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण (तीसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 22 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 708(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5331/15/11]

...*(व्यवधान)*

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) उर्वरक (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2011 जो 22 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2203(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5332/15/11]

(दो) का.आ. 2426(अ) जो 24 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए मेसर्स कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड,

सिकंदराबाद, आन्ध्र प्रदेश द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले उसमें उल्लिखित अनंतिम उर्वरकों के विनिर्देशों को अधिसूचित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5333/15/11]

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: प्रो. के.वी. थॉमस।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.3/4 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। आज नियम 377 के अन्तर्गत मामले उठाने की अनुमति दी गई है और जो सदस्य उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, इस संबंध में अपनी पर्ची व्यक्तिगत रूप से शीघ्र ही सभा पटल पर रख दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा जिनके लिए नियत समय के अन्दर सभा पटल पर पर्चियां प्राप्त हुई हैं। शेष मामलों को व्यपगत समझा जाएगा।

...*(व्यवधान)*

(एक) देश में विशेषकर कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर): मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान देश भर विशेषकर मेरे चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और कर्नाटक के अन्य हिस्सों में इस वर्ष के मई से हल्दी की कीमतों में अचानक तेजी से आई गिरावट के कारण किसानों को हो रही समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। हल्दी की कीमतों में अचानक कमी और विभिन्न बाजारों में हल्दी की खरीद में मध्यस्थों की भूमिका के कारण हल्दी की कीमतें 18,000 रुपए प्रति क्विंटल से घटकर 4,000 रुपए प्रति क्विंटल तक आ गई है जिसके विरोध में दु:खी किसानों ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किया। जैसे ही बाजार में कीमतों के तेजी से गिरने का पता चला किसानों ने हल्दी को तमिलनाडु के भंडागारों में भंडारित करने का निर्णय लिया। आंदोलनकारी किसानों ने सरकार से यह भी आग्रह किया कि हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करे और मसाला बोर्ड के माध्यम से हल्दी उत्पादों को केवल किसानों से खरीदा जाए। यह भी स्पष्ट है कि किसानों का यह आंदोलन तमिलनाडु के हल्दी बाजारों और भारत के अन्य बाजारों में इसे खरीदने वालों की भूमिका के कारण शुरू हुआ है। भारत में हल्दी उत्पादन में कर्नाटक का योगदान लगभग 35 प्रतिशत का है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह हल्दी का प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए कदम उठाए और अन्य देशों में हल्दी के आयात पर प्रतिबंध लगाए तथा कर्नाटक विशेषकर चामराजनगर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हल्दी बाजार स्थापित कर किसानों को सुविधा प्रदान करे जिसके लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग हमेशा आपके आभारी रहेंगे।

इसलिए, इन मौजूदा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और हल्दी किसानों के हितों का संरक्षण करने के लिए मैं इस अध्यक्षपीठ के माध्यम से मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वे इस तरीके से हल्दी का प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए तत्काल कदम उठाए कि देशभर विशेषकर

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 5334/15/11

* सभा पटल पर रखे माने गये।

कर्नाटक राज्य में हल्दी उत्पादकों के हितों का संरक्षण किया जा सके।

(दो) लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड के पोत कर्मी दल संघ के हड़ताल के मुद्दे का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री हमदुल्लाह सईद (लक्षद्वीप): मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जनवरी, 2011 के दौरान लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड के पोत कर्मी दल संघ पांच दिन लंबी हड़ताल पर चले गए जिससे लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के द्वीप निवासियों को अत्यधिक असुविधा हुई। इसका मुख्य कारण यह था कि एक पोत कर्मी श्री शमीम अली युसूफ जो मिनिकॉम द्वीप के रहने वाले थे और एम.वी. भारत सीमा पोत पर नियुक्त थे की उस समय मृत्यु हो गयी जब यह पोत कोचीन पत्तन पर खड़ा था और इन संघों ने यह आरोप लगाया कि लक्षद्वीप प्रशासन अपने कर्मचारी का ध्यान रखने में असफल रहा जिसकी ड्यूटी के दौरान मौत हो गयी और वे हड़ताल पर चले गए। इन संघों ने इस बात पर बल दिया कि समुचित जांच करायी जाए और संबंधित चूककर्ता एल.डी.सी.एल. कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और परिवार को मुआवजा दिया जाए।

लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के लोग मुख्य भूमि पर आने-जाने के लिए और अपनी अन्तर-द्वीपीय यात्रा के लिए मुख्यत: पोत परिवहन सेवा पर निर्भर हों। इन द्वीपों पर पिन से लेकर विमान तक मुख्य-भूमि से लाया जाता है। एल.डी.सी.एल. को इस प्रकार के मुद्दों से तत्काल निपटने के लिए बहुत सतर्क रहना चाहिए ताकि अन्य द्वीपों को कोई असुविधा न हो।

इसलिए, मैं सरकार विशेषकर गृह मंत्रालय से पुरजोर आग्रह करता हूं कि वह लक्षद्वीप प्रशासन को निदेश दे कि वह इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों को गंभीरता से ले, इनके प्रति उदासीनता नहीं दिखाए और इनका समाधान करे।

(तीन) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को युक्तिसंगत मूल्य पर उर्वरक मुहैया कराने तथा खरीद केन्द्रों के माध्यम से उनके धान की खरीद के लिए प्रबंध किए जाने की आवश्यकता

डॉ. निर्मल खत्री (फैज़ाबाद): मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के मेरे लोकसभा क्षेत्र फैज़ाबाद के अंतर्गत आने वाले जनपदों फैज़ाबाद तथा बारांबकी में गेहूं की बुआई के इस मौसम में उर्वरक (डाई) की उपलब्धता न होने की ओर दिलाना चाहता हूं। किसान इस खाद की मूल्यवृद्धि के कारण और बाजार में इसके उपलब्ध न होने के कारण परेशान है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इसकी मूल्यवृद्धि वापस ली जाये व राज्य सरकारों को निर्देशित किया जाये कि उर्वरक की वितरण व्यवस्था को वह ठीक करें।

किसानों को अपना धान क्रय केन्द्रों में बेचने की भी अव्यवस्था के कारण राज्य सरकार को निर्देशित कर धान क्रय केन्द्र शीघ्र खुलवाने की व्यवस्था करायी जाये।

(चार) केरल के पालक्काड डिवीजन में रेल प्लेटफार्म पर विक्रेताओं की सेवाओं को बहाल किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम.के. राघवन (कोझिकोड): 6 महीने से अधिक समय से पालक्क्काड डिवीजन के यात्रियों को विक्रेताओं द्वारा प्लेटफार्म पर बिक्री पर रोक लगा दिए जाने के कारण खाद्य सामग्रियों के मिलने में कठिनाई महसूस हो रही है। इससे वृद्ध और बीमार यात्रियों को कठिनाई हो रही है क्योंकि वे ट्रेनों के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने पर खाद्य सामग्री नहीं ले पाते हैं क्योंकि अधिकांश रेलगाड़ियां 2/3 मिनट से अधिक नहीं ठहरती हैं। दूसरी ओर ये विक्रेता वर्षों से सेवा में रहे हैं और उन्हें समुचित आवधिक स्वास्थ्य जांच के बाद लगाया जाता है। वे अपनी आजीविका के लिए अपने इस कार्य पर निर्भर रहते हैं। इस सेवा को समाप्त करने से न केवल यात्री बल्कि इन विक्रेताओं का पूरा परिवार अब संकट में है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में विक्रेताओं को हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया गया है।

इसलिए, मैं आग्रह करता हूं कि रेलगाड़ियों के आसपास प्लेटफॉर्म पर विभिन्न वस्तुओं की बिक्री को बहाल किया जाए और उनके खिलाफ दर्ज किए गए सभी मामलों को वापस लिया जाए।

(पांच) केरल के कोचीन और उसके आस-पास बैकवाटर के अंधाधुंध भू-उद्धार तथा अव्यवस्थित निर्माण को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री चार्ल्स डिएस (नामनिर्देशित): पिछले पच्चीस वर्षों से अधिक समय से कोचीन और उसके आसपास बैकवाटर्स का बड़े पैमाने पर भू-उद्धार किया जा रहा है। सबसे पहले यह समुद्र के समक्ष पड़ने वाले एक भू-क्षेत्र में मैरीन ड्राइव बनाने के लिए किया गया। परंतु बाद में बैकवाटर्स का अव्यवस्थित तरीके से तटीय विनियमन जोन के सभी मानकों को ताक पर रखते हुए भू-उद्धार किया जाने लगा। कई पक्ष जो केवल वाणिज्यिक पहलू में रुचि रखते थे, इससे जुड़ गए और इस क्षेत्र में मैरीन ड्राइव बनाए जाने की बजाए यह क्षेत्र कंक्रीट का एक जंगल बन गया और केवल एक पतली पैदल चलने की जगह दी गयी। यद्यपि पर्यावरण संरक्षण

समूहों और इस क्षेत्र के नागरिकों की ओर से इसका विरोध किया गया परंतु इनकी डेवलपर्स और भवन-निर्माताओं द्वारा उपेक्षा की गयी। साथ ही, शहर के उत्तरी हिस्से की ओर मैरीन ड्राइव का प्रस्तावित विस्तार नहीं हो पाया है।

अब नगर-योजनाकारों ने बिल्डर लॉबी के हितों की रक्षा करने के लिए ही यह तथाकथित कोचीन मैरीन ड्राइव क्षेत्र को एक निरंतर दीवार के रूप में बनाया गया जो समुद्र में आने वाली हवा को भी रोक रहा है। अध्ययन और रिपोर्ट से यह पता चला है कि कोचीन शहर में वाहन और पर्यावरणीय प्रदूषण काफी हद तक समुद्री हवा से कम हो जाती थी और अब पर्यावरणीय प्रदूषण हर शहर में चिंताजनक रूप से बढ़ गया है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उक्त मामले में हस्तक्षेप करे और बैकवाटर्स के अव्यवस्थित भू-उद्धार तथा बिना सोचे-विचारे किए जाने वाले निर्माण को नियंत्रित करे ताकि पर्यावरण की सुरक्षा की जा सके और हवा का उन्मुक्त बहाव हो सके।

(छह) गुजरात और राजस्थान में नमक की ढुलाई के लिए एक समान माल भाड़ा योजना लागू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. ज्योति मिर्धा (नागौर): मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि गुजरात के भुज भूकंप के बाद सन् 2003 में गुजरात नमक उत्पादकों को आर्थिक राहत प्रदान करने हेतु भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा साधारण नॉन रिफाईण्ड नमक पर दूरी के हिसाब से माल में बदलाव कर गुजरात की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाया गया था। उक्त बदलाव गुजरात में सरकार द्वारा किये जा रहे राहत कार्यों के मद्देनजर किया गया था जो तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से उचित भी था।

वर्तमान में इतने वर्षों बाद जब गुजरात आर्थिक विकास में सम्पूर्ण भारत में अग्रणी बना हुआ है, इस व्यवस्था के जारी रहने से राजस्थान के छोटे-छोटे नमक उत्पादकों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

राजस्थान के छोटे नमक उत्पादकों द्वारा समय-समय पर इस बाबत रेलवे अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराने के बावजूद वर्तमान तक वही व्यवस्था जारी रखकर दूरी के हिसाब से माल भाड़े में बदलाव कर गुजरात के नमक उत्पादकों को फायदा पहुंचाया जा रहा है।

अत: मेरा अनुरोध है कि राजस्थान के सभी नमक उत्पादकों की दशा को देखते हुए इस विषय पर चर्चा कर भाड़े में बदलाव दूरी के हिसाब से न करके समान रूप से किया जाए।

(सात) इंदौर-देवास-उज्जैन खंड पर रेल लाईन के विद्युतीकरण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर): कुछ वर्षों पूर्व इंदौर-देवास-उज्जैन रेल खंड (80 कि.मी.) के विद्युतीकरण की संस्वीकृति दी गयी थी और इस कार्य के लिए पूरी बजट राशि जारी कर दी गयी थी। इस परियोजना को कुछ महीने पहले ही पूरा हो जाना था परंतु इसमें विलंब हो गया है और यह निश्चित नहीं है कि यह कब अंतिम आकार लेगा। परियोजना की धीमी प्रगति का मुद्दा मैंने विभिन्न अवसरों पर उठाया था और इस क्षेत्र के संसद सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस मुद्दे को जून, 2010 के महीने में महाप्रबंधक, पश्चिम रेलवे के साथ समन्वय बैठक में उठाया। विद्युतीकरण का कार्य रेलवे विद्युतीकरण कार्य की कोटा इकाई द्वारा किया जा रहा है। इस विलंब के लिए जो कारण बताए गए हैं वे स्पष्ट हैं। सबसे नया यह है कि दो जगहों पर ट्रैक को नीचे दिए जाने की आवश्यकता है जिसके लिए विद्युत परियोजना रिपोर्ट और प्राक्कलन लगभग तीन महीनों से मंजूरी के लिए लंबित है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि जब विद्युतीकरण परियोजना के अनुमोदन के बाद वर्ष 2006 में बिंदुवार सर्वेक्षण किया गया फिर किसी अन्य परियोजना रिपोर्ट के लिए क्यों कहा जा रहा है। मेरी जितनी जानकारी है, उसके अनुसार इंदौर स्टेशन पर यात्री यार्ड की नए सिरे से साज-सज्जा (जहां ट्रैक को नीचे कराया जाना है) बिन्दुवार सर्वेक्षण से किए जाने से पहले ही वर्ष 2003 में कराया जा चुका है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ट्रैक को नीचे करने के कार्य का उस समय कोई प्रस्ताव नहीं था और अचानक यह तर्क दिया जा रहा है कि दो स्थानों पर अपेक्षित ऊंचाई मानकों के अनुसार नहीं है और इसलिए वर्तमान ट्रैक की ऊंचाई कम करने की आवश्यकता है। ऐसा निश्चय ही बाद में सोचा गया है क्योंकि यदि यह मान भी लिया जाए कि ट्रैक की ऊंचाई कम करने की आवश्यकता है तो यह परियोजना कार्य शुरू होने के साथ-साथ किया जा सकता था न कि परियोजना के पूरा होने के समय। इस परियोजना का शीघ्र पूरा किया जाना यात्रियों से अधिक रेलवे के हित में है क्योंकि यह उज्जैन में भीड़-भाड़ कम करेगा। देरी का एक और कारण ठेकेदार की कार्यप्रणाली बताया गया है। ठेकेदार परियोजना को समय पर पूरा नहीं कर पाया। परियोजना के कार्यान्वयन में देरी की जांच की जाए और परियोजना बिना किसी विलंब के शुरू की जाए।

(आठ) राजस्थान की सिद्ध जाति को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): राजस्थान में सिद्ध जाति को राज्य के केन्द्रीय पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने की मांग काफी समय से की जा रही है, इसके लिए उक्त जाति आवश्यक मानदंड पूर्ण करती है। सिद्ध जाति राजस्थान में जाट समाज से निकली हुई जाति है। जाटों को पहले ही केन्द्रीय पिछड़े वर्ग में शामिल किया जा चुका है। सिद्ध जाति के अलावा इस स्तर की काफी जातियों को इस श्रेणी में शामिल किया जा चुका है, लेकिन सिद्ध जाति को केन्द्रीय पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं किया गया है। सिद्ध जाति मुख्य रूप से राजस्थान के मरूस्थलीय इलाके में निवास करती है। इनका व्यवसाय खेती एवं पशुपालन है। यह जाति भारत में अल्पसंख्यक है। इस जाति से कोई भी व्यक्ति उच्च अधिकारी, विधायक एवं संसद सदस्य नहीं है। सिद्ध जाति सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजनैतिक रूप से अति पिछड़ी जाति है। वर्मा आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2001 में सिद्ध जाति को ओ.बी.सी. के 'सी' वर्ग में रखा है, जो अत्यधिक पिछड़ा वर्ग में आता है। मेरा सरकार से आग्रह है कि सिद्ध जाति को राजस्थान राज्य के केन्द्रीय पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किया जाए।

(नौ) उत्तर प्रदेश में फतेहपुर और अकबरपुर के बीच बरास्ता बिंदकी-खजुहा-जहानाबाद-सिंकदरा ऐतिहासिक मुगल सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री राकेश सचान (फतेहपुर): मेरे निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर के कुवरपुर (मलवां) से अकबरपुर होते हुए आगरा-दिल्ली को जोड़ने वाली मुगल रोड के महत्व को कम कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 में अकबरपुर-सिकन्दरा से कानपुर होते हुये फतेहपुर को जोड़ दिया गया है। इससे ऐतिहासिक मुगल रोड के क्षेत्र कुवरपुर, बिन्दकी, खजुआ, बकेवर, जहानाबाद, घाटमपुर, मूसानगर व भोगनीपुर आदि क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित हो रहे हैं। इस क्षेत्र में खजुआ ऐतिहासिक धरोहर व पर्यटक स्थल का महत्व भी कम हो गया है। मुगल रोड के इस हिस्से को राष्ट्रीय राजमार्ग का स्वरूप प्रदान किया जाये। इससे फतेहपुर से आगरा व दिल्ली की दूरी कम होगी साथ ही पेट्रोल व डीजल की बचत से राजस्व में बचत होगी। इस राजमार्ग के निर्माण से फतेहपुर-आगरा के लिए अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग भी उपलब्ध होगा। अतः मेरी सरकार से मांग है कि मुगल रोड के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे 4 लेन में बनाया जाए जिससे मेरे क्षेत्र फतेहपुर में मलवा, बिन्दकी, खजुहा, जहानाबाद का विकास होगा तथा ऐतिहासिक धरोहर खजुहा को पर्यटक स्थल के जुड़ने से इसका महत्व भी बढ़ेगा। इस राजमार्ग को अविलंब राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा प्रदान किया जाये।

(दस) मुजफ्फरपुर बिहार के और दिल्ली के बीच गरीब रथ एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12211/12) और सप्तक्रांति एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12257/58) को प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता

श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो (बाल्मीकिनगर): उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर जक्शन से गरीब रथ ट्रेन नं. 12211-अप चलकर आनंद बिहार टर्मिनल तथा ट्रेन नं. 12212 आनंद विहार टर्मिनल से चलकर मुजफ्फरपुर सप्ताह में दो दिन आती है तथा दो दिन जाती है। यह ट्रेन मोतीहारी, बेतिया, नरकटियागंज वाया गोरखपुर चलती है। उक्त रेलमार्ग से एक मात्र सुपरफास्ट ट्रेन नं. 12557 एवं 12558 अप-डाउन सप्तक्रांति चलती है। इसके अलावा कोई भी सुपरफास्ट ट्रेन नहीं चलती है। जबकि उक्त क्षेत्र से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपनी रोजी रोटी के लिए काफी संख्या में लोग दिल्ली प्रतिदिन आते जाते हैं। यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है।

अतः मैं भारत सरकार से जनहित में मांग करता हूं कि उक्त ट्रेनों को प्रतिदिन चलाया जाये ताकि यात्रियों को सुविधा हो।

(ग्यारह) देश में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत तथा पर्यावरण पर उसके गंभीर प्रभाव पर नियंत्रण रखे जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी. वेणुगोपाल (तिरुवन्नमलाई): पेट्रोल के अत्यधिक उपयोग को हतोत्साहित करने के प्रयासों के बावजूद, अधिक संख्या में वाहनों के निर्माण और ईंधन की मांग में वृद्धि और तेजी देखी जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण पर शोर-शराबे के बावजूद ओजोन की परत प्रभावित हो रही है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग और पारिस्थितिक आपदा की समस्या उत्पन्न हो रही है। जब तेल के मूल्यों में वृद्धि होती है तो सरकार पेट्रोल की मूल्य में वृद्धि की अनुमति दे देती है क्योंकि अधिभार और बिक्री कर से सरकार की तिजोरी भरती हैं। अतः, तेल का संरक्षण करने और तेल के भारती आयात से उत्पन्न मूल्य वृद्धि की समग्र स्थिति के दुष्प्रभावों को कम करने हेतु प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। जब केंद्र सरकार पूरे देश में एक समान मूल्य वृद्धित कर और बिक्री कर लागू करने की आवश्यकता पर बल दे रही है तो ऐसे में तेल मूल्यों को प्रत्येक राज्य में बराबरी पर लाने की आवश्यकता है। हमें तेल के मूल्यों में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्यों विशेषकर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर भी विचार करना चाहिए जिसमें

सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण भी वृद्धि हुई है और जिससे सड़कों के रख-रखाव तथा यातायात पर भी दबाव पड़ता है। इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव का भी ध्यान रखना होगा।

अत:, मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि पूरे देश में विषम संख्या और सम संख्या वाले वाहनों को सड़कों पर वैकल्पिक दिनों में चलाया जाए। इससे तेल की मांग में भारी कमी आ सकती है और हमारे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को बचाने में सहायता मिल सकती है। मैं माननीय प्रधान मंत्री और उनके सभी मंत्रालयों से इस मिशन को गंभीरता से शुरू करने का अनुरोध करता हूं।

(बारह) आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर और श्रीसैलम बांधों से गाद निकालने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी (नरसारावयेर): मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान देश भर में बांधों और जलाशयों विशेषकर आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध और श्रीसईलम बांध से गाद निकालने की आवश्यकता की ओर आकर्षित कराना चाहूंगा।

नागार्जुन सागर बांध जिसका आंध्र प्रदेश को चातक भंडार बनाने में योगदान रहा है वह परियोजना तटबंध क्षेत्र में अत्यधिक गाद जमा होने के कारण अब तक आपकी एक-चौथाई से अधिक भंडारण क्षमता खो चुका है। जलाशय अब अपनी पूर्ण क्षमता 408 टी.एम.सी.टी. (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) के अनुसार पानी का संग्रहण करने में सक्षम नहीं है। यह केवल 288.17 टी.एम.सी.एम.टी. तक संग्रहण कर सकता है। राज्य में एक प्रमुख सिंचाई स्रोत नागार्जुन सागर बांध के गाद जमा होने से काफी सीमा तक अपनी संग्रहण क्षमता खोने के कारण राज्य में धान संकट की स्थिति और खराब हो गई है। परियोजना तटबंध क्षेत्र में अत्यधिक गाद जमा होने के कारण यह अपनी लगभग 20% संग्रहण क्षमता खो चुका है। बांध तेजी से गाद और मिट्टी से भरता जा रहा है। जलाशय में अपने 100 वर्ग किमी. के जल क्षेत्र में प्रति वर्ष 3.07 हैक्टेयर गाद जमा हो रही थी। यह मान्य तथ्य है कि गोदावरी के निकट स्थित जलाशयों में जल्द ही गाद जमा हो जाती है क्योंकि नदी ब्लैक कोख सोयस से होकर बहती है। श्री सईलम की संग्रहण क्षमता वर्ष 1987 में 308.06 टी.एम.टी.एफ.टी. से घटकर 263.63 टी.एम.सी.एफ.टी. हो गई और हाल का सर्वेक्षण यह उजागर करता है कि यह घटकर 210 टी.एम.सी.एफ.टी. हो गया था। यदि समय पर उपचारात्मक उपाय नहीं किए जाते हैं तो यह आगामी 70-80 वर्षों में अपनी पूरी क्षमता खो देगा।

इसलिए, मैं अध्यक्ष पीठ के माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह किसानों के हितों की रक्षा करने और विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु किसी योजना के साथ न केवल आंध्र प्रदेश में ही बल्कि पूरे देश में नदी तटों की ढलानों पर सिल्ट-अरोस्टिंग टैंकों के निर्माण, तटबंध क्षेत्र में वनीकरण और कटाव, गाद जमा होने तथा बांधों तथा जलाशयों के कटाव को रोकने हेतु रीवर मार्जिण्स पर घास उगाने जैसे तत्काल कदम उठाए।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के मथुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सर्वशिक्षा अभियान में कुप्रबंधन की जांच किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जयंत चौधरी (मथुरा): "सर्व शिक्षा अभियान" जैसा कि इसके अर्थ से जाहिर है, जन-जन को शिक्षित बनाने का अभियान है। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि समाज और जन कल्याण का ऐसा पवित्र अभियान आज महज कुछ लोगों का कल्याण बनकर रह गया है। इस संदर्भ में मैं अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा के छाता एवं माठ ब्लाक में सर्व शिक्षा अभियान में बड़े पैमाने पर व्याप्त अव्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विधान सभा में भी इसकी जांच प्राक्कलन कमेटी कार्य कर रही है।

शिक्षा उत्पीड़न से लड़ने का एक औजार है। उसमें व्याप्त अव्यवस्था साधनहीन आम आदमी के खिलाफ है। इसे रोकने के लिए सर्व शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन इस तरह होना चाहिए कि अव्यवस्था पनप ही न सके। साथ ही साथ मथुरा क्षेत्र में हुए मामले की जांच की जाये जिससे दोषियों को सजा मिल सके अन्यथा केन्द्र सरकार की 'राइट टू एजूकेशन' योजना एक कागजी कानून बनकर रह जायेगी।

(चौदह) तमिलनाडु के तेनकासी टाउन में रेल समपार संख्या 502 पर रेल ऊपरि पुल का निर्माण शुरू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. लिंगम (तेनकासी): तमिलनाडु स्थित मेरे संसदीय क्षेत्र में आने वाले तेनकासी कस्बे में रेल संचार संख्या 502 पर रेल उपरि पुल का वर्ष 2010 में सरकारी भागीदारी से निर्माण किया जाना था।

कार्य की घोषणा करते समय यह कहा गया था कि सर्विस रोड डालने और पार-पथ (सबवे) का निर्माण रेल उपरि पुल के निर्माण पूरा होने के बाद किया जाएगा।

यद्यपि, रेलवे लाइन के दोनों ओर संपर्क सड़क को राज्य सरकार द्वारा ऊंचा कर दिया गया है तथापि रेल उपरि पुल को रेलवे द्वारा नहीं बनाया गया है। इससे लोगों को बड़ी असुविधा हो रही है जिसके कारण कानून और व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। रेलवे के साथ बढ़ते असंतोष के कारण कस्बे के लोग बहुत क्रुद्ध हैं। छोटे कस्बों के लिए अति महत्वपूर्ण मामलों में अनावश्यक विलंब से बचना चाहिए। तेनकासी पर्यावरण और तीर्थ केंद्र दोनों के रूप में भी महत्वपूर्ण कस्बा है। यह सीमावर्ती कस्बे और केरल के प्रवेशद्वार के रूप में भी भारी यातायात का भी संचालन करता है।

अत:, मैं केंद्र सरकार और रेलवे बोर्ड से आग्रह करता हूं कि वह तेनकासी कस्बे में रेल उपरि पुल के कार्य को तात्कालिक आधार पर पूरा करें।

(पन्द्रह) देश के स्कूलों में शौचालयों की कमी की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): यूनिसेफ की हाल की रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में 84% विद्यालयों में पेयजल सुविधाएं हैं। परंतु असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में लगभग आधे विद्यालयों में यह सुविधा नहीं है। भारत में 15% विद्यालयों में कामन टायलेट हैं तथापि असम, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान के केवल एक चौथाई विद्यालयों में यह सुविधा है।

54% विद्यालयों में लड़कियों हेतु अलग शौचालय हैं। औसतन, असम, मेघालय, मणिपुर में नौ में से एक विद्यालय में अलग शौचालय हैं और बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और उड़ीसा में चार में से एक विद्यालय में अलग शौचालय हैं।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह बच्चों के हित में समस्या को यथाशीघ्र हल करने हेतु तत्काल कार्रवाई करे तथा संबद्ध प्राधिकारियों को निर्देश दे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: सभा, 30 नवंबर, 2011 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा 30 नवंबर, 2011/9 अग्रहायण, 1933 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्री रमेन डेका	101
2.	श्री मंगली लाल मंडल श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	102
3.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार श्री मनोहर तिरकी	103
4.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर श्री ए.टी. नाना पाटील	104
5.	श्री बृजभूषण शरण सिंह श्री कमलेश पासवान	105
6.	डॉ. कृपारानी किल्ली श्री नारनभाई कछाड़िया	106
7.	श्री वीरेन्द्र कश्यप श्री अनुराग सिंह ठाकुर	107
8.	श्री अनंत कुमार हेगड़े श्री वीरेन्द्र कुमार	108
9.	श्री आनंदराव अडसुल श्री प्रेमदास	109
10.	श्री ओम प्रकाश यादव श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	110
11.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी डॉ. एम. तम्बिदुरई	111
12.	श्री महेन्द्र कुमार राय डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	112
13.	श्रीमती भावना पाटील गवली श्री यशवंत लागुरी	113
14.	श्री आर. थामराईसेलवन	114
15.	श्री के.पी. धनपालन श्री असादूद्दीन ओवेसी	115
16.	श्री जी. एम. सिद्देश्वर डॉ. सुचारू रंजन हल्दर	116
17.	श्री एंटो एंटोनी	117
18.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला डॉ. संजय सिंह	118
19.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी श्री लालचन्द कटारिया	119
20.	श्री पी.टी. थॉमस श्री एन. एस. वी. चित्तन	120

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए.के.एस. विजयन	1210
2.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	1243, 1251, 1308, 1313, 1318
3.	श्री आनंदराव अडसुल	1243, 1251, 1308, 1336
4.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	1166, 1288
5.	श्री हंसराज गं. अहीर	1151, 1164, 1234, 1286
6.	श्री बदरुद्दीन अजमल	1190, 1322
7.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	1335
8.	श्री सुरेश अंगड़ी	1212, 1312
9.	श्री घनश्याम अनुरागी	1236, 1306
10.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	1198, 1225, 1313
11.	श्री कीर्ति आजाद	1211,
12.	श्री गजानन ध. बाबर	1243, 1246 1308, 1313, 1318
13.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	1214, 1344, 1353,
14.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	1221, 1351
15.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	1207, 1342, 1344
16.	श्री संजय भोई	1212, 1234, 1316,
17.	श्री उदयराजे भोंसले	1214
18.	श्री समीर भुजबल	1266, 1368
19.	श्री पी.के. बिजू	1185, 1344
20.	श्री हेमानंद बिसवाल	1209
21.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	1195, 1314, 1326
22.	श्री सी. शिवासामी	1312
23.	श्री हरीश चौधरी	1226

1	2	3
24.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	1234, 1240, 1344, 1366,
25.	श्री दारा सिंह चौहान	1180
26.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	1191, 1210, 1248, 1329,
27.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	1351
28.	श्री भूदेव चौधरी	1192, 1233, 1372
29.	श्रीमती श्रुति चौधरी	1170, 1204, 1215, 1292, 1349
30.	श्री अधीर चौधरी	1183
31.	श्री खगेन दास	1205
32.	श्री राम सुन्दर दास	1196, 1316, 1347
33.	श्री गुरुदास दासगुप्त	1212, 1270
34.	श्रीमती दीपा दासमुंशी	1273
35.	श्री रमेन डेका	1330
36.	श्री के. डी. देशमुख	1334
37.	श्रीमती रमा देवी	1361
38.	श्री के.पी. धनपालन	1332, 1340
39.	श्री संजय धोत्रे	1307, 1331
40.	श्री आर. ध्रुवनारायण	1160, 1285
41.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	1202
42.	श्री निशिकांत दुबे	1199, 1316, 1318, 1355
43.	श्री पी.सी. गद्दीगौदार	1332
44.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	1212, 1234, 1316
45.	श्री वरुण गांधी	1200, 1327
46.	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	1209, 1272
47.	श्री ए. गणेशमूर्ति	1237
48.	श्री मणिकराव होडल्या गावित	1177, 1212, 1253, 1374
49.	श्री एल. राजा गोपाल	1218
50.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	1224, 1343, 1356
51.	श्री महेश्वर हजारी	1216
52.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	1209, 1217, 1238, 1334
53.	श्री बलीराम जाधव	1276
54.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	1367
55.	श्रीमती जयाप्रदा	1228, 1360
56.	श्री नवीन जिंदल	1264
57.	श्री महेश जोशी	1193, 1209, 1277
58.	डॉ मुरली मनोहर जोशी	1312, 1335
59.	श्री प्रहलाद जोशी	1151, 1209, 1302
60.	श्री पी. करुणाकरन	1235, 1362
61.	श्री कपिल मुनि करवारिया	1189, 1196, 1316
62.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	1298
63.	श्री राम सिंह कस्वां	1162, 1367
64.	श्री नलिन कुमार कटील	1167, 1289
65.	श्री चंद्रकांते खैरे	1260, 1308, 1377
66.	डॉ. कृपारानी किल्ली	1333
67.	डॉ किरोड़ी लाल मीणा	1278, 1318
68.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	1351
69.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	1158, 1210, 1214, 1259, 1282
70.	श्री मिथिलेश कुमार	1204, 1344, 1357
71.	श्री विश्व मोहन कुमार	1271
72.	श्री पी. लिंगम	1270
73.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	1171, 1293, 1311

1	2	3
74.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	1207, 1214, 1352
75.	श्री नरहरि महतो	1245, 1321, 1369
76.	श्री भतृहरि महताब	1227, 1359
77.	श्री प्रदीप माझी	1243, 1256, 1257, 1261, 1378
78.	श्री मंगनी लाल मंडल	1307, 1331, 1343,
79.	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक	1212
80.	श्री हरि माझी	1151
81.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	1168, 1275, 1338
82.	श्री महाबल मिश्रा	1220
83.	श्री गोविन्द प्रसाद मित्रा	1215
84.	श्री सोमेन मिश्रा	1344
85.	श्री पी.सी. मोहन	1175, 1225
86.	श्री गोपीनाथ मुंडे	1225, 1358
87.	श्री विलास मुत्तेमवार	1258
88.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	1177, 1225, 1297
89.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	1208
90.	श्री नारनभाई कछाड़िया	1305
91.	कुमारी मीनाक्षी नटराजन	1238, 1347, 1365
92.	श्री असादूद्दीन आवेसी	1304
93.	श्री वैजयंत पांडा	1217, 1317, 1349
94.	श्री प्रबोध पांडा	1194, 1324
95.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	1242
96.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय	1269
97.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	1234, 1316
98.	श्री कमलेश पासवान	1209, 1215
99.	श्री आर.के. सिंह पटेल	1241
100.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	1210, 1308

1	2	3
101.	श्री बाल कुमार पटेल	1314
102.	श्री किसनभाई वी. पटेल	1243, 1256, 1257, 1261, 1376
103.	श्री हरिन पाठक	1210, 1267, 1308, 1319, 1332
104.	श्री संजय दिना पाटील	1337
105.	श्रीमती भावना पाटील गवली	1338
106.	श्री सी.आर. पाटिल	1186, 1316, 1357
107.	श्रीमती कमला देवी पटले	1210
108.	श्री पोन्नम प्रभाकर	1356
109.	श्री नित्यानंद प्रधान	1217, 1317, 1349
110.	श्री प्रेमदास	1313
111.	श्री पन्ना लाल पुनिया	1156, 1209, 1210, 1214, 1303
112.	श्री एम.के. राघवन	1187
113.	श्री अब्दुल रहमान	1181
114.	श्री सी. राजेन्द्रन	1274, 1316, 1338
115.	श्री एम.बी. राजेश	1310
116.	श्री पूर्णमासी राम	1203
117.	प्रो. राम शंकर	1178, 1328
118.	श्री रामकिशुन	1301
119.	श्री जगदीश सिंह राणा	1172, 1229, 1235, 1294
120.	श्री कादिर राणा	1235
121.	श्री रायपति सांबासिवा राव	1173, 1295
122.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	1155
123.	श्री रामसिंह राठवा	1161, 1210, 1348
124.	श्री विष्णु पद राय	1154, 1280
125.	श्री रुद्र माधव राय	1222, 1256, 1376

1	2	3
126.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	1157, 1251, 1274, 1310, 1323
127.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	1163, 1344
128.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	1225, 1226, 1247, 1279, 1344
129.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	1165, 1217, 1372, 1379
130.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	1245, 1321, 1369
131.	श्री एस. अलागिरी	1320
132.	श्री एस. सेम्मलई	1268
133.	श्री एस. पक्कीरप्पा	1188, 1380
134.	श्री एस.आर. जेयदुरई	1174, 1206, 1214, 1224
135.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	1179, 1299
136.	श्री ए. संपत	1308
137.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	1231
138.	श्रीमती सुशीला सरोज	1159, 1284
139.	श्री तूफानी सरोज	1214, 1346
140.	श्री हमदुल्लाह सईद	1176, 1214, 1225, 1296
141.	श्री अर्जुन चरण सेठी	1210, 1265
142.	श्री एम.आई. शानवास	1244
143.	श्रीमती जे. शांता	1169, 1214, 1291, 1344
144.	श्री नीरज शेखर	1228, 1360
145.	श्री गोपाल सिंह शेखावत	1316, 1318
146.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	1315, 1344
147.	श्री राजू शेट्टी	1230
148.	श्री एंटो एंटोनी	1315, 1341
149.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला	1222

1	2	3
150.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	1283
151.	श्री भूपेन्द्र सिंह	1184, 1269, 1301
152.	श्री दुष्यंत सिंह	1313
153.	श्री इज्यराज सिंह	1219
154.	श्री जगदानंद सिंह	1236, 1344, 1363
155.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	1345
156.	श्रीमती मीना सिंह	1252, 1373
157.	श्री राधा मोहन सिंह	1197, 1222
158.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	1209, 1365
159.	श्री राकेश सिंह	1235
160.	श्री रवनीत सिंह	1152, 1273, 1290, 1316, 1347
161.	श्री सुशील कुमार सिंह	1229
162.	श्री उदय सिंह	1198, 1223, 1317, 1354
163.	श्री यशवीर सिंह	1228, 1360
164.	श्री रेवती रमण सिंह	1225, 1259
165.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	1312, 1335, 1344
166.	राजकुमारी रत्ना सिंह	1219, 1226
167.	डॉ. संजय सिंह	1320, 1361, 1367
168.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	1247, 1281
169.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	1225, 1287
170.	श्री मकनसिंह सोलंकी	1233, 1259, 1272
171.	श्री के. सुधाकरण	1309
172.	श्री ई.जी. सुगावनम	1182, 1300
173.	श्री के. सुगुमार	1193, 1350
174.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	1250, 1343, 1371
175.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	1198, 1213, 1264

1	2	3
176.	श्री मानिक टैगोर	1209, 1237, 1364
177.	श्रीमती अन्नू टन्डन	1262
178.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	1248
179.	श्री मनीष तिवारी	1247
180.	श्री जगदीश ठाकोर	1255
181.	श्री आर. थामराई सेलवन	1309, 1339
182.	श्री पी.टी. थॉमस	1210
183.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	1249, 1370
184.	श्री जोसेफ टोप्पो	1239
185.	श्री लक्ष्मण टुडु	1195
186.	श्री शिवकुमार उदासी	1153
187.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	1216

1	2	3
188.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	1195, 1311
189.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	1229
190.	श्री वीरेन्द्र कुमार	1325
191.	श्री पी. विश्वनाथन	1210, 1254, 1375
192.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	1201, 1214, 1243
193.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	1343
194.	श्री अंजन कुमार एम. यादव	1227
195.	श्री धर्मेन्द्र यादव	1243, 1246, 1308, 1313, 1318
196.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	1335, 1344
197.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	1232
198.	योगी आदित्यनाथ	1197, 1229.

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	101, 105, 109, 110, 117, 119
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	106, 111, 112, 118
संस्कृति	:	–
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	–
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	113
गृह	:	102, 107, 108, 120
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	116
सूचना और प्रसारण	:	103
शहरी विकास	:	114, 115
युवा कार्यक्रम और खेल	:	104

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	1157, 1160, 1167, 1169, 1170, 1171, 1172 1173, 1178, 1192, 1193, 1196, 1202, 1207 1218, 1221, 1225, 1226, 1228, 1230, 1232, 1233, 1234, 1238, 1240, 1242, 1243, 1244, 1249, 1252, 1254, 1257, 1259, 1261, 1263, 1267, 1268, 1270, 1275, 1276, 1285, 1289, 1291, 1293, 1297, 1300, 1301, 1306, 1308, 1310, 1312, 1315, 1318, 1323, 1324, 1327, 1333, 1335, 1341, 1343, 1344, 1348, 1349 1350, 1351, 1353, 1359, 1365, 1366, 1367, 1372, 1373, 1375
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	1161, 1191, 1203, 1213, 1215, 1219, 1227, 1236, 1246, 1247, 1251, 1266, 1271, 1274, 1279, 1280, 1290, 1292, 1295, 1304, 1307, 1316, 1329, 1330, 1331, 1338, 1357, 1368, 1380
संस्कृति	:	1153, 1183, 1187, 1204, 1217, 1298, 1302, 1311, 1328, 1355
उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास	:	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	1260, 1262, 1273
गृह	:	1151, 1152, 1154, 1156, 1159, 1163, 1168 1174, 1176, 1179, 1181, 1190, 1194, 1198, 1199, 1200, 1201, 1205, 1206, 1208, 1210, 1211, 1212, 1214, 1231, 1258, 1286, 1296, 1303, 1313, 1314, 1319, 1320, 1322, 1326 1332, 1334, 1336, 1337, 1339, 1345, 1352 1358, 1360, 1361, 1363, 1370, 1371, 1374 1376, 1377, 1379

आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	1155, 1165, 1175, 1188, 1235, 1239, 1278, 1282, 1309, 1342, 1354
सूचना और प्रसारण	:	1166, 1180, 1182, 1184, 1241, 1245, 1255, 1256, 1294, 1305, 1317, 1321, 1356, 1362, 1369
शहरी विकास	:	1158, 1162, 1164, 1177, 1185, 1186, 1195, 1209, 1220, 1223, 1229, 1237, 1248, 1250, 1253, 1272, 1277, 1281, 1283, 1284, 1288, 1299, 1325, 1346, 1364, 1378
युवा कार्यक्रम और खेल	:	1189, 1197, 1216, 1222, 1224, 1264, 1265, 1269, 1287, 1340, 1347.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/20/16/2011 (एन.)
230

© 2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।